

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्री ॥

विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला

११८

११८

महामहोपाध्याय श्री फणिभूषण तर्कजगीश विरचित

न्याय-परिचय

(हिन्दी रूपान्तर)

रूपान्तरकार :

डॉ० श्री किशोरनाथ झा

एन० ए० ए-एच० सी०

(निधिना विद्यापीठ, दरभंगा)

सम्पादक :

डॉ० श्री दिनेशचन्द्र गुह

एन० ए० (द्वय) डॉ० एम०, काव्यन्यास-तर्क (द्वय)-

वेदान्त-तर्क, व्यापक-कार, राष्ट्रमहाविद्

प्राध्यापक, संस्कृत विभाग : कर्ना हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

चौरवम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१

१९६८

प्रकाशक . चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
मुद्रक विद्याविलाम प्रेस, वाराणसी
संस्करण प्रथम, म० २०२५

© The Chowkhamba Vidyabhawan
Post Box No 69
Chowk, Varanasi-1 (India)
1968
Phone 3076

प्रधान कार्यालय :
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस
गोपाल मन्दिर छैन,
पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बॉक्स नं०, वाराणसी-१

THE
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA

118
३३३

NYĀYA-PARICAYA

(A Handbook of Indian Logic)

OF

M. M. PHANIRHŪSANA TARKAVĀGIŚA

Translated from the Original Bengali into Hindi

Dr. KISORANĀTHA JHĀ, M. A.

Edited by

Dr. DINEŚA CHANDRA GUHA,

M. A. (Double), D. Litt.,

Kāvya-Nyāya-Tarka (Double)—Vedānta-Tīrtha, Nyāyāṅkṣra,
Rāṣṭrabhāṣākośa, Professor, Department of Sanskrit,
Banaras Hindu University, Varanasi

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI-1
1968

First Edition

1968

~~Price Rs. 11.00~~

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Publishers & Antiquarian Book-Sellers

P O Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-1 (India)

Phone 3145

First Edition

1968

~~Price Rs. 11.00~~

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Publishers & Antiquarian Book-Sellers

P O Chowkhamba, Post Box 8 Varanasi-1 (India)

Phone 3145

महामहोपाध्याय श्री फणिभूषण तर्कवागीश

महामहोपाध्याय श्री प० फणिभूषण तर्कवागीशजी का जन्म ई० १८७६ मे बंगाल के यशोहर जिलान्तर्गत तालखडि गांव मे माघशुक्ल चतुर्दशी (रटन्ती चतुर्दशी) को हुआ था । आपके पूज्य पिता का नाम श्री सृष्टिधरभट्टाचार्य था । भट्टाचार्य जी अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान् एवं चरित्रवान् महापुरुष थे । पिता के उदात्त गुण, चरित्र-बल, तथा सनातनधर्म के प्रति निष्ठा भी आप को उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई थी ।

बाल्यकाल से ही एक ~~मरिचिणी~~ ~~एक~~ ~~मेधावी~~ ~~व्यक्त~~ होने के कारण अल्प अवस्था मे ही आप व्यक्तिकरण, ~~कीर्त्त~~, ~~सामर्थ~~ (निष्ठा, प्रसिद्धि) तथा अन्य दर्शनो मे भी पारंगत हो गए । अध्ययन समय ~~में~~ ~~में~~ आपने विद्यागुरु श्री प० जानकीनाथ तर्करान, विद्वान्तवागीश जी को अपने पाठितर्या में मुग्ध कर उनके अत्यन्त प्रिय हो कर बन गए । बाल्यकाल के कष्टपूर्ण गुरुजी अपने अन्य विद्यापियो को आप से ही अध्ययन पारने को कहते तथा दिये रात दिन प्रायः साधन और भजन मे लगे रहते थे । आपने काव्यतीर्थ और साध्यतीर्थ परीक्षा प्रथमश्रेणी मे तथा प्राचीन एवं नव्य-न्याय की उस समय की मध्यमा परीक्षा विशेषयोग्यता के साथ उत्तीर्ण की । इस प्रकार आपका अध्ययन तथा अध्यापन दोनों साथ साथ ही चलता रहा ।

बाद मे पावना जिले तथा बंगाल मे प्रसिद्ध विद्वान् और अध्यापक के रूप मे—मश प्राप्त करते हुए पुण्यश्लोक आदरणीय पंडितप्रवर म० म० श्री लक्ष्मण शास्त्रीजी द्विविड तथा म० म० श्री यामाचरण न्यायाचार्यजी के आग्रह पर आप काशी पधारे । यहाँ आकर भी आपका अध्यापन व्रत कम न हुआ और काशी के प्रसिद्ध टीकमणि संस्कृत कालेज मे आपने अध्यापक पद स्वीकार किया ।

ई० १९२६ में आपको ब्रिटिश सरकार की ओर से सम्माननीय महामहोपाध्याय उपाधि से विभूषित किया गया । उसी वर्ष आपको गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, कलकत्ता मे न्याय के प्रधानाध्यापक पद को स्वीकार करने का आग्रह आदरणीय म० म० हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा किया गया जिसे आपने सहर्ष स्वीकार किया । योग्यतापूर्वक अपने कार्यभार को सभालते हुए आपने ई० १९२९ मे उक्त पद मे त्यागपत्र दे दिया और आप काशी वापस चले आए । किन्तु भारतविख्यात लोकनायक डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के आग्रह पर आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय के न्याय विषय का प्राध्यापक पद को स्वीकार कर पुनः कलकत्ता लौट जाना पडा ।

म० म० तर्कवागीदाजी सहस्रत-शांभय की विभिन्न शाखाओं के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। आपके प्रसिद्ध प्रश्नों में प्रमुख न्यायदर्शन तथा वात्स्यायन भाष्य जो ५ विशाल भागों में विभक्त है, एवं प्रस्तुत न्यायपरिचय आपकी प्रतिभाशालिना के ज्वलन्त प्रमाण हैं। आपकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उत्कलीन विद्वानों ने आपका जो अभिनन्दन किया था उसका एक असा इस प्रकार है —

साहित्याम्भोधिमचोत्थितरसरसनेरात्तगीर्वाणिवर्ग

नास्तिक्येभेद्रकुम्भोद्भूतकृतमतिरूपपञ्चाननस्त्वम् ।

भाष्ये वात्स्यायनीयं श्रुतमतिगहने व्याकृतिर्वा त्वदीया

सैवाकल्प समन्ताद् बुधवर भवत कीर्तिगीति विधात्री ॥

आपके पाण्डित्य में प्रभावित उस समय के महाराजाधिराज कागिराज श्री प्रभुनारायण सिंह जी द्वारा आपकी निम्नलिखितरूप से प्रशंसा की गयी थी —

न्याये वैशेषिके च स्फुरति मतिरिति श्रेयसी सावकीना

व्याख्यान न्यायभाष्ये किमपि रचितवान् बद्धभाषामय च ।

जानीये जैनशास्त्र मतमपि सुमते शीघ्रत वैष्णव च

प्रौढि धरते च मन्वादिभिरपि लविते धर्मशास्त्रेषु बाढम् ॥

आपके न्यायभाष्य की प्रशंसा डा० वेनिस, इटालियन विद्वान् डा० जी० तुल्चो, प्रोफेसर एच० एच० इन्गल्स, म० म० डा० गोपीनाथ कविराज जी, म० म० रंजानन तर्करत्न, ए० सुललालजी आदि कितने ही विदेशी तथा भारतीय विद्वानों ने मुत्तकठ से की है।

आप विद्वन्विरोमणि होने के साथ ही अप्रतिशाही भी थे (अर्थात् प्रतिग्रह नहीं लेते थे)। आप अपने पठन पाठन में इतने सत्सीन रहा करते थे कि कभी-कभी तो आपकी भोजन करने तक का ध्यान नहीं रहता था। आप उच्चकोटि के वास्तिक थे, साथ ही 'सास्त्ररक्षा समिति' के उत्थापक म० म० ए० लक्ष्मणशास्त्री जी द्रविड तथा म० म० वामाचरण न्यायाचार्य जी के अन्य सहयोगियों में से अत्यन्त मये। आप हरिनामप्रदायिनी सभा अनीय साहित्यपरिषद्, कलकत्ता सहस्रतसाहित्यपरिषद् आदि विभिन्न ही संस्थाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर बर्षों तक बने रहे। विद्वन्मण्डली में आप न्याय वेदान्त, साहित्य के प्रमुख विद्वान् के रूप में प्रसिद्ध थे।

आपके अनेको विद्वान् दिव्य बाणी में तथा बाह्य भीयस सपादन कर रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर गोपीनाथ भट्टाचार्य (प्रो० अनेन्द्रवीर) दर्शन विभागाध्यक्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय, डॉ० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य सहस्रत, विभागाध्यक्ष

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय डॉ० दिनेशचन्द्र गुह, प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ए० एच० भट्टाचार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय ए० ए० डॉ० उमेशमिश्र मिथिला, पण्डित बद्रीनाथशुक्ल वाराणसेय ए० विश्वविद्यालय, डॉ० गौरीनाथशास्त्री उपकुलपति वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, डॉ० गोविन्दगोपाल मुखोपाध्याय, वर्धमान विश्वविद्यालय, ए० आनन्द झा ग्यायाचार्य लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्री अनन्त लाल ठाकुर मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा डॉ० नाथमल टांटिया आदि के नाम प्रमुख हैं ।

अन्त मे काशी मे ही वास करते हुए माघ शुक्ल एकादशी (भैमी एकादशी) को ई० १९४२ मे आपको शिवसाग्निध्य प्राप्त हुआ ।

१९६४ की माघशुक्ल चतुर्दशी को वाराणसी के सुप्रसिद्ध सागवेदविद्यालय मे काशिराज श्री विभूतिनारायण सिंह के द्वारा आपके तैलचित्र का अनावरण किया गया ।

आप अपने पीछे दो सुयोग्य पुत्र भी छोड गए हैं । उनमे प्रथम श्री अहिभूषण भट्टाचार्य एम० ए० (अपेजी तथा इतिहास) साहित्यशास्त्री, प्रिंसिपल, एम्ली बंगाली कालेज, वाराणसी मे हैं तथा द्वितीय श्री सुधीभूषण भट्टाचार्य एम० ए० भाषाशास्त्रिक हैं, जो गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के नृतत्व-विभाग मे उच्चपद पर कार्य कर रहे हैं । आप दोना भाई पिता की ही तरह आस्तिक, दिनम एव संस्कृतप्रेमी हैं । आप दोनो अपने अपने कार्यों द्वारा पिता की महनीयता को दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए अपनी कार्यकुशलता एवं उच्चता का परिचय दे रहे हैं ।

दिनेशचन्द्र गुह

आमुख

इस समय जीवन की वह मांगलिक बेला स्मरण आ रही है जब पूज्यपाद गुरुदेव श्री अनन्त लाल ठाकुर ने मुझे 'न्यायपरिचय' का हिन्दी में अनुवाद करने के लिये प्रेरित किया था और मैं उनकी इच्छा साकार करने के लिये यथासक्य प्रयत्नशील हो गया था।

पूज्य गुरुदेव प्रो० ठाकुर (मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा) ने कलकत्ता में म० म० तर्कवागीश जी से न्यायदर्शन का अध्ययन किया था तथा पूज्य पिताजी प० श्रीकृष्णमाधव झा ने भी सन् १९२१ म १९२४ तक वाराणसी के टीकमणि विद्यालय में उन्हीं से न्यायदर्शन की शिक्षा प्राप्त की है। इस प्रकार श्री तर्कवागीश जी उभयथा मेरे परम गुरु सिद्ध होते हैं।

न्यायपरिचय के मूल लेखक म० म० तर्कवागीश जी ने अपनी भूमिका के अन्त में लिखा है— वगीश जातीय शिक्षापरिषद्' ने वसुमत्सिक वृत्ति' देकर मुझसे जो वक्तव्यार्थें निमित्त कराई थी उन्हीं का सङ्ग्रह यह 'न्यायपरिचय' ग्रन्थ है।

इस वृत्ति के विषय से यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि म० म० तर्कवागीश जी ने न्यायदर्शन की वगभाषामय विषय व्याख्या (जो पाँच विद्यालय भागों में प्रकाशित है) लिख कर दर्शन का विश्वकोष ही प्रस्तुत कर दिया है। इस कोटि की व्याख्या समूचे सङ्ग्रह चाहिये म भी सुलभ नहीं है।

जब मैं मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा में एम ए का छात्र था उस समय पूज्य गुरुदेव प्रो० ठाकुर प्रायः इस ग्रन्थ की चर्चा किया करते थे। पर पर पूज्य पिताजी स बातचीत के प्रसंग में अनायास विदित हुआ कि १३ नवम्बर १९४० को जब पिताजी गणेशमहाल, वाराणसी के म० म० भी तर्कवागीश जी के दृष्टान्त गये तो उन्होंने स्मृत्यर्थ इस पुस्तक की एक प्रति पिता जी को दी थी। जब मैंने वह प्रति देखी तो उसके मुखपृष्ठ पर वपाठारों में लिखा दिखाई पड़ा—'मदीयप्रियविद्यपथोऽशुष्णमाधवज्ञात्वाकरणीवाध्याप्यायाचार्याय सादरमुपहृतम्, सतताशीर्षादवश्रीफणिभूषणभट्टाचार्येण'। यह इस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिताजी उनकी असीम कृपा के भाजन रह हैं। मरी इह धारणा है कि परम गुरुकृपा की यह अत्रय धारा इन्हीं दोनों महापुरुषों द्वारा स्रवान्त होकर अनजाने ही मुझे प्राप्त हो गई और उसी का यह

सुफल है कि आज मुझे इस हिन्दी अनुवाद द्वारा उनकी कृति के प्रचार-प्रसार में योगदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः एव मैं दिवगत पूज्य-धरणा परमगुरुदेव को ही कोटिनमनपुरस्सर यह अनुवाद रूप पुष्पाञ्जलि सादर समर्पित करता हूँ।

मिथिलाक्षर जानने के कारण यद्यपि बगधाक्षर पढ़ने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुई तथापि इस ग्रन्थ में आलोचित्र न्यायदर्शन विषय में पूज्य गुरुदेव तथा पिताजी के सामीप्यवश ही यत् किञ्चित् परिचित हो सका है। इसकी शैली ओजस्विनी होकर भी सरल है तथा भाषा सर्वथा संस्कृतमयी, अतः इसे पूरा पढ़ने तथा तद्वचन समझ लेने के पश्चात् ही मैं इसके अनुवाद कार्य में प्रवृत्त हुआ और श्री जगदम्बा की कृपा एव गुरुजनों के आशीर्वाद से आज यह कार्य पूर्ण हो गया।

अनुवाद करते समय मैंने सावधानी से त्रियापदों का हेरफेर अवश्य किया है किन्तु वहाँ कहीं कौशलपूर्वक विभक्तिरहित संस्कृत शब्द जैसे बगला में थे वैसे ही हिन्दी में भी ले लिए हैं। इस प्रकार ग्रन्थ के प्रति शब्द का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

इसे अनूदित करने में मेरी भावना यही रही है कि प्रचार एव प्रसार के अभाव में आज तक बगभाषा के अभिज्ञजन ही इसका समुचित उपयोग कर पाते थे, अब यदि टूटी-भूटी हिन्दी में भी इसका रूपान्तर हो जायगा तो भी विषयवस्तु का उपयोग तो हिन्दी जाननेवाले भी कर सकेंगे, या यों कहा जाय कि राष्ट्रभाषा में रूपान्तरित हो जाने के कारण प्रत्येक भारतीय इससे लाभान्वित हो सकेगा।

पाठकों को इस अनुवाद में जो भी दोष दिखाई पड़ें उनका उत्तरदायित्व केवल मेरा है तथा सब प्रकार की उत्तमता का श्रेय परमगुरुदेव को। इसमें दोष अधिक होंगे, इस कल्पना में मुझे विशेष शोभ नहीं है क्योंकि एक तो यह मेरा प्रथम बाल प्रयास है; दूसरे, श्रीमासाचार्य कुमारिल भट्ट की यह कृति भी मेरे समाधान के लिये पर्याप्त है—

गच्छतः स्थलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः ।

इषन्ति दुर्जनास्तत्र समाश्रयन्ति सज्जनाः ॥ (श्लोकवार्तिक)

पूरा अनुवाद लिखबद्ध हो जाने पर पूज्य गुरुदेव प्रो० ठाकुर तथा गुरुवर महाप्रभुशाल गारुवामी ने प्रकाशक से बार्तालाप कर इसे प्रकाशित कराया और मुझे पुरस्कार भी किया। इन महानुभावों की अहेतुकी कृपा का ही फल है कि परमगुरुदेव की कृति के द्वारा विद्वत्समाज से परिचित होने का सौभाग्य मुझे

प्राप्त हुआ। एतदथ इन पूज्यचरणों के प्रति आजीवन साभारकृतज्ञताज्ञापन करता हूँ।

सोदरकल्प बभ्रुवर भी मुक्तिनाथ झा एम० ए० (बगरेजी) ने पूण तत्परता के साथ पूरी पाण्डुलिपि पढ़कर सशोधन का परामर्श दिया है अतः मैं उनके सम्मुख नतमस्तक हूँ।

चौखम्बा विद्याभवन तथा चौखम्बा संहृत सीरीज वाराणसी के अध्यक्ष महोदय ने इसके प्रकाशन का भार लेकर मुझे निश्चित कर दिया अतः उन्हें हृदय से धन्यवाद तथा ब्राह्मण होने के नाने आशीर्वाद् भी प्रार्थना करता हूँ।

निजला एकादशी }
दि० सं० २०२५ }

विनयावनत
—फिशोरनाथ झा

भूमिका

(मं० म० श्री फणिभूषण तर्कवागीश)

(हिन्दीरूपान्तर)

'न्यायशास्त्र में बङ्गालियों की विजय

भक्ति से गदगद होकर स्वदेश के गौरवगान में—'बङ्ग आमार, जननी आमार',^१ कहते हुये इस बीषवी शती के प्रसिद्ध कवि द्विजेन्द्रलाल ने भी लिखा है—'न्यायेर विधान दिल रघुमणि'। वही रघुनाथ शिरोमणि अपनी दीधिति व्याख्या के आरम्भ में लिखते हैं .

'न्यायमधीने सर्वस्तनुते कुतुकाप्रिबन्धमप्यत्र ।

अस्य तु क्रिमपि रहस्य केचन विज्ञानुमीशते सुविय ॥

अर्थात् बहुत व्यक्ति न्यायशास्त्र का अध्ययन करते हैं तथा इस शास्त्र के ग्रन्थों की रचना भी करते हैं किन्तु इसके अनिर्वचनीय रहस्य को कम ही विद्वान् समझ पाते हैं ।

यद्यपि यह बात बहुतों को अप्रिय लगी होगी किन्तु जिसने यह बात कही है उसने मिथिला में विजय प्राप्त करके सम्पूर्ण भारत में ही न्यायशास्त्र का एक नया युग निर्माण कर दिया। उसी की अभिनव तथा असाधारण प्रतिभा को लक्ष्य करके कहा गया है—'बङ्ग आमार जननी आमार' और इसीमें सम्पूर्ण भारत में ही नव्यन्याय का गुरुस्थान बङ्गाल रहा है। प्रसिद्ध पुस्तक कवि सत्येन्द्रनाथ बङ्गालियों का गौरव-गान करते हुए रघुनाथ शिरोमणि के लिये लिखते हैं—'किसोरवपसे पञ्चधरेर, पक्ष शातन करि ।

बाङ्गालीर छेले किये एल घरे यशेर मुकुट परि ॥

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि पहले पहल घासुदेव सार्धभौम ने नदिया से मिथिला जाकर नव्यन्याय की तत्त्वचिन्तामणि पढ़ी, और पुनः नदिया लौटकर इसका अध्यापन किया। रघुनाथ पहले इनसे पढ़कर पश्चात् उस समय के भारत के अप्रतिद्वन्द्वी नैयायिक, सरस्वती के बरदपुत्र पक्षधर मिश्र से पढ़ने के लिए मिथिला गये थे। उसने विचारपूर्वक अपने गुरु पक्ष-

१. बङ्गाल मेरा, माँ मेरी।— अर्थात् बङ्गभूमि मेरी माँ है।

घर के ही मतो का स्रष्टन करके तत्त्वचिन्तामणि की अपूर्व व्याख्या दीधिति की रचना की, और नदिया में एक नवीन संप्रदाय की स्थापना की, सर्वत्र बङ्गाल में वह प्रवाद प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है । मृष्टीय सप्तदश शतक के प्रथम भाग में गोष्ठीकथा के रचयिता रादोयब्राह्मण प्रसिद्ध विद्वान् पञ्जानन चट्टोपाध्याय (तूली पञ्चानन) ने भी कहा है :

बाणा छोडा युद्धे दड नाम रघुनाथ ।

मिथिलार पक्षधरे, ये करेछे मात ॥'

यह भी विरप्रसिद्ध है कि रघुनाथ शिरोमणि काने ये अत एव काण मट्ट शिरोमणि नाम से भी उनकी प्रसिद्धि है । यह सर्वथा सत्य है कि रघुनाथ शिरोमणि ने ही नदिया में नव्यन्याय के नवीन संप्रदाय की स्थापना की तथा भारत भर में नव्यन्याय के गुरु होकर रहे ।

ऐसी बात नहीं थी कि बङ्गाल में चासुदेव सार्यमौम से पहले अन्य किसी ने न्यायशास्त्र नहीं पढ़ा था या न्यायशास्त्र का एक भी ग्रन्थ यहाँ प्राप्त नहीं था । प्राचीन न्याय तथा वैशेषिक दर्शन की विशेष खर्चा बहुत प्राचीन-काल में ही बङ्गाल में होती आ रही है । १७० दशम शतक में बङ्गाल के दक्षिण राड प्रान्त के सुप्रसिद्ध मीमांसक श्रीधरभट्ट न्याय तथा वैशेषिक दर्शन के अद्वितीय विद्वान् हो गये हैं । उनकी न्यायकन्दली इसका प्रमाण है । प्रसस्त-पाद भाष्य की सबसे प्रसिद्ध व्याख्या न्यायकन्दली उनकी अशुभ कीर्ति है । इन्होंने अन्य धर्मों की भी रचना की थी ।'

श्रीधर भट्ट के बाद राड प्रान्त में उनकी शिष्यपरम्परा भी अवश्य रही होगी । स्रष्टनस्रष्टनस्रष्टन के रचयिता महानैपायिक श्रीहर्ष बङ्गाल के ही किसी स्थान में उत्पन्न हुए थे — इसका प्रमाण मिलता है । यह कवि राजशेखर ने अपने प्रबन्धकोष के उत्तरभाग में श्रीहर्ष को गौडदेशीय कहा है । मिथिला के महाकवि विद्यापति ठाकुर ने भी पुरुषपरिक्षा में यही बात दुहरायी है । धाद्वर्ष के नैषध चरित महाकाव्य के पद्यों में किसी किसी स्थान पर यमक तथा अनुपास को उस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि बङ्गदेशीय वर्णोच्चारण का ही उनकी अभ्यास था ।'

१ श्रीधर भट्ट ने न्यायकन्दली में स्वर्चित अक्षयसिद्धि, तत्त्वप्रयोग तथा तत्त्वसंघादिनी इन तीन ग्रन्थों का उल्लेख किया है । किन्तु इनमें से एक भी ग्रन्थ मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुआ है ।

२ नैषधचरित में—'अमीततस्त्रय विभूषित विषय' (११५७) प्रमृत-शून्येतरगर्भगह्वरम् । (११५४) मनस्तु य नोग्गति जानु यातु' (११५९)

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कान्यकुब्ज से बङ्गाल में आए हुए भारद्वाज गोत्रीय श्रीहर्ष नैपथ्यचरित के रचयिता नहीं हैं। नैपथ्यचरितकार उनसे परवर्ती हैं। इनके पिता का नाम श्री हरि और माता का नाम मामल्लदेवी था। नैपथ्यचरित के सर्गान्त में आत्मपरिचय देते हुए और भी कितनी बातें इन्होंने कही हैं। श्रीहर्ष के गौडदेशीय होने में भले ही विवाद रहा हो किन्तु इसमें विवाद नहीं है कि प्राचीन विद्वान् महादार्शनिक श्रीधर भट्ट जिनकी न्यायकन्दली व्याख्या है, गौडदेशीय ही थे।

न्यायकन्दली के अन्त में श्रीधरभट्ट की अपनी उक्ति से ही ज्ञात होता है कि गौड देश के दक्षिण राङ्ग प्रान्त में पुष्पकर्मा ब्राह्मणों एवं श्रेष्ठियों का आवास भूरिसृष्टि नामक प्रसिद्ध गाँव में रहा है।^१ इस स्थान में इनके पिता मह का जन्म हुआ था। वे बृहस्पति के सदृश पण्डित थे। उनके पुत्र (श्रीधर के पिता) बलदेव परम विद्वान् एवं यशस्वी व्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी अश्वोका देवी ने विशुद्ध कुल में जन्म लिया था। अत एव कुलीना तथा बहुत गुणवती थी। उस देश के सात्कालिक अधिपति कायस्थ कुलतिलक पाण्डुदास की प्रार्थना से श्रीधरभट्ट ने—'त्रयविकदशोत्तरनवशतशकाब्दे' अर्थात् ९१३ शकाब्द में, ई० सन् ९९१ में न्यायकन्दली की रचना की थी।^२

जागति यागेश्वर.' (१२।३८) सख्य मीक्षते (१।३८) अबोधित उज्जागर दुःखसाक्षिणी (१।४९) नयैः किलास्यापि विलिख्य पक्षिणा । (१।६६) और भी कितने स्थल द्रष्टव्य हैं। सख्यमीक्षते, दुःखसाक्षिणी इत्यादि स्थलों में श्रीहर्ष ने लकार तथा लकार का बङ्गदेशीय एकरूप उच्चारण ही किया है—ऐसा प्रतीत होता है।

१ श्रीधरभट्ट भी लिखते हैं—'आसीद्दक्षिणराङ्गाया द्विजानां भूरिकर्मणाम् । भूरिसृष्टिरिति ग्रामो भूरिश्रेष्ठिजनाश्रयः'। प्रयोधचन्द्रोदय नाटक में श्रीकृष्ण मिथ भी लिखते हैं—'गौडराष्ट्रमनुत्तम निरुपमा तत्रापि राडा ततो भूरिश्रेष्ठिकनाम धाम परमं तत्रोत्तमो न. पिता'। इसमें सन्देह नहीं कि गौड राज्य में राङ्गापुरी के अन्तर्गत श्रीधरभट्ट के 'भूरि सृष्टि' गाँव को ही श्रीकृष्णमिथ ने उक्त श्लोक में 'भूरिश्रेष्ठिक' नाम से उल्लेख किया है। यही व्याख्याकार का कहना है—'भूरिश्रेष्ठिग्रामस्य अधुना 'भुरसृट्' इति प्रसिद्धिः ।' वस्तुतः वर्तमान हुगली जिला में भुरसृट् अति प्रसिद्ध स्थान है जहाँ रायगुणाकर भारतचन्द्र ने भी जन्म लिया है।

२. ऐतिहासिकों का कहना है कि सृ० दशम शतक के अन्त या ग्यारहवाँ शतक के आदि में राङ्ग प्रान्त के अधिपति कायस्थराज पाण्डुदास बौद्ध धर्म के

ध्रीधरभट्ट के बाद ग्यारहवीं शती में राड़ देश के राजा हरिवर्म देव के पत्नी 'खिदल' गाय के रहने वाले महामीमासक भवदेव भट्ट ने अनेक ग्रन्थों की रचना की तथा वे प्रसिद्ध पण्डित हुए। भुवनेश्वर में अनन्त वासुदेव के मन्दिर में खुदी हुई प्रस्तितियों में इनका सकल शास्त्रविषयक पाण्डित्य तथा इनकी विभिन्न कीर्तिगाथाएँ वर्णित हैं। न्यायशास्त्र में विद्विष्ट पाण्डित्य के बिना भवदेव जैसा मीमांसक नहीं हो सकता। बारहवीं शताब्दी में महाराज लक्ष्मणसेन के राज्यकाल में बङ्गाल में हलायुध आदि मीमांसक विद्वान् तथा बहुत नैयायिक हो गये हैं। मैंने प्रवादरूप में पृष्ठों से सुना है कि लक्ष्मणसेन की राजसभा में उनका यथोवर्णन करते हुए किसी कवि ने उपस्थित बङ्गाल के नैयायिकों को लक्ष्य करके कहा है—

“भावादभावाद्यदि नातिरिक्तं सवन्धिभिः स्वोन्निषते पदार्थः ।

जन्वाश्विनादि प्रतियोगिशून्य श्रीलक्ष्मणशीणिपतेर्मतः किम् ॥”

अभिप्राय यह है कि नैयायिक के मत में पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—भाव तथा अभाव। इससे भिन्न पदार्थ का तीसरा प्रकार नहीं माना जाता।

उपर्युक्त श्लोक के द्वारा कवि कहना है कि सम्बन्धोद्बुद्ध (समवाय आदि विभिन्न सम्बन्धों को जो कहना है अर्थात् नैयायिकगण) यदि भाव और अभाव से भिन्न प्रकार का पदार्थ नहीं मानते हैं तो भूपति श्री लक्ष्मणसेन का यद्यत् कौन सा पदार्थ है? वह भावपदार्थ नहीं हो सकता। क्योंकि लक्ष्मणसेन का यद्यत् जन्म होने पर भी अविनाशी है। वह (यद्यत्) मानागुणों से युक्त होने पर भी अविनाश्वर है। और जन्म भावपदार्थ नियमतः नश्वर ही होता है। इसी तरह वह अभावपदार्थ में भी अन्तर्भूत नहीं हो सकता। कारण, यह (यद्यत्) प्रतियोगिशून्य है (उद्यत् यद्यत् का कोई प्रतियोगी अर्थात् विरोधी नहीं है) और अभाव सप्रतियोगिक ही होता है अर्थात् उद्यत्का प्रतियोगी अवश्य होता है। प्रतियोगी से रहित कदापि अभाव नहीं होता। अत एव लक्ष्मणसेन का यद्यत् अभाव पदार्थ भी नहीं हो सकता है। अत एव सम्बन्धिर्मतः के मत में—

अवलम्बी ये । हिन्दु न्यायकर्मज्ञों में बौद्ध मतों का त्रिषु तरह से प्रतिपाद देखा जाता है उसमें तथा प्रसङ्गवत्—‘गुणरत्नाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुराद्य’ कहकर जो प्रशंसा की गई है उसमें प्रमाणित होता है कि पाण्डुराद्य बौद्ध संप्रदाय का विरोधी रहा होगा। पश्चात् वहीं का कोई दूसरा राजा बौद्ध धर्म का अवलम्बी हुआ होगा।

१ यहाँ यह जानना आवश्यक है कि नैयायिकगण समवाय आदि विभिन्न

मेन राज्य के समाप्त हो जाने पर मुसलमान राज्य के आरम्भ में बङ्गाल में नैयायिक एवं नैयायिक प्रचुर मात्रा में रहे हैं। उत्तर बङ्गाल के 'नन्दन-वासि' गाँव में वारेन्द्र ब्राह्मण कुल के प्रदीप दिवाकर भट्ट के सुपुत्र प्रसिद्ध विद्वान् कुल्लूक भट्ट ने, जो पश्चात् काशी में रहने लगे थे, मनुसंहिता की व्याख्या की है। उसके प्रारम्भ में वे लिखते हैं—'मीमांसे बहुसेवितासि मुह-दस्तर्का समस्ताःस्थ मे'। कुल्लूक भट्ट के बाद उसी प्रान्त में राजा गणेश के सभापण्डित रायमुकुट बृहस्पति व्याकरण के असाधारण विद्वान् हो गये हैं। इन्होंने अमरकोष आदि की व्याख्या लिखा है। स्मृतिकण्ठहार नामक स्मृति निबन्ध भी इनका बहुत प्रसिद्ध है। बङ्गाल के प्राचीन स्मृति ग्रन्थ दायभाग के रचयिता जीमूतवाहन तथा शूलपाणि आदि विद्वान् न्यायशास्त्र को अच्छी तरह जानते थे। अन्यथा दायभाग आदि निबन्धों में इस तरह का विचार सम्भव ही नहीं है।

रहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में भी बङ्गदेश में न्यायदर्शन की विशेष चर्चा रही है। बङ्गाल के कितने विद्वान् अन्य प्रान्तों में दसकर मिथिला के नव्यन्याय का भी अध्ययन एवं अध्यापन करते रहे हैं। उस समय नदिया में नव्यन्याय सम्प्रदाय की स्थापना नहीं हुई थी। पश्चात् वासुदेव सार्वभौम तथा प्रधानतः उनके शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने नदिया में नव्य-न्याय सम्प्रदाय की स्थापना की। किसी समय में वे लोग मिथिला भी गये थे—इत्यादि विषय भी विचार करने में प्रतीत होता है। किन्तु इससे पूर्व इन लोगों का कुछ परिचय कहना आवश्यक है।

वासुदेव सार्वभौम तथा रघुनाथ शिरोमणि

नदिया के विशारद के पुत्र महानैयायिक वासुदेव सार्वभौम सार्व-भौम भट्टाचार्य नाम में प्रसिद्ध थे। ये उड़ीसा के स्वाधीन राजा गजपति प्रताप रुद्र के सभापण्डितरूप में पुरोधाम में रहा करते थे। सृ० १५१० में श्री चैतन्यदेव के पुरोधाम पधारने पर सार्वभौम इनके परम भक्त हो गये।

संबन्धों को मानते हैं अतएव उक्त श्लोक में इन्हीं लोगों को 'संबन्धी' शब्द से कवि कहना है। किन्तु इस शब्द में जो उल्लास व्यङ्ग्य होता है वह बङ्गाल के नैयायिकों को ही लक्ष्य कर किया गया है। बङ्गाल में ही शाला को (पत्नी के भाई को) 'संबन्धी' कहने की प्रथा है। मिथिला आदि प्रान्तों में दामाद को भी संबन्धी कहा जा सकता है। अन्य देश के नैयायिकों को इस तरह संबन्धी कहा जाय तो वे उपहास नहीं समझ सकेंगे।

श्री चैतन्य चरितामृत के मध्यलीला के छठे परिच्छेद में कविराज गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य पुरीधाम में अपने बहनोई गोपीनाथ आचार्य के समक्ष श्री चैतन्यदेव को परिचय पूछने पर उन्होंने कहा था कि ये नदीया के जगन्नाथ मिश्र का पुत्र तथा नीलाम्बर चक्रवर्ती का दौहित्र हैं। इनका पूर्वानाम का (सन्यास ले गहले का) नाम विश्वम्भर था। पश्चात् घासुदेव सार्वभौम ने कहा था कि नीलाम्बर चक्रवर्ती मेरे पिता विशारद के सहपाठी थे। जगन्नाथ मिश्र को भी ये (मेरे पिता) बहुत आदर करते थे। 'पितार संबन्धे टोहा पूज्य करि मानि'। एव—'नदीया सबंधे सार्वभौम तृष्ट हृदय'। प्रीत हुआ गोसायिरे कहिने लागिला'। कविराज गोस्वामी ने इस वर्णन से स्पष्ट ही विदित होता है कि ये भी सार्वभौम भट्टाचार्य को नदीया के विशारदपुत्र वामुदेव सार्वभौम के रूप में ही जानते थे। तो भी कितन व्यक्ति बिना किसी प्रमाण का ही सार्वभौम भट्टाचार्य को वेदान्ती वामुदेव सार्वभौम कहा करते हैं एव बहुतों की तो यह धारणा है कि इनके वामुदेव सार्वभौम नाम होने में भी सन्देह है।

वस्तुतः लक्ष्मीधर के अद्वैतमकरन्द की व्याख्या में हुए सार्वभौम भट्टाचार्य की अपनी उक्ति से ही प्रतीत होता है कि यही गौड़देशवासी बाबाधं वामुदेव सार्वभौम थे। बङ्गला में लिखित यह व्याख्याग्रन्थ पुरीधाम के दादुरमठ में विद्यमान है। इसका लिपिकाल १५५१ शकाब्द है। डॉ० राजेन्द्र-लाल मित्र महोदय ने भी इस ग्रन्थ का विवरण लिखा है। उक्त ग्रन्थ के मङ्गला-चरण के बाद व्याख्याकार लिखते हैं—'श्रीवामुदेवविदुषा गौडाचार्येण यत्नतः । अद्वैतमकरन्दस्य क्रियते परिशोधनम्'।

किन्तु इस व्याख्या के अन्त में लिखित—'श्री चन्दावय' इत्यादि श्लोक से विदित होता है कि ये नरहरि विशारद के पुत्र हैं। नरहरि बन्धवस्वरूप कुमुद के चन्द्रस्वरूप थे तथा वेदान्त के असाधारण विद्वान् थे।' विशारद

- १ श्रीचन्दावयकेरवामुनरुको वेदान्तविद्यामयाद्
भट्टाचार्यविशारदाश्रयहरेर्यं प्राप भागीरथी ।
गौडाचार्यवरेण तेन रचिता लक्ष्मीधरोत्तेरियम्
गुडि काशन वामुदेवहृतिना विद्वज्जनश्रीतये ॥
कृतिद्वरकृष्णरायन्नुवनेर्गर्वाग्निनिर्वापको
यत्नमेव लक्ष्मीधरोऽभवद्गजपति श्रीकृष्णभूमिपति ।
सस्य सस्यविद्या रचाहमनस श्रीकृष्णविद्याधर-
स्यानन्दो मकरन्दगु विविधिना सान्द्रो मयामित्रित ॥

इनके पाण्डित्य की उपाधि थी। अतएव विशारद भट्टाचार्य नाम से भी इनकी प्रसिद्धि है। राष्ट्रीय कुलप्रन्ध से भी प्रतीत होता है की नरहरि विशारद बज्जाल के सुप्रसिद्ध व्यक्ति आद्यण्डल वन्द्योपाध्याय का सन्तान थे और उनका बड़ा लडका वामुदेव सार्वभौम नामक व्यक्ति था।

वासुदेव सार्वभौम की उक्त व्याख्या के अन्त में जो 'कर्पाटेश्वर' इत्यादि पद्य है उससे ज्ञात होता है कि किसी समय में कर्पाटेश्वर के अधिपति कृष्णदेवराय के साथ उड़ीसा के भूपति प्रतापरुद्र का प्रबल विरोध था। उसी समय में कूर्मविद्याधर को राज्यभार देकर प्रतापरुद्र भय से निश्चिन्त हो गये तथा उन्होंने विजय के लिये यात्रा की। कूर्म विद्याधर अद्वैत वेदान्त में विशेष अनुराग रखने थे एव ब्रह्मविचार में इनका मनोयोग अधिक रहता था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हीं के इच्छानुसार अद्वैतमकरन्द ग्रन्थ के प्रतिपाद-खण्डन के द्वारा समर्पण करके उनको अधिक प्रसन्न किया था। अन्तिम पद्य में ऐतिहासिकों के लिये बहुत सी विचारणीय बातें हैं।

अद्वैतमकरन्द के व्याख्याकार वासुदेव सार्वभौम प्रतापरुद्र के सभापण्डितरूप में पुरी में रहते हुए अनेक कारणों से अद्वैत वेदान्त की विशेष चर्चा करते थे। उसी समय से उस देश में उन्होंने अद्वैत वेदान्ती नाम से प्रसिद्धि पा ली। किन्तु इसी वामुदेव सार्वभौम ने मिपिला में नव्यन्याय पढ़कर नदिया के विद्यानगर के विद्यालय में पहले नव्यन्याय का अध्यापन किया था। इन्होंने भी अपने मत के अनुसार नव्यन्याय के अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। इनके

यहाँ उपर्युक्त प्रथम पद्य के द्वितीय खण्ड में—नरहरेयं प्राप भागीरथी, इस पाठ को मानकर—'भागीरथी - माता, नरहरे = त्रिभु वं प्राप' इस तरह से व्याख्या करने से प्रतीत होता है कि वासुदेव सार्वभौम के पिता नरहरि थे तथा माता भागीरथी थी। किन्तु चैतन्यचरितामृत में (मूल बंगला पुरतक से मिलान कीजिये) लिखने हैं—सार्वभौम पिता विशारद महेश्वर'। नदिया काहिनी में एक पाद टीका में लिखा है कि सार्वभौम के पितामह नरहरि विशारद थे। मैंने इसी मत के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम संस्करण में भूमिका भाग में नदिया काहिनी को ही आधार मानकर इस विषय में निर्णय किया था किन्तु बाद में विचार करने से पता चला कि नरहरि विशारद सार्वभौम के पिता थे। राष्ट्रीय कुलपरिषद् में भी देखा गया है कि नरहरि के पुत्र वासु देव थे। सम्भवत इसी नरहरि को पश्चात् महेश्वर विशारद कहा जाने लगा। अथवा उनका दूसरा नाम महेश्वर रहा होगा। इसी को लेकर धुन्दाघन दास ने उस तरह से लिखा है। बहुत विद्वानों ने भी इसी तरह का अपना निर्णय दिया है।

विशिष्ट सिद्धान्त 'सार्वभौममत' नाम से प्रसिद्ध है । किन्तु इनका पुत्र जनेश्वर उड़ीसा में रह कर तत्रत्य नरेश से 'वाङ्मनीपति महापात्र' की उपाधि प्राप्त की थी । ये भी अपने पिता से नम्यन्याय पढ़कर महानैयायिक हुए एवं इन्होंने नम्यन्याय के अनेक ग्रन्थों की रचना की । इन्होंने अपने उस ग्रन्थ में—'अस्माक पैतृक पन्था.' शब्द से अपने पिता चासुदेव सार्वभौम के विशिष्ट मत का उल्लेख किया है । पक्षधर मिश्र के आलोक की व्याख्या इन्होंने जो की है उसकी एक प्रति काशी सरस्वती भवन में सुरक्षित है । उस ग्रन्थ का लिपिकाल १६४२ सवत् (वि० १५८५) है । इसके लिये देखिए—Saraswati Bhavan Studies Vol IV pp 69 70

चासुदेव सार्वभौम के छोटे भाई रत्नाकर विद्यावाचस्पति थे । ये विद्यावाचस्पति नाम से ही प्रसिद्ध थे । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध की व्याख्या के अन्त में सनातन गोस्वामी अपने गुरु ऋषी का नाम कहते हुए पहले ही लिखते हैं—'भट्टाचार्य सार्वभौम विद्यावाचस्पतीन् गुरुन्' । श्री चैतन्यदेव के जन्म से पहले सनातन गोस्वामी जब बढ़ने में उठी समय सार्वभौम भट्टाचार्य नदिया में अध्यापन करते थे । इनके छोटे भाई विद्यावाचस्पति ही सनातन गोस्वामी के मुख्य गुरु रहे हैं । इसीसे इन्होंने उक्त श्लोक में—'गुरुन्'—यह बहुवचनान्त प्रयोग किया है । इस विद्यावाचस्पति के पुत्र काशानाथ विद्यानिवाह विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ होते हुए न्यायशास्त्र के निष्णात विद्वान् थे । ये भी विद्यानिवाह भट्टाचार्य नाम से ही प्रसिद्ध थे । इनका पुत्र रुद्रनाथ तथा विश्वनाथ न्यायशास्त्र के अनेक ग्रन्थों के रचयिता तथा द्यातिलम्ब विद्वान् हुए । इसी विश्वनाथ की रचना भाषापरिच्छेद, मुक्तावली और न्यायसूत्रवृत्ति है । ये उन चासुदेव सार्वभौम के भतीजा विद्यानिवाह भट्टाचार्य के पुत्र थे । विद्यानिवाह तथा विश्वनाथ के विषय में पुन बाद में कहा जाएगा ।

बङ्गाल के सुप्रसिद्ध एव पूज्य आत्मज्ञान बसोपाध्याय की सन्तान चासुदेव सार्वभौम का कुल परिचय राष्ट्रीय ब्राह्मण कुल ग्रन्थ में बर्णित है । किन्तु इनके शिष्य रघुनाथ शिरोमणि का कुलपरिचय किसी कुल ग्रन्थ में नहीं मिलता है । 'श्रीहट्टेर इतिवृत्त' नामक पुस्तक में द्यातिलम्ब विद्वान् श्रीपुत्र अक्षयुतञ्जरण चौधुरी तत्त्वनिधि महोदय ने श्रीहट्ट के वैदिक संपादिनी ऋष के अनुसार लिखा है कि श्रीहट्ट के 'पञ्चसहस्रादी' नामका यन गोत्र वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण गायिन्द्र्य ऋषवर्ती के छोटे पुत्र रघुनाथ ही प्रसिद्ध रघुनाथ शिरोमणि हैं । इन्हीं के बड़े भाई रघुपति ने इस देश के राजा सुविद नारायण को लगड़ी लड़की रत्नावती से विवाह किया । इस राजा के

कुल में द्योय रहने से समाज में इनकी बड़ी अप्रतिष्ठा हुई। क्रमिक यह कलङ्क अधिक दुःखद प्रतीत हुआ। इसी से इनकी विधवा माँ सीतादेवी कनिष्ठ पुत्र रघुनाथ को साप लेकर नदिया आई और वासुदेव सावंभौम के हाथ में उस पुत्र को दे दिया। इस नवीन मत का विशेष विवरण बङ्गाब्द १३११ में प्रकाशित साहित्य परिपत् पत्रिका में अच्युतचरण चौधुरी के प्रबन्ध में देखिए। पश्चात् विश्वकोष आदि प्रसिद्ध ग्रन्थों में यह मत बिना किसी सोच विचार के रख दिया गया है। किन्तु श्रीहट्ट के वही रघुनाथ नदिया के रघुनाथ शिरोमणि थे—इसमें प्रबल प्रमाण नहीं देखकर विद्वानों ने इस मान्यता का खण्डन भी किया है। सन् १३२० साल में ढाका से प्रकाशित 'प्रतिभा' पत्रिका (संख्या ग्यारह) में श्री उपेन्द्र चन्द्र गुह महोदय ने ऐतिहासिक विचार के द्वारा सिद्ध किया है कि श्रीहट्टदेश का राजा नारायण नदिया के रघुनाथ शिरोमणि का समसामयिक नहीं था। अतएव इस राजा का दामाद रघुपति का छोटा भाई रघुनाथ रघुनाथ शिरोमणि नहीं हो सकता। श्रीहट्ट के स्थातिलब्ध विद्वान् पद्मनाथ विद्याविनोद एम. ए. महोदय ने भी पश्चात् उपर्युक्त मत का विरोध ही किया है।^१

मैं यह जानता हूँ कि श्रीहट्ट के कुछ विद्वानों का यह विश्वास रहा है कि रघुनाथ शिरोमणि ने श्रीहट्ट में ही जन्म लिया था भले ही वे गोविन्द चक्रवर्ती के पुत्र नहीं हो। इस प्रान्त के भी कितने विद्वान् इसका समर्थन करते आए हैं। किन्तु प्रायः दस वर्ष पूर्व नदिया के कान्तिचन्द्र राठी महोदय नदिया निवासी विद्वानों की दन्तकथा को आधार मानकर नवद्वीप महिमा में लिख गये हैं कि रघुनाथ शिरोमणि का जन्म नदिया में ही हुआ है। उक्त महोदय ने इस विषय में मतान्तर सुने भी नहीं थे।

१ शिलचर से प्रकाशित 'शिक्षासेवक' नामक त्रैमासिक पत्रिका में (१३३७ धावण संख्या) पद्मनाथ विद्याविनोद महाशय ने लिखा है—'किसी किसी का कहना है कि रघुनाथ का घर 'पञ्चखण्ड' में था। यह कार्यायन गोत्र के ब्राह्मण थे तथा राजा सुविद नारायण के दामाद रघुपति के छोटे भाई थे। इत्यादि। मैंने इन्हीं लोगों के मत पर हड़ रहकर 'विजया' पत्रिका में (१९१९ चैत्र संख्या) 'श्रीहट्टेर काणा छेले' शीर्षक निबन्ध में इसी मान्यता का प्रतिपादन किया था किन्तु अब लगता है कि इस मान्यता में कुछ भी तथ्य नहीं है। रघुनाथ यदि श्रीचैतन्यदेव के समसामयिक रहते तो वे राजा सुविद नारायण के दामाद रघुपति के सहोदर भाई नहीं हो सकते हैं। विजया में 'श्रीहट्टेर काणा छेले' शीर्षक निबन्ध में जो बातें कही गई थीं वे किवदन्तीमूलक ही रही हैं, इतिहास उनका साक्ष्य नहीं देता।

सन् १९१८ बङ्गाल में प्रकाशित 'नदिया काहिनी' में राणाघाट के बाबू कुमुदनाथ मल्लिक ने लिखा है—'रघुनाथ ने खू० पञ्चदश शतक के अन्त भाग में नदिया के एक दुखी परिवार में जन्म लिया था'—यह भी एक मत है—इत्यादि (पृ० ११२)

परन्तु बीरभूम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक फाल्गुप्रसन्न चन्द्रोपाध्याय महाशय 'अध्यायुगेर वाङ्मला' में (पृ० ६१) लिख गये हैं—'रघुनाथ शिरोमणि ने वर्धमान जिला के 'कोटामानकर' नामक स्थान में राष्ट्रीय ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। बाल्यावस्था में ही ये पितृहीन हो गये। इनकी माँ ने इनके भरण-पोषण के लिये नदिया जाकर किसी परिवार में आश्रय ढूँढा। इस काना बालक रघुनाथ की वृद्धि के विषय पर भविष्य में तरह तरह की बातें उठी हैं। फाल्गुप्रसन्न बाबू अपने मत के समर्थन के लिये किसी-किसी पण्डित की दन्तकथा को भी कहते हैं। किन्तु मतविरोध में दुराग्रह छोड़ कर विचार के लिये विभिन्न विद्वानों की बातों को देखना चाहिए।

रघुनाथ शिरोमणि की जन्मभूमि तथा कुल परिचय के विषय में उपर्युक्त प्रमाण उपलब्ध नहीं होने पर किसी की दन्तकथा या विभिन्न प्रवादों को आधार मानकर तथ्य निर्णय करना या विवाद निवृत्ति करना समुचित नहीं है। जो भी हो, रघुनाथ शिरोमणि जहाँ कहीं भी जिस किसी भी वृत्त में जन्म ग्रहण करें किन्तु इतना तो निर्विवाद है कि वही नदिया के रघुनाथ शिरोमणि बङ्गाल के मरठकमणि हुए। और इसमें भी विवाद नहीं है कि उन्हीं रघुनाथ शिरोमणि ने नदिया से मिलला जाकर पक्षधर मिश्र से पढ़ा था। किन्तु यहाँ यह विचारणीय है कि ये किस समय में मिलला गये थे।

पहले ही कहा जा चुका है कि बामुदेव सार्वभौम ने पञ्चदश शताब्दी के अन्त में नदिया में श्रीचैतन्यदेव के याविर्भाव से (पृ० १४८६) कुछ पहले या

१ ये टिप्पणी में लिखते हैं—४५ वर्ष तक नदिया से सन्ध रहने से ही नदिया की अनेक दन्तकथाएँ तथा कहानियाँ जानता हूँ। रघुनाथ शिरोमणि को नदिया के ब्राह्मण अपना ही मानते हैं। कुछ दिन पहले तक भी इनके वंशज नदिया में रहते थे। चौदहवें पूर्व म० म० अजितनाथ न्यायरत्न ने मुझे लिखा था कि नदिया के 'आम्पुतिया' मुहल्ले में उनके (शिरोमणि के) पक्षधर रामतनु न्यायालद्वार रहते थे। मैंने उन्हें देखा है। इसमें सन्देह का लेग भी नहीं है कि रघुनाथ राष्ट्रीय ब्राह्मण थे। भट्टराज जीवाशी म० म० शिष्यचन्द्र सार्वभौम महोदय ने भी मुझसे कहा था कि गुप्त-परम्परा से भी प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कोटामानकर शिरोमणि की पितृभूमि रही है।

बाद में उद्योग के लिये यात्रा की थी। नदिया में जब ये रहते थे तब चैतन्य-देव का परिचय इन्हें नहीं था। इन्होंने पुरीधाम में श्री चैतन्यदेव का दर्शन किया और वहीं उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य के समीप में सन्यासी श्री चैतन्यदेव का गार्हस्थ्य आश्रम का परिचय पूछने पर ज्ञात हुआ। इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं है कि रघुनाथ शिरोमणि अपने अध्ययन काल में नदिया में श्री चैतन्यदेव से परिचय भी किया हो। नवद्वीपमहिमा में लिखी गई कल्पित कथा को प्रमाण नहीं माना जा सकता है। 'अद्वैत-प्रकाश' में भी रघुनाथ शिरोमणि का नाम नहीं है। इस तरह विभिन्न कारणों से विदित होता है कि वासुदेव सार्वभौम की उद्योग यात्रा के बाद ही रघुनाथ मिथिला जाकर पक्षधर मिश्र से पढ़े होंगे। पक्षधर मिश्र को यदि ख्र० पञ्चदश शतक से पूर्ववर्ती कहा जाय तो यह संभव ही नहीं होगा। अतएव विचार के द्वारा इन दोनों असाधारण गुरु-शिष्य का समय निर्धारण करना आवश्यक जान पड़ता है।

'पक्षधर मिश्र तथा रघुनाथ शिरोमणि का काल-निर्णय'।

किसी के मत से पक्षधर मिश्र ख्र० पञ्चदश शतक के पूर्ववर्ती हैं तथा मिथिला के यज्ञपति उपाध्याय के शिष्य रहे हैं। मिथिला के शङ्करमिश्र तथा निबन्धकार स्मार्त वाचस्पति मिश्र इनसे अर्वाचीन हैं। विभिन्न कारणों से यह मत हम लोगों को मान्य नहीं है। इसमें कितने कारण हैं—पक्षधर मिश्र का

१ गङ्गेश उपाध्याय की तत्त्वचिन्तामणि की आलोक व्याख्या में पक्षधर मिश्र आरम्भ में ही लिखते हैं—'अधीत्य जयदेवेन हरिमिश्रात् पितृव्यत्', इससे विदित होता है कि पक्षधर का प्रकृत नाम जयदेव था। इन्होंने अपने चाचा हरिमिश्र से ही शास्त्रों को पढ़ा था तथा इस व्याख्या की रचना की। विभिन्न ग्रन्थों के रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान् रुचिदत्त अपनी व्याख्या के आरम्भ में लिखते हैं—'अधीत्य रुचिदत्तेन जयदेवाद् जगद्-गुरो'। ये (रुचिदत्त) उक्त जयदेव के ही छात्र रहे हैं। जयदेव का पक्षधर नाम होना संकारण है। पाठावस्था में ही अपनी भौतिक प्रतिभा के बल पर ये जिस पक्ष को पकड़ा करते थे उसका घण्टन करना किसी के भी सामर्थ्य की बात नहीं रहती थी। इसीसे इनकी प्रसिद्धि पक्षधर नाम से हुई। इनके भतीजा वासुदेव मिश्र स्वकृत व्याख्या के अन्त में लिखते हैं—'इति न्यायसिद्धान्त-साराभिज्ञमिश्रवर्यपक्षधरमिश्रभ्रातृपुत्रवासुदेवमिश्रविरचितया चिन्तामणिटीका-याम्'। नदिया के जगदीश तथा गदाधर प्रभृति विद्वान् इनके पक्षधर नाम का ही उल्लेख करते हैं।

स्वहस्तलिखित विष्णुपुराण दरभंगा जिला के 'योगियार' गाँव में नैयायिक केशव झा के घर में विद्यमान है । ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि पक्षधर नामक किसी अन्य व्यक्ति का लिखा हुआ यह पुराण ग्रन्थ है ।' इस पुस्तक के अन्त में लिखित श्लोक से विदित होता है कि पक्षधर मिश्र ने ल० सं० ३४५ में अगहन की पछी तिथि में अमरावती नगर में रहते हुए इस पुस्तक को लिखा था ।'

मिथिला की प्राचीन गाथा के अनुसार ११०८ ख० में लक्ष्मण संवत् का आरम्भ होता है । किन्तु १११९ ख० में ल० सं० आरम्भ होता है—यह नई मान्यता है । इस नई मान्यता के अनुसार ज्ञात होता है कि पक्षधर ने ख० १४६४ में यह पुस्तक लिखी है । क्योंकि १११९ संख्या के साथ ३४५ संख्या को जोड़ने से १४६४ होता है । वृद्धावस्था में स्वयं पुस्तक लेखन का परिष्कृत स्वीकार का अनुमान लगाना अनावश्यक है । संभव है कि पाठावस्था में ही स्थानान्तर से लिखकर इस पुस्तक को लाये हो ।

जब पक्षधर मिश्र युवक ही थे तबही मिश्र तथा निबन्धकार स्मार्त वाचस्पति मिथिला के बृद्ध विद्वानों में गिने जाते थे । मैथिल विद्वान् इसकी स्वीकृति के साथ एक प्राचीन पद्य भी पढ़ते हैं—

—'सद्गुरवाचस्पतयौ सद्गुरवाचस्पतिसदृशौ । पक्षधरप्रतिपक्षौ लक्ष्मीभूतो न कुत्रापि' ।

किन्तु पक्षधर मिश्र के छात्र सोदरपुर निवासी मैथिल नैयायिक रुचिदत्त ने उदयनाचार्य की किरणावली मिथिलाशर में लिखी थी जो पुस्तक काशी के सरस्वती भवन में विद्यमान है । उसके अन्त में लिखे गये पद्यों से ज्ञात होता है कि रुचिदत्त ने ३८६ ल० सं० में (ख० १५०५ में) यह पुस्तक लिखी थी ।^२

१. उस पुस्तक के अन्त में लिखा है—'वाणैर्वेदपुत्रैः सप्तमुनयैः संख्योद्वते ह्यपने । श्रीमद्गौडमहीभुजो गुहदिने मार्गे च पक्षे खिते । वक्ष्यंताममरावतीमधिवसन् या भूमिदेवालयः । श्रीमत्पक्षधरः सुपुस्तकमिदं शुद्धं व्यलेशीद् द्रुतम्' संमुनयन = ३ । वेद = ४ । वाण = ५ । ३४५ ल० सं० । इस विषय के विवरण के लिये देखिए सन् १९१० साल की भारतवर्ष व्रतिका (आश्विन संख्या) ।

२. उक्त पुस्तक के अन्त में लिखा है—

'रघुसुन्दरनेत्रे चैत्रके सुकलपक्षे ।

प्रतिपदि बुधवारो वरसरे लाक्षणे च ॥

मुझे ऐसा लगता है कि रघुनाथ शिरोमणि के गुरु आत्मोक व्याख्याकार पक्षधर मिश्र सृ० पञ्चदश शतक में ही भारतभर में प्रसिद्ध हो गये थे। मरा इसमें शेषमात्र भी विश्वास नहीं है कि गङ्गेश उपाध्याय के पौत्र यज्ञपति उपाध्याय को शिष्य परम्परा में पक्षधर मिश्र भी आते हैं। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि इस पक्षधर से भिन्न व्यक्ति आत्मोक का रचयिता है। इस पक्षधर की अपेक्षा उक्त व्याख्याकार को पूर्ववर्ती होना चाहिये या' क्योंकि यह विरप्रसिद्ध है कि रघुनाथ शिरोमणि के गुरु पक्षधर मिश्र ने ही तत्त्वविन्नामणि की आत्मोक व्याख्या लिखी। पश्चात् नदिया के मधुरानाथ तर्कवाणीय आदि विद्वानों ने उस आत्मोक की व्याख्या लिखी। सिद्धान्तभक्षण व्यास के—'यो यदीय कल्प' की व्याख्या में जगदीश तर्कालङ्कार ने पक्षधर मिश्र के नाम का उल्लेख किया है और अपनी उक्ति के

विबुधबुधविनोद भावयन्तीं सुपुस्तो-

मल्लिखपलपाणि श्रीरुचि श्रीसमेताम् ॥

हरनेत्र = ३, वसु = ८ रस = ६, ३८६ ल० स० १५०५ सृ०। किसी विद्वान् ने रुचिदत्त इत किसी पुस्तक का लिपिकाल १३७० सृ० माना है तथा पक्षधर मिश्र को इनका पूर्ववर्ती कहा है। किन्तु हरिमिश्र के भतीजा तथा छात्र पक्षधर मिश्र सृ० पञ्चदश शतक से पूर्ववर्ती रहे होंगे—इसमें मेरा विश्वास नहीं है।

१ मम पूज्यपाद चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार महाशय ने न्यायकुसुमाञ्जलि की भूमिका में इस तरह की कपटना की है। क्योंकि सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजेन्द्रलाल मिश्र महाशय द्वारा सगृहीत पक्षधर मिश्र की प्रत्यक्षात्मोक व्याख्या की एक पुस्तक का लिपिकाल १५९ ल० स० है। किन्तु मैंने सुना है कि उपर्युक्त पुस्तक के अन्त भाग में लिखा है—'सुभमस्तु श्रीस्तु शकान्दा। ल० स० १५०९। ल० स० बाद में लिखे जाने से इस अक्षर को अक्षय कहकर मिश्र महोदय ने उस स्थान से शून्य हटा दिया है और निर्णय कर दिया है कि १५९ ल० स० ही उक्त पुस्तक का लिपिकाल है। किन्तु इस स्थिति में प्रश्न होता है कि लेखक यहाँ पहले शकान्द क्या लिखता है। यहाँ किसी ही अक्षर में उनका भ्रम मानने पर यह भी कहना होगा कि सख्या अक्षर में ही उन्होंने ल० स० लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि लेखक ने शकान्द लिखकर पश्चात् लक्षण सबत् लिखने के लिये ल० स० लिखा होगा किन्तु इसका सख्याद् स्मरण नहीं होने से उक्त शकान्द की सख्या ही लिख दी १५०९।

समर्पण के लिये आदरपूर्वक उनको आलोक व्याख्या के सन्दर्भ विषय का उद्धरण भी दिया है। आलोक व्याख्याकार पक्षधर ने अपने चाचा-हरि मिश्र से शास्त्रों का अध्ययन किया है—इसका प्रतिपादन उक्त व्याख्या के आरम्भ में ही है। मिथिला के महाकवि विद्यापतिठाकुर ने आदि भाग में हरि मिश्र से ही पढ़ा है—मिथिला में यह प्रवाद चिरकाल से आ रहा है। यही पक्षधर जब मुबक थे एकदिन वृद्ध विद्यापति के घर में अतिथि रूप में पहुँचे थे^१। पक्षधर मिश्र जिस समय में तत्त्वचिन्तामणि की आलोक व्याख्या करते थे उस समय में भी उनको विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित होने से उस तत्त्व-चिन्तामणि के पाठ-भेद मिलते थे। इन्होंने प्रत्यक्ष खण्ड के कितने स्थलों में पाठ-भेद का उल्लेख करके उन भेदों को कल्पित तथा असांप्रदायिक कहकर उपेक्षा की है।^२ किन्तु गङ्गेश के पौत्र यज्ञपति उपाध्याय के समय में तत्त्व-चिन्तामणि की किसी भी पुस्तक में इस तरह पाठभेद नहीं रहा है। पक्षधर मिश्र व्याख्या लिखते समय यज्ञपति के घर में यदि आदर्श पुस्तक पा सकते तो अन्य पुस्तकों को नहीं देखते। और यज्ञपति यदि उनके कुछ रहते तो वे अवश्य ही इसका उल्लेख करते। किन्तु वे अपनी व्याख्या के आरम्भ में लिखते हैं—‘अधीत्य जयदेवेन हरिमिश्रात् पितृव्यतः’। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि पक्षधर ने यज्ञपति के परधर्ती अपने चाचा हरिमिश्र से पढ़ा था तथा ख० पञ्चदश शतक के चतुर्थ भाग में अध्यापन एवं ग्रन्थ निर्माण किया। मेरी धारणा भी ऐसी ही है। गङ्गेश उपाध्याय ने ख० त्रयोदश शतक के अन्तिम

१ प्रवाद है कि एक दिन दुर्बल शरीर पक्षधर मिश्र घूमते-घामते विद्यापति के गाँव में उनकी विशाल अतिथिशाला में एक कोने में चुपचाप बैठ गये। जब महाकवि विद्यापति अतिथियों को देखने के लिये आए, इनको देखकर कहते हैं—‘प्राघ्णो घुणवत् कोणे सूक्ष्मस्वाप्नोपलभ्यते’। कोने में घूम की तरह स्थित इस अतिथि को बहुत सूक्ष्म रहने के कारण मैं देख नहीं पाता हूँ। इस पर पक्षधर मिश्र कहते हैं—‘नहि स्मूलधियः पुंसु सूक्ष्मे दृष्टिः प्रजापते’ स्मून्नुद्वि पुंसु को सूक्ष्म पदार्थ नहीं दीक्षता है। उसी कारण मैं विद्यापति ने इनको पहचान लिया तथा आदरपूर्वक इनका आतिथ्य संपादित किया।

२ पक्षधर मिश्र आलोक व्याख्या में किसी स्थल में लिखते हैं—‘अधिपु (पुस्तके) आयस्यवरवादिश्यनन्तरम् अन्ययाऽस्तुत्वपत्नी ... तनु इति पर्यन्तं ग्रन्थ लिखनम्, अथे लघुवाच्य इत्यनन्तरम् ‘न’ एवलोपश्च इत्यने। तनु कल्पितमसांप्रदायिकमित्युपेक्षितम्’।—तत्त्वचिन्तामणि प्रत्यक्ष खण्ड, मनोऽस्तुत्ववाद की आलोक व्याख्या (सोसाइटी संस्करण ७६९ पृ०)

भाग में तत्त्वचिन्तामणि की रचना की और इसके पचास साल बाद उनके पौत्र यज्ञपति उपाध्याय ने इसकी व्याख्या लिखी—ऐसा ही प्रतीत होता है ।

यही यह कहना आवश्यक है कि कितने व्यक्तियों ने वासुदेव सार्वभौम को पक्षधरमिश्र का शिष्य कहा है । किन्तु बहुत प्राचीन नैमायिक के मुख से सुना है कि वासुदेव पक्षधर के सहपाठी रहे हैं । यह समुचित एवं संभव भी लगता है । वासुदेव सार्वभौम नदिया म धी चैतन्यदेव के जन्म से पहले (१४८६ ख० में) अध्यापन करते थे । गौडाचार्य सार्वभौम प्रसिद्ध पण्डित होकर पश्चात् उड़ीसा के राजा गजपति प्रतापरुद्र के सभापाठन हुए । इन्होंने पक्षधर की छात्रावस्था में (ख० पञ्चदश शतक के तृतीय भाग में) मिथिला में अध्यापन किया होगा । नदिया में जब ये अध्यापन कर रहे थे उस समय में स्मार्त रघुनन्दन का जन्म नहीं हुआ था । धी चैतन्यदेव को भी इन्होंने नदिया में नहीं देखा था । अतएव यह निष्प्रमाण है कि धीचैतन्य, रघुनाथ तथा रघुनन्दन वासुदेव सार्वभौम के विद्यालय में सहाध्यायी रहे हैं । यह मान्यता विद्वानों को प्राप्त नहीं है ।^१

वासुदेव सार्वभौम ने मिथिला के नव्यन्याय के मूळग्रन्थ तत्त्वचिन्तामणि की व्याख्या लिखी है । इस व्याख्या के किसी अथ की सङ्गित पुस्तक काशी के सरस्वतीभवन में सुरक्षित है ।^२

१ धी चैतन्यदेव के सहाध्यायी मुरारिगुप्त भी अपनी करखा म धी चैतन्यदेव के अध्यापको का नाम कहते हुए वासुदेवसार्वभौम की चर्चा नहीं करते हैं । वे लिखते हैं—'तत पणठ स पुन श्रीमान् विष्णुपण्डितात् । मुदर्शनात् पण्डितान्च धीगङ्गारासपण्डितात्' । १ । १ । १ । धीचैतन्यदेव ने बाद में किसी अन्य से न्यायशास्त्र पढा एवं इसकी व्याख्या भी लिखी—इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है । इस विषय में रघुनन्दन तथा रघुनाथ के सम्बन्ध में पहले ही मैंने अथ निबन्ध में सविस्तर आलोचना की है । (भारतवर्ष १३४६ पौष, माघ तथा फाल्गुन सख्या देखिए ।)

२ सरस्वती भवन की पुस्तक—सूची में इस पुस्तक का नाम सारावली लिखा गया है । इस पुस्तक की वर्तमान सख्या न्यायवैशेषिक २८० है । इस पुस्तक के पत्र में लिखा है—'सार्व० टी०' तथा 'चि० सा०' हुगली कालेज के संस्कृतविभाग के अध्यापक श्रीयुक्त विदेशचन्द्र भट्टाचार्य एम० ए० महाशय ने उधे स्वयं देखकर मुझसे कहा था कि सार्व० टी० ही नहीं समय कर किसी ने उसका नाम सारावली लिख दिया । किन्तु उसका यथापं अर्थ है सार्वभौमकृत

रघुनाथ शिरोमणि ने अपनी क्षीणवृत्ति व्याख्या में स्पष्टविशेष में वासुदेव सार्वभौम की व्याख्याओं को तथा उनके सिद्धान्तों को उठाया है एवं सप्तकिक सङ्गठन भी किया है। इसी से विदित होता है कि इन्होंने नदिया में पहले वासुदेव सार्वभौम से पढ़ा और पश्चात् दीघिनि की रचना की। अतएव यह निर्णय हुआ कि रघुनाथ सार्वभौम से पूर्ववर्ती नहीं हैं।

रघुनाथ शिरोमणि ने मैथिल विद्वान् शङ्करमिथ्र आदि की व्याख्याओं का सङ्गठन किया है। वैशेषिक दर्शन के उपस्कार में अत्यन्ताभाव की स्वरूपव्याख्या में विभिन्न मतों का समर्पण करते हुए शङ्करमिथ्र ने रघुनाथ शिरोमणि की किसी मान्यता को नहीं उठाया है न कुछ बालोचना ही की है। इसी से अनुमान किया जा सकता है कि शङ्करमिथ्र के बाद ही रघुनाथ शिरोमणि न ग्रन्थों की रचना की। शङ्करमिथ्र मिथिला के स्मृतिनिबन्धकार द्वितीय घाञ्चस्पतिमिथ्र के समसामयिक रहे हैं। इन्होंने सृ० पञ्चदश शतक के मध्यभाग में ग्रन्थों का निर्माण किया है। इनके भैरवरत्नग्रन्थ का लिपिकाल १५१९ सवत् (सृ० १४६२) है। यह पुस्तक आज जम्बू प्रान्त में विद्यमान है। स्मार्त घाञ्चस्पतिमिथ्र ने मिथिलानरेश भैरवेन्द्र देव की धर्मपत्नी की आज्ञा से द्वैतनिर्णय नामक स्मृति निबन्ध का प्रणयन किया। इस ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा है—'श्रीभैरवेन्द्रधरणीपतिधर्मपत्नी, राजाधिराजपुरुषोत्तमदेवमाता'। इस नरेश का राज्यकाल सृ० १४४० से १४७५ पर्यन्त था। इसके लिये देखिए १९१५ सृष्टानन्द में प्रकाशित वेङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका, गवेषक विद्वान् रामबहादुर मनमोहन चक्रवर्ती महाशय का निबन्ध।

कहने का अभिप्राय यह है कि रघुनाथ शिरोमणि ने सृ० पञ्चदश शतक के अन्तिम दशवर्ष में मिथिला जाकर पञ्चदश मिथ्र आदि विद्वानों से साक्षात् किया तथा मिथिला की तारकालिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। मिथिला में ही इन्हें तार्किक शिरोमणि की पदवी प्राप्त हुई। इसके बाद इन्होंने तत्स्य-

टीका। तथा 'चि० छा०' का अर्थ है चिन्तामणि को सार्वभौमवृत्त टीका। किन्तु अनुमान चिन्तामणि के व्याप्तिवाद में विह्वलाग्रज्ज्ञान को दीघिति में सार्वभौम मत के सङ्गठन के लिये रघुनाथशिरोमणि ने त्रिषु सन्दर्भ का उद्धरण दिया है वह उक्त साराधली में मिलता है। दीघिति के प्राचीन व्याख्याकार रघुनाथ विद्यालङ्कार ने भी उस स्थल में लिखा है—'ननु साम्प्रमानाधिकरण्याभावस्तदधिकरणत्वमित्येष सार्वभौमोक्त विमित्युपेक्षादित्यत आह—'एतेनेति'। (देखिए सरस्वती भवन, काशी की ४५५ संख्या की पुस्तक ।)

चिन्तामणि की दीधितिव्याख्या का तथा अन्यान्य विभिन्न ग्रन्थों का क्रमशः प्रणयन किया^१।

रघुनाथशिरोमणि ने स्मृतिशास्त्र में भी मलमास विषयक 'मलिम्बुच-धिवेक' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया। उसे देखने से विदित होता है कि इन्होंने मलमास से संबद्ध विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया था। यह ग्रन्थ भी उनके असाधारण पाण्डित्य का परिचायक रहा है। इसमें इन्होंने विभिन्न स्मृतिकारों की मान्यताओं का प्रतिवाद किया है। किन्तु ख्र० पौड्य शतक के पर भाग में उसी नदिया में स्मार्त रघुनन्दन ने अपनी मलमासतत्त्व नामक पुस्तक में मलमास का लक्षण करते हुए शिरोमणि के मत का विचारपूर्वक प्रतिवाद कर दिया है^२।

नदिया में नव्यन्यायका नययुग

रघुनाथ शिरोमणि ने पहले नदिया में नव्यन्याय के स्वप्रणीत ग्रन्थों की प्रतिष्ठा की और पश्चात् क्रमशः भारत के प्रत्येक प्रान्त में उसकी प्रतिष्ठा

१ तत्त्वचिन्तामणि के आरम्भ में मञ्जुलवाद की दीधिति नहीं मिलती है। प्रामाण्यवाद से दीधिति मिलती है। किन्तु वह बहुत सक्षिप्त है। वही प्रामाण्यवाद-दीधिति में आरम्भ में ही रघुनाथ शिरोमणि ने लिखा है—'सधेवतः श्रीरघुनाथनामा चिन्तामणेर्दीधितिमातनोति' अनुमान चिन्तामणि की दीधिति के आरम्भ में इन्होंने लिखा है—'दीधितिमधिचिन्तामणि वनु-ते तार्किकशिरोमणि श्रीमान्'। शब्द चिन्तामणि की दीधिति हमने नहीं देखी है। पश्चात् इसका प्रकाशन हुआ है। (इसके लिये देखिए चौखम्बा संस्कृत सिरीज से प्रकाशित 'वाद्धारिधि')।

२. रघुनाथ शिरोमणि का यह ग्रन्थ अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध है। विभिन्न ग्रन्थों के प्रणेता मम० कृष्णनाथ न्यायपञ्चानन महाशय के घर में केवल मिलता है। कितने दिनों के बाद ही हमने यह ग्रन्थ देखा है। इसके आदि में रघुनाथ की अन्य पुस्तक की तरह—'ओं नमः सर्वभूतानि' इत्यादि श्लोक ही लिखा है। और अन्त में—'इति भट्टाचार्यं शिरोमणि विरचितो मलिम्बुचधिवेकः समाप्तः'। रघुनन्दन वृत्त मलमासतत्त्व की व्याख्या में मम० कृष्णनाथ न्यायपञ्चानन महाशय ने शिरोमणि के मलिम्बुच धिवेक से सन्दर्भ उठाकर व्याख्या की है। किन्तु यहाँ इन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि पूर्व-वर्ती व्याख्याकार शान्तिपुर निवासी राधा मोहन गोस्यामी ने भी शिरोमणि का यह ग्रन्थ नहीं देखा था। (देखिए— इसी व्याख्या का द्वितीय खण्ड १८, १९, २० तथा ३२१ पृ०)।

बढ़ती गई। इनकी व्याख्याओं को नहीं पढ़कर कोई नैयायिक ही नहीं हो सकता था—इस तरह की प्रतिष्ठा उनके ग्रन्थों की हुई। उसी समय से उनके ग्रन्थों का पठन-पाठन सर्वत्र ही भारत में चलता आ रहा है। ख० सप्तदश शतक के मध्यवर्ती त्रैलोक्यदेश के प्रसिद्ध विद्वान् पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने रसगङ्गा-धर में उपमा जलद्वार का विचार करते समय लिखा है—‘इत्यमेव चाख्यात-वाद शिरोमणि व्याख्यातृभिरपि तथैव सिद्धान्तितमिति चेत्’। इस स्थल में रघुनाथ शिरोमणि का आख्यान शक्तिवाद् नामक ग्रन्थ ही आख्यातवाद शिरोमणिनाम से कहा गया है। इसी से प्रतीत होता है कि पण्डितराज जगन्नाथ ने भी शिरोमणि के इस ग्रन्थ का तथा इसकी व्याख्या का अध्ययन किया था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इसके पहले से ही रघुनाथ शिरोमणि-कृत नभ्यन्याय का ग्रन्थ प्रत्येक प्रान्त में शिरोमणि नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। आजकल भी प्रत्येक प्रान्त में उनके ग्रन्थ शिरोमणि नाम से प्रचलित हैं। रघुनाथ शिरोमणि के ग्रन्थ तथा नदिया के विद्वानों द्वारा की गई उनकी टीकाओं के प्रभाव से मिथिला से भी कितने छात्र नभ्यन्याय पढ़ने के लिये नदिया आते थे। ख० सप्तदश शतक में मिथिला के महानैयायिक गोकुलनाथ उपाध्याय ने उक्त दीधिति की ‘दीधिति विद्योत’ नामक सक्षिप्त व्याख्या लिखी है। नदिया में नभ्यन्याय के प्रसिद्ध हो जाने पर भारत के प्रत्येक प्रान्त के विद्वान् नदिया को ही नभ्यन्याय का गुरुस्थान तथा विद्यापीठ मानते आए हैं एव उस स्थान को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

रघुनाथशिरोमणि की दीधिति के प्रसिद्ध व्याख्याकार

रघुनाथ शिरोमणि के छात्र रामकृष्ण भट्टाचार्य चक्रवर्ती ने सबसे पहले दीधिति की सक्षिप्त व्याख्या की। इन्होंने गुणदीधिति व्याख्या के पहले अन्तिम श्लोक के अन्त में कहा है—‘अत्रे शिरोमणिगुरोरिह रामकृष्ण’। प्रत्यक्षचिन्तामणिदीधिति की व्याख्या में इन्होंने लिखा है—‘श्री रामकृष्णो व्याचष्टे प्रत्यक्षमणिदीधितिम्’। इसके बाद रघुनाथ विद्यालङ्कार, छन्दानाम सार्वभौम और श्रीरामनर्तकलङ्कार ने संक्षेप में दीधिति की व्याख्या की है। परन्तु मथुरानाथ तर्कवागीश, मयानन्द सिद्धान्तवागीश, जगदीश तर्कलङ्कार एव गदाधर भट्टाचार्य आदि दीधिति के प्रसिद्ध व्याख्याकार हुए। इन लोगों के विषय में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न दस्तकियाओं का उपस्थापन करते हैं। नयदीपमदिमा प्रभृति ग्रन्थों में किन्हीं दस्तकियाँ इन लोगों से उद्धृत हैं किन्तु सब निष्प्रमाण हैं। शब्दकल्पद्रुम में न्याय शब्द के विवरण में शिरोमणि के छात्र मथुरानाथ, उनके छात्र मयानन्द और उनके छात्र

जगदीश ये—ऐसा कहा गया है। क्योंकि उस समय में पण्डितगण प्रवाद को आधार मानकर इस तरह की बातों में विश्वास करते थे। किन्तु इसके साधक बाधक मुक्ति को नहीं विचारकर केवल प्रवाद को प्रमाण मानकर ग्रहण करना उचित नहीं है। यहाँ प्रश्न होता है कि इसमें क्या प्रमाण है कि चिन्तामणि के रहस्यव्याख्याकार मथुरानाथ शिरोमणि के छात्र थे? इसके उत्तर में कहना है कि पहले नैयायिक गण इतना ही कहने में कि मथुरानाथ ने पक्षता की रहस्यव्याख्या में—‘भट्टाचार्यास्तु कहकर शिरोमणि की व्याख्या का ही उल्लेख किया है। किन्तु इससे यह तो प्रमाणित नहीं होता है कि गुप्त अर्थ में ही उन्होंने ‘भट्टाचार्य’ शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि विभिन्न स्थलों में इन्होंने अपने गुरु के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए—‘गुरुचरणास्तु’ तथा ‘उपाध्यायास्तु’ लिखा है। इन्होंने शिरोमणि की व्याख्या का उद्धरण देते हुए—‘दीधिति कृतस्तु’ तथा ‘दीधित्यनुयायिनस्तु’ यह भी लिखा है। इन्होंने शिरोमणि की दीधिति की व्याख्या करते हुए कितने स्थलों में संदर्भ विशेष का अर्थ स्पष्ट करने के लिये ‘अपर’ का मत भी उठाया है और वही ‘गुरुचरणास्तु’ कहकर अपने गुरु की मान्यता का भी प्रतिपादन किया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्होंने शिरोमणि से नहीं पढ़ा है। क्योंकि शिरोमणि से यदि दीधिति के मर्मों को जाने रहते तो उस विषय में अपर एव गुरुचरण के मतों को नहीं कहना पड़ता।

यहाँ यह देखना भी आवश्यक है कि मथुरानाथ ने शिरोमणि के ग्रन्थों की व्याख्या करते समय कितने स्थलों में पाठभेद का विचार किया है। विभिन्न स्थलों में कितने पाठों को उठाकर स्पष्टतः अपपाठ कह दिया है।^१

१. मञ्जुलवाद की रहस्य व्याख्या में (सोप्राइटी संस्करण पृ० १७ में) ‘उपाध्यायास्तु’। पश्चात् प्रामाण्यवाद की रहस्य व्याख्या में (ऐ० पृ० ११५ में) ‘दीधिति कृतस्तु अगत् पदं तदानीं सप्तार विशिष्टात्मपरम्’। प्रामाण्यवाद सिद्धान्त की रहस्य व्याख्या में (ऐ० पृ० २२७ में) ‘दीधित्यनुयायिनस्तु। ‘भट्टाचार्यास्तु तदसत्’ (ऐ० पृ० २१५ में) देखिए।

२. स्याप्ति सिद्धान्त लक्षण की दीधिति व्याख्या में मथुरानाथ ने एक स्थल में लिखा है—‘केचित्तु उक्तफक्त्तकैव दीधितिकृता सिद्धान्तिकृता। तथा च तद्ग्रन्थस्यायमर्थः’ इत्यादि। इसके बाद ‘गुरुचरणास्तु’ इत्यादि संदर्भ से शिरोमणि की तात्पर्य व्याख्या करते हुए अपने गुरु के मत को भी उठाया है।

३. शिरोमणिकृत आद्ययानशक्तिवाद की व्याख्या में मथुरानाथ ने

किन्तु ये यदि शिरोमणि से पठे होते तो उनके ग्रन्थों का पाठभेद इन्हें क्यों देखना पड़ता । यह भी ज्ञातव्य है कि किसी लेखक के दोष से किसी पुस्तक में यदि पाठ में विकार आया हो तो उसका उल्लेख मथुरानाथ को अवश्य करना चाहिए किन्तु उन्होंने कहीं किया नहीं है । और इसका विचार सर्वथा आवश्यक है ।

मथुरानाथ के पिता धीराम तर्कालङ्कार ने उद्यनाचार्य के आत्म-तत्त्वविवेक की रघुनाथ शिरोमणि कृत व्याख्या की व्याख्या लिखी है । उसके आदि में लिखा है—'इति इत्या च निश्चितं सार्वभौमस्य सङ्घः' । यहाँ यह विचारणीय है कि इन्होंने किस सार्वभौम के वचन को स्मरण करके उक्त व्याख्या का प्रणयन किया । इन्होंने—'गुरुचरणास्तु' तथा 'केचित्तु' इत्यादि सन्दर्भ से रघुनाथ शिरोमणि की उक्तिविशेष को स्पष्ट करते हुए अपने गुरु तथा अन्य व्यक्तियों की मान्यताएँ उठाई हैं । (देखिए, काशी चौखम्बा से प्रकाशित उक्त पुस्तक का २४ तथा ८१ पृ०) । इससे यही विदित होता है कि धीराम तर्कालङ्कार शिरोमणि के शिष्य नहीं थे । किन्तु दीधिति के अभ्यापक किसी सार्वभौम के छात्र हैं । श्रीराम के पिता भी न्यायशास्त्र में पारङ्गत विद्वान् थे । किन्तु उनका नाम एवं उपाधि आज तक ज्ञात नहीं हो सकी है । किरणावली की रहस्य व्याख्या के प्रथम भाग में मथुरानाथ ने बहुत स्थलों में अपने पितामह की मान्यता को कहते हुए लिखा है—'इत्यस्मत्-पितामहचरणाः' ।

भवानन्द सिद्धान्तवागीश मथुरानाथ तर्कवागीश के छात्र थे—इसका प्रमाण नहीं मिलता है । किन्तु किसी का यह भी कहना है कि भवानन्द ने मथुरानाथ से पहले ही दीधिति की व्याख्या का प्रणयन किया । जो भी हो, मैंने सुना है कि उनकी व्याख्या बङ्गाल में प्रचलित नहीं हुई किन्तु पश्चात् महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में उसका प्रचलन हुआ था । महाराष्ट्र का नैयायिक महादेश पुन्तामकर ने भवानन्द कृत व्याख्या की दो व्याख्याएँ स्वोप-कारिणी तथा भवानन्दी प्रकाश लिखी हैं । इनमें एक व्याख्या छोटी है और दूसरी बड़ी । इन्होंने भवानन्द का शिष्य नहीं होने पर भी उन के प्रति असाधारण भक्ति दिखाई है ।

संस्कृत है—'अज्ञातीत्यस्य पूर्वम् गच्छतीति पाठः प्रामादिकः । अविच्छानमात्र-पदमवलम्बितो पाठः । जानातीत्यस्य पूर्वम् गच्छतीत्यपि पाठः' । (सोसाइटी संस्करण ८८ पृ०) पश्चात् क्रियाविशेषकारणस्येतिपाठः इत्यादि । (ऐ० पू० ८९६) पुनः बाद में भी—'पाठस्तु प्रामादिकः' (ऐ० पू० ९२०) इसी तरह मथुरानाथ के अन्य ग्रन्थों में भी पाठभेद का निर्देश मिलता है ।

मधुसूदनवाचस्पति भवानन्द सिद्धान्तवागीश के पुत्र हैं—यह कथा 'नवद्वीप महिमा' में लिखी है। किन्तु इसमें किसी प्रमाण का उद्धरण नहीं दिया गया है। 'मिपिलाया समायाते मधुसूदन वाकपती' इत्यादि उद्धृत श्लोक भी यहाँ प्रमाण नहीं होता है। भक्तिरत्नाकर में नरहरिचक्रवर्ती लिखते हैं कि काशी में श्रीजीव गोस्वामी के अध्यापक मधुसूदन वाचस्पति नामक व्यक्ति थे। किन्तु यह मधुसूदन अद्वैतसिद्धि के रचयिता मधुसूदन सरस्वती से भिन्न हैं। यह भवानन्द सिद्धान्तवागीश के भी पुत्र नहीं हैं। भवानन्द क कारकचक्र ग्रन्थ के प्रथम व्याख्याकार खराम तर्कवागीश उनके पौत्र हैं। उनकी उक्त व्याख्या के अन्त में देखा जाता है—'पितामहकृत-कारकावधिनिर्णय टिप्पणी समाप्ता'।

मधुरानाथ तर्कवागीश की तरह भवानन्द सिद्धान्तवागीश ने भी सृ० षोडश शतक में नदिया में अध्यापन एवं ग्रन्थों का प्रणयन किया। गुप्तपल्ली (गुप्तिपाडा) के निवासी शतावधान राघवेन्द्र भट्टाचार्य ने इन्हींसे न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था। इनके पुत्र चिरञ्जीव शर्मा ने विद्वन्मोदतरङ्गिणी ग्रन्थ में अपने पिता के परिचय वर्णन में लिखा है—'अधोयान मुद्दिश्यवाध्यापकास्य भवानन्द सिद्धान्तवागीश ऊचे। अय कोऽपि-देव इति'। भवानन्द सिद्धान्तवागीश ने अपने शिष्य राघवेन्द्र की विलक्षण कविरस शक्ति एवं असाधारण प्रतिभा से आश्चर्यचकित होकर कहा है—यह छात्र मानव नहीं देवता है। चिरञ्जीवशर्मा ने अपने पिता के शतावधान नाम का अर्थ करते हुए कहा है कि किसी समय में एक सौ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न पद्यों के पाठ होनेपर राघवेन्द्र प्रत्येक श्लोक से एक एक छन्द को लेकर शीघ्र ही पद्य की रचना करते थे। इसी से उनका नाम शतावधान भट्टाचार्य प्रसिद्ध हुआ। चिरञ्जीवशर्मा ने अन्य ग्रन्थों में भी अपने पिता के परिचय में कहा है—'भट्टाचार्य शतावधान इति यो गौडोद्भवोऽभूत् कवि'। ये शतावधानराघवेन्द्रभट्टाचार्य अनेक शास्त्रों के विद्वान् थे। इन्होंने मन्त्रार्थदीप पुस्तक का प्रणयन किया है। एवं कालतरु के विषय में 'रामप्रकाश' नामक स्मृति निबन्ध की भी रचना की है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि ये भवानन्दसिद्धान्तवागीश के छात्र रहे हैं'।

१. राघवेन्द्र भट्टाचार्य ने आगरा के समीप के राजा छुपाराम का आश्रय पाकर रामप्रकाश ग्रन्थ का निर्माण किया। इसी छुपाराम के पुत्र राजा गोयर्दन हुए और गोवर्दन के पुत्र यशवन्तसिंह हुए। चिरञ्जीवशर्मा ने यशवन्त सिंह को संस्कृत छन्द की शिक्षा देने के लिये विशेष में तथा सरलरूप

यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि नरिमा के बृद्ध पश्चित्तपर अगदीश ठकाल्लार को भगवान्द सिद्धन्तकाणिस का छात्र क्यों कहते हैं। अगदीश ने स्वयं अपनी माणिसयूथ व्याख्या के मञ्जुशाषण में लिखा है—'श्रीशार्वभौम नुयोः पराम्बन् ।' न्यायादर्शो ह्यस्य में आरम्भ में भी इन्होंने लिखा है—'श्रीशार्वभौम नुद्या कथनामयेन' ।^१ न्यायमिद्धान्तमञ्जरी के रचयिता मुनसिद्ध नैयतिक ज्ञानकीनाथ घृष्टानसि क पुत्र स्वयं प्रसिद्ध राममद्र शार्वभौम को ही अगदीश का गुरु मानता होगा। यही शार्वभौम शब्द से अगदीश को विवरित है—ऐसा मुझे लगता है। शब्दशक्तिवकाशिका में (१३वीं कारिका के विवरण में) अगदीश ने लिखा है—'इति पुनर्यान्-रहस्येऽम्बन्द्बधरणा' । इसमें स्पष्ट भाव भी खदेह नहीं है कि यह न्याय-रहस्य एक घृष्टानसि के पुत्र राममद्र शार्वभौम को रचना है। काशी के सरस्वती भवन में इस पुस्तक के बहुत बरा विद्यमान हैं।

राममद्रशार्वभौम ने कुसुमाञ्जलि की व्याख्या तथा पियेनसिद्ध पराशररचनिकल्प की व्याख्या बादि विभिन्न ग्रन्थों का प्रणयन किया है। पराशररचनिकल्प की व्याख्या में इन्होंने लिखा है—'वात्सल्य रक्षसरक्षेद्द कानेनु घृष्टानोदितननेरचनो प्रमन्य' । पहले एक समय में कितने व्यक्ति

ने कुत्तरन्'बर्ली नामक ग्रन्थोपन्य का प्रणयन किया। वहीं इन्होंने मन्वन्त सिंह को सम्बोधित करते कहा है—'श्रीशार्वभौमनुरनमन-वैरिहात्र विमर्दं सि'न्हात्र-रादेक-रक्षक !' इस मन्वन्त सिंह के समय के अनुहार चिरञ्जीवदामा इस देग क 'पदाशी मुद' के बहुत पहले ही विरङ्गत हुए—यही विद्वानों का निर्णय है। अक्टूबर १८४६ म० दिम्बर के 'छन्दस्यारिभित' पत्र में ४० साहूद ने चिरञ्जीवदामा की विद्वन्मोदत्रपङ्क्ति की रचनाकाल १००० मूठान माना है किन्तु वह गन्य नहीं है।

१ नरिमा में अगदीशठकाल्लार के घर में मैंने मन्वचिम्नामसि प्रयन नाम की मयूथ व्याख्या की एक पुस्तक देखी है। उसके आरम्भ में ही लिखा है—'श्रीशार्वभौमन्य नुयोः पराम्बन् विद्विपिना कलपयो- प्रमन्य । विविभितः श्रीशार्वभौमविश्वैरिहात्रनादमोमंभूय ।' न्यायादर्श के आरम्भ का हूण्य पर यह है—

भगवान्दे समुनसिद्धनमञ्जरीः

श्रीशार्वभौमनुद्या कथनामयेन ।

सिद्धन्तकार्पिनमनारररम्बन्

विद्विपिना मुदहृते प्रहृते बयस. ॥'

इस श्लोक के 'चूडामणि' शब्द से रघुनाथशिरोमणि को लेने से और राममद्र का उनका पुत्र कहने से । यह राममद्रो व्याख्या बहुत दिन पहले काशी में मुद्रित हुई थी । उसी संस्करण में एक स्थल पर मुद्रित है—'शब्दमणिदीधिति तात-
 चरणाः' । 'शब्दमणिदीधिति' रघुनाथशिरोमणि का ही ग्रन्थ है । किन्तु नदिया में इसकी एक प्राचीन पुस्तक सुरक्षित है, जिसमें उक्त स्थल में लिखा है—'शब्दमणिमरीचो तातचरणाः ।' वस्तुतः यही प्रकृत पाठ है । न्याय-
 सिद्धान्तमञ्जरी के प्रणेता जानकीनाथ चूडामणि ने भी अपनी रचना के रूप में शब्दमणिमरीचि तथा न्यायनिघन्तुदीपिका का उल्लेख किया है । उनके पुत्र राममद्र सार्वभौम ने उस स्थल पर पिटृकृत शब्दमणिमरीचि के सन्दर्भ विरोध का उद्धरण देकर लिखा है—'इति तु शब्दमणिमरीचो तात-
 चरणाः' ।

अनेक ग्रन्थों के प्रणेता जानकीनाथ चूडामणि के शिष्यसंप्रदायों में बहुत नैयायिक हुए हैं । उनकी न्यायसिद्धान्तमञ्जरी की विभिन्न व्याख्याओं से विदित होता है कि वे अपने समय में नदिया के प्रतिष्ठित विद्वानों में थे । खानाकूल कृष्णनगर के महानैयायिक कणाद् तर्कशास्त्री उक्त चूडामणि के छात्र थे । कणाद्कृत भाष्यारत्न ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा है—'चूडामणिपदाम्भोज' इत्यादि । इन्होंने भी तत्त्वचिन्तामणि की व्याख्या लिखी है । एक समय नैयायिक समाज में इन्हीं की अग्रयण-व्याख्या का अधिक आदर था । इस व्याख्या के कुछ अंश कल्कत्ता संस्कृत कालेज के पुस्तकालय में विद्यमान हैं । कहने का अनिश्चय यह है कि प्रसिद्ध व्याख्याकार जगदीश तर्कालङ्कार इसी जानकीनाथ चूडामणि के सम्प्रदाय के थे और इन्हीं के पुत्र राममद्र सार्वभौम के शिष्य रहे हैं । अतएव अनुमानदीधिति के हेत्वाभाव विभाग में अमिद्धिदीधिति की व्याख्या करते हुए किसी स्थल पर इन्होंने अथानन्द सिद्धान्तशास्त्री के सम्प्रदाय के दीधिति-पाठ को नहीं मानकर लिखा है—
 'उच्यते इत्यनन्तरम्, अथानन्दसम्प्रदायसिद्धि पाठो निम्नने' ।

(देविए जादवीनी, काशी श्रीश्रीश्री प्रकाशन पृ० ११८४ ।)

नदिया में जगदीश तर्कालङ्कार के घर में मैंने जो वंशतालिफा दमी है उसमें जगदीश श्री चैतन्यद्वय के स्वशुर सनातन मिश्र के परवर्ती होते हैं तथा परम्परा में चौथी पुन्त्र में आते हैं । सनातन के पिता घटेश्वर मिश्र और पुत्र माधवाचार्य थे । माधवाचार्य के पुत्र यादवचन्द्र विशाखासी हुए और उनके पुत्र जगदीश । नदिया में जगदीश मिश्र के पुत्र श्री शिवशंकर मिश्र (श्री चैतन्यदेव) ने सनातन मिश्र की कन्या विष्णु-

प्रिया देवी से विवाह किया था। कुछ वर्ष तक गार्हस्थ्य जीवन में रहकर पश्चात् उन्होंने सृ० १५१० में सन्यास ले लिया। इससे पहले मेरी धारणा थी कि जगदीश सनातन मित्र के प्रपौत्र थे जिन्होंने सृ० १५६० से कुछ पहले या बाद में जन्म लेकर सप्तदश शतक के आरम्भ होते ही ग्रन्थ का प्रणयन आरम्भ किया। किन्तु पश्चात् विदित हुआ कि जगदीश तर्कालङ्कार की रचना—(धिरामणि की अनुमान दीधिति की व्याख्या) का लिपिकाल १६१० सृ० है।

जगदीश के जीवन काल में ही उनके परम भक्त शिष्य विश्वेश्वर ने यह पुस्तक लिखी थी। जगदीश सृ० चौदह शतक के अन्त में भी इस व्याख्या का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि इनसे पहले भी कितने नैयायिकों ने दीधिति की व्याख्याएँ की थीं। पश्चात् उन्होंने गम्भीर विचारपूर्वक उसकी सविस्तर व्याख्या लिखी। अत एव व्याख्या के आरंभ में उन्होंने लिखा है—‘प्राच्यैरनुचितविविधसौदैः कलुषो कृतोऽप्यधुना। दीधिति-भूतमग्निरेव श्रीजगदीशप्रकाशितः स्फुरतु’ तत्त्वचिन्तामणि के उपमानसङ्घ तथा सन्दर्भके आरम्भ में भी यह श्लोक देखा जाता है।

तत्त्वचिन्तामणि के किसी अंश पर जगदीश के पुत्र रघुनाथ की व्याख्या है। वह व्याख्या मैंने देखी है। उसका लिपिकाल १५८८ शकाब्द है।

१. कलकत्ता में म० म० हरप्रसाद घोषी के घर में यह पुस्तक विद्यमान है। उसके अन्त में लिखित श्लोक का प्रथम धरण यह है—‘द्यप-त्रिपुरवैरिहृ-घर परन्दुसंख्ये शके’। द्यप का अर्थ = २ हाप, त्रिपुरवैरिहृ = ३ दिवनेत्र, घर = ५, इन्दु = १ अर्थात् १५३२ शकाब्द। हुगली कालेज के संस्कृत के अध्यापक श्रीभुत दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य महाशय ने स्वयं इस पुस्तक को देखकर पश्चात् इसके अन्त में लिखित संपूर्ण पद्य तथा पुष्पिका लिखकर मुझे भी भेज दी थी।

२. मद्रास में जगदीश तर्कालङ्कार के घर में निम्नगत नवम पीढ़ी के श्रीयतीन्द्रनाथ तर्कतीर्थ महाशय ने मुझे यह पुस्तक दिखाई थी। उसके आरम्भ में लिखा है—‘श्रीमठा रघुनाथेन तर्कालङ्कारसूनुना।

पदातापरमूलस्य निगूणार्थः प्रकाशयते’ ॥

और अन्त में लिखा है—‘इति धीरघुनाथधर्मणा विरचितो पाठ्यकेवलव्यतिरेक-मूल्यटीका समाप्ता’। श्रीरामधर्मणः स्वाशारमिदम् पुस्तककथ ३० ज्येष्ठ १५८८ शकाब्दाः’ ॥

उक्त पुस्तक के लिपिकाल (सृ० १६६६) में श्रीरघुनाथशर्मा जीवित थे। ऐसा लगता है कि प्रायः उस समय उनके पिता जगदीश तर्कालङ्कार जीवित नहीं थे। किन्तु इस समय में गदाधर भट्टाचार्य की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी। १०६८ बङ्गाब्द (सृ० १६६१) में कृष्णनगर के अधिपति राजा राघव ने गदाधर भट्टाचार्य को 'मालिपोता' गाँव में ३६० बीघा भूमि दान में दी थी। आजकल भी नदिया में गदाधर के वंशज उस भूसंपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। नदिया में इन्हीं के वंशज किसी विद्वान् ने हमसे कहा था कि १००६ बङ्गाब्द में गदाधर का जन्म हुआ था तथा १११० बङ्गाब्द में उनकी मृत्यु हुई थी। यह एक कागज में लिखित उन लोगो के घर में सुरक्षित है। यद्यपि मैं इस कागज को स्वयं देख नहीं पाया किन्तु उनके घर में एक कागज मैंने देखा जिसमें लिखा था कि गदाधर के प्रपौत्र कृष्णकान्त की मृत्यु १२१६ बङ्गाब्द में हुई।

मैंने सुना है कि म. म. सतीशचन्द्र विद्याभूषण महाशय ने अपनी पुस्तक *History of Indian Logic* में लिखा है कि गदाधर भट्टाचार्य प्रचीन व्युत्पत्तिवाद का रचनाकाल सृ० २६२५ है। किन्तु जगदीश तर्कालङ्कार की शब्दशक्तिप्रकाशिका के बाद ही व्युत्पत्तिवाद की रचना हुई होगी—ऐसी मेरी धारणा है। इसमें मेरा विश्वास नहीं है कि गदाधर १६२५ सृ० से पहले दीधिति की व्याख्या का तथा चन्द्रसङ्घ के स्वतन्त्र ग्रन्थ व्युत्पत्तिवाद का प्रणयन किये होंगे। ये सृ० सप्तदश शतक पर्यन्त जीवित थे। गदाधर के बृद्ध प्रपौत्र श्रीराम शिरोमणि नदिया में प्रतिष्ठित नैयायिकों में थे। ६ फाल्गुन १२६० बङ्गाब्द में कलकत्ता के काशीपुर में नडाइल के जमोदार रामरत्न राय के घर में इन्होंने न्यायशास्त्र का जो विचार किया था वह विचारवार्ता १८५४ सृ० में १८ फरवरी को संवादभास्कर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उस समय श्रीराम शिरोमणि का वय लगभग ५५-६० के रहा होगा। उनके बृद्धप्रपितामह गदाधर भट्टाचार्य सृ० सप्तदश शतक के बाद भी कुछ दिन पर्यन्त जीवित रहे—ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि राजा राघव ने उनको १६६१ सृ० में भूमि दान में दी थी।

नदिया के पण्डित समाज में यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि गदाधर भट्टाचार्य तथा रघुदेव न्यायालङ्कार नदिया के हरिराम तर्कवागीश के छात्र थे। शिरोमणि के नञ्चाद् ग्रन्थ की व्याख्या के आरम्भ में रघुदेव ने लिखा है—'सिधं प्रनम्य तत् पश्यात् तर्कवागीश्वरं मुहुम्'। हरिराम तर्कवागीश तथा रघुदेव न्यायालङ्कार के बहुत ग्रन्थ आजकल भी प्राप्य हैं। जैसे गदाधर की व्याख्या गदाधरी शब्द से प्रसिद्ध है, उसी तरह रघुदेव की व्याख्या रघुदेवी नाम से

प्रचलित है। नवद्वीपमहिमा में रघुदेव न्यायालङ्कार का परिचय वर्णित है—
'रघुदेव गदाधर के ज्येष्ठ पुत्र, रामचन्द्र के पुत्र थे' (दृष्टव्य पृ० १८१ नवद्वीप-
महिमा)। किन्तु हरिराम तर्कवागीश का शिष्य रघुदेव गदाधर के पौत्र नहीं
हो सकते हैं।

गदाधर के पूर्ववर्ती दीधिति के व्याख्याकार भवानन्द सिद्धान्तवागीश
का छात्र—गुप्तपत्नी निवासी पातावधान राघवेन्द्र भट्टाचार्य का पुत्र
चिरञ्जीव शर्मा रघुदेव के प्रति अनन्य भक्ति व्यक्त करते हुए अपने काव्य-
विलास में लिखते हैं—'इमौ भट्टाचार्यप्रवररघुदेवस्य चरणी'। इससे सिद्ध
होता है कि चिरञ्जीवशर्मा रघुदेव के शिष्य थे। ये (रघुदेव न्यायालङ्कार)
गदाधर भट्टाचार्य के समसामयिक थे अतएव इनका जीवनकाल स० सप्तदश
शतक है।

गदाधर के शिष्य जयराम ने भी विभिन्न ग्रन्थों का प्रणयन किया है।^१
किन्तु भारत में सर्वत्र ही गदाधर भट्टाचार्य के ही ग्रन्थों का अधिक प्रचार
तथा प्रसार हुआ है। तत्त्वचिन्तामणि की माथुरी (मथुरानाथकृत व्याख्या)
तथा दीधिति की जगदीश की भी आंशिक प्रचार हुआ। किन्तु दक्षिणार्य
विद्वानों में केवल गदाधरी ही विशेषरूप से प्राह्य हुई है। आजकल भी
गदाधर के कृतने ही अन्य देश के प्रत्येक प्रान्त में प्रचलित हैं। दक्षिणार्य
विद्वानों ने भी उनकी कृति की व्याख्या की है। गदाधर ही नव्यन्याय के अन्तिम
अवतारी हो गये हैं।

नव्यन्याय तथा आन्वीक्षिकी विद्या

मदिया में नवीन रूप धारण करके उन्नति का चरम उत्कर्ष प्राप्त करने
वाला तथा न्यायशास्त्र में बङ्गालियों का अविनदवर जयस्तम्भ रूप में विद्यमान
नव्यन्याय, बौद्ध आदि संप्रदायों को परास्त करने के लिये गङ्गेश आदि तार्किकों
की तर्कविद्या स्वबुद्धिकल्पित नहीं है, किन्तु वह भी वेदमूलक आन्वीक्षिकी
विद्या ही है। इसका साधारण परिचय पहले ही में प्रस्तुत कर चुका हूँ।

कोपकार अमरसिद्ध 'स्वर्गचर्मा' में तर्कविद्यामान को 'आन्वीक्षिकी' शब्द
का अर्थ मानते हैं। जिस विद्या में वेद को प्रमाण नहीं माना गया है उस विद्या
के अर्थ में भी आन्वीक्षिकी शब्द का गौण प्रयोग देखा गया है^१। वेदमूलक आन्वी-

^१ महाभारत में भी देखा गया है—'आन्वीक्षिकी तर्कविद्यामनुरक्तो
निरपिचम्'। (पान्तिर्ष्व १८७।१७।) उस स्थल में आन्वीक्षिकी शब्द के
बाद तर्कविद्या तथा निरपिच शब्द का प्रयोग करके केवल तर्कविद्या रूप

द्विकी विद्या-त्रिसमें वेद का प्रामाण्य, आत्मा की नित्यता, जन्मान्तर तथा मुक्ति आदि वैदिक मान्यताओं का प्रतिपादन है यह केवल तर्कविद्या नहीं है अपितु तर्कविद्या होकर भी 'आत्मविद्या' है। राजाओं को किस विद्या की शिक्षा देनी चाहिए—इस प्रसङ्ग में भगवान् मनु ने कहा है—'आन्वीक्षिकी-ह्वारमविद्याम्'। ७।४३। मनुसंहिता के भाष्यकार मेधातिथि उक्त श्लोक की तात्पर्यव्याख्या करते हुए कहते हैं कि पार्वक तथा बौद्ध आदि द्वारा प्रणीत तर्कविद्या बहूतों को नास्तिक बनाती है। अतएव राजाओं को इसकी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिये। किन्तु आत्मविद्यारूप आन्वीक्षिकी ही उन लोगों के अभ्यसन का विषय है। अतएव मनु ने आन्वीक्षिकी के साथ आत्मविद्या पद का प्रयोग विशेषणरूप में किया है। इस मठ में आन्वीक्षिकी विद्या के दो प्रकार हैं।

वस्तुतः यह मानना होगा कि आन्वीक्षिकी शब्द के अर्थ में मतभेद होने पर भी प्राचीन समय से ही वेदविरुद्ध तर्कशास्त्र भी आ रहा है। श्री भगवान्

नास्तिक तर्कविद्या ही उस आन्वीक्षिकी शब्द से अभिप्रेत है यही प्रतीत होता है। एवं इस स्थल में नास्तिक तर्कविद्या में अनुरक्त तथा वेदनिन्दक नास्तिकों की ही निन्दा की गई है। किन्तु महाभारत में तथा अन्यत्र भी आन्वीक्षिकी की अर्थात् आत्मविद्यारूप तर्कशास्त्र की निन्दा नहीं की गई है। मुमुक्षुओं के लिये इस आत्मविद्यारूप आन्वीक्षिकी को हित समझ कर उसकी प्रशंसा ही की गई है। (मेरा संपादन—न्यायदर्शन प्रथम संस्करण की भूमिका में इस विषय की सप्रमाण आलोचना विस्तार के साथ की गई है। न्यायदर्शन बङ्गला के उस अंश को इसके विशेष त्रिआमु देखें)।

१. राजशेखर ने भी अपनी काव्यमीमांसा के द्वितीय अध्याय में आन्वीक्षिकी के दो प्रकारों की चर्चा की है। इनके मत से जैन, बौद्ध तथा पार्वक-दर्शन पूर्वपक्षरूप (आन्वीक्षिकी) तर्कविद्या है और सांख्य, न्याय तथा वैशेषिक आदि उत्तरपक्षरूप। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी सांख्ययोग तथा लोकायत को आन्वीक्षिकी कहा है एवं इसका फल वर्णन किया है। और अन्त में—'प्रदीर सर्वविद्यानाम्' इत्यादि श्लोक से उस विद्या का वैशिष्ट्य-वर्णन भी किया है। इसमें विदित होता है कि इन्होंने भी संपूर्ण तर्क तथा मुख्यतः शौनस प्रणीत न्यायसूत्र को लेकर यारी बातें कही हैं। यहाँ कौटिल्य ने योग शब्द से न्याय तथा वैशेषिकदर्शन को लिया है। प्राचीन समय में न्याय तथा वैशेषिकदर्शन योग शब्द से कहे जाने थे। (इसमें प्रमाण आदि के लिये देखिए मेरा संपादन बङ्गला न्यायदर्शन के प्रथम खण्ड की भूमिका तथा मूल पृ० २२९।)

रामचन्द्र को वन गमन से लौटाने के लिये परम आस्तिक जाबालि मुनि ने पहले वास्तिकतर्कविद्या की बहुत सी पुस्तिकां मुनाई थीं ।

किन्तु रामचन्द्र ने जाबालि को जो कुछ भी कहा उसमें आस्तिक तर्कविद्या की निन्दा नहीं की गई है । श्रीरामचन्द्र ने नैयायिकों को कुछ अभिघाव भी नहीं दिया है (देखिए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड, सर्ग १०९)

उपर्युक्त वेदमूलक आन्वीक्षिकी विद्या का ही प्रसिद्ध नाम न्याय है । परार्थ अनुमान की तथा उसी की उद्देश्य करके प्रयुक्त प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयवरूप वाक्य को भाष्यकार घाटस्थायन आदि 'न्याय' शब्द से कहते हैं । इस (न्याय) का प्रतिपादक शास्त्र भी न्याय शब्द से ही कहा जाता है । पञ्चाद बहुत विद्वानों ने इसके लिये 'नीति' शब्द का प्रयोग किया है । यह न्यायशास्त्र प्रत्येक शास्त्रों की योनि है एव इसका उद्भव सर्वश परमेश्वर से है । इसकी पृष्टि के लिये सुबालोपनिषद् के द्वितीय खण्ड में कहा गया है—'न्यायो धर्मशास्त्राणि' । याज्ञवल्क्य संहिता के आरम्भ में ही—पुराणन्याय-मीमांसा' इत्यादि श्लोक में तथा—'मीमांसा न्यायतर्कश्च उपाङ्गः परिकीर्तितः' इत्यादि पुराणवचन में न्यायशब्द से उक्त न्यायशास्त्र को ही लिया गया है । तर्क-शास्त्र होने से इसे न्यायतर्क तथा तर्क शब्द से भी कहते हैं । इसका प्राचीन नाम चाकावाक्य है । छान्दोग्य उपनिषद् सप्तम अध्याय प्रथम खण्ड में—नारद-सनत्कुमारसंवाद में तथा पतञ्जलि के महाभाष्य—प्रथम आह्निक में वाको वाक्य नाम से ही इसका उल्लेख हुआ है । बहुत प्राचीन समय से ही इस तर्क-शास्त्र का तत्त्वसूचक सूत्र ऋषिगण जानते रहे हैं । बृहदारण्यक उप-निषद् के द्वितीय अध्याय के अतुर्य ब्राह्मण में परमेश्वर का निरवधित रूप वेद आदि विचारों का उल्लेख करते हुए 'सूत्राणि' इस पद के उल्लेख से अन्यान्य विचारों के साथ न्याय = तर्कविद्या के तत्त्वसूचक सूत्रों का भी निर्देश होता है ।

वस्तुतः तैत्तिरीय आरण्यक के प्रथम प्रपाठक तृतीय अनुशाक में—'स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमान अनुपपत्त्यम्' इत्यादि श्रुति वाक्य में त्रिस अनुमान प्रमाण का उल्लेख है उसके तत्त्व को जानने के लिए अवश्य ही व्याप्ति तथा हेत्वा-

१. 'मिलिन्द पञ्च' नामक बौद्धदर्शन के पालि ग्रन्थ में देखा जाता है—'साध्ययोगा नीतिविशेषिका,—३ पृष्ठ । नयनैययिक जगदीश तर्कालङ्कार ने भी ईश्वरानुमानसिद्धतामणि की श्लोचिती-उपाख्या के अन्त में लिखा है—

'सुर्वन्ति नित्यमनुमानमणेरनेके, प्राय प्रयासमधिनीधितिनीतिभासः ॥

भास आदि पदार्थों के तत्त्वों को जानना होगा। यहाँ यह नहीं माना जा सकता है कि गौतम ऋषि से पहले अन्य किसी को इन पदार्थों का ज्ञान ही नहीं था। अक्षपाद ऋषि से पहले भी सृष्टि के आदि में संक्षिप्त रूप में न्यायशास्त्र था। न्यायमञ्जरी के प्रारम्भ में जयन्तभट्ट ने इसका प्रतिपादन किया है। न्यायभाष्य के अन्त में वात्स्यायन ने भी कहा है—‘योऽक्षपादमृषि न्याय-प्रत्यपाद् षडशी वरम्’ अर्थात् गौतम के समस्त न्यायशास्त्र ने अपना आरम्भ-प्रकाश किया था। गौतम इसके स्रष्टा नहीं, अपितु वक्ता हैं।

न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र भाष्य में वात्स्यायन ने कहा है कि प्रत्यक्ष तथा आगम के अविरोधी अनुमान के द्वारा तत्त्व अथवा के बाद अनुमान प्रमाणरूप युक्ति से मनन करना ही ‘अन्वीक्षा’ है। ‘तथा प्रवर्तते इत्यान्वीक्षिकी’ न्याय-विद्या न्यायशास्त्रम्’। इस अन्वीक्षा के संपादन के लिये जो शास्त्र है उसको भी अन्वीक्षा शब्द से लिया जाता है। अन्वीक्षा शब्द से उद्धृत प्रत्यय करने पर आन्वीक्षिकी शब्द बनता है जिसका अर्थ है न्यायशास्त्र। वह बहुलान्तः तर्कशास्त्र होने पर भी मननशास्त्र होने से अध्यात्मविद्या भी है। प्रमाण आदि सोलह पदार्थ इस शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं।

अद्वैत वेदान्त के महाविद्वान् श्रीहर्ष ने नैषधचरित महाकाव्य के दशम सर्ग में—‘उद्देशपदंभ्यपलक्षणैश्चि द्विधेदिष्टैः षोडशभिः पदार्थैः’ इत्यादि (८१) श्लोक में इस आन्वीक्षिकी विद्या का वर्णन मुमुक्षुओं के सहायक रूप में किया है। इसके बाद नव्यन्याय के प्रतिष्ठापक गङ्गेश उपाध्याय ने तत्त्व-चिन्तामणि में कहा है कि—परम कारुणिक अक्षपाद मुनि ने संसार को मुक्तिलाभ कराने के लिये आन्वीक्षिकी विद्या का प्रवचन एवं प्रचार किया। गङ्गेश की तत्त्वचिन्तामणि तथा महर्षि गौतम का सूत्र रूप में लिखित न्यायदर्शन प्रकरण ग्रन्थ है। अतएव गङ्गेश ने गौतम के तृतीय सूत्र—‘प्रत्यक्षा-नुमानोपमानाश्चाः प्रमाणानि’ का उल्लेख करके प्रधानतः गौतमोक्त चार प्रकारों के प्रमाणों की ही विरुद्ध व्याख्या अपने ग्रन्थ में की है और उन्होंने इस आन्वीक्षिकी विद्या के प्रतिपाद्य अन्वय विषयों की भी यथात्थान विरुद्ध व्याख्या उपस्थापित की है। अतएव नव्यन्याय=तत्त्वचिन्तामणि तथा उसकी विभिन्न व्याख्याएँ गौतम प्रणीत मूल आन्वीक्षिकी विद्या के ही व्याख्यान ग्रन्थ हैं। इसीसे कहा जाता है कि नव्यन्याय का भी मूल आन्वीक्षिकी विद्या ही है।

तत्त्वचिन्तामणि के रद्वय व्याख्याकार मथुरानाथ तर्कचामीश ने भी शब्द खण्ड की व्याख्या के आरम्भ में नव्यन्याय के अध्यापक समाज को ‘आन्वीक्षिकी परिश्रमशाली’ कहा है। अद्वैत वेदान्त अर्थ का प्रतिपादक ब्रह्मसूत्र

एवं उसके भाष्य आदि ग्रन्थ वेदान्तशास्त्र शब्द से कहे जाते हैं—(वेदान्तो नाम उपनिषत्, तदुपकारीणि पारीरक सूत्रादीनि च—वेदान्तशब्द) इसी तरह न्यायसूत्र तथा उसके प्रतिपाद्य विषयों का व्याख्यानरूप प्राचीन तथा नवीन प्रत्येक ग्रन्थ न्यायशास्त्र शब्द से कहा जाता है ।

न्यायसूत्रकार का परिचय तथा न्यायसूत्र का रचनाकाल

शास्त्रव्यायन आदि प्राचीन आचार्यों गण महर्षि अक्षपाद को न्यायसूत्रकार कहते हैं । परचात् बहुत विद्वान् तथा विभिन्न ग्रन्थकार उन्हीं को गौतम या गौतम कहने लगे किन्तु इनका परिचय स्पष्ट तथा विस्तार रूप में किसी ने नहीं उपस्थित किया है । मैंने पहले ही न्यायदर्शन की भूमिका में कहा है कि अहल्यापति महर्षि गौतम ही न्यायसूत्रकार अक्षपाद हैं । क्योंकि स्कन्दपुराण में इनको अक्षपाद कहा गया है । काशिकास के पूर्ववर्ती महाकवि भास प्रतिमानाटक के पञ्चम अंक में मेधातिथि के न्यायशास्त्र का उल्लेख करते हैं । यह मेधातिथि अहल्यापति गौतम ही हैं । महाभारत, दान्तिपर्व के—'मेधातिथिर्मेधाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः' इत्यादि (२६५ अ० ४५) श्लोक से स्पष्ट है कि मेधातिथि गौतम का दूसरा नाम है । मेधातिथि नामक किसी अन्य व्यक्ति ने न्यायशास्त्र का प्रणयन किया और वह महाकवि भास से पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था—इसमें प्रमाण का सर्वथा अभाव है तथा इस तरह का प्रवाद भी कभी सुनने को नहीं मिला है । यह चिरप्रसिद्ध प्रवाद है कि गौतम मुनि ने एकबार वेदव्यास के दर्शन के लिये अपने खरगों में भी खद्युप् इन्द्रिय की सृष्टि कर ली थी और उसी समय से वे अक्षपाद नाम से प्रसिद्ध हुए ।

१. अक्षपादो महायोगी गौतमाख्योऽभवन्मुनिः ।

गोदावरी समानेता अहल्यायाः पतिः प्रभुः ॥

(स्कन्दपुराण माहेश्वरखण्ड कुमारिका खण्ड ५५ अ० ५ श्लोक)

२. अतः शब्द केवल इन्द्रिय का वाचक है । यहाँ खद्युप् इन्द्रियरूप विशेष अर्थ से उसका प्रयोग करके—'अक्ष मुक्तः पादो यस्य' यह विषय किया गया है । अतएव अक्षपाद शब्द का उपर्युक्त अर्थ होता है । किसी ने लिखा है कि अक्ष शब्द का अर्थ है जन्मान्ध और जैसे गुरुवाद तथा स्वामिवाद आदि शब्दों में आदर जनाने के लिये पूजार्थक पाद शब्द का प्रयोग है उसी तरह यहाँ भी पूजार्थक पाद शब्द ही है । अतएव अक्षपाद शब्द का अर्थ हुआ जन्मान्धपाद अर्थात् दीर्घतमा गौतम । वह यह गौतम नहीं है । किन्तु प्राचीन आचार्यगण

इसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही देवीपुराण से उद्धरण दिया है। आधुनिक मुद्रित देवीपुराण में उस अक्ष के नहीं रहने पर भी वह प्राचीन प्रवाद का समर्थक है—अतएव अवश्य रहा होगा, यह मानना होगा।

स्कन्दपुराण के 'अक्षपादो महायोगी' इत्यादि बचन को प्रक्षिप्त मानने में युक्ति नहीं मिलती है। अतएव यह कदापि मान्य नहीं होगा कि गौतम तथा अक्षपाद भिन्न व्यक्ति हैं, तथा न्यायदर्शन के प्राचीन अंश की ही रचना गौतम ने की है और उसके कितने दिनों के बाद अक्षपाद ने उसमें नवीन अंश जोड़ा है। यह सर्वसम्मत है कि अहल्यापति ऋषि ही गौतम थे। मैंने वृद्ध नैयायिकों के मुख से न्यायसूत्रकार का गौतम नाम ही सुना है। कितने-कितनों में भी उनका गौतम नाम देखा है, किन्तु वे अपने आदि पुरुष वेदोक्त गौतम के नामानुसार ग्रन्थों में इस नाम से निर्दिष्ट हैं। अतएव विभिन्न स्थलों में मैंने भी गौतम नाम से ही इनका उल्लेख किया है। वस्तुतः प्राचीन समय में आदि पुरुष के नाम से भी कितने प्रधान व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। इसके अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। नैपथ्यचरित महाकाव्य (१७।७।५) में श्रीहर्ष ने प्रसङ्गवश न्यायशास्त्र रक्ता का गौतम नाम ही उद्धृत किया है। किसी का कहना है कि अन्य अर्थ में गौतम नाम से प्रसिद्ध होने पर भी गौतम के संक्षेप होने के नाते ये इस नाम से कहे जाते हैं। देवीपुराण में इसका प्रतिपादन है—'गौतमान्वयज्मेति गौतमोऽपि स चाक्षपात्'।

इस विषय को नहीं समझ पाते हैं। अतएव न्यायभाष्यकार चात्स्यायन आदि ने अक्षपाद शब्द का एकवचनान्त प्रयोग किया है। किन्तु माधवाचार्य ने न्यायसूत्रकार गौतम को चरणाक्ष कहा है (देखिए—इसी पुस्तक की पृष्ठा सं० पृ० १४)। वेदान्तकल्पतरु परिमल के प्रथम अध्याय प्रथमपाद में—'कणभक्ष-पदाक्षक आदि श्लोक में अप्यपदीक्षित ने गौतम को 'पदाक्षक' कहा है। मानमेयोदय में नारायण भट्ट ने इन्हें अक्षपाद कहा है। यदि यहाँ पाद शब्द का चरणरूप अर्थ नहीं लेकर उसे पूजार्थक माना जाता तो ये सारे प्रयोग अशुद्ध हो जाते। दीर्घतमा गौतम ही न्यायसूत्रकार हैं—इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि गौतम को जन्मान्धपाद कहने में उनका गौरव भी तो नहीं क्षीणित होता है।

१ वेदान्तदर्शन अनुसंधान शास्त्ररभाष्य की रत्नप्रभा व्याख्या में कहा गया है—'तत्राक्षपादगौतमसंमतिमाह'। तार्किकरक्षा के हेतुवाभास की व्याख्या के आरम्भ में ही कहा गया है—'गौतमेन प्रपञ्चिता', 'गौतम-ग्रहणेन'। अद्वैत ब्रह्मसिद्धि में कहा गया है—'गौतमादिमुनीनाम्'।

स्कन्दपुराण में वर्णित है कि महायोगी महर्षि गौतम ने योगबल से अधिक दिन तक जिन्दा रह कर अनेक समय में विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यों का उपादन किया। धूर्मपुराण में शिवावतार रूप में इनका वर्णन आया है। शिवपुराण में भी इनका माहात्म्य मिलता है। लिङ्गपुराण (अ० २४) में अक्षपाद् तथा उल्लूक मुनि को शिव का अवतार तथा सोम रर्मा का शिष्य कहा गया है। धर धर्म्या पर सोये हुये भीष्मपितामह के देहान्त के अवसर में वेदव्यास, नारद, गौतम तथा उल्लूक मुनि उपस्थित थे। महाभारत के दान्तिपर्व (अ० ४७) में इसका वर्णन मिलता है। यही उल्लूक मुनि मतान्तर से औल्लूफ्य मुनि वैशेषिकदर्शन अर्थात् इसके सूत्र के प्रणेता हैं। अतएव वैशेषिकदर्शन औल्लूक्यदर्शन शब्द से भी कहा जाता है। यह उल्लूक मुनि चावल के सामान्य बर्णों को या तुप कर्णों को खाकर जीवन धारण करते थे। इसी से इनका नाम कणाद प्रसिद्ध हुआ। परवर्ती ग्रन्थकारों ने इस नाम को लेकर कणभक्ष तथा कणमुष् आदि शब्द से भी इनका उल्लेख किया है। ये कश्यप के पुत्ररूप में भी प्रसिद्ध हैं। अतएव प्राचीन आचार्यों ने काश्यप नाम से इनका निर्देश किया है।

महाभारत सभापर्व के पञ्चम अध्याय में मुनि नारद के विभिन्न शास्त्रों के पाण्डित्य वर्णन में विशेषरूप से कहा गया है— पञ्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित् ।

नारद मुनि गौतम के न्यायदर्शन के प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयव वाक्यरूप न्याय तथा अनुकूल शर्क आदि गुणों को एव सभी प्रकारों के दोषों को जानते थे। व्याख्याकार नीलकण्ठ ने भी वहाँ यही कहा है। अतएव प्रमाणित होता है कि महाभारत से बहुत पहले ही कणाद तथा गौतम ने क्रमशः वैशेषिक-सूत्र तथा न्यायसूत्र का प्रणयन किया था।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि वैशेषिकसूत्र (न्यायसूत्र) में किसी आचार्य का नाम नहीं आया है। न्यायभाष्य (१।१।३२।) में दशावयववादी नैयायिक सप्रदाय का उल्लेख मिलता है, किन्तु न्यायसूत्र में उक्त निर्देश नहीं है। न्यायसूत्र में प्राचीन शास्त्र सिद्धान्त का उल्लेख एव प्राचीन योगदर्शन का निर्देश पाया जाता है। न्यायसूत्र में विचार द्वारा उल्लेख करने के उद्देश्य से त्रिन नास्तिक दर्शनों का पूर्वपक्ष रूप में उल्लेख है, उन सबों का मूल उपनिषद् में मिलता है। प्राचीन काल में ही विभिन्न नास्तिक सप्रदाय विभिन्न रूप में इन मतों की व्याख्या करते आए हैं तथा समर्थन के लिये कितने मतों की सृष्टि भी करते रहते हैं। दार्शनिक ऋषियों ने इन सभी मतों का सपुस्तिक प्रतिवाद किया है। पञ्चावयव वाक्य आचार्य नागार्जुन ने त्रिस तरह से धूम्यवाद की व्याख्या की है

उसका निर्देश न किसी न्यायसूत्र में है और न भाष्य में। नागार्जुन का दून्यवाद 'सर्वनास्तित्ववाद' नहीं है। पहले ही न्यायसूत्र तथा भाष्य की व्याख्या में यथास्थान में इन सभी विषयों की आलोचना की है।

कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता कि न्यायसूत्र की रचना नागार्जुन के बाद हुई है। बौद्ध ग्रन्थ के किसी शब्द को न्यायसूत्र में देखकर उक्त बौद्ध ग्रन्थ के बाद न्यायसूत्र की रचना मानना सर्वथा अनुचित है। इस तर्क को सर्वथा असद् अनुमान मानना चाहिये। लङ्कायतारसूत्र तथा माध्यमिकसूत्र आदि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थों का एक भी पारिभाषिक शब्द न्यायसूत्र में नहीं पाया जाता है। वात्स्यायन ने भी प्रतीत्य समुत्पाद आदि बौद्धदर्शन के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ये क्षणिकवादी, अनात्मवादी तथा सर्वनास्तित्ववादी को 'आनुपलम्भिक' शब्द से निर्दिष्ट करते हैं, किन्तु किसी को दून्यवादी शब्द से स्पष्टतः नहीं कहते। दून्य शब्द की व्याख्या भी इन्होंने कहीं भी भाष्य में नहीं की है। तब यह कैसे ज्ञात होगा कि वात्स्यायन बौद्ध आचार्य नागार्जुन के परवर्ती ही हैं।

वात्स्यायन ऐतिहासिक विद्वानों ने इसका समर्थन किया है कि पाणिनि गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती हैं, जब कि पाणिनि के सूत्र में 'न्याय' तथा 'चरक' शब्द का निर्देश है। अब किस प्रमाण को आधार मानकर कहा जाए कि बुद्ध से पहले गौतम का न्यायसूत्र तथा चरक मुनि के ग्रन्थ विद्यमान नहीं थे। प्रचलित चरक संहिता के सूत्रस्थान प्रथम अध्याय में द्रव्य आदि छत्रो वैशेषिक पदार्थों का तथा अष्टम अध्याय विमानस्थान में न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध पदार्थ,—वाद, जल्प, वितण्डा तथा प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयव वाक्य

१. १९२६ वज्रानन्द ने 'साहित्य परिषद् पत्रिका' की प्रथम संख्या में प्रकाशित 'वज्रलार बौद्धसमाज' दीर्घक निबन्ध में ५० म० हरप्रसाद छात्री महाशय लिखते हैं—'हम लोगों का न्यायसूत्र नागार्जुन के समय में या उसके बाद लिखा गया है। इतिहास के बुद्ध विद्वान् उक्त छात्री महाशय के इस प्रबन्ध में तथा इसके पहले भी कतिपय निबन्धों में न्यायसूत्र तथा उसके सिद्धान्त के विषय में विभिन्न मान्यताएँ प्रकाशित हुई हैं। सूत्र न्यायदर्शन की व्याख्या में विभिन्न स्थलों पर मैंने इन विषयों की आलोचना की है। यहाँ उन बातों को दुहराना बाहुल्य के कारण संभव नहीं है। पाठनचन्द्र सम्पूर्ण रूप से मूलग्रन्थ की पर्यालोचना करके ही विभिन्न मान्यताओं का विचार करेंगे। व्यक्तिविशेष की बात को मानकर किसी सिद्धान्त के निर्णय पर पहुँचना उचित नहीं प्रतीत होता।

प्रभृति का उल्लेख मिलता है। इनमें किसी पदार्थ की स्वरूप-व्याख्या में भले ही मतभेद हो किन्तु इतना तो मानना ही होगा कि इन पंथों की प्रसिद्धि चरक मुनि के पहले से ही है।

महर्षि गौतम के योगबल के द्वारा सुदोष जीवन में तथा न्यायसूत्र की प्राचीनता में विश्वास नहीं करने पर भी यह मानना ही होगा कि न्यायसूत्र वेदान्तसूत्र की अपेक्षा प्राचीन है। वेदान्तदर्शन (अ० २ पाद २) में कुछ सूत्रों के द्वारा शङ्कराचार्य आदि ने परमाणुकारणवाद का प्रतिवाद किया है। यह सर्वसम्मत है कि परमाणुकारणवाद कणाद तथा गौतम का सिद्धान्त है।

वेदान्तसूत्र की रचना न्यायसूत्र के बाद हुई है—इसमें बहुत प्रमाण मिलते हैं। मेरी दृष्टि में इस विषय में विवाद का समावेश ही नहीं है। भगवद्गीता (१३।५) में ब्रह्मसूत्र का निर्देश हुआ है और पाणिनि ने भी ५।३।११० सू० में पराशर्य भिक्षु के सूत्र का उल्लेख किया है। वह ब्रह्मसूत्र ही है। क्योंकि पराशर के पुत्र वेदव्यास ने केवल ब्रह्मसूत्र की ही रचना की है। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि भगवद्गीता तथा वेदान्तसूत्र की रचना गौतम बृद्ध से बहुत पहले ही हुई है।

न्यायसूत्र के प्राचीन व्याख्याकार

सबसे पहले वात्स्यायन (पल्लिल स्वामी) ने ही संपात्रम न्यायसूत्रों का सशोधन करके उन पर भाष्य का प्रणयन किया। पश्चात् जब बौद्ध के महायान संप्रदाय का विशेष अभ्युदय हुआ तब असुधन्धु तथा दिग्नाग आदि बौद्ध आचार्यों ने न्यायसूत्र तथा भाष्य का बाहुल्येत् प्रतिवाद किया। इसी पर भारद्वाज गोत्रीय उद्योतकरने न्यायभाष्य के ऊपर धार्तिक का प्रणयन किया। इसमें इन्होंने अपनी बुद्धि के अतुल्य बहूत स्थलों में न्यायसूत्र का उचित सशोधन करके पुनः उन सूत्रों की व्याख्या की है। इन्होंने इस ग्रन्थ में बहुत सूक्ष्म विचारों के द्वारा तत्कालीन बौद्धसमाजों की मान्यताओं का प्रतिवाद करके अपना प्रबल संप्रदाय स्थापित किया है। वात्स्यायन की तरह इस धार्तिककार का भी भारद्वाज नाम तथा गण निमित्तक है। बाद में इनके धार्तिक की बहूत व्याख्याएँ हुई हैं, किन्तु काल की अपेक्षा में आकर धार्तिककार का संप्रदाय छुप्त भी हो गया है। बहुत दिन बाद ४०० नवम शतक में सर्वतन्त्रस्वतन्त्र धी वात्स्पति मिश्र ने अपने गुरु त्रिलोचन से शास्त्र का उपदेश पाकर उद्योतकर के न्यायधार्तिक की व्याख्या की। इनकी इसी व्याख्या का नाम 'तार्त्पर्य टीका' है। वात्स्पति मिश्र के बाद ४०० नवम शतक के अन्त में काश्मीर के बारावास में रहकर जयन्तभट्ट ने गण तथा पण में न्यायमञ्जरी नामक उत्कृष्ट ग्रन्थ

की रचना की। इस ग्रन्थ में इन्होंने समस्त न्यायसूत्रों की व्याख्या नहीं की है। इन्होंने स्वयं कहा है—'अस्माभिस्तु लक्षणसूत्राभ्येव व्याख्यास्यन्ते' (न्या० म० पृ० १२)। इन्होंने ही पश्चात् न्यायकालिका लिखकर न्यायसूत्रों की स्पष्टवृत्ति उपस्थित की। (इस ग्रन्थ का प्राप्य अश काशी सरस्वती भवन से प्रकाशित है।)

जयन्त भट्ट के बाद छ० दशम शतक के परार्द्ध में मिथिला के सुप्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य ने वाचस्पति मिथ्य की तात्पर्यटीका की तात्पर्य परिशुद्धि नामक व्याख्या का प्रणयन किया। यह न्यायनिबन्ध नाम से विद्वत्समाज में प्रचलित है। न्यायदर्शन में अत्यधिक कठिन उसके पञ्चम अध्याय की व्याख्या रूप में उदयनाचार्य ने न्यायपरिशिष्ट नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया जो प्रयोज्यसिद्धि तथा केवल परिशिष्ट शब्द से भी प्रचलित है तात्त्विकरक्षा के लेखक आचार्य धरद्वाराज ने लिखा है—'प्रबोध-सिद्धिनाम्नि परिशिष्टे'।

वात्स्यायन तथा भारद्वाज : संक्षिप्त परिचय

वात्स्यायन नामक प्राचीन ऋषि ही न्यायभाष्य के लेखक हैं। किन्तु भारद्वाज मुनि ही न्यायवातिककार हैं—इसमें प्रमाण नहीं मिलता। न्यायवातिक के अन्त में उद्योतकर ने वात्स्यायन को 'अक्षपादप्रतिभ' कहा है और न्यायभाष्य को महाभाष्य कह कर उनके प्रति असाधारण सम्मान दिखाया है। किन्तु उन्हें ऋषि या मुनि कहीं भी नहीं कहा। इन्होंने विभिन्न स्थलों में निःसन्दोषपूर्वक वात्स्यायन के मतों का प्रतिपाद किया है। वाचस्पति मिथ्य ने भी वात्स्यायन के मतों को आर्ष मत नहीं कहा है। तात्पर्यटीका के आरम्भ में ही इन्होंने लिखा है—'भगवता पक्षितस्वामिना'। इसके विरिद्ध होता है कि उस समय यह प्रसिद्ध था कि पक्षितस्वामी ने ही न्यायभाष्य का प्रणयन किया है। कितने ग्रन्थकारों ने तो केवल पक्षित नाम से ही इनका उल्लेख किया है। कहने का सारांश यह है कि वात्स्यायन ऋषिरत्न है, किन्तु उद्योतकर आदि प्राचीन आचार्यों ने इन्हें ऋषि नहीं माना है।

जैन पण्डित हेमचन्द्र सूत्रि ने अपने अमिघान चिन्तामणि में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य या चाणक्य का दूसरा नाम पक्षितस्वामी भी कहा है। अनेक कारणों से प्राचीन पण्डितों का कहना है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने ही न्यायभाष्य की रचना की थी। 'वात्स्य' गोत्र होने से ही उनका नाम वात्स्यायन हुआ। वात्स्यायन के कामसूत्र की व्याख्या में यशोधर

ने लिखा है—'वात्स्यायन इति गोत्रनिमित्ता संज्ञा मल्लनाग इति संस्कारिकी' । किन्तु अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का मुख्य नाम विष्णुगुप्त था । ये स्वयं भी अपना नाम विष्णुगुप्त ही कहते हैं । कामसूत्रकार वात्स्यायन भी नैयायिक व्यवस्य थे, अतएव इन्होंने न्यायसिद्धान्त (अ० २, सू० ११) के अनुसार काम का लक्षण कहा है । किन्तु यहाँ यह निर्देश करना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र, न्यायभाष्य तथा कामसूत्र की भाषा में परस्पर सर्वथा भेद है तथा कामसूत्र का मङ्गलाचरण भी कुछ और ही कहता है ।

कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन ने 'आन्वीक्षिकी विद्या का विशेष उल्लेख नहीं किया है । अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सांख्यशास्त्र को भी आन्वीक्षिकी विद्या कहा है । किन्तु न्यायभाष्य के प्रणेता वात्स्यायन ने न्याय के प्रथम सूत्र भाष्य में आन्वीक्षिकी शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए प्रमाण प्रमय आदि सोलह पदार्थों के प्रतिपादक गौतम के न्यायशास्त्र को ही आन्वीक्षिकी कहा है । अर्थशास्त्र के रचयिता तथा न्यायभाष्य के प्रणेता में इस तरह के मतभेद होने पर भी सृ० पूर्वं चतुर्थ शतक के कौटिल्य या चाणक्य को ही न्यायभाष्यकार वात्स्यायन मनना युक्तिवञ्जित प्रतीत नहीं होता । ऐतिहासिकों के मत से न्यायभाष्यकार वात्स्यायन सृ० तृतीय शतक से पूर्ववर्ती नहीं हैं । किन्तु मेरी यह धारणा है कि बौद्ध के प्रथम अभ्युदय के समय में वात्स्यायन ने न्यायभाष्य की रचना की होगी । ये सून्यवादी बौद्ध दार्शनिक आचार्य नागार्जुन के पूर्ववर्ती हैं । प्राचीन समय में अपनी वंशपरम्परा के गौरव के लिये बहुत विद्वान स्वगोत्र निमित्तक नाम का उल्लेख करने थे । न्यायभाष्यकार पक्षिलस्वामी की तरह न्यायवातिककार उद्योतकर ने अपने गोत्रनिमित्तक अभिधान को लेकर न्यायवार्तिक के अन्त में लिखा है—'भारद्वाजेन वातिकम्' । इन्होंने भारद्वाज मुनि के वंश में जन्म लिया था अतएव उसी नाम से अपनी प्रसिद्धि के लिये उक्त पक्ति लिखी है । किन्तु विभिन्न दर्शनों के व्याख्याकार घाञ्चस्पतिमिश्र ने अपनी लाटपर्यटीका में तथा अन्य ग्रंथों में इनका उद्योतकर नाम ही लिखा है । इसीसे विदित होता है कि इनका प्रवृत्त नाम उद्योतकर ही रहा होगा । न्यायवातिक के अन्त में लिखा भी है—'भारद्वाज उद्योतकर' ।

न्यायवार्तिक के आरम्भ में उद्योतकर ने लिखा है—'कृताधिकारान-निवृत्तिहेतुः करिष्यते तत्र मया निबन्धः' । इससे प्रतीत होता है कि कृताधिकारों का अज्ञाननिवारण ही न्यायवातिक के प्रणयन में उनका प्रयोजन रहा है ।

वाचस्पतिमिश्र ने इस कुतार्थिक शब्द से बौद्धदार्शनिक दिङ्नाग आदि आचार्यों को लिया है। यह प्रमाणित करता है कि दिङ्नाग के समय में ही न्यायवार्तिक लिखा गया होगा। अन्यथा इसके द्वारा वे दिङ्नाग आदि आचार्यों का अज्ञान निवारण कैसे कर सकते थे। वाचस्पतिमिश्र ने तात्पर्य-टीका में लिखा है—'उद्योतकरगवीनामतिवर्तनीना समुद्धरणान्'। इससे वातिक की प्राचीनता प्रमाणित होती है और परवर्ती काल में इसके सशोधन-संपादन के लिये इन्होंने पुष्पलाभ की इच्छा की है, जो प्रमाणित करता है कि बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति से भी उद्योतकर प्राचीन रहे होंगे।

हर्षवर्द्धन के सभापण्डित घाणभट्ट ने हर्षचरित के आरम्भ में लिखा है—'कवीनामगलर्षो नून वासवदत्ता'। घाणभट्ट ने भी जिस वासवदत्ता के गद्यकाव्य की इस तरह प्रशंसा की है उस काव्य के रचयिता सुयन्धु ने अपनी वासवदत्ता के किसी रूप में कहा है—'न्यायस्यतिमिषोद्योतकर स्वस्वाम्'। इससे विदित होता है कि सुयन्धु स बहुत पहले ही न्याय-सिद्धान्त के प्रतिष्ठपक उद्योतकर की आचार्य रूप में प्रसिद्धि हो चुकी थी।

कहने का अभिप्राय यह है कि उद्योतकर सू० सप्तम शतक में विद्यमान थे—यह मत कदापि माय नहीं हो सकता। बौद्धाचार्य सुयन्धु का समय यदि सू० चतुर्थ शतक ही माना जाए तो भी उद्योतकर का समय सू० पञ्चम शतक होगा।

वाचस्पति मिश्र तथा उद्ययनाचार्य

न्यायसूची नियन्ध के अन्त में वाचस्पतिमिश्र ने एक पद्य लिखा है—'श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वह्ववमुवत्सरे' (वसु = ८, अक ९, वसु - ८ =

१ उद्योतकर ने अपने न्यायवार्तिक में धर्मकीर्ति की किसी रूपा की शर्चा नहीं की है। इन्होंने प्रत्यक्षमून के वातिक में दिङ्नाग के प्रत्यक्ष लक्षण—'प्रत्यक्ष कल्पना पोद्धम्' का सपुक्तिक प्रतिवाद किया है, किन्तु धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष लक्षण—'प्रत्यक्ष कल्पना पोद्धमभ्रान्तम्' का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु बौद्ध के विज्ञानवाद के सञ्जन में धर्मकीर्ति की 'सहोपलम्भनिपमात्' इत्यादि कारिका की शर्चा या किसी रूप में आलोचना ही नहीं की है। किन्तु धर्मकीर्ति ने अपने शाब्दिक अर्थ में उद्योतकर के मत का प्रतिवाद करने के लिये कहा है—'अत्र च भाष्यकारमतं दूयन्धिषा वातिककारोप तिपठयन्माह तत्रैव क्तम्'। इस सन्दर्भ में वातिककार शब्द से उद्योतकर ही विवक्षित हैं।

८९८ वर्ष) । पहले बहुत विद्वानों की धारणा थी कि यह अंक शकाब्द का सूचक है अतएव इस पुस्तक का रचना-काल ख० ९७६ है । किन्तु उपर्युक्त पद्य में शकाब्द का स्पष्ट उपादान नहीं है । अतएव वत्सर शब्द से संवत् ही लिया जाना चाहिये । यहाँ यदि वत्सर शब्द से शकाब्द लिया जाए तो वाचस्पतिमिश्र उदयनाचार्य के समसामयिक हो जायेंगे । क्योंकि उदयनाचार्य के लक्षणावली ग्रन्थ में लिखा है—'तर्काम्बराड्ढप्रमितेत्वतीतेषु शकान्त' । तर्क = ६, अम्बर = ०, अंक ९ = ९०६ शकाब्द अर्थात् ख० ९८४ के बीतने पर उदयनाचार्य ने लक्षणावली की रचना की । यस्तुतः वाचस्पति की तात्पर्यटीका के व्याख्याकार आचार्य उदयन का समय ख० दशम शतक है—यह निर्विवाद है । उदयनाचार्य की कुसुमाञ्जलि के प्राचीन व्याख्याकार भरतुराज ने अपनी व्याख्या में श्रीहर्ष के प्रतिवाद की किसी तरह भी आलोचना नहीं की है । यही प्रमाणित करता है कि श्रीहर्ष से पहले ही ख० एकादश शतक में इन्होंने उक्त ग्रन्थ (कुसुमाञ्जलि) की व्याख्या की है । और भी कितने ही कारण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि आचार्य उदयन का समय ख० दशम शतक है ।

वाचस्पतिमिश्र उदयनाचार्य से पूर्ववर्ती हैं—इसकी पुष्टि उदयनाचार्य की उक्ति से भी होती है । वाचस्पतिमिश्र की तात्पर्यटीका की तात्पर्यपरिशुद्धि के आरम्भ में उदयनाचार्य ने—'मातः सरस्वति' इत्यादि पद्य के द्वारा सरस्वती की प्रार्थना की है कि—'वाक्चेतसो मर्मपुनर्भव-सावधाना वाचस्पतेर्वचसि न स्वलतो ययैते' ।

अर्थात् वाचस्पति के वाक्यों की तात्पर्यव्याख्या के अवसर पर मेरे वाक्य और चित्त पर सावधान हो कर इस तरह से अनुशासन करो कि मेरे वाक्य तथा चित्त वाचस्पति के वाक्यों में स्वलित न हो जाएं । आचार्य उदयन की यह प्रार्थना प्रमाणित करती है कि उन्हें वाचस्पति से साक्षात् शास्त्र का उपदेश नहीं प्राप्त हुआ था । अत एव इन्होंने उपर्युक्त श्लोक में वाचस्पति पद में श्लेष करके उनको बृहस्पति भी कहा है, किन्तु उन्हें अपना गुरु नहीं माना है । उदयनाचार्य की अन्य रचियाँ भी प्रमाणित करती हैं कि आचार्य त्रिलोचन तथा उनके शिष्य वाचस्पति के दिवङ्गत होने के बाद ही इन्होंने मिथिला में न्याय आदि दर्शनों की स्थापना की । अत एव सिद्ध होता है कि वाचस्पति की न्यायसूची निवन्ध पुस्तक का रचना काल ८९८ शकाब्द (९७६ ख०) नहीं है किन्तु ८९८ वि० स० (८४१ ख०) है ।

वाचस्पति मिश्र तथा जयन्त भट्ट

जयन्तभट्ट का पुत्र अभिनन्द श्वाभूपरी कथासार की रचना करता हुआ पहले अपने वंश का परिचय प्रस्तुत करता है । जैसे—'शक्तिर्नाभावद् गौडो भारद्वाजकुले द्विज' । यहाँ गौड शब्द में प्रमाणित होना है कि जयन्त-भट्ट के पूर्वपुरुष गौडदेशीय ब्राह्मण थे । यही अभिनन्द गौड अभिनन्द शब्द से कहा गया है । यह तो विचार का विषय है कि उक्त वंश में गौड शब्द के प्रयोग का कुछ विशेष प्रयोजन रहा हो । मुझे तो जो उचित जँचा कह दिया है ।

जयन्तभट्ट के प्रपितामह शक्तिस्वामी ख० अष्टम शतक में मुक्तापीड ललितादित्य के मन्त्री पद पर रहे हैं । इनका पुत्र कल्याण स्वामी महायाज्ञिक पण्डित हुए । न्यायमञ्जरी में वेदप्रामाण्य का समर्थन करते हुए जयन्त-भट्ट ने लिखा है कि मेरे पितामह ने वेदोक्त सप्रहणी' नामक यज्ञ करके 'गौड-मूलक' नाम का एक गाँव उपार्जित किया था । उक्त यज्ञ का फल गाँव का लाभ करना ही कहा गया है ।

कल्याण स्वामी के पीछे तदनुसार पण्डित खण्ड के पुत्र जयन्त ने न्यायमञ्जरी (पृ० २७१) में काश्मीर के राजा शङ्कर वर्मा का नाम तथा उनके खास खास वार्यों का निर्देश किया है । प्रसङ्गवश इन्होंने यह भी लिखा है कि—'राज्ञा तु गह्वरेऽस्मिन् अशब्दके बन्धने विनिहितोऽहम् । पन्व-रचनाविनोदादिह हि मया वासरा गमिता' (न्या० म० पृ० ३९४) ।

इस संदर्भ से प्रतीत होता है कि जयन्तभट्ट किसी कारण से राजा के द्वारा किसी निश्चय गृह में बंद थे और उसी समय में न्यायमञ्जरी का प्रणयन इन्होंने किया । ऐतिहासिक विद्वानों के मत में कादमीर के राजा शङ्कर वर्मा का राज्यकाल ख० ६८३ में ९०२ ई० पर्यन्त था । कहने का तात्पर्य यह है कि कादमीरवासी जयन्तभट्ट शङ्कर वर्मा के राज्यलाभ से पहले कारागार में बंद नहीं हुए थे । इन्होंने वाचस्पति मिश्र की तात्पर्य-टीका के प्रणयन के बाद ही न्यायमञ्जरी की रचना की है ।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि जयन्तभट्ट ने न्यायमञ्जरी में वाचस्पति मिश्र के पन्नों से किसी संदर्भ का उल्लेख नहीं किया है^१ ।

१ प्रथम प्रकाशित न्यायमञ्जरी की भूमिका में उद्धृत—'जातञ्च' इत्यादि तात्पर्यटीका की बात पहले न्यायकारिक म [२।१।३३ (पृ० २३६)] उद्योत कर में ही कहा है । पश्चात् प्रकाशित न्यायमञ्जरी म (पृ० ६२) जयन्तभट्ट रचित आचार्य का मत वाचस्पति का सिद्धान्त है । इसीसे

इन्होंने गौतम के प्रत्यक्ष सूत्र की व्याख्या में विभिन्न मान्यताओं का विवरण तथा उल्लेख किया है, किन्तु धाचस्पति मिश्र ने तारपर्यटीका में अपने गुरु त्रिलोचन के मत के अनुसार प्रत्यक्ष की जो व्याख्या उपस्थित की है न्यायमञ्जरी में उसकी चर्चा नहीं है। ये यदि उस व्याख्या से परिवर्तित होते तो प्राचीन व्याख्याओं का समर्थन करते हुए त्रिलोचन की उस व्याख्या का निर्देश अवश्य ही करते। पश्चात् जैन नैयायिक हेमचन्द्र इस नूतन व्याख्या की आलोचना करते हुए प्रमाण मीमांसा में (पृ० ३६) कहते हैं—अथ च पूर्वाचार्यैस्तद्व्याख्यायैर्मुख्येन सहायवद्भिः त्रिलोचनगुरुवाचस्पतिप्रमुखै रयमर्थं समर्थितो यथा' इत्यादि। हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ में जयन्तभट्ट की चर्चा की है। त्रिलोचन तथा जयन्तभट्ट एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं या भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं—यह सन्देह भी सर्वथा मूलरहित है। बौद्धाचार्य रत्नकीर्ति अपोहसिद्धि ग्रन्थ में त्रिलोचन के सिद्धान्त का खण्डन करते हैं। वही प्रमाणित करता है कि त्रिलोचन ने विभिन्न ग्रन्थों का प्रणयन किया था। वे वाचस्पति मिश्र के गुरु होने योग्य थे।

किसी ने एक दूसरी बात ही यहाँ कही है। जयन्तभट्ट मीमांसा शास्त्र में वाचस्पति के गुरु थे। क्योंकि मण्डनमिथ वृत्त विधिविवेक की व्याख्या के आरम्भ में मञ्जलाखरण में वाचस्पतिमिश्र ने अपने गुरु की नमस्कार करते हुए कहा है—न्यायमञ्जरी' प्रसविने ... विद्याधरवे

समझाने के लिये सम्पादक ने टिप्पणी में तारपर्यटीका के सबब सन्दर्भ का निर्देश किया है। किन्तु वह सर्वथा मिथ्या है। क्योंकि धाचस्पति ने जयन्तभट्ट की तरह सामग्री को बाल्य नहीं माना है। उक्त स्थल में जयन्तभट्ट उसी को स्पष्ट करने के लिये आचार्य के मत को उठाकर कहते हैं—'इन्द्रियसन्निकर्षादिसामग्री स्वभावस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्य'—। मुझे तो ऐसा लगता है कि जयन्तभट्ट ने धाचस्पति की सांख्यतत्त्वज्ञानसूत्री तथा सांख्यकारिका की माठर श्रुति भी नहीं देखी थी। अतएव पश्चात् (पृ० १०९ में) 'इन्द्रियसन्निकर्षात्' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा ईश्वरकृष्ण के ग्रन्थसंग्रह संग्रह में इन्होंने अनुमान आदि का अतिव्याप्ति दोष दिखाया है। किन्तु धाचस्पति की व्याख्या अपना माठर की श्रुति यदि वे देखे रहते तो यह दोष कदापि नहीं दिखता सगते थे। यहाँ इन्होंने त्रिष राजा की व्याख्या का निर्देश किया है उसका समय वृ० भट्टम पत्रक है। उसका नाम रणारक्षमन्त्र भोजराज है। (मेरे संपादित न्याय-दर्शन का द्वितीय संस्करण पृ० १०७ तथा ११९ देखिए)।

नमो गुरवे' । न्यायमञ्जरी रचयिता ही जयन्तभट्ट हैं । प्रश्न होता है कि इसमें क्या प्रमाण है कि घाचस्पतिमिश्र के पद्य में उपात्त 'न्यायमञ्जरी' शब्द से भट्ट जयन्त की न्यायमञ्जरी ही अभिप्रेत है । मीमांसाशास्त्र में कहा गया 'न्याय' भी न्यायशब्द का एक प्रसिद्ध अर्थ है । उसी न्याय की व्याख्या के लिये बाद में जैसे न्यायमाला आदि ग्रन्थों की रचना हुई, उसी तरह घाचस्पतिमिश्र के स्वदेशीय मीमांसागुरु ने मीमांसाशास्त्र में न्यायमञ्जरी की रचना नहीं की थी—इसमें भी कुछ प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है । अतएव जो हेतु किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है उससे किसी सिद्धान्त की सिद्धि नहीं हो सकती है । घाचस्पतिमिश्र के उस श्लोक में कहा गया न्यायमञ्जरी शब्द से कौन सा ग्रन्थ विशेष उनका विवक्षित है ये अपने गुरु को उस श्लोक में विद्यार्थ कथो कहते हैं और उस तरह से उद्भूत मञ्जरी किस तरह की होगी ? यह भी तो विचारणीय है । यहाँ यह कहना आवश्यक है कि घाचस्पति मिश्र ने मगध देश में मीमांसाशास्त्र पढ़ने के लिये गुरु को नहीं पाकर काश्मीर जाकर उसका अध्ययन किया । किन्तु वेदान्तशास्त्र उन्होंने किये पढ़ा ? वे जिन गुरु से वेदान्तशास्त्र (उत्तर मीमांसा) पढ़े, उन्होंने उनको पूर्व मीमांसा नहीं पढ़ाई—इसी में क्या प्रमाण है ? किन्तु घाचस्पतिमिश्र की तात्पर्यटीका की रचना के समय में जयन्तभट्ट की न्यायमञ्जरी नहीं भी मिली हो । इससे पहले वे यदि जयन्तभट्ट से पढ़े होते तो उनके मुख से अवश्य ही कितने विविष्ट मतों को सुने होते और तात्पर्यटीका में अवश्य ही उन ध्रुव मतों का उल्लेख करते । इन्होंने तात्पर्यटीका में तथा अन्य ग्रन्थों में जयन्तभट्ट के विविष्ट मतों की आलोचना नहीं की है । इन्होंने तात्पर्यटीका में गौतम के प्रत्यक्ष सूत्र की व्याख्या में अपने गुरु त्रिलोचन के मतों की व्याख्या की है—'अस्माभिस्तु त्रिलोचनगुरुभ्योत्तमार्गानुगमनोन्मुखै' इत्यादि । यथार्थ में जयन्तभट्ट के अष्पापन काल से पहले घाचस्पति मिश्र ने ग्रन्थों की रचना की है । इन्होंने तात्पर्यटीका की रचना के समय में ही संपूर्ण न्यायसूत्रों की एक पुस्तक न्यायसूचीनिघन्ध का (८४१ ई० में) प्रणयन किया और जयन्तभट्ट ने ८८३ ख० के बाद काश्मीर में बन्दी होकर न्यायमञ्जरी का प्रणयन किया ।

इस प्रसङ्ग में कुछ और भी संशेप में ही कहना है । बहुत विद्वान् कुछ दिनों से जयन्तभट्ट की उदारता का वर्णन करते हैं । किन्तु उनकी उदारता किस रूप की थी ? क्या वे जातिभेद या वाग्दालादि स्वर्ण को टोप नहीं मानते थे ? नवीन प्रकाशित न्यायमञ्जरी की भूमिका में स्पष्टः लिखा है कि

शास्त्रस्वप्ति मिश्र अपने कुछ जयन्तभट्ट के उदार मतों को नहीं मानते थे। ये बौद्ध तथा जैन आदि की निन्दा स्पष्ट करते हैं। जयन्तभट्ट बौद्ध आदि शास्त्रों के प्रामाण्य के विषय में बाद में मतान्तर का उल्लेख करने पर भी वे अपना मत स्पष्ट कहते हैं—'ये तु सौगतसंसारमोचकागमा पापकाषारो-पदेशिनः कस्तेषु प्रामाण्यमार्षोजुमोदते बुद्धशास्त्रे हि विस्वष्टा ईरमते वेदशास्त्रा' इत्यादि। बाद में यद्यपि जयन्तभट्ट ने भी बौद्ध आदि की दुरात्मा कहा है—'तथा चैते बौद्धादयोऽपि दुरात्मानो वेदप्रामाण्यनियमिता एव चाण्डालादि-स्पर्श परिहरन्ति' इत्यादि (न्यायमञ्जरी प्रथम संस्करण पृ० २६५-६६)। और भी कितने स्थलों में जयन्तभट्ट के विचारों से कैसे उदारता झलकती है—यह समझ में नहीं आता है।

नव्यनैयायिक तथा न्यायसूत्र के नवीन व्याख्याकारण

मिथिला के मंडरौनी (मङ्गलवनी) ग्रामवासी विद्वच्छूडामणि प० गङ्गेश उपाध्याय ने 'तत्त्वचिन्तामणि' का प्रणयन किया। इसीसे नव्य नैयायिकों का संप्रदाय प्रबलित हुआ। परन्तु इनके पुत्र वर्द्धमान उपाध्याय, पौत्र पद्मपति उपाध्याय एवं प्रपौत्र नरहरि उपाध्याय ने उक्त तत्त्वचिन्तामणि की भिन्न भिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत की और अभ्यापन के द्वारा नव्य नैयायिक संप्रदाय की गतिमान बनाया। इसी संप्रदाय में परम्परा क्रम से छ० पञ्चदश शतक में एक असाधारण विद्वान् का अभ्युदय हुआ। गङ्गेश उपाध्याय के 'उपमानचिन्तामणि'—ग्रन्थ में 'जरनैयायिका जयन्तभट्टप्रभृतयः' इस तरह के पाठ से ज्ञात होता है कि इन्होंने जयन्तभट्ट को जरनैयायिक कहा है। वस्तुतः गङ्गेश के पूर्ववर्ती उदयनाचार्य एवं इनके पूर्ववर्ती जयन्तभट्ट के प्राचीन आचार्य कहा जाना उपयुक्त भी है। जयन्तभट्ट ने कितने प्राचीन मतों के उद्धरण एवं उन मतों के अनुसार न्यायसूत्र की व्याख्या लिखी है। इसी हेतु गङ्गेश ने उनको प्राचीन नैयायिक कहा है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि जयन्तभट्ट भाष्यकार वास्तव्यायन के मत के समर्थक हैं। जयन्तभट्ट ने अनेक सूत्रों की व्याख्या में भाष्यकार के मतों एवं उनकी व्याख्याओं को न मानकर अपना कुछ भिन्न मन्तव्य उपस्थित किया

१ परापरमिश्र ने यज्ञानि के घर में पुस्तकें नहीं देखीं। यही समझकर मैंने पहले (पृ० १८ में) लिखा है कि पद्मधर मिश्र छ० पञ्चदश शतक के पूर्ववर्ती यज्ञानि के समसामयिक नहीं हैं। यज्ञानि का समय पृ० अनुद्विंशत्य है अतएव इनके पितामह ने पृ० त्रयोदशशतक में 'तत्त्वचिन्तामणि' की रचना की होगी। मेरी एंग्री ही धारणा रही है। इस विषय में और भी बहुत सी विचारणीय बातें हैं।

है। जो भी हो, अभिप्राय यह है कि गङ्गेश उपाध्याय की तत्त्वचिन्तामणि के अध्येता-अध्यापक ही नव्यनैयायिक कहे जाते हैं। केवलाच्य दीधिति की व्याख्या में—'अथवदन्ति' कल्प के आरम्भ में जगदीश तर्कालङ्कार ने भी लिखा है—'द्युष्टेय नव्यनैयायिकानाम्'।

संस्कृतसाहित्य का इतिहास नामक बंगला पुस्तक (पृ० २९५) में लिखा है कि "गङ्गेश के परवर्ती विद्वान् केवल व्याप्तिवाद तथा अनुमानसूत्र को लेकर ही सर्वदा शास्त्र-वर्षा करते थे। किन्तु ईश्वर तथा आत्मा इन दोनों ही पदार्थों का पर्यवसान केवल नाम में रह गया था। कुसुमाञ्जलि का सेखर न्यायशास्त्र केवल शुष्क तर्कशास्त्र में परिणत हो गया"। ये सभी बातें किसी पाश्चात्य विद्वान् की उक्ति का अनुवाद हैं या यों ही कहा गया है—इसका ज्ञान मुझ नहीं है। किन्तु आधुनिक नव्यनैयायिकों ने अन्वयशास्त्र तथा अन्वय विभिन्न शास्त्रों की व्याख्या किस तरह से की है—इसके ज्ञान के लिये उन लोगों की पुस्तकें पढ़नी होंगी। विभिन्न प्रांतों के संस्कृत पुस्तकों के सूचीपत्र देखने से नव्यनैयायिकों के ग्रन्थों का परिचय हो सकता है। गौड़ संप्रदाय के आचार्य नव्यनैयायिक वासुदेव सार्वभौम ने वेदान्तप्रथम 'अद्वैत मकरन्द' की व्याख्या लिखी और इनके पिता नरहरि विशारद को 'वेदान्त विद्यामय' की उपाधि मिली है।

इन वासुदेव सार्वभौम के पीत्र स्वप्नेश्वर ने शाण्डिल्यसूत्र के भाष्य का प्रणयन किया। इन्होंने साध्यतत्त्वकौमुदी की 'प्रभा' व्याख्या, न्यायशास्त्र में न्यायतत्त्वनिकष' एवं वेदान्तशास्त्र में 'वेदान्ततत्त्वनिकष' नामक ग्रन्थों की रचना की। शाण्डिल्यसूत्रभाष्य में एक स्थल में इन्होंने लिखा है—'प्रमाण विचारोऽभाभिर्न्यायतत्त्वनिकषे वेदान्ततत्त्वनिकषे च निरूपित इति नेह प्रतन्यते' (महेश पाल स०, पृ० १०७ द्रष्टव्य)। सारांश यह कि नदिया में नव्य न्याय की स्थापना के बाद बङ्गाली नैयायिक साध्य तथा वेदान्त आदि शास्त्रों को जानना भूल गये, वे लोग केवल नव्य न्याय के अनुमान सूत्र को लेकर ही जीवन गुंवा देते थे—यह धारणा सचपा असत्य है।

१. नवद्वीपमहिमा' नामक पुस्तक (द्वि० स०, पृ० १५७) में लिखा है कि दुर्गादास विद्यावागीश के पिता गङ्गेशचर्य (अर्थात् गङ्गोपाध्याय) द्वितीय वासुदेव सार्वभौम ने अद्वैत मकरन्द की व्याख्या लिखी है। किन्तु उक्त लेखक इस व्याख्या के अन्त में वासुदेव सार्वभौम के—'धीवन्त्या न्वय'—इत्यादि श्लोक को यदि जानते रहते तो इस तरह की भूल कभी नहीं कर सकते थे। पहले ही (पृ० ८ म) इन दोनों पदों का उद्धरण

नदिया में ही स्मृतिकार रघुनन्दन साहय तथा वेदान्त आदि शास्त्रों में निष्णात थे। इसके प्रमाण में उनके 'मलमासतत्त्वविवेक' आदि विभिन्न ग्रन्थों को देखा जा सकता है। नव्यनैयायिकों में सबसे पहले गङ्गेश उपाध्याय को पुत्र वर्द्धमान उपाध्याय ने उदयनाचार्य के कुसुमान्जलि आदि विभिन्न ग्रन्थों की प्रकाश नामक व्याख्या लिखी और उसमें भी विशेष करके प्राचीन न्याय तथा वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तों की व्याख्या इन्होंने की है। उदयनाचार्य की तात्पर्यपरिशुद्धि की प्रकाश व्याख्या 'न्यायनिबन्धप्रकाश' नाम से भी प्रसिद्ध है। पद्मनाथ मिश्र ने इसकी वर्द्धमानेन्दु नामक व्याख्या लिखी है। राजूर मिश्र ने न्यायतात्पर्यमण्डन नाम से उक्त व्याख्या की ही व्याख्या लिखी है। उदयनाचार्य की प्रबोधासिद्धि या न्यायपरिशुद्धि की वर्द्धमानकृत प्रकाश व्याख्या ही परिशिष्ट-प्रकाश नाम से प्रसिद्ध है। इस व्याख्या में वर्द्धमान उपाध्याय ने न्यायदर्शन के पञ्चम अध्याय की व्याख्या में बहुत से विचारों का संकलन किया है। प्राचीन समय में नैयायिक समाज में इस व्याख्या की बहुत मान्यता थी। पदभर मिश्र ने इनका गुह्यत्व आदर किया है और अपनी आलोक व्याख्या में लिखा है—'यत्तु परिशिष्ट-प्रकाशे महामहोपाध्यायशरणा।' (सोसाइटी ४०, पृ० ६७४)। पदधातु मिराला के पोकुलनाथ उपाध्याय भी अपने अमृतोदय पाठक के तृतीय अंक में लिखते हैं—'एष परिशिष्टप्रकाशकृद् बुधो वर्द्धमानः'। इस परिशिष्टप्रकाश के साथ ही न्यायपरिशुद्धि ग्रन्थ कलकत्ता संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है।

वर्द्धमान उपाध्याय ने स्वतन्त्र रूप से भी न्यायसूत्र की व्याख्या रूप में 'अ-बोधानयतत्त्वबोध' नामक ग्रन्थ की रचना की। इसके बाद सृ० पञ्च-दश अंक में मिराला के वाचस्पति मिश्र (द्वितीय) ने पूर्ण विचार के साथ न्यायतत्त्वबोध नामक ग्रन्थ में न्यायसूत्र की नई व्याख्या प्रस्तुत की। इन्हीं का ग्रन्थ न्यायसूत्रोद्धार है। इसमें सपूर्ण न्यायसूत्रों की संख्या ५३१ है। प्राचीन

दिया जा चुका है। ये वासुदेव सार्वभौम प्रसिद्धतम व्यक्ति आसङ्गवन्तो-पाध्याय की छोटी पीढ़ी में समूह नरहरि विशारद के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनके ज्येष्ठ पुत्र जनेश्वर अथवा जलेश्वर थे जो बाहिनीपति कहलाते थे और इनके कनिष्ठ पुत्र का नाम चन्दनेश्वर था। जनेश्वर या जलेश्वर के पुत्र स्वप्नेश्वर ने चाण्डिक्य सूत्र के स्वकृत भाष्य के अन्त में अपना परिचय देते हुए लिखा है—'गौडमावलये विशारद इति ख्याताद्भूद् भूषणे' इत्यादि। इसके विशेष विवरण के लिये I. H. Q. Vol XVI पृ० ५८ ३९ में दिनेश चन्द्र भट्टाचार्य का लेख देखिए।

वाचस्पतिमिश्रकृत न्यायसूचीनिबन्ध में न्यायसूत्र की संख्या ५२८ है। काशी में महादेव वेदान्तीकृत न्यायसूत्र की वृत्ति उपलब्ध है। हमने सुना है कि महादेव भट्टाचार्य नामक बङ्गाली विद्वान् ही महादेव वेदान्ती हैं। ख० षोडश शतक में रामभद्र सार्वभौम ने न्यायपरदृश्य नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ये जानकीनाथ घूडामणि के पुत्र और जगदीश तर्कालंकार के गुरु थे।

रामभद्र सार्वभौम के परवर्ती विद्वान् विश्वनाथ न्यायपरदृश्यानन ने न्यायसूत्रवृत्ति की रचना की। विभिन्न ग्रन्थों के लेखक विद्यानिवास भट्टाचार्य इनके पिता थे और रुद्रनाथ न्यायवाचस्पति इनके बड़े भाई थे। विश्वनाथ ने न्यायसूत्रवृत्ति के अन्त में लिखा है—'रसवात्रितिथौ शकेन्दुकाले'। इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने १५५६ शकाब्द (१६३४ ख०) में वृन्दावन में न्यायसूत्रवृत्ति की रचना की। किसी-किसी पुस्तक में उक्त श्लोक का पाठ यह है—'रसवात्रितिथौ' (तिथि १५—वात्रि ७, रस ६)। इस पाठ के अनुसार प्रतीत होता है कि विश्वनाथ ने १५७६ शकाब्द अर्थात् १६५४ ख० में न्यायसूत्रवृत्ति की रचना की। किन्तु मेरी धारणा है कि विश्वनाथ इस समय तक जीवित नहीं रहे होंगे अथवा बहुत बुढ़ हो गये होंगे। क्योंकि सनातन गोस्वामी के अध्यापक विद्यावाचस्पति श्वेतन्य देव के आविर्भाव (ख० १४८६) से पहले ही नदिया में अध्यापन करते थे। इनके पौत्र विश्वनाथ का जन्म ख० १५६० में होने से १६५४ ई० में इनकी उम्र ९४ वर्ष की होती है। अतएव उक्त श्लोक में—'रसवात्रितिथौ' इस पाठ को ही उचित मानना होगा।

१. रामभद्र सार्वभौमकृत कुसुमाञ्जलिब्याख्या में—'भवानीभवनायाभ्यां त्रितृभ्यां प्रणमाम्यहम्' इत्यादि पद्य देखा जाता है। किन्तु रामभद्र भवनाय का पुत्र नहीं था। मैथिल विद्वान् गङ्गुर मिश्र के पिता का नाम भवनाथ एवं माता का भवानी था, यह उन्होंने स्वयं लिखा है। गङ्गुरमिश्र कृत कुसुमाञ्जलि की आमोद ब्याख्या में आरम्भ में ही उपर्युक्त श्लोक मिलता है। इस विषय में विभिन्न विद्वानों की भिन्न भिन्न कल्पनाएँ हैं। किन्तु मैंने काशी में बङ्गाली विद्वान् हरिहर दास्त्री के घर में इस रामभद्री ब्याख्या की एक प्राचीन प्रति देखी है। आरम्भ से कितने पत्रों के नष्ट हो जाने पर भी ग्रन्थ के मध्य में ही लिखा है—'एतत् पर्यन्तम् शंकरमिश्रकृतं ततः सार्वभौमीयम्'। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि किसी लेखक ने पहले शंकरमिश्रकृत ब्याख्या के उपलब्ध अंशों को लिख कर पश्चात् रामभद्री ब्याख्या को लिखा है। इन्होंने भी रामभद्री ब्याख्या का पूर्वांश नहीं देखा होगा।

किन्तु विश्वनाथ के पिता विद्यानिवास भट्टाचार्य दीर्घजीवी होकर काशी-यास करने लगे थे । विश्वनाथ भी उन दिनों उनके साथ ही रहा करते थे । महाराष्ट्र देश के ब्राह्मण समाज के संबंध में किसी व्यवस्थापन में विद्यानिवास भट्टाचार्य का उही समय का हस्ताक्षर पाया जाता है । स० योद्धा घटक के अन्त में बादशाह अकबर के समय में दिल्ली में नियन्त्रित पण्डितों की किसी सभा में उपस्थित होकर विद्यानिवास भट्टाचार्य ने सुप्रसिद्ध दक्षिणात्य मीमांसक नारायण भट्ट के साथ शास्त्र विचार करते हुए किसी धर्मशास्त्रीय विषय में बङ्ग देश में प्रचलित व्यवहार का समर्थन किया है । पश्चात् मांसभ्रातृ एव मत्स्यमांस भक्षण के विषय में दक्षिणात्य विद्वानों के साथ इनका गम्भीर-शास्त्रार्थ हुआ । इन्हीं के उपदेश से इनके पुत्र विश्वनाथ ने बङ्ग देश के आचार का शास्त्रीयत्व प्रतिपादित करने के लिए 'मांसतत्त्वविवेक' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया । काशी सरस्वतीभवन से इसका प्रकाशन हुआ है । इस ग्रन्थ के अन्त में दक्षिणात्य पण्डितों के प्रति विश्वनाथ की कटूक्ति से ज्ञात होता है कि दक्षिणात्य विद्वानों के साथ किस तरह से गम्भीर शास्त्रार्थ हुआ था ।

विश्वनाथ के पिता विद्यानिवास भट्टाचार्य ने ही पहले पहल मुम्बोध की व्याख्या करके नदिया आदि देशों में इस व्याकरण का प्रचार किया । व्याकरणशास्त्र में असाधारण विद्वता के कारण विद्यानिवास भट्टाचार्य का एक संप्रदाय ही उस देश में चल रहा है । पश्चात् मुम्बोध की व्याख्या में श्रीराम तर्कवागीश ने लिखा है—'केविद्विद्यानिवासाद्याः' । मुम्बोध की विद्या-निवासवृत्त व्याख्या हम लोगों की उपलब्ध नहीं है । किन्तु तत्त्वविन्तामणि की व्याख्या की एक पुस्तक मैंने देखी है । उसके आरम्भ में ही लिखा है—'विद्यारद वनूजस्य विद्यावाचस्पतेः' सुतः । विद्यानिवासस्तनुने विन्तामणिविवेचनम्^१ । इस

१. 'मांसतत्त्वविवेक' के अन्त में विश्वनाथ ने लिखा है—'ब्रह्मावर्तब्रह्मवि-
देश मध्यदेशार्थावत्तेषु मांसभक्षणाचार आज्ञानिकोऽविगोतः प्रतीयत एव । ये
तु कलिवर्ग्यंतया मांसभ्रातृ विवदते 'स्तेयान्यमहापातकनिष्कृति' रिति कलि-
वर्ग्यंतयोक्तमपि ब्रह्महत्यातरससर्गप्रायश्चित्त धनलोभादुपदिशन्ति पातृषविष्ठा
नयने च न विवदन्ते रागरोषद्वेषनेनसो देवानांप्रियास्ते केन विज्ञपीया
इत्यलं मांसं विद्विपदिभः सौगतमतानुसारिभिः सह्यमेण ।'

२ मैंने काशी में बङ्गाली विद्वान् हरिहरशास्त्री के घर में इस व्याख्या की पुस्तक देखी है । अन्यत्र इसका विवरण कहीं भी नहीं मिलता । इस पुस्तक के अन्त में लिखा है—'कृष्णदासघोषेण लिखितम् चक्राव्याः १५०५ ।' इन्हीं के घर में चन्द्रमणिपरीक्षा नामक पुस्तक भी मैंने देखी । (यह वामुदेव घाई-

व्याख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विद्यानिवाच भट्टाचार्य नव्य न्याय की तत्त्वचिन्तामणि के भी असाधारण मर्मज्ञ थे। ये नरहरिविद्यारद के पौत्र एवं रत्नाकर विशाखाचर्यपति के पुत्र थे। विद्यानिवाच के पुत्र विश्वनाथ ने अपनी न्यायसूत्रवृत्ति में न्यायभाष्य आदि प्राचीन ग्रन्थों की चर्चा की है। इनकी वृत्ति अपने गौरव के कारण ही संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है।

पश्चात् सृ० अष्टादश शतक के अन्त में चान्तिपुर के अद्वैत प्रभु के अतिवृद्ध प्रपौत्र राधामोहन गोस्वामी ने विश्वनाथकृत वृत्ति का अवलम्बन करके नई रीति से न्यायसूत्रविवरण नामक ग्रन्थ की रचना की। सृ० १८१८ में कृष्णरान्त विद्यावागीश ने गौतमसूत्रसदीपनी नामक एक नई व्याख्या की रचना की। स्थानाभाव के कारण गोस्वामी भट्टाचार्य आदि नव्य न्याय के विभिन्न विद्वानों का विभिन्न ग्रन्थों के लेखकों का परिचय एवं कीर्तिकथा कहना संभव नहीं हो सका।

न्यायपरिचय की रचना के कारण

दशवर्ष पहले बङ्गोप 'जानीय परिपद्' के द्वारा प्रबोधचन्द्र बसुमलिक वृत्ति प्राप्त होने से इसी परिपद् के आदेश से न्यायदर्शन के संबन्ध में मेरे कुछ व्याख्यान हुए। पश्चात् उन्हीं बङ्गुनाथों के संपर्क रूप में इस न्यायपरिचय ग्रन्थ की रचना करके उक्त परिपद् के अधिकारी वर्ग को देने पर परिपद् ने १३४० बङ्गानन्द में इसका प्रकाशन किया। किन्तु उस समय मैं काशीवास कर रहा था इसलिये प्रूफ देखने का पूरा अवसर नहीं मिला। इस समय इसके द्वितीय

भौम इत 'मणिपरीक्षा' का कुछ अंश रहा होगा)। इसके अन्त में लिखा है— 'विद्यानिवासानां पुस्तकमिदम्। भवानन्दनन्दिना काश्या लिखितम्—सकाव्दाः १५०१'। इससे ज्ञात होता है कि विद्यानिवाच इस समय (सृ० १५८१) में काशी में ही रहा करते थे। इसके प्रधान लेखक वायस्यकविचन्द्र ने रुद्रमीधर के इत्यम्बरद्वयकादानकाण्ड लिख दिया था जो याज्ञकल इन्द्रिया आपिस में सुरक्षित है। उक्त पुस्तक के अन्त में लिखित द्वितीय पद्य 'योमेन्दुचरसीतागुमिते दाके' से प्रतीत होता है कि १५१० एकाब्द (१५८८ सृ०) में यह पुस्तक लिखी गई होगी। काशी में विद्यानिवाच इसके बाद भी जीवित रहे।

१. यह जानना आवश्यक है कि सृ० अष्टादशशतक के अन्त में नाटोर के चक्तिगाली रामा रामकृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र विश्वनाथ इसी राधामोहन गोस्वामी से दोसा लेकर वैष्णव हुए थे।

संस्करण के मुद्रण के अवसर पर कलकत्ता के योगेन्द्र विद्यालय के अध्यापक मेरे छात्र पण्डित श्री पञ्चानन न्यायसांख्यवेदान्त तीर्थ ने इसके प्रूफ सशोधन कार्य में मेरा विशेष साहाय्य किया है। इस संस्करण में पूर्व मुद्रित का ही मुद्रण नहीं हुआ है प्रत्युत बहुत स्थलों में परिवर्तन परिवर्द्धन आदि करके इसको एक नया ही रूप दे दिया गया है। इससे पाठकों का यदि कुछ उपकार होगा तो मैं अपना श्रम साधक मानूँगा। इति।

बङ्गाळ १९४१ }
२ आश्विन, कलकत्ता }

फणिभूषण तर्कवागीश

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

न्यायशास्त्र के प्रयोजन की व्याख्या के प्रसङ्ग में न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में कथित निश्रेयस शब्द के अर्थ का विचार। दृष्ट तथा अदृष्ट के भेद से अभीष्टरूप निश्रेयस का द्वैविध्य। निश्रेयस मात्र को न्यायशास्त्र का प्रयोजन मानने पर भी अदृष्ट निश्रेयस मोक्ष ही उसका मुख्य प्रयोजन है।

१-४

द्वितीय अध्याय

न्यायमते में मुक्ति का स्वरूप, इस विषय में विवाद एवं मतभेदों का प्रदर्शन। आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति ही मुक्ति है—इस मत के समर्थन में न्यायभाष्यकार का विचार तथा गङ्गा उपाध्याय का मतम्ब। गौतम के मत में नित्यसुख के अनुभव के साथ आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति मोक्ष है—इस प्राचीन मतके समर्थन में शैवाचार्य भासवर्द्धन की युक्तियों तथा विविध मन्तव्य।

६-१४

तृतीय अध्याय

मुक्ति के उपाय के वर्णन में उपनिषद् में कहा गया—आत्मदर्शन किम तरह से मुक्ति का कारण होता है—इस विषय में गौतम की युक्तियों की व्याख्या द्वैतवादी गौतम के मत में सुमुमुक्षुओं को चरण समाधि के बाद जो अपने आत्मा का अगैकिक साक्षात्कार होता है—वह अविद्या की निवृत्ति कर के मुक्ति का परम कारण होता है। किन्तु परमेश्वर की परा भक्ति या शरणागति के बिना किमी की आत्मसाक्षात्कार नहीं हो सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही आत्मसाक्षात्कार होता है—इस मत में प्रमाण का प्रदर्शन।

१५-२०

चतुर्थ अध्याय

आत्मा के भ्रवण, मनन तथा निदिष्यासन का प्रयोजन। भ्रवण और मनन के स्वरूप की व्याख्या। घ्राण आदि बहिरिन्द्रियों से एवं देह और मनस् से भिन्न आत्मा है—इस तरह के मनन के साधनरूप गौतम की अनुमानात्मक युक्तियों का प्रदर्शन।

२१ ३३

पञ्चम अध्याय

जीवात्मा की नियता तथा पूर्वजन्म के साधन में गौतम की युक्तियों और इसके समर्थन में विभिन्न कथाएँ।

३४ ५४

षष्ठ अध्याय

कणाद और पौतम अद्वैतवादी थे इस का सङ्गन। शङ्कराचार्य आदि भी ऐसी बातें नहीं कहते। कणाद और गौतम के सूत्रों से विचार पूर्वक उनकी द्वैतवादिता का प्रतिपादन।

५५ ६०

सप्तम अध्याय

कणाद तथा गौतम के परमाणुद्वारणवाद की व्याख्या तथा इनकी गिद्धि में विविध युक्तियों। परमाणु के सङ्गन में बौद्धाचार्य वसुवन्धु के

श्लोक का प्रदर्शन एवं उसकी व्याख्या । परमाणु की सत्ता तथा उसकी निरवयवता के समर्थन में गौतम की युक्तियों । असत्कार्यवाद की व्याख्या तथा उसका समर्थन । परमाणुकारणवाद में ईश्वर संसार का उत्पादान कारण नहीं होता है तथा आकाश की नित्यता मानी जाती है—इस मत के समर्थन में न्यायवैशेषिक संप्रदाय का मन्तव्य । ६९-९४

अष्टम अध्याय

न्याय और वैशेषिक दर्शन में वेद विरुद्ध अंश परित्याज्य है—इस मत की समालोचना । कणाद तथा गौतम के मत उन लोगों को कल्पना मात्र नहीं हैं । द्वैतवादी कणाद एवं गौतम के मतानुसार कृतिपय श्रुतिवाक्यों के तात्पर्य की व्याख्या तथा श्रुतिसंमत द्वैतवाद सिद्धान्त का समर्थन । ९५-११२

नवम अध्याय

भगवद्गीता के द्वारा भी जीवा मा एव परमात्मा का यथार्थ भेदरूप द्वैतसिद्धान्त ही ज्ञात होता है । इस विषय में द्वैतवादियों के विचार एवं युक्तियों । ११३-१२४

दशम अध्याय

कणाद तथा गौतम के मूर्तों के आधार पर तथा चात्स्यायन आदि भाष्यकार की व्याख्या के अनुसार ईश्वरतत्त्व की व्याख्या । १२५-१०

ग्यारहवाँ अध्याय

न्यायदर्शन के अनुसार प्रमाणपदार्थ की स्वरूपव्याख्या । प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों की विशेष आलोचना । १४१-१६३

बारहवाँ अध्याय

विचार के द्वारा प्रमाण के प्रामाण्य का स्थापन । गौतम संमत परत प्रामाण्यवाद की व्याख्या तथा इस में युक्तियों का प्रदर्शन । गौतम के मतानुसार प्रमाण के चानुविध्य का समर्थन । १६४-१७९

तेरहवाँ अध्याय

वेद प्रमाण नहीं है—इस पूर्वपक्षका स्थापन तथा सङ्गठन । वेद के प्रामाण्य के साधन में गौतम की युक्तियों पर प्रकाश । वेद के पौष्ट्यत्व के प्रसङ्ग में आलोचना । १८०-१९४

चौदहवाँ अध्याय

आत्मा आदि अपवर्ग पर्यन्त न्यायदर्शन के प्रमेय पदार्थों की व्याख्या तथा इस विषय में गौतम के विशिष्टमतों पर प्रकाश । १९५-२१४

पन्द्रहवाँ अध्याय

न्यायदर्शन के मंतव्य आदि निप्रदृष्टान पर्यन्त चौदह पदार्थों की व्याख्या तथा अन्वय कथारें । २१६-२९६

न्याय-परिचय

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पहला अध्याय

न्यायशास्त्र का प्रयोजन

प्रत्येक शास्त्र का प्रयोजन होना है। प्रयोजन के ज्ञान के बिना किसी भी शास्त्र में किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होता है। धीमासाचार्य कुमारिल मठ ने भी कहा है—

“मर्त्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वाऽपि कल्पयित् ।
यत्नं प्रयोजनं नोक्तं तावत् सन् केन गृह्यते ? ॥
ज्ञातं ज्ञातनस्य भोक्तुं भोक्ता प्रवर्तते ।
शास्त्रादौ तेन वक्तव्यं सम्बन्धं सप्रयोजनः ॥”

(१२।१७। श्लोक, श्लोक वार्तिक)

अभिप्राय यह है कि प्रत्येक शास्त्र का तथा प्रत्येक कार्य का सब तक प्रयोजन नहीं कहा जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं करता है। जिन शास्त्र के सम्बन्ध तथा प्रयोजन का ज्ञान रहता है उस शास्त्र को नुनने के लिये भोक्ता प्रवृत्त होते हैं। इसलिये किसी भी शास्त्र के प्रारम्भ में उस शास्त्र का प्रयोजन तथा उस प्रयोजन के साथ उस शास्त्र का क्या सम्बन्ध है, यह कहना आवश्यक हो जाता है।

अतएव न्यायदर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम ने न्यायशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय तथा प्रयोजन को पहले ही व्यक्त किया। उन्होंने न्याय दर्शन का पहला सूत्र कहा है—“प्रमाणं प्रमेय-सद्यः प्रयोजनं दृष्टान्तं निदान्तावयव-तर्क-निर्णय-बाध-स्वर-वित-डा हेत्याभास-च्छ-ज्ञाति निप्रहरथानानां तत्त्वज्ञानाभि भेदमाधिगमः ।” इस सूत्र में पहले—‘प्रमाणं प्रमेयं’ निप्रहरथानानाम्” इन पदों के द्वारा प्रमाण से लेकर निप्रहरथान पद-उ सो-इ प्रकार के पदार्थ कहे गये हैं।

पहले प्रतिपाद्य पदार्थ के नाम का कथन “उद्देश” कहा जाता है। उक्त प्रमाण आदि पदार्थ के तत्त्वज्ञान से नि भेदम लाभ होता है—यही इस सूत्र का अर्थ है। इसके स्पष्ट हुआ है कि उक्त प्रमाण आदि पदार्थ इन न्याय शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है और नि भेदम इत्यादि प्रयोजन है। उक्त प्रमाण आदि पदार्थों की व्याख्या तथा उस सम्बन्ध में अग्रगण्य बातें आगे कही जाएँगी।

अब इस सूत्र में कहा गया “नि श्रेयस” शब्द का अर्थ क्या है—यही समझना चाहिये ।

‘नि श्रेयस’ शब्द का मुक्ति अर्थ ही प्रसिद्ध है । किन्तु कल्याण अथवा अभीष्ट भी उसके द्वारा जाना जाता है । महाभारत में कल्याण अर्थ में नि.श्रेयस शब्द का प्रयोग हुआ है ।

महर्षि गौतम ने पश्चत् द्वितीय सूत्र में तथा अन्या-न्य सूत्रों में मुक्ति प्रकाश करने के लिए अपवर्ग शब्द का ही प्रयोग किया है—यह भी लक्ष्य करना आवश्यक है । इससे स्पष्ट होता है कि महर्षि गौतम ने इस सूत्र में नि श्रेयस शब्द से केवल मुक्ति को ही ग्रहण नहीं किया है अरिन्तु अन्यान्य दृष्ट नि श्रेयस भी ।

न्यायवातिककार उद्योतकर ने कहा है कि—नि श्रेयस^२ दो प्रकार के होते हैं—दृष्ट तथा अदृष्ट । उनमें प्रमाण आदि पदार्थों के तत्त्वज्ञान से दृष्ट नि श्रेयस का लाभ होता है । किन्तु आत्मा आदि प्रमेय पदार्थों के तत्त्वज्ञान से अदृष्ट नि श्रेयस की प्राप्ति होती है । तात्पर्य यह है कि पूर्वक्त द्विविध नि श्रेयस के बीच चरम नि श्रेयस मुक्ति ही अदृष्ट नि श्रेयस है । उससे भिन्न मकल नि श्रेयस ही दृष्ट नि श्रेयस है । न्यय दर्शन के प्रथम सूत्र में जी प्रमाण तथा प्रमेय प्रभृत् सोऽह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से नि श्रेयस की प्राप्ति कही गई है उनमें आत्मा आदि प्रमेय पदार्थ का तत्त्व साक्षरकार ही मुक्तिरूप चरम नि श्रेयस की प्राप्ति में अन्तिम कारण है । किन्तु सर्व प्रकार के नि श्रेयस की प्राप्ति के लिए प्रमाण आदि पदार्थों का तत्त्वज्ञान आवश्यक है ।

१ 'कच्चिन् सद्दुर्धर्मोर्त्तानामेक क्रोणासि पण्डितम् ।

पण्डितो ह्यथं कृच्छ्रेषु कुर्यान्नि श्रेयस परम् ॥'

—महाभारत, महाभारत । ५।३५।

नि श्रेयसम् कल्याणम् । नीलकण्ठतटोका ।

'मन्यासु कर्मयोगश्च नि श्रेयसकरावुभौ' ॥—गीता-५।२ ।

'नि श्रेयसकरी' नि श्रेयस मोक्ष कृत्वति । शाङ्करभाष्य ।

२ नि श्रेयस पुनर्दृष्टादृष्टभेदादद्वेषा भवति । तत्र प्रमाणादिपदार्थे तत्त्व-
ज्ञानानि श्रेयस दृष्टम्, नहि कश्चित्पदार्थो ज्ञायमानो हानोपादानो-
पलाकुट्टिनिमित्त न भवतीति । एतच्च कृत्वा सर्वे पदार्थाः ज्ञेयतया
उपक्षिप्यत इति । परन्तु नि श्रेयसगात्मादेश्च तत्त्वज्ञानाद्भवति ।

—न्यायवातिक ।

तब यह भी उद्योतकर की उस बात से ज्ञात होता है कि प्रमाण आदि पदार्थ का तत्त्वज्ञान मुक्ति की प्राप्ति में अत्यावश्यक अनेक दृष्ट निश्चेयस (सात्त्विक अभ्युदय) का सम्पादन करके मुक्ति की प्राप्ति में भी प्रयोजक होता है। अत उद्योतकरने भी, गौतम ने प्रथम सूत्र में कहे गये निश्चेयस शब्द से निश्चेयस मान की ग्रहण किया है—यह हम समझ सकते हैं।

शास्त्रार्थ टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने इस सूत्र में कहे गये निश्चेयस शब्द के द्वारा चरम निश्चेयस मुक्ति को ही ग्रहण किया है। किंतु भाष्यकार वात्स्यायन ने इस सूत्र के भाष्य के अन्तिम भाग में न्यायशास्त्र को सकल विद्या का दीर्घक, सभी कार्यों का उपाय, तथा सब भर्तों का आश्रय बतलाकर उक्त किया है कि विचारपूर्वक समस्त प्रयोजनों की सिद्धि के लिए न्यायशास्त्र आवश्यक है। वही वाचस्पति मिश्र ने भी भाष्यकार के इस आशय को स्पष्ट किया है। वास्तव में, न्यायशास्त्र के साहाय्य के बिना विचार पूर्वक किसी भी शास्त्र का सम्यग ज्ञान नहीं हो सकता है। इनलिए न्यायशास्त्र को सकल विद्या का दीर्घक कहा गया है। परन्तु बहुत विषयों के ही विचार से तदनिर्णय करने के लिए अनुमान प्रमाण प्रधान अवलम्बन है। गणित, विज्ञान, इतिहास तथा राजनीति आदि सभी विषयों के ज्ञान में जो अनुमान प्रमाण अविहार्य है एवं जो सकल लोक यात्रा निर्वाहक है उसी अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में समस्त ज्ञात प न्यायशास्त्र में ही वर्णित हुआ है। अतएव न्यायशास्त्र के प्रयोजन अमूल्य हैं। किन्तु इनमें कुछ भी सन्देह नहीं कि चरम निश्चेयस, अरवर्ग अथवा मुक्ति न्यायशास्त्र का मुख्य प्रयोजन है।

मद्वि गौतम ने न्याय सूत्र के द्वारा जिस आन्वीक्षिकी विद्या का प्रकाश किया है, वह केवल तर्क विद्या नहीं है किन्तु तर्क विद्या सहित अप्यात्म विद्या। अत प्रथम सूत्र के भाष्य के अन्तिम भाग में वात्स्यायन ने भी कहा है—“इहत्वध्यात्मविद्यायाम् आत्मादिज्ञानम् तत्त्वज्ञानम् निश्चेयसाधिगमोऽपवर्गप्राप्तिरिति”। मद्वि गौतम ने भी इसको व्यक्त करने के लिए दूसरा सूत्र कहा है—“तु ल जन्म-प्रवृत्ति-शेष मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरागये तदनन्तरायादापवर्ग” ॥ मद्वि ने इस सूत्रसे व्यक्त किया है कि अरवर्ग ही इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है, तथा प्रथम सूत्र में कहे गये प्रमाण आदि मोक्ष पदार्थों के अन्तर्गत आत्मा आदि प्रमेय पदार्थ का जो तत्त्वज्ञान है, वही समस्त प्रमेय पदार्थों के सर्वविध मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के द्वारा अपवर्ग का चरम कारण होता है। आगे यथा क्रम यह स्पष्ट होगा।

१ भाष्यकारस्तु नास्त्येव तन् प्रेशावता प्रयोजनम् यत्रान्वीक्षिकी न निमित्त भवतीत्याह—‘सेयमा-वीक्षिकीति’ ॥ —शास्त्रार्थ टीका।

दूसरा अध्याय

गौतम के द्वारा कहे गये अपवर्ग का स्वरूप तथा उस त्रिपय में मतभेद

अपवर्गक 'बृज घातु से घञ् प्रत्यय करने पर 'अपवर्ग' शब्द सिद्ध होता है। जब के सात्त्विक बन्धन का दर्जन अर्थात् समारमूलक सकल दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही यहाँ अपवर्गक 'घृत्' घातु का अर्थ होता है। अतः मुक्ति का ही दूसरा नाम अपवर्ग कहा जाता है। यही मोक्ष आद नाम से तथा अमृत नाम से भी कहा गया है। श्री भगवान् ने भी कहा है—

“जन्म मृत्यु-जरा दुःखेषुमुक्तोऽमृतमश्नुते”। (गीता १४ २०) सर्वावध दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होने से ज्ञानमत में वास्तव मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सर्वसम्मति से यही (उत्तरूप) मुक्ति का सामान्य लक्षण कहा जा सकता है। अतः न्यायग्रन्थकार गौतम ने अपवर्ग के लक्षण सूत्र में यह कहा है—“तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग” (१।१।२२)। महर्षि गौतम ने इस सूत्र के अर्थव्यवहित पूर्व म दुःख का लक्षण कहा है—“बाधनालक्षण दुःखम्”। इसलिए इस सूत्र में निदिष्ट 'तत्' शब्द से पूर्व सूत्र में कहे गये सभी दुःखों को ग्रहण करके गौतम ने कहा है कि सकल दुःखों का अत्यन्त विमोक्ष अर्थात् दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही 'अपवर्ग' है।

वैशेषिक दर्शन में महर्षिकणाद ने भी कहा है—“तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च मोक्ष” (५।२।१८) इस सूत्र के अर्थव्यवहित पूर्व सूत्र में महर्षिकणाद 'अदृष्ट' का उल्लेख करने से इस सूत्र में प्रथमोक्त “तत्” शब्द में उसी अदृष्ट गृहीत हुआ है—यह समझा जाता है। जीवात्मा के धर्म तथा अर्म नाम के गुण विरोध ही अदृष्ट पद से लिये जाते हैं। कणाद के उक्त सूत्र स शत होता है कि जीव के धर्म रूप सकल अदृष्ट के अभाव में उसका ही उम शरारादि के साथ विलक्षण संयोग का अभाव तथा अन्य शरार ज माय विलक्षण संयोग का अप्रादुर्भाव या अनुत्पत्ति, यही मुक्ति है।

यथार्थतः, जीवों को जन्म होन पर ही नाना दुःखों का भोग अवश्यम्भावी है।

चिरकालिक अदृष्ट जन्म शरीर आदि के अभाव में उन्मत्त (पुनर्जन्म की निवृत्ति) होने पर कर्माणि उस जन्म का किसी दुःख के भोग की सम्भावना नहीं रहती है। शरीर आदि के अभाव में कर्माणि उम अत्मा में शान आदि कोई भी विरोध गुण उत्पन्न नहीं होते हैं।

अतः वैशेषिक आचार्यों ने कणाद के उक्त सूत्र के अनुसार ही कहा है कि आत्मा के ज्ञान आदि विशेष गुणों का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति है ।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि न्याय वैशेषिक सम्प्रदाय के मत में आत्मा चैतन्य अथवा सुखस्वरूप नहीं है, किन्तु चैतन्य या ज्ञान उसका (आत्मा का) विशेष गुण है । और जीवात्मा में यही ज्ञान अनित्य है । धर्म, अधर्म तथा उनमें होने वाले सुख दुःख जीवात्मा के अनित्य विशेष गुण हैं । अतः जिन कारणों से जीवात्मा में ज्ञान आदि विशेष गुणों का उत्पत्ति होती है, उन कारणों का अत्यन्त उच्छेद होने से उस जीवात्मा में ज्ञानादि विशेष गुणों की उत्पत्ति कभी नहीं होती है । सुख के कारण धर्म तथा दुःख के कारण अधर्म का अत्यन्त उच्छेद होने पर और कभी भी उन जीवात्मा में सुख दुःखों की उत्पत्ति की सम्भावना नष्ट होती है । किन्तु किसी जीवाना के सकल विशेष गुणों का उच्छेद होने पर भी उन आत्मा का उच्छेद नहीं होता है । क्योंकि आत्मा निरिहार तथा निर्य है ।

इस मत में जीवात्मा के सकल विशेष गुणों के अत्यन्त नाश होने पर जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है । उन मत से अनेक उपदेशों का घोर विरोध है । उन लोगों का कहना है कि—यदि मुक्त आत्मा को किसी तरह का सुख भोग नष्ट होता है तथा तब उसका कोई भी ज्ञान नहीं रहता, तो इस स्थिति में मुक्त आत्मा की अवस्था मूर्च्छा अवस्था के समान हो जाता है । अतः वह पुनर्यथ ही नहीं हो सकता है । क्योंकि पुण्य या अथ जिन चीज की प्रार्थना करता है वही पुण्यार्थ कहलाता है । क्या कोई अपनी मूर्च्छा अवस्था की प्रार्थना करता है ? क्या मूर्च्छा अवस्था के लिए किसी भी कार्य में कोई प्रवृत्त होता है ?—“नहि मूर्च्छाद्यवस्थार्थं प्रवृत्तो हृदयने सुधीः” । अपनी मूर्च्छा-वस्था की प्राप्ति के लिए किसी बुद्धिमान् व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है ।

हमारे उक्त में न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय का कहना यह है कि कोई भी विद्वान् कभी अपनी अर्चितन्यायस्था की कामना नहीं करता है—यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि यह देना गया है कि अम्ल वेदना से कतर होकर किलने बुद्धिमत् व्यक्ति भी समय समय पर अपना मूला की कामना करने हैं तथा अनेक व्यक्ति समय समय पर आत्म हत्या कर लेते हैं । इससे बहुत से उदाहरण हैं ।

अतः ही, यह स्वीकार करना ही कि केषात् सुख से निवृत्ति को उद्देश्य करके समय पर अचेतन्यवस्था भी पुनराय हो सकता है । वास्तव में, सुख पुण्य की पूनक अवस्था मूला अथवा उसके समान कोई अन्य अवस्था नहीं है । क्योंकि मूर्च्छा अवस्था के अन्त होने पर फिर म नाना दुःखों का भोग

अवस्थाभावो है, किन्तु मुक्त होने पर। दर से कदापि किसी भी प्रकार के दुःख की संभावना भी नहीं रहती है। इसलिए अवस्था ही 'मुक्ति' परम पुरुषार्थ है।

सुख और दुःख की निवृत्ति—ये दोनों ही जीव के काम्य अवस्था पुरुषार्थ हैं। इन दोनों में समार से विरक्त पुरुष के लिए दुःख का निवृत्ति ही अधिक प्रिय है। क्योंकि जिसको समार में सुख के लिए बहुत दुःखों का भोग करना पड़ा है वह समार में निरक्त होकर चिर प्रिय मुक्ति का प्राप्त करने के लिए दुःख दुःखों के साथ बहुत मुक्त को भी चाहता है। और वह निरक्त पुरुष सुख से भी निरक्त होकर रहता है—'अथ अधिक सुख नहीं चाहिए। अभा इन सभी यत्नशाओं में छुटकारा चाहिए। सुख से स्वस्ति अच्छी है।' दुःख से निवृत्ति ही यहाँ स्वस्ति अथवा शान्ति है। सुख भोग करने वाला को दुःख भोग भा करना ही हागा। क्योंकि सुख मात्र ही दुःख से मुक्त है। अर्थात् दुःख में रहित चिरस्थायी कोई सुख नहीं है। इसलिए मुमुक्षु (मोक्ष न इच्छुक) व्यक्ति आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति रूप मुक्ति के लिए सब प्रकार के सुख भोगों की कामना को छोड़ देते हैं। वह (मुमुक्षु) गर्वया चिर शान्ति के लिए सुख तथा दुःख से रहित अवस्था के लिए ही प्रार्थना करते हैं।

शान्तरस के स्वरूप का व्याख्या करते हुए जिसा पूवाचार्य ने कहा है—'न यत्र दुःख न सुख न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा'।

फलित कथन यह है कि इस मत में चिरकाल के लिए आत्मा की सुख तथा दुःख आदि से रहित अथवा हा चरम पुरुषार्थ एव चिर शान्ति है।

छान्दोग्य उपनिषद् के अन्तिम अध्याय का—'न वै अशरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति । अशरीरम् वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत' (८।२।१) यह धृतिवाक्य हा उस रूप मुक्ति में प्रमाण होता है। क्योंकि—'अशरीरम्—न प्रियाप्रिये स्पृशत' इस वाक्य से ज्ञात होता है कि मुक्त आत्मा विवेक हाकर रहता है तथा उस समय में उसको प्रिय अथवा अप्रिय वा कुल्ल भा ज्ञान नहीं रहता है। अनुसङ्गिक 'प्रिय' शब्द का अर्थ सुख तथा

१ साम्य मन में आत्मा नियम चैन य स्वहृद हाउ हुए भी मुक्ति के समय में किसी भी प्रकार का सुख भाग नहीं करता है। त्रिविध दुःख में चिर काल के लिए निवृत्ति ही मुक्ति है। तबवमान में भी वाय मूत्र दणा जाता है—'न पुनश्चिद्विघ्न दुःखेनाभिमूयते'। वही दुःखभाव वास्तव में भागमुक्त तथा प्रज्ञान-द-ग-द-स-जहा गया है। न-य-सुख-कभी-भी-निरनिर्णय-अथवा-चिर-स्थायी-न-हा-स-ज-ता-है। सुख और दुःख से रहित अवस्था का भी सुख कहा गया है—'सुख दुःखमुक्तावय'।

‘अप्रिय’ शब्द का अर्थ दुःख होता है। उक्त श्रुतिवाक्य में ‘अप्रिय’ शब्द का अर्थ—वैषयिक (अनिय) सुख है—यह समझने का कोई कारण नहीं है।

अनर्थ ही, छान्दोग्य उपनिषद् के अन्तिम अध्याय में पहले तथा पहले भी ब्रह्मलोक-प्राप्त पुरुष के सम्बन्ध में वर्णित है कि वह इच्छा माय से अनेक तरह के सकल्पों की निवृत्ति कर सकता है। किन्तु ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही प्रकृत ‘मुक्ति’ नहीं है। क्योंकि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने पर भी अनेक व्यक्तियों की पुनरावृत्ति या पुनर्जन्म होता है। अतः श्री भगवान् ने कहा है—‘आब्रह्म-भुवनाहोता. पुनर्गावर्त्तिनोऽर्जुन’। (८।१६।) किन्तु ब्रह्मलोक में ‘तत्त्वज्ञान’ प्राप्त कम्पे जो व्यक्ति महा प्रलय में ‘दिव्यगम’ ब्रह्मा के माय मुक्ति प्राप्त करता है वह उस समय में किसी सुख का भोग नहीं करता है—यह छान्दोग्य उपनिषद् में पीछे नहीं कहा गया है। किन्तु पहले कहा गया है कि—‘अशरीर वासन्त न प्रिया प्रिये सृष्टतः’।

नव्य ग्नाय के प्रवर्तक गङ्गेश उपाध्याय ने ‘ईश्वरानुमानचिन्तामणि’ नामक ग्रन्थ में पुरातन मत का समर्थन करते हुए कहा है कि सुख तथा दुःख से निवृत्त यह दोनों ही पुरुषार्थ है। यह नहीं कहा जा सकता है कि सुख की इच्छा से ही जीवों की सर्वत्र ही प्रवृत्ति होती है। क्योंकि केवल दुःख से निवृत्ति के लिए ही जीवों की बहुतायती प्रवृत्ति होती है। अतः यह स्वीकार करने योग्य है कि वह ‘दुःख से निवृत्ति’ भी पुरुषार्थ है। किन्तु यदि सुख से रहित ‘दुःख की निवृत्ति’ पुरुषार्थ नहीं है तो दुःख से युक्त सुख भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। किन्तु जिस सुख से पीछे अथवा पहले दुःख का भोग अवश्य-मार्गी है जैसे ‘दुःख’ आदि सुख को भी ‘पुरुषार्थ’ रूप में स्वीकार किया गया है। अतः उस प्रकार की सुख से रहित केवल ‘आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति’ भी पुरुषार्थ रूप में मानी जा सकती है। वही परम पुरुषार्थ ‘मुक्ति’ है।

१. ‘यत्र दुःखेन समिन्न न च घ्नमनन्तरम् ।

आमलापोपनीतश्च तन् सुख स्वःपदाम्पदम् ॥

—श्लोक वाचिः । (अनुवादक)

गणेश उपाध्याय के द्वारा उद्धृत ‘गिरोमदीय यदि यातु यातु’ यह वाक्य किसी प्राचीन इलाक़ का द्वितीय अंग है। दूसरी की स्त्री में प्रवृत्त कामार्थ पुरुष विपत्तियों के यह प्रतीक कहना है। सम्पूर्ण पद्य यह है—

‘यमामृते मन्दनमञ्जुर्जाति ! गिरो मदीयं यदि यातु यतु ।

लूतानि नूनं जनकात्मचार्ये दयानननापि दयाननानि ॥’

मुल मात्र ही दुल से सबद्ध है अतएव अनित्य है । यथार्थ 'मुमुक्षु' व्यक्ति यह समझकर केवल 'आत्यन्तिक दुल निवृत्ति' के लिए शास्त्र में विहित उपायों का आचरण करते हैं । वे मुल के इच्छुक नहीं होते हैं । जो सब तरह से अविवेकी रहता है वह केवल मुल का इच्छुक होकर बहुत दुःखों से संपृक्त सुख के लिए अरुनी प्रियतमा को—'शिरो मदीय यदि यातु यातु' कहकर अथात् तुम्हारे लिए मरा मस्तक भी यद चला जाए तो जाए जनक नदिना सीता के लिए रावण न भी अपने दशमुखों को काट डाला था, जो यह कहने हुए दूसरों का ह्रम दुःखानना से प्रवृत्त होते हैं, तथा—'वर वृदावनैरभ्ये शृगालत्वमत्र चान्यहम् । न तु वैशेषिका मुक्तिं प्रार्थयामि कदाचन' । (१) इस तरह के श्लोक पढ़ते हुए उपर कहे गये मुक्त के स्वरूप का उपदेश करते हैं—ऐसे व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी ही नहीं है ।

जो बन्की व्यक्ति समझते हैं कि इस तसारात्मक महावन म दुल दुःखिन अभग्न्य हैं, तथा सुख के पुगनू का प्रकाश बहुत थोडा है, इसलिये यह समार क्रुद्ध सर्गों के पणा मण्डल के समान है, अत 'आत्यन्तिक दुल निवृत्ति' स्व मुक्ति के लिए सुख को भी छाड़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही मुक्ति के अधिकारी हैं ।^२

भास्कार बास्यायन ने भी गौतम के द्वारा कहा गयी मुक्ति के स्वरूप के वर्णन में पूनाक्त मत का ही समर्थन किया है तथा तदनुसार यही मत नैयायक सम्प्रदाय में प्रचलित है ।

१ यह श्लोक भी प्रसिद्ध है । गङ्गा उपाध्याय उक्त श्लोक के प्रथम अक्षरों को उद्धृत करते हैं—इसमें पात होता है कि यह भी कोई प्राचीन पद्य है । इस श्लोक में कोई वैष्णव कहता है कि मैं वृदावन म शृगाल (गीदर) हाकर रह सकता हूँ किंतु वैशेषिक दर्शन में कही गई मुक्ति की कभी प्राप्ति नहीं करता हूँ । गङ्गा उपाध्याय ने उक्त स्थल में—परदारादिषु प्रयत्नमाना 'वर वृदावन रभ्ये' श्लोक के अर्थों नात्राधिकारिण यह कहकर उक्त समय में प्रचलित किसी सम्प्रदाय विषय के ऊपर बगल की सूचना की है ।

२ तस्मादविवेकिन गुणमात्रत्प्लवो बहून्तरदुःखानविद्धमपि गुणमभ्यगिगमनीयमिति यात्रियातु इति कृत्वा परदारादिषु प्रयत्नमाना वर वृदावन रभ्ये' इति श्लोक उक्त नात्राधिकारिणः । यच्च विवेकिनो म्मिन् समारब्धा तारं शिवानि दुःखदर्शनानि क्रियन्ती वा सुखलघानिवृत्तिं धृतिवर्तिषुपाम्पल्लव्या प्रतिभमिमिति मयमाना सुखमपि हातुमिच्छति, तत्राधिकारिण

—ईश्वरानुमात्रनिनामयि ॥

वात्स्यायन के विचार से यह शत होता है कि उनसे पहले कोई नैयायक सम्प्रदाय—'गौतम के मत से मुक्ति में नित्य सुख की अनुभूति होता है'—इसका समर्थन करता था। क्योंकि अपवर्ग लक्षणसूत्र की व्याख्या में वात्स्यायनने कहा है—'नित्य सुखमात्मनो महदखवन् मोक्षोऽभियस्यते, तेनाभिव्यक्तेन'त्यन्त विमुक्तः सुखी भवतीतिनेचिन्मन्त्रते, तेषा प्रमाणाभावादनुपपत्ति'।

इस मत का अप्रामाणिकत्व सिद्ध करने के लिए वात्स्यायन ने वाद को कहा है कि मुक्तिकाल में नित्य सुख के अनुभव को नित्य भी नहीं कहा जा सकता और अनित्य भी नहीं कहा जा सकता। अतः वह किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि नित्य या अनित्य के अन्वय कोई पदार्थ प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। किन्तु आत्मा या नित्य सुख स्वीकार करके उसके अनुभव को भी नित्य पदार्थ कहने पर मुक्ति से पहले समूचे दुःखी जीवों में भी सदा वह नित्य सुखानुभव विद्यमान है, यह स्वीकार करना पड़ता है।

ससारी जीव को दुःख भोग के समय में भी नित्य सुख का अनुभव होता है—यह कभी स्वीकार नहीं लिया जा सकता है। उस नित्य सुख या अनुभव अनित्य अर्थात् मुक्ति काल में वह उत्पन्न होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मुक्ति काल में उस अनुभव का उत्पन्न होना कोई कारण नहीं रहता है। परन्तु किसी धर्म विशेष को उसका (नित्य सुख के अनुभव का) उत्पादक कहने पर वह धर्म तथा वह नित्य सुखानुभव चिरस्थायी नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि यह प्रमाण से सिद्ध है कि उत्पन्न भाव पदार्थ मात्र ही विनाशशील हैं। किन्तु किसी समय में, त्रिमला नाश होगा वह किसी भी मत में मुक्त नहीं है। 'मुक्ति पदार्थ सबों के मत में चिरकाल तक रहने वाला है, अन्यथा उसे वास्तव मुक्ति कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए मुक्ति के स्वप्न का प्रकाशक किसी किसी शास्त्र वाक्य में यद्यपि 'मुक्त' तथा 'अनन्द' शब्द का प्रयोग होने पर भी आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति ही उसका अर्थ समझना चाहिये क्योंकि उपरोक्त कारण से उमदा स्वप्न अर्थ नहीं लिया जा सकता है।

वात्स्यायन ने और अधिक विचार करने के उपरान्त अन्त में कहा है कि 'मुक्त' पुरुष को किसी भी प्रकार के सुखभोग की कामना रहने पर उसे मुक्त नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कामना अथवा विषय की अन्वयात् अन्वयन के रूप में सर्वसामान्य है। किन्तु किसी भी प्रकार के 'व्यसन' रहने पर उसे मुक्त नहीं कहा जा सकता है। 'न हि व्यसने त पदे कश्चिन्मुक्त इत्युच्यते।'।

और यदि तब उनको (मुक्त पुरुष को) किसी प्रकार के सुख भोग का कामना

नहीं है तो उनकी 'आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति' मात्र को भी मुक्ति क्यों नहीं कहा जा सकता ? जो सर्वथा निष्काम हैं उनको किसी प्रकार का सुखभाग न होने पर भी वे मुक्त क्यों नहीं होंगे ?

चरम मुक्ति काल में मुक्त पुरुष को सुखभोग के साधन शरीर आदि कुछ नहीं रहने से उस काल में उन्हें सुखभोग हो भी नहीं सकता। अतः चरम तत्व ज्ञान से समस्त मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होने पर कभी उस आत्मा को पुनरावृत्ति या जन्मलाभ नहीं होगा, अतः किसी प्रकार के दुःखभोग की सम्भावना भी नहीं है। उन्हें सुखभोग न होने पर भी उनको मुक्तिलाभ स्वीकार करना ही पड़ेगा। परन्तु वात्स्यायन के बहुत माल के बाद शैव संप्रदाय विशेष के आचार्य कादमीर निवासी 'भासवंश' ने उनसे गुरुपरम्परागत पूर्वोक्त प्राचीन मत समर्थन करने के लिये न्यायमार ग्रन्थ में कहा है कि मुक्त पुरुष का नित्य सुख का अनुभव शास्त्र प्रमाण सिद्ध है।

उन सप्त शास्त्र-वाक्यों में 'सुख' तथा 'आनन्द' शब्द के मुख्य अर्थ में किसी बाधक के नहीं रहने के कारण लाक्षणिक अर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती।

वात्स्यायन ने कहा है कि मुक्त पुरुष के नित्य सुख के अनुभव को नित्य भी नहीं कहा जा सकता है तथा अनित्य भी नहीं, अतः यह शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता है। किन्तु आचार्य भासवंश ने उस नित्यसुख के अनुभव को भी नित्यपदार्थ कहा है। सप्तावस्था में भी सब जीवात्मा में यह नित्यसुख तथा उसका अनुभव विद्यमान रहने पर भी उस समय पाप आदि प्रतिबन्धक के

१. भासवंश ने स्मृतिवचन उद्धृत किया है—

'मुखमात्यन्तिक यत्र बुद्धिप्राह्यमतीन्द्रियम् ।

तत्रैव मोक्षविजानीयान् दुष्प्रापममृतात्मभिः ॥'

किन्तु शास्त्र का यह वचन सर्वसम्मत नहीं है। यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि भासवंश भी वात्स्यायन के संप्रदाय के अनुसार ही द्वैतवादी है। इनके मन से जीवात्मा नित्यसुख स्वरूप परब्रह्म नहीं है। भासवंश ने अद्वैत मन के अनुसार मुक्ति की व्याख्या नहीं की है। इनके मत में जीवात्मा म विरकाल से विद्यमान नित्यसुख मुक्तिकाल में अभिष्यक्त होता है। वात्स्यायन ने भी उक्त मन का ही उल्लेख किया है। शास्त्रदीपिका के तर्कवाद में भी मानक पाठ्यकारण्य सिद्ध ने इस मन की व्याख्या करने हुए कहा है कि यह आनन्द-मोक्षवादी का मन है। उनके मतानुसार यह कुमारिल भट्ट का अपना मत नहीं है। इस विषय में विवाद आलोचना के लिए मेरे (म० म० जगन्मूषणतर्कवादी) द्वारा मराठीन न्यायदर्शन चतुर्थसंस्करण के ३४२ से ५५ पृष्ठ देखिये।

कारण उन दोनों में विषयविषयिभाव सम्बन्ध नहीं होता है। परन्तु मुक्तिका में उन प्रतिबन्धकों के न रहने से उस समय वह नित्य सुख तथा उसके नित्य अनुभव में विषयविषयिभाव सम्बन्ध उत्पन्न होता है तथा वह सम्बन्ध उत्पन्न भाव पदार्थ होने पर भी उसके विनाश का कोई कारण न रहने से कभी उसका विनाश नहीं हो सकता है। वह नित्यसुख नित्य सचेद्य है। उस सुख के द्वारा निरोधित जो आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति वही मुक्ति है।^१

भासवंत ने पहले 'आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति' ही मुक्ति है—इस मत का भी उल्लेख किया है। किन्तु उनके मतानुसार—वैशेषिक दर्शनकार वणाद का यह मत है। न्यायसार के टीकाकार जयसिंह सूरि ने भी वहाँ पर स्पष्ट रूप से यह कहा है। वस्तुतः भासवंत ने गौतम के सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए 'न्यायसार' के अन्त में कहा है—'अनेन सुप्तेन त्रिशिष्टा आत्यन्तिकी दुःख निवृत्तिः पुरुषस्य मोक्षः इति'।

परन्तु 'संक्षेपशुद्धरजय' ग्रन्थ में माधवाचार्य ने दो श्लोकों से कहा है कि मत्सर का परिभ्रमण करते समय भगवान् शुद्धराचार्य से किसी स्थान में किसी नैयायिक ने गर्व के साथ प्रश्न किया था कि यदि आप सर्वज्ञ हैं तो वणाद और गौतम के मतानुसार मुक्ति में अन्तर क्या है—इसका निर्देश कीजिए, नहीं तो सर्वज्ञता के बारे में प्रतिज्ञा का परित्याग कीजिए। इसके उत्तर में शुद्धराचार्य ने उनसे कहा था कि वणाद के मत में सकल निरोध गुणों का अत्यन्त उच्छेद होने से आकाश की तरह आत्मा की स्थिति ही मुक्ति है, और आपके सम्मत अश्वनाद मत में आनन्दानुभूति के साथ आत्मा की उक्त अवस्था ही मुक्ति है।^१ माधवाचार्य का उक्त प्रकार का वर्णन अगूढक

१ भासवंत के न्यायसार के अठारह टीकाओं में प्रधान टीकाकार भूपण-भट्ट ने अधिप विचारपूर्वक इस मत का समर्थन किया है। अतः शीसम्प्रदाय के वैष्णव आचार्य वेङ्कटनाय ने भी इसका ही समर्थन करते हुए न्याय परिशुद्धि नामक ग्रन्थ में लिखा है—'अत एव हि भूपणमते नित्यसुखसवेदनसिद्धिरपवर्ग साधना (काशी चौबन्दा संस्करण पृ० १७)।

२ तत्रादि नैयायिक आत्मगर्वः वणादरत्नान्तरदाक्षरशे ।

मुनडेविशेषे वद सर्वेद्विन्नेन् नोचेन् प्रतिज्ञा त्यजत्सर्वेद्विस्वे ॥

अत्यन्तनाशे गुणसङ्गतेर्या स्थितिनर्भोवन् वणभसपशे

मुक्तिस्त्वदीये चरणाक्षपशे सानन्दसविन्सहिता विमुक्तिः ॥'

(संक्षेपशुद्धरजय १६ अ० ६८, ६९)

माधवाचार्य ने वणाद शब्द का अर्थ लेकर वैशेषिक दर्शनकार को इस श्लोक में 'वणभस' कहा है और गौतम के अश्वनाद नाम को लेकर उनकी 'चरणाक्ष'

नहीं हो सकता है । 'सर्वदर्शनसिद्धान्तसंग्रह' में भी मुक्ति के स्वरूप के विषय में कणाद और गौतम का उक्त रूप मतभेद वर्णित है । अतः इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीनकाल में किसी नैयायिक सम्प्रदाय में मुक्ति के बारे में गौतम का उक्त प्रचार विशिष्ट मत ही प्रतिष्ठित था । किन्तु प्रचलित न्यायसूत्र से उक्त मत समझा नहीं जाता ।



कहा है । द्वितीय श्लोक के 'कणमक्षपक्षे' इस पद से कणाद के मत में तथा 'स्वदीये चरणाक्षपक्षे' इस पद से तुम्हारे सम्मत अक्षपाद के मत में—यह अर्थ ग्रहण किया जाता है । यहाँ स्वदीये इस पद से ज्ञात होता है कि प्रवक्तृ कोई अभिमानी नैयायिक था इसलिए पादुकाचार्य ने उसको तुम्हारे सम्प्रदाय के सम्मत अक्षपाद के मत में—ऐसा कहा है । क्योंकि उस समय में अगर पादुकाचार्य कणाद और गौतम के मत से मुक्ति के विषय में उक्त रूप मतभेद नहीं दिखाने तो प्रवक्तृ उसकी सर्वज्ञता को स्वीकार ही नहीं करना । किन्तु 'सर्वदर्शन संग्रह' माधवाचार्य ने अक्षपाद के मत की व्याख्या करने हुए मुक्ति के विषय में भाष्यकार वास्तव्यायन आदि के सम्मत प्रचलित मत का ही समर्थन कर गये हैं । वही माधवाचार्य 'संक्षेपपादुकर जय' के भी लेखक हैं—इस विषय में भी मुझको कोई प्रकृत प्रमाण नहीं मिला है ।

तीसरा अध्याय

मुक्ति का उपाय

श्रुति ने कहा है—“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य भूत यो मन्तव्यो निदिष्या-
सितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन भवणेन मत्या वा विज्ञानेनेद सर्वं
वित्तितम्”— बृहदारण्यक ४।४।५ ।

अर्थात् महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्मपत्नी मैत्रेया से कहा था—अरे
मैत्रेयि ! अगर मुक्तिलाभ का इच्छा हो तो आत्मा द्रष्टव्य है यानी आत्मा का
दर्शन करना चाहिए । उस आत्म दर्शन के लिए पहले आत्मा के बारे में
गुरुमुख से उपदेश सुनना चाहिए, उसके बाद उस भवण के आधार पर मनन
एव ध्यान आदि करना चाहिए । अतः इस श्रुति वाक्य से ज्ञात होता है कि
आत्मा का दर्शन रूप तत्त्व ज्ञान ही मुक्ति का साक्षात् कारण है । आत्मा का
भवण, मनन तथा निदिष्यासन आत्म दर्शन के उपाय होने से परम्परा संबन्ध
से मुक्ति की प्राप्ति के भी उपाय होते हैं ।

वास्तव में, यह मुक्तिसिद्ध है कि अहङ्कार की निवृत्ति के बिना धीन
की सत्ता से निवृत्ति अथवा ‘मुक्ति’ नहीं हो सकती है । इसलिए यह समझना
आवश्यक है कि किन उपायों से इस अहङ्कार की निवृत्ति हो सकती है । महर्षि
गौतम ने आगे कहा है—‘दोष निमित्ताना तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिवृत्ति’ (४।२।१)

ज्ञान के राग, द्वेष और मोह का नाम ‘दोष’ है । शरीर आदि अनेक
पदार्थ उस दोष के निमित्त हैं । उन सब पदार्थों के तत्त्वज्ञान से अहङ्कार की
निवृत्ति होती है,—यही गौतम ने उक्त श्लोक से कहा है । वास्तव में ज्ञानों के
नाना प्रकार का ‘मिथ्या ज्ञान’ ही सत्ता का कारण है । तत्त्व ज्ञान ही उस
(मिथ्या ज्ञान) का निवर्तक हो सकता है । इसलिए यह मानना होगा कि
तत्त्व ज्ञान ही मुक्ति का कारण है ।

गौतम के मत से आत्मा आदि प्रत्येक पदार्थों के बारे में अनेक प्रकारों का
मिथ्या ज्ञान ही धीन के सत्ता में आने का कारण है । उनमें अनादि काल से
आता हुआ धीन के अपने शरीर में आत्म बुद्धि रूप मिथ्या ज्ञान ही
‘अहङ्कार’ है । अतः उसके विपरीत ज्ञान, अर्थात् ‘अदना देह आत्मा आत्म नहीं
है’—देना ज्ञान ‘तत्त्वज्ञान’ है ।

माधना के द्वारा आत्मा तथा शरीर आदि के बारे में चरम तत्त्वज्ञान की
उत्पत्ति होने पर सभी मिथ्या ज्ञानों का आत्यन्तिक निवृत्ति से मुक्ति लाभ होता
है । क्योंकि उस ‘चरम तत्त्वज्ञान’ की उत्पत्ति होने से उन ज्ञानों के पहले से

सञ्चित क्रिये हुए उन सभी कर्मों का अर्थात् प्रारब्ध से भिन्न धर्मों तथा अधर्मों का नाश होता है। इसी तात्पर्य को लेकर भृति ने कहा है—‘धीपन्ते चास्य कर्माणि’ (मुण्डक उप०)। श्री भगवान् ने भी इसी तात्पर्य से कहा है—‘ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा’— (गीता ४।३८)।

फलित कथन यह है कि तत्त्वज्ञान की महिमा से पुनर्जन्म के कारण सभी धर्म और अधर्म का नाश हो जाता है। उन तत्त्वज्ञानियों के आत्मा में किसी प्रकार के धर्म तथा अधर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः फिर उनका कभी पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। अतः भृति ने कहा है—‘न च पुनरावर्तते’।

प्रारब्ध कर्मों का क्षय ‘चरम तत्त्वज्ञान’ से नहीं होता है। भोग के बिना उनका क्षय नहीं हो सकता।^१

‘प्रारब्ध कर्म’ पद का अर्थ कर्मजन्य धर्म तथा अधर्म विशेष ही समझना चाहिये। जिन कर्मों या धर्माधर्मों का फलभोग शुरू हुआ है उनका नाम ‘प्रारब्ध कर्म’ है। वह फलभोग जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक उसका (यानी प्रारब्ध कर्म का) नाश नहीं हो सकता। जैसे जिन धर्म तथा अधर्म के फलस्वरूप जीवों के किसी शरीर विनोद की सृष्टि होती है—वह धर्म तथा अधर्म उनका प्रारब्ध कर्म है। क्योंकि उससे उनके फलों का आरम्भ होता है। जब तक इन फलों के भोग की समाप्ति नहीं होगी, तब तक उस शरीर का नाश नहीं हो सकता है। इसीलिए ‘चरम तत्त्वज्ञान’ होने पर भी वह (तत्त्वज्ञानी) पुरुष जीवित रहता है। उस समय में वे पुरुष “जीवन्मुक्त” कहे जाते हैं। कोई कोई जीवन्मुक्त पुरुष अपनी इच्छा से योगफल के द्वारा, ‘काय-यूह’ अर्थात् अनेक स्थानों में अनेक शरीरों की सृष्टि करके योद्धे समय में ही सभी प्रारब्ध कर्मों का फलभोगकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। किन्तु अनेक व्यक्ति परमेश्वर के निर्देशानुसार दीर्घकाल तक जीवित रहकर-उनके निर्दिष्ट कार्यों को करते हैं और उन लोगों

१. ब्रह्मवेवर्तं पुराण मे प्रवृत्तिखण्ड के अन्त में देखा जाता है—‘यद्यप्येव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। देवनीयं सहायेन काय यूहनं मुदधति’ (२६।७१) यह वाक्य उक्त प्रारब्ध कर्म के बारे में ही समझना चाहिये। वेदान्त-दर्शन में वादरायण ने भी कहा है—‘भोगेन त्वितरे क्षययित्वा सगच्छते’ (४।१।१९) इस सूत्र में ‘तु’ शब्द से प्रारब्धकर्म जो भोग से ही नष्ट होता है—लिया जाता है, अर्थात् भोग से उसका नाश करके पीछे वह तत्त्वज्ञानी पुरुष मुक्त होते हैं। इस सूत्र में ‘इतरे’ इस द्वितीया द्विवचनान्त पद से ‘प्रारब्ध कर्म’ धर्म और अधर्म गृहीत होते हैं। क्योंकि इस सूत्र से पहले ही वादरायण ने कहा है—‘धनाश्लेषवायं एव तु पूर्वो तदप्ये’।

के उपदेशों से ही शास्त्र सम्प्रदाय रक्षित हुआ है। इन सभी जीवन्मुक्त पुरुषों की मुक्ति 'अमरा मुक्ति' कहलाती है। न्यायदर्शन के द्वितीय सूत्र से यह भी सूचित हुआ है। किन्तु जीवन्मुक्त पुरुष के देशवसान के बाद जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही 'परामुक्ति' अथवा 'चरम मुक्ति' है। उसी का नाम 'विदेह कैवल्य' तथा निर्वर्ण मुक्ति है। यही न्यायशास्त्र का चरम या मुख्य प्रयोजन है। चरम (अंतिम) तत्त्व ज्ञान होने से क्रमशः वह प्राप्त होता है। जिस क्रम से उस 'परामुक्ति' की प्राप्ति होती है उस क्रम को दिखाने के लिये महर्षि गौतम ने दूसरा सूत्र कहा है—'दुःख-जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः'।

इस सूत्र में यथाक्रम से कहे गये दुःख आदि पदार्थों में से अन्त में कहे गये पदार्थ कारण हैं तथा उनके अन्वयवहित पूर्व में कहे गये पदार्थ उन्हीं के कार्य हैं। कारण के अभाव में कार्य उत्पन्न नहीं होता है। अतः कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति कही जा सकती है। अतः महर्षि गौतम ने कहा है कि दुःख आदि में से पीछे पीछे कहे गये पदार्थों की निवृत्ति से तदनन्तर यानी उनके अन्वयवहित में पूर्व में कहे गये पदार्थों की निवृत्ति होती है, जिससे अपवर्ग होता है।

गौतम ने पश्चात् प्रवृत्ति पद से धर्म के कारण 'शुभकर्म' तथा अधर्म के कारण 'अशुभकर्म' को कहा है। परन्तु इस सूत्र में कर्म अन्य धर्म तथा अधर्म ही प्रवृत्ति पद से ग्रहीत हुए हैं। कर्म अन्य धर्म तथा अधर्म से ही अनादि काल से जीवों को नाना प्रकार के शरीर परिग्रह रूप जन्म हो रहे हैं। जन्म होने से ही दुःख अवश्यभावी है। इसलिए 'जन्म' 'दुःख' का कारण होता है। धर्म तथा अधर्म रूप प्रवृत्ति उस जन्म का कारण है। राग तथा द्वेष रूप 'दोष' उस प्रवृत्ति का कारण है क्योंकि खास विषयों में राग तथा द्वेष ने ही मनुष्य कर्म करके तज्जन्म धर्म तथा अधर्म को प्राप्त करते हैं। उस राग और द्वेष के न रहने पर कर्म करने पर भी धर्म तथा अधर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। उस धर्म तथा अधर्म का कारण राग तथा द्वेष रूप दोष है और उस दोष का कारण अनेक प्रकारों का 'मिथ्याज्ञान' है। क्योंकि आत्मा आदि के विषय में अनेक प्रकारों के भ्रमज्ञान के कारण ही वह दोष उत्पन्न होता है। इसलिए उनदोषों की आत्यन्तिक निवृत्ति करने के लिए उनके कारण मिथ्याज्ञानों की आत्यन्तिक निवृत्ति आवश्यक है।

तत्त्वज्ञान के बिना वह किसी भी उपायसे सम्भव हो नहीं सकता। तत्त्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर उसके कार्य दोष की निवृत्ति होती है। दोष की निवृत्ति होने पर उसके कार्य प्रवृत्तियों (धर्म तथा अधर्म) की निवृत्ति

होती है। प्रवृत्ति की निवृत्ति से उसके कार्यजन्म की निवृत्ति होती है। वही निर्वाण मुक्तिरूप अरवर्ग है। कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति कम से ही वह अरवर्ग प्राप्त होता है। इसीलिए महर्षि गौतमने कहा है 'दुःख जन्म-प्रवृत्ति दोषमिच्छाजानानामुरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः।' किन्तु जो तत्त्वज्ञान समूचे मिच्छाज्ञानों की निवृत्ति के द्वारा मुक्ति का कारण होता है वह तत्त्वज्ञान-धातृकाररूप चरम तत्त्वज्ञान है। निदिध्यानन यानी योग शास्त्र में कहे गये ध्यान, धारणा तथा समाधि के बिना वह ही नहीं सकता है। 'चरम समाधि विशेष के बाद वह उत्पन्न होता है। इसी लिये गौतम ने पश्चात् कहा है "समाधिविशेषाभ्यासात्।" (४।२।३८) लेकिन पहले ही वह समाधि सम्भव नहीं होता। पहले 'यम' तथा 'नियम' से और अप्यात्म शास्त्रों में कहे गये दूसरे उपार्यों से आत्मा का सस्कार करना चाहिए इसी लिये महर्षि गौतम ने पश्चात् कहा है—तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसस्कारो योगाद्याध्यात्मविध्युपायैः"। ४।२।४६-१

योग शास्त्र में कहे गये नियमों में से ईश्वर प्रणिधान ही अन्तिम है। ईश्वर में सभी कर्मों का अर्पण अथवा भक्ति विशेष ही ईश्वरप्रणिधान है।^१

वास्तव में, परमेश्वर में पराभक्ति के बिना तत्त्वज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता है। इसलिए भुक्ति ने कहा है—'यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ' उसी पराभक्ति के फल स्वरूप परमात्मा का दर्शन होने पर तब उन्हीं के अनुग्रह से शरणागत 'नुमुक्षु' सावक को अपनी आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इस समय में साधक की हृदय प्रस्थि—पहले कहे गये अहङ्कारस्वरूप मिच्छा ज्ञानों का नाश होने से पुन कदापि उसे पुनर्जन्म ही ही नहीं सकता। तो उसी तात्पर्य को लेकर श्री भगवान् ने कहा है—'मागुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते'—गीता ८।१६।

मुण्डक उपनिषद् में भी उसी तात्पर्य में कहा गया है—'भिक्षते हृदय

१. योग दर्शन के समाधि पाद में—'ईश्वर प्रणिधानाद्वा' इस सूत्र के भाष्य में व्यासदेव ने कहा है—'प्राणिधानाद्भक्तिविशेषादावजित ईश्वररत्नमनुगृह्णानि अनिध्यानमायण'। टीकाकार वाचस्पति मिश्रने व्यासदेव की इस कथा की व्याख्या की है कि ईश्वर मोक्ष के इच्छुक योगियों के मानसिक, वाचिक एव शारीरिक भक्ति विशेष में अभिमुखीमूढ होकर अनिध्यान मात्र से भ्रष्टा इग योगी का वह अभीष्ट सिद्ध ही—इग तरह की इच्छा मात्र में उनकी अनुग्रह करत है। इस विषय में आलोचन के लिए विष्णुन मन्वत्तुगादिन व्यासदर्शन पञ्चम लक्ष म २०० से २०६ पृ० तक देखिए।

अन्वित्प्रवृत्तन्ते सर्वमथायाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा-
चरे” २।२।८।

तथा उसी तात्पर्य में ही श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी कहा गया है—‘तमेव
विदिताऽऽतिमृत्युमेतिनान्य पन्थाः निच्यतेऽयनाथ’ ६।८। उस महेश्वर का दर्शन ही
मुक्तिलाभ का एकमात्र मार्ग है—ऐसा कहने पर यह समझा जाता है कि वह
(परमात्मदर्शन) मुक्ति का चरम कारण आत्मसाक्षात्कार का जनक है ।
क्योंकि बिसे मार्ग कहते हैं उसे चरम कारण नहीं कहा जा सकता है ।

पण्डित कथन यह हुआ कि ‘मुमुक्षु’ (मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति) मुक्ति के
चरम कारण आत्मसाक्षात्कार के लिए परमेश्वर के शरण में आने पर उन्हीं के
अनुग्रह से वह आत्म साक्षात्कारस्वरूप तत्त्वज्ञान उन्हें प्राप्त होता है । अतः इसी
श्वेताश्वतर उपनिषद् में ही कहा गया है—‘त इ देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुषु
शरणमह प्रपद्ये’ अन्त में कहा गया है

‘अस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिताऽथर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः’ ॥

परमेश्वर में तथा गुरु में पराभक्ति के बिना उपरोक्त विनय का ज्ञान प्राप्त नहीं
हो सकता है तथा आत्मज्ञान के लिए मोक्ष के इच्छुक व्यक्तियों को परमेश्वर के
शरण में आना चाहिए । यह भी पूजाक्त श्वेताश्वतर मन्त्र में उपदिष्ट होने पर
परमेश्वर में पराभक्ति तथा शरणार्थी तत्त्वज्ञानार्थी मुमुक्षु व्यक्ति के लिए भी
अवगारश्यक है—इस सुवाचीन और शीत सिद्धान्त के बारे में कोई संदेह नहीं है ।
ऋग्वेद संहिता के सातवें मण्डल के पाँचवें अष्टक के चौथे अध्याय में ५९वें सूक्त
में—‘अग्बक यजामहे’ इत्यादि प्रसिद्ध मन्त्र के अन्त में—‘मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्’—
इस भूतिवाक्य से भी परमेश्वर के समीप में मुक्ति की प्रार्थना शत होती है ।

वास्तव में, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना मुक्ति का कारण आत्मज्ञान प्राप्त
नहीं हो सकता है । वेदान्तदर्शन के भाष्य में (२।३।४१) अद्वैतवादी
शङ्कराचार्य ने भी कहा है—‘तदनुग्रहेणैवैव विज्ञानेन मोक्षमिदं भवितु-
मर्हति । कुतस्तच् भुतेः’ । माण्डूक्य पुराण में भी देवीमाहात्म्य के अन्त में
उपरोक्त शीत सिद्धान्त का दर्शन उपाख्यान के द्वारा किया गया है । वहाँ
कहा गया है कि मोक्ष के इच्छुक समाधि नाम के किसी वैश्यकी प्रार्थना-
नुसार देवी ने उसे वरदान दिया था । ‘तत्र ह्यन भविष्यति’

१. ‘मोक्षि वैश्वर्यना ज्ञानकरो निर्विघ्नमानसः ।

ममेऽपहमिति प्राज्ञः मद्भविष्यतिकारकम् ॥

वैश्वर्यं । त्वदायश्च वरोऽन्मतोऽभिवाञ्छित ।

त प्रच्छामि सतिदयं तव ज्ञान भविष्यति ॥

न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम ने भी पीछे (४।१।२१ सूत्र में) सिद्धान्त के रूप में व्यक्त किया है कि जीव के धर्म तथा अधर्म की अपेक्षा करते हुए धर्म के कर्ता परमेश्वर ही सभी कर्मों के कराने वाले तथा फल देने वाले हैं । उनके अनुग्रह के बिना किसी को किसी भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती है । इसलिए मुक्ति भी नहीं मिल सकती है । आगे 'न्यायदर्शन' में 'ईश्वर' इस प्रबन्ध में यह और अधिक स्पष्ट होगा ।



चौथा अध्याय

जीवात्मा के श्रवण तथा मनन का प्रयोजन और उनकी व्याख्याएँ—

मनन होता है कि आत्मा का श्रवण तथा मनन की क्या आवश्यकता है ? उससे तो किसी को आत्म दर्शन नहीं हो सकता है । इसके उत्तर में कहना यह है कि पहले आत्मा का श्रवण तथा मनन के बिना श्रुति विहित 'निदिध्यासन' करना सम्भव नहीं है । क्योंकि पहले जिस तरह से आत्मा का श्रवण हुआ है उसी तरह से उसका मनन करके पीछे उसी तरह से उसके ध्यान आदि करने पड़ेंगे । यही पुरान 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य' इस बृहदारण्यक श्रुति वाक्य से उपदिष्ट हुआ है ।

वास्तव में, आत्मतत्त्व क्या है इस विषय में पहले शास्त्र से श्रवण न करने पर मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति किस तरह से आत्मा का ध्यान कर सकते हैं । अपने शरीर में जो आत्मबुद्धि है उसके अनुसार 'देह ही आत्मा है' इस प्रकार से आत्मा का ध्यान करने पर प्रकृत आत्मदर्शन नहीं हो सकता है । अत आत्मतत्त्व को प्रकाश करने वाले वेद आदि शास्त्र से ही पहले 'आत्मतत्त्व' का श्रवण करना चाहिये । 'श्रवण' शब्द का अर्थ यहाँ केवल कान से किसी शब्द का सुनना नहीं है, अपितु वेद आदि शब्द प्रमाण द्वारा उतरान आत्मा का स्वरूप विषयक मथार्थ शान्द्रोष ही आत्मा का श्रवण है । यह शान्द्रोष भी पहले शास्त्र के सिद्धान्तों को जानने वाले सद्गुरुओं के उपदेश के अनुसार ही करना पड़ेगा । प्राचीन काल में मन को ही आत्मा कहने वाले किसी नास्तिक ने किसी श्रुतिवाक्य विशेष के आधार पर 'मन ही आत्मा है' इसका समर्थन किया था । इसी तरह देहात्मवादी किसी नास्तिक ने किसी श्रुतिवाक्यविशेष के आधार पर भी 'देह ही आत्मा' इसका समर्थन किया था । किसी अन्य श्रुतिवाक्यविशेष के आधार पर अरर किसी इन्द्रियवादी नास्तिक ने इन्द्रिय ही आत्मा है—यह समर्थन किया था । इसी तरह किसी बौद्ध ने बुद्धि अथवा विज्ञान को आत्मा कहकर उसमें भी श्रुतिवाक्य को प्रमाण के रूप में उपस्थित किया था । ऐसे दूसरे किसी बौद्ध दार्शनिक ने शून्य को ही आत्मा कहकर श्रुतिवाक्य का प्रमाण दिया था । वेदानुसार में सदानन्द योगीन्द्र इन सभी श्रुति वाक्यों का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त बातें कह गये हैं ।

उपर्युक्त कोई भी मत ही धृतिका सिद्धान्त नहीं है। धृति में पूर्वपक्ष के रूप में भी अनेक मतों का निर्देश मिलता है और अनेक जगहों में निम्न अधिकारियों के लिए क्रमशः प्रकृत तत्व सगदाने के उद्देश्य से पहले अन्य रूप उपदेश भी किया गया है। प्राचीन काल से इन सभी धृतिवाक्यों के आधार पर अनेक नास्तिकों ने अपनी बुद्धि मूलक कुतर्कों के द्वारा भिन्न भिन्न मतवादों का समर्थन किया है। उन सभी नास्तिक मतों का बीज भी धृति में ही है। किन्तु धृति का सिद्धान्त क्या है—यह शास्त्र के अनुसार विचार करके समझना पड़ेगा।

वेद आदि किसी शास्त्र के द्वारा सभी अधिकारियों को पहले यह सिद्धान्त समझना पड़ेगा कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता है और उसका नाश भी नहीं होता है। आत्मा का किसी प्रकार का विकार नहीं है, आत्मा देह आदि से भिन्न तथा नित्य है। क्योंकि धृति ने सिद्धान्त वाक्य कहा है—
‘अविनाशी वा अरेऽप्यमात्मानुच्छित्तिघर्मा’ (बृहदारण्यक ३।४।१०) ‘न जायते म्रियते वा विपश्चित्’, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः’—(कठ २।१।१८।) श्रीभगवान् ने भी कहा है—

‘न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेषोऽशोष्य एव च।

नित्य सर्वगतः स्यात्पुरचन्दोऽयं सनातनः ॥

गीता, २।२०।२४।

आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती है और उसका नाश भी नहीं होता है, वह शाश्वत नित्य, अच्छेद्य तथा अदाह्य है। आत्मा सर्वव्यापी अचल अर्थात् गतिशून्य तथा सनातन है। आत्मा—“न हन्यते हन्यमाने शरीरे” यानी शरीर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। इन बातों से ज्ञात होता है कि देह, इन्द्रिय तथा मन ये सब आत्मा नहीं है किन्तु इन सबों से भिन्न आत्मा नित्य है। क्योंकि शरीर आदि अच्छेद्य, अदाह्य, सर्वव्यापी तथा गतिहीन नहीं होते हैं। इस रूप से विचार करने पर देह आदि से भिन्न तथा नित्य आत्मा है—शास्त्र के द्वारा इस तरह का जो बोध वही ‘आत्मभ्रमण’ कहलाता है। सबसे पहले ही वह करना चाहिये।

उपरोक्त मार्ग से ‘आत्मभ्रमण’ करने पर भी अपने शरीर आदि में आत्म बुद्धिरूप अहङ्कार की निवृत्ति नहीं होती है। अमरुप मनुष्य आत्मा की नित्यता मुनने पर भी पहले की तरह उनको अपने शरीर आदि में आत्मबुद्धि

होती है और तज्ज्व कुलकारों के प्रभाव से उन लोगों के भी हृदय में अनेक प्रकार के राग तथा द्वेष आदि का उद्भूत होता रहता है ।

अतः आत्मा देह आदि से भिन्न तथा नित्य है—शास्त्र के माध्यम से—इस तरह का 'आत्म भ्रमण' करके पश्चात् उस भ्रमणरूप ज्ञानजन्य सरकार को दृढ़ करने के लिए उपरोक्त रीति से आत्मा का मनन करना आवश्यक है । युक्ति के द्वारा उक्त सिद्धान्त का विवेचन अथवा अधधारण ही आत्मा का मनन है । अनुमान प्रमाण ही युक्ति नहीं जाती है । सर्व मासक सम्मत 'अर्गावसि' रूप युक्ति भी गीतम के मत में अनुमान विशेष ही है । अतः अनुमान प्रमाण के द्वारा आत्मा देह नहीं है, आत्मा इन्द्रिय नहीं है, मन आत्मा नहीं है, आत्मा देह आदि का समष्टिरूप भी नहीं है एवं आत्मा नित्य है—इस तरह का ज्ञान ही आत्मा का मनन कहलाता है ।

पहले कहे गये 'आत्म भ्रमण' के बाद आत्म तत्त्व की धारणा अथवा ध्यान ही मनन नहीं है । क्यों कि यह निदिध्यासन के अन्तर्गत है । किन्तु 'मनन' के बाद ही निदिध्यासन' विहित हुआ है । अतः इस के पहले अनुमान प्रमाण रूप तर्क के द्वारा ही उपरोक्त रीति से आत्मा का मनन करना चाहिए ।

बृहदारण्यक उपनिषद् के—'भ्रूतव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्यः' इस उपदेश के 'मन्तव्य' पद का भाष्यकार आचार्य शङ्कर ने व्याख्या की है—'पश्चान्मन्तव्यस्तर्कतः' अर्थात् 'आत्मभ्रमण' के बाद तर्कों के द्वारा उसका 'मनन' करना चाहिए ।' उक्त तर्क शब्द से शङ्कराचार्य ने भी वेदान्त वाक्यों के अविरोधी अनुमान का ही प्रमाण किया है । वेदान्त दर्शन के द्वितीय सूत्र के माध्यम से शङ्कराचार्य ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वेदान्त वाक्यों के

१. ब्रह्मोपनिषद् के प्रथम अध्याय की द्वितीय बल्ली में 'आत्मा' की अन्वयण कही गयी है और वागे कही गयी है—'नैवा तर्केण मतिरापनेया' यहाँ 'तर्केण' इस एक पदनाम्न तर्क शब्द से वास्तव निरपेक्ष क्षेत्र तर्क ही समझना चाहिये । भाष्यकार शङ्कर ने व्याख्या की है "अनवयवतर्कः स्वबुद्धयतूहेन केवलेन तर्केण" नहि तर्कस्य निष्ठा वाचिद्विद्यते "नैवा तर्केण" स्वबुद्धयन्मूढमात्रेण । वास्तव में निरबुद्धिपूर्वक केवल तर्क से आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है ॥

२. मन्तु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादकारणवादिषु तदर्थप्रहणदादर्शापा-
नुमानमपि वेदान्तवाक्याविरोधि प्रमाण भदन्त निषाम्यन्ते । श्रुत्यैव च सहायरेण
तर्कस्याभ्युपेक्षवान् । तथाहि 'भ्रूतव्यो मन्तव्यः' इति श्रुतिः । 'पण्डितो मेवावी

अर्थज्ञान को हृद करने के लिए वेदान्त के अविरोधी अनुमान को ही प्रहम करना होगा । क्योंकि भ्रूति ही ने तर्क को सहायक रूप में स्वीकार किया है । उक्त स्थल में आचार्य शङ्कर के अन्तिम कथन से ज्ञात होता है कि अनुमान प्रमाणरूप तर्क से ही 'आत्मा का मनन' करना चाहिए—यह उनका भी सम्मत है, ऐसा समझा जाता है ।

इसलिए ही बृहदारण्यक माध्य में आत्मा की नित्यता प्रतिपादन करने के लिए 'न्यायाच्च' इत्यादि सदभां से आत्मा का नित्यत्व साधक 'न्याय' अर्थात् अनुमान प्रमाणात्मक युक्ति का भी प्रदर्शन किया है ।

महर्षि गौतम का न्याय दर्शन अध्यात्म अर्थ में मनन शास्त्र है । इसलिए उन्होंने न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय में मोक्ष के इच्छुक व्यक्तियों के धारे में भ्रूति विहित पूर्वोक्तरूप आत्म मनन के लिए अनुमानात्मक बहुत सी युक्तियों का प्रदर्शन किया है । आत्मा इन्द्रिय नहीं है, आत्मा देह नहीं है, आत्मा मन नहीं है अतः वह आत्मा देहादिसमष्टि रूपों से भिन्न है और आत्मा अनादि एव नित्य है—यह उन्होंने अनेक युक्तियों से सिद्ध किया है । अभी उनके द्वारा कही गई तथा सूचित की गई सभी युक्तियों की यथासंभव व्याख्या करनी चाहिए । महर्षि गौतम ने आत्म परीक्षा प्रकरण में पहले इन्द्रियात्मवाद का पण्डन करने के लिए प्रथम सूत्र कहा है—'दर्शनदर्शानाम्शामेकार्थं प्रदधात्' ३।११ अर्थात् चक्षुरिन्द्रिय से तथा त्वगिन्द्रिय से एक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण इन्द्रिय आत्मा नहीं हो सकता है । तात्पर्य यह हुआ कि कोई किसी वस्तु का चक्षुरिन्द्रिय से देखकर पीछे त्वगिन्द्रिय से उसका स्पर्शन प्रत्यक्ष करने पर वाद में उस व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि जो मैंने नेत्र से देखा था वही मैं त्वगिन्द्रिय से दर्श कर रहा हूँ । इससे ज्ञात होता है कि उक्त स्थल में उस व्यक्ति का चक्षु तथा त्वक् रूप इन्द्रियों पहले दर्शन तथा स्पर्शन प्रत्यक्ष में क्या नहीं है किन्तु उन दोनों इन्द्रियों से भिन्न ही कोई पदार्थ इन दोनों प्रत्यक्षों का कर्ता है । अवश्य ही प्रत्यक्ष करने वाला आत्मा है । क्योंकि जो पदार्थ ज्ञाता अर्थात् ज्ञान का आधर्य है वही आत्मा प्रदधाता है । महर्षि गौतम के मत में जीवात्मा में ही प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिये । आगे यह और अधिक स्पष्ट होगा ।

मैं चक्षुरिन्द्रिय से दर्शन करता हूँ, त्वक् इन्द्रिय से स्पर्श का प्रत्यक्ष करता हूँ, प्राण इन्द्रिय से गन्ध को ग्रहण करता हूँ—इत्यादि प्रकार से हम लोगों को उन

गा धारानेशोपसगच्छत्रैवभेदेहामेचायवान् पुरुषो वद (छा.दोग ६।१।४।२।)
इति च पुरुषसुद्धिमाह रामात्मनो दत्तपति ।—सरीरकभाष्य ॥

समस्त ज्ञानों का जो मानस प्रत्यक्ष होता है उससे भी ज्ञात होता है कि आत्मा चक्षुः आदि इन्द्रियों से भिन्न है। क्योंकि 'करण' से 'कर्ता' भिन्न पदार्थ होता है। नहीं तो आँख में देख रहा हूँ, कान में सुन रहा हूँ—इस प्रकार से मुझ में दर्शन आदि ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? यदि कदाचित् विषयज्ञा वशात् चक्षुः देखता है, कान सुनता है—इस तरह का प्रयोग होता भी हो तथापि किसी को भी इस तरह के दर्शनादि ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष नहीं होता है। मैं जान हूँ, मैं अन्ध हूँ, मैं बहरा हूँ—इस तरह के ज्ञान से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि चक्षुः आदि इन्द्रिय 'आत्मा' है। क्योंकि उस तरह का ज्ञान अज्ञातमक है। परन्तु मेरी आँख काण है अथवा अन्धा है एव मेरा कान बहरा है—इस तरह का भी बोध होता है। अतः जिसकी आँख काण अथवा अन्धा है तथा जिसका कान बहरा है—इसी अर्थ में वह मनुष्य कान अथवा अन्धा है एव वह बहरा है—इस तरह का प्रयोग होता है—यही कहना होगा।

गौतम ने जागे पूर्वपक्ष सूत्र कहा है—'न विषयव्यवस्थानात्' अर्थात् आत्मा इन्द्रियों से भिन्न नहीं है। क्योंकि इन्द्रियवर्गों को विषय का नियम है। अतएव इन्द्रिय वर्ग ही अपने अपने विषयों का प्रत्यक्षकर्ता आत्मा है—इस पूर्व पक्ष के खण्डन के लिए गौतम ने कहा है—'तद्व्यवस्थानादेवात्म सद्भावादप्रतिषेधः' ३।१।३। प्राण आदि पाँच वाह्य इन्द्रियों के विषय नियम से ही इन्द्रियों से पृथक् आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है—जिसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। तत्पर्यय यह हुआ कि गन्ध आदि पाँच विषयों के बीच प्राण इन्द्रिय का ग्राह्य विषय गन्ध ही है, रसना (इन्द्रिय) का ग्राह्य विषय रस ही है चक्षुः का ग्राह्य विषय रज ही है, श्रवण का ग्राह्य विषय स्पर्श ही है तथा ध्वनि का ग्राह्य विषय शब्द ही है—इस प्रकार के विषयों के रहने से सिद्ध होता है कि कोई भी एक वाह्य इन्द्रिय गन्ध आदि सभी विषयों का ज्ञाता नहीं हो सकता है किन्तु उन इन्द्रिय आदि से पृथक् कोई एक पदार्थ इन सभी विषयों का प्रत्यक्ष कर्ता आत्मा है। जिस मैंने पहले गन्ध का प्रत्यक्ष किया था वही अभी रूप का प्रत्यक्ष कर रहा हूँ—इस तरह के मानस प्रत्यक्ष से इन सभी विषयों का ज्ञाता एक आत्मा ही सिद्ध होता है।

इन्द्रियत्ववाद का खण्डन करते हुए महर्षि गौतम ने पुनः कहा है—'सद्य दृष्टदेतरेण प्रत्यभिज्ञानात्' ३।१।६। सत्येन धामेन चक्षुषा दृष्टदेतरेण दक्षिणेन चक्षुषा प्रत्यभिज्ञानात्' अर्थात् बायीं आँख से देखी गई चीज की दाहिनी आँख से प्रत्यभिज्ञा होती है—इसलिए चक्षुरिन्द्रिय आत्मा नहीं है।

तत्पर्यय यह कि इन्द्रिय को आत्मा कहने से चक्षुरिन्द्रिय को ही चाक्षुष

प्रत्यक्ष के कर्ता आत्मा कहना होगा । किन्तु तब चाम आँख से देखी वस्तु को दाहिनी आँख से प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी । क्यों कि दाहिनी आँख ने पहले उस वस्तु को देखा नहीं था । जो वस्तु जिसके द्वारा पहले देखी नहीं गयी है, वह पहले देखे जाने पर उसमें 'सोऽयम्' अर्थात् वही यह पूर्वदृष्ट विषय है—इस तरह प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता है । उक्त रूप प्रत्यक्ष का नाम प्रत्यभिज्ञा है । पूर्वदृष्ट विषयों के स्मरण जनित स्मरणों के बिना इस तरह का प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता है ।

कोई व्यक्ति किसी चीज को पहले चाम आँख से देखकर पड़े उस आँख के निनष्ट हो जाने पर भी दाहिनी आँख से उस विषय का—'सोऽयम्' इस तरह प्रत्यक्ष करता है । इसलिए चक्षुरिन्द्रिय को चान्द्रिय प्रत्यक्ष का कर्ता आत्मा नहीं कहा जा सकता है ।

किमी का चक्षुरिन्द्रिय पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर भी वह व्यक्ति पूर्ण दृष्ट अनेक विषयों का स्मरण करके कहता है । परन्तु वह स्मरण कर्ता कौन है ? निनष्ट चक्षुरिन्द्रिय को अपना वर्तमान अन्य किसी इन्द्रिय को उस विषय का स्मरण कर्ता कहना सम्भव ही नहीं है । इसलिए इन्द्रियो से भिन्न किसी म्याथी पदार्थ को—यहल उस विषय का द्रष्टा एव पश्चात् स्मरण कर्ता कहना पड़ेगा । वही पदार्थ आत्मा है ।

'इन्द्रिय आत्मा नहीं है'—इस सिद्धान्त को प्रतिष्ठापित करने के लिये गौतम ने पश्चात् कहा है—'इन्द्रियन्तरविकारात्' ३।१।१२। तात्पर्य यह कि किमी अन्त रस विशिष्ट फल के रस के दर्शन से अथवा उस फल की गन्ध लगने से किमी व्यक्ति के रसना में विकार उत्पन्न होता है अर्थात् लोभ में पानी भा जाता है । किन्तु तब उसका लोभ पानी से क्यों भीग जाता है—इसको विचारने से ज्ञात होता है कि उस समय में उस व्यक्ति की पूर्वानुभूत अन्त रस का स्मरण होता है, पीछे तत्रातीय समाप्ताद की इच्छा से उसको लोभ होता है । अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता । क्यों कि जिसको तब उस विषय में कुछ भी लोभ नहीं होता है उसको उस फल को देखने से उस तरह के स्मरनेन्द्रिय में विकार हो नहीं सकता है । यह परीक्षित सत्य है । किन्तु जिसको उस फल के समाप्ताद के लिए लोभ होता है उसका पूर्वानुभूत तत्रातीय रस का स्मरण आवश्यक है । अन्यथा उसका उस विषय में लोभ नहीं हो सकता है । अतः उक्त स्थल में उस अन्त रस का स्मरण कर्ता कौन है ?—यह विचार करके कहना आवश्यक है । उस व्यक्ति की चक्षुरिन्द्रिय अथवा प्राण (इन्द्रिय) वाँ उस अन्त रस का स्मरण करता है, यह कहना सम्भव नहीं है, क्यों कि उक्त

दोनों इन्द्रियों ने कदापि उस अम्ल रस का अनुभव नहीं किया है। अम्ल रस चक्षुः अथवा घ्राण इन्द्रिय का ग्राह्य विषय ही नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उस स्थल में उस व्यक्ति का रमनेन्द्रिय ही पूर्वानुभूत अम्लरस का स्मरण करके तृजातीय रस के आस्वाद की इच्छा करता है। क्योंकि वहाँ उस व्यक्ति के रमनेन्द्रियने उस फलका रूप दर्शन अथवा गन्ध ग्रहण नहीं किया है। रूप अथवा गन्ध इसका ग्राह्य विषय नहीं है। किन्तु जिनने अम्ल फल के रूप को देखा है या गन्ध का ग्रहण किया है उसको ही पूर्वानुभूत अम्ल रसों का स्मरण होने पर रमनेन्द्रिय में पूर्वांकि रूप से विकार हो सकता है तथा किसी किसी को वह होता है। दूसरों को वैसा नहीं होता है। अतः मिद्ध होता है कि उस स्थल में इन्द्रियों से भिन्न कोई ऐसा पदार्थ है जो अम्ल फलों का रूप दर्शन अथवा गन्ध ग्रहण करके अपने पूर्वानुभूत अम्ल रस का स्मरण करता है और उसके घाट तृजातीय अम्ल रस की इच्छा करता है। वही वस्तु आत्मा है।

यदि कोई कहे कि स्मरणीय विषय में ही स्मरण उत्पन्न होता है, आत्मा स्मरणीय विषय नहीं है, अतः उस (आत्मा) में किसी स्मृति का जन्म नहीं होगा। अतएव स्मृति के द्वारा इन्द्रियों से प्रत्यक्ष आत्मा का अस्तित्व मिद्ध नहीं हो सकता है।

मरिचि गीतम ने पश्चात् स्वयं इस पृथं पक्ष को उठाकर उसका खण्डन करने के लिये कहा है 'वदात्म गुणत्वसद्भावादप्रतिषेधः' १।१।१४॥ तात्पर्य यह है कि ज्ञान विशेष को स्मृति कहते हैं, इस अर्थ वह (स्मृति) गुण पदार्थ है। किन्तु वह आत्मा का गुण होने पर ही उसकी उपपत्ति हो सकती है। चिर स्थायी आत्मा को छोड़ कर किसी भी दूसरे पदार्थ को स्मृतिका आधार अथवा अभ्रय नहीं कहा जा सकता है। स्मरणीय विषय को स्मृति का आधार नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कि विनष्ट विषय की भी स्मृति होती है, किन्तु जो विनष्ट है, जो नहीं है, वह कदापि स्मृति का आधार नहीं हो सकता है। भिन्न भिन्न अनुभव जग्य भिन्न-भिन्न मस्कार तथा तत्रग्य भिन्न भिन्न स्मृति का आधार भिन्न भिन्न इन्द्रिय ही है—यह भी नहीं कहा जा सकता है। क्या कि किसी इन्द्रिय के नाश होने पर भी उस इन्द्रिय के द्वारा पूर्वानुभूत उस विषय की स्मृति होती है। विनष्ट इन्द्रिय कभी उस स्मृति का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए इन्द्रिय आत्मा नहीं है।

देह भी आत्मा नहीं है।

नास्तिक शिरोमणि चार्वाक ने कहा है कि देह ही स्मृति का आधार है। क्योंकि कि देह ही आत्मा है, वही स्मरण करता है। किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता

है। क्यों कि बाल्य तथा यौवन आदि के भेद से देह भी भिन्न भिन्न होता है। बाल्यावस्था में जो शरीर या इस वृद्धावस्था में वह शरीर नहीं है। शरीर के परिमाण के भेद से भी—शरीर में भेद मानना पड़ता है। अतः अन्यान्य परमाणुओं के संयोग से मेरे पृथक् शरीरों की सृष्टि होती है, यह भी स्वीकार करना होगा। तो इस स्थिति में प्रश्न उठता है कि मैं बाल्यकाल में देखे गये कितने पदार्थों का स्मरण अभी कैसे कर रहा हूँ ? 'मैं' कौन हूँ ? यदि यह देह 'मैं' हूँ तो वृद्ध कालिक देह कदारि उन विषयों का स्मरण नहीं कर सकता है। क्यों कि यह (वृद्धावस्था का) शरीर बाल्यकाल में न रहने के कारण उस समय में इसने उन सब पदार्थों को नहीं देखा था। अतः तज्जन्य संस्कार भी इस (वृद्ध कालिक) देह में नहीं है।

यदि कहा जाय कि बाल्यकालिक शरीर ने जो कुछ देखा तथा उन वस्तुओं का जो संस्कार उत्पन्न हुआ था वे सभी इस वृद्धावस्था के शरीर में संक्रमण कर जाते हैं। इस लिए वृद्धावस्था का भिन्न शरीर रूप आत्मा भी बाल्यकाल में देखे गये सभी वस्तुओं का स्मरण करता है। किन्तु यह भी संभव नहीं है। क्योंकि संस्कार में गति क्रिया न रहने पर एक देह से दूसरे देह में संस्कार का गति विशेषरूप संक्रमण हो नहीं सकता। यदि ऐसा माना जाय तो माँ के शरीर में स्थित संस्कार कुक्षि में स्थित बच्चे के शरीर में क्यों नहीं संक्रमण करता है ? पीछे वह शिशु भी अपनी माँ के अनुभूत विषयों का स्मरण क्यों नहीं करता है ? यदि कहा जाय कि उपादान कारण रूप देहगत संस्कार ही कार्यात्मक शरीर में संक्रमण करता है—ऐसा नियम है, माँ का शरीर कुक्षिस्थ शिशु का उपादान कारण नहीं है, इसलिए मातृ शरीरगत संस्कार का संक्रमण कुक्षिस्थ शिशु के शरीर में नहीं होगा।

ऐसा कहने पर बाल्यकालिक शरीरगत संस्कार भी वृद्धावस्था के शरीर में संक्रमण नहीं कर सकेगा। क्योंकि बाल्यकालिक शरीर बहुत पहले नष्ट हो जाने से बाद में वृद्धावस्था के शरीर के प्रति कभी वह उपादान कारण नहीं हो सकता है।

वृद्धावस्था के देह में तज्जातीय अन्य संस्कार की उत्पत्ति ही होती है—यही संस्कार के संक्रमण से यहाँ अभिप्रेत है—यह भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों कि वृद्धावस्था के शरीर में बाल्य कालिक शरीर में उत्पन्न संस्कारों के समान जातीय अन्य संस्कार का कोई भी उत्पादक कारण नहीं है। वृद्धावस्था का शरीर उन सब विषयों को न देखने से उसमें तद्विषयक अन्य संस्कार भी उत्पन्न नहीं हो सकता है।

यह सभी के द्वारा स्वीकृत सत्य है कि जिसने जिस विषय का कदापि अनुभव नहीं किया है उसको उस विषय का कोई भी संस्कार नहीं हो सकता है। इसलिए यह कदापि नहीं कहा जा सकता है कि स्मृति देह का गुण है, तथा शरीर ही आत्मा है।

चैतन्य अथवा ज्ञान शरीर का विशेष गुण नहीं है अर्थात् शरीर ही ज्ञाता अथवा आत्मा नहीं है—इसको समर्थन करते हुए महर्षि गौतम ने पश्चात् कहा है—‘यावन्शरीरभावित्वाद्द्रुपादीनाम्’ ३।२ ४७। तात्पर्य यह है कि जब तक शरीर विद्यमान रहता है तब तक किसी प्रकार के रूप रस प्रमृति विशेष गुण भी उस (शरीर) में रहते हैं। अतः ज्ञान यदि शरीर का ही विशेष गुण हो तो जब तक शरीर रहेगा तब तक किसी प्रकार का ज्ञान उसमें रहेगा। शरीर कभी भी ज्ञान रूप विशेष गुण के बिना नहीं रह सकता है। किन्तु शरीर के रहने पर भी कदाचित् किसी प्रकार का ज्ञान ही उसमें नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान शरीर का विशेष गुण नहीं हो सकता है। देहात्मवादी अवश्य ही कहेंगे कि शरीर के सभी विशेष गुण रूप रस आदि की तरह शरीर के स्थितिपर्यन्त उसमें विद्यमान ही रहते हैं—इस नियम में कोई प्रमाण नहीं है। शरीर के सभी विशेष गुण ही तो एक जातीय नहीं हैं। अतः शरीर में अस्थायी विशेष गुण भी रह सकते हैं। इसी लिये महर्षि गौतम ने पश्चात् फिर से कहा है—‘शरीरव्या- रित्वात्’ ३।२।५०।

अर्थात् ज्ञान शरीर व्यापी है, शरीर के सभी अंशों में ही ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञान शरीर का ही विशेष गुण है—यह नहीं कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि शरीर के हाथ पैर आदि सभी अंगों में जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब उन सभी अङ्गों को ज्ञान का आधार मानने पर प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न बहुत ज्ञाताओं अथवा आत्माओं को स्वीकार करना होगा। किन्तु हाथ पैर आदि सभी भिन्न भिन्न अवयव पृथक् पृथक् आत्मा है—इसमें कुछ प्रमाण नहीं है।

जो मैं हाथ से छूता हूँ वही मैं आँख से देखता हूँ और कान से सुनता हूँ—इस तरह का ही ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न ज्ञानों को करने वाले बहुत से आत्मा हैं—यह सभी के अनुभव के विरुद्ध है। अर्थात्, प्रत्येक शरीर में बहुत आत्माओं को स्वीकार करने से सभी कार्यों में सभी का ऐकमत्त्व कभी संभव न होने पर किसी आत्मा का ही सभी कार्यों का निर्वाह नहीं हो सकता है। परन्तु सभी आत्माओं के वैमत्त्व मूलक विरोध से अनेक समय में बहुत अनर्थों के हो जाने की आपत्ति होती है। परन्तु शरीर

का प्रत्येक अङ्ग यदि ज्ञाता है तो कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को हाथ से दृता है तब उसके उस हाथ में ही त्वाच प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है तथा (तन्मय) स्वरकार धनता है—यह मानना होगा । पीछे उस हाथ के कट जाने पर भी वह व्यक्ति कैसे उसको स्मरण करता है ? उस व्यक्ति का पूर्वत्पन्न प्रत्यक्ष कर्ता वह हाथ तो तब उत्पन्न है ही नहीं । उस व्यक्ति का उस हाथ में स्थित स्वरकार किसी दूसरे अवयव में संक्रमण नहीं कर सकता है—संसार कारण मने पहले कहा है ।

शरीर में चैतन्य या ज्ञान उत्पन्न होता है—यह कहने से उस शरीर के निर्वाह मूल परमाणुओं में भी चैतन्य स्वीकार करना होगा । क्योंकि मूल परमाणुओं में चैतन्य नहीं रहने पर उन परमाणुओं के कार्यरूप शरीर में भी चैतन्य उत्पन्न नहीं हो सकता है । ज्ञान का ही दूसरा नाम चैतन्य है तथा वह गुण पदार्थ है । लेकिन उपादान कारण में जो विशेष गुण रहते हैं वे ही उनके कार्यद्रव्य में स्पर्शमानजाताय विशेषगुणों को उत्पन्न करते हैं । अवश्य ही, शरीर के माधात् उपादान कारण हाथ पैर आदि की तरह उनके मूल परमाणुओं में भी चैतन्य स्वीकार करना होगा ।

उन मूल परमाणुओं में चैतन्य कैसे उत्पन्न होगा ? चावाक नित्य चैतन्य स्वीकार नहीं करते हैं । उनके मत में सभी अनित्य हैं । परन्तु परमाणुओं में चैतन्य स्वीकार करने पर घट पट आदि सभी जड़ पदार्थों को भी चेतन करके स्वीकार करना होगा परन्तु चावाक भी वह नहीं मानते । अतः शरीर में ही चैतन्य उत्पन्न होता है—शरीर ही ज्ञाता आत्मा है—यह किसी भी प्रकार से कहा जा नहीं सकता ।

नास्तिक शिरोमणि चावाक ने अतीन्द्रिय कोई पदार्थ नहीं माना है । अतः उनके मत में अतीन्द्रिय परमाणु नहीं है । किन्तु उन्होंने (चावाक) पृथिवी, जल, तेज और वायु—इन चतुर्भूतों को मान कर इनके सूक्ष्म अणुओं को भी अवश्य ही स्वीकार किया है । उन्होंने कहा है कि जैसे गुड और चावल में मादकता नहीं रहने पर भी इन दोनों द्रव्यों के मिश्रण से उत्पन्न द्रव्य में मादकता उत्पन्न होता है ऐसे ही चतुर्भूतों के अति सूक्ष्म अणुओं में चैतन्य के नहीं रहने से भी उन चतुर्भूतों के परमाणुओं के विच्छेदण संयोग से उत्पन्न शरीर में चैतन्य का जन्म होता है ।

चावाक की यह बात भी ग्रहण करने योग्य नहीं है । क्योंकि गुड अथवा चावल में एकदम मदशक्ति या मादकत्व के नष्ट रहने पर इन दोनों द्रव्यों के मिश्रण से उत्पन्न मद्य में कदापि मादकता उत्पन्न नहीं हो सकती है । अन्यथा

जिन किसी दो द्रव्यों के मिश्रण से उत्पन्न द्रव्य मात्र ही मय की तरह मादक क्यों नहीं होता है ? पलित कथन यह हुआ कि चैतन्य या ज्ञान को यद शरीर का विशेष गुण माना जाय तो शरीर के हस्तादादि प्रत्येक अवयवों तथा उनके मूल परमाणुओं में भी चैतन्य स्वीकार करना होगा । किन्तु वह किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है इसलिए स्मृति नामक ज्ञान शरीर का विशेष गुण है यह भी नहीं कहा जा सकता है ।

नव जात शिशुआ को माँ के दूध पीने की प्रथम इच्छा का कारण जो स्मृति विशेष है वह उसके उस शरीर में तब उत्पन्न हो ही नहीं सकता । क्यों कि इससे पहले उसका उस शरीर ने कभी भी स्तन्यपान आदि मेरा इष्ट कनरु है—इस तरह से अनुभव नहीं किया है । आगे जाकर यह स्पष्ट होगा । पलित कथन यह है कि देह भी आत्मा नहीं है ।

मन भी आत्मा नहीं है ।

पूर्वपक्ष यह हो सकता है कि जिन युक्तियों से चक्षु आदि बाह्य इन्द्रिय तथा शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हुआ है उन सभी उक्तियों से चिरस्थायी तथा नित्य मन का ही आत्मत्व सिद्ध हो सकता है । अर्थात् चैतन्य या ज्ञान मनका ही गुण है और मन ही ज्ञाता है—यह कहा जा सकता है ।

महापि गौतम ने स्वयं आगे जाकर इस पूर्वपक्ष को उठाकर इसके उत्तर में कहा है—‘ज्ञानज्ञानसाधनोपरतो सत्त्वमेदमानम् । ३ १। १६। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ ज्ञानों का वर्ग अवयव ज्ञाता है उसके सभी ज्ञानों का साधन अथवा कारण होते हैं । अन्यथा उसके किसी भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है । अतः उन ज्ञानों के सुख तथा दुःख आदि के प्रत्यक्ष का भी कोई कारण अवश्य मानना पड़ेगा—उसी का नाम मन है । इसलिए वह (ज्ञान का कारण मन) ज्ञान कत्ता अथवा ज्ञाता नहा ही सकता है । क्यों कि कत्ता और कारण ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं । इस स्थिति में यदि ज्ञाता का मन कहकर उसके सुख तथा दुःख आदि के भोग का कारण—पृथक् किसी अन्तरिन्द्रिय को दूसरा नाम धराकर स्वीकार किया जाय—इससे नाममेद मात्र ही होगा, पदार्थ में कोई भेद नहीं होगा । क्यों कि सुख तथा दुःख आदि के भोगों के कत्ता तथा उसके कारण भिन्नरूप से स्वीकृत हो रहे हैं परन्तु सुख तथा दुःख आदि के भोगों के कारण रूप में जो अन्तरिन्द्रिय मन नाम से स्वीकृत हुआ है उसको ही (मनको) ज्ञाता के रूप में स्वीकार नहा किया जा सकता है । क्यों कि वह (मन) कारण रूप से ही सिद्ध है ।

पूर्वपक्षी यदि कहते हैं कि ज्ञाता को बाह्य विषयों के प्रत्यक्ष में कारण है, किन्तु सुख तथा दुःख आदि के प्रत्यक्ष में कोई कारण नहा है—अतः

मन को ज्ञान का कर्त्ता ही वहेगे। इसके उत्तर में महर्षि गौतम ने पश्चात् कहा है “नियमश्च निरनुमान” [३।१।१७] तापर्य यह है कि बाह्य विषयों के प्रत्यक्ष में चक्षु आदि इन्द्रियों करण हो सकती है किन्तु सुख तथा दुःख आदि के प्रत्यक्ष में करण की आवश्यकता नहीं है—इस तरह का नियम निष्प्रमाण है। किन्तु हमारे बाह्य विषयों के प्रत्यक्ष की तरह सुख और दुःख आदि के प्रत्यक्ष में भी अवश्य कोई करण है—यही अनुमानप्रमाण से सिद्ध है। यही करण मन नाम से कहा गया है। अतः उसको ज्ञान का कर्त्ता अथवा ज्ञाता नहीं कहा जा सकता है। क्यों कि जो ज्ञान का करण होगा वह ज्ञान का कर्त्ता नहीं हो सकता है। परन्तु मैं चक्षु से रूप को देखता हूँ, प्राण (नाक) से गन्ध को सूँघता हूँ—इत्यादि मानस प्रयत्नों के बाद जैसे चक्षु यदि करण को ज्ञान के कर्त्ता से भिन्न रूप से ही समझा जाता है उसी तरह से मैं मन से सुख और दुःख का अनुभव करता हूँ—इस तरह के मानस प्रयत्न के बाद मन को भी ज्ञाता से पृथक् करके समझा जाता है। अतः मन ज्ञाता नहीं है यानी ज्ञान मन का गुण नहीं है।

महर्षि गौतम ने आगे उस विषय में और अधिक युक्तिओं का उल्लेख किया है।

यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि महर्षि गौतम मन को अति सूक्ष्म पदार्थ के रूप से समर्थन करने से यह भी स्पष्ट हुआ है कि ज्ञान आदि मन का धर्म नहीं है अर्थात् मन ज्ञाता नहीं है।

कारण यह है कि अतिसूक्ष्म द्रव्याके मायिक तद्गत (अति सूक्ष्म द्रव्यगत) गुणों का भी लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः यदि ज्ञान तथा सुख दुःख आदि को मन का धर्म मान लिया जाय तो उन सबों का भी लौकिक मानस प्रयत्न नहीं हो सकेगा। परन्तु अतिसूक्ष्म मनको यदि ज्ञाता मान लिया जाय तो वह शरीर के सभी अंशों में नहीं रहने से समूचे शरीर सफेद भी ज्ञान उस मन में उत्पन्न नहीं हो सकता है। किन्तु अनेक समय में शरीर के सभी अंशों में आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। परमशीतार्त व्यक्ति एक ही काल में सकल शरीर में ज्ञान का अनुभव करता है। पीडा विशेष के हो जाने से रागी सकल शरीर में ही वेदना का अनुभव करता है। इसलिए यह स्वीकार करना शक्य कि सकल शरीर में ही बोद्धा आत्मा है।

मन आत्मा होने पर शरीर में सर्वत्र उसकी सत्ता समझ नहीं होती। इस लिए मन आत्मा नहीं है। आत्मा आकाश की तरह सर्वव्यापी है। वैशेषिक दर्शन में कणाद ने भी कहा है—“विमवान्महानाकाशस्तथा आत्मा। १।१।२२। ‘विमवात्’ अर्थात् विभु (सर्वव्यापि) के कारण जैसे आकाश मरान् है

वैसे ही जीवात्मा भी महान् है । न्यायसूत्रकार गौतम का भी वही मत है ।
आगे जाकर यह स्पष्ट होगा ।^१

इति चौथा अध्याय ।

१ अवध्य जीव अणु है—यह भी एक प्राचीन मत है । वैष्णव दार्शनिकों ने इसी मत को सिद्धांत रूप में सम्यक्तया किया है । किंतु न्याय वैशेषिक संप्रदाय के मत में प्रत्येक जीवात्मा ही आकाश की तरह सर्वव्यापी है । श्री भगवान् ने भी जीवात्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है—‘नित्यं सवगतं स्थानुरचलोऽयं सनातनः (गीता २।२४) विष्णु पुराण में भी स्पष्ट ही कहा गया है—‘पुमान् भवगतो व्यापी आकाशवदयं यत्’ इत्यादि । (१२।१५।२४) इस मत में निर्विकार निरवयव जीवात्मा का सङ्कोच विकास तथा (गतागति) गमनागमन सम्भव ही नहीं है । साध्य आदि सम्प्रदाय के मत में जीव के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का ही उत्क्रमण एव गमनागमन होता है—यही शास्त्र में उत्पत्ति एव गतागति नाम से कहा जाता है । किंतु कणाद तथा गौतम सूक्ष्म शरीर का उत्पन्न नहीं करने से इनके मत में मन ही सूक्ष्म शरीर के स्थान में है—एना गत होता है । प्राचीन वैशेषिकाचार्य प्रद्युम्नपाद ने भी कहा है कि जीवक मृत्यु के बाद दूसरे क्षण में उत्पन्न आतिवाहिक शरीर विगोप के बीच प्रविलीन होकर जीव का वही मन परलोक जाता है । अर्थात् सूक्ष्म शरीर से उसी मन की ही उत्पत्ति होती है तथा परलोक में गति होती है और अवसर पर हम लोक में उत्पन्न स्थूल शरीर में आगति होती है । जीवात्मा की उपाधि उसी अत्र वर्णन प्रथवा मनसा मूर्च्छत्व लेकर शास्त्र में किसी किसी स्थल में जीवको ‘अणु’ कहा गया है । किसी स्थल में दुर्जय के अर्थ में भी जीवात्मा का अणु कहा गया है । शारीरिक भाष्य में (२।३।२०) आचार्यगङ्गुल ने भी उसी प्रकार की बात ही अत्र ही कही है ।

पाँचवाँ अध्याय

जीवात्मा की नित्यता और पूर्वजन्म की साधक युक्तियाँ

पहले कही गयी नाना युक्तियों के द्वारा देह आदि से भिन्न जीवात्मा की मिट्टि होने पर भी वह नित्य है अर्थात् उसका जन्म और विनाश नहीं होता है—इसकी सिद्धि नहीं होती। अतः महर्षि गौतम ने जीवात्मा के नित्यत्व सिद्ध करने के लिए युक्तियों को प्रकाश करते हुए बाद में कहा है 'पूर्वाम्पस्तस्मृत्यनुवन्धाज्जातस्य हर्षभयशोकसप्रतिपत्ते' ३।१।१८। अर्थात् नवजात शिशुओं को हर्ष, भय तथा शोक की प्राप्ति होने से यह अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है। क्योंकि हर्ष, भय और शोक आदि पूर्वाम्पस्त विषयों के अनुस्मरण से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि नवजात शिशुओं को हँसते हुए देखकर अनुमान किया जाता है कि उसे हर्ष हुआ है, उसके शरीर में कम्प देख कर अनुमान होता है कि उसे भय हुआ है। एवं बच्चों को रोते हुए देखकर अनुमान होता है कि उसे शोक या दुःख विशेष हुआ है। अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति से जो मुल होता है उसी का नाम हर्ष है। अभिलषित वस्तुओं के अभाव में अथवा प्राप्त नहीं होने से जो दुःख होता है उसी का नाम शोक है। किन्तु किसी विषय को अपने इष्टजनक के रूप में नहीं समझने पर उस विषय की अभिलाषा या इच्छा किमी को नहीं होती है। अतः नवजात शिशु भी उस समय में किमी विषय को इष्टजनक समझकर ही उस विषय की इच्छा करता है एवं उसके प्राप्त हो जाने पर हृष्ट होता है और नहीं मिलने से दुःखित होता है—यह मानना होगा। किन्तु इसी जन्म में पहले-पहल उसका ऐसा बोध सम्भव नहीं है। इसलिए स्वीकार करना होगा कि नवजात शिशु का यह आत्मा नित्य है। पूर्वपूर्व जन्मों में उसको (शिशु) हम तरह की वस्तुओं का इष्टजनक के रूप में ज्ञान होने से उसी ज्ञान से उत्तरत सरकार से इस जन्म में उसको उन वस्तुओं में इष्टजनकता की स्मृति होती है। उस स्मृत्यात्मक ज्ञान से ही उस शिशु को तत्कालीन विषयों की इच्छा होती है।

गौतम ने बाद में पूर्वपञ्च सूत्र कहा है—'पञ्चादिषु प्रबोधममीप्सवत् तदि कारः'। अर्थात् पूर्वपञ्चवादी यह कह सकते हैं कि नवजात शिशुओं का शरय आदि कमल आदिके विकास सञ्चोच की तरह उसके देह का ही तत्कालिक विकार अथवा

अवस्था विशेष है। उसके द्वारा उस के हर्ष आदि का अनुमान नहीं किया जा सकता है। इसके उत्तर में गौतम ने कहा है—'नोष्णशीत वषाकालनिमित्तत्वात् पञ्चात्मकविकाराणाम्' ३।१।२०। अर्थात् उपरोक्त बातें कही नहीं जा सकती हैं। क्योंकि पॉच भूतों से बना हुआ पञ्च आदि द्रव्य का विकास अथवा संकोच रूप जो सत्र विकार हैं, व स्वाभाविक नहीं हो सकते हैं। उसका भी निमित्त या कारण है। उष्ण, शीत तथा वषाकाल आदि ही उसके कारण होते हैं। किन्तु नवजात शिशुओं का उस हास्य, कम्प एवं रोदन का कारण क्या है—यह कहना आवश्यक है।

कमल की तरह सूर्यकिरण के सयोग से उस शिशु का मुखविकास एवं नियमित मुखमुद्रण भी रात में नहीं होते हैं। अवसर पर किसी अन्य कारण से उस शिशु का मुखविकास आदि होने पर भी अनेक समय में उस शिशु का जो वास्तव हास, कम्प और रोदन—क्रमशः हर्ष, भय तथा शोक से होते हैं—यह मानना पड़ता है। उस हास्य आदि का दूसरा कोई कारण नहीं कहा जा सकता है।

अपि च, सुबक तथा वृद्ध आदि सबके लिये हीहर्ष तथा शोक जैसे हास्य और रोदन के कारण के रूप में सर्वसम्मत हैं उसी तरह से नवजात शिशु के बारे में भी ऐसा नहीं मान कर किसी नये कारण की कल्पना करने पर वह ग्राह्य नहीं हो सकता है। इसलिए नवजात शिशु के उस हास्य एवं रोदन से उसके हर्ष तथा शोक का अनुमान होने पर उससे पूर्वोक्त रीत्या उसका पुनर्जन्म सिद्ध होने से आत्मा की नित्यता ही सिद्ध होती है।

इसी तरह नवजात शिशु के भय से भी उसका पूर्वजन्म सिद्ध होने पर आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। श्रीमद्वाचस्पति मिश्र ने इसको अच्छे ढङ्ग से व्यक्त किया है। उनका कहना है—यह देखा जाता है कि नवजात शिशु कदाचिद् माँ की गोद से थोड़ा सा खलित होने पर ही उसी समय रोता हुआ कर्मित शरीर के फैलाये हुए दोनों हाथों से माँ के वक्षस्थ महन्सूत्र को पकड़ लेता है। यह ऐसे क्यों करता है? सुबक और वृद्ध आदि की तरह नवजात शिशु भी गिरने के डर से भयभीत होकर गिरने से अपने को बचाने के लिए क्यों उस तरह की चेष्टा करता है? पतन दुःख का कारण है—इस तरह के ज्ञान के बिना उस समय में उसकी भय, दुःख तथा उस तरह की चेष्टा ही नहीं सकती है। क्योंकि यह सत्य है कि प्राणिमात्र ही 'पतन दुःख का कारण है'—इस प्रकार के ज्ञान से ही गिरने के डर से भयभीत होता है, और यथाशक्ति पतन को रोकने के लिए चेष्टा करता है। जो प्राणी किसी स्थान से पतन को

अग्ने दुःख के कारण के रूप में नहीं सङ्गता है, वह कदापि उस स्थान से गिरने के डर से भयभीत नहीं होता है ।

अतः पूर्वोक्त स्थल में नवजात शिशु के इस तरह के प्रपतन के द्वारा भी माँ की गोद से उसके गिरने का भय अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने से उसके पूर्व पतन दुःख का कारण है । इस तरह का ज्ञान भी उसका अवश्य स्वीकार करने योग्य है ।

इसलिए यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है कि नवजात शिशु के आत्मा ने पूर्वजन्म में कई बार पतन की पूर्वावस्था तथा बाद में पतन का भी अनुभव करते हुए वह (पतन) दुःख का कारण है—इसका भी अनुभव किया है । अतः उन अनुभवों से उत्पन्न उन सब विषयों के संस्कार उस आत्मा में हैं । पूर्वोक्त स्थल में इस जन्म में उन संस्कारों से पतन की पूर्वावस्था को जानकर उससे अपने भावी पतन का अनुमान करके पतन दुःखजनक है इस प्रकारका अनुमान करता है । अतः उस समय में वह पतन के भय से भीत होकर उस पतन को रोकने के लिए उस प्रकार की चेष्टा करता है । पतन की पूर्वावस्था तथा पतन—जो उसका पूर्वानुभूत है—उसके स्मरण के बिना कदापि उसको उस प्रकार का भय नहीं हो सकता है । संस्कार के बिना भी उसको उन सभी विषयों की स्मृति नहीं हो सकती है । अतः उसका पूर्वजन्म अवश्य स्वीकरणीय है । आत्मा की उत्पत्ति न होने पर भी किसी अभिनव शरीर आदि के साथ विलक्षण सन्ध रूप जन्म है । अनादि काल से ही आत्मा के ऐसे जन्म स्वीकार योग्य होने से यह भी मानना होगा कि आत्मा नित्य है ।

पूर्वोक्त सूत्र के भय शब्द से अज्ञान जीवमात्र का मृत्युभय भी पूर्वजन्म के सापक के रूप में गौतम का विवक्षित है—यह समझा जाता है । योगदर्शन में पतञ्जलि ने अन्त में अविद्या आदि पाँच क्लेशों में अन्त में 'अभिनिवेश' नाम का जो क्लेश कहा है वह ही वस्तुतः मृत्यु भय रूप क्लेश है । किन्तु उस मृत्यु भय का भी कारण चतनाना पड़ेगा । जीवों का स्वभाव अथवा मानसिक दुर्बलता का ही फल मृत्युभय है यह नहीं कहा जा सकता है । मृत्यु को दुःख का कारण करके नहीं समझने पर किसी को भी मृत्युभय नहीं हो सकता है । क्योंकि जीव ने जिसे अग्ने दुःखों के कारण के रूप में पहले कभी अनुभव नहीं किया है वह जीव कदापि उससे नहीं डरता ।

इसलिए यही स्वीकार करना होगा कि पूर्व पूर्व जन्मों में प्रत्येक जीव ने यह अनुभव किया है कि मृत्यु की पूर्वावस्था दुःखजनक होती है और उसी से ही उत्पन्न संस्कार के द्वारा परवर्तीजन्म में भी मृत्यु से भयभीत होता है । समय विशेष में बहुतों के किसी कारण से वे संस्कार अभिभूत होने पर भी साधारण जीवों का

वदमूल अनादि मरुतार नष्ट नहीं होता है । अतः उसी सत्कार से उत्पन्न स्मृति से ही मृत्युमय होता है । योगदर्शन के माध्य में व्यासदेव ने उसी मृत्युमय को निरापत्तं जव के पूर्वजन्म के साधक के रूप में प्रकाश किया है ।

आत्मा की नित्यता सिद्ध करने के लिए महर्षि गौतम ने आगे फिर से कहा है—‘प्रेत्याहाराभ्यासवृत्तात्स्तन्याभिलाषात्’ ३।१।२१। अर्थात् नवजात शिशु को पहले पहले ज्ञा स्तनपान की इच्छा होती है—यह उसके पूर्वजन्म के आहार के अभ्यास से उत्पन्न है । इसलिए उस इच्छा से भी उसका (शिशु का) पूर्वजन्म सिद्ध होने से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है ।

तात्पर्य यह है कि नवजात शिशु के सबसे पहले स्तनपान के समय में उसके मुख की क्रिया विशेषात्मक चेष्टा को देखकर उससे उसका कारण प्रयत्नात्मक प्रवृत्ति का अनुमान होता है । अतः उस प्रवृत्ति के द्वारा उस विषय में उसकी इच्छा का अनुमान होता है । क्योंकि इच्छा के बिना प्रवृत्ति हो नहीं सकती । परन्तु ज्ञान के बिना भी इच्छा नहीं होती है । इसलिये उस इच्छा से उसके कारण ज्ञान का अनुमान होता है । जिस विषय में पहले ‘यह मेरा इष्टजनक है’ इस भाँसा का ज्ञान उत्पन्न होता है उसी विषय में उस ज्ञान से इच्छा होती है तथा उसी इच्छा से उस विषय में प्रयत्नात्मक प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है और उस प्रवृत्ति से उस कार्य के अनुकूल शारीरिक क्रियारूप चेष्टा उत्पन्न होती है—इस प्रकार का कार्यकारणभाव सर्वजनसिद्ध है । तथा बालक, रुयक और वृद्ध आदि सभी को ‘आहार मेरा इष्टजनक है’—ऐसी स्मृति से आहार की इच्छा होती है, तथा उन सभी लोगों के आहार ने पूर्वकृत अभ्यासजनित सत्कार से ही आहार शुषा (मूल) को निवृत्त करता है—ऐसा स्मरण होता है—यह भी सर्वजनसिद्ध है । इसलिए यह मानना होगा कि नवजात शिशु को जो सबसे पहले दूध पीने की इच्छा होती है वहाँ भी उसके कारण के रूप में ‘आहार मेरा इष्टजनक है’ यह स्मरण होता है । और नवजात शिशुओं की उस स्मृति के कारण के रूप में उसके पूर्वजन्म का आहाराम्बास मूलक सत्कार ही स्वीकार करना होगा । क्योंकि इस जन्म में सबसे पहले उसको इस तरह के सत्कार की प्राप्ति का कारण नहीं है ।

गौतम ने आगे जाकर पूर्वजन्म स्पष्ट कहा है—‘अयमोऽयस्कान्ताभिगमनवत्तदुपमर्षणम्’ ३।१।२२ । अर्थात् पूर्वपक्षपाटी कहेंगे कि “अयम” (लोहम्) “अपस्कान्ताभिगमनवत्” अर्थात् पूर्वाम्बासमूलक सत्कार के बिना भी धनु शक्ति के द्वारा जैसे लोहा अपस्कान्तमणि की (चुम्बक की) ओर जाता है उसी तरह नवजात शिशु का मुख मातृदूध की ओर जाता है ।

गौतम ने इस बातका खण्डन करने के लिए बाद में कहा है—‘नान्यत्र प्रवृत्त्यभावात्’ ३।१।२३ अर्थात् पूर्वोक्त बात नहीं कही जा सकती । क्योंकि उक्त स्थल में लोहे में प्रयत्नात्मक प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती है । अयस्कान्त-मणि (चुम्बक) की ओर जो लोहे की गति है वह क्रियामात्र है, प्रवृत्तिरूप चेष्टारूप क्रिया नहीं है ।

भाष्यकार वात्स्यायन ने गौतम के तार्क्य की व्याख्या की है कि चुम्बक की ओर लोहे की गति क्रियारूप जो प्रवृत्ति है उसका अवश्य कोई नियत कारण है । अन्यथा चुम्बक की ओर लोष्ट्र (टोला) आदि जो कोई भी द्रव्य क्यों नहीं जाते ? एवं वही लोहा भी किसी दूसरे पदार्थ की ओर क्यों नहीं जाता ? इसलिए यह अवश्य मानना होगा कि लोहा ही जो चुम्बक की ओर ही आकृष्ट होता है उसका कोई नियत कारण अवश्य है । तो उसी तरह नवजात शिशु स्तन्यपान के लिए माँ के स्तन की ओर ही जो जाता है—इसका भी कोई नियत कारण अवश्य मानना पड़ेगा । किन्तु नवजात शिशु जो आहार की इच्छा से ही माँ के स्तन की ओर जाता है—अर्थात् उस आहार की इच्छा से ही उस समय में आहार के लिए उसकी वह प्रयत्नात्मक प्रवृत्ति होती है और उससे ही उसके शरीर में उस तरह की चेष्टा उत्पन्न होती है, यही मानना पड़ेगा । क्योंकि आहार की इच्छा के बिना कदापि आहार के विषय में प्रवृत्ति नहीं होती । उस प्रवृत्ति के बिना भी आहार के लिए उस तरह की चेष्टा नहीं होती । सर्वसिद्ध कारणों को छोड़कर उसी विषय में किसी अभिन्न कारण की कल्पना करने पर भी यह प्राय नहीं हो सकता ।

वास्तव में, माँ के स्तन की ओर नवजात शिशु के मुख की जो सामयिक क्रिया है वह कभी भी चुम्बक की ओर लोहे की गति के मानिक है, यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि अयस्कान्तमणि (चुम्बक) के निकट लोहे को रखने से उसी समय वह (लोहा) उससे सम्मिश्रित होता है किन्तु माँ के स्तन में नवजात शिशु के मुख को लगाने से भी बहुत समय में उसके मुँह में क्रिया उत्पन्न नहीं होती, यह अवश्य मानना पड़ेगा । इसलिए नवजात शिशु जिस संस्कार के बल से स्तन्यपान को अपने इष्टजनक के रूप में स्मरण करता है, यह स्मरण जब तक उद्बुद्ध नहीं होता है तब तक उसको उस प्रकार की स्मृति न होने पर स्तन्यपान की इच्छा नहीं होती—यही मानना पड़ेगा । अन्यथा चुम्बक के निकट लोहे की तरह मातृस्तन के नजदीक उपस्थित शिशु का मुख सर्वत्र पहले ही माँ के स्तन से ही क्यों नहीं सम्मिश्रित होता है ?

अन्य ग्रन्थ बहुत समय में प्रातः काल उठकर देखते हैं कि अपनी गोशाला में बछड़ा अन्न लेकर स्वयं खड़ा होकर अपनी माँ का दूध पी रहा

है। तरोवन में ऋषियों ने देखा है कि मृगशिशु प्रसूत होकर स्वयं अपनी माँ का दूध पीने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। यहाँ प्रश्न उठता है कि ये बछड़े आदि कैसे उसी समय में अपनी माँ के स्तन को पहचान लेते हैं। माँ के स्तन में दूध है, वह प्रतिघात करने पर निकलेगा और वह दूध का पीना भूख को मिटानेवाला है यह भी वह कैसे समझ सकता है ?

ऐसे स्थलों में उन सभी विषयों के स्मरण के बिना उन सब विषयों की हृच्छा, तज्ज्य प्रवृत्ति तथा प्रवृत्तिजन्य ऐसी चेष्टा कदापि नहीं हो सकती है। अतएव पूर्वजन्म का सस्कार ही उन सबों की इस स्मृति का कारण कहना पड़ेगा। अतः उन सबके (बछड़े आदि के) भी पूर्वजन्म के सस्कार ही उनके उस विषय में स्मरण का कारण कहना पड़ेगा। अतः उनका भी पूर्वजन्म स्वीकार करने योग्य होने पर आत्मा का नित्यत्व अवश्य स्वीकार्य है।

मृगशिशु प्रसूत होकर आप से ही अपनी माँ का स्तन्यपान करने में प्रवृत्त हुआ है—यह देखकर आचार्य शङ्कर के शिष्य तुरेश्वराचार्य ने भी आत्मा की नित्यता में अनुमान प्रमाण को प्रकाश करते हुए 'मानसोल्लास' नामक ग्रन्थ में सरल एवं सुन्दर भाषा में कहा है—

‘पूर्वजन्मानुभूतार्थस्मरणान्मृगशावकः ।

जननीस्तन्यपानाय स्वयमेव प्रवर्त्तते ॥ ७५ ॥

तस्मान्निश्चीयते स्थायीत्यात्मा देहान्तरेष्वपि ।

स्मृतिं विना न घटते स्तन्यपानं शिशोर्यतः ॥ ७६ ॥

आत्मा की नित्यता सिद्ध करनेके लिये महर्षि गौतम ने अन्त में कहा है—

‘वीतरागजन्मादर्शनात्’ ३।१।२४ ।

तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को जन्म के बाद कभी भी किसी भी विषय का अणुमात्र राग या अभिलाषा नहीं होती है, जो सदा के लिए सभी प्रकार से ‘वीतराग’ है ऐसे किसी प्राणी का जन्म देखा नहीं जाता।

सभी प्राणियों के जन्म के बाद कदाचित् शारीरिक क्रिया अथवा चेष्टा के द्वारा वह किसी विषय में सराग करके अनुमित होता है।

इसमें सन्देह नहीं कि कदाचित् भूल और व्यास के कारण भय एवं पेय विषयों में प्रत्येक जीव का राग या हृच्छा अवश्य ही उत्पन्न होती है। अतः यह मानना होगा कि प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म से पहले ही दूसरा जन्म है। अन्यथा उसको जन्म के बाद किसी भी विषय का हृच्छात्मक राग नहीं हो सकता है। क्योंकि पूर्वानुभूत विषयों की अनुस्मृति के बिना वह राग उत्पन्न नहीं होता है।

गौतम ने आगे पूर्वपक्ष एव कहा है—

‘सगुणद्रव्योत्पत्तिरन्तु तदुत्पत्तिः ।’

अर्थात् पूर्वपक्षवादी नास्तिक कहेंगे—वैसे सगुण द्रव्य की उत्पत्ति होती है—अर्थात् जैसे घट आदि द्रव्य रूप प्रभृति गुण विशिष्ट होकर उत्पन्न होता है, वैसे ही राग विशिष्ट होकर ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं । अर्थात् जीव के जन्म के बाद उसके किसी राग की उत्पत्ति के लिये पूर्वानुभूत विषयों का अनुरमरण आवश्यक नहीं है । गौतम ने इस अन्तिम पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिये बाद में कहा है—‘न सङ्कल्पनिमित्तत्वाद्रागादीनाम्’ १।१।२६। अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि सभी जीवरागविशिष्ट होकर ही उत्पन्न होते हैं । क्योंकि जीवों का राग सङ्कल्पनिमित्तक है । अर्थात्, सङ्कल्प के बिना किसी व्यक्ति को किसी विषय में राग नहीं होता है । सङ्कल्प शब्द का अर्थ यहाँ सम्पर्क कल्पनात्मक मोह अथवा भ्रमविशेष है । आगे चतुर्थ अध्याय में गौतम ने इसको स्पष्ट किया है—‘तेषां मोहः पापीयान् नामूढ-स्येतरात्तच्चे’ ४।१।६। अर्थात् राग, द्वेष और मोह में मोह ही सबसे निकृष्ट है क्योंकि मोहरहित व्यक्ति को राग तथा द्वेष नहीं होते हैं । भाष्यकार वात्स्यायन ने यहाँ कहा है कि जो सङ्कल्प व्यक्ति को विषय विशेष में राग उत्पन्न कराता है—उसका नाम ‘रञ्जनोय सङ्कल्पः’ है और जो सङ्कल्प द्वेष उत्पन्न कराता है—उसका नाम ‘कोपनीय सङ्कल्पः’ है । वे दोनों सङ्कल्प ही जीव का उस विषय में मिथ्या ज्ञान स्वरूप होने से वह उसने मोह से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है । किन्तु जीव का उस राग और द्वेष का कारण जो मोहात्मक सङ्कल्प है वह भी उसके पूर्वानुभूत विषयों की स्मृति के बिना उत्पन्न नहीं होता है । क्योंकि जिस जीव ने जिस विषय को पहले कभी अपने सुख के कारण के रूप से समझा था उसी विषय में अथवा तत्रातीय किसी दूसरे विषय में ही फिर से उस इच्छात्मक राग होता है । एवम जिस विषय को कदाचित् दुःख के कारण के रूप से समझा था उसी विषय में अथवा तत्रातीय विषय में ही उसे द्वेष होता है । अन्यथा वह नहीं होता है ।

१ सङ्कल्प शब्द का कामना अथ प्रसिद्ध है । किन्तु काम का जनक सङ्कल्प माहविशेष है । भगवद्गीता में भी कहा गया है—‘सङ्कल्पप्रभवान् कामान्’ ६।२४। भगवद्गीता के भाष्य के टीकाकार ज्ञानदगिरि ने यहाँ व्याख्या की है—‘सङ्कल्प गोभवाध्यास’ अर्थात् जो वस्तुन गोभन या ममी-विषयों में है उसका समीचीन-रूप में जो लक्षणात्मक या ज्ञम है वही वहाँ अनेक काम अथ है । ऐसा अस्मात्पक्ष सङ्कल्प काम का मूल है । इसलिए गोशाला में बसड़ा ‘सङ्कल्पप्रभवान् कामान्’ ।

अतः पूर्वानुभूत विषयों के अनुस्मरण सेही पहले उन विषयों में राग और द्वेष का कारण भोहात्मक सकल्प होता है तथा उस सकल्प से ही उस विषय में राग और द्वेष होते हैं—यही मानना पड़ेगा । अतः जन्म के बाद जीव को सजमे पहले जो राग होता है वह (राग) भी पूर्वात्कर सकल्प के बिना हो नहीं सकता । घट आदि द्रव्यों में रूख आदि गुणों की तरह कमी भी जीवों को ज्ञानमूलक राग नहीं हो सकता ।

जीवों के जीवन आदि काल में राग की उत्पत्ति के लिये जैसे ज्ञान कारण के रूप में सर्वसिद्ध है उसी तरह जीव के राग की सर्वप्रथम जो उत्पत्ति है उसमें भी उसी प्रकार का ज्ञान ही अवश्य कारण के रूप में स्वीकार करने योग्य है । अभिन्न किसी कारण की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है ।

फलित कथन यह है, जबकि प्रत्येक जीव को जन्म के बाद विषय विरोधमें राग अवश्य ही होता है तथा उस विषय के सकल्प के बिना भी वह राग उत्पन्न नहीं हो सकता तथा पूर्वानुभूत विषयों की अनुस्मृति के बिना भी वह सकल्प ही नहीं सकता तब यह अवश्य मानना होगा कि प्रत्येक जीव ने पूर्वजन्म में उसके समानजातीय विषयों का उसी रूप में अनुभव किया होगा अतः उस विषय का संस्कार जीव में रहता है—यह अवश्य स्वीकार्य है ।

तब इसी प्रकार इस पूर्वजन्म से पहले जन्म में उसी जीव को विषयविरोधमें सर्वप्रथम राग के कारण के रूपमें उस प्रकारका संकल्प और उसी स्वरूपके कारण के रूप में उससे भी पहले जन्म में अनुभूत उसी विषयका उसी रूप में अनुस्मरण भी स्वीकार करना होगा । अतः उक्तरूप से सभी जीवों का अनादि जन्म-प्रवाह और अनादि संस्कार-प्रवाह स्वीकार करना होगा । अतः आत्मा के संस्कार प्रवाह के अनादि होने से इन अनादि प्रवाहों के आशय आत्मा का भी अनादित्व सिद्ध होता है । क्योंकि यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि अनादि भावप्रदायों की उत्पत्ति और विनाश नहीं हैं । इसलिए महर्षि गौतम ने अन्त में इसी विषय को 'वत्सरागजन्मादर्शनात्' इस सूत्र के द्वारा उक्त रूप से आत्मा का अनादित्व समर्थन करते हुए आत्मा की नित्यता सिद्ध की है ।

वास्तव में, शरीर आदि के साथ आत्मा का विलक्षण सम्बन्ध रूप जन्म-प्रवाह अनादि है । अतः सृष्टि प्रवाद भी अनादि है—यही हमारे सभी शास्त्रों का सिद्धान्त है । क्योंकि भुक्ति ने कहा है—'सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वम-कल्पयन्' (ऋग्वेदसंहिता १०।११०।३) । विधाता ने जैसे पहले किया या जैसे ही सूर्यचन्द्र आदियों की सृष्टि की है—ऐसा कहने पर समझा जाता है कि अनादि काल से ही वे जगत् की सृष्टि कर रहे हैं । जिन समय में वे जगत् का महार करते हैं उसी समय में 'प्रलय' होता है । प्रलय के बाद में जो नूतन

सृष्टि हुई है और होगा उसीका आदि है। उसी तारयसे शास्त्र में सृष्टि का आदि कहा गया है। किन्तु सृष्टि का प्रवाह अनादि है अर्थात् सभी सृष्टियों के पहले ही किसी समय में दूसरी सृष्टि हुई है। जिस सृष्टि से पहले कोई दूसरी सृष्टि नहीं थी ऐसी कोई सृष्टि नहीं है। सृष्टि का प्रवाह अनादि है—इस वैदिक सिद्धान्त का समर्थन वादरायण भी वेदान्तदर्शन में कर गये हैं।^१

श्रीभगवान् ने भी कहा है—‘नान्तो न चादिर्न च सप्रतिष्ठा’—गीता १५।३।

परन्तु जीव का जन्मप्रवाह अनादि होने पर भी अर्थात् अनादि काल से अनन्त जीव अस्वरूप जन्मों को प्राप्त करके अनन्त विचित्र सस्कारों को प्राप्त करने पर भी सभी जन्मों में समी पाप्मन सस्कार उद्बुद्ध नहीं होते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार जब जैसा शरीर धारण करता है, तब उन कर्मों के विपाक से उसके अनुरूप सस्कार ही उद्बुद्ध होते हैं और अन्यान्य सस्कार अभिभूत होकर रहते हैं।

किसी जीव के मानवजन्म के बाद अपने कर्मों के अनुसार वानर देह अथवा गेंडा का शरीर प्राप्त करने पर उसके पूर्वकालिक वानर जन्म में अथवा गेंडा जन्म में प्राप्त सस्कार ही उद्बुद्ध होते हैं तथा ऊँट का शरीर प्राप्त करने पर पूर्वकालिक ऊँट के जन्म के सस्कार ही तत्काल उद्बुद्ध होते हैं। अतः उस समय में उसके मनुष्योचित सस्कार या रागादि नहीं होते हैं। अतः वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने कहा है—‘जातिविशेषाच्च’ ६।२।१३।

कणाद ने इस सूत्र से यह भी कहा है कि भक्ष्य एव पेय आदि के विषयों में विभिन्न प्रकार के रागों का कारण जाति या जन्मविशेष भी है। महर्षि पतञ्जलि ने भी योगदर्शन में शास्त्रयुक्तिसम्मत इस सिद्धान्त को ही प्रकाशित किया है।^२

महर्षि कणाद ने पहले ‘अदृष्टान्च’ (६।२।१२) इस सूत्र से जीवों के

१ न कर्माविभागादनि चेन्नानादित्वात् । उपपद्यते चायुषलभ्यते च (वेदान्त-दशम २।१।३५ ३६ । सूत्र) ‘सूर्यावन्ममो वाना यथापूर्वमफल्ययत्’ इति च मन्ववण पूर्वकल्पसद्भावे दर्शयति । स्मृतावप्यनादित्वम् सत्सारस्योपलभ्यते ‘न रूपमम्यहृ तथोपलभ्यते । नान्तो न चादिर्न च सप्रतिष्ठा’ (गीता १५।३ ।) इति । पुराणं चातीतानागतानाञ्च कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम् ।

—घारीरजभाष्य ।

२ ‘तनस्तद्विपाकानुगुणानामेषाभिव्यक्तिर्वाप्तानाम्’ । जाति देह-काल व्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसस्कारयोरेकरूपत्वात्’ ॥—योगदर्शन, वैशेषिकाद का ८ तथा ९ सूत्र और उसका भाष्य—३लिङ् ।

अट्ट विशेष को भी किसी किसी स्थल में राग और द्वेष का असाधारण कारण कहकर व्यक्त किया है। वास्तव में यह भी शक होता है कि अरसर पर किसी स्थल में अट्ट विशेष के द्वारा अनेक जीवों के अभिभूत भिन्न भिन्न संस्कार भी उद्बुद्ध होते हैं, इसके अनेक उदाहरण भी दिखाये जा सकते हैं।

मूल बात यह है कि जीव के प्राक्तन संस्कारों के बिना जन्म के उपरान्त उसको विषयविशेष में सकल्प तथा तन्मूलक राग आदि उत्पन्न नहीं हो सकते। और यह जो वानर शिशु उत्पन्न होकर ही वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ता है, किसी किसी पशुओं के बच्चे अण्डे से निकलते ही उड़ जाते हैं, इस का बच्चा जन्म में तैरता है, गेंडे का बच्चा जन्म लेते ही अपनी माँ के निकट से भाग जाता है—इन लोगों की ये सब बातें प्राक्तन जन्म के संस्कार के बिना उपपन्न नहीं हो सकती। गेंडे के शिशु को अपनी माँ के तीक्ष्णघार जीम से प्रथम रात्रलेहन बहुत कष्टकर होता है। इसीलिए जन्म लेते ही प्राक्तन गेंडा जन्म के उस संस्कार के बल से अपनी माँ के द्वारा पहले रात्रलेहन की कष्टकरता को स्मरण करके उसी समय उस स्थान से भाग जाता है। बाद में जब देह का चमड़ा मजबूत हो जाता है तब वह अपनी माँ की खोज करके फिर से उसके निकट आ जाता है। यह परीक्षित सत्य है। मानवों की तरह अनेक पशु पशुओं के भी अनेक विचित्र कर्मों को तथा विचित्र स्वभावों को लक्ष्य करके समझने से उनका पूर्वजन्म अवश्य ही मानना पड़ता है। अन्यथा जीवों के विचित्र स्वभाव एवं भिन्न भिन्न रुचियों किसी भी प्रकार से उपपन्न नहीं हो सकती। मस्तिष्कों के जड़ उपादान या माँ बाप के स्वभाव को आश्रय करके उसका कोई भी समाधान नहीं किया जा सकता।

परन्तु जैसे पूर्वजन्म के संस्कार के बिना खीबमात्र को जन्म के बाद भक्ष्य, पेय आदि विषयों में विचित्र राग नहीं हो सकता वैसे ही मानवों को विद्या-विशेष में विशिष्ट अनुराग तथा अधिकार भी प्राक्तन संस्कार के बिना नहीं हो सकते। क्योंकि मनुष्यों में प्रत्येक व्यक्ति सभी विद्याओं के समान अनुरागी तथा अधिकारी नहीं होते हैं। कोई गणित से विरक्त होकर भी इतिहास में अत्यन्त अनुरागी होता है। कोई यदि कर्कश तर्कशास्त्र की चर्चा में सतत एकाग्रचित्त रहता है तो कोई येनल कोमल कार्यों का चर्चा में सदा निरत रहता है। कितने व्यक्ति अध्ययन छोड़कर सङ्गीत की शिक्षा में निरन्तर मग्न रहते हैं। यह भी सर्वसम्मत है कि जिस विद्या में जिसे अधिक अनुराग रहता है उस विद्या में उसका अधिक अधिकार जना रहता है। किन्तु ऐसा क्यों होता है? मानवों को विद्याविशेष में अधिक अनुराग और अधिकार का मूल कारण क्या है? अगर ये सब विचार करके समझना हो तो पूर्वजन्म में उस व्यक्ति को उस विद्या के

विशिष्ट अभ्यास या अनुशीलन से उत्पन्न संस्कारविशेष ही उसके कारण के रूप में मानना पड़ता है ।

तात्पर्य टीकाकार श्रीमान् वाचस्पति मिश्र ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि मनुष्यत्वरूप से सभी मानव समान होते हुए भी उन लोगों में प्रज्ञा तथा मेधा का उत्कर्ष और अपकर्ष रहता है । यह भी परीक्षित सत्य है कि मनोयोगपूर्वक किसी विद्या के अभ्यास करने पर उस विषय में उस व्यक्ति की प्रज्ञा तथा मेधा की वृद्धि होती है । अतः यह अवश्य मानना पड़ेगा कि किसी विद्या का अभ्यास अथवा अनुशीलन ही उस विद्या की प्रज्ञा तथा मेधा की वृद्धि में कारण है । इसलिए जिन मनुष्यों को इस जन्म में किसी विद्या के अनुशीलन से पहले अथवा प्रारम्भ में उस विषय में विशेष अनुराग प्रज्ञा तथा मेधा का उत्कर्ष जो प्राप्त होता है—उनका पूर्वजन्म कृत उस विद्या का अभ्यास ही उसके कारण के रूप में मानना होगा ।

क्योंकि उस विषय के अभ्यास अथवा अनुशीलन के बिना कदापि किसी को भी उसमें विशिष्ट अधिकार नहीं हो सकता । कारण के बिना कार्य नहीं होता है ।

फलितकथन यह है कि विद्याविशेष में मानवविशेष का जो अत्यन्त अनुराग है और थोड़े ही समय में थोड़े उपदेश से ही अधिक अधिकार हो जाता है—वह उसके पूर्वजन्म के संस्कार के बिना कदापि संभव नहीं है । उस विषय का थोड़ा उपदेश अगर प्राप्त होता है तो उसी उपदेश के बल पर उस व्यक्ति का वह प्रान्त संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है । किन्तु इसके भी अनेक दृष्टान्त हैं कि किसी व्यक्ति को इस जन्म में किसी उपदेश के बिना ही अदृष्ट विशेष से अथवा किसी दूसरे कारण से प्रान्त संस्कार उद्बुद्ध होनेसे बिना उपदेश के ही किसी विद्याविशेष में अधिकार हो जाता है ।

अमर कवि कालिदास ने भी कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग में हिमालय की कन्या पार्वती जी की विद्या का वर्णन करते हुए लिखा है—

“तां हसमाला शरदीव गङ्गा मदीपधिं नक्षमिवाचभासः ।

स्थिरोपदेशामुपदेशकाले प्रपेदिरे प्रान्तजन्मविद्याः ॥ ३० ॥

अर्थात् जैसे शरद ऋतु में हसमाला गङ्गा को प्राप्त करती है, और रात होने पर मदीपधि वर्ग को अपनी-अपनी प्रभा प्राप्त करती है, वैसे ही पार्वती जी की शिक्षा के समय आने पर उनको पूर्वजन्म की सभी विद्याएँ प्राप्त हो गई थीं । पूर्वजन्म के सभी उपदेश अर्थात् उस शिक्षा से होनेवाला संस्कार भी क्षणिक पदाय नहीं, अपितु स्थिर पदार्थ है ।

यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि क्षणिकवादी बौद्ध मंत्रदाय ने

जन्मान्तरवाद को स्वीकार करते हुए भी स्थिर पदार्थ को नहीं माना है। किन्तु स्थिर वादी महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में पार्वती जी को 'स्थिरोपदेशा' कहकर उक्त बौद्ध सिद्धान्त के प्रति अपनी असम्मति प्रकट की है।

और प्रकृत विषय में यह अन्वय ध्यान में रखना होगा कि महाकवि कालिदास ने इस पद्य में दो उपमाओं के द्वारा स्पष्ट व्यक्त किया है कि इस जन्म में किसी के उपदेश के बिना ही पार्वती जी का सभी प्राक्तन संस्कार उद्बुद्ध ही जाने से वे सब विद्याएँ प्राप्त हुई हैं। ऐसा व्यक्त करते हुये उन्होंने इस महासत्य को भी प्रकाशित किया है कि इस जन्म में उपदेश के बिना भी किसी कारण से पूर्वजन्मों के संस्कारविशेषों के उद्बुद्ध होने पर सद्भ्र में ही विद्याविशेष को प्राप्ति होती है। कालिदास के द्वारा प्रदर्शित उन दोनों उपमाओं तथा उनके प्रयोजनों को समझने से ही यह समझा जाता है। प्राचीन समालोचक ने सत्य ही कहा है—'उपमा कालिदासस्य'

परन्तु जो कालिदास कुमारसंभव में यह बात कह गये हैं उनकी कवित्वशक्ति भी केवल ऐहिक संस्कार नहीं है। इस जन्म में शिक्षा और अभ्यास से ही सभी लोग उनके मार्मिक काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। काव्यप्रकाश के प्रारम्भ में महामनीषी मम्मटभट्ट ने भी कहा है—'शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कार विशेषः, या बिना कवित्व न प्रसरेत्, प्रकृत बोधसनीयं स्यात्'। कवित्व का बीजरूप संस्कारविशेष ही कवित्वशक्ति है। वह केवल ऐहिक संस्कार नहीं है। उसमें पूर्वजन्म का संस्कार ही मूल तथा प्रधान है। उस शक्ति या संस्कार के नहीं रहने पर कवित्व का प्रकाश या काव्य की रचना संभव ही नहीं है। काव्य निर्माण करने के लिए कवि को जो शक्ति अत्यावश्यक है उसे कवि की 'कर्तृत्व शक्ति' कहते हैं। और काव्य को समझने के लिए जो शक्ति अत्यावश्यक है उसे 'बोद्धृत्व शक्ति' कहते हैं। वह भी संस्कारविशेष है। उस के नहीं रहने पर भी काव्य समझा नहीं जाता। इसलिए जिसकी वह बोद्धृत्व शक्ति नहीं है उसके सामने उत्कृष्ट काव्य भी उपहासास्पद होकर रहता है। सभी व्यक्ति काव्यरस का आस्वाद या अनुभव नहीं कर सकते, जिनका उस विषय का पूर्वजन्माजित संस्कार उद्बुद्ध है, वे ही सब पुण्यवान् व्यक्त काव्यरस का आस्वादन कर सकते हैं।

पलितकथन यह है कि काव्य के रसास्वाद के लिए जैसे प्राक्तन संस्कार भी आवश्यक है वैसे ही काव्य रचना के लिए भी प्राक्तन संस्कार आवश्यक है। अनेक व्यक्तियों का अकरमात् जो अद्भुत कवित्व प्रकाशित होता है उसका प्रधान कारण उन व्यक्तियों का विलक्षण प्राक्तन संस्कार ही है। यह जो सुप्राचीन समय से लेकर इस भारतवर्ष में कितने दिग्विजयो पण्डित कवि तथा कितनी कवयित्रियों

ने अनेक स्थानों में अनेक प्रकार से संस्कृत भाषा में अतिशीघ्र बहुत-बहुत कठिन समस्याएँ पूरी की हैं और अत्यद्भुत कवित्व का प्रकाश किया है तथा इस बल्लभूमि में भी बहुत अपण्डित कवियों ने भी बगला भाषा में अतिशीघ्र महान् भावों से परिपूर्ण कितने सङ्गीतों का निर्माण तथा समस्या पूरण करके अत्यन्त विस्मयकर कवित्व का प्रकाश किया है, वह उनके उस विषय में पूर्वजन्म के विजातीय संस्कार के बिना कभी सम्भव हो नहीं सकता। केवल इस जन्म में शिक्षा और अभ्यास से किसी को उस तरह की शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती।

बहुतों का कहना है कि कवित्वशक्ति और गानशक्ति प्रभृति ईश्वर की दी हुई शक्ति है। ईश्वर ही विशेष विशेष व्यक्तियों को ये सब शक्तियाँ देते हैं। और नवजात शिशु की आहार की इच्छा भी ईश्वरेच्छा से ही होती है। ईश्वर ही उसके जीवन की रक्षा के लिए उस तरह की बुद्धि शिशु को प्रदान करके माँ के स्तन्य दुग्ध पान आदि में प्रवृत्त कराते हैं। उसके जीवन की रक्षा के लिए उसकी माँ का स्तन और उसमें दूध की सृष्टि भी तो उसी ईश्वर ने ही की है। इसलिए नवजात शिशु के स्तन्य पान आदि विषय में जो इच्छा है उससे भी पूर्वजन्म की सिद्धि नहीं हो सकती।

इसके उत्तर में कहना है कि नवजात शिशु के जीवन की रक्षा के लिए ईश्वर ही उसको स्तन्यपान आदि में प्रवृत्त कराते हैं—यह सत्य है। क्योंकि वे ही सभी जीवों के सकल कर्मों को कराने वाले हैं। उनके कर्म नहीं कराने पर कोई भी जीव किसी कर्म को नहीं कर सकता। और यह भी सत्य है कि कवित्वशक्ति और गानशक्ति आदि वे ही प्रदान करते हैं। किन्तु यह भी कहना आवश्यक है कि सर्वशक्तिमान् करुणामय परमेश्वर सभी मनुष्यों को कवित्वशक्ति तथा गानशक्ति आदि क्यों नहीं दे देते हैं तथा सर्वत्र सभी जीवों को उचित समय पर उनकी इच्छानुसार समुचित आहार क्यों नहीं देते हैं? और वे ही क्यों केवल अनभिज्ञ सरल शिशु को दूध पीने में प्रवृत्त कराकर उसके जीवन का अन्त क्यों करा देते हैं? तथा विद्वमानों को भी वे कदाचित् असाधु कर्म कराकर दुःख क्यों दे देते हैं? अन्तर्गामी रूप से वे ही (ईश्वर ही) प्रत्येक कर्म करने में जीवों को प्रेरणा देते हैं। अतः इसका समाधान करने के लिए पूर्वजन्म की स्वीकार करके यह कहना होगा कि परमेश्वर भावों को पूर्वजन्म में किये गये कर्मों से उपाजित धर्म तथा अधर्म के अनुसार ही साधु और असाधु (भला और बुरा) कर्म कराते हैं और उन कर्मों का फल दे रहे हैं।

सब जीवों के त्रिनिष्ठ देह की सृष्टि भी उनके पूर्वजन्म कृत कर्मों के फल

स्वरूप धर्म तथा अधर्म के कारण ही होती है। इसीलिये महर्षि गौतम ने भी बाद में कहा है—‘पूर्वकृतकगनुबन्धात्तदुत्पत्ति’ ३।२।६०। अर्थात् पूर्वजन्म के विचित्र कर्मों के फल के बिना जीवों के पितृशुण शरार की सृष्टि नहीं हो सकती। सभी व्यक्ति सब समय में अपनी इच्छा के अनुसार जन्मग्राम नहीं कर सकते। अनन्त जीवों का अस्थायी विचित्र जन्मों का होना और तन्मूलक अनन्त विचित्र अवस्थाएँ किसी दूसरे प्रकार से उपपन्न नहीं हो सकती। महर्षि गौतम ने आगे चलकर विचारपूर्वक पूर्वोक्त वैदिक सिद्धान्त का समर्थन करके उसके द्वारा भी आत्मा की नित्यता का समर्थन किया है। क्योंकि असंख्य जीवों की नाना विचित्र सृष्टियों के कारण के रूप में प्राचिन कर्मफल अवश्य मानना होगा और तदनुसार यह भी अवश्य मानना होगा कि सभी जीवों ने अनादिकाल से अपने कर्मों के फलस्वरूप बहुतपार मानवजन्म प्राप्त करके शुभ एवं अशुभ कर्म किये हैं एवं करते हैं। इसलिए सभी जीवात्माएँ अनादिकाल से विद्यमान हैं—यह भी मानना होगा। अतः सभी जीवात्माओं की नित्यता ही माननी पड़ती है। क्योंकि अनादि भाव पदार्थों की जैसे उत्पत्ति नहीं होती है वैसे ही विनाश के किसी कारण के नहीं रहने पर कभी विनाश भी सम्भव ही नहीं है। यह मैंने पहले ही कहा है कि जीवों का जन्म प्रवाह या जगत की सृष्टि का प्रवाह अनादि है।

परन्तु यह भी प्रणिधानपूर्वक समझना आवश्यक है कि कर्म के अभ्यास के बिना कोई भी जीव किसी कर्म को नहीं कर सकता। सभी जीव अपने अभ्यास के अनुसार ही नाना कर्मों को करते हैं। अतः यह भी मानना होगा कि सभी जीव पूर्वजन्म के अभ्यास से ही नाना विचित्र कर्मों को करते हैं। अन्यथा जीव को कर्म विशेष के प्रति अधिक अनुराग और बाह्यावस्था में उस कर्म में अधिक प्रवृत्ति भी कदापि सम्भव नहीं है। और जितने मनुष्य अनादि काल से अपनी इच्छा से ही स्वभावतः भन्ना कर्म करते हैं वही भी उनके पूर्वजन्म के अभ्यास से ही करते हैं। पिता को अध्ययन में अनुराग नहीं रहने से कुछ भी विद्या प्राप्त नहीं है किन्तु पुत्र स्वभावतः अपनी इच्छा से ही सदा अध्ययन में निरत रहता है। और यह भी देना जाता है कि कृपण के बालक पुत्र भी हमेशा दान के लिए मुत्तहस्त रहता है। इसके भी बहुत दृष्टान्त हैं कि माँ बाप के हज़ारों तिरस्कार एवं कठोर बाधाओं को सहकर भी भाग्यवान् पुत्र निरन्तर तपस्या तथा भगवद्भजन में निरत रहता है। किन्तु ऐसा क्यों होता है? क्यों वे लोग उस तरह से अध्ययन, दान तथा तपस्या करते हैं? सभी मानव समानरूप से उन सब साधु (अच्छा) कर्मों को ही क्यों नहीं करते हैं?

शास्त्र में विश्वास रखनेवाले भारतीय पूर्वाचार्य इन प्रश्नों का उत्तर कह गये हैं—

‘जन्म जन्म यदभ्यस्त दानमभ्ययन तर

तेनैवाभ्यासयोगेन तत्त्वैवाभ्यसते नर ॥

(भामती टीका में—२ १।३४) वाचस्पति मिश्र के द्वारा उद्धृत वचन)

वास्तव में यही सत्य है । ३—जन्म जन्म में मनुष्य को जिस तरह का दान,

अभ्ययन एव तपस्या आदि साधु (अन्धे) कर्मों का और हिंसा आदि बुरे कर्मों

का अभ्यास रहता है, उन्हीं अभ्यास से मनुष्य तदनुसार कर्म करने के लिए बाध्य

हो जाता है । श्री भगवान् ने भी इस महासत्य को प्रकाश करने के लिये अर्जुन

से कहा था—‘पूवाभ्यासेन तेनैव हियते क्षयशोऽपिस’ ६।४४ (गीता) । शिशु

पाल ने पूर्व पूर्व जन्म की तरह ससार को पीड़ित किया था । शिशुपाल का जन्म

में इसके कारण को व्यक्त करते हुए महाकवि माघ ने कहा है—‘सती च योषित्

कृतिश्च निश्चला पुमांसमभ्येतै मवान्तरेध्वरि’ १।७२। अर्थात् साष्ठी स्त्री और

निश्चल प्रकृति जन्मान्तर में भी उसी पुद्गल को प्राप्त होती है । पूर्व-पूर्व जन्मों

के अभ्यासजनित संस्कार से ही शिशुपाल की उस तरह की प्रकृति या दमभाव

था—यही कवि को विवक्षित है । कल्पित कथन यह है कि प्राक्तन संस्कार के

बिना जीवों की विचित्र प्रकृति या कर्म प्रकृति भी कदापि संभव नहीं हो

सकती । इसलिये जीवों की नाना प्रकारों की प्रकृति या प्रकृति और सन्तुलक

नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा भी प्राक्तन संस्कार अनुमान से सिद्ध होता है ।

प्राक्तन संस्कार उसके फल से अनुमेय है—यह सिद्धान्त बहुत दिनों से ही भारत

में सुप्रसिद्ध है । अतएव महाकवि कालिदास में रघुवंश के प्रथम सर्ग में

महामना दिल्लीय के राजोचित मन्त्रगुप्तियों का वर्णन करते हुए उस सुप्रसिद्ध

सिद्धान्त को दृष्टान्त के रूप में ग्रहण किया है—‘पञ्चानुमेया प्रारम्भा संस्कारा

प्राक्तना इव’ १।२०। जीवों के वास्तव में प्राक्तन कर्म जब स्वीकरणीय हैं तब

जन्मान्तरवाद को अस्वीकार करने का कोई उपाय ही नहीं है । अतः यह

हम लोगों का सर्वसाधारणमत है । जीवों के प्राक्तनकर्म और जन्मान्तर—

इन दोनों महासत्त्यों का दृक्भक्ति के ऊपर हम लोगों के सनातनधर्म का

महामय महामण्डल सुप्रतिष्ठित है । तब प्रश्न यह होता है कि पूर्वजन्मानुभूत

१ इस श्लोक में सतीव योषित् प्रकृति मुनिदक्षणा’ यह पाठ मल्लिनाथ

का है । किन्तु माहिर्यदर्शन के समके परिच्छेद में विष्णुनाथ कविराज ने—

‘सती च योषित् प्रकृतिश्च निदक्षणा’ इस तरह के पाठ का उल्लेख करके इस

श्लोक में दीपक अलङ्कार का उदाहरण दिनाया है । इस पाठ में दा चकार से

सती स्त्री और निदक्षणा प्रकृति—इन दोनों का समान प्राणाय नाद होता है ।

किन्तु यही गती स्त्री के साथ शिशुपाल की चाणूनी प्रकृति की उगमा भी

जीव का अभिप्राय करके प्रतीत नहीं होती है ।

सभा विषयों का स्मरण क्यों नहीं होता है। हम पूर्वजन्म में कौन थे ? कहाँ, किस रूप में थे ? इत्यादि किसी विषयों का स्मरण हमें क्यों नहीं होता है ? इसके उत्तर में मैंने पहले ही कहा है कि जो जिस जन्म का जिस विषय का जो प्राक्तन स्मरण उद्बुद्ध होता है उसी विषय का उस समय में उसको स्मृति ही है। उद्बुद्ध स्मरण ही स्मृति के प्रति कारण है। जो स्मरण अभिभूत रहते हैं व किसी स्मृति का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। स्मरण के रहने पर सभा विषयों की स्मृति मबटा होगी ही—ऐसा कोई नियम नहीं कहा जा सकता। क्या हम इस जन्म में भी जो कुछ अनुभव करते हैं उन सभा विषयों का सर्वदा स्मरण करते हैं ? परन्तु गुरुतर रोग के कारण जिनमें परिचित व्यक्तियों को एव जितने परिज्ञात विषयों को भी मनुष्य भूल जाता है। पहले पक्षी व्यक्ति उन सभी विषयों का स्मरण भी करता है। ऐसे जीवों की मृत्यु होने पर वह मृत्यु ही उसके बहुत से सुदृढ़ स्मरणों को अभिभूत कर देती है।

97264

किन्तु पूर्व जन्म अथवा देशान्तर की प्राप्ति होने पर बहुत से प्राक्तन स्मरण उद्बुद्ध हो जाते हैं। जो स्मरण को उद्बुद्ध करता है उसे स्मरण का उद्बोधक कहते हैं। ये उद्बोधक बहुत प्रकार के होते हैं। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन के। ३२४१ सूत्र में स्मृति के कारण स्मरण के उन सभी उद्बोधकों का उल्लेख किया है उनमें सबसे अन्त में धर्म तथा अधर्मरूप अदृष्ट का भी उल्लेख किया है। क्योंकि किन्तु स्थलों में जीवों का अदृष्ट विशेष भी उसने स्मरण विशेष के उद्बोधक के रूप में नवजात शिशु की जावनास्था के लिए उद्बोधक के रूप में उल्लेख किया है।

१ गर्भोपनिषद् में उक्त बात है कि नवम मास में जीव में के गर्भ में रहकर योगियों की तन्त्र पूर्व-पूर्व जन्मों का स्मरण करना है और उद्बोधक बन कर हुए सोवता है कि इनका यदि इन योगि से मुक्ति मिलेगी तो ज्ञातन ब्रह्म वा ध्यान करेगा। किन्तु भूमि में रहने के लिये ही माया में सुख होकर इन गरवानों को भूल जाता है। गर्भोपनिषद् की इस कथा के अनुसार शास्त्र में उद्बोधक बनने वाले माधक रामप्रसाद न गाया था।

‘छिन्नाम गर्भोपनिषद् योगी, तमन भूमे पडे सौत्रम माटी’ ॥ (जब गर्भ में था तब योगी था, भूमि में होने ही निद्रा खाद्य अर्थात् मय भूल गया)।

२. प्रणिधान निवृत्तान् तद्गन्तव्यमाहव परिग्रहा अर्थात् प्रित मन्वन्तान् तद विमोर्षकय विरोधानिचयप्राप्ति व्यवधान सुन्दर लच्छ देवमवाहित क्रियाराग धर्मावमनिमित्तम्:—(अट्टपाद०)।

प्राक्तन सरकार का उद्बोधक होता है। ऐसे ही जहाँ दूसरा कोई उद्बोधक नहीं मिलता है कि तु सरकार का उद्बोधन होता है वहाँ भी अदृष्ट विशेष को ही सरकार के उद्बोधक के रूप में समझना पड़ेगा।

फलित कथन यह है कि इस काम में अनुभूत कितने विषयों का सम्भार रहने पर भी उद्बोधक के अभाव में वह सरकार सर्वत्र उन विषयों का स्मरण नहीं कराता है। ऐसे ही अनगिनत प्राक्तन सरकारों के रहने पर भी उद्बोधक के अभाव में उद्बुद्ध नहीं होने से वे सरकार उन सब विषयों का स्मरण नहीं कराते हैं। किन्तु यह सत्य है कि बहुत से प्राक्तन सरकार समय पर उद्बुद्ध होकर पूर्वजन्मानुभूत कितने विषयों का स्मरण कराता है। इस विषय में कितने ही उदाहरण कहे जा चुके हैं।

यह बात बहुत लोग जानते हैं कि समय विषय पर किसी अपारचित व्यक्ति को देखकर ही उसी समय उसके प्रति किसी को अत्र ? प्राप्ति होती है। कितने समय के सुगमचित परम अर्थों की तरह उसके साथ व्यवहार करने की इच्छा होती है। उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। उसका उपकार करने के लिए उत्कृष्ट प्रवृत्ति होता है। यह केवल मनुष्यों में ही नहीं होती है अपितु पशुओं में भी ऐसा होता है—यह सत्य है। कि तु ऐस क्यों होता ? भारत के चिन्तनशील प्राचीन मनोवीक्षण शास्त्र पर विश्वास करते हुए समझते हैं कि इन सब स्थलों में व्यक्ति को उस दृष्ट व्यक्ति के प्रति पूर्व काम की आत्मीयता की स्मृति होती है। तब उस विषय में उसका प्राक्तन सरकार उद्बुद्ध हो जाता है। उस दृष्ट व्यक्ति की पूर्ण स्मृति न होने पर भी सामान्यतः यह मेरा प्रिय है तथा आत्मिय है—इस तरह की अदृष्ट स्मृति अवश्य होती है। कितने समय में तो उसी दृष्ट व्यक्ति को मनुष्य अपना भाव तथा पुत्र समझ लेता है। ऐसे ही कदाचित् किसी को देखकर व्यक्ति सहसा अप्रसन्न हो जाता है उसे घोर शत्रु समझता है और अकरमान्य उसके साथ शगडा हो जाता है। उसके साथ सन्ध छोड़ने के लिए तथा उसका उपकार करने के लिए भी उत्कृष्ट प्रवृत्ति होती है—यह बात भी प्रायः सभी लोग जानते हैं। यहाँ यह मानना होगा कि उस दृष्ट व्यक्ति के साथ पूर्वजन्मों की शत्रुता की अदृष्ट स्मृति उस व्यक्ति का उत्पन्न होती है। अथवा उस दृष्ट व्यक्ति के प्रति ऐसा द्रव्य या व्यवहार समभव नहीं है।

यह भी प्रायः सभी जानते हैं कि अरसर में किसी स्थान में किसी मुद्दय का दानकर अथवा मुमधुर सङ्गत को सुनकर सुखी व्यक्ति भी अकरमत् अथवा अधिक उत्कृष्ट हो जाता है।

किन्तु ऐसा क्यों होता है ? इस विषय को प्रत्येक व्यक्ति सोचता नहीं है । भारत के पुरातन विद्वान् मोक्षर इसका कारण कह गये हैं कि ऐसे स्थल में उन समय में वह व्यक्ति अवश्य ही किसी के साथ पूर्व जन्मों का सीद्दा स्मरण करता है । भारत के अमर कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक के पाँच अङ्क में इस महासत्य की घोषणा करते हुए कहा है—

‘अस्याणि वीक्ष्य मधुर्गश्च निशम्य शब्दान्
 वयुंस्तुभो भवति यन् सुखितोऽपि जन्तुः ।
 तन्चेतमारम्भति नून मधोष पूर्वम्
 भावम्विगमि जननान्तरसौहृदानि ॥’

इन्दुमती को स्वयंवर सभा में समागत हजारों राजाओं के बीच में इन्दु-मती ने अज्ञ राजा को ही क्यों चरण किया ? इसका समर्थन करते हुए महा-कवि कालिदास स्वयंवर में कहते हैं—‘मनादिजन्मान्तर सङ्गतिरिहम् (७।५) । मन ही जन्मान्तर का संबन्ध समझ सज्जत है । इन्दुमती को राजा अज्ञ के दर्शन के बाद, उनके साथ पूर्व जन्म के सम्बन्ध के विषय में सुमस्कार प्रसूत होकर उनका स्मरण करता है ।

चित्तने शक्ति प्रदान करते हैं कि किसी को किन्हीं उपायों से वदाचित् पूर्व जन्म के सभी विषयों की स्मृति होती है ? क्या यह सम्भव है ? हम दृढ़ विश्वासपूर्वक कहते हैं कि अवश्य ही सम्भव है । क्योंकि भगवान् मनु ने कहा है—

‘विशम्भासेन मत्तत शौचेन तस्यैव च ।

अद्रोहेन च भूतानां जातिं स्मरति पौत्रिकीम् ॥ (मनुस्मृति ४।१४८।)

अर्थात् मत्तत विशम्भास, शौच, तपस्या और सभी भूतों के प्रति अहिंसा के द्वारा मनुष्य अपने पूर्वजन्म में अनुभूत विषयों का स्मरण करता है । जिनकी पूर्वजन्म का स्मरण होता है उन्हें शान्ति में ‘जातिस्मर’ कहते हैं ।

प्राचीन समय में अनेक योगी तथा तपस्वी ‘जातिस्मर’ हो गये हैं । पुराण और इतिहास में ‘जातिस्मर’ की अनेक कथाएँ दर्जित हैं । महानरेश्वरी षट् भारत को मृगजन्म प्राप्त होनेपर भी उसी समय पूर्वजन्म की स्मृति उत्पन्न हुई थी । और मृगजन्म के बाद माकन कुत्र में जन्म प्राप्त होने पर प्राकृत मृग जन्म के सभी विषयों का स्मरण उनकी हुआ था । ये सारी बातें श्रीमद् भाग-

१. चित्तने शक्ति वस्तुओं को देखकर तथा मयूर वन्दों को सुनकर सुधी शक्ति भी उत्पन्न हो जाता है । तो निश्चय ही वह जन्मान्तर के स्वाभाविक प्रेम का स्मरण करता है । (अनुवादक) इति—

वत के पञ्चम स्कन्ध के आठवें तथा नौवें अध्याय का पाठ करने से स्पष्ट शब्द होती हैं। योगदर्शन में महर्षि पतञ्जलि भी स्पष्ट कहते हैं—‘संस्कार साक्षात् करण्यत् पूर्वजाति विज्ञानम्’—३।१८। (पातञ्जल योगसूत्र)। पूर्व जन्म के उन सब अनुभवजन्य संस्कार तथा शुभ एवं अशुभ कर्मजन्य धर्माधर्मात्मक संस्कार—इन दोनों प्रकारों के संस्कार के प्रत्यक्ष होने से पूर्वजन्मों का विशेष ज्ञान होता है। योगी अपनी योगशक्ति के बल पर उन सभी संस्कारों को चित्त में ‘धारणा’ कर लेते हैं। पीछे, उनकी वही धारणा ‘ध्यान’ रूप में परिणत हो जाती है। इसके बाद वही ध्यान ‘समाधि’ रूप में परिणत होता है। उन सब संस्कारों के ऊपर सुदीर्घकाल तक योगी की धारणा, ध्यान तथा समाधि के फलस्वरूप उनकी (योगी को) उन सब अतीन्द्रिय संस्कारों का अर्थात्मिक प्रत्यक्ष होता है।

अतः उस समय में जिस देश में जिस काल में तथा जिन कारणों से उनको ये सब संस्कार उत्पन्न हुए थे उस देश तथा काल आदियों का भी अलौकिक प्रत्यक्ष अवश्य होता है। इसलिए योगी पूर्वजन्मों में किस तरह से कहां रहते थे—इन सभी बातों को ज्ञान करते हैं। योगियों के लिए यह सब कुछ असमय नहीं है। योगदर्शन में भाष्यकार व्यासदेव इसका समर्थन करते हुए भगवान् आवश्य तथा जैगीष्यस्य का समाप्त प्रकाश कर गये हैं। महर्षि जैगीष्य ने भगवान् आवश्य से दश महाकल्पों के अपने जन्म-परम्पराओं के ज्ञान का वर्णन किया था। समार में मुक्त की अपेक्षा दुःख ही अधिक है, सर्वत्र जन्म तथा मांसारिक सुख आदि सभी दुःखमय हैं—यह भी उन्होंने कहा था।

वास्तव में, ऋषिगणों के लिए यह परीक्षित सत्य है कि प्राचीन समय में साधना विशेष के फल के रूप में कितने योगियों को जातिस्मरत्व प्राप्त था। इसलिए मनु आदि ऋषिगण इस सत्य को प्रकाश करते हुए इसका उपाय भी यह गये हैं। आधुनिक समय में भी गौतम बुद्धदेव ने बोधिवृक्ष के नीचे सशोषित स्नान करके अपने अनेक जन्मों की यातायात कही थी—बीज सम्प्रदाय के जातक ग्रन्थों में यह विशेष रूप से यह वर्णित है। इसमें सन्देह नहीं कि अभी भी कितने ‘जातिस्मर’ योगी अस्तित्व में हैं, किन्तु हमयोग उन्हें नहीं जानते हैं। समय समय पर किसी किसी देश में जातिस्मर का समाचार अभी भी सुना जाता है। अवश्य सभी जातिस्मरों ने ही अपने समस्त पूर्वजन्मों के सभी विषयों को स्मरण किया था ऐसी बात नहीं है। जिस साधना से जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के जो संस्कार उद्बुध हो जाते हैं उन सब संस्कारों के उन सब विषयों का ही स्मरण होता है।

परन्तु यह भी सभी के द्वारा मानने योग्य है कि कितने साधारण मनुष्य को भी ध्यान के द्वारा कर्मों कितने विस्मृत विषयों का भी स्मरण होता है। समय पर हम लोगों में भा ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति को देखकर आयाततः मन में होता है कि इसको मैंने कहीं देखा था। किन्तु कहीं देखा था ? तथा इसका क्या परिचय है ?—इत्यादि कुछ भी मन में नहीं आता है। पीछे उसी विषय का एकाग्र चित्त से ध्यान करने पर क्रमशः थोड़ा थोड़ा मन में आ जाता है तथा बहुत समय में दीर्घकाल उस चिन्तित विषय का पूरा स्मरण हो जाता है। इस तरह से जो योगी अपने प्राक्तन संस्कार के बल पर ही दीर्घकाल तक ध्यान करने में समर्थ है, एवं उनका ध्यान समाधि रूप में परिणत हो जाता है, वह यदि समय पर अपने सभी प्राक्तन संस्कारों का प्रत्यक्ष करें, तो यह असंभव ही नहीं सकता।

अभी वक्तव्य यही है कि पूर्वाक्त नाना युक्तियों से दीर्घकाल तक आत्मा देह आदि से भिन्न है एवं नित्य है—इस सिद्धान्त के मनन से पूर्वजात 'भवण' रूप ज्ञान जन्य संस्कार दृढ़ होता है। इसके बाद शास्त्रोक्त उपाय से आत्मा के ध्यान करने से समय पर वही 'मुमुक्षु' = (मोक्ष के इच्छुक) योगी उत्तरूप से ही अपने आत्मा का स्वरूप दर्शन करता है। किन्तु चित्तशुद्धि अथवा वैराग्य के बिना मुक्ति लाभ का अधिकार ही किसी को नहीं होता। अतएव मुक्ति का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले, बहुत कर्तव्य है। इस विषय में महर्षि गोतम की बातें पहले ही (पृष्ठ में) कहा जा चुकी हैं।

वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने भी कहा है—'आत्मकर्मसु मोक्षो व्यादधात' ६।२।१६। पहले ही कहा गया है कि सभी आत्मकर्मों के निष्पन्न होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। 'उपस्कार'कार महामनीषी शङ्कर मिश्र ने इस सूत्र की व्याख्या में कणादोक्त 'आत्मकर्मसु' इस बहुवचनान्त पद के द्वारा 'मुमुक्षु' के कर्तव्य रूप में भवण मनन आदि तथा शम आदि सर्वात्त सहित ईश्वर साक्षात्कार एवं आत्मसाक्षात्कार का भी वर्णन किया है। पहले ही मैंने कहा है कि परमात्मा ईश्वर के साक्षात्कार के बिना मुमुक्षु की मुक्ति लाभ का चरम कारण आत्मसाक्षात्कार नहीं होता है। अतः ईश्वर के साक्षात्कार के लिए पहले उस परमात्मा का भी अन्वेषण और बाद में मनन करना चाहिए। अतः न्यायवैशेषिक संप्रदाय के आचार्यों ने परमात्मा ईश्वर के मनन रूप उपासना के लिए ईश्वर के विषय में बहुत अनुमान भी प्रदर्शित किए हैं। महानैयायिक उदयनाचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद् के 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो मन्तव्यः' इत्यादि भूतिवाक्य में 'आत्मन्' शब्द से परमात्मा को ही

ग्रहण किया है। भवण के बाद अनुमान से परमात्मा का मनन करके पीछे दर्शन के लिए ध्यान आदि करना चाहिए—इस विषय में उन्होंने स्मृति वचन भी उद्धृत किया है^१। इसलिए ईश्वरानुमान के लिए नैयायिकों के बहुत अधिक विचार भी शास्त्रमूलक ही हैं, जो शास्त्र में विदित ईश्वर के मनन में सहायक होते हैं।

परब्रह्म से जीवात्मा तत्त्वतः अवश्य ही अभिन्न है—इस मत में ब्रह्म साक्षात्कार ही मुमुक्षुओं के लिए आत्मसाक्षात्कार है। किन्तु कणाद तथा गौतम के मत में मुमुक्षुओं को ब्रह्मसाक्षात्कार होने से बाट तज्जन्य आत्मा का साक्षात्कार होता है और वही संसार के मिथ्याज्ञान आदि समीकरण की निवृत्ति के द्वारा मुक्ति का चरम कारण होता है। क्योंकि कणाद तथा गौतम द्वैतमयी हैं। इन लोगों के मत में जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः भिन्न है। परवर्ती अध्याय में इसको समझाने के लिए चेष्टा की जायेगी।

इति पौञ्जवीं अध्याय

१. श्रुतो हि मनवान् बहूश्च श्रुति स्मृतीतिहास पुराणादिषु इशानो मनव्यो भवति । 'श्रोतव्यो मन्तव्य' इति श्रुतेः । 'आग्नेतानुमानेनप्यानाभ्यामग्नेन च । त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञा एभते योग मुत्तमम् ।' इति स्मृतेः ॥ बुभुसा-
ञ्जलि, प्रथमस्तोत्रक ॥

छठा अध्याय

कणाद और गौतम द्वैतवादी हैं

—उ दिन पहले कोई कोई सुविख्यात पण्डित भी इस तरह की बात लिख गये हैं कि कणाद और गौतम मुनिका भी अद्वैत मत में ही चरम तात्पर्य है—यह समझना चाहिए। व्याख्याकारण भिन्न रूप से उन लोगों के मत का बखराव करने पर भी किसी किसी रून से हात होता है कि अद्वैत मत ही उन लोगों का अपना सिद्धान्त है। लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है। क्योंकि कदमर निगासी सदानन्द यति ने भी अपनी अद्वैत ब्रह्म सिद्धि नामक पुस्तक में सभी मुनियों के सिद्धान्तों का समन्वय करने के लिए कहा है कि 'उनके सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने वाले सभी मुनियों को अद्वैत मत में ही अन्तिम तात्पर्य है—ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि मवज्ञता के कारण वे लोग भ्रान्त नहीं थे।

किन्तु बह्य दृष्टितरर स्मृदशा व्यक्तियों को एकाएक अद्वैत मार्ग में प्रवेश असम्भव है। इस लिए वे लोग भिन्न भिन्न तरह से द्वैत मत प्रतिपादक नाना दर्शनशास्त्रों का भी प्रकाश कर गये हैं। इन शास्त्रों के द्वारा स्मृदशा बह्य दृष्टितरर व्यक्तियों के नास्तिक्य की निवृत्ति करना ही उन लोगों का उद्देश्य था किन्तु उन दर्शनों में उरदृष्ट द्वैतवाद सिद्धान्त रूप में उन लोगों को विदग्धत नहीं था। उन लोगों का भी अद्वैतवाद ही सिद्धान्त है।

सदानन्द यति की तरह मजुसूदन सरस्वती ने भी महिन्ःस्तोत्र के—'श्री साध्य योगः'—इत्यादि श्लोक की व्याख्या में प्रस्थान भेद से वेद आदि सभी शास्त्रों का वर्णन करके अन्त में सभी शास्त्रों का समन्वय दिखाने के लिए कहा है कि अद्वैत सिद्धान्त में ही सभी शास्त्रों का अन्तिम तात्पर्य है। किन्तु पहले पहल अद्वैत मार्ग में सभी व्यक्तियों का प्रवेश असम्भव है। इस लिए विशेष विशेष अधिकारियों के लिए भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न मतों का

१ 'मर्वेषा प्रस्थान कर्तृणा मुनीनाम् दक्षमात्र विपतंवादएव पदवर्णानना-
द्विनेन परमेस्वर एव वेदान प्रतिपादं ता र्थम् । नहि ते मुनयो भ्रान्तास्तपां
सवशं शतु—किन्तु बहिर्मुख प्रवर्णानामागतन परम पुरदार्ये अद्वैत मार्गे प्रवशा
न सम्बन्धीतिनास्तिक्य निवारणाय तं प्रस्थान भेदाः दर्शिता —ननु तात्पर्यं—

—'अद्वैत ब्रह्मसिद्धि, प्रथम मुद्रण' ॥

उपदेश है। महामनीषी मधुसूदन सरस्वती ने गौतम आदि ऋषियों के किमी सूत्र को लेकर उनको अद्वैतवादी के रूप में सिद्ध करने के लिए चेष्टा नहीं की है। किन्तु सदानन्द यति ने इसी उद्देश्य से अन्त में गौतम के दो सूत्रों को उद्धृत किया है और नय्य वैयाकरण नागेश भट्ट ने भी उस सूत्र को उद्धृत करते हुए कलरना के बल पर कहा है कि अद्वैत मत ही महर्षि गौतम का सम्मत है। ये सारी बातें आगे कही जाएँगी।

परन्तु यहाँ पहले यह कहना आवश्यक है कि उपर्युक्त ढंग से सभी शास्त्रों के समन्वय की व्याख्या से सभी संप्रदायों के चिरकालिक विवादों की निवृत्ति की आशा नहीं है। क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय अपने अभिष्ट मत को ही प्रकृत सिद्धान्त कह कर अन्य सभी आम मतों का उपर्युक्त कोई उद्देश्य कह सकता है।

सदानन्द यति से पहले न्यायशास्त्राचार्य विशान मिश्र ने 'संख्य प्रवचन भाष्य' के आरम्भ में अपने मतों को ही प्रकृत सिद्धान्त कह कर उसके विरुद्ध सभी न्यायवैशेषिक आदि शास्त्रों के मतों का पूरा उद्देश्य प्रतिपादित किया है। किन्तु क्या उनकी इस तरह की समन्वयात्मक व्याख्या अन्य संप्रदाय वाले स्वीकार करते हैं? या कदाचित् स्वीकार भी करेंगे?

सदानन्द यति ने भी अपने सिद्धान्तों के समर्थन के लिए 'विज्ञान मिश्र' के द्वारा उद्धृत किसी वचन का उद्धरण देकर उनके अभिमत समन्वयात्मक व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि विशानमिश्र ने सदानन्द यति के अभिमत अद्वैत सिद्धान्त को प्रकृत सिद्धान्त कह कर स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिवाद ही किया है।

फलित कथन यह है कि जब प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय अपने आचार्य के द्वारा कहे गये मतों को प्रकृत सिद्धान्त कह कर मानता है, तब उपरोक्त राति से सभी दर्शनों का समन्वय दिव्याना व्यर्थ है। इस लिए भगवान् शंकराचार्य ने भी इस तरह से समन्वय की व्याख्या नहीं की है। किन्तु वेदांतदर्शन के प्रथम सूत्र के भाष्य में आत्मा के स्वरूप के विषय में उनके मतों को दिव्याने के लिये द्वैतवादियों के सिद्धांत को भी उद्धृत किया है। आगे जाकर आत्मा के प्रकाश में कर्म तथा कणाद आदि के द्वैत मत को शरु करके अद्वैत सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए सभी आर्यमतों का प्रतिवाद किया है। सर्वतन्त्रावतन्त्र भीमान् वाचस्पति मिश्र ने कणाद तथा गौतम के सिद्धांत की व्याख्या करने के समय में उन लोगों के द्वैतमत की ही व्याख्या की है। परन्तु उन्होंने न्यायवातिक की तात्पर्य टीका में गौतम के किमी किसी सूत्र के द्वारा अद्वैत मत

का उद्घटन भी किया है ।^१ यहाँ वाचस्पतिमिश्र का केवल इतना प्रतिपादन करना ही उद्देश्य है कि गौतम अद्वैतवादी नहीं है । अन्यथा वहाँ उनका द्वारा गौतम के हम तरह के तात्पर्य वर्णन में कुछ प्रयोजन मालूम नहीं होता है ।

परन्तु वेदान्त दर्शन के चौथे सूत्र के भाष्य में जहाँ आचार्यशंकर ने किसी अर्थ में अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए गौतम के न्याय दर्शन के—‘दुःख जन्म’—इत्यादिद्वितीय सूत्र को आचार्य प्रवीत कहकर सम्मानित करते हुए उद्धृत किया है ।^२ भागती टीका में भीमद वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि उक्त स्थल में गौतम सम्मत तत्त्वज्ञान आचार्य शंकर का इष्ट नहीं है । अर्थात् तत्त्वज्ञान के विषय में शङ्कराचार्य ने गौतम के मत को स्वीकार नहीं किया है । क्योंकि गौतम द्वैतवादी हैं । इस लिए इनके मत में अद्वैत ब्रह्मज्ञान तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता है ।

वस्तुतः महर्षि कणाद तथा गौतम को कदापि हम अद्वैतवादी करके नहीं ममज्ञ सकते हैं । क्योंकि अद्वैत मत में—‘जीवोब्रह्मैव ना परः’ अर्थात् एक ही ब्रह्म प्रत्येक जीव के शरीर में कल्पित जीव रूप से रहता है । इस लिए सभी शरीर में जीवात्मा धातव में एक है । किन्तु जीवात्मा की उपाधि = अन्तःकरण प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रहता है तथा सुख दुःख आदि सभी अन्तःकरण के ही वास्तव धर्म हैं । सुख आदि आत्मा के वास्तविक धर्म नहीं हैं किन्तु आत्मा की उपाधि = अन्तःकरण के धर्म सुख दुःख आदि आत्मा में आरोपित होते हैं । इसी लिए ये सब आत्मा के औपाधिक धर्म कहलाते हैं ।

परन्तु कणाद तथा गौतम के मत में जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है तथा ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुःख आदि आत्मा के ही वास्तविक धर्म हैं । वे सब अन्तःकरण या मन के धर्म नहीं हैं । अब कणाद तथा गौतम जैसे अद्वैतवादी कहे जा सकते हैं ? शरीरक भाष्य में जीवात्मा तथा उसकी मुक्ति-रहस्य के बारे में कणाद सम्प्रदाय के मत को स्पष्ट करते हुए शंकराचार्य ने कहा

१ - पापदशन के चौथे अध्याय के पहले आह्निक ग १६, २० और ४१ सूत्र और उन सूत्रों की भाष्यसंग्रहण - इस विषय में दृष्टव्य है ।

२ - त्वत्त्वानामिष्ट्याज्ञानापाय इत्येतावन्मात्रेण नूचोक्त्याम नरवशापाद-सम्मत तत्त्वज्ञान विह सम्मतम् ।—भागती, १।१।४।

है—कि उनके मत में जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। इस अल्प जीवात्मा असंख्य तथा स्वभावतः अचेतन होते हैं किन्तु अति सूक्ष्म मन से संयोग होने पर उन सब जीवात्माओं में ज्ञान, इन्द्रिया तथा मुख दुःख आदि नौ प्रकारके विशेष गुण उत्पन्न होते हैं। उन सभी विशेष गुणों का आवृत्तिक उत्प्रेषण ही उनके (न्याय तथा वैशेषिक) मतमें 'सृष्टि' है। बृहदारण्यक भाष्य में (४।३।२०) शङ्कराचार्य ने स्पष्ट कहा है— 'येच्छाटीनामात्मधर्मत्वं कल्पयन्ती वैशेषिका नैयायिकाश्च' ।

अद्वैत मत के प्रतिष्ठाता महामनीषा मधुसूदन सरस्वती ने भी भगवद्गीता का गीष्ठा में स्पष्ट कहा है कि वैशेषिक का तरह नैयायिक तथा मीमांसक आदि अनेक संप्रदायों के मत में जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न तथा नित्य और विश्व यावा है। उसमें (जीवात्मा में) ज्ञान, सुख, इन्द्रिया, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अहर्म तथा भावना अर्थात् ज्ञानजन्य संस्कार—ये नौ प्रकार के विशेष गुण रहते हैं। अद्वैत सिद्धान्तवादी किसी बड़े विद्वान् ने भी गीतम और कणाद को अद्वैतवादी कहने के उद्देश्य से इस तरह की अनेक बातें कही हैं कि उन लोगों ने ज्ञान और सुख आदि आत्मा का धर्म नहीं है = यह स्पष्ट नहीं कहा है और आत्मा नाना है या एक इस विषय में भी गीतम ने कोई स्पष्ट बात नहीं कही है।^१

१ सति बहू व विभु वे च घटकुडपादिसमाना द्रव्यमात्रस्वरूपा स्वनाऽऽचेतना आत्मानस्तदुपररूपानिष्ठाशूनि मनास्वचेतनानि । तत्रात्मद्रयाणा मनोद्रयाणाञ्च स्याणात्रवेच्छादयो वैशेषिका आत्मगुणा उत्पद्यन्ते । त चाप्यनि रेक्षेण प्रत्येक मात्मसु समवर्षात स समार । तथा नवानामात्म गुणानाम य नानुपादो मोक्ष इति कानादा । ब्रह्म न दगन २।३५०। सूत्र चारीरक भाष्यम् ।

२. न वात्सवो नित्यरव दिनुर्वे न विवशमा प्रतिदेह मवे व तु न मगमहे । तथात्रि बुद्धि मुख दुःखेच्छा द्वय प्रयत्न धर्मा धम भावनाभ्यन्त विगयगुणव न प्रतिदेह मि ना एव नित्या विमवशचात्मान इति वैशेषिका मय ते । इममव च पण ताद्विक मीमांसकादयोऽपि प्रतिप ना' ।—भगवद्गीता—द्वितीय अ० १४ श्लोक की व्याख्या ।

३ सभी शास्त्रों के पारंगत पूज्यवाद च दशा त सकलद्वार महादय न िया है कि—गीतम तथा कणाद न यह स्पष्ट नहीं कहते हैं कि ज्ञान तथा सुख आदि आत्मा के धर्म हैं। आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप या नित्यमान नहीं है—यह भी गीतम तथा कणाद न नहीं कहा है। टीकाकारों ने यह कहा है।

किन्तु शंकराचार्य और मधुसूदन सरस्वती क्या गौतम के सूत्रों को नहीं देखकर या उन सूत्रों का प्रकृत अर्थ नहीं समझ कर केवल व्याख्याकारों के कथन के अनुसार ही उपरोक्त वे सन बातें कह गये हैं। व्याख्याकारों के वे सब सिद्धान्त क्या उनके वहाँ खण्डनीय ही हैं ?

सब दृष्टाचार्य ने शारीरिक भाष्य में कणाद समस्त 'आरम्भवाद' का खण्डन करने के लिए कणाद सूत्रों क्यों उद्धृत किया है ? कणाद तथा गौतम के किसी सूत्र में अद्वैतमत समझाने पर अद्वैत मत का समर्थन करने के लिये वह भी क्यों नहीं कहा है।

यथार्थ में यह चिन्तालय में प्रतिद्वन्द्व ही है। कणाद तथा गौतम द्वैतवादी हैं। उन लोगों के सूत्रों से भी यही ज्ञात होता है। परन्तु इसको समझने के लिए उनके अनेक सूत्रों की पर्यालोचना आवश्यक है। संक्षेप में यह मुमकिन नहीं किया जा सकता है। तथापि आवश्यक समझकर यहाँ कुछ कहा जाता है।

पहले, कहा जा चुका है कि महर्षि गौतम ने ज्ञान तथा इच्छा आदि को जीवात्मा के अपने वास्तव गुण कहा है। उन्होंने (गौतम) जिस स्मृति को अवलम्बन करके देह आदि से भिन्न निरूप आत्मा के अस्तित्व का समर्थन किया है वह स्मृत्यात्मक ज्ञान उनके मत में आत्मा का गुण होने पर ही उपपन्न होता है। अन्यथा इस (स्मृति) की उपरति ही नहीं हो सकती है।—'तदात्म-गुणत्वसूक्ष्मावादप्रतिषेधः' (२।१।१४) इस सूत्र के द्वारा उपरोक्त सिद्धान्त को स्पष्ट कहा है। परन्तु ज्ञान अन्तःकरण अथवा मन का गुण नहीं है—यह भी आगे स्पष्ट कहा है। ज्ञान आत्मा का धर्म है तथा इच्छा आदि मन का धर्म

जैसा कहा गया है उसका ध्यान करन से विद्वान् लोग स्वयं समझ जायेंगे कि व्यापकदर्शनकर्ता आदि का मत वेदान्त में विकृत है—ऐसा कहने के लिए कोई विशेष हेतु नहीं है। यह कहा जा सकता है कि वेदान्त मत उन लोगों का मान्य है। किन्तु उन्होंने यह स्पष्ट सुझाकर नहीं कहा है कि अन्तःकरण के साथ तादात्म्याध्यायनविवर्धन ज्ञान गुण आदि आत्मा के धर्म के रूप में प्रतीत होने हैं। सिद्ध गुण तादात्म्य मूल्य विषय को हटाने समझ नहीं सकेंगे इसी विवेचना में उन्होंने (महर्षि गौतम तथा कणाद) इन विषय को अव्यक्त रूप में रखा है। 'गौतम ने आत्मा के अनेकत्व या एकत्व के विषय में कुछ बात नहीं कही है। फेलोसिफ का सेक्चर—५ वाँ दर्प ५० १८०।

है—इस मत विशेष का भी खण्डन करके ज्ञान का वाय इन्द्रा आदि ज्ञानाभय आत्मा का ही धर्म है—इसका समर्थन किया है।^१

स्मरणात्मक ज्ञान चिरस्थायी आत्मा का ही धर्म है—इसका समर्थन करते हुए उन्होंने (गौतम) आगे स्पष्ट कहा है—‘स्मरणत्वा मनोऽस्वाभा यात्’ ३।२।४० । अर्थात् आत्मा ज्ञातृस्वभाव है । ज्ञाता ने ही पहले जाना या और आगे जानेगा तथा वर्तमान काल में भी जानता है । अतः त्रिकालिक ज्ञान शक्ति या ज्ञानवत्ता चिरस्थायी ज्ञाता या आत्मा का ही स्वभाव है । अर्थात् ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म न होने पर भी स्वकीय धर्म, वास्तव धर्म है वह औपचारिक धर्म नहीं है । महर्षि गौतम ने बाद में चौथे अध्याय में प्रातिरात्मभय वादप्रतिषेध ४।१।११ इत्यादि सूत्रों से स्पष्ट करके कहा है सुख तथा दुःख आत्मा का ही धर्म है । अतः उन्होंने अपने सिद्धान्त को अस्पष्ट रखा, खुलकर नहीं कहा है । तथा उनका मत अद्वैत मतके विरुद्ध नहीं है । प्रत्युत अद्वैत सिद्धान्त उनका भी अभिमत है—ये सब बातें हम किसी भी प्रकार से समझ नहीं पाते ।

महर्षि गौतम ने वायदर्शन के तृतीय अध्याय में पहले ही आमपरीणा प्रकरण में—एक आत्मा के दृष्ट विषय को अपर आत्मा स्मरण नहीं कर सकता है इस सिद्धान्त के अनुसार देह आदि से भिन्न तथा नित्य आत्मा है—इस सिद्धान्त का समर्थन किया है और स्मरणात्मक ज्ञान को आत्मा का ही धर्म कहा है । हमसे यह भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनके मत में आत्मा एक नहीं है, प्रति शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न हैं अतएव अनेक आत्माएँ हैं । प्राचीन नैयायिक वाय वार्तिककार उद्योतकर भी गौतम के सूत्रानुसार यही कह गये हैं।^२

यहाँ शङ्का होती है—सभी जीवात्मा विश्वग्यायी होने पर सभी जीवदेह के साथ सब जीवात्मा का सयोग सवन्व है । तब अग्यान्य सभी जीवों को सभी शरीरों में ज्ञान क्यों नहीं उतरान्न होता है ? इसके उत्तर में महर्षि गौतम ने

१ युगपजनेयानुपलब्धेषु च न मनस । अस्य-ष्टाद्वैतमित्वात्कारम्भ निवृत्त्या यथाक्तं हतुत्वात्पारतन्त्र्यादृशान्प्रयोगमाच्यतमनस । परिनेपाद् यथाक्तं हतुत्पत्तेश्च । वायदर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय श्लोक १६-१८-२८-२९ सूत्रों का देखिए ।

२. बहुत्वश्चानेव—दशरथपुत्रानाम्यामेवायप्रहणार्त् । नाभ्यदृष्टम य स्मरतीति । ‘शरीरदाहणान्कामावात्’ इति नम सर्वाव्ययस्या शरीरिभद सम्भवतीति—वायवार्तिक ।

वाद में कहा है—‘शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्मयोगोत्पत्तिनिमित्त कर्म’ (१।२।२६) तापर्य यह है कि प्रत्येक जीव शरीर के साथ प्रत्येक जायमा का संयोग रहने पर जिस जायमा के लिए जिस शरीर की सृष्टि उसका अदृष्ट विशेष से हुई है उस शरीर के साथ प्रत्येक जायमा का विलक्षण संयोग होता है और उससे साथ ही उसका मन का विलक्षण संयोग होता है । उसमें भी वह अदृष्ट विशेष ही निमित्त है । उस अदृष्ट विशेष के द्वारा जिस शरीर के साथ जिस आत्मा का तथा जिस मन का विलक्षण सम्बन्ध होता है वह आत्मा ही तत् शरीरसम्बन्ध कहलाता है । शरीरान्धित्त (देहयुक्त) आत्मा में ही ज्ञानादिकी उत्पत्ति होती है । अन्या जा आत्मा जिस शरीर से अन्धित्त रहता है उसी शरीर के साथ उस आत्मा का सम्बन्ध रहने पर ज्ञानादि की उत्पत्ति होगी । अन्य शरीर के साथ संयोग रहने पर भी वह शरीर उसके अदृष्ट विशेष से प्राप्त नहीं है इसलिए वह आत्मा तत्शरीरान्धित्त नहीं है ।

अद्वैतवादी संप्रदाय गौतम के उक्त रूप उच्चर का स्वीकार न करने पर भी हम इस क द्वारा यह ही अवश्य स्वीकार करना होगा कि गौतम के मत में जायमा आकाश की तरह विश्व व्यापी है एवं प्रतिशरीर में भिन्न है । अन्यथा उनका उक्त रूप उच्चर सङ्गत नहीं होता है । भाष्यकार वात्स्यायन ने भी यहाँ गौतम के पुरातन सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करके तदनुसार ही उनसे इस उच्चर की व्याख्या की है । परन्तु महर्षि गौतम ने आगे जाकर यह भी विचारपूर्वक समर्थित किया है कि शुभ एवं अशुभ कर्मजन्य धर्म तथा अधर्म मन का गुण नहीं है वह भी आत्मा का ही गुण है । प्रत्येक आत्मा स्वकृत कर्म के फल धर्म तथा अधर्म से अनेक प्रकारों के बन्ध प्राप्त करते हैं ।

अतएव जो (महर्षि गौतम) प्रत्येक शरीर में पृथक्-पृथक् आत्मा को करते हुए आत्मा का वास्तविक भेद स्वीकार करते हैं तथा ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा तन्जन्य सुख दुःख आत्मा का वास्तविक गुण करते हैं—उन्हें अद्वैतवादी होने कहा जा सकता है ।

ऐसे ही कणाद सूत्रों के द्वारा भी ज्ञात होता है कि जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है—यही उनका सिद्धान्त है । यह क्षेत्र समझना चाहता है—यह भी यहाँ कहा जा रहा है । परन्तु विशेष ध्यान से समझना पड़ेगा । कणाद ने निम्नलिखित तान सूत्रों को वैशेषिक दर्शन में यथाक्रम कहा है—‘सुखदुःख-

ज्ञान निष्पत्त्यविशेषादेकात्म्यम्' ३।२।१९। 'नानात्मानो व्यवस्थात्' ३।२।२०।
'शास्त्र सामर्थ्याच्च' ३।२।२१।

कणाद ने पहले 'सुखदुःख' इत्यादि सूत्र के द्वारा पूर्वपक्ष का समर्थन किया है कि शरीर के भिन्न भिन्न रहने पर भी सब शरीर में आत्मा एक ही है। क्योंकि सभा शरीरों में समान रूप से सुख दुःख तथा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे शब्द की उत्पत्ति आकाश में सर्वत्र एक ही रूप से होती है—अन. शब्द का समवायि कारण आकाश एक ही भवितृ है उसी तरह से आत्मा में भी सबशरीरावच्छेदेन सुखदुःख आदि की उत्पत्ति होने के कारण आकाश की तरह आत्मा वास्तव में एक ही है। उपायि के भेद से आकाश के भेद की तरह आत्मा का भी भेद है—किन्तु वह भेद काल्पनिक है। कणाद ने पहले इस पूर्व पक्ष को समर्थन करके अपना सिद्धान्त सूत्र कहा है—'नानात्मानो व्यवस्थात् अर्थात् जीवात्मा अनेक हैं, क्योंकि व्यवस्था है। कणाद ने पहले आकाश में एकत्र भिन्न करने के उद्देश्य से अपना सिद्धान्त सूत्र कहा है—

'शब्दलिङ्गाविशेषाद्विशेषलिङ्गाभावाच्च' २।२।३०। अर्थात् सर्वत्र ही आकाश में शब्द उत्पन्न होता है। अतएव शब्द ही आकाश के साधक हूँ होने से आकाश के सावक हेतु का विशेष नहीं है और आकाश का भेद साधक काई विशेष हेतु भी नहीं है। अतएव आकाश एक है। किन्तु पुरातन द्वितीय सूत्र के द्वारा कणाद ने कहा है कि आत्मा का भेदसाधक सुख तथा दुःख आदि का व्यवस्थापक विशेष हेतु रहने के कारण आत्मार्थ अनेक हैं अर्थात् प्रति शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीवात्मा में सुख तथा दुःख आदि की उत्पत्ति होने पर भी उन सब की व्यवस्था अर्थात् नियम है। एक व्यक्ति को सुखदुःख होने पर दूसरे का सुखदुःख नहीं होता है। एक व्यक्ति को सुखी या दुःखी रहने पर सभी लोग सुखी या दुःखी नहीं होते। ऐसे कोई घनी है, कोई दरिद्र है, कोई नूर्स है कोई पण्डित है—इत्यादि अन्तरूप प्रकार के जीवात्माओं की अवस्था का जो सर्व सम्मत नियम है—वह भी जीवात्मा के भेद

१ प्रचलित वार्तापिक दणन' पुस्तक में व्यवस्थानोपाता' इन तर्क का सूत्र पाठ दणन आता है। किन्तु 'प्रगल्भ पादभाष्य' की व्याख्यानद्वयी टीका में श्रीधरभट्ट ने तथा (उमीवी) सूक्ति टीका में जगदीश ने—'नानात्मानो व्यवस्थात्' ऐसा ही सूत्रपाठ को उद्धृत किया है और वही प्रकृत सूत्रपाठ है—ऐसा समझा जाता है। शबरमिश्र की व्याख्या में उक्त सूत्रपाठ समझा जाता है।

में सायक हेतु होता है। अर्थात् इस नियम से सिद्ध होता है कि जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रहता है। कारण यह है कि प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा के रहने पर उसके उक्त रूप सुख-दुःख आदि की व्यवस्था या नियम की उपपत्ति नहीं हो सकती है। अतएव कणाद ने कहा है— 'नानात्मानो व्यवस्थात'। अर्थात् ही आपत्ति हो सकती है कि आत्मा का एकत्व ही शास्त्रमिद्वे होने पर शास्त्रविरुद्ध किन्हीं युक्तियों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व नानात्व सिद्ध नहीं हो सकता है। इसके लिए मरुचि कणाद ने वाट में तृतीय सूत्र कहा है—'शास्त्र सामर्थ्याच्च', अर्थात् शास्त्रों के बल पर भी आत्मा का नानात्व सिद्ध होता है।' ता-पर्यं यह है कि आत्मा की अनेकता को समझाने के लिए कितने शास्त्र वाक्य भी हैं। जिन वाक्यों से यही समझा जाता है कि आत्मा अनेक है यानी प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। ये शास्त्र वाक्य आत्मा के वास्तविक भेद प्रतिपादन में समर्थ हैं। क्योंकि आत्मा को

१. यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि कणाद ने पूर्वोक्त द्वितीय सूत्र के साथ सम्बन्ध करने में व्यवस्थातः 'शास्त्रसामर्थ्याच्च' आत्मानो नाना—इम नरक की व्याख्या ही उनको अभिप्रेत है। क्योंकि कणाद तृतीय सूत्र में 'च' शब्द का प्रयोग करके उक्त सूत्र जो उनके द्वितीय सूत्र में कहे गये सिद्धान्त के समर्थन के लिए ही कहा गया है अर्थात् इम सूत्र के द्वारा आत्मा की अनेकता ही सिद्धान्त का ही उल्लंघन करना है—ऐसा ज्ञान होता है। किन्तु कणाद के उक्त सूत्र में यह ता-पर्यं नहीं प्राप्त होता है कि व्यावहारिक दशा में आत्माएँ अनेक हैं किन्तु परमात्मनः एक ही है। इस सूत्र में व्यावहारिक दशा में बाधक जितनी शक्ति का उल्लेख प्रयोग नहीं किया है। परन्तु द्वितीय सूत्र में 'आत्मानः' ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग करके उन्होंने आत्मा की वास्तविक अनेकता ही अपने सिद्धान्त के लिये स्पष्ट किया है—यही समझा जाना है।

किन्तु महाभट्टोपाध्याय पूज्यपाद चन्द्रशान्तरत्नचन्द्रार महाशय ने वैशेषिक दर्शनके स्पष्टतः भाष्य में कणाद को भी अद्वैतवादी कहनेके लिए पूर्वोक्त सूत्र में कणाद के पहले 'सुख-दुःख' इत्यादि सूत्र को ही उनका सिद्धान्तसूत्र के रूप में द्वितीय सूत्र के द्वारा व्यावहारिक व्यवस्था में आत्मा नाना है किन्तु परमात्मनः आत्मा एक ही है—इम तरङ्ग की व्याख्या की है। और कणाद के उक्त सूत्र का—जिसके द्वारा आत्मान का एकत्व सिद्ध होता है—उल्लेख करके मुन्यपुत्र या आत्मान की तरह कणाद के मत में आत्मा भी वस्तुतः एक है—ऐसा कहते हैं। किन्तु कणाद ने आत्मा के भेद साधक विभेद हेतु को दिव्यत्वर आत्मा आत्मान की तरह एक नहीं है—यही व्यक्त किया है।

वास्तविक अनेकता ही युक्तिसिद्ध है। परन्तु एकत्व शास्त्रयुक्ति से बाधित है। इसलिए एक भी शास्त्रवाक्य आत्मा के एकत्व प्रतिपादन में समर्थ नहीं है। महर्षि कणाद ने उक्त सूत्र में योग्यताबोधक सामर्थ्य शब्द का प्रयोग करके सूचित किया है कि अर्थ की वास्तविक योग्यता का ज्ञान—समर्थ शब्द बोध का कारण है। इसलिए जो अर्थ अयोग्य या असम्भव है वह 'शास्त्रार्थ' नहीं हो सकता है। इसलिए जितने शास्त्र वाक्य आत्मा के एकत्व को प्रतिपादक व रूप से समझे जाते हैं उन वाक्यों का कुछ और ही तात्पर्य है ऐसा समझना पड़ेगा। किन्तु कणाद ने आगे कहा है—'आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्व्वात्मत्वान्' ६।१।५^१।

'मायकदला' टीकाकार श्रीधरभट्ट तथा सूक्ति टीकाकार जगदीश प्रभृति ने कणाद के मत में धर्माधर्म प्रभृति जो जीवात्मा के गुण हैं—उत्तमो प्रमाण। देखाने के लिए उक्त सूत्र को उद्धृत किया है। श्रीधरभट्ट ने व्याख्या की है कि दाता के दान से समुत्पन्न धर्म प्रतिप्रतीता का धर्म उत्पन्न करता है—इस मत को खण्डन करने के लिए ही महर्षि कणाद ने उक्त सूत्र के द्वारा कहा है कि अन्य आत्मा के मुख दुःख आदि गुण अपर आत्मा के मुख दुःख आदि गुणों के प्रति कारण नहीं होने से अन्य आत्मा में समुत्पन्न धर्माधर्म रूप गुण दूसरे आत्मा के धर्माधर्म रूप गुणों के प्रति कारण नहीं होते हैं। किन्तु आगे जाकर शङ्कर मिथ तथा जगदीश प्रभृति ने उक्त सूत्र के तात्पर्य की सरल रूप से ही व्याख्या की है कि अन्य आत्मा के धर्माधर्म प्रभृतिगुण अपर आत्मा के मुख दुःख आदि गुणों के प्रति कारण नहीं होते हैं। कुछ भी व्याख्या हो किन्तु इस सूत्र से स्पष्ट शत होता है कि कणाद के मत में धर्माधर्म तथा मुख दुःख आदि जीवात्मा के ही गुण हैं तथा जीवात्मा प्रत्येक शरीर में वस्तुतः भिन्न भिन्न हैं। उक्त सूत्र में 'आत्मान्तर' शब्द का दो बार प्रयोग होने से भी प्रत्येक जीव शरीर में जीवात्मा का सपर्ययभेद ही प्रकटित होता है। अतएव यह अवश्य मानना होगा कि कणाद ने आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने के लिए पूर्वोक्त 'मुख दुःख' इत्यादि सूत्र से पूर्वोक्त तथा अपर दो सूत्रों

१ प्रचलित वैशेषिक दशन पुस्तक में 'आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्व्वात्मत्वान्' एसा ही सूत्रपाठ है। शङ्कर मिथ की व्याख्या में भी ऐसा ही उक्त किया जा रहा है। श्रीधर भट्ट इस सूत्र के उत्तराद्ध में—'आत्मान्तरगुणेष्व्वात्मत्वान्' एसा तरह का पाठ उद्धृत किया है इसलिए वही पाठ प्राचीनगमन तथा उपयुक्त जान पड़ता है। सूक्तिटीकाकार जगदीश न भी श्रीधर भट्ट के सूत्रपाठ को ही उद्धृत किया है।

से उसके एकत्ववाद का खण्डन करके नानात्ववाद अथवा द्वैतवाद को ही सिद्धान्त रूप से समर्थित किया है।

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जिन सूत्र के द्वारा पूर्वपक्ष व्यक्त किया जाता है उसका नाम पूर्वपक्ष सूत्र है। यह पूर्वपक्षात्मक मत सूत्रकार का अपना सिद्धान्त नहीं रहता है। वह उनके द्वारा खण्डनीय मतान्तर है। इसलिए जो सूत्र नि सन्देह पूर्वपक्ष सूत्रों के रूप में समझे जाते हैं उनको भी सिद्धान्त सूत्र के रूप में ग्रहण करने पर अन्याय्य सूत्रों का सामञ्जस्य कदापि सम्भव नहीं है। क्योंकि सूत्रकार का असम्मत अथवा खण्डित मत को भी उनके सिद्धान्त के रूप में ग्रहण करने पर किसी तरह से ही उनके सभी सिद्धान्तों का सामञ्जस्य सम्भव नहीं है। आवश्यक शेष से यहाँ इसका दूसरा एक उदाहरण प्रदर्शित किया जाता है। मद्रि गौतम ने व्यापदर्शन में दो सूत्र कहे हैं—'स्वप्न विषयाभिमानवत् प्रमाणप्रमेयाभिमान' ४।२।३१। 'मायागन्धवनगरमृगतृष्णिका वदा' ४।२।३२—उद्धृत इन दोनों सूत्रों के द्वारा गौतम ने पूर्वपक्ष रूप से मतान्तर प्रकाशित किया है कि जैसे स्वप्न में विषय के नहीं रहने पर भी उन विषयों का अभिमान या भ्रम होता है उन्ही तरह से प्रमाण और प्रमेय के नहीं रहने पर भी उनका भ्रम होता है। अथवा ऐन्द्रवाकिक की माया से दृष्ट विषयों के नहीं रहने पर भी दर्शकों को उन विषयों का भ्रम होता है और मरीचिका में जल नहीं रहने पर भी यहाँ जल का भ्रम होता है। उसी तरह से प्रमाण प्रमेय आदि किसी पदार्थ के वस्तुतः नहीं रहने पर भी यह प्रमाण है, यह प्रमेय है—इस तरह का भ्रम होता है। अर्थात् स्वप्नावस्था के समान अप्रत अवस्था में भी अनुभूत प्रत्येक विषय असत् है। इसलिए इन विषयों का ज्ञान भी भ्रमात्मक ही है। स्वप्नावस्था के समान सर्वत्र असत् पदार्थों का ही भ्रमात्मक ज्ञान होता है।

इसी मत का खण्डन करने के लिए गौतम ने आगे जाकर पहले सूत्र कहा है—'हेतुमावावमिद्धि' ४।२।३३। अर्थात् हेतु के अभाव में केवल दृष्टान्त के द्वारा पूर्वोक्त मत की सिद्धि नहीं हो सकती है। गौतम ने आगे जाकर और कुछ सूत्रों के द्वारा अपने सिद्धान्त को व्यक्त किया है तथा पूर्वोक्त मतों का खण्डन किया है। इससे यह नि सन्देह बात होता है कि उपरोक्त दोनों सूत्रों में उनको पूर्वपक्ष ही अभिप्रेत था। सभी व्याख्याकारों ने ऐसा ही समझते हैं।

हिन्दु काश्मीरी विद्वान् सदानन्द यति ने 'अद्वैत ब्रह्म सिद्धि प्रथम में गौतम का भी अद्वैत सिद्धान्त ही अभिप्रेत था—इसकी सिद्ध करने के लिए अन्त में इनका पूर्वोक्त दो पूर्वपक्षसूत्र भी उद्धृत किये हैं।

उसे देखकर बाद में किसी अद्वैत सिद्धान्तवादी विद्वान् ने इस तरह की बातें लिखी हैं। किन्तु हम इसे एकदम समझ नहीं पाते।^१ क्योंकि सिद्धान्त सूत्र को बिना देखे ही केवल पूर्वपक्ष सूत्रों के द्वारा सूत्रकार के सिद्धान्त की व्याख्या नहीं की जा सकती है। गौतम ने पूर्वपक्ष के रूप में जिस मत को प्रकाश करके बाद में विचारपूर्वक उसका खण्डन किया है वही मत उनका सिद्धान्त मत—यह किमी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है।

परन्तु गौतम के उन दोनों पूर्वपक्ष सूत्रों से कहा गया मत निश्चित रूप से वेदान्त का अद्वैत मत ही है—यह हम समझ नहीं पाते। स्वप्न तथा माया आदि के दृष्टांत को देखकर भी यह नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि जो केवल विज्ञान को मानता है उसके मत में ज्ञान से भिन्न ज्ञेय विषय का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने भी स्वप्नादि दृष्टांतों के द्वारा उक्त मत का समर्थन किया है। अद्वैतवादी भगवान् शङ्कराचार्य ने उन लोगों के उक्त मतों का खण्डन करके 'अनिर्वचनीयतावाद' का समर्थन किया है। उनके समर्थित अद्वैत मत में जगत् प्रपञ्च सत् भी नहीं है असत् भी नहीं। सत् या असत् कहकर उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है। किन्तु विज्ञानवादियों के मत में ज्ञान से भिन्न ज्ञेय असत् है। ज्ञान से भिन्न ज्ञेय विषय की सत्ता ही नहीं है। उक्त रूप विज्ञानवाद भी अतिप्राचीन मत है। विष्णुपुराण में (३।१८) भी इस मत का प्रकाश हुआ है। वेदान्तदर्शन में (२।२।२।२।२६) उक्त मत का खण्डन हुआ है। भाष्यकार आचार्य शंकर ने वहाँ—'वैधर्म्यत्वं न स्वप्नादिवत्' इस सूत्र के द्वारा उक्त मत का खण्डन करने के लिये स्वप्नादिज्ञान ध्येय प्राप्त अवस्था के सब ज्ञान बराबर नहीं हैं—यह समझाकर विज्ञानवादियों के द्वारा प्रदर्शित स्वप्नादि जो उनके मत के समर्थन में दृष्टान्त ही नहीं हो सकते हैं—इसका भी प्रतिपादन किया है। अतः गौतम के द्वारा कहा गया वह मत शंकराचार्य का समर्थित अद्वैत मत ही है—यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है।

यथाय में पूर्वांक दो सूत्रों में गौतम ने जिन दृष्टान्तों का उल्लेख करके पूर्वपक्ष के रूप में जिस मत का प्रकाश किया है वह मूपाचीन विज्ञानवाद है। तात्पर्यटीका में वाचस्पति मिश्र ने भी वही कहा है। किन्तु महामनीषी नागेशभट्ट ने यह स्वीकार करते हुए भी गौतम को भी अद्वैतवादी कहने के लिए दीयाकरण

१. म० म० अद्वैतान्तकालद्वार महाशय ने लिखा है कि ये सब सूत्र स्वप्नरूप से वेदान्त मत का अनुवाद करते हैं। अथवा व्याख्याकारों में गूत्रों के तात्पर्य को दूसरी तरह से वर्णन किया है। पत्नीतिफ का लक्ष्मण पञ्चम-चरं ४७ पृ० ।

सिद्धांतमञ्जूषा नामक ग्रन्थ में कहा है कि गौतम विज्ञानवाद का खण्डन करने से तथा उक्त स्थल में वाचस्पति मिश्र भा गौतम के सूत्र के द्वारा उम तरह की व्याख्या करने से अनिर्वचनीयतावाद गौतम का सूत्रसम्मत सिद्धांत है—यह अर्थत व्यक्त होता है। अर्थात् गौतम ने श्रुतिमूलक अद्वैत मत का खण्डन नहीं किया है किन्तु विज्ञानवाद का खण्डन करते हुए अद्वैत मत में ही अपना सम्मति सूचित की है। यहाँ वाचस्पति मिश्र का व्याख्या से भी यही ज्ञात होता है।

किन्तु महर्षि गौतम के पूर्वान्त विज्ञानवाद के खण्डन से ही कैसे उनकी अद्वैत मत में सम्मति है—यह हम किसी भी प्रकार से समझ नहीं पाते। अन्यान्य अद्वैतवादी आचार्यों ने भी तो विज्ञानवाद का खण्डन किया है। तो क्या इससे उन लोगों को भी अद्वैतवादी कहा जा सकता है? और वाचस्पति मिश्र की व्याख्या से भी वह कैसे समझा जाता है? परन्तु वाचस्पति मिश्र ने अन्यत्र गौतम के सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए उनके किसी किसी सूत्र से वेदान्तसम्मत अद्वैतवाद का खण्डन ही किया है—वह भी तो देखना आवश्यक है। सर्वशास्त्रदर्शी नागेश भट्ट ने वह नहीं देखा है—यह मैं कह नहीं सकता।

जो कुछ भी हो, उपसंहार में यह कहना आवश्यक है कि कणाद तथा गौतम के सूत्रों से यह सबल हा में समझा जाता है कि वे अद्वैतवादी नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने परमाणु की नित्यता स्वीकार करने हुए 'आरम्भवाद' की ही व्याख्या की है। शङ्कराचार्य ने उक्त मत का खण्डन करते हुए वैशेषिक सम्प्रदाय का मत कहकर उल्लेख करने से गौतम के मत का प्रतिपाद नहीं किया है—यह भा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि महर्षि गौतम ने न्यायदर्शन में कणाद की अपेक्षा मुख्य रूप से परमाणु की नित्यता तथा आरम्भवाद का समर्थन किया है। आगे, आरम्भवाद की व्याख्या के समय में यह टिप्पणिका। किन्तु वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ही पहले आरम्भवाद की व्याख्या करने से उक्त मत पहले वैशेषिक मत या कणाद मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसी प्रसिद्धि के अनुसार ही शङ्कराचार्य आदि ने उमी प्रकार से उल्लेख किया है—यदा हम समझते हैं।^१

१ गौतमो. वि.—'स्वप्नविषयामिमानवदय प्रमाणप्रमयाभिमान' 'माया-
ग-पर्वतपरमगुणनृत्तिवद्व्याह' 'द्वि-वभावादमिद्विरित्याह' 'स्वप्न अनिर्व-
चनीयतावादन्यमूत्रमनस्त्वमर्षादुत्तप्रापम्' तस्यश्रुतिमूलकत्वन 'द्वि-वभावाद-
मिद्विरित्यन-गण्यनास भवात्त्व'।—मञ्जूषा-निर्घण्टु-विषयम्—वागीश्वर्या
समृत मीरीक ८७२।७३। पृ दक्षिण।

२ बृहदारण्यकभाष्य म (४।३।२०) शङ्कराचार्य ने 'वैशेषिक नैयायि-
चार्य' इस तरह से पहले वैशेषिक सम्प्रदाय का ही उल्लेख किया है। परन्तु

आरम्भवादी कणाद तथा गौतम के मत में परब्रह्म की तरह आकाश, काल, दिशा और जीवात्मा—ये सभी द्रव्य पदार्थ भी विश्व-यापी तथा नित्य हैं। पार्थिव, जलीय, लौहम और वायवीय—ये चार प्रकार के परमाणु अविस्मृत तथा नित्य होते हैं। गङ्गाचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य ने उक्त मत की व्याख्या करते हुए 'मानभोक्त्या' ग्रंथ में कहा है—

'कालाकाशदिगात्मानो नित्याश्च निमवश्चते ।

चतुरिधाः परिच्छिन्नानित्याश्च परमाणव ।

इतिवैदोषिकाः प्राहुस्तथा नैयायिका अपि' ॥ द्वितीय अ० ॥

लेकिन अद्वैतवाद में परब्रह्म से भिन्न और कुछ भी पदार्थ नित्य नहीं है तथा माया सहित परब्रह्म अथवा परमेश्वर ही समार का मूल उपादान कारण है। किन्तु आरम्भवाद में भिन्न भिन्न परमाणुमूह ही भिन्न-भिन्न कार्यद्रव्यों के मूल उपादान कारण होते हैं। परन्तु अद्वैतवाद में आत्मा एक ही है, आरम्भवाद में आत्माएँ अनेक हैं। अद्वैतवाद में आत्मा चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य या ज्ञान उसका गुण नहीं है, किन्तु आरम्भवाद में आत्मा चैतन्यरूप नहीं है, किन्तु चैतन्य या ज्ञान उसका गुण है। उसमें भी परमाणु या ज्ञान नित्य है और जीवात्मा का अनित्य अतः समयविशेष में जीवात्मा जड़ है। अद्वैतवाद में जीवात्मा वस्तुतः निर्गुण है, ज्ञान, इच्छा तथा मुग्धादि अन्न करण के ही धर्म हैं, किन्तु आरम्भवाद में जीवात्मा मगुण है और ज्ञान, इच्छा तथा मुग्धादि जीवात्मा के ही वास्तविक गुण हैं। आरम्भवाद में जगत् सत्य है, किन्तु अद्वैतवाद में मायामूलक जगत् मिथ्या है। अर्थात् जगत् की पारमार्थिक मत्ता नहीं है, किन्तु व्यावहारिक सत्ता है; अन्यान्य बातें आगे व्यक्त होंगी।

ऐनरथ उपनिषद्भाष्य में (द्वितीय अध्याय में) शंकर ने 'अथ कणादादायः
'अपि' इम मन्त्र' के द्वारा जिन मत का उल्लेखपूर्वक प्रतिवाद किया है वह
कणाद की तरह गौतम का भी मत है। इसीलिए वहाँ शंकर ने उक्त मत की
मुक्ति कहने के बाद गौतम के न्यायपदान्त के 'युगवत् ज्ञानानुत्पत्तिर्मेनमोत्पिद्गम्'
'इति' । इम मन्त्र' का उल्लेख किया है। अतः शंकर ने गौतम के किमी
पदों का उल्लेख करके उनके मत का सङ्केत नहीं किया है—यह भी सत्य
नहीं है। किन्तु किसी-किसी विद्वान् ने ऐसा मन्त्रव्य का भी प्रकाश किया है।

सातवाँ अध्याय

(आरम्भवाद की व्याख्या तथा विचार ।)

शिष्य—कणाद तथा गौतम मत को 'आरम्भवाद' क्यों कहा जाता है ?
उक्त आरम्भ शब्द का अर्थ क्या है ?

गुरु—परमाणु प्रभृति उपादानकारणात्मक द्रव्य में असत् अथात् उत्पत्ति के पहले अविद्यमान—अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति ही आरम्भ नाम से कथित होने से उक्त मत आरम्भवाद नाम से कहलाता है। उसका प्रसिद्ध प्राचीन नाम 'परमाणुकारणवाद' है। वेदान्तदर्शन के माध्य में (२।२।११) शकटाचार्य ने भी कहा है—'परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तव्य'। महर्षि गौतम ने आरम्भवाद की मौलिक मुक्तियों को प्रकाश करने के लिये बाद में न्यायदर्शन के चाये अध्याय में कहा है—'व्यक्ताद्रव्यत्तानां प्रयत्नप्रामाण्यात्' ४।१।११। 'व्यक्तात् कारणात् व्यक्तानामुत्पत्ति' अर्थात् व्यक्त कारण से व्यक्त कार्य की उत्पत्ति होती है—यह प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। भाष्यकार ने कहा है—'व्यक्तञ्च खलु इन्द्रियप्रक्षम्' इत्यामन्वात् कारणमप्यिक्तम्' अर्थात् यद्यपि इन्द्रिय से प्राप्त द्रव्य ही व्यक्त शब्द का अर्थ है किन्तु उन सभी कार्य द्रव्यों का मूल कारण परमाणु भी उनके सजातीय हैं। अतः इस सूत्र में व्यक्त शब्द से परमाणु भी सूचित हुआ है। परन्तु इस सूत्र के 'व्यक्तात्' इस पद से सूचित हुआ है कि सांख्यशास्त्र के वक्ता महर्षि कपिल के द्वारा उक्त 'अव्यक्त' अर्थात् त्रिगुणात्मिका प्रकृति महर्षि गौतम को अभिमत नहीं है। 'प्रकृति परिणामवाद' महर्षि गौतम का अभिमत नहीं है, अपितु आरम्भवाद ही उनका सम्मत है। न्याय-मञ्जरीकार जयन्त भट्ट ने भी इस सूत्र की व्याख्या में कहा है—'व्यक्तादिति कपिलाम्बुगत-त्रिगुणात्मकाव्यक्तरूपकारणनियेयेन परमाणुनां शरीरादौ कार्ये कारणवमाह'।

सारांश यह है कि प्रत्यक्षमूलक अनुमान के द्वारा अदृष्ट या अतीन्द्रिय मूलकारण परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है—यहाँ इस सूत्रसे महर्षि गौतम का विनिश्चित है। अतः आगे भाष्यकार ने भी कहा है—'दृष्टो हि रूपादिगुण-

१. बहूत पाठका की सुविधा होगी ऐसा समझकर यहाँ से लेकर तीन अध्याय गुरु तथा शिष्य के प्रश्नात्तर क रूप में लिखे गये हैं।

गुणेषु मृत्प्रभृतिम्पस्तथाभूतस्यद्रव्यस्योत्पाद, तेन चादृष्टयानुमानम्' । तात्पर्य यह है कि रूपादि गुण विशिष्ट मृत्तिका आदि स्थूल भूतों से तज्जातीय द्रव्य (घटादि द्रव्य) की उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिये इसी दृष्टान्त से अदृष्ट अर्थात् अतीन्द्रिय मूलकारण परमाणु समूह अनुमान प्रमाण से सिद्ध हैं। परन्तु घटादि द्रव्य में जो रूप रसादि विशेष गुण उत्पन्न होते हैं उनके मूल परमाणुओं में भी तज्जातीय विशेष गुण अनुमान से सिद्ध हैं। क्योंकि द्रव्य के उत्पादान कारण के जो सर विशेष गुण हैं—तज्जन्य ही उसके कार्य द्रव्य में तज्जातीय विशेष गुण उत्पन्न होते हैं—यह भी बहुत द्रव्यों में प्रत्यक्ष सिद्ध है। जैसे लाल रत्नों से बने हुए कपड़ों में लाल ही रङ्ग उत्पन्न होता है कमी भी नील रूप नहीं। इसीलिये कहा गया है—'कारणगुणा, कार्यगुण मारभन्ते' । अर्थात् कारण द्रव्यगत गुण कार्य द्रव्य में तज्जातीय गुण को उत्पन्न करता है। किन्तु यह नियम विशेष गुण के सम्बन्ध में ही कहा गया है।^१

शिष्य—साक्ष्यरूपकार महर्षि कपिल ने कहा है—'नाणुनित्यत्वा, तत्कार्यत्व भूते' ५।८७ । परमाणु के कार्यत्व या कर्तृत्व के विषय में भूति है अतः परमाणु नित्य नहीं हो सकता है। परमाणु के अनित्यत्व के विषय में भूति प्रमाण रहने पर और किसी दूसरे प्रमाणों से उसका नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिये उक्त मत भूति विरुद्ध ही है।

१ मानसोत्प्लव द्रव्य म शकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य ने आरम्भवाद के दणन में कहा है—

'परमाणुगता एव गुणा रूपरसादयः।

कार्ये समानजातीयमारभन्ते गुणान्तरम् ॥'

टीकाकार रामतीर्थ ने लिखा है—'समानजातीयमिति विशेषगुणानिप्रायम्' इत्यादि। अतः उक्त मत में दो परमाणुओं की द्विवसत्या से द्वयस्युक्त म जो परिमाण उत्पन्न होता है वह सत्या के विजातीय गुण होने पर भी उक्त नियम में व्यवधान नहीं है। क्योंकि संख्या तथा परिमाण द्रव्यमात्र के सामान्य गुण हैं। वे विशेष गुण नहीं हैं। विशेष गुण का कोई लक्षण ही नहीं जा सकता है यह वाद के किसी वेदान्ती विद्वान् के कथन से भी न्यायन्यायिक-गण विनाश गुण के निर्दोष लक्षण बहने में अममथ नहीं हुए है। विस्तार के मय से उन सब दुर्बोध भागों का प्रकाश करना यहाँ सम्भव पर नहीं है। रूप आदि चोक्तीगणकार के गुणों के बीच विशेष गुण तथा सामान्य गुण का विभाज्य 'मार्गी परिवर्तते' म भी मिलेगा।

गुह—परमाणुओं के अनित्यत्व के बारे में कौन प्रतिप्रमाण है—यह तो मात्स्यसूत्रकार ने नहीं कहा है। भाष्यकार विशानभिक्षु भी उसको दिलाने में समर्थ नहीं हुए हैं। किन्तु उन्होंने (विशानभिक्षु) उक्त सांख्यसूत्र के भाष्य में कहा है कि यद्यपि कालवश लोपादि हो जाने से अब हम लोग उस उक्त भूतिवाक्य को उपलब्ध नहीं कर पाते तथापि महर्षि कपिल का उक्त सूत्र अथ—अण्यो मात्रा विनाशिन्योदशाधिनाञ्च याः स्मृताः १।२७। इस मनुस्मृति से वह भूतिवाक्य अनुमेय होता है। विशानभिक्षु की निवृत्ता यह है कि पूर्वोक्त कपिल सूत्रात्मक स्मृति और मनुस्मृति जब भूतिमूत्रक हैं तब इन स्मृतियों से इसके समानार्थक मूलभूत भूतिवाक्य अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। इस तरह की भूति 'अनुमितभूति' कहलाती है।

किन्तु विशानभिक्षु की इस बात के उत्तर में कहना यह है कि 'नाणु नित्यता उत्कार्यत्वधृते' यह सूत्र जो महर्षि कपिल का ही सूत्र है—यही सर्व-सम्मत नहीं है। विशानभिक्षु के यह कहने पर भा. सांख्यशास्त्र के अनेक अर्थ विद्वत् हो गये हैं—यह उन्होंने भी पहले कहा है। १७२६५

परन्तु महर्षि गौतम ने पहले—'नाणुनित्यत्वात्' (१।२।२४) इस सूत्र के द्वारा यह स्पष्ट कहा है कि परमाणु नित्य है एवं बाद में विचारपूर्वक परमाणु के निरवयवत्त का समर्थन करके नित्यत्व के समर्थन किया है। अतः गौतम के उन सब सूत्रों का आधार पर परमाणु का नित्यत्व प्रोचक मूलभूति का भी अनुमान कर सकते हैं तथा कालक्रम से वे अतिरिक्त हुए हो जाने से हम लोग उनको उपलब्ध नहीं कर पाते—यह भी विशानभिक्षु की तरह हम कह सकते हैं। यह तो कमी मूलभूत नहीं हो सकता है कि कपिल के सांख्यसूत्र भूतिमूत्रक हैं और गौतम के न्यायसूत्र भूतिमूत्रक नहीं हैं।

अब च विशानभिक्षु ने जो 'अण्यो मात्रा विनाशिन्योदशाधिनाञ्च याः स्मृताः' इस मनुवचन से परमाणु का अनित्यत्व समझा है—यह हम लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि उक्त वचन में 'दशार्धानाम् मात्रा विनाशिन्यः' इस बात के द्वारा दश का आधा अर्थात् अर्धत्वादि पाँच भूतों की मात्राओं = सप्तमर्शों—(सांख्यशास्त्रसम्मत पञ्चतन्मात्राओं) को ही विनाशो कहा गया है तथा उन्हीं मात्राओं अर्थात् पञ्चतन्मात्राओं की सूक्ष्मता व्यक्त करने के लिए 'अण्यः' इस विशेषण पद के द्वारा अत्यु परिमाण सिद्धि पहा गया है। उक्त वचन के

१ 'जालाकं महितं मात्स्यशास्त्रं ज्ञानमुपाकरम् ।

जलावशिष्टं भूयोऽपि पूरयिष्ये बचोऽमृतं ॥

(साध्यप्रवचन भाष्य के प्रारम्भ में विशानभिक्षु का श्लोक)

पहले गुणवाचक 'अणु' शब्द के ही स्त्रीप्रत्ययान्त 'अण्वी' शब्द के प्रथमा बहु वचन में 'अण्व्य' ऐसा प्रयोग हुआ है। यह जानना आवश्यक है कि एवाक परमाणु के अर्थ में 'अणु' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सारांश यह है कि मनुसंहिता के उक्त वचन में मात्रा शब्द का अर्थ परमाणु नहीं है।

परन्तु कणाद तथा गौतम के मत में आकाश विभु अर्थात् सर्वगामी एव नित्य द्रव्य है। इसलिए उसका मूलकारण कोई परमाणु नहीं है। किन्तु साख्य आदि के मत में आकाश का मूलकारण तन्मात्र (शब्दतन्मात्र) है। उक्त वचन में भी मात्रा शब्द से आकाश का वह सूक्ष्म अंशरूप तन्मात्र भाग्यहीन हुआ है। इसलिए उस मात्रा शब्द से परमाणु का ग्रहण नहीं हो सकता है। वस्तुतः पञ्चतन्मात्राएँ ही कणाद तथा गौतम का सम्मत परमाणु नहीं है। उनसे उत्पन्न कोई सूक्ष्म भूत भी परमाणु नहीं है। किन्तु पृथिवी आदि चार भूतों का जो स्वपिण्डया सूक्ष्म अणु—जिसकी उत्पत्ति तथा विनाश एव किसी तरह का परिणाम य' विकार नहीं है वही कणाद तथा गौतम का अभिमत परमाणु है। उत्पत्ति तथा विनाश के कारण नहीं रहने से वह (परमाणु) नित्य है।

शब्ध—क्या न्यायशैलेयिक संप्रदाय ने उक्त रूप परमाणु का बोधक कोई श्रुति प्रमाण दिखाया है ? या उन्होंने भी उस श्रुति का अनुमान ही किया है ?

गुरु—महानैयायिक उदयनाचार्य ने श्वेताश्वतर उपनिषद् के 'विश्वतश्च लुहते' इत्यादि सुप्रसिद्ध मन्त्र को ही आरम्भवाद की मूलश्रुति कहकर प्रदर्शित किया है।

उन्होंने कहा है कि उक्त मन्त्र के तृतीय चरण में जो पतत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ परमाणु है। परमाणु समूह गतिशील हैं इसलिए गत्यर्थक पत घात से निश्चय 'पतत्र' शब्द उस परमाणु की वैदिक सज्ञा है। उक्त मन्त्र के अन्तिम वाक्यार्थ में—पतत्रै परमाणुभि सजनयन् समुत्पादयन् संघमति संयोजयति—इस तरह की व्याख्या से शत होता है कि परमेश्वर सृष्टि से पहले उन नित्य परमाणु समूहों का अधिष्ठान करते हुए उन्हीं परमाणुओं से सृष्टि

१ विश्वतश्चलुहते विश्वतोबाहुहते विश्वतः पान् । सगह भ्याम् घमति सपतत्रंर्त्तात्रामुज्जयन् देव एव' ।—श्वेताश्वतर ३।३। पष्ठन परमाणुह्यप्रधानाधिष्ठेयत्वम् । तेहि गतिशीलत्वात् पतत्र व्यापदता पततीति । 'संघमति सजनयति च व्यवहृतीपसर्गं सम्बन्धे तेन संयोजयति समुत्पादयति नित्यं' । (देखिये—न्यायकुसुमाञ्जलि, पञ्चमस्तवक तृतीय-कारिका की व्याख्या का अन्तिम भाग) ।

करने के लिये पहले उनमें संयोग उत्पन्न करते हैं। सारांश यह हुआ कि उक्त मन्त्र में पतत्र शब्द का अर्थ पूर्वोक्त नित्य परमाणु है। पक्षी के पतत्र (पंख) की तरह परमाणु वायु की सहायता से उड़ जाता है। सुतराम् पक्षिसदृश होने के कारण भी उक्त मन्त्र में वह पतत्र नाम से कहा जा सकता है।

अवश्य उद्दयनाचार्य की इस व्याख्या को अन्य सम्प्रदायों ने ग्रहण नहीं किया है और न करेंगे। परन्तु भिन्न भिन्न मतों के समर्थक अन्यान्य आचार्यगण भी भ्रुति की व्याख्या करने में अनेक स्थलों में कष्ट कल्पना करने के लिए बाध्य हुए हैं तथा कितने स्थलों में गौण या लाक्षणिक अर्थों की भी व्याख्या की है, यह भी की अस्वीकार करना सम्भव नहीं है। जो भी हो, परमाणु की अभिव्यक्ति में किसी भ्रुति को नहीं दिखाने पर उसके नित्यत्व साधक अनुमान प्रमाण से ही परमाणु की नित्यता सिद्ध होती है। यह कहने पर आपका और क्या वक्तव्य है ?

शिष्य—अनुमान प्रमाण से भी परमाणु की नित्यता कैसे सिद्ध होगी ? किसी द्रव्य के साथ किसी अन्य द्रव्य का संयोग होने पर उस द्रव्य के किसी अर्थ में ही वह संयोग होता है। समूचे अर्थों में कोई संयोग नहीं होता है। किन्तु आपके द्वारा कहे गये परमाणु का जब कोई अर्थ या अवयव नहीं है तब उसके साथ अरु परमाणु का संयोग सम्भव ही नहीं है। अतः परमाणु का संयोग मानने से उसका अवयव भी स्वीकार करना होगा तब तो उसे नित्य नहीं कहा जा सकता है।

परन्तु निरवयव परमाणु के साथ अरु परमाणु का संयोग मानने पर भी उस संयोग से उत्पन्न जो द्रव्य होगा वह तो स्थूल नहीं हो सकता है। इसलिये 'परमाणु कारण' शब्द सिद्ध नहीं होता है। शारीरकभाष्य में आचार्य शंकर ने भी इन सारी बातों को कहा है।

गुरु—परमाणु का खण्डन करने के लिए महायान बौद्ध सम्प्रदाय ने ही इस तरह की बहुत सी बातें कही थीं। अभी संक्षेप में उन लोगों की बात आप से कहता हूँ। विज्ञानवादी प्रसिद्ध बौद्धाचार्य वसुवन्धु ने अपनी 'विशक्तिमात्रता सिद्धि' ग्रन्थ के 'विशतिका' कारिका में कहा है—

‘न तदेक नचानेकम् विषयः परमाणुशः ।

नचने संज्ञा यस्मात् परमाणुर्न सिद्धयति ॥

पट्टेन युगरयोगात् परमाणोः पट्टशता ।

पण्णासमानदेशत्वात् रिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥’^१

१. वसुवन्धु की अन्यान्य कारिकाएँ तथा उनकी व्याख्या मेरे सनातित तथा बङ्गीय साहित्य परिषद से प्रकाशित न्यायदर्शन के पचिवें खण्ड के १०५ पृ० में दृश्य है।

हीनयान बौद्ध सम्प्रदाय के वैभाषिक प्रस्थान का सम्मत बाह्य विषय के अस्तित्व का खण्डन करने के लिये वसुवन्तु यहाँ प्रथम कारिका के द्वारा कहा है,—उन लोगों का स्वीकृत बाह्य विषय को अवयवी रूप एक भी नहीं कहा जा सकता है, अनेक भी नहीं कहा जा सकता है तथा न उसे सहज या पुञ्जाभूत कहा जा सकता है न तो मिलित परमाणु समष्टि रूप ही, क्योंकि परमाणु ही सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं सिद्ध होता है हमको समर्थन करने के लिये दूसरी कारिका से कहा है कि परमाणु को स्वीकार करके दूसरे परमाणु के साथ उसका संयोग मानने से परमाणु ही सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मध्यस्थित किसी परमाणु के साथ जब उसके ऊर्ध्व अथवा चतुष्पाद्वं (चारों तरफ)—इन छ दिशाओं से छ परमाणु आकर युगम् यानी एक ही समय में संयुक्त होने हैं तब उस परमाणु के छ भाग हैं—यह मानना पड़ेगा क्योंकि उस परमाणु के एक देश में एक ही समय में छ परमाणुओं का संयोग संभव नहीं है। परमाणु के त्रिम देश में किसी एक परमाणु का संयोग होता है उस प्रदेश में उसी समय में अन्य परमाणु का संयोग हो नहीं सकता है। इसलिये यह मानना हागा कि उक्त स्थल में उस मध्यस्थित परमाणु के अन्य अलग छ अथवा प्रदेश में भिन्न भिन्न छ परमाणुओं का संयोग होता है। तब उसे परमाणु ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि त्रिमका अंश नहीं है तथा जो सबों से सूक्ष्म है वही परमाणु के रूप से स्वीकृत हुआ है, और यदि उसी मध्यस्थित परमाणु के एक प्रदेश में एक काल में छ परमाणुओं का संयोग माना जाय तो—‘विष्टः स्यादनुमात्रक’ अर्थात् उन सारों परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न द्रव्य या विष्ट स्थूल नहीं हो सकता है इसलिए वह दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी द्रव्य के भिन्न भिन्न अंशों में अग्न्याग्न्य द्रव्यों के संयोग से ही वह द्रव्य स्थूल अथवा दृश्य होता है।

किन्तु महर्षि गौतम ने भी पहले पूर्वपक्ष के रूप में परमाणु का सावयवत्व समर्थन करने के लिये पूर्वाक्त बातों को ध्यान में रखते हुये अन्तिम सूत्र कहा है—‘मयोमोदरचेरच’ ४।२।२४। बाद में उक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिये सिद्धान्तसूत्र कहा है—‘अनवरथाकारित्वादनवरथानुवरचेरचाप्रतिषेध’ ४।२।२५। यानी परमाणु का जो निरवयवत्व है उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। अर्थात् पूर्वाक्त युक्तियों से परमाणु का सावयवत्व सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं सिद्ध होता है? हमी के निराकरण के लिये कहा है—‘अनवरथाकारित्वात्’—अर्थात् पूर्वाक्त हेतु से परमाणु के अवयव या अंश के सिद्ध होने से उनी द्रव्य से ठम अवयव का अवयव तथा पुन उक्त अवयव का अवयव मानने से अनन्त अवयव परम्परा की निन्दि की आरंभ हो जाती है। इस प्रकार

की आपत्ति का नाम अनवस्था है। अतः पूर्वश्रवादियों का यह हेतु अनवस्था दोष में प्रयोजक होने से उसके द्वारा परमाणु का अवयव सिद्ध नहीं हो सकता है। पूर्वश्रवादी अवयव ही कहेंगे कि प्रमाण सिद्ध अवयवका दोष नहीं है—यह तो सभी के द्वारा स्वीकार के योग्य है। इसलिये महर्षि गौतम ने हम सूत्र के आगे कहा है—“अनवस्थानुपसंख्येव” अर्थात् हम तरह की अनवस्था की उपसंख्ये न होने के कारण वह नहीं मानी जा सकती है।

तात्पर्य यह है कि जो अनवस्था प्रमाण द्वारा उपपन्न है तथा जिसे स्वीकार करने से कोई आपत्ति नहीं होती है उसी अनवस्था को स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि उस तरह की अनवस्था प्रमाण सिद्ध होने से यह दोष नहीं होता है। किन्तु परमाणु के अवयव की अनवस्था मानी नहीं जा सकती है। क्योंकि यदि परमाणु का अवयव तथा उस अवयव का उपयव आदि अनन्त अवयव माना जाय अर्थात् सावयव द्रव्य को अवयव विभाग का कहीं अन्त ही नहीं हो तो जैसे पर्वत के अवयव विभाग का अन्त नहीं है वैसे ही सरसों (अलसी) के अवयव विभाग का भी कहीं अन्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सरसों तथा पर्वत ये दोनों ही अनन्त अवयव विशिष्ट होने से दोनों की तुल्यता माननी पड़ती है। अर्थात् सरसों तथा पर्वत इन दोनों का गुणत्व एवं परिमाण तुल्य ही मानना होगा। किन्तु यह स्वीकार करना सम्भव नहीं है। क्योंकि यह प्रमाण सिद्ध सत्य है कि सरसों के गुणत्व तथा परिमाण की अपेक्षा पर्वत के गुणत्व एवं परिमाण अधिक हैं। इस सत्य का अपलाप करके अपने मन के समर्थन के लिए पर्वत तथा सरसों को कदापि तुल्य परिमाण नहीं माना जा सकता है। ऐसे किसी भी छुद्र तथा वृक्षत मात्रयव वस्तु को सम परिमाण नहीं कहा जा सकता है।

अतः यह स्वीकार करना ही होगा कि सरसों के अवयव परम्पराओं का विभाग करते करते ऐसे किसी छोटे अंश में उस विभाग का अन्त होता है जिनका फिर कोई अंश नहीं है। वही अतिशुद्ध अंश ही परमाणु है। इसी तरह से पर्वत के अवयव के तथा उसके अवयव आदि अवयव परम्परा का विभाग होने पर अन्त में जिस अत्यन्त सूक्ष्मअंश में उस विभाग का अन्त होता है वही परमाणु है। इस स्थिति में सरसों के अवयव परम्पराओं की संख्या से पर्वत की अवयव परम्पराओं की संख्या अधिक होने पर सरसों से पर्वत बड़ा है—यह सिद्ध होने पर उन दोनों की तुल्य परिमाणता की आपत्ति हो नहीं सकती।

शिव्य—एक सरसों का अंश तथा पुनः उसका भी अंश प्रभृति अवयव परम्पराओं के सम्पूर्ण विभाग होने पर अन्त में कुछ रहता नहीं है। तब तो

शून्य हो पर्यवसित रहा । अतः आपके द्वारा कहे गये परमाणु नाम के अतिसूक्ष्म अणु का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो सकता है ?

गुरु— सरसों की अवयव परम्पराओं का सर्वथा विभाग हो जाने पर अन्त में यदि कुछ बचता नहीं है तो उस अन्तिम विभाग की स्थिति कहाँ होगी ? उम चरम विभाग का भी तो कुछ आश्रय द्रव्य होना चाहिये तथा दृष्टान्त के रूप में श्रुति भी कहती है—‘बालाम शतभागस्य शतधा कल्मिषस्य च’ (स्वेताश्वतर) । किन्तु किसी देश के अग्रभाग के शठाणु के शठाणु का अणु अलोक होने पर वह तो उस स्थल में दृष्टान्त नहीं कहा जा सकता है । अतः चरम विभाग का आश्रय अतिसूक्ष्म द्रव्य अवश्य है—इसकी सिद्धि पूर्वोक्त भुति से भी होती है ।

महर्षि गौतम ने भी सर्वाभाववादियों के मत का खण्डन करते हुए पहले कहा है—‘न प्रकृत्योऽपुसद्भावात्’ ४।२।१६। अर्थात् ‘प्रकृत्य’ (सभी विषयों का अभाव) नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है कि अन्य द्रव्य की अवयव परम्परा के चरम विभाग के बाद और कुछ नहीं बचता है । क्योंकि परमाणु की सत्ता है । गौतम के तात्पर्य को व्यक्त करते हुए वात्स्यायनने बाद में कहा है—‘विभागस्य च विभज्यमानशानिनापरयते’ तात्पर्य यह है कि जिन दो द्रव्यों का विभाग होता है उन्हें विभज्यमान द्रव्य कहते हैं । विभाग मात्र ही उन दोनों द्रव्यों में उत्पन्न होगा और रहेगा । इसलिए यह कभी उपपन्न नहीं होता है कि चरम विभाग उत्पन्न हुआ है । किन्तु उसका आधार वह विभज्यमान द्रव्यो नहीं है । अर्थात् चरम विभाग के बाद कुछ रहता नहीं है । क्योंकि निराश्रय विभाग अलोक है । अतः उस चरम विभाग का आश्रय दोनों द्रव्य अवश्य स्वीकार योग्य होने से परमाणु सिद्ध होता है क्योंकि वे दोनों अतीन्द्रिय द्रव्य ही दो परमाणु हैं ।

प्रचलित मत में दो परमाणुओं के संयोग से जो सर्वप्रथम द्रव्य उत्पन्न होता है उसका नाम ‘द्रवणुक’ है । एव तीन द्रवणुको के संयोग से, जिन द्वितीय द्रव्य की उत्पत्ति होती है उसका नाम ‘त्रसरेणु’ है । वहा त्रसरेणु स्थूल अन्य द्रव्यों में पहला द्रव्य है । पहले-पहले उसी में स्थूलत्व या महत् परिणाम उत्पन्न होने पर उसका प्रत्यक्ष होता है । गवाणों के रन्ध्र से जो गतिशील सूक्ष्म रेणु देता जाता है, उसी का नाम ‘त्रसरेणु’ है । त्रम शब्द का अर्थ जगम है अतः एव जगम अर्थात् गतिशील रेणु को त्रसरेणु कहा जाता है । जो कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि ‘त्रसरेणु’ एक मुद्राचीन पारिभाषिक शब्द है । क्योंकि भगवान् मनु ने भी कहा है—

जालान्तर गते मानो यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।

'प्रथमतःप्रमाणानां त्रसरेणु प्रचक्षते ॥८१३२१'

परमाणु का परिचय देते हुए महर्षि गौतम ने बाद में कहा है—'परवा-
'श्रुते.' ४।२ १७—अर्थात् श्रुति के बाद ही परमाणु है। वाचस्पति मिश्र प्रभृति
पूर्वाचार्यों ने कहा है कि पूर्वोक्त त्रसरेणु का ही दूसरा नाम 'श्रुति' है। न्य-
नैयायिक गणनाथ शिरोमणि ने अपने मतानुसार कहा है—'दृष्टावेव विश्रामात्' ।
अर्थात् उनके अपने मतानुसार अन्यद्रव्य की अवयव परम्पराओं के विभाष का
विभाम प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ त्रसरेणु में ही है। उस त्रसरेणु का दूसरा कोई
अणु न रहने से वही सवों की अपेक्षा सूक्ष्म तथा नित्य द्रव्य है। कितने
मीमांसकों का भी यही मत है। किन्तु महर्षि गौतम ने पूषाक्त सूत्र से 'पर'
शब्द तथा अवधारणार्थक 'वा' शब्द का प्रयोग करके त्रसरेणु के बाद ही
परमाणु अर्थात् त्रसरेणु परमाणु नहीं है यह स्पष्ट व्यक्त किया है। परन्तु परमाणु
अतीन्द्रिय है यह उन्होंने पहले ही (२।१।३६ सू० के अन्त) में 'अतीन्द्रियत्वा-
दणूनाम्' इस युक्ति के द्वारा स्पष्ट किया है। वैशेषिकदर्शन में महर्षि कणाद के
'तस्य कार्यं लिङ्गम्' ४।१ २इस सूत्र से भी मूलकारण परमाणु का अतीन्द्रियत्व ही
व्यक्त हुआ है। चाकमहिता में भी शरीरस्थान (सप्तमाध्याय में) शरीर
के मूल अवयव परमाणु समूहों का अतीन्द्रिय स्पष्ट ही कहा गया है।

शिष्य—गौतम ने भी प्रत्यक्ष सिद्ध त्रसरेणु ही क्यों परमाणु को नहीं कहा
है? क्या वह नहीं कहा जा सकता है? त्रसरेणु का भी अणु या अवयव है—
इसमें प्रमाण क्या है?

गुरु—परमाणु पुञ्जवादी वैभाषिक बौद्ध संप्रदायों के बीच किसी सम्प्रदाय
ने गवाक्ष के रज्जु से सूर्य किरणों में दृश्यमान त्रसरेणु को ही परमाणु मानकर
परमाणुओं की प्रत्यक्षता का समर्थन किया था। किन्तु बौद्ध सम्प्रदाय के प्रबल
प्रतिरुधी महानैयायिक वार्त्तिककार उद्योतकर ने न्यायवार्त्तिक में उक्त मत का
उल्लेख करके खण्डन करने के लिये कहा कि दृश्यमान त्रसरेणु का भी अणु
या अवयव है, क्योंकि यह (त्रसरेणु) हमलोगों के बहिरिन्द्रिय से ग्रहण योग्य
है। कितने दृश्यमान विषयों में यह प्रत्यक्षसिद्ध विषय है कि बहिरिन्द्रिय से

१. महर्षि वाचस्पत्य ने भी कहा है—'जालमूर्ध्वमरीचिस्य त्रसरेणुरजः
स्मृतम्' (भाषार अध्याय ३६० श्लोक) वहाँ टोकाकार अपराकं न भी
ध्याया की है— गवाक्ष प्रविष्टादित्यकिरणेषु यत्सूक्ष्मं वैशेषिकोत्तनीत्या इषणु-
क्त्रवारम्भं दृश्यते रजः तन् त्रसरेणुरिति मन्वादिभिः स्मृतम्' । वीरमित्रोदय नामक
स्मृति निबन्ध में भी यह ध्याया देखी जाती है।

जिस द्रव्य का महण होता है वह सावयव ही रहता है। अतः इसी दृष्टान्त से अनुमान प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध होता है कि प्रसरेणु का भी अवयव या अणु है।

उद्योतकर के इन अनुमान का अनुसरण करके ही न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय के परवर्ती आचार्यों ने—'त्रसरेणुः सावयवः चाधुपद्रव्यत्वात् घटवत्' इसी अनुमान से प्रसरेणु के सावयवत्व का माधन किया है। जिन्होंने प्रसरेणु में ही अवयव विभाग का विभ्राम स्वीकार किया या उनका कहना यह है कि पूर्वोक्त रूप से अनुमान करने पर प्रसरेणु के अवयव का अवयव तथा पुनः उसका अवयव मानना होगा, इस तरह में अनन्त अवयवों को मानने से अनवरथा दोष होता है और परमाणु भी सिद्ध नहीं होता है। किन्तु अनवरथा दोष के बारे में महर्षि गौतम की अपनी बातें पहले ही कही जा चुकी हैं। प्रसरेणु के अवयव विभाग के कहीं विभ्राम नहीं मानने से सरसों तथा पदंत के तुल्य परिमाण की आपत्ति होती है। यह भी मैंने पहले ही कहा है। अतः उक्त प्रसरेणु के अवयव विभाग का किसी एक दृश्य द्रव्य में विभ्राम स्वीकार करना ही होगा। वही अतिसूक्ष्म अतीन्द्रिय द्रव्य ही परमाणु है।

यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि प्रसरेणु का छठवाँ भाग ही परमाणु है—यह महर्षि कणाद तथा गौतम ने नहीं कहा है। उनके सूत्रों में इस तरह की कोई बात नहीं है। न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय के परवर्ती बहुत से आचार्यों के मत से प्रसरेणु का अणु है एव उसका भी अणु है—यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। प्रसरेणु का अवयव द्रव्यणुक है, एवं द्रव्यणुक का अवयव परमाणु है—वही न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय में प्रचलित मत है। उक्त विषय में मतान्तर भी है। जो कुछ भी हो, मूल बात यही है कि उक्त रूप निरवयव परमाणु अवयव स्वीकार्य होने पर दोनों परमाणुओं का संयोग भी अवश्य ही स्वीकार करना होगा। क्योंकि दो परमाणुओं के संयोग तथा विभाग के बिना सृष्टि एव प्रत्यक्ष हो नहीं सकते हैं। परमाणुपुञ्जवादी वैशेषिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत किसी सम्प्रदाय ने, पुञ्जोद्भूत परमाणुओं के बीच एक परमाणु अथवा परमाणु को स्थान नहीं करता है—अर्थात् परमाणुओं में परस्पर संयोग ही उत्पन्न नहीं होता है—इस मत का भी समर्थन किया था, बौद्धग्रन्थ तत्त्वमप्रहणिका में बौद्धाचार्य 'कम्मशील' की व्याख्या से यह बात शत होती है। भाष्यकार वात्स्यायन के विचार से शत होता है कि परमाणु पुञ्जवादी वैशेषिक बौद्ध सम्प्रदाय विशेष संयोग को अतिरिक्त पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं करते थे किन्तु दो द्रव्यों को विशेष प्रत्यासक्ति यानी निकटवर्तिका विशेष ही संयोग है। किन्तु वात्स्यायन

ने (२।१।३६ सूत्र के माध्य में) विशेष विचारपूर्वक उक्त मत का खण्डन करते हुए संयोग को अतिरिक्त गुण पदार्थ के रूप में समर्थन किया है ।

यस्तुतः कणाद तथा गौतम के मत में दो परमाणुओं का संयोग मानना आवश्यक है । अन्यथा दो परमाणुओं से पहले द्वयगुण नामक अवयवी द्रव्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता । द्वयगुण नाम ने अवयवी के दो अवयव अर्थात् अवयव दो परमाणु ही उसका उपादान कारण के नाम से स्वीकृत हुआ है । क्योंकि उपादान भूत अवयवों के परस्पर संयोग के बिना अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति ही नहीं होती, जैसे घट के उपादान दो अवयवों (कपाल तथा कपालिका नामक दो अंशों) के विच्छेद संयोग के बिना घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा सूत्रों (सूत्रों) के परस्पर विच्छेद संयोग के बिना ब्रह्म उत्पन्न नहीं हो सकता । परन्तु महर्षि गौतम ने व्यापदर्शन के द्वितीय और चतुर्थ अध्याय में विचारपूर्वक अवयव से पृथक् अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति का समर्थन करते हुये कहा है कि प्रत्यक्ष सिद्ध सभी द्रव्यों को परमाणु पुरुषरूप मानने पर किसी भी द्रव्य का प्रयत्न सम्भव नहीं होता है । प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है तो उसकी समष्टि का भी प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है । मिलित परमाणु समष्टि को प्रत्येक परमाणु से भिन्न पृथक् द्रव्य नहीं कहा जा सकता है । यदि मिलित परमाणु समष्टि को परमाणु से भिन्न पृथक् द्रव्य माना जाय तो दो परमाणुओं के संयोग से अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति के क्रम से मूल अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति ही स्वीकार करना अच्छा है ।

शिष्य—तब उस मत में संयोग मात्र ही अव्याप्यवृत्ति है यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दो परमाणुओं का संयोग स्वीकार करने से उसकी प्रादेशिक संयोग नहीं कहा जा सकता है । अतएव उस संयोग की व्याप्यवृत्ति ही कहना होगा । किन्तु प्रयत्न मूलक अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है कि संयोग मात्र ही अव्याप्यवृत्ति है ।

गुरु—अव्याप्यवृत्ति शब्द का तुमने क्या अर्थ समझा है ? संयोग मात्र ही भरने वाध्य द्रव्य के किसी प्रदेश या अंश में ही रहता है, सर्वांश व्याप्त करने नहीं रहता है, इस अर्थ में संयोग मात्र को अव्याप्यवृत्ति नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि आत्मा और मन का संयोग उस तरह का नहीं है । आत्मा का कोई अंश या प्रदेश नहीं होता है । कणाद तथा गौतम के मत में मन भी परमाणु की तरह निरवयव तथा अतिवृद्ध द्रव्य पदार्थ है । अतः यह अवश्य मानना होगा कि आत्मा और मन का संयोग प्रादेशिक नहीं है । तब यह नहीं कहा जा सकता है कि निरवयव द्रव्यों में संयोग उत्पन्न ही नहीं होता है ।

महानैयायक उदयनाचार्य ने आत्मतत्त्व विवेक में बौद्ध मतों के खण्डन के लिए बहुत सी बातें कही हैं ।

पूर्वोक्त विषय में उनकी बातों का समर्थन करते हुए टीकाकार रघुनाथ शिरोमणि ने वहाँ कहा है कि किसी दो द्रव्यों के सयोग की उत्पत्ति में जैसे वे दोनों द्रव्य कारण हैं वैसे ही उनका भी अवयव या अंश उनका कारण नहीं है । सयोग के प्रति उसके आधार किमी द्रव्य के अंश विरोध को कारण कहना आवश्यक नहीं है । तब जिन द्रव्य का अवयव होता है उस द्रव्य के अवयव में ही सयोग उत्पन्न होता है । क्योंकि सयोग का स्वभाव है कि सावयव द्रव्य के किसी अंश में ही वह उत्पन्न होता है किन्तु निरवयव द्रव्य का सयोग इस तरह का हो ही नहीं सकता । क्योंकि उस द्रव्य का अवयव या प्रदेश या अंश ही नहीं है । तब अनेक मूर्त द्रव्यों के साथ परमाणु का जो सयोग उत्पन्न होता है वह भी भिन्न भिन्न दिशाओं में ही उत्पन्न होता है । परमाणु के निरवयव होने पर भी पूरव पश्चिम प्रभृत दिशाविशेष में ही अन्य परमाणु या अन्यान्य मूर्त द्रव्य के साथ उसका जो सयोग उत्पन्न होता है वह सयोग भी अव्याप्यवृत्ति कहा जा सकता है । क्योंकि जैसे ही देशविरोध से अविच्छिन्न पदार्थ अव्याप्यवृत्ति कहलाता है उसी प्रकार दिशाविरोध से अविच्छिन्न पदार्थ भी अव्याप्यवृत्ति है । लेकिन उक्त स्थल में वह दिशाविरोध परमाणु का अपना कल्पित प्रदेश नहीं है—वह पूरव पश्चिम आदि दिशा है । किसी किसी ने सयोग-विरोध को व्याप्यवृत्ति भी स्वीकार किया है ।

शिष्य—परमाणुओं की निरवयव मानने पर दूसरे परमाणुओं के साथ सयोग होने से किसी द्रव्य की उत्पत्ति होने पर भी उस द्रव्य में प्रथिमा या स्थूलत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । परमाणुओं में परस्पर सयोग स्वीकार करने पर भी स्थूल द्रव्य की सृष्टि कैसे उपपन्न होती है—यह तो आपने नहीं कहा है एव जैसे दो परमाणुओं का सयोग होता है वैसे ही तीन या उनसे अधिक परमाणुओं का भी परस्पर सयोग होना चाहिए । तब, तीन या उससे भा अधिक परमाणुओं के संयोग से भी किसी द्रव्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी । तीन द्रव्यणुओं के संयोग से जैसे प्रसरेणु की उत्पत्ति होती है वैसे ही दो द्रव्यणुओं के संयोग से भी किमी द्रव्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी—यह भी तो कहना है ।

गुरु—इन सभी विषयों का उत्तर ऊपर्य वक्तव्य है । पहले यह करना आवश्यक है कि भारवमतवादा न्यायवैदिक सम्प्रदायों के मत में बहुत परमाणु किसी द्रव्य का उत्पादन कारण नहीं होती है । श्रीमान् वाचस्पति मिथ ने तात्पर्यटीका और भावती में वैदिक सम्प्रदाय के 'परमाणुवाः

प्रक्रिया" का वर्णन करते हुए उनके इस सिद्धान्त में युक्ति कही है कि यदि किसी घट के सम्पादनक समी परमाणुओं को उस घट का साक्षात् उपादान कारण माना जाए तो मुठरी से उस घट का चूर-चूर कर देने पर एक ही बार में उन परमाणुओं का ही परस्पर विभाग होगा। क्योंकि द्रव्य के उपादान कारण जो अवयव समुदाय हैं उनके विनाश या विभाग के बिना उनमें उत्पन्न द्रव्य का विनाश कभी हो ही नहीं सकता है। किन्तु परमाणु समुदायों के नित्य होने से उसका विनाश कभी सम्भव ही नहीं है, तब उसके विभाग से ही इस स्थल में घट का विनाश कहना होगा। अतः, मुठरी के आघात से उस घट के उपादान रूप समी परमाणुओं के विभाग अथवा विदलेप होने से उस घट के किसी अवयव का ही प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि परमाणु समूह अतीन्द्रिय है। किन्तु मुठरी के आघात से उस घट के चूर-चूर हो जाने पर भी वहाँ उस घट के छोटे-छोटे अवयवचूर्ण मिट्टी आदि देखे जाते हैं। अतएव यह मानना होगा कि वे परमाणु समूह उस घट का उपादान कारण नहीं हैं। अतः घट के चूर चूर हो जाने पर भी अभी समय समी परमाणुओं का विभाग नहीं होता है।

दो परमाणुओं में बहुत्व सख्या के नहीं रहने से उनका (दोनों परमाणु) परस्पर संयोग ही सर्वप्रथम द्रव्य उत्पन्न करते हैं। उसी द्रव्य का नाम द्वयणुक है। उस द्वयणुक का परिमाण भी अणु परिमाण है। क्योंकि महर्षि कणाद ने द्रव्य में महत्परिमाण उत्पन्न करने के लिए (१) उस द्रव्य के उपादान कारण में बहुत्व सख्या अथवा (२) महत्परिमाण या (३) प्रचय विशेष यानी शिथिलसंयोग विशेष को ही कारण कहा है।^१ किन्तु पहले उत्पन्न द्वयणुक नामक द्रव्य के उपादान कारण दोनों परमाणुओं में न तो बहुत्व सख्या है, न महत्परिमाण है, न तो तूत्पिण्ड की तरह उसमें शिथिल संयोग विशेष भी है। अतः कारण के अभाव में द्वयणुक नामक द्रव्य में महत् परिमाण की उत्पत्ति कैसे होगी। किन्तु उसमें भी दोनों परमाणुओं की द्वित्वसख्या से अणु परिमाण की ही उत्पत्ति होती है। इसलिये वह द्वयणुक भी अणु कहा गया है। किन्तु अक्षरेणु के उपादान कारण तब द्वयणुकी में बहुत्व सख्या के रहने से अक्षरेणु में महत् परिमाण या स्थूलत्व

१. 'कारणबहुत्वात् कारणमहत्त्वात् प्रचयविशेषाच्च महत्'। शारीरक माध्यमे (२।२।११।) शङ्कराचार्य के द्वारा उद्धृत कणादसूत्र। प्रचलित वैशेषिक दर्शन की पुस्तक में—'कारणबहुत्वाच्च' ७।१।१९। इस तरह का सूत्र देना जाना है। शङ्करमिश्र (उपकार के लेखक) से पहले ही उक्त कणाद सूत्र विदित हो गया है—यह उनकी व्याख्या से भी ज्ञात होता है।

उत्पन्न होता है। अतः घसरेणु का प्रत्यक्ष होता है। कारण के अभाव से द्रव्यणुक में महत्परिमाण की उत्पत्ति नहीं होने से द्रव्यणुक का प्रत्यक्ष नहीं होता है।

इसी तरह से दो द्रव्यणुओं के संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति मानने से उसमें स्थूलत्व या महत्परिमाण उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि उन दोनों द्रव्यणुओं में बहुत्व सयया तथा महत् परिणाम प्रभृति पूराक दोनों कारणों में से एक भी नहीं है। अतः दो द्रव्यणुओं के संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्तिमानने पर वह भी द्रव्यणुक के बराबर ही होगा, वह द्रव्य स्थूल द्रव्य नहीं हो सकता है। इसलिए दो द्रव्यणुओं के संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति मानना व्यर्थ है—इसलिए नहीं माना गया है। किन्तु तीन द्रव्यणुओं के संयोग से घसरेणु नामक प्रथम स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति मानी जाती है तथा उसी के उपादान कारण के रूप में पहले अणु परिमाणात्मक द्रव्यणुक नामक द्रव्य की उत्पत्ति मानी जाती है। अन्यथा उपादान कारण के अभाव में घसरेणु की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है। एक ही बार में छत्रो परमाणुओं को घसरेणु का साक्षात् कारण नहीं कहा जा सकता है।

आरम्भवाद का मूल असत्कार्यवाद है।

पहले ही कहा जा चुका है कि परमाणु प्रभृति उपादान कारण में द्रव्यणुक आदि कार्य द्रव्य पहले किसी भी रूप में नहीं रहता है। उत्पत्ति से पहले कार्य असत् है—इस मत का नाम असत्कार्यवाद है। यही असत् कार्यवाद आरम्भवाद का मूल है। क्योंकि 'सत्कार्य' वाद से आरम्भवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अतः महर्षि कणाद तथा गौतम ने असत्कार्यवाद का ही समर्थन किया है। मीमांसक सम्प्रदाय भी 'असत्कार्यवाद' को स्वीकार करता हुआ आरम्भवादी है। किन्तु न्याय तथा वैशेषिक सम्प्रदाय के मत में यही विशेषता है कि सभी जीवों के सभी कर्मों का अप्यक्ष महेश्वर की स्वेच्छा से समय पर प्रत्यक्ष तथा पुनः सृष्टि होती है। आदि सृष्टि करनेवाला महेश्वर ही पहले जीवों की अदृष्ट समष्टि तथा उन सब नित्य परमाणु रूप प्रकृति में ईक्षण करते हैं। वे ही सभी जीवों के सभी अदृष्टों के अधिष्ठाता हैं। अतः, सृष्टि से पहले अधिष्ठाता के अभाव में अचेतन अदृष्टजन्य परमाणुओं में संयोगजनक क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती है, यह भी नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले वायु परमाणु में तथा किसी दूसरे मत में जल परमाणु में क्रिया उत्पन्न होती है।

वैशेषिक मत में 'सृष्टिसंहार विधि' प्रयत्नवादभाष्य में देखिए।

१ संश्लेषिक दर्शन में—'त्रियाणुण्यपदेताभावात् प्रागसत्' १।१।१।

न्यायदर्शन में—'उत्पादव्यपदेशनान्, बुद्धिमिदन्तुदसत् ४।१।-४।८।४९
शू० देखिए।

शिष्य—भक्तन् कार्याद कैसे माना जा सकता है ? जो अमन् है क्या उसकी उत्पत्ति हो सकती है ? तब आकाशकुटुम्ब आदि का भी क्यों उत्पत्ति नहीं होती है ? तथा जो पदार्थ पहले अरने उत्पादान कारण में किसी रूप से नहीं रहता है उसकी उत्पत्ति होने पर जैसे तिरु से तेल उत्पन्न होता है उसी तरह से बालुका से भी तेल क्यों नहीं उत्पन्न होता है । किन्तु चिन कार्य का उद्भव त्रिस कारण से होता है उस कारण के साथ उस कार्य का सम्बन्ध रहना आवश्यक है अतः कार्यभाव अरने उत्पादान कारण में किसी रूप से विद्यमानरहता है—यह मानना होगा । श्री भगवान् ने भी स्पष्ट कहा है—‘नास्तो विद्यतेभावो नाभावो विद्यते सतः’ (गीता २।१४९) अर्थात् अस्त की उत्पत्ति नहीं है तथा सत् का विनाश नहीं है ।

गुरु—‘नाल्पतत्त्व कौमुदी’ में साण्य मत के अनुसार सत्कार्याद का समर्थन करते हुए वाचस्पति मिश्र ने भी भगवद्गीता के उक्त श्लोकार्थ को उद्धृत अवसर किया है, किन्तु भगवद्गीता के उक्त स्थल में आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन के अवसर पर सत्कार्याद का उल्लेख अनावश्यक तथा असङ्गत है । इन श्लोक के द्वारा कहा जाता है कि आत्मा में अमन् अर्थात् अविद्यमान शक्ति, उष्ण प्रभृति की सत्ता नहीं है तथा सन् स्वभाव आत्मा का अभाव अर्थात् विनाश कदापि नहीं होता है । टीकाकार भाष्य स्वामी ने भी सीधे रूप से उक्त प्रकार अर्थ की ही व्याख्या की है । नानावाक्यं पार्यस्तारयि मिश्र ने ‘राज दीपिका’ के तर्काद में भगवद्गीता के उक्त श्लोक का उल्लेख करते हुए आत्मा के नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए बीच में कहा है कि इन श्लोक के द्वारा सत्कार्याद का कथन सङ्गत नहीं है । भाष्यकार रामानुज ने इस श्लोक के भाष्य में स्पष्ट ही लिखा है—‘अत्र सत्कार्यादस्यासङ्गतत्वात् सन्त्योऽप्यं श्लोकः’ ।

और जो कहा गया है—कि जो अमन् है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है—इसके उत्तर में कहना यह है कि जो पूर्ण रूप से अमन् अर्थात् अशक्ति है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है—यह सत्य है किन्तु घट आदि कार्य तो एकदम अशक्ति नहीं है । उत्पत्ति के बाद जिसकी सत्ता सिद्ध होती है उसे अशक्ति नहीं कहा जा सकता है । यदि कहा जाय कि उत्पत्ति के पहले घट आदि कार्य का अस्तित्व नहीं रहने से घर्मा के अभाव में अमत्वरूप घर्मा भी नहीं रह सकता है । किन्तु सत्कार्यादियों के मत में भी यह मानना होगा कि उत्पत्ति के पहले घट के उत्पादन उस मूर्तिज्ञ में घटत्व रूप से घट नहीं रहता है । तब घर्मा तो घट की अस्तित्व माननी ही होगी । क्योंकि घटत्व विशिष्ट द्रव्य ही घट शब्द का वाच्य अर्थ होता है, अब, सत्कार्यादियों के मत में परात्मक घर्मा के

नहीं रहने पर भी उसमें असत्त्वरूप घर्म रहता ही है। काल के भेद से असत्त्व तथा सत्त्व ये दोनों घर्म रह सकते हैं। और जो कहा गया है कि जैसे तिल से तैल का उद्भव होता है वैसे बालुका से भी तैल क्यों नहीं उत्पन्न होता है— इसके उत्तर में कहना है कि तिल तैल का कारण है बालू तैल का कारण हो नहीं है। तिल से तैल को उत्पन्न होता हुआ देखकर ही उसमें तैल की कारणता का निश्चय हुआ है किन्तु बालुका से तैल का उद्भव नहीं देखने से बालुका में तैल की कारणता का निश्चय नहीं हुआ है। और सत्कार्यवादी ने ही पहले यह जैसे निश्चय किया है कि उसी मृत्तिका (मिट्टी) विशेष में ही वह घट वर्तमान रहता है और सूत्र (सूत) आदि में वह नहीं रहता है। उन्होंने भी ठो मृत्तिका विशेष से ही घट की उत्पत्ति देखकर ही यह निश्चय किया है। अन्यथा वे भी इसको कभी जान नहीं सकते थे। इसलिये मृत्तिका विशेष ही घट का उपादान कारण होने से उसीमें पहले अविद्यमान घट की उत्पत्ति होती है, सूत्र आदि घट का उपादान कारण नहीं होने से उसमें घट की उत्पत्ति नहीं होती है—ऐसा कहने में बाधा क्या है ?

सत्कार्यवादी साख्य सम्प्रदाय की अंतिम बात यह है कि उपादान कारण तथा कार्य वस्तुतः अभिन्न हैं। उपादान मृत्तिका के रूप में वह घट पहले से यद्यपि वर्तमान है तथापि उससे कार्य रूप में उसके आविर्भाव के लिये कारण के व्यापार की आवश्यकता होती है। किन्तु वैसा होने पर भी उस आविर्भाव को ठो असत् ही कहना पड़ेगा। सत्कार्यवादा अपने सिद्धान्त के भङ्ग के डर से वह कहने में असमर्थ होकर उस आविर्भाव को भी सत् कहने में बाध्य होने पर उनके मत में उस आविर्भाव के लिये भी कारण का व्यापार अनावश्यक होता है। क्योंकि पहले उस घट की तरह उस घट का आविर्भाव भी विद्यमान रहने पर कुम्भकार किसके लिये प्रयत्न करेगा। यदि कहा जाय कि उस आविर्भाव के आविर्भाव के लिये कुम्भकार प्रयत्न करता है तो भी तो उस आविर्भाव को असत् ही कहना पड़ेगा। अन्यथा उस आविर्भाव का आविर्भाव, फिर उसका भी आविर्भाव प्रभृति अनन्त आविर्भाव के स्वीकार से सत्कार्यवादियों के मत में अनवस्था दोष अनिवार्य है।

किन्तु उस घट को पहले असत् के रूपमें स्वीकार करने से उसकी उत्पत्ति के लिये कारण का अक्षर आक्षर तथा साध्यक है एवं उसकी उत्पत्ति की उत्पत्ति फिर उसकी भी उत्पत्ति स्वकार करने से वा अनवस्था दोष होता है वह नहीं होगा। वयं कि वे सभी उत्पत्ति वस्तुतः उस घट से अभिन्न पदार्थ हैं। किन्तु तो भी घटमात्र गत सत्त्व नामक घर्म एवं उत्पत्ति माद्यगत उत्पत्तित्व नामक घर्म का

परस्पर भेद रहने से अर्थ पुनरुक्त दोष नहीं होता है। क्योंकि एक धर्म को लेकर एक ही पदार्थ की पुनरुक्ति होने से अर्थ पुनरुक्त दोष होता है। अर्थात् जैसे 'घटः कलम' ऐसा प्रयोग करने पर घटत्व और कलमत्व एक ही धर्म होने से अर्थपुनरुक्त दोष होता है। ऐसे 'घट उत्पद्यते' इस प्रकार का प्रयोग करने से अर्थपुनरुक्त दोष नहीं होता है। क्योंकि घट की उत्पत्ति वस्तुतः उस घट से अभिन्न पदार्थ होने पर भी उत्पत्तिमात्र उगसे अभिन्न नहीं है। अतएव उत्पत्तिमात्र में रहने वाला जो उत्पत्तित्व नामक धर्म है, वह घटत्व से भिन्न होने से पूर्वाक्त वाक्य में अर्थपुनरुक्त दोष हो नहीं सकता है। इस तरह के और अनेक सूक्ष्म विचार करके न्याय वैशेषिक संप्रदाय ने असत् कार्यवाद का ही समर्थन किया है। सत्कार्यवाद की तरह उक्त असत् कार्यवाद भी अति प्राचीन मत है। श्री मद्भागवत के दशम स्कन्ध में वेदस्तुति के बीच (८७।२५) उक्त असत्कार्यवाद का प्रकाश किया गया है।

शिष्य—तैत्तिरीय उपनिषद् की द्वितीय बल्ली के प्रथम भाग में—'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत' इत्यादि भूतिवाक्य एव तृतीय बल्ली के प्रथम भाग में—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि भूतिवाक्य के द्वारा ज्ञात होता है कि यही परब्रह्म जगत का निमित्तकारण होता हुआ भी उपादानकारण है। 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इस भूतिवाक्य के 'यतः' पद घटक पञ्चमी विभक्ति में 'यत्' शब्द ग्राह्य परब्रह्म सभी भूतों का उपादानकारण है।—यह स्पष्ट हो ज्ञात होता है। क्योंकि पाणिनि ने सूत्र कहा है।—'अनिकर्तुः प्रकृतिः' १।१।३०। इस सूत्र के प्रकृति पद का अर्थ उपादानकारण है। शरीरक माध्य में (१।४।२३) शङ्कराचार्य ने भी यही कहा है। ऐसी स्थिति में पार्थिव, जलीय, तैलस तथा वायवीय—चार प्रकार के इन परमाणुओं का समूह सत्त्वार्त य धन्य भूत पदार्थों का मूल कारण है; एव पंचम भूत आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, वह नित्य है—यह कैसे माना जा सकता है? 'आकाश संभूतः' इस तरह के श्रुत्यर्थक भूतिवाक्य के रहने पर भी आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है—यह मत कैसे माना जा सकता है?

गुरु—सभी जगहों में पाणिनि के सूत्र के अनुसार उरनिषदों के तात्पर्य की व्याख्या नहीं की जाती है। उक्त तैत्तिरीय उपनिषद् के द्वितीय बल्ली में—'अन्नाद्दे प्रजाः जायन्ते' एवं बाद में—'अन्नाद् भूतानि जायन्ते' इस तरह की अन्तर्था भी हैं। पाणिनि के उक्त सूत्र में प्रकृति शब्द का अर्थ केवल उपादान

१. इन विषय में विस्तृत विचार के लिए मेरे संवादक बगला न्यायदर्शन के षण्मुद्रण के २३१।४३ पृष्ठों की देखिए।

कारण नहीं है किन्तु कारणमात्र उसका अर्थ है—यह भी बहुममत मत है । क्योंकि उत्पत्ति श्रिया के कर्त्तृकारक का निमित्त कारण बोधक शब्द से भी पञ्चमी रिमन्ति का बहुत प्रयोग है । 'आकाशः सम्भूतः' इस भूतिवाक्य से आकाश की उत्पत्ति अवश्य ज्ञात होती है किन्तु न्याय वैशेषिक सम्प्रदाय के मत में उत्पत्ति वाक्य के 'सम्भूत' शब्द से अभिव्यक्ति रूप गौण उत्पत्ति ही समझनी चाहिये । परब्रह्म से आकाश उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु अभिव्यक्त हुआ है—यही तात्पर्य है । क्योंकि आकाश विभु अर्थात् सर्वव्यापी है । अतएव उसकी उत्पत्ति अस्मन्मय है । किन्तु अनुमान प्रमाण की तरह शब्द प्रमाण से भी आकाश की निरपेक्षा सिद्ध होती है । आकाश के नित्यत्ववाट के समर्थन के लिये वेदान्त-दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाठ में वात्स्यायण ने भी पूर्णतः तात्पर्य में कहा है—'गौण्यसंभवात् ॥ शब्दाच्च' ॥३।४।

मगवान् शंकराचार्य ने पूर्व पक्ष रूप में उक्त मत की व्याख्या करते हुए पथभोक्त सूत्र के भाष्य में कहा है कि 'आकाश में पृथिवी आदि द्रव्यों का

१ मिथ्यान्त कौमुदीकार मट्टी त्रि दीक्षित ने भी उस सूत्र की व्याख्या की है—'जायमानस्य हेतुरपादान स्यात्' । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते ।' तत्त्वबोधिनी व्याख्याकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने यहाँ लिखा है—'इह प्रकृतिग्रहण हेतुमात्र परमितिवृत्तिहृन्मनसु । पुनःत्प्रमोदो जायते इत्युदाहरणात्' । इसी मन के अनुसार 'सर्वगतप्रकाशिका' ग्रन्थ के कारण प्रकरण में अपादान की ध्यास्या के अवसर में जगदीश्वरकालङ्कार ने भी—'धर्मादुत्पद्यते सुखम् एवं 'दण्डाज्जायते घटः' इस तरह के प्रयोग का उल्लेख किया है । 'भ्युत्पत्तिवाद' के पञ्चमी-प्रकरण में गदाधर मट्टीचार्य ने भी पाणिनि के उत्तमूत्र में प्रकृति शब्द का अर्थ कारण मात्र है—यह मट्ट कहा है । उन्हेन इसके समर्थन के लिये भट्टिकाव्य के प्रथम सर्ग से—'प्राक्केवपीनो भरतग्नोऽभूत् तथा 'वायो-जतिः' 'दण्डाद् 'घटो जायते' इत्यादि प्रयोगों को प्रदर्शित किया है । वस्तुतः 'मनुमहिना' के—'आदिवाग्जायतेवृष्टिर्दृष्टेरन्न नन प्रजा । ३।७६। एवं 'मागवत' के—'ततः सप्तदशे जातः सव्यवर्षां पराजगत्' १।३।२१ एवं मग वदगीना के—'मद्भात् मजायते काम कामात् शोषोऽभिजायते । २।६९। इस तरह के बहुत प्रामाणिक प्रयोगों का प्रदर्शन किया जा सकता है । मगान्तर में इन सब स्थलों में हेतु के अर्थ में पञ्चमी का प्रयोग हुआ है ।

२. पृथिव्यादिवैषम्याच्च विभुवादिगणनादाकाशस्य अत्रत्वमिष्टिः । तस्मादप्या लोके आकाशं कृत्वा आकाशो जानद्वेजजातीयको गौण प्रयोगो भवति यथा च घटाराणः कर्त्ताकाशो घटारान् इत्येकस्यापि आकाशस्य इत्येव

वैद्यम्यं विमुच्य आदि रहने के कारण आकाश का अन्वय या अनुपपत्ति मिट्टी होती है। अतएव जैसे भूगर्भ में पड़े से ही आकाश रहने पर भी उसकी अन्वित्ति या प्रकाश नहीं होता है—किन्तु मिट्टी को खुनने से उसी विद्यमान आकाश का ही प्रकाश होता है। उसी तरह सृष्टि के प्रारम्भ में परमेश्वर के द्वारा नित्य विद्यमान आकाश का प्रकाश होता है। अतः जैसे मिट्टी के खुनने वाले से कटा जाता है—‘आकाश कुह’ यानी आकाश बनाओ—इस तरह का गीण प्रयोग होता है एव मिट्टी खुनने के बाद—‘आकाशो जातः यानी ‘आकाश बन गया है’ ऐसा गीण प्रयोग होता है उसी तरह से—‘आकाश सम्भूत’—ऐसा गीण प्रयोग हुआ है—यहां समझना पड़ेगा।

आगे—‘शब्दाच्च’ इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शंकराचार्य बृहदारण्यक उपनिषद् के—‘गद्युद्यानश्चिद्वेदमृतम्’ (२।३।३) इस अतिवाक्य एव ‘आकाशवत् सर्वान्त्रयं नित्यं’ एव तैत्तिरीय उपनिषद् के—‘आकाशशरीरं ब्रह्म’ ‘आकाश आत्मा’—इन सभी अतिवाक्यों को उद्धृत करते हुये समझाया है कि पूर्वपक्षियों के मत में भी आकाश की नित्यता श्रुति मिट्टी है, अतः—‘आकाश सम्भूत’ इस अतिवाक्य में ‘सम्भूत’ शब्द आकाश के लिए गौणार्थक है। एक ही ‘सम्भूत’ शब्द एक ही जगह में गौणार्थक तथा दूसरी जगह में मुख्यार्थक हो सकता है। वादग्रहण ने अगे आकर दृष्टान्त के द्वारा समर्थन करते हुए तृतीय सूत्र कक्ष है—‘स्यान्वैक्यं ब्रह्म शब्दवत्’ २।३।५। भाष्यकार शंकराचार्य ने वादग्रहण के तारण्य को व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त तैत्तिरीय उपनिषद् के—‘तस्मात् ब्रह्म विचिन्तास्त्व, दपोत्रह’ (३।२) इस वाक्य में जैसे ब्रह्मन् शब्द का प्रयोग पहले मुख्य अर्थ में तथा बाद में गौण अर्थ में हुआ है, वैसे ही—‘आकाशः सम्भूत’ इस अतिवाक्य में भी ‘सम्भूत’ शब्द का गौण तथा मुख्य अर्थ में प्रयोग हो सकता है।

परब्रह्म की तरह आकाश को भी नित्य पदार्थ होने पर परब्रह्म के अद्वितीय कहने वाली श्रुति तथा एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की श्रुति कैसे उपरान्त होगी? इसके उत्तर में न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय की बात भी बर्दा बाद में शंकराचार्य ने कही है। किन्तु संसार के निर्माता ईश्वर सत्ता का केवल निमित्त कारण है (उपादान कारण नहीं है)। इस मत के समर्थन के लिए शंकराचार्य ने पहले जो दृष्टियाँ कही हैं वे भी अस्वरूप देखने योग्य हैं। उन

जानीमहा वेदव्यवस्था गौणो भवति । वेदेऽपि ‘आरण्यानातातोष्वात्तभेरत् दति’ । एवमुपनिषद्परि गीर्षो द्रष्टव्या । गौरीरक भाष्य (२।३।३)

१ वेदव्यवस्था का—‘दृष्टिच्च प्रविशदृष्टान्तानुगोषात् १।४।२३। इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने पूर्वपक्ष का समर्थन करते हुए कहा है—

सभी युक्तियों का ज्ञान हो बने से न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय के प्राचीन परम्परागत अनेक युक्तियाँ भी समझी जायेंगी। 'भामती' टीकाकार वाचस्पतिमिश्र प्रकृति उन सब प्राचीन युक्तियों की व्याख्या कर गये हैं। अवश्य बाद में शङ्कराचार्य ने उपनिषदों के अनुसार वेदान्त सूत्रों की व्याख्या करते हुए विचारपूर्वक भ्रंशति ज्ञानरूप में इसी का समर्थन किया है कि आकाश भी अनित्य है तथा परमेश्वर ही आकाश आदि अगत् प्रपञ्चों का निमित्तकारण होते हुए भी उगदानकारण है। अन्यथा छान्ोग्य उपनिषद् का एक ब्रह्म के ज्ञान से सभी विषयों के ज्ञान का उपदेश तथा इसके लिये अनेक दृष्टान्त भी कहे गये हैं वे उपपन्न नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उपादानकारण तथा उसके कार्य में वास्तविक भेद नहीं रहने से उपादान कारण शत होने से हा उनके सभी कार्यों का ज्ञान होता है। अतः परमेश्वर का अगदुपादानत्व भ्रुति'सद होने से वही प्रकृत सिद्धान्त है।

किन्तु उक्त मत में भी आकाश को नित्य कहने वाले पूर्वोक्त श्रुतिवाक्यों के यथाभूत अर्थ भी रक्षा नहीं हुई है। परन्तु न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय के मत में परमेश्वर की ससार के प्रति उपादानकारणता युक्तिमय नही होने से वह शास्त्राय नहीं हो सकता है। इन लोगों के मत में यह नहीं कहा जा सकता है कि जैसे मिट्टी घट का उपादानकारण है, सूत्रों का सनूह वस्त्र का उपादान कारण है, उसी प्रकार परमेश्वर ससार का उपादानकारण है। क्योंकि उपादान कारण नूतद्रव्य पदार्थगत रूपादि विशेष गुण से ही उनके कार्यभूत द्रव्य में तद्गुणसंबन्धीय रूपादि विशेषगुण उत्पन्न होता है। जैसे लाल सूती से बना हुआ वस्त्र लाल ही होता है, नाश्वण का नहीं होता है। किन्तु चेतन परमेश्वर से उनका कार्य अद्वैत अगद विब्रतीय या अयन्य

'तत्र निमित्तकारणमेव तात्तु केवलस्यादिति प्रतिपाति कस्मात् ? ईनापश्च कतृत्वप्रवणात् ईनापूर्वकत्व कतृत्व निमित्त कारणध्वेव कुलात्पि दृष्टम् । ईस्वरत्वप्रमिद्वेष । ईदराणाहि रात्रवेवत्वताशेना निमित्त कारणत्वमेव केवल प्रतीयते । तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्वमेव युक्तम् प्रतिपत्तुम् । काय्यद्वेद जगत् सावयवमचेतेनमशुद्धं च दृश्यते । कारण नापि तस्य तादृशत्वं भवितव्यम् । कायकारणया साहचर्यदशनात्' । इत्यादि । के भामती टीका में वाचस्पति मिश्र ने इस मत की व्याख्या के लिये एक श्लोक लिखा है—

'ईनापूर्वक-कतृत्वम्, प्रनुवमसम्पत्ता ।

निमित्तकारणध्वेव नोपादानेषु कर्हिचित् ॥

विमदश होने से उनको बगत् का उपादान कारण नहीं कहा जा सकता है। परन्तु परमेश्वर ईश्वरपूर्वक संसार के सृष्टिकर्ता हैं और वे ही बाद में संहारकर्ता भी हैं। भृति ने कहा है—‘स ऐश्वर्य’। सततोऽनुप्यत । सत-पस्तपत्वा इट सर्वमसृजत ।’ ‘यस्य ज्ञानमयतरः’। ज्ञान ही उनकी वस्तु है। वे ज्ञानपूर्वक अर्थात् पूर्व कल्प में सृष्ट ब्रह्म की पर्यालोचनापूर्वक उसी के अनुसार पुनः ब्रह्म की सृष्टि करते हैं। किन्तु जो इस तरह से सृष्टिकर्ता हैं उनका निमित्तकारणत्व ही मुक्तिसङ्गत है, जैसे यह लोकसिद्ध है कि विचार पूर्वक गृह आदि का कर्ता तथा सृष्टार्थ व्यक्ति उस गृह का निमित्त कारण होता है।

परन्तु जो उपादान कारण के अप्यञ्च या अधिष्ठाता हैं—वे निमित्तकारण ही हैं। श्री भगवान् कहते हैं—

‘मयाऽप्यक्षेण प्रकृतिः सृयते सचराचरम् ।

हेतुनाऽनेन कौन्तेय ! ब्रह्मिपरिवर्तते ॥’

उक्त श्लोक से शत होता है कि परमेश्वर प्रकृति का अप्यञ्च या अधिष्ठाता होने से वे असाधारण निमित्तकारण हैं। यह भी शत होता है कि परार्द्ध में निमित्तकारण बोधक ‘हेतु’ शब्द से उनका वह निमित्तकारणत्व ही व्यक्त किया गया है। अन्यथा यहाँ उस ‘हेतु’ शब्द के प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है? प्रकृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में अवश्य होता है। किन्तु नपुंसक लिंग ‘प्रधान’ शब्द तथा ‘प्रकृति’ शब्द का अर्थ उपादान कारण होता है—यह प्रसिद्ध है। ‘प्रधान प्रकृतिः त्रिविधाम्’। (अमरकोष) पूर्वोद्धृत भगवद्गीता के उस श्लोक के प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान कारण है। परमेश्वर उसके अप्यञ्च या अधिष्ठाता हैं। उन के अधिष्ठान के बिना अचेतन उपादान कार्य का जनक नहीं हो सकता है। न्याय वैशेषिक सम्प्रदाय के मत में वह मूल उपादान कारण चारों प्रकार के परमाणु हैं और वे परमेश्वर उन उपादान

१. भाष्यकार गङ्गुलाचार्य ने अपने मत के अनुसार उस श्लोक के ‘प्रकृति’ शब्द की व्याख्या की है—‘मम माया त्रिगुणात्मिका अविद्यालक्षणा प्रकृतिः ।’ किन्तु न्याय वैशेषिक सम्प्रदाय अपने मत के अनुसार उस श्लोक में उपादान-कारण बोधक ‘प्रकृति’ शब्द से परमाणुओं की ही ग्रहण करते हैं। न्याय कृमु-साङ्ख्यिक के पञ्चम स्तवक की तृतीय कारिका की व्याख्या में श्वेताश्वतथ उरनिषद् के विषयवचमुद्धृत’ इत्यादि मन्त्र की उतरार्ध व्याख्या करते हुये, उर-नाचार्य ने कहा है—‘पश्येत् परमाणुस्य प्राधानाधिष्ठे यत्रम्’। बाद में चतुर्थका-रिका की व्याख्या में उन्होंने भगवद्गीता के ‘मयाऽप्यक्षेण प्रकृतिः इत्यादि

कारणों के अविद्याता ससार के असाधारण निमित्त कारण हैं। इसलिए वे (परमेश्वर) शास्त्रों में ससार के सनातन बीज के रूप से भी कहे गये हैं। 'भाषा परिच्छेद' के मङ्गलाचरण श्लोक में नैयायिक विश्वनाथ ने भी कहा है—
'तस्मै नमः कृष्णाय ससार मदीकृष्टय बीजाय'।

वस्तुतः परमेश्वर ससार का उपादान कारण न होने पर भी उपादान कारण के सदृश हैं। उपादान कारण जैसे अपने कार्य का आश्रय है वैसे परमेश्वर अपने कार्य रूप सभी ससारों का चरम आश्रय हैं। उपादानकारण में जैसे उसके कार्य प्रोत या अनुस्यूत रहते हैं उसी तरह से परमेश्वर में सकल ससार अनुस्यूत रहता है। अतएव ईश्वर का सर्वाश्रयत्व आदि को सुव्यक्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक स्थलों में नाना भावों से वे उपादान कारण की तरह कहे गये हैं। अनेक प्रकारों के उपमा तथा रूपरू अलङ्कारों के द्वारा ईश्वर का सर्वाश्रयत्वादि व्यक्त करता हुआ वेही (ईश्वर ही) सर्वश्रेष्ठ कारण है—यही व्यक्त किया गया है। श्री भगवान् ने भी कहा है—

'मत्तः परतर नान्यत् किञ्चिदस्तिघनञ्जय ।

मयि सर्वात्म प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥' गीता, ७।७।

उपनिषद् में यह अर्थ उपदेश किया गया है कि एक ब्रह्म के ज्ञान से सभी विहात हो जाते हैं। किन्तु उससे ईश्वर में ससार की उपादान कारणता

श्रीश्रीब्रह्म भी उद्धृत किया है। वही 'प्रकाशटीका'कार वर्धमान उपाध्याय ने व्याख्या की है 'प्रकृति परमाणुः' ॥

१ भाष्यकार गङ्गाराचार्य ने व्याख्या की है—'मत्तः परमेश्वरान् परतर-मन्यन् कारणान्तर किञ्चिन्नास्ति न विद्यते, अहमेवजगतकारणमित्यर्थ ।' किन्तु परतरशब्द से श्रेष्ठ अर्थ ही ज्ञात होता है। टीकाकार श्रीधरस्वामी ने भी यही व्याख्या की है—मत्त सकाशात् परतर श्रेष्ठम् जगत् मृष्टिसंहारयोः स्वतन्त्र कारण किञ्चिदस्तिनास्ति'। किन्तु उक्त श्लोक के अन्त में कहा गया 'सूत्रे मणिगणा इव' यह दृष्टान्तवाक्य करने में सुसङ्गत तथा साधक होगा—यह विचार करना आवश्यक है। इस दृष्टान्त से गरलनया यही ज्ञात होता है कि सूत्र में पठित मणिसमूह जैसा उस आश्रयमूल सूत्र से वस्तुतः भिन्न पदार्थ हैं उसी तरह से ससार के आश्रय केवल परमेश्वर से उसका आश्रित जगत् वस्तुतः भिन्न है। भाष्यकार गङ्गाराचार्य ने इस श्लोक में अनुक्त दृष्टान्त का उल्लेख करके व्याख्या की है—'दीर्घतन्तुपुष्पवन् सूत्रे च मणिगणादिव'। किन्तु उक्त श्लोक में—दीर्घतन्तुपुष्पवन्' ऐसा अनुपरोध ही क्यों नहीं कहा गया है—यह भी विचारणीय है।

सिद्ध नहीं होती हैं। क्योंकि 'योगिनस्ते प्राश्नन्ति भगवन्सपद्योऽयम्'। योगी लोग ही योगन सन्निकर्ष से उनका अर्थात् भगवान् महेश्वर का अलौकिक मानसप्रत्यय करते हैं। वेही महेश्वर सभी वस्तुओं के कर्ता सभी वस्तुओं के आश्रय तथा सान्निध्यवासी हैं। जिन समय मुमुक्षु योगी सर्वकर्तृत्व, सर्वाश्रयत्व तथा सर्वान्तर्यामित्व रूप में उन महेश्वर का प्रत्यय करते हैं उस समय में समार के सभी पदार्थ ही उन योगी के अलौकिक प्रत्यय का विषय होने से उनके सभी शात हो जाते हैं। उस समय में उन योगी को अभ्रुत विषयभ्रुत हो जाता है। अमृत-मन हो जाता है तथा अविहात विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। चरम ब्रह्म साक्षात्कार के फल स्वरूप मुमुक्षु योगियों के अपनी आत्मा के साक्षात्कार होने पर भी उस समय में उनके पूर्वजन्त सभी भ्रवण मनन आदि सफल हो जाते हैं। उस समय में उनकी और कुछ शातय नहीं रहता है। सारांश यह हुआ कि परमेश्वर के समार का केवल निमित्त कारण होने पर भी उनके ज्ञान से सभी वस्तुओं के ज्ञान की उपपत्ति हो सकती है। मन्वाचार्य प्रभृति ने भी अपने मत के अनुसार इसका उपपादन किया है।

अथर्व छान्दोग्य उपनिषद् के छठवें अध्याय में एक विद्वान् से सर्वविद्वान् का दृष्टान्त प्रदर्शन के लिये आगे कहा गया है—'यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वमृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचाचारमणम् विकारोनामधेयम् मृत्पिकेत्येव सत्यम्'—इत्यादि। शारीरक भाष्य में (१।४।२२) शङ्कराचार्य ने बाद में इन भ्रुति को उद्धृत करने हुए कहा है—'ह्युपादानं गोचर एवाग्नायते'। इनके मत में दृष्टान्त बोधक इन सभी भ्रुतिवाक्यों का तात्पर्य यह है कि उपादान के ज्ञान होने से सभी विषयों का ज्ञान हो जाता है। जैसे एक मिट्टी के पिण्ड रूप उपादान कारण के ज्ञान से उसके कार्य सभी मृन्मय (मिट्टी के बने हुए) द्रव्यों का ज्ञान होता है। क्योंकि उपादानकारण से उसका कार्य वस्तुतः भिन्न नहीं है। अतएव उपादानकारण ही मत्त है परन्तु उसमें कल्पित कार्य विध्या है। इसीलिए बाद में कहा गया है—'मृत्पिकेत्येव सत्यम्'।

लेकिन प्राचीन काल से छान्दोग्य उपनिषद् के इन सभी भ्रुति वाक्यों की तात्पर्य प्राग्या अनेक तरह से की गयी है। परवर्ती समय में भी आचार्य शङ्कर कृत तात्पर्यप्राग्या का बहुत प्रतिपाद हुआ है। वस्तुतः शङ्कराचार्य की व्याख्या में भी बहुत वक्तव्य है। परन्ती बात तो यह है कि इन सभी भ्रुतिवाक्यों में एक मृत्पिण्ड प्रभृति उपादानकारण रूप में ही उद्धृत हुआ है—यह सत्य रूप से नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि कोई एक मृत्पिण्ड सभी मृन्मय द्रव्यों का उपादानकारण नहीं होता है। किन्तु छान्दोग्य उपनिषद् में वही बाद में कहा

गया है—‘यथा सौम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्णावसं विष्टातं स्याद्वाचारमभणम्’ इत्यादि, यानी एक ही नख को काटने वाला अख शत होने पर सभी ‘कार्णावस’ (कृष्ण लौह से निर्मित द्रव्य) शत होते हैं । किन्तु कोई एक नखच्छेदक अत्र सभी कृष्णलौह निर्मित द्रव्यों का उपादान कारण नहीं होता है । उक्त स्थल में ‘सर्व’ शब्द का अर्थ सहोच्च करके किसी एक मूर्तिपट को उससे निर्मित सभी मृन्मय द्रव्यों के उपादानकारण रूप में जानने से भी वह कैसे सम्भव होगा यह भी विचारणीय है । जो मिट्टी का पिण्ड घट का उपादानकारण होता है वही बाद में दूसरे मृन्मय द्रव्यों का उपादानकारण होता है—यह सर्वत्र सम्भव ही नहीं होता है ।

किन्तु शङ्कराचार्य के मत में मूर्तिका भी तो पारमाथिक सत्य नहीं है । अथ, यह भी विचारणीय है कि—‘मूर्तिका इत्येव सत्यम्’ यह कैसे सङ्गत होगा और इस वाक्य में मूर्तिका शब्द के बाद ‘इति’ शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है । और यह भी विचारणीय है कि मूर्तिका को व्यवहारिक सत्य मानने पर पारमाथिक सत्य परब्रह्म का दृष्टान्त वह कैसे होगा । अवश्य कोई भी दृष्टान्त सभी अंशों में समान नहीं होता है—यह बात सत्य है । और यह सभी मतों के अनुसार मान्य है कि छान्दोग्य उपनिषद् में कहे गये दृष्टान्त सभी अंशों में समान नहीं हो सकते हैं । किन्तु घट आदि मृन्मय द्रव्यों का उपादान कारण मूर्तिका यदि व्यवहारिक सत्य ही है तो घट आदि द्रव्य को एकान्ततः असत्य या अमत् नहीं कहा जायगा । किन्तु घटादि-द्रव्य कल्पित मिथ्या है, उपादानकारण मूर्तिका से यथार्थ में उसका कोई भेद नहीं है—यह सर्वसम्मत न होने से इसको दृष्टान्त नहीं कहा जा सकता है । असत्कार्यवादी न्यायवैरोपिक संप्रदाय ने उपादान कारण तथा उसके कार्य में वास्तविक भेद का ही समर्थन किया है । तत्त्ववादी मध्वाचार्य भी जगत् के कर्ता परमेश्वर से जीव तथा जगत् में ऐकान्तिक भेदवाद के ही प्रधान समर्थक हैं ।

जो भी हो, प्रकृत विषय में संश्लेषतः एक प्रकार से यही यक्तव्य है कि उक्त श्रुतिवाक्य में नित्यार्थक ‘सत्य’ शब्द से स्यादित्व मात्र ही विवक्षित है । यह भी हम समझ सकते हैं, और उससे पहले ‘वाचारमण’ शब्द से अस्यादित्व विवक्षित है । ‘वाचा’ शब्द का अर्थ वाक्य तथा ‘आरमण’ शब्द का अर्थ उत्पत्ति या सृष्टि है । ‘वाचया संज्ञाशब्दयुक्तवाक्येन आरमणं सृष्टिरस्य, ऐसी व्याख्या से शत होता है कि ‘वाचारमण’ शब्द का अर्थ सृष्टि वस्तु है । क्योंकि सृष्टि वस्तु मात्र ही उसके संज्ञाविशेषयुक्त वाक्य के सहारे सृष्ट होती है । जैसे मिट्टी से घट आदि किसी द्रव्य के निर्माण से पहले निर्माता में घट

बनाऊंगा' अथवा (दक्कन) 'शराव' 'बनाऊंगा' इस तरह से किसी सश विशेष से युक्त वाक्य का अवलम्बन करता है। अन्यथा विविध नामों के विविध प्रकारों के द्रव्य की सृष्टि नहीं हो सकती है। परमेश्वर की सृष्टि भी उसी तरह की है— यह भृतिसिद्ध है^१। सभी सृष्ट भाव पदार्थ विनश्चर तथा अस्थायी हैं, अतः शात होता है कि उपनिषद् में अस्थायित्व के तात्पर्य में ही 'वाचारम्भण' शब्द का प्रयोग किया गया है।

इसीसे पूर्वाक्त भूतिनाश्यों का यह तात्पर्य भी शात होता है कि घट आदि द्रव्य तथा मृत्तिका (मिट्टी) में कार्यकारणभाव को जानने वाले व्यक्ति किसी मृत्तिण्ड को देखकर उसी समय उससे होने वाले सभी मृन्मय द्रव्यों को जान लेते हैं। कैसे वह शात होता है ? इसलिये बाद में कहा गया है—

वाचारम्भण विकारो नामधेयम्^२ इत्यादि। अर्थात् वे उस समय में समझ सकते हैं कि इस मिट्टी से विविध मृन्मय द्रव्यों का निर्माण होता है किन्तु वे सभी विकारभूत द्रव्य तथा उन द्रव्यों का पृथक्पृथक् नाम वाचारम्भण यानी अस्थायी है।

किन्तु—'मृत्तिकेत्येव सत्यम्' उन सभी मृन्मय द्रव्यों का मूल मिट्टी ही स्थायी है। मृत्तिका शब्द के बाद प्रकारार्थक 'इति' शब्द के द्वारा व्यक्त हुआ है कि मृत्तिकात्व प्रकार से यानी मृत्तिकात्व रूप से ही मृत्तिका स्थायी है किन्तु पदार्थ आदि रूप से वह स्थायी नहीं है।

इस तरह से योगी जब संसार के कर्ता के रूप में उस ईश्वर का प्रत्यक्ष करते हैं जब वे समझते हैं कि परमेश्वर के द्वारा निर्मित समग्र संसार कुछ भी स्थायी नहीं है किन्तु परमेश्वर ही केवल चिरस्थायी सत्य है। उक्त रूप से एक परमेश्वर के शान से ही तब उनको संसार का तत्त्व-साक्षात्कार हो जाता है। अतः उस समय में उन लोगों को अभूत विषयभूत हो जाता है। अमृत मत हो जाता है तथा अविशात विशात (साक्षात्कृत) हो जाता है। और अन्तिम ब्रह्म शान के फल में उनका अरना आत्मसाक्षात्कार हो जाने से वे उस समय में सृष्टिहीन हो जाते हैं। तब उन्हें और कुछ भी शक्त्य नहीं रह जाता है।

१. भगवान् शङ्कराचार्य ने भी कहा है— तथा प्रजापतेरपिसृष्टः सृष्टे पूर्वं वैदिका शब्दाः मनसि प्रादुर्षंभूवुः, पश्चात्तदनुगतानर्थान् ससर्प्यन्ति गम्यते, तथा च धृति — 'स भूरिति व्याहरत्, स भूमिमसृजत्' (तैः वाः २।२।४।२) इत्येव मादिका भू सादि शब्देभ्य एव मनसि प्रादुर्भूनिभ्यो मूरादिलोकान् सृष्टान् दशापति'।—पारोरक भाष्य (१।२।२८)।

किन्तु उक्त मत में परमेश्वर में जीव तथा अमृत के भेद का दर्शन होने पर भी परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए पहले उनको सर्वस्वरूप के रूप में ध्यान करना होगा । सर्वत्र ब्रह्म की भावना तथा भेद में अभेद का ध्यान, साधकों का अवश्य कर्तव्य उपासनाविशेष है । इसीलिए शास्त्रों में विविध स्थलों में तथा परमेश्वर की अनेक स्तुतियों में उन (ईश्वर) के सर्वस्वरूपत्व का वर्णन हुआ है । हम तन्त्र में 'अगदात्री कल्प' में अगदात्रां स्तव के पहले पाठ करते हैं—

‘परमाणुस्वरूपे च द्रव्यगुणादिस्वरूपिणि ।
स्थूलातिस्थूलरूपे च अगदात्रि । नमोऽस्तु ते ॥’



आठवाँ अध्याय

(कणाद तथा गौतम के सिद्धांत उनके स्वकल्पित नहीं हैं ।)

शिष्य—आर महर्षि कणाद तथा गौतम के मतों को धृतिविरुद्ध नहीं कहेंगे यह मैंने समझा है । किन्तु शास्त्रों में यही तो कहा गया है कि अक्षराद गौतम प्रणीत न्यायदर्शन में तथा कणाद प्रणीत वैशेषिक दर्शन में कोई कोई अंश धृतिविरुद्ध है । अतः वह अश परिख्याय्य है ।

गुरु—ऐसा किस शास्त्र में कहा गया है ? शास्त्र में यदि यह कहा गया होता तो भगवान् शंकराचार्य प्रभृति पूर्वाचार्यों ने उसे क्यों नहीं कहा है ? क्या वे लोग उम शास्त्र-वचन को नहीं जानते थे ? और यदि अर्वाचीन विद्वान् विज्ञान भिक्षु के द्वारा उद्धृत पराशरोपपुराण के वचन को तुम शास्त्र कहकर स्वोक्त करते हो तो उनके ही द्वारा उद्धृत पञ्चपुराण के वचन का क्या अन्वय है ? सांख्य प्रवचन भाष्य के आरम्भ में विज्ञान भिक्षु—‘मायावादमच्छास्त्र प्रच्छन्नं बौद्धमेव च’ इत्यादि वचनों को उद्धृत किया है । उन सब वचनों के द्वारा शंकरानार्य के द्वारा व्याख्यात ‘मायावाद’ को अवैदिक तथा प्रच्छन्न बौद्धमत कहा गया है । किमी-किसी वैष्णव आचार्य ने भी उन सब वचनों को उद्धृत किया है, परन्तु ‘अद्वैत ब्रह्मसिद्धि’ ग्रन्थ में कादमीरक रुदानन्द यति—‘सांख्यकृद्भिर्धोटाहृतम्’ यह कह कर सांख्य भाष्यकार विज्ञानभिक्षु के द्वारा उद्धृत ‘अध्यादप्रणीते च’ इत्यादि दोनों श्लोकों का उद्धरण देकर अपने मतका समर्थन करने पर भी उनके ही उद्धृत—‘मायावादसमच्छारयं प्रच्छन्न बौद्ध मेव च’ इत्यादि वचन का विचार या उल्टेले क्यो नहीं किया है ?

यदि यह कहते हो कि विज्ञानभिक्षु के द्वारा उद्धृत अद्वैतवाद के निन्दा-श्लोक वे सब वचन असन्नत या विरुद्धार्थ होने से वे प्रमाण नहीं हो सकते; परन्तु समय में इन सभी श्लोकों को बनाकर पञ्चपुराण में जोड़ दिया गया है, तो मैं भी इससे सहमत हूँ । किन्तु तब ऐसी स्थिति में विज्ञानभिक्षु के उद्धृत

१. अक्षराद प्रणीते च कणादे च सख्ययोगयोः ।

स्वाज्यः धृतिविरुद्धाः धृत्येव शरणं नृभिः ।

जैमिनीयैश्च वैयासे विरुद्धासौ न वचन

धृत्या वेदाद्यं विज्ञाने धृतिपारं गतो हि नो ।’

(‘सांख्य प्रवचन भाष्य में विज्ञानभिक्षु का उद्धृत वचन’)

उक्त वचनों को ' (अक्षपादप्रणीते च' सदानन्द यति कैसे प्रमाणों के रूप में स्वीकार करेंगे ! उस वचन में कहा गया है कि न्याय, वैशेषिक, एव सांख्य योग दर्शनों में श्रुतिविरुद्ध अर्थ है। जैमिनि के मीमांसा दर्शन में तथा व्यास के वेदान्तदर्शन में श्रुतिविरुद्ध कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि वे दोनों ही वेद के पारंगत थे। किन्तु क्या अद्वैतवादी शंकराचार्य के मत में भी जैमिनि के पूर्व मीमांसा दर्शन में श्रुतिविरुद्ध कोई अर्थ नहीं है ? वेदान्तदर्शन के देवताधिकरण प्रकरण के भाष्य में शंकराचार्य ने देवताओं के भी शरीर होते हैं एव उन लोगों को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है—इस सिद्धान्त के समर्थन में इसके विरुद्ध जैमिनि के मतों का जो खण्डन किया है—क्या यह इनके मत में श्रुति विरुद्ध नहीं है ? तब शंकराचार्य के अद्वैतवाद को मानने वाले सदानन्द यति भी विज्ञान भिक्षु के द्वारा उद्धृत उक्त वचनों का प्रामाण्य मान सकते। क्योंकि स्पष्ट कहा गया है—“जैमिनीये च वैयासे विद्वान कश्चन”

परन्तु कोई समन्वय की व्यर्थवासना से न्याय आदि दर्शनों के मतों वेदान्त सिद्धान्त के अविरुद्ध कहने पर भी उक्त वचनों का प्रामाण्य नहीं सकते। लेकिन परवर्ती काल में अद्वैत मतनिष्ठ कोई महामनीषी भी कि भिक्षु के द्वारा उद्धृत उन वचनों को शिरोधार्य करके दूसरे दूसरे दर्शन मतों को छोड़ते हुए निश्चय से इस वेदान्तदर्शन के मत का अनुसरण सकते हैं—आदि बातों को भी लिप्त गये हैं।^१ किन्तु उक्त वचन के अनु जैमिनि के दर्शन में भी श्रुतिविरुद्ध अर्थ न रहने पर वह भी परित्याग्य होगा ? वेदान्तदर्शन के निजी सिद्धान्त क्या हैं इसके बारे में भी अनेक प्रति

१ अद्वैतमतनिष्ठ महामहोपाध्याय चन्द्रकांत तर्कालंकार महोदय ने आदि दर्शनो के मतों को वेदान्त सिद्धान्त का अविरुद्ध कहकर विज्ञानभिक्षु द्वारा उद्धृत परांगरोपपुराण क—अक्षपाद प्रणीतेच इत्यादि दोनों श्लोक उद्धरण देते हुये एव उसी के अनुसार जैमिनि दर्शन में कुछ भी वेद विरुद्ध नहीं है—ऐसा कह कर लिखा है—परांगर कहते है—अथ दर्शनो म अथ श्रुतिविरुद्ध भी है। इस स्थिति में महाग्रन्थों के उपदेग को ही शिरो करके हम अथ दर्शनो के मतों को छोड़कर निश्चय होकर वेदान्तदर्शन अनुसरण कर सकते हैं। उलझे कुछ भी अनिष्टापत्ति की आशंका नहीं है। प्र साहस केसाय यह कहा जा सकता है कि वेदान्त सिद्धान्त की उपेगा अथ दर्शनो के सिद्धांतों के अनुसरण में ही अनिष्टापत्ति की सम्भावना दक्षिण—पत्तोमिक लक्ष्मण पञ्चम अथ पृ० ५१ तथा १२० बंधन।

प्राचीनमत है। अतः नि शंकचित्त मे वेदान्तदर्शन के किस मत का अनुसरण करना चाहिए यह भी हम नि शंकचित्तसे कह नहीं सकते इसलिए विज्ञान-भिक्षुके द्वारा उद्धृत उक्त वचन को आश्रय करने मे ही सभी विवादों की निवृत्ति की आशा कहीं है ? अवश्य महाभारत के भीष्मपर्व में कहा गया है—'अचिन्त्याः खलु मे भावस्तान्न तर्केण योजयेत् । प्रकृतस्य पर यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥' ५। १२।

दूसरे स्थल में उक्त वचन के परार्द्ध मे—'नाप्रतिष्ठित तर्केण गम्भीरायत्य निश्चय' ऐसा पाठ है। यह उस श्लोक की व्याख्या में नीलकण्ठ ने कहा है। वास्तव में अप्रतिष्ठित तर्क से गम्भीर तत्त्व अर्थात् अतिदुर्लभ अचिन्त्य अलौकिक तत्त्व का निर्णय नहीं हो सकता है। यहाँ तरु पट का अर्थ अनुमान है। श्रुति-निरपेक्ष शब्दों द्वारा तर्क एव श्रुति का विरोधी तर्क अप्रतिष्ठित तर्क कहलाता है। इसी को तुल्य भी कहते हैं। वेदान्तदर्शन के—'तर्कप्रतिशानात्' इत्यादि में भी तर्क को ही अप्रतिष्ठा कहा गया है। शंकराचार्य ने भी तर्क मात्र को अप्रतिष्ठित नहीं कहा है। क्योंकि ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है, किन्तु वेदान्तदर्शन के द्वितीय सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने कहा है—'श्रुत्यै च श्रुत्यात्वेन तर्कस्थाऽभ्युपगत्वात् ।' पहले उनकी ये सब बातें कह चुका हूँ।

कलित कथन यह है कि अलौकिक या अचित्य के बारे में श्रुति के अनुकूल अनुमानात्मक तर्क ही प्राद्य है। इसा तत्त्व में कर्मपुराण में कहा गया है—'भृतिसाधारपरहितमनुमान न बुधचीत्'। किन्तु यह तो मैं नहीं कह सकता कि मर्यादा तथा गौतम श्रुति का अन्त ही नहीं है। अथवा जानते ही उसकी अपेक्षा नहीं करके केवल तर्क से ही इन सभी मतों का समर्थन

१. अद्वैतमतनिष्ठ महामहोपाध्याय चन्द्रशेखर तर्कालङ्कार महाशय मेव आदि दत्तों के मतों को वेदान्त सिद्धान्त का अविच्छेद कहकर विज्ञान यु के द्वारा उद्धृत पराशरोत्पराण के—'अज्ञपादप्रणीते च' इत्यादि श्लोकों का उद्धरण देते हुए एव उसीके अनुसार जमिनिदर्शन मे कुछ परमेश्वर विरुद्ध अज्ञ नहीं है—ऐसा कहकर लिख गये हैं—'पराशर कहते हैं—अज्ञ तो मैं में कुछ अज्ञ श्रुतिविरुद्ध भी है। इस स्थिति मे महाशयों के उपदेश ही निरोधार्थ करके हम अन्य दत्तों के मतों को छोड़कर निरास्त हो गये हैं। प्रत्युत साहम के साथ यह कहा जा सकता है कि वेदान्त उपदेश करके अन्य दत्तों के सिद्धान्तों के अनुसरण मे ही अविच्छेदाभावना है। देतिए—पञ्चमस्य सप्तमस्य, पृ० ७१ तथा १०८।

कर गये हैं। अथवा उन्होंने शास्त्र की अपेक्षा अनुमानात्मक तर्कों को प्रवक्तृ कहा था। क्योंकि उन्होंने भी शास्त्रविषयक अनुमान का प्रामाण्य नहीं माना है। अतएव महर्षि गौतम ने किन्हीं विषय के प्रतिपादन में अपना सिद्धान्त समर्थन करने के लिये कहा है—‘प्रतिप्रामाण्याच्च’ ३।१।३। महर्षि कणाद ने भी आत्मा की अनेकता का सिद्धान्त समर्थन करने के लिये अन्तिम सूत्र कहा है—‘शास्त्रसामर्थ्याच्च’ ३।२।२। और बहुत स्थलों में कणाद ने किसी-किसी विषय की सिद्धि में वेद की ही प्रमाण कहकर उस विषय में अनुमान स्वतन्त्र रूप से प्रमाण नहीं—यही व्यक्त किया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि कणाद तथा गौतम का सिद्धान्त उन लोगों के स्वकल्पित है।

वस्तुतः ऋषिप्रतिपादित सभी सिद्धान्तों का मूल वेद है। किन्तु वेद के अनेक अर्थ बिलुप्त हैं तथा अनेक मुषाचीन पद्य एवं अनेक सूत्र भी लुप्त हो गये हैं। बृहदारण्यक उगनिषद् में (२।४) देखा जाता है—‘रज्जोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्थैव एतानि सर्वाणि निश्चितानि ।’ अतः यह भी हम समझ सकते हैं कि न्यायदर्शन के मूलभूत अनेक श्लोक तथा सूत्र प्राचीनकाल में विद्यमान थे।

वस्तुतः न्यायशास्त्र वेद का उपाङ्ग है—यह पुराण में ही कहा गया है। बाद में महर्षि गौतम के न्यायसूत्र की रचना करने पर भी वे अरुनी बुद्धि के चलपर किसी पृथक् किमी न्यायशास्त्र के लक्षा नहीं थे। भाष्यकार वात्स्यायन ने भी अन्त में कहा है कि अश्वपाद ऋषि को न्यायशास्त्र प्रतिभात हुआ था और जिन अद्वैतवादा सदानन्द यति ने—‘अश्वपादप्रणीते च’ इत्यादि धचन उद्धृत किया है उन्होंने ही बाद में कहा है कि गौतम आदि ऋषि न्याय प्रमृति शास्त्रों के स्मरण करनेवाले है। परन्तु बुद्धिपूर्वक उसका निर्माण करने वाले नहीं है।’

परन्तु प्राचीन काल से ही वेद के विविध अर्थवाद वाक्यों का आभय लेकर अनेक प्रकार से उन वाक्यों की व्याख्या करते हुए द्वैतवादी एवं अद्वैतवादी आचार्यगण अनेक सिद्धान्तों का प्रचार कर गये हैं। उन सिद्धान्तों को तथा उनके प्रतिपादक सायण आदि दर्शनों को प्राचीन काल में ‘प्रवाद’ नाम से भी कहा गया है। ‘वाक्यपदीय’ ग्रन्थ में महामनीषी भर्तृहरि ने भी ऐसा कहा है।’

१ गौतमादिमुनीनां तत्तच्छास्त्रस्मरणकत्वमेव सूचते न तु बुद्धिपूर्वकं वक्तृत्वम् । तदुक्तम् ब्रह्मसा ऋषिपर्यन्ताः स्मारकाः नतु वारता इति ।

(अंशुप्रज्ञासिद्धि, प्रथममुद्रण)

२ तस्यापेवादरूपाणि निश्चित्य स्वविचल्यजा ।

एकस्मिन्ना द्वैतिनाञ्च प्रथमा बहुधा मता ॥ ७ ॥

योगदर्शन के माध्य में (४।२१) व्यासदेव ने भी कहा है—‘सांख्ययोगा-
दयस्तु प्रवादाः ।’

अतएव यह भी मानना होगा कि वेद के अर्थ की व्याख्या में भेद होने से भी अनेक मतभेद का प्रकाश हुआ है। तब यह भी हम कैसे कह सकते हैं कि कौन मत भुक्तिविरुद्ध और कौन मत भुतिसम्मत है। किसी भी आचार्य ने भुक्तिविरुद्ध अनुमानात्मक तर्क का प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया है। यह अवश्य ही सत्य है कि एक ही समय में एक ही स्थान में भूत, भविष्य तथा वर्तमान सभी तार्किकों को इच्छा करके तर्क के द्वारा सभी के ऐकमत्य से किसी सिद्धान्त का निर्णय करना सर्वथा असम्भव है।

परन्तु भूत, भविष्य तथा वर्तमान सभी वेदव्याख्यासमर्थ पंडितों को एकत्रित करके सबों के ऐकमत्य से प्रकृतवेदार्थ का निर्णय करना भी तो सर्वथा असम्भव है। तर्क से सिद्धान्त के निर्णय करते समय जैसे तार्किकों के बुद्धि भेद से तर्क के भेद के कारण नाना मतभेद अवश्यम्भावी हैं उसी प्रकार वेद की व्याख्या से सिद्धान्त का निर्णय करने समय भी तो व्याख्या के भेद से नाना मतभेद अवश्यम्भावी हैं। क्योंकि विचार के बिना अति दुरोध वेदार्थ का निर्णय हो ही नहीं सकता। तर्क के बिना भी वेदार्थ का विचार ही नहीं सकता। शंकराचार्य ने भी कहा है कि वेदार्थ के विषय में विवाद उपस्थित होने पर तर्क विशेष से ही प्रकृतार्थ का निश्चय करना है। आगे जाकर मनुवचन से भी उन्होंने इसकी पुष्टि की है।^१

अतः वेदार्थ के विषय में जब तर्क सबों को मान्य है तब तर्क के भेद से वेदार्थ में भी मतभेद अवश्य ही होगा। बिना विवाद के जब तक वेदार्थ का निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी विद्वान् किसी के तर्क को वेदविरुद्ध करके प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इसलिये अनौकिक तथा अविन्यय तत्त्वनिर्णय के लिये भुक्तिदेवी का आश्रय करने पर भी सभी विवादों की निवृत्ति की आशा फल है।

१. माहाराज योगेश्वर त एवाद्यो वेदा वैदेषिकादिप्रवादानाम्, साख्य
योगादयः प्रवादाः । (वाचस्पति मिय कृतटीका)

२. अर्थं विनिपत्ती चार्थानानिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणम् तर्केण
यारववृत्तिरूपेण विद्यते । मनुस्मृति चैवं मन्वते—

‘प्रथमं मनुमानस्य नाम्प्रत्येकं विविधागमम् ।

त्रयमुच्यते तं चार्थं धर्मगुणमसीप्सुता ।’ इति

छाण्डोग्योपनिषत्तु च वेदानाम्प्राविरोधिता ।

यस्मिन्वेदानु सद्यते न धर्मं वेद नेत्रः ॥’ १२।१०५-१०६ ।

इति च चतुर्थम् ।—सारीरक भाष्य २।१।११ ।

शिष्य—बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है 'असङ्गोऽह्य पुरुष' ४।३।१५ । और बाद में पहले काम तथा सकल आदि का उल्लेख करके कहा गया है—'एतत्सर्वं मन एव' । बाद में भी स्पष्ट कहा गया है—'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिभिता' । अतः उन सभी भूतिवाक्यों से यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवात्मा असङ्ग है अर्थात् निर्गुण तथा निर्लिप्त है और इच्छा विशेषात्मक काम तथा उसका कारणज्ञान और उसका फल सुख दुःख आदि मन का ही धर्म है । एव 'तत्त्वमसि, अहं ब्रह्माऽस्मि' इत्यादि मुप्रसिद्ध भूति महावाक्य के द्वारा स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि जीवात्मा परब्रह्म से वस्तुतः अभिन्न है । अब यह तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम तथा कणाद का उक्त मत किस प्रकार भूतिविरुद्ध नहीं है ।

गुरु—इस विषय में बहुत कहा जा सकता है किन्तु मैं यहाँ संक्षेप में ही व्यायवैशेषिक सम्प्रदाय की बातें तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ ।

पहली बात तो यह है कि—'असङ्गोऽह्य पुरुष' इस भूति वाक्य के 'असङ्ग' पद का निष्क्रिय या निविकार अर्थ है । इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि आत्मा यथार्थतः निर्गुण है । कोई कोई कहते हैं कि (सग सघात का पर्याय है, अतएव) असङ्ग पद का आत्मा सघात रूप नहीं है—यह अर्थ होता है । आत्मा असह्य पुरुष है—इसी अर्थ में उस पद का तात्पर्य है जिसमें विविध वस्तुओं का सङ्ग या सन्धेय रहता है वही सह्य पदार्थ है किन्तु आत्मा उस तरह का नहीं है, आत्मा अनेक वस्तुओं का समष्टिरूप नहीं है ।

अवश्य बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है—'एतत् सर्वं मन एव' । किन्तु यहाँ पहले मन, वाक्य और प्राण को जीवात्मा के ज्ञान का प्रधान साधन कहने के लिए पहले मन के साथ जीवात्मा का विलक्षण संयोग नहीं होने से जीवात्मा का ज्ञान आदि उत्पन्न नहीं होता है—यही कहा गया है ।

बाद में—'मनसा ह्येव पश्यति, मनसा शृणोति, इति वाक्य से यह कहा गया है कि जीवात्मा का दर्शन आदि ज्ञान का प्रधान साधन है । एवात् काम आदि का उल्लेख करके कहा गया है । 'एतत्सर्वं मन एव' । किन्तु इस भूति के अन्तिम वाक्य से यही ज्ञात होता है कि काम आदि को मन ही कहा गया है । उसका धर्म नहीं । कारण और फल में अभेद के प्रकाश से काम आदि के

१ 'त्रोऽप्यात्मनेऽनुवृत्तेति मनोवाचं प्राणम् ता यात्मनेऽनुवृत्ता यत्रमना अभूव नादत्तं म यत्रमना अभूवम् नाश्रीपमिति, मनसाह्येव पश्यति मनसा शृणोति । काम सद्बुद्धो विचिन्वित्वा यदा यदा पृथिवृतिर्ह्यौ धौर्गोरियत्रममं मन एव ।'—बृहदारण्यक १।५।३ ।

उत्पादक कारण समूहों में मन का प्राधान्य पशान ही उसी तरह के प्रयोग का उद्देश्य है। उसी को औपचारिक प्रयोग कहते हैं। जैसे अन्यत्र भी श्रुति ने कहा है—'अन्न वै प्राणिनां प्राणाः'। यह सर्वसम्मत औपचारिक प्रयोग है। क्योंकि अन्न ही प्राण नहीं है। वास्तव तत्त्व यह है कि—'एतत्सर्वं मन एव' इस वाक्य से यह नहीं सिद्ध होता है कि काम आदि मन के धर्म हैं। किन्तु 'मनसा ह्यव पश्यति, मनसा शृणोति' इस वाक्य से यह अवश्य ज्ञात होता है कि ज्ञान आत्मा का ही धर्म है। क्योंकि जीवात्मा ही मन के द्वारा दर्शन तथा भवण करता है। तथा वह ज्ञान उस (आत्मा) में उरन्न होता है, अर्थात् जीवात्मा उस ज्ञान का आश्रय है—यही समझा जाता है।

परन्तु प्रश्न उरनिषद् में जीवात्मा के स्वरूप वर्णन के प्रसंग में कहा गया है कि—'एष हि द्रष्टा, स्मष्टा, श्रोता, माता, रसयिता, मन्था, बोद्धा, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष'। १।११। उस श्रुति के द्रष्टा आदि पद से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवात्मा चक्षु आदि इन्द्रियों से होने वाले सभी प्रत्यक्षज्ञान का तथा अन्यान्य सभी ज्ञान का भी कर्ता है। जीवात्मा उन सभी ज्ञानों का आश्रय न होने पर उन सबों का कर्ता नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का आश्रय ही ज्ञान का कर्तृत्व है। आगे जाकर कहा गया है—'विज्ञानात्मा'। भाष्यकार शङ्कराचार्य ने इसकी व्याख्या की है—'विज्ञानात्माति इत्यर्थः'। वेदान्तदर्शन में महर्षि वादरायण ने कहा है—'तद्गुण सारत्वात् त्वद्गुण्यपदेश प्राशवत्' २।३।२९। श्री भाष्यकार आचार्य रामानुज ने इसकी व्याख्या की है—'तद्गुणसारत्वात् विज्ञान गुण सारत्वात् आत्मनो विज्ञान मिति व्यपदेशः। विज्ञान मेवाश्रय सारभूतगुण'। आचार्य रामानुज के मत में जीवात्मस्व प्रकाश अणु चैतन्य स्वरूप होने पर भी अन्य ज्ञान उमका सारभूत या प्रधान गुण है। किन्तु न्याय तथा वैशेषिक सम्प्रदाय के मतानुसार गुण पदार्थ द्रव्य में आश्रित है, आत्मा ज्ञान का आश्रय त्रिभुवर्ष द्रव्य पदार्थ है, वह ज्ञानस्वरूप नहीं है। किन्तु आत्मा विज्ञान-रूपभाव है, अतएव विज्ञान शब्द से भी शास्त्रों में कहा गया है।

इस तरह से जीवात्मा ही शुभ तथा अशुभ कर्मों का कर्ता और उन कर्मों के फलों का भोग करने वाला है। अतएव जीवात्मा के लिए ही शास्त्रों में शुभ तथा अशुभ कर्मों की विधि तथा निषेध उरदिष्ट हुआ है। श्रीकृष्ण भगवान् ने भी अर्जुन से कहा है—'नियतं कुर्व कर्म तन्' (गीता ३।८)

प्रश्न उरनिषद् के पूराक श्रुति वाक्य में भी जीवात्मा को कर्ता कहा गया है। उसी के अनुसार वेदान्तदर्शन में—'कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्' २।३।३३। इत्यादि अनेक सूत्रों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जीवात्मा कर्ता है। आचार्य रामानुज ने श्रीभाष्य में उन सूत्रों से आत्मा के वास्तविक कर्तृत्व

की ही व्याख्या की है। भगवद्गीता के—‘प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वानि’ इत्यादि श्लोक से भगवान् को यह विवक्षित नहीं है कि आत्मा में यथार्थ कर्तृत्व का अभाव है—यह भी कहकर आचार्य रामानुज ने अपनी इस व्याख्या का समर्थन किया है। किन्तु उन्होंने भी प्रश्नोत्तरनिपट्ट के उक्त वेदवाक्य के अनुसार जीवात्मा में ज्ञान आदि गुण के अस्तित्व का समर्थन किया है। वृद्धारण्यक ने कहा है—‘यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः ४।४।७ किन्तु हमसे पहले ‘आत्मनस्तु कामाय’ इस तादृ के वाक्य भी तो अनेक बार कहे गये हैं। अतः उससे तो शक्य होता है कि सग्ल रूप से यह काम इच्छाविशेष रूप तथा काम्य सुख ये दोनों ही आत्मा के गुण हैं। इसीलिए श्याय तथा वैशेषिक सम्प्रदाय ने वही समझकर कहा है कि इच्छा साक्षात् मन्त्रमन्त्र से जीवात्मा के धर्म हैं तथा ज्ञान प्रयत्न सुख एव दुःख आदि भी साक्षात्मन्त्रमन्त्र से जीवात्मा के धर्म हैं। परन्तु मनस् के साथ विलक्षण संयोग के बिना जीवात्मा

१ श्रीभाष्यकार आचार्य रामानुज ने भगवद्गीता के—‘प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वानिः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहंमिति मन्ते’ ३।२७ । इस श्लोक का उद्धरण देते हुए कहा है कि जीवात्मा में वास्तविक कर्तृत्व नहीं है—सभी जीवों का मैं ही कर्ता हूँ—इस तरह का ज्ञान भ्रमात्मक है—यही इस श्लोक का तात्पर्य है। किन्तु सत्त्व, रजस् तथा तमस् इम त्रिगुणात्मिका प्रकृति का सम्बन्ध प्रयुक्त ही जीवात्मा का सामानिक कर्मों का कर्तृत्व होता है। अभ्यधा केवल जीवात्मा किसी कार्य का कर्ता नहीं हो सकता है—यही हमका तात्पर्य है। भगवद्गीता में आगे जाकर भी—‘तर्क एतित्कर्तारमात्मनः केवल तु य’ इत्यादि श्लोक से उक्त तात्पर्य को ही व्यक्त किया गया है। आचार्य रामानुज ने भगवद्गीता के अध्याय श्लोकों का उद्धरण देकर अपने द्वारा व्याख्यात तात्पर्य का समर्थन किया है। श्यायवैशेषिक सम्प्रदाय के आचार्य ने भी उन गीता श्लोकों का वही तात्पर्य है, इस प्रकार की व्याख्या की है, किन्तु उन श्लोकों के मत से उक्त श्लोक के प्रकृति दास का अर्थ है जीवात्मा का अदृष्ट। सत्त्व, रजस् तथा तमस् ये सब जीव के अदृष्टविशेष का ही नाम है, उसी अदृष्ट से जीव का ज्ञान तथा इच्छा उत्पन्न होने में जीव अनेक कर्म करते हैं। इसी तात्पर्य से श्रुति ने कहा है—‘गुणान्वयो य फलकर्माकर्ता कृत्स्नगतस्यैव फलोपभोक्ता’ (इवेनाश्वत्थर ५।७।) कल्पित कथन यह है कि मैं कर्ता हूँ—जीव का ऐसा ज्ञान भ्रमात्मक नहीं है किन्तु मैं ही कर्ता हूँ—मैं कर्ता होने में स्वाधीन हूँ—यह ज्ञान भ्रम है। अतः इसी तात्पर्य से भगवान् श्रीकृष्ण ने भी कहा है—‘अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहंमिति मन्ते ।’

में वे सब नहीं हों तो आत्मासयुक्त मन में भी परम्परा सम्बन्ध से आत्मा के वे सब पन रहते हैं। अतः इसी परम्परा सम्बन्ध के तात्पर्य में श्रुति ने कहा है— 'कामा येऽहं हृदिभिता' । तथा साक्षात् सम्बन्ध के तात्पर्य से श्रुति ने कहा है— 'आमनस्तु कामाय' । इस तरह के साक्षात् सम्बन्ध के तात्पर्य से इस ससार में मेरा ज्ञान मेरी इच्छा, मेरा सुख, मेरा दुःख ऐसा प्रयोग होता है। और परम्परा सम्बन्ध के तात्पर्य से मेरे मन का ज्ञान, मन की इच्छा, मन का सुख, मन का दुःख ऐसा भी प्रयोग होता है आदि व्यवहार भी होता है। आत्मा में उपपन्न सुख आदि साक्षात् सम्बन्ध कर हा नैयायिक विश्वनाथ पञ्चानन ने भासिदान्तमुक्तावली क आरम्भ में कहा है—'मनसो मुद वितनुताम्' ।

असम्भवात् यह है कि महर्षि कणाद तथा गौतम ने यह नहीं माना है कि जीवात्मा निगुण है एवं ज्ञान आदि उनके वास्तविक गुण नहीं हैं। मैं जानता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ—इत्यादि सार्वजनिक बोध को उन्होंने भ्रम नहीं कहा है। मीमांसक प्रभृति और अनेक सम्प्रदायों ने भी ज्ञान आदि को आत्मा का ही वास्तविक गुण कहा है। और यह भी तो तुम्हारा चिन्तनीय है कि वस्तुतः आत्मा यदि कोई गुण पदार्थ नहीं है तो श्वेताश्वतर उपनिषद् के—'बुद्धेर्गुणैनात्मगुणेन चैव' ५।८। इत्यादि वाक्यों की उपपत्ति कैसे होगी।

और 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादि भुक्ति वशों का उल्लेख जो तुमने किया है उन श्रुतियों के सम्बन्ध में न्याय वैशेषिक सम्प्रदाय का बतव्य यह है कि उन सब वाक्यों के द्वारा जीव और परब्रह्म में अनेक ही तत्त्व है—ऐसा उपदेश नहीं किया गया है। किन्तु—'सोऽहम्' यानी मैं ब्रह्म हूँ इस तरह के ध्यान की कर्त्तव्यता उपदिष्ट हुई है। अर्थात् उक्त रूप से आत्मोपासना के विधान में ही उन सब वाक्यों का तात्पर्य है। प्राचीन मीमांसक सम्प्रदाय ने अपने मत के अनुसार उपनिषद् के अर्थवाट वाक्यों का उपासना रूप क्रियाविशेष में ही तात्पर्य बतलाया है। किन्तु न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय ने उसको स्वीकार नहीं किया है।

शिष्य—छान्दोग्य उपनिषद् के छठवें अध्याय में आरुणि तथा उनका पुत्र श्वेतकेतु के संवाद में किसी तरह की उपासना की बातें नहीं हैं। किन्तु ब्रह्मतत्त्व आदि का ही उपदेश किया गया है। उस अध्याय के द्वितीय खण्ड के प्रथम भाग में कहा गया है—'सदेव सोऽप्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्'। आगे कहा गया है—'तदेतत् बहुस्या प्रजायेय' इत्यादि। पश्चात् तीसरे खण्ड में कहा गया है—'सद्य देवतैश्चत इत्यादिमास्तितो देवताऽनेन जीवेनात्मनाऽनु प्रविश्य नामरूपे ध्याकरवाणीति'। फिर आठवें खण्ड से सोऽहं तत्त्व तक

उपसंहार में कहा गया है—‘स य एषोऽग्निमैतदात्म्यमिदम् सर्वं तत् सत्यम् स
 आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ इस तरह के उक्तम तथा उपसंहार से स्पष्ट ज्ञात
 होता है कि यह ससार ब्रह्मात्मक है—ब्रह्म से पृथक् ससार की यथार्थ सत्ता नहीं
 है। ऋषि भी यथार्थ में ब्रह्म ही है। आदिति ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्त्व
 का उपदेश ही किया है कि ये सब उस ब्रह्म से अभिन्न हैं, एक ब्रह्म ही मत्त्व है,
 वही आत्मा है। हे श्वेतकेतो ‘त्वम् तत् (ब्रह्म) असि’—तुम वही ब्रह्म हो।
 अब उक्त श्रुति वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीव परब्रह्म से यथार्थतः
 अभिन्न है। अन्यथा इस वाक्य में (‘तत्त्वमसि’) में ‘असि’ रूप क्रियापद का
 प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। सरल रूप से शास्त्र वाक्य का जो अर्थ जाना जाता
 है—क्या उसे प्रकृत अर्थ करके ग्रहण नहीं किया जा सकता है ?

शुक्र—बहुत से शास्त्र वाक्यों के द्वारा सरल रूप से यह भाँ तो ज्ञात होता
 है कि जीवात्मा परब्रह्म से भिन्न है। मैं इसे बाद में कहूँगा। अब यह करो तो
 सही कि—‘सर्ववाद्यमवा घण्टा’—यह एक शास्त्रवाक्य है। किन्तु क्या उक्त
 वाक्य से तुम यही समझोगे कि घण्टा सभी वाद्यों से अभिन्न है ? तथा शास्त्र
 वाक्य है—‘शालग्राम स्वयं हरिः’—किन्तु शालग्राम शिला को हरिपूजन का
 प्रतीक है क्या वही वस्तु स्वयं हरि है ? उक्त वाक्यों से सरल रूप से तो यही
 ज्ञात होता है। श्रुत्योत्सर्ग क्रिया में वृष की प्रदक्षिण करके यज्ञमान जो मन्त्र
 पढ़ेगा उसके शुरु में ही कहा गया है—‘घमाऽसि त्वचतुष्पाद’।^१

उक्त वाक्य में ‘असि’ रूप क्रियापद का भाँ प्रयोग है। किन्तु क्या इससे
 तुम यही समझोगे कि वही वृष (बैल) वास्तव में चार पाँवों को धारण करने
 वाला घर्म है ? यथार्थ में वह वृष चतुष्पाद घर्म नहीं है। किन्तु वृष का उत्सर्ग
 करने वाला यज्ञमान को उस काल में उसको चतुष्पाद घर्म के रूप में भावना
 करनी है—यही उस वाक्य का तात्पर्य समझना पड़ेगा। इसी तरह का दृष्टि
 शालग्राम शिला में हरि की पूजा करेंगे, वे तब उस शालग्राम शिला को
 स्वयं हरि के रूप से भावना करेंगे—यही ‘शालग्राम स्वयं हरि’ इस शास्त्र
 वाक्य का तात्पर्य है। ऐसे ही पुजारी घण्टा में सभी वाद्यों का भावना
 करेंगे तथा अन्य वाद्य य अभाष्य में भी केवल घण्टावाद्य के द्वारा ही उनकी
 पूजा मन्त्र्य होता है—यही ‘सर्ववाद्यमर्षिघण्टा’—इस शास्त्रवाक्य का तात्पर्य
 है अथेन् पूर्वोक्त तात्पर्य में ही शास्त्र में व सब वाक्य कहे गये हैं। शास्त्र में

१) ‘सर्वो सि त्व चतुष्पादवृषमन्त्रे प्रियास्त्रिभवाः।

चतुर्णां वीजलार्वाय मयोत्सृज्यस्वया मर्षं’ इत्यादि मन्त्रपुराण का मन्त्र
 समाप्तरघुनन्त्र वृष छन्दो गृह्यसूत्रमन्त्र म दत्तना है।

विधिवाक्य के न कहने पर भी बहुत से स्थलों में अर्थवाद वाक्य से ही विधि वाक्य समझना पड़ता है ।

‘सर्ववाद्यमयी घण्टा’ इस अर्थवाद वाक्य की तरह ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ ‘ब्रह्मैवेद सर्वम्’ ‘द्वैतशक्त्यमिदं सर्वम्’ ‘सर्वं ब्रह्ममयं जगत्’ इत्यादि अर्थवाद वाक्यों के द्वारा भी भावनात्मक उपासना की विधि भी हम समझ सकते हैं । तथा ‘शालग्राम स्वयं हरिः’ ‘घर्मोऽसि त्वं चतुष्पाद’ आदि अर्थवाद वाक्य की तरह “सत्त्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि”, “सोऽहम्” आदि अर्थवाद वाक्यों से उस प्रकार से भावनात्मक उपासना की विधि भी हम समझ सकते हैं । अर्थात् मुमुक्षु साधक को सारे समारको तथा अपने को ब्रह्म के रूप में भावना करनी चाहिये । उनको वास्तुतः ब्रह्म न होने पर भी ‘सोऽहम्’ में ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना से ईश्वर की उपासना करनी चाहिये, परन्तु मैत्रो उपनिषद् में—‘सोऽहम् भावेन पश्येत्’ इस तरह से विधिवाक्य ही कहा गया है । और तुम्हारे द्वारा कथित छान्दोग्य उपनिषद् के प्रारम्भ में भी—‘उपासीत’ इस क्रियापद का प्रयोग हुआ है । शब्द में तृतीय अक्षराय में—‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म, तद्व्यञ्जनितिविद्यान्त उपासीत’ इस वाक्य में उपासीत इस क्रियापद से उक्त रूप में उपासना का विधान की किया गया है । अन्यथा उस ध्रुतिवाक्य में ‘उपासीत’ इस क्रियापद का प्रयोग व्यर्थ होता है ।

परन्तु छान्दोग्य उपनिषद् में—‘मनोब्रह्मेत्युपासीत’ (२।१८।) इत्यादि ध्रुति वाक्यों के द्वारा विशेष रूप से अनेक पदार्थों में ब्रह्म की भावनात्मक उपासना विहित हुई है—यह तो शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है तथा उन्होंने भी उसको ब्रह्म दृष्टि का अर्थात् कहा है । जो अर्थतः ब्रह्म नहीं है उसमें ब्रह्म की बुद्धि ही ब्रह्मदृष्टि का अर्थात् है । वेदान्तदर्शन में भी—‘ब्रह्म दृष्टव्यं’ ४।१।१। इस सूत्र से उक्त ब्रह्म दृष्टि का समर्थन हुआ है । भाष्यकार शंकराचार्य ने भी वहाँ उपनिषदों के अनेक वाक्यों से उसका समर्थन किया है तथा उन्होंने वहाँ दृष्टाव रूप में विष्णु की प्रथमा में विष्णु बुद्धि का उल्लेख किया है । निर्गुण ब्रह्मवादी शंकराचार्य ने भी शास्त्र के अनुसार शालग्राम शिला में हरि पूजा की कर्तव्यता का समर्थन करने से प्रसङ्गान्तर में पहले भी कहा है—‘यथा शालग्रामे हरिः’ । शास्त्रीय भाष्य (१।२।७) ।

कथित कथन यह है कि -शाक्यवैदिक संप्रदाय के मतानुसार समस्त जीव ब्रह्म से वस्तुतः भिन्न होने पर भी उन जीवों में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिये । सब जीवों को एक ब्रह्म के रूप में भावना करने पर समस्त जीवों में अभेद बुद्धि होती है । यद्यपि वह बुद्धि भ्रमात्मिका है तथापि उसके पश्यत्वरूप साधकों के आत्म पर भेदबुद्धिपूर्वक राग द्वेष आदि दोषों का क्षय हो जाने से चित्तशुद्धि

होती है। इसीलिए शास्त्रों में सभी ऋषियों में एक ब्रह्म की भावनात्मिका उपासना का उपदेश किया गया है। किन्तु छान्दोग्य उपनिषद् में—‘ऐतन्नित्यं नित्यं सर्वम्’ इस श्रुति वाक्य से यह नहीं विवक्षित है कि अखिल ससार तथा जीव में परब्रह्म का वास्तविक भेद नहीं है, किन्तु तदीयत्व ही विवक्षित है। अर्थात् सकल ससार तथा जीव उसी परब्रह्म के अंशान् हैं, उसी में प्रतिष्ठित हैं—यही उस श्रुति का तात्पर्य है।

यह अवश्य सत्य है कि छान्दोग्य उपनिषद् में उसी स्थल में कहा गया है कि—‘अनेन जीवेनात्मनाऽनुपवश्य नामरूपे ऽवाकरवागि’। किन्तु इससे यह हम जैसे जान सकते हैं कि वह परब्रह्म ही प्रत्येक जीव शरीर में जीवरूप से अनुपविष्ट है। यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि परब्रह्म नित्ययुक्त होने पर भी बार-बार ससार के बन्धन से बन्ध हाकर पुण्य तथा पाप के फल का उपभोग कर रहे हैं। उस परब्रह्म का जीवभाव अनिर्वचनीय अविद्या कल्पित तथा मिथ्या है। अतः उनका बन्धन तथा सुख दुःख का भोग आदि मभी मिथ्या है। ऐसा कहने पर वह अविद्या कहीं बहती है यह कहना पड़ेगा। नित्य सर्वज्ञ उस परब्रह्म में अविद्या नहीं रह सकती है। यह सर्वसम्मत है कि वह (ब्रह्म) अविद्या के बन्धवर्ती नहीं है। यह भी उस मत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है कि वह अविद्या जीव में रहता है। क्योंकि उस मन में वह अविद्या ही परब्रह्म के जीवभाव का कलरूप है किन्तु प्रलय काल में उसी जीवभाव के अभाव से जीव न रहने के कारण वह अविद्या कहीं रहेगी ? परब्रह्म का जीव भाव जैसे उस अविद्या की अपेक्षा रहता है उसी तरह ने उसे अविद्या भी अपना आभय प्राप्त करने के लिए जीव की अपेक्षा रखने से अन्याय आभय होय अनिवार्य है। इस विषय में अद्वैतवादी वेदान्तियों के पूर्वजों के उक्तार के रूप में न्यायवैरोपक समुदाय की भी बहुत सी बातें हैं। सत्त्व में उनका बुद्ध भी नहीं कहा जा सकता है। उक्त अविद्या के खण्डन में आचार्य रामानुज के भीमाध्य में (२१।१५) एव माध्व सम्प्रदाय के न्यायामृत आदि ग्रन्थों में पण्डितरूपी विचारों का समझने से साथ न्यायवैरोपिक समुदाय के अनेक सिद्धान्तों को जान सकते हैं।

यथार्थ में उस श्रुतिवाक्य के तात्पर्य को समझने के लिये ‘अनेन जीवेनात्मना’ इस स्थल में तृतीया विभक्ति का क्या अर्थ है तथा विश्व यात्री ब्रह्म का जीव के देह में अनुपवेश क्या है यही पहले समझना आवश्यक है। बहुत विद्वानों ने यही सद्दार्थ में तृतीया विभक्ति का ही समझन करण कहा कि हमस जीव देह में जीवात्मा तथा परमात्मा के अनुपवेश का समझालीनय शक्त किया गया है। जीव शरीर के साथ विच्छेदण संयोग ही जीवात्मा का देह में अनुपवेश है। अर्थात् पहले जब शरीर की सृष्टि होने पर हा जिन जीवात्मा के एकमा

नुसार जिस देह के साथ विजड्गण सयोग रूप अनुपवेश होता है उसी मम्य सर्वदर्शी परब्रह्म स्व प्रत्यय उस जीवात्मा के साथ उसी शरीर में अन्तर्गामी रूप से अनुपविष्ट होते हैं। यही उस भुक्ति का तात्पर्य है, अनेक विद्वानों के मतानुसार उस भुक्ति वाक्य में जीव शब्द का अर्थ ज्ञाप का अन्तर्गामी ईश्वर है। आत्मन, शब्द का अर्थ है 'स्वरूप' 'जीवेनात्मना', इसको व्याख्या है— 'जीवान्तर्गामिस्वरूपेण'। पहले 'अनेन' इस एकवचनान्त पद से स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि जो सभी जीवों का एक अन्तर्गामी है वही व्यक्ति जीव का अर्थात् प्रत्येक जीव का भी अन्तर्गामी है। उक्त भुक्ति वाक्य की और भी विभिन्न व्याख्याएँ हुई हैं।

सारांश यह हुआ कि इस मत में परमेश्वर प्रति शरीरगत जीवहृदय में अन्तर्गामी रूप से अनुपवेश होते हैं। परमेश्वर का अन्तर्गमन ही उनका अनुपवेश है तथा नित्य सिद्ध सर्वव्यापी जीवात्मा का उस हृदय देश रूप उपाधि के साथ विजड्गण सयोग ही उसके हृदयात्मक गुहा में प्रवेश करना है। इसी तात्पर्य से दोनों आत्माओं के बारे में भुक्ति ने कहा है—'गुहां प्रविष्टो परमे पराद्धे' (कठ. उप. ३।१)। उनमें अन्तर्गामी रूप से प्रवृत्त परमात्मा सकलजीवात्माओं की आत्मा है। प्रत्येक जीवात्मा उस परमात्मा का शरीर मटल है। एक वशी (परमात्मा) उन सभी जीवात्माओं में आत्मत्व रूप से अधिष्ठित है। इसी से भुक्ति ने परमात्मा को आत्मस्य एव सर्वभूतान्तरात्मा कहा है। इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद् के अन्तर्गामी ब्राह्मण के प्रयोजन एव तात्पर्य को समझ कर तदनसार ही अन्यान्य भुक्तिवाक्यों का तात्पर्य भी समझना चाहिये।

किन्तु छान्दोग्य उपनिषद् के—'बहुत्या प्रजायेय' इस वाक्य से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि परमेश्वर असंख्य जीवरूप में भी अनन्त है। व्याख्यैतिक सम्प्रदाय के मतानुसार परमेश्वर पहले पति-पत्नी के रूप में तथा

१. श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में कहा गया है—'इश्वरो जीवकल्पया प्रविष्टो भगवानिति' २६।३४। वहाँ टीकाकार श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है—'जीवानाम् कल्पया परिकल्पनेन अन्तर्गमितया प्रविष्ट इति दृष्टया इत्ययं'। भाग्ये जाकर दण्ड स्कन्ध में कहा गया है—'वृष्णमनमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनाम्' १४।१५। भगवान् श्रीकृष्ण सभी आत्माओं का आत्मा है—यह कहने में जगत् होता है कि वह (कृष्ण) जीवात्मा नहीं है। किन्तु सभी जीवात्माओं का एक अन्तर्गामी आत्मा है। कनएव श्रीधरस्वामी ने भी तृतीय स्कंध में उक्त स्थल में उक्त रूप व्याख्या की है। अवश्य अन्य स्थलों में इससे विभिन्न व्याख्याएँ भी हैं।

परचात् ब्रह्मा, विष्णु एव इन्द्र आदि के रूप में अनेक होने की इच्छा रखता हुआ उन सब प्रकृत्य देह आदि को धारण करता है। उक्त भुक्ति वाक्य के 'प्रजायेय' इस पद में प्रकृत्य बोधक प्रशब्द में यही व्यक्त हुआ है।

किन्तु ब्रह्मा आदि के रूप में वह (परमात्मा) बहुत होकर भी यथार्थ से एक ही। अद्वितीय, एक ही वह सृष्टि आदि कार्यों के सम्पादन के लिए अपनी इच्छाशक्ति रूप माया से बहुत रूपों में अनेक हुये हैं, उनके सभी भेद को शास्त्र में वर्णित हैं, उपाधिभूक्त है, वास्तविक नहीं। उपनिषद् से भी अनेक स्थानों में विभिन्न रूप के उनके नाना उपाधिभूक्त भेदों का वर्णन करके उन सभी भेदों का अवास्तव्य प्रकाश करने के लिये नाना प्रकार से पुनः पुनः उस परमेश्वर का एकवचन पोषित हुआ है। यह उन सब भुक्ति वाक्य का तात्पर्य नहीं है कि उनके मिश्रण और किसी का वास्तव्य मत्ता ही नहीं है।

और वही परमेश्वर प्रत्येक जीव तथा समार में सर्वत्र अन्तर्गामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर उन सभी पदार्थों का एकमात्र नियन्त्रा होने से उसी तात्पर्य में वह (परमात्मा) खर तथा जगत् हुए हैं। ऐसी बात भी कही गयी है जैसे कोई महाशक्तिशाली पुरुष किसी राजा के घर में प्रविष्ट होकर उसका एक मात्र नियन्त्रा होने पर लोग उनके बारे में कहते हैं कि वे हि सर्वमय कर्ता एव राजा हुये हैं। उस प्रकार के वाक्यों को औपचारिक वाक्य कहा जाता है। उपनिषद् में अनेक स्थलों में अनेक औपचारिक वाक्य तथा अनेक रूपों का भी प्रयोग हुआ है। अतएव विचारने के बाद ही उसका तात्पर्य प्रकृत्य समझना चाहिये।

विषय—लक्षणा स्वीकार करके तथा कष्ट कल्पना करके उपनिषद् के उन सब वाक्यों का अन्य प्रकार तात्पर्य स्पष्टता का कारण क्या है? जीव तथा ब्रह्म का वास्तव भेद प्रमाण सिद्ध हो तो अद्वय बाध्य होकर उन सब महाकाव्यों के अन्य प्रकार तात्पर्य की कल्पना करना पड़ता है। किन्तु जीव तथा परब्रह्म में यथार्थ भेद है—इस विषय के लिए उपनिषद् में क्या प्रमाण है? यह तो अद्वैतवादी सम्प्रदाय भी मानते ही हैं कि जीव तथा परब्रह्म में औपधिक कल्पित भेद है। उन कल्पित भेद के आधार पर ही समार दशा में जीव के सब व्यवहार चले हैं तथा उन कल्पित भेद के आधार पर ही शास्त्रों में विधि तथा नियम का उपदेश हुआ है। अतः अनेक स्थानों में वही कल्पित भेद कहा गया है।

शुरु—तब अद्वैतवादी अनेक आचार्यों ने भी—'तत्त्वमसि' इन महावाक्य में 'तत्' एव 'त्वम्' पद के वाच्य अर्थ में भेद मानकर मुक्तार्थ के वाच्य से 'तत्' एव 'त्वम्' पदों में लक्षणा क्यों मानी है? 'आदित्यो मूर्त्' 'आमुर्तम्' इत्यादि अनेक वेद वाक्यों में भी तो लक्षणक प्रयोग हुआ है। तथा उपनिषदों की

व्याख्या में शङ्कराचार्य भी क्या किसी भी स्थान में कष्ट कल्पना करने के लिए बाध्य नहीं हुए हैं ? उद्योगनिषद् की तृतीय बहली के आरम्भ में ही है—‘वृत्त विवन्ती मुकृतस्य लोके’। किन्तु यह सिद्धान्त विरुद्ध है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही मुकृत कर्म के फलों का भोग करते हैं। इसी से कहीं पर अपने भाष्य में शङ्कराचार्य ने भी कहा है—‘एकतत्र कर्मफल मुहुक्ते नेतर.’ तथापि पाठ सम्बन्धात् ‘विवन्ती ह्युच्यते लुचिन्वायेन’। और भी देखना आवश्यक है शङ्कराचार्य ने भी उक्त समाधान से सन्तुष्ट न होकर शारीरिक भाष्य में (१।२।११) बाद में फिर से कहा है—‘यद्वा जीवस्थावत् शिवति, ईश्वरस्तु पाययति, पाययन्नरि विवन्ती-मुच्यते’। अर्थात् ‘विवन्ती’ इस पद से समझना चाहिये कि जीव कर्म का फल भोगता है लेकिन ईश्वर जीव को कर्मफल का भोग कराते हैं। क्या बाद में शङ्कराचार्य की उस प्रकार की कल्पना भी बाध्यता मूलक कष्ट कल्पना नहीं है ? परन्तु मुण्डक उपनिषद् में कहा है—‘स यो इवै तत् परब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित् कुले भवति १।२।६’ उक्त वाक्य से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो उस परब्रह्म को जानता है वह “ब्रह्मैव भवति” अर्थात् ब्रह्म ही होते हैं अर्थात् ब्रह्म ही जाता है। ‘अस्य कुले अब्रह्मविन्न भवति’ अर्थात् उसके कुल में अब्रह्मज्ञ उत्पन्न नहीं होते हैं। यह ब्रह्मज्ञान का प्रसत्यायाद है। किन्तु अद्वैत मत से यह कैसे संगत होता है कि जो वस्तुतः ब्रह्म ही है वह ब्रह्म ही होते हैं ? उनका उक्त स्वतःसिद्ध ब्रह्म भाव को ब्रह्मज्ञान का फल नहीं कहा जा सकता है। किन्तु मुण्डक उपनिषद् के आरम्भ में ही कहा गया है—‘अथपरा, यथा तदक्षरमधिगम्यते’ १।१।५। किन्तु उस अक्षर परब्रह्म की प्राप्ति कौन सी वस्तु है ? भाष्यकार शङ्कराचार्य कहते हैं कि—‘अविद्यायाः अग्राय एव हि परप्राप्तिः नार्थान्तरम्’ अन्वय का कारण अविद्या की निवृत्ति ही परप्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति है। वह कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। इसी में आगे जाकर—‘ब्रह्मैव भवति’ इस वाक्य से केवल अविद्या की निवृत्ति मान ही समझनी चाहिये। अतएव शङ्कराचार्य के मत में भी उक्त वाक्य का यथाश्रुत अर्थ नहीं लिया जा सकता है।

परन्तु मुण्डक उपनिषद् के पहले कहा गया है—‘तदा विद्वान् पुण्यरापे विध्य निरञ्जनः परम साम्यमुपैते’ ३।१।३। परन्तु ब्रह्मज्ञ पुण्य ब्रह्म के जिस अत्यधिक साम्य को प्राप्त करता है—वह साम्य क्या है ? भाष्यकार शङ्कराचार्य ने व्याख्या की है—‘अद्वयब्रह्मणमेतत् परम साम्यमुपैति प्रतिवच्यते’। किन्तु अद्वयत्व या अभेद साम्य शब्द का सुखर अर्थ नहीं है। “साम्य” शब्द का मुख्यार्थ सादृश्य या साधर्म्य है। भगवद्गीता में भी कहा गया है—‘मम साधर्म्यं मागता.’ १।५।२। यहाँ भी शङ्कराचार्य साधर्म्य शब्द का मुख्यार्थ नहीं

लेते हैं। किन्तु मुखार्थ के प्राधान्य होने से ही अन्यान्य संप्रदाय ने उक्त साम्य तथा साधर्म्य शब्द का मुखार्थ ही ग्रहण किया है।

न्याय वैशेषिक संप्रदाय के मत में भी ब्रह्मज्ञानो पुरुष ब्रह्म के परम सादृश्य को लाभ करता है—यही उक्त मुण्डकोपनिषद् के वाक्य का अर्थ है। अतएव पश्चात्—'ब्रह्मैव भवति' यह औपचारिक वाक्य है। उक्त वाक्य का भी तात्पर्यार्थ यह है की ब्रह्मज्ञ पुष्य ब्रह्म के अत्यधिक सदृश होते हैं। जैसे राजा के अत्यधिक सदृश होने के कारण प्रधान राजपुरुष को लोग राजा कहते हैं उसी तरह से मुक्त पुरुष ब्रह्म का अत्यधिक सादृश्य प्राप्त करने के कारण इसी तात्पर्य में श्रुति ने कहा है—'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति'। इसी प्राचीन व्याख्या का दृष्टान्त देकर शङ्कराचार्य के शिष्य आचार्य सुरेश्वर ने मानसोल्लास में कहा है—'नचौपचारिक वाक्य राजवद्राज पुरुषे'। किन्तु कठोपनिषद् की प्रथम वल्ली के अन्तिम भाग में कहा गया है—

“यथोदक शुद्ध शुद्धमासिक्त्वा तादृगेव भवति ।

एव मुने विज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥”

उक्त श्रुतिवाक्य से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैसे किसी निर्मलजल^१ में दूसरा शुद्ध जल निक्षिप्त होने पर वह जल “तादृगेव भवति” यानी उक्त पूर्व^२जल के सदृश ही होता है। ब्रह्मज्ञानी मुनि का आत्मा अर्थात् मुक्त आत्मा “एव भवति” अर्थात् उसी तरह का ही हो जाता है। अतः संसारिक अवस्था में जीवात्मा तथा परमात्मा का भेद ही रहता है किन्तु मोक्ष के समय में अभेद हो जाता है—यह जो अपर सिद्धान्त है वह भी उक्त श्रुतिवाक्य से नहीं समझा जाया है। किन्तु यही प्रतीत होता है कि मुक्त आत्मा स्पष्ट ब्रह्म ही नहीं हो जाता है अर्थात् ब्रह्म के सदृश हो जाता है। द्वैतवादी आचार्यों ने यही समझा है। लेकिन ब्रह्म के साथ मुक्त आत्माओं का कैसा सादृश्य होता है—इस विषय में उन लोगों के बीच में संप्रदाय भेद के कारण नाना मत हैं।

गौडीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्रीव गोस्वामी ने स्कन्दपुराण के वचन के आधार पर उक्त श्रुति वाक्य की तात्पर्य व्याख्या की है कि निम्नान-

१ गौडीय वैष्णव आचार्य बलदेव विद्याभूषण महाशय ने—'ब्रह्मैव भवति' इस वाक्य में एव शब्द से सादृश्य अर्थ की व्याख्या की है। वर्यो कि अमरकोष के अन्वय वर्यो में एव शब्द का सादृश्य अर्थ भी कहा गया है। बलदेव विद्याभूषण महाशय इस शब्द के उल्लेख करके 'मिडानरत्न' ग्रन्थ में पूर्वोक्त—'ब्रह्मैव भवति'—इसकी इस अर्थ—'ब्रह्मज्ञानो भवति' इस शब्द से की है। मध्वाचार्य की व्याख्या भी इसी तरह की है।

मुक्ति लाभ के बाद उस मुक्त आत्मा को ब्रह्म के साथ जो तादात्म्य हो जाता है—यह तादात्म्य अभेदात्मक नहीं है किन्तु मिश्रतात्मक है। क्योंकि परब्रह्म के जो स्वात्मन्य आदि नित्य विशेषण हैं वे मुक्ति के समय में भी जीव को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे किमी बल में यदि दूसरा बल डाल दिया जाए तो उन दोनों का तादात्म्य मिश्रतात्मक ही होगा। किन्तु अभेदात्मक तादात्म्य नहीं होता है क्योंकि उस बल के मिश्रण से पूर्वस्थित बल में वृद्धि हो जाती है मिश्रतात्मक तादात्म्य के कारण तब उन दोनों बलों का अविभाग हो जाने से भेद का ज्ञान हो नहीं पाता है।

जो भी हो साराश यह है कि कठोपनिषद् के उक्त श्रुतिवाक्य में—‘तादृगेष भवति एव भवति’ इत्यादि उक्ति से शत शत है कि मुक्ति होने पर भी उस जीवात्मा के साथ परब्रह्म का भेद रहता है। अतः वह भेद नियत है। किन्तु श्रेयसाश्रय उपनिषद् के पहले अध्याय में भी छोटे मन्त्र के अन्तभाग में कहा गया है—‘पृथगात्मानं प्रेरितारश्च मत्वा जुष्टस्तततेनाऽमृतत्वमेति’ उक्त श्रुतिवाक्य से भी सरल रूप से समझा जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद नित्य है कल्पित नहीं क्योंकि उस श्रुतिवाक्य से—‘आत्मानं प्रेरितारश्च (अन्तर्यामिणम् परमात्मानश्च) पृथक् = भिन्नं मत्वा = ज्ञत्वा . . . तेन ज्ञानेन अमृतत्व = मोक्षमेति = प्राप्नोति’ यही अर्थ सरल रूप से जाना जाता है। तो समझा जाता है कि अपना आत्मा और परमात्मा का अभेद दर्शन मुक्ति का कारण नहीं है किन्तु पृथक् रूप से उन दोनों आत्माओं का स्वरूप दर्शन मुक्ति का कारण है। अतः बाद में ही फिर से उस सिद्ध भेद की ही पुनरुक्ति हुई है।

‘शाश्वदावभावीधाऽनीघो १।१। दो अब्रवीत्शाश्वी ईशानीघो—अर्थात् दोनों ही आत्माएँ, आज (उत्पत्ति शून्य हैं, किन्तु उन दोनों में परमात्माश्च

१ ‘मर्वसवादिनी’ ग्रन्थ में श्रीश्रीयोगोत्सामी ने वेदान्त सूत्र की मन्वा-धाय कृत व्याख्या स्वीकार करके ही लिखा है—यद्यालोके उदकमुदकान्तरे पौत्रीमूनमिति व्यवहिरमाणमपि भिन्नवस्तुत्वात्तदन्तर्भूतमेव भवति नतुनदेव भवतीत्येव स्यादत्रापि । तथा च श्रुतिः—यद्योदकं मुञ्जे शुद्धं मासितं तादृगेष भवति . . . । वाग्देव-उदके तूदकं मित्तम् मिश्रमेव यथा भवेत् । नचन-देव भवति यतो वृद्धिः प्रजायते । एवमेव हि जीवोऽपि तादात्म्यं परमात्मना प्राप्नोति नासौ भवति स्वात्मन्यवादि विशेषणात् । तत्त्वसन्दर्भं हि व्याख्या में गोम्बामी राधागोहन भट्टाचार्य ने स्कन्दपुराण के उस वचन की उद्धृत करके तादात्म्य शब्द की व्याख्या में लिखा है—‘तादात्म्य—मिश्रताम्’ । नासौ भवतीति न परमात्मा भवति ॥”

(सर्वज्ञ) और जीवात्मा अज्ञ है। परमात्मा ईश होता है और जीवात्मा अनीश है।

बाद में दोनों आत्माओं में इस तरह का भेद दिखाने का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? परन्तु जीव अविद्या कल्पित होने पर 'द्वी अबी'—यह उक्ति कैसे सङ्गत होगी। तथा "द्वी" इस पद का प्रयोजन क्या है—यह भी सोचना आवश्यक है।

'द्वी' एवं 'अबी' इन दोनों पदों से क्या यह नहीं ज्ञात होता है कि अनादि सत्य जीवात्मा और परमात्मा का द्वित्व या द्वैत सत्य है?

परन्तु श्वेताश्वतर उपनिषद् के अन्तिम अध्याय में—एकोदेव सर्वभूतेषु गूढः' इत्यादि वाक्य से सभी जीवों के अन्तर्गामी निर्गुण—अर्थात् सत्त्व, रजस् तथा तमस् इन तीनों गुणों से रहित तथा सर्वजीवों के सकल कर्मों का अप्यक्ष साक्षी परमात्मा का एकत्व प्रकाशित करने के लिये पुनश्च बाद में कहा गया है—

‘नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् ६।११।
एको बहूना यो विदधाति कामान् ।’

उस प्रति वाक्य में—चेतनानां तथा बाद की फिर से 'बहूनां' इन बहुवचनान्त बहु शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि जीवात्मा का बहुत्व वास्तविक है। यह कल्पित नहीं है। अन्यथा बाद की 'बहूनाम्' इस पद के प्रयोग का प्रयोजन क्या है? अतएव उसी भ्रुति से यह भी व्यक्त हुआ है कि अनन्त जीव तथा एक परमात्मा का भेद वास्तव सत्य है। जीवात्माओं का वास्तव बहुत्व वादी सभी संप्रदायों ने यही समझ कर जीवात्मा तथा परब्रह्म का यथार्थ भेद समर्पित किया है। उन लोगों के मत में वेदान्त दर्शन के—'भेदव्यवदेशाच्चान्यः (१।१।३१) एवं अधिकन्तु भेदनिर्देशात् (२।१।२२)' इन दो सूत्रों के द्वारा भी जीवात्मा तथा परब्रह्म का यथार्थ भेद ही कहा गया है।

उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्र के द्वारा सभी लोग आपका समस्त अद्वैत सिद्धान्त ही समझेंगे, यह कदापि सम्भव नहीं है।

नवम अध्याय

श्रीमद्भगवद्गीता में द्वैतवादियों की दृष्टि

शिष्य—१४ मन्व है कि प्राचीनकाल में ही ऋषिगणों के बीच उपनिषद् वाक्यों के विभिन्न तात्पर्य लगा लगा कर अनेक सिद्धान्तों का प्रकाशन किया जाता रहा है। वेदान्तदर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में भगवान् वादरायण ने—आश्वर्य्य, औद्भुलोमि एव काशकृत्स्न मुनियों के मतभेदों का उल्लेख किया है। भगवान् शङ्कराचार्य के मत में काशकृत्स्न मुनि का सिद्धान्त ही भूति के अनुपपत्ती होने के नाते वह सिद्धान्त ब्रह्मसूत्रकार वादरायण को भी मान्य है। चाइसर्वे शारीरक सूत्र के भाष्य में शङ्कराचार्य ने कहा है—‘औद्भुलोमिपक्षे पुनः सृष्टमेवावस्थान्तरापेक्षौ भेदाभेदौ गम्येते। तत्र काशकृत्स्नीय मत भ्रत्यनुसांगीति गम्यते। प्रतिषिगदविपताथांनुनागत् ‘तत्त्वमसी’त्यादि-श्रुतिभ्यः’ इत्यादि। परन्तु भगवद्गीता से भी यही सिद्धान्त ज्ञात होता है। क्या भगवद्गीता में जो सिद्धान्त प्रतिगदित हैं वे प्रकृत सिद्धान्त के रूप से प्राप्त नहीं हैं ?

गुरु—धरम ही प्राद्य है। किन्तु क्या यह भी हम कह सकते हैं कि भगवद्गीता में शङ्कराचार्य के द्वारा समर्थित अद्वैतसिद्धान्त ही उपदिष्ट हुआ है ? कितने आचार्यों ने भगवद्गीता के द्वारा भी जीव तथा परब्रह्म में भेद मानकर द्वैतसिद्धान्त एवं कितने आचार्य द्वैताद्वैत सिद्धान्त को ही समझ कर व्याख्या और विचार के द्वारा उसका समर्थन किया है। यह भी तो हम नहीं कह सकते हैं कि उन लोगों की सभी बातें अप्राद्य हैं। उन लोगों की सभी बातें भी विचार करके ही समझनी पड़ेगी। अद्वैतपाद में अधिक आग्रह रहने के कारण पहले से ही दूसरे विरुद्ध मतों की अवज्ञा करने से विचारपूर्वक अद्वैतमत समझा नहीं जाता है।

अतएव यह भी तो देखना होगा कि भगवद्गीता में द्वैतवादियों की दृष्टि कैसी है। अद्वैतवादी भगवान् शङ्कराचार्य ने भी अपने विरुद्धपक्षवाले द्वैतवादियों की सभी बातों का उल्लेख करके ही स्वमत स्थापन में युक्ति प्रदर्शन के द्वारा बहुत विचार उपरिष्ठ किये हैं—ये सभी बातें भी विचार पूर्वक समझना चाहिये।

शिष्य—विचार का अन्त नहीं है। किन्तु मनोबोग्दूर्बल भगवद्गीता के आद्यन्त पाठ करने से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि भगवद्गीता में

जीवात्मा तथा परमात्मा का अद्वैत सिद्धान्त ही उपदिष्ट हुआ है। पहले ही भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में आत्मा का जो रूप उपदिष्ट हुआ है, वह तो परब्रह्म का ही स्वरूप है। 'य एन वेत्ति ह्यन्तरम्' तथा—'अविनाशि तु तद्विद्' इत्यादि श्लोक से ज्ञात होता है कि परमात्मा ही जीवात्मा है, परन्तु गीता के अनेक श्लोकों से सुस्पष्ट ज्ञाना जाता है कि परब्रह्म से जीव वस्तुतः भिन्न नहीं है। जीव परब्रह्म का ही अंश है।

गुरु—मनोयोग से भगवद्गीता का आद्यन्त पाठ करना भी दुःसाध्य व्यापार है। तथा जिन तरह के मनोयोग से भगवद्गीता का प्रकृत सिद्धान्त समझा जाता है वह तो बहुत साधनपापेय है। जो भी हो, अन्य कथाएँ आगे बड़ी जाएँगी। अभी पहले भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय का विषय ही कहता हूँ।

'अविनाशि तु तद्विद् विन सर्वमिदं ततम्' यह बात न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय के मतानुसार जीवात्मा के सम्बन्ध में भी उपगन्त होती है। क्योंकि उस मत में जीवात्मा भी परमात्मा की तरह सर्वज्ञापी है। परन्तु द्वितीय अध्याय में जीवात्मा की नित्यता को समझाने के लिये इसमें चारम्बार परमात्मा के बहुत से साधर्म्य कहे गये हैं। किन्तु उससे यह नहीं उपगन्त होता है कि जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। क्यों कि जीवात्मा में परमात्मा का जो वैधर्म्य है उससे भेद ही सिद्ध होता है। तथा जीवात्मा हन्ता नहीं है—इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा स्वतन्त्र रूप से हन्ता नहीं है। जीवात्मा का हन्ता होना भी परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर ही सभी जीवों के कमानुसार साधु और असाधु कर्मों का करनेवाला है। श्री भगवान् ने भी बाद में कहा है—'नयैवेने निर्हाय पूर्वमेव निर्मलमाश्रमव सश्रमाचिन्' (गी० ११।१३)

किन्तु द्वितीय अध्याय में—'नास्तौ विद्यते भावो नामावो विद्यते सत' इत्यादि श्लोक में सत् शब्द से साधारणतः आत्मा का स्वरूप ही ग्रहीत हुआ है। इसे स्पष्ट करने के लिये अगले श्लोक में नपुंसकलिङ्ग में तत् शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिये—'तत्-आत्मस्वरूपम्, अविनाशि तु = अविनाशयेव विद्।' इस तरह की व्याख्या से ज्ञात होता है कि आत्मा का स्वरूप विनाशशील नहीं है। क्यों कि 'येन सर्वमिदं ततम्' श्रमिके द्वारा सब व्याप्त है यानी जो सर्वज्ञापी पदार्थ है वह अविनाशी है। न्याय तथा वैशेषिक के मतानुसार जीवात्मा और परमात्मा के दोनों ही सर्वज्ञापी पदार्थ हैं। जीवात्मा को अस्तित्व या तो किसी किसी वैष्णव आचार्य ने केवल जीवात्मा के सम्बन्ध में ही उक्त श्लोक की व्याख्या की है।

वारुण में गीता के द्वितीय अध्याय में आत्मा को नित्यता के प्रतिपादन के लिये पहले—‘न त्वेवाह’ इत्यादि श्लोक में ‘अह’ पद से परमात्मा की चर्चा होने से आगे जाकर दोनों आत्माओं का नित्यत्व सिद्ध हो जाता है—यह समझा जाता है। यहाँ यह भी बतलाना हो जाता है कि जीवदेह में जीवात्मा की तरह देह स्थित अन्तर्यामी परमात्मा भी अवश्य है, और जीवात्मा के नित्यत्व प्रतिपादन करने के लिए दृष्टान्त रूप से परमात्मा का अविनाशित्व कहा जा सकता है।

वस्तुतः द्वितीय अध्याय के उन सभी श्लोक से जीवात्मा और परमात्मा का वास्तविक अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा का चिरस्थायित्व प्रकाश करने के लिये श्रीभगवान् ने पहले कहा है—

‘न त्वेवाह जातु नास न त्व नेमे जनाधिग ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्’ ॥ २।१२।

उक्त श्लोक में ‘अह’ ‘त्वम्’ और ‘हमे’ इस बहुवचनान्त पद से तथा आगे जाकर ‘सर्वे वयम्’ इस तरह की बहुत्वबोधक उक्ति से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अर्जुन और उन महाराजाओं की आत्माएँ और परमात्मा अकृष्ण परस्पर भिन्न हैं।

अन्यथा बाद में फिर से ‘सर्वे वयम्’ इस उक्ति का क्या प्रयोजन है ! यह भी विचार करना आवश्यक है कि एकात्मवाद में ‘सर्वे’ शब्द तथा बहुवचन का प्रयोग करना कैसे सङ्गत है ? भाष्यकार शङ्कराचार्य ने भी यह सोच कर कहा है। ‘देहमेदानुवृत्त्या बहुवचनम्, नात्मभेदाऽभिप्रायेण’।

परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और युद्ध के लिये उपस्थित नृपतिपुत्रों को देहभेद मानकर उक्त श्लोक में ‘सर्वे वयम्’ इस तरह का बहुवचनान्त प्रयोग आवश्यक है। परन्तु उक्त श्लोक में ‘वयम्’ इस पद से वे सभी आत्मा गृहीत हुये हैं। अतः यह समझा जाता है कि आत्मा के बहुत्व के कथन से सभी आत्माओं में परस्पर पारमार्थिक भेद ही स्पष्ट किया गया है। अतः श्रीभाष्यकार आचार्य रामानुज ने ध्यायया क्री है “यथाऽह सर्वेश्वर परमात्मा नित्य इति नात्र संशय तथैव मरुन्त धेनवश्च आमानोऽपि नित्या एवेति मन्तव्यम् । एव भगवतः सर्वेष्वपदात्मनाञ्च परस्पर भेदः पारमार्थिक इति भगवतैव उक्तमिति प्रतीयते’। अर्थात् सर्वेश्वर भगवान् से अन्यान्य सभी आत्माओं का परस्पर भेद पारमार्थिक है। यह उस स्थल में भगवान् ने ही कहा है।

आचार्य रामानुजने इसका समर्थन करते हुए आगे कहा है—‘अज्ञान मोहित प्रति तन्निवृत्तये पारमार्थिकनित्यत्वोपदेशसमये “अहं त्वमिमे सर्वे वयम्” मिति ध्यरदेशात्, औराविद्यात्मभेदादे हि आत्मभेदस्यातात्त्विकत्वेन तत्त्वोपदेश-

समये भेदनिर्देशो न सङ्गच्छते' । तत्रार्थे यह है कि आत्मा का भेद औपचारिक अवास्तविक होने से जिस समय में श्रीभगवान् अज्ञान से मोहित अर्जुन को अज्ञान की निवृत्ति के लिये आत्मा के नित्यत्व का उपदेश करते हैं उस समय अवास्तव भेद का उपदेश नहीं कर सकते हैं । तत्परोक्ष के समय में कल्पित मिथ्या भेद का निर्देश संगत नहीं होता है । अतः उक्त श्लोक में— 'अहम्' 'त्वम्' 'इमे' तथा 'सर्वे वयम्' इत्यादि उक्ति से जो आत्मा का भेद स्पष्ट रूप से कहा गया है । वह भी आत्मा के नित्यत्व की तरह पारमार्थिक ही है । यही सिद्धान्त समझा जाता है । आचार्य रामानुज ने आत्मा के वास्तविक बहुत्व को श्रुतिसिद्ध प्रतिपादन करने के लिए श्रुताश्रय उपनिषद् के— 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान्' इत्यादि श्रुतिवाक्य भी उद्धृत किये हैं ।

परन्तु परमात्मा श्रीकृष्ण से अर्जुन आदि के आत्मा का वास्तव भेद न रहने पर श्रीभगवान् ने आत्मा का चिरस्थायित्व प्रतिपादन करने के लिए उक्त स्थल में अर्जुन से यह बात क्यों नहीं कही है कि आप और ये सब नररति चिरकालसे हैं और चिरकाल तक ही रहेंगे । क्योंकि मैं चिरस्थायी हूँ, मुझसे कोई आत्मा वस्तुतः भिन्न नहीं है परन्तु श्रीभगवान् ने बाद में ही अपना ईश्वरत्व प्रकाश करते हुए ही कहा है— 'न मे पापानि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन' इत्यादि (गी० ११२२-२०) उनही श्लोक इस उक्ति ने यह ज्ञात होता है कि उनसे कर्म कर्ता आत्मा भिन्न है । अतएव उन्होंने अर्जुन से कहा है— 'नियतं कुरु कर्म त्वम्' ।

शिष्य—माया का अधीश्वर परमात्मा सर्वेश तथा सर्वेश्वर है, अतएव उनसे भविष्य का वशवर्ती असर्वेश और अनीश्वर जीव का भेद अपरम ही स्वीकार्य है, पर यह भेद वास्तव या काल्पनिक है यही विचारणीय है । किन्तु भगवद्गीता से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह भेद वास्तव नहीं है, अमेद ही वास्तव है । क्योंकि बाद में ठसर्वे अप्याय मे कहा गया है— 'अहमा मा गुदा केश मर्भूताशयस्यत' (श्लोक २०), पश्चात् तेरहवें अप्याय के द्वितीय श्लोक में देही जीव को शेषतः कहकर तृतीय श्लोक में ही कहा गया है— 'शेषतश्चापि मां विद्धि सर्वभक्षेभ्य भारत' । बाद में पन्द्रहवें अप्याय में स्पष्ट कहा गया है— 'ममैतौष्ठो जीवन्नेके जीवन्तु भवन्तु' (श्लो० १५१७) अतः श्लोक में ही मेरा अर्थ जीवन्तु है—यह करने से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि परमात्मा ने ही सब प्राणीदेह में सर्वमाय प्राप्त किया है । अतः पारमार्थिक रूप से जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है ।

गुण—भगवद्गीता के पन्द्रहवें अध्याय के—‘ममैवागो जीवलोकै’ इत्यादि श्लोक के ‘अश’ शब्द से भी अद्वैतवादी ने श्रमने मत का समर्थन किया है— यह सत्य है किन्तु उक्त श्लोक के बाद सतरहवाँ श्लोक में कहा गया है—

‘उत्तम पुरुषस्त्वन्म्यं परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकप्रदमाविरय विमर्त्यन्म्यं ईश्वरः ॥’

(गी० १५।१७)

इससे शत हीत है दोनों लोकों का धारण करनेवाला अन्वय ईश्वर परमात्मा है उत्तम पुरुष है, तथा वे पूर्वोक्त क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषों में बल्लुत भिन्न है, अतः वह परमात्मा सर्वव्यापी न भी बल्लुतः भिन्न है। अन्वया पश्चात् उक्त श्लोक का प्रयोजन ही क्या है ? उक्त श्लोक में यह नहीं कहा गया है कि उत्तम पुरुष परमात्मा केवल वह पदार्थ से भिन्न है। भेदवादी आचार्यों ने उक्त श्लोक में ‘तु’ एवं ‘अन्य’ शब्द से बोधात्मा से भी परमात्मा का वास्तविक भेद विचारपूर्वक समर्थन किया है : तब पूर्वोक्त ‘ममैवागो जीवलोकै’ आदि श्लोकों में अश शब्द से भेद ही विवक्षित है—यह कैसे समझेंगे।

परन्तु सावयव द्रव्य का अवयव अर्थात् भाग या एकदेश ही अंश शब्द का मुख्य अर्थ है। निर्विकार तथा निरवयव परब्रह्म का अवयव रूप अश सम्भव ही नहीं है। वेदान्तदर्शन के—‘अंशो नाना व्यनदेशात्’ इत्यादि (२।३।४३) सूत्र के माध्य में आचार्य शङ्कर ने व्याख्या की है—‘अश एव अंशो नहि निरवयवस्य मुखोऽशः सम्भवति’। अर्थात् निरवयव परमेश्वर का अश पद का मुख्यार्थ संभव न होने से उक्त सूत्र के अश पद का अशतुल्य रूप गौण अर्थ होता है। भगवद्गीता के उक्त श्लोक के माध्य में शङ्कराचार्य ने अपने सिद्धान्त के अनुसार समाधान करने के लिए कहा है—‘नैव दोषोऽविद्याकृतो-पाधिपरिच्छिन्न एकदेशोऽश इव कल्पितो यतः’। परन्तु जीव जीव में प्रविष्टिचित्त सूर्य की तरह अथवा पटाकाश पटाकाश प्रकृति की तरह कल्पित भेदविशिष्ट है अतएव अवास्तव है—यह अग्नान्य सप्रदायों ने नहीं माना है। शङ्कराचार्य के सम्मत अनिर्वचनीय अविद्या बहुत विवादमत्त है। परन्तु उक्त मत में परब्रह्म के रूप में सर्व को सनातन होने पर भी परब्रह्म का सर्व भाव एवं उनके वह कल्पित अश सनातन नहीं है। परन्तु उक्त श्लोक में प्रथमोक्त ‘अंश’ पद का ही विशेषण पद बाद में ‘सनातन’ कहा गया है। बहुतेकों के मत में उक्त ‘अंश’ के सनातन नहीं होने से श्लोक उस विशेषण की उपरति ही नहीं होती है।

वस्तुतः भगवद्गीता के उक्त श्लोक का 'अंश' शब्द गौणार्थक है, यह सभी को मान्य है। इसलिए उक्त गौणार्थक अंश शब्द से दूसरा तात्पर्य भी समझा जा सकता है। न्याय वैशेषिक आदि संप्रदाय के मतानुसार उस 'अंश' शब्द से परमेश्वर और जीव में प्रभुभूत्ववत् संबन्ध ही व्यक्त हुआ है। शास्त्र-टीका के तर्कवाद में मीमांसाचार्य पार्थसारथि मिश्र ने भी उक्त 'अंश' शब्द के तात्पर्य की व्याख्या की है। और १२३।४।१। शारीरक भाष्य में शङ्कराचार्य के कथन से भी ज्ञात होता है कि वह व्याख्या भी प्राचीन है। अर्थात् जैसे राजा अपने आश्रित तथा कार्य संपादक आत्मीय आदि को अपना अंश कहता है वैसे ही सभी जीवों के प्रभु परमेश्वर ने सभी जीवों का अपना कार्य संपादक मानकर अपना अंश कहा है। उक्त अंश शब्द का गौण अर्थ अंशतुल्य है। जैसे जीवों के शरीर के अंश हाथ पैर आदि उस शरीर के साथ नाना कार्यों का संपादन करता है वैसे ही सभी जीव उस परमेश्वर के कार्य का संपादक होने से उसके अंशतुल्य होते हैं। वस्तुतः जीव के अस्तित्व के बिना परमेश्वर की सृष्टि आदि कार्य संभव ही नहीं है। अतएव जीव परमेश्वर का सहकारी शक्ति-विशेष होने के कारण भगवद्गीता में इसी तात्पर्य से पक्षे कहा गया है— 'प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीव भूता महाबाहो यथेष्ट धार्यते जगत्'—।७।५। विष्णुपुराण में भी कहा गया है अर्थात् जीव परमेश्वर की स्वरूपशक्ति से भिन्न द्वितीय शक्ति है— 'विष्णुश्चि परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाद्या तथापरा'।६।७।६१। सहकारी अर्थ में भी 'प्रकृति' शक्ति तथा 'अंश' शब्द का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः भगवद्गीता के उक्त श्लोक के गौणार्थक अंश शब्द से जीव और ईश्वर का वास्तव्य अमेद निर्विवाद सिद्ध नहीं होता है।'

१. जीव का अणुशब्दारी महावाचार्य ने 'वराहपुराण' के वचन के अनुसार परमेश्वर का स्वांग और विभिन्नान ऐसे द्विविध अंश कहकर मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों को उनही स्वांग अथवा स्वरूपांग कहा है। और समस्त जीवों को उनके विभिन्नान मानकर उनसे स्वरूपतः भेद ही समझना किया है। तदनुसार गौडीय संतवाचार्यों ने भी उक्त द्विविध अंश कहा है तथा विष्णुपुराण के (६।७।६१) वचन के अनुसार जीव को परमेश्वर की स्वरूप शक्ति से भिन्न द्वितीय शक्ति कहा है। अथ वल्लभ विश्वामृत महोदय ने 'सिद्धान्तरत्न' ग्रन्थ के आठवें पाद में लिखा है— 'मय तदभि नोऽपि तदुक्तिर्येन सदसौ रिगच्छते' श्री श्रीनन्दचरितामृत ग्रन्थ में कश्मिराज गोस्वामी ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य के पास श्रीनन्ददेव की उक्ति के रूप से लिखा है—

'गीताशास्त्रे जीवस्य शक्तिं कुरु माने, हेन जीवे अमेदं बहु ईश्वरेर सने ? ॥

भगवद्गीता के तेरहवें अध्याय में पहले जीव को क्षेत्रज्ञ कहकर बाद ही में—‘क्षेत्रज्ञाणि मा विद्मि सर्वक्षेत्रेषु भारत’ कहा गया है। परन्तु यहाँ पूर्व-श्लोक में उक्त देहामिमान्जीवरूप क्षेत्रज्ञ ही परवर्ती श्लोक में क्षेत्रज्ञ शब्द से गृहीत होने पर—‘क्षेत्रज्ञ तज्ज मा विद्मि सर्वक्षेत्रेषु भारत’ इसी तरह की स्पष्ट उक्ति क्यों नहीं हुई है। वस्तुतः जैने जीवात्मा जो क्षेत्रज्ञ कहा गया है वैसे ही दूसरे अर्थ में अन्तर्दामी परमात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहा गया है। महामात्मा के शान्तिवर्ष में यही अर्थ प्रकाश करके कहा गया है—‘क्षेत्राणि ही शरीराणि ब्रह्मज्ञानि शुभाशुभम् । तानि वेत्त स योगात्मा तत क्षेत्रज्ञ उच्यते’ (३०१) (गौडीय वैष्णवाचार्य निम्बार्कचक्रवर्ती और बलदेव विद्याभूषण ने शान्ति-पर्वत उक्त वचन के अनुसार भीष्मपर्वत भगवद्गीता के उपर्युक्त श्लोक की इस तरह से तात्पर्य व्याख्या की है कि जैसे प्रजापति अपने क्षेत्र को ही जानते हैं किन्तु राजा सभी के क्षेत्रों को जानता है वैसे ही प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर रूप क्षेत्र को आत्मा कहकर जानता है—इसी अर्थ में ही पहले क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। किन्तु इन सभी जीवों का स्वामी सर्वज्ञ परमेश्वर सभी जीवों के शरीर रूप क्षेत्रों को जानता है। वह (परमेश्वर) सभी जीवों के शरीरात्मक सभी क्षेत्रों में हृद्यदेश में अन्तर्धामिरूप में स्थित है। श्रीकृष्ण ने कहा है—‘क्षेत्रज्ञाणि मा विद्मि सर्वक्षेत्रेषु भारत’ तथा उसी तात्पर्य से उन्होंने पहले भी कहा है—‘अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्म-स्थित’ (१०।१० गी०) श्रीधर स्वामी ने भी वहाँ व्याख्या का है—हे गुडाकेश ! सर्वेषा भूतानाम शदेष्वन्त करणेषु सर्वशक्तिगुणैर्निदन्तृत्वेना-वस्थितः परमात्माऽहम् ।

वस्तुतः ब्रह्मात्मा तथा परमात्मा ये दोनों ही आत्मन्शब्द का वाच्य हैं। आत्मन्शब्द के और भी बहुत से अर्थ हैं।

शास्त्र में किसी किसी स्थल में परमात्मारूप विद्वेष अर्थ में भी केवल ‘आत्मन्’ शब्द का प्रयोग हुआ है तथा उसे परमात्मा परमेश्वर का ही वास्त-विक एकत्व है और बहुत से उपाधि भेद से औपार्थिक बहुत्व भी कहा गया है। वह सभी भूतों का अन्तरात्मा है—इस अर्थ में किसी-किसी स्थल में वह भूतात्मा भी कहा गया है तथा उसी के बारे में भूत ने कहा है—‘एकया बहुधा चैव ह्यने ज+चन्द्रान्’ ।

परन्तु—सभी जीवों के देह में रहनेवाला अन्तर्दामी वही महेश्वर परमात्मा उन देह में रहनेवाले जीवात्मा से वस्तुतः भिन्न पुरुष है। अतः भगवद्गीता के उक्त तेरहवें अध्याय में ही कहा गया है—‘उग्रद्रष्टाऽनुमन्ता च मर्ता

भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष पर ॥' उक्त श्लोक में पश्चादुक्त 'पर' शब्द का 'मि-न' अर्थ है ।

शुद्ध—क्या भगवद्गीता के किसी श्लोक से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद वास्तव है ?

शुद्ध—अवश्य ही सम्झा जाता है । ज्ञात नहीं होने पर बहुत से सम्प्रदायों ने इसे ईश्वर समझा है । अभी यह बात बहेंगे । भगवद्गीता के चौदहवें अध्याय का दूसरा श्लोक देखिए—'एदं ज्ञानमुपभित्त्य मम सारम्यमागता । सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रल्भे न व्यथन्ति च' ॥ इन श्लोक के साधर्म्यशब्द से ज्ञात होता है कि तत्त्वज्ञानी मुक्त पुरुषपण परमेश्वर का सादृश्य प्राप्त करते हैं । यहाँ यह कहना आवश्यक है कि कृत्रिम यत्रि अभिन्न पदार्थ में सादृश्य वर्णन करते हैं तथापि भेदविशिष्ट सादृश्य ही साधर्म्यशब्द का मुख्य अर्थ है । भाष्यकार शंकराचार्य भी इसे अस्वीकार नहीं कर सके इसलिये उन्होंने उक्त श्लोक का व्याख्या करते हुये कहा है—'मम=परमेश्वरस्य साधर्म्यम्' मत्स्वरूपतामागताः प्राप्ता इत्यर्थां ननु समानधर्मता साधर्म्यं क्षेत्रज्ञेश्वरयो-र्भेदान्मुपगमात् गीताशास्त्रे' ।

टीकाकार आनन्दगिरि ने शंकराचार्य के अभिप्राय को व्यक्त करते हुए वहाँ पर कहा है 'साधर्म्यस्य मुख्यत्वे भेदघ्नौ याद् गीताशास्त्रविरोधः स्यादित्याह—नन्वात' अर्थात् उक्त श्लोक में साधर्म्यशब्द का मुख्य अर्थ लेने से मुक्त आत्मा से भी परमात्मा का भेद अवश्य मानना पड़ता है ।

किन्तु वह मानने से गीताशास्त्र के सिद्धान्तका विरोध होता है अतएव गीताशास्त्र के भाष्य के अनुसार भाष्यकार शंकराचार्य ने व्याख्या की है—'मम=परमेश्वरस्य साधर्म्यम् मत्स्वरूपतामागताः प्राप्ता' ।

किन्तु गीताशास्त्र का यदि उच्चरूप सिद्धान्त है तो 'मत्स्वरूपत्वमागताः' इस तरह की ही उक्ति क्यों नहीं की गई ? सादृश्यबोधक साधर्म्य शब्दप्रयोग का उद्देश्य क्या है ? परन्तु मुक्तपुरुषपण परब्रह्म स्वरूप ही होने पर उनके औस-धिक भेद अथवा बहुत्व नहीं रह सकेगा अत उक्त श्लोक में 'मम साधर्म्यमागताः' इस तरह से बहुवचनान्त प्रयोग कैसे सङ्गत होगा ? और यह भी विचार करना आवश्यक है कि वहाँ बहुवचन प्रयोग का उद्देश्य क्या है ?

परन्तु मुक्तपुरुषपण परब्रह्म स्वरूप ही होने पर उमका पुनर्जन्म आदि नहीं होता है यह कहना अनारव्यक है अत उस व्याख्या में उक्त श्लोक के उत्तरार्ध वाक्य का विशेष सार्थकता नहीं होती है, किन्तु मुक्तपुरुषपण परमेश्वर का सादृश्य ईश्वर है ? यह प्रश्न ही सङ्गत है अतएव उक्त श्लोक के अरर अंश का सार्थकता नहीं होती है । किन्तु मुक्तपुरुषपण परमेश्वर का सादृश्य प्राप्त होते हैं कहने से वह सादृश्य ईश्वर है यह प्रश्न उचित ही सङ्गत है । इसीलिए उत्तरार्ध

में कहा गया है—‘सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च’ । अदृश्य और भी अनेक प्रकार का सादृश्य कहा जा सकता है । वस्तुतः भाष्यकार शङ्कर ने उक्त श्लोक में साधर्म्यशब्द का मुख्य अर्थ ब्राह्म नहीं है—इसे सिद्ध करने के लिए—‘भेदान्मुपगमाद् गीताशास्त्रे’ इस कथा के द्वारा जो हेतु कहा है वह असिद्ध है । क्योंकि द्वैतवादी सभी संप्रदायों के मत से जीवात्मा और परमात्मा में वास्तव भेद ही गीताशास्त्र का सिद्धान्त है । यहाँ द्वैतवादो से विशिष्टाद्वैतवादी आचार्य रामानुज तथा द्वैताद्वैतवादी निम्ब कान्चार्य को भी मैंने ग्रहण किया है । क्योंकि इन लोगों के मत से भी जीवात्मा और परमात्मा का द्वैत या भेद यथार्थ है । अतः आचार्य शंकर का वह उक्त हेतु प्रतिपादियों को दृष्टि में असिद्ध है इसीसे वह प्रकृत हेतु नहीं है । यह भी सर्वसम्मत है कि जो हेतु सन्दिग्ध है वह भी असिद्ध नामक है वाभास के अन्तर्गत है ।

निष्कर्ष यह है कि द्वैतवादो आचार्यों ने मुख्य अर्थ के प्राधान्य से भगवद्गीता के उक्त श्लोक में साधर्म्य शब्द का भेदविशिष्ट सादृश्य रूप मुख्य अर्थ ही ग्रहण किया है । इन लोगों के मत में उक्त मुख्य अर्थ का कोई बाधक नहीं है । मुण्डक उपनिषद् के—‘परमं साम्यमुपैति’, कठोपनिषद् के—‘एव भवति’ और भगवद्गीता के—‘मम साधर्म्यमागताः’ इन सभी वाक्यों से मुक्त पुरुषों को परब्रह्म के साथ सादृश्यविशेष की प्राप्ति ही समझी जाती है । अतएव—‘ब्रह्मभाव, ब्रह्मभाव तथा ब्रह्मभूय’ इत्यादि शब्दों से उसे सादृश्य विशेष ही समझना चाहिये । अतः मुक्तसमय में मुक्त आत्मा में परब्रह्म का भेद रहने से वह भेद नित्य तथा वास्तव सत्य—यह स्वीकार करना चाहिये ।

किन्तु शंकराचार्य के मत से मुक्तपुरुष की ब्रह्मभावप्राप्ति अथवा ब्रह्म प्राप्ति क्या है—यह भी समझना होगा । मुण्डक उपनिषद् के भाष्य में उन्होंने स्वयं पहले कहा है—‘अविद्यायाः अगम एव हि परप्राप्तिर्नार्यान्तरम् ।’ यह पहले ही कहा गया है कि इस मत में मुण्डक उपनिषद् के—‘ब्रह्मैव भवति’ इस वाक्य के यथाभूत अर्थ का ग्रहण नहीं किया गया ।

परन्तु भगवद्गीता के—‘क्षेत्रज्ञज्ञापि मां विद्धि’ इत्यादि श्लोक के भाष्य में पूर्वपक्ष का समर्थन करते हुए शंकराचार्य ने द्वैतवादियों की जो सब बातें कही हैं वे सब बातें भी ध्यान से समझानी पड़ेंगी । यदि उन बातों में मद्दर नहीं है तो शंकराचार्य ने भी क्यों उनका उल्लेख करके अपना सिद्धान्त स्थापन करने के लिए वही उस प्रकार का विस्तृत विचार किया है । शंकर ने पूर्वपक्ष का समर्थन करने के लिए पहले वहाँ द्वैतवादियों की बातें कहीं हैं—

ननु सर्वक्षेत्रम् एक एवेक्षरो नान्यस्तद्व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत् ! तन् ईश्वरस्य सत्कारित्वम् प्रातान्, ईश्वर-व्यतिरेकेण वा सत्कारिणोऽन्वय्याभावात् सत्कार-

भावप्रसङ्गः, तद्योभयमनिष्टम्, बन्धमोक्षतद्वैतशास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गात्, प्रत्यक्षादि-
प्रमाणविरोधाच्च' । तात्पर्य यह है कि सभी जीवों के शरीर में एक ही ईश्वर खूब
होनेपर वस्तुतः ईश्वर ही सुख और दुःख का भोका सत्सारा है—यह मानना पड़ता
है । अथवा ईश्वर से भिन्न कोई सत्सारा आत्मा नहीं रहने से सत्सारा का अभाव ही
मानना पड़ना है । किन्तु उनमें से कोई भी पक्ष माना नहीं जा सकता है ।
शङ्कराचार्य ने बाद में द्वैतवादियों की बहुत-सी बातें कहकर अपने मत के
अनुसार समाधान किया है कि ईश्वर का जीवभाव अवैद्याकल्पित है अतः
उनका गसार्थित्य तथा सुख दुःख भोग आदि सभी अविद्याकल्पित है । शङ्करा-
चार्य ने कहा है—

'क्षेत्रज्ञस्येश्वरस्यैव सत्वोऽविद्याकृतोऽधिभेदतः सत्सार्थित्वमिव भवति । यथा
देहाद्यात्मत्वमात्मनाः' ।

किन्तु पहले भी कहा गया है कि शङ्कराचार्य के सम्मत यह अनिपरिचनीय
अविद्या बहुत विवाद ग्रस्त है ।

शिष्य—महाभारत में बहुपुरुषवाद का खण्डन पूर्वक एकपुरुषवाद ही
सिद्धान्तरूप में कदा गया है—आचार्य शङ्कर ने यह भी दिखाया है ।

गुरु—शारीरिक भाष्य में (२।१।१।) शङ्कराचार्य ने महाभारत के शान्ति
पर्व से किन्हीं श्लोकों का उदाहरण देते हुए एकपुरुषवाद का ही सिद्धांतरूप
में समर्थन किया है सही किन्तु द्वैतवादी आचार्यों ने उस स्थल में उन श्लोकों
की व्याख्यान करके यह नहीं समझा है । महाभारत के उस स्थल में बर्णित
है कि धर्ममेवयने वैशम्पायन के पास प्रश्न किया है कि आत्मा अनेक
है अथवा एक तथा भेद पुरुष कौन है ? एवं पुरुष की योग्य अर्थात् श्रेष्ठ
देशादि का उत्पादक कौन है ? इसका उत्तर में वैशम्पायन कहते हैं कि
साद्यय आदि संप्रदाय के अनुसार पुरुष अनेक । वे केवल एक पुरुष नहीं मानते ।
बाद में उन्होंने उन अनेक पुरुषों को अनेक मानकर ही कहा है कि उन गुणा-
धिक पुरुष की व्याख्या करूँगा जो अनेक पुरुषों का एकमात्र योग्य है । कर्म आदि
मार्गों ने अप्यात्मचिन्ता का आशय लेकर सामान्य तथा विशेष रूप से ज्ञान
शास्त्रों का उपदेश किया है । किन्तु वैशम्पायन विस्तार पूर्वक ब्रह्म पुरुष का
एकत्व कहते हैं वह मैं तुमसे कहूँगा । बाद में उस एक पुरुष को सभी आत्माओं
का साक्षीभूत अन्त्यात्मा महापुरुष कहा है । अतः यह हम नहीं समझ सकते
कि महाभारत के उस स्थल में द्वैतमत का खण्डन ही हुआ है । परन्तु हम लोग
समझते हैं कि उस स्थल में अप्यात्मचिन्ता में ज्ञान कर्म कण्ड और
श्रीराम प्रभृति श्रेष्ठियों के विभिन्न प्रकार के द्वैतमतप्रतिपादन सभी शास्त्रों
का ही सम्मान रक्षित हुआ है । क्योंकि वहाँ वैशम्पायन ने कहा है—

उत्सर्गेणाववादेन ऋषिभिः करिलादिभिः ।
 अथात्मचिन्तामाश्रित्य शास्त्राण्युक्तानि भारत ॥
 समासउक्तु पद् व्यासः पुष्टैकैश्चमुक्तवान् ।
 तत्तेऽहं समवदशामि प्रसादादमितोज्ज्वल ॥
 ममान्तःतत्मा तव च ये चान्ये देहितशिक्षा ।
 सर्वेषां साक्षिभूतोऽमौ न ग्राह्य केनचित् क्वचित् ॥
 तस्यैकत्व महत्त्वञ्च स चैह पुष्टय स्मृतः ।
 महापुरुषशब्द स चिमत्येकः सनातन ॥

(शान्तिपर्व ३५० ३५१ अध्याय द्रष्टव्य)

यथार्थ में महाभारत के नाना स्थानों में नाना मतों का वर्णन है और कहीं कहीं अद्वैतमत का भी वर्णन हुआ है । भगवान् शङ्कराचार्य के द्वारा समर्थित एव प्रचारित अद्वैतमत भी वेदमूलक सुप्राचीन मत है । किन्तु यह भी अवश्य मानना होगा कि नाना प्रकार के द्वैतमत भी सुप्राचीन वेदमूलक है । पश्चात् तत्त्वशास्त्री मध्वाचार्य प्राचीन किसी द्वैतमतविशेष का समर्थन तथा प्रचार के लिए उस मत के अनुसार उपनिषद् तथा गीता का भाष्य करते हैं । सभी मत कभी सबको रुचिकर नहीं होते हैं । क्योंकि मनुष्य की प्रकृति के वैविध्य से गुरुरारम्भरा से नाना मतभेद प्रतिष्ठित हुए हैं । उम परमेश्वर की कृपागत बहुत से महर्षि तथा आचार्य उन्हीं की प्रेरणा से विभिन्न प्राचीन मतों के अनुसार ही विभिन्न रूपदायों की प्रतिष्ठा किये हैं । वे सभी परमगौरव एव परमपूज्य हैं । फिर किसी किसी में उत्तम मायी महेश्वर की माया से मोहिततुल्य बहुत से मनुष्यों ने अपने कर्म तथा रुचि के अनुसार नाना तरह से विरुद्ध मतों का भी उपदेश किया है । उद्धव के प्रश्न के उत्तर में श्रीभगवान् ने स्वयं ही यह कहा है—

एव प्रकृतिवैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् ।
 पारमार्थ्येण वेदाञ्जत् पापण्डमतयोऽपरे ॥
 मन्मासामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ ।
 भेदो वदन्त्यनेकान्त यथाकर्म यथावृत्ति ॥

श्रीमद्भागवतम् ११।१४८-९।)

छिप्य—नाना मतभेदों के अन्वकार में प्रकृत सिद्धान्त का निश्चय नहीं कर सन्ने से हमेशा जो संशय में पड़े रहने है उनका भेद क्या है ?

गुरु—युधिष्ठिर के उस तरह के प्रश्न के उत्तर में वितामद भोभनदेव ने कहा था कि निरन्तर गुरुपूजा, वृद्धों की सभी प्रकार से उपासना और नाना

शास्त्रों का ध्वजा ये ही उनका श्रेय है । यथार्थ में शास्त्रों में नाना मतों के रहने पर भी सब मतों की साधना के लिए प्राचीन पद्धति है । प्रकृत अधिकारी ने मतभेद प्रयुक्त सद्यः में पढ़ कर कभी भी साधना नहीं छोड़ी है और नहीं छोड़ते हैं । क्योंकि वह जानता है—‘सशयात्मा विनश्यति’ (गीता) गुरु तथा बृद्धों की उपासना एवं नाना शास्त्रों का सुनकर अपने अधिकार एवं अपनी रुचि के अनुसार शास्त्रोंक जिन सिद्धान्त पर जिनकी श्रद्धा जन्म जाती है वह गुरु के उपदेश के अनुसार उसी मन को लेकर साधना करता रहता है । भक्ति के अनुकूल परम साधना के अभाव से कालक्रम से जब साधक को उस परमेश्वर में परा भक्ति उत्पन्न होती है—साधक जब तद्गतप्राण तथा तद्गतचित्त होकर इभेषा प्रातिपूर्वक उनका भजन करता है तब वे ही इस भक्त साधक को ‘बुद्धियोग’ देते हैं । इसी न्तिये भगवान् ने स्वयं कहा है—

‘मच्चित्ता तद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं वृष्यन्ति च रमन्ति च ॥

तेषां सतःसुक्तानां भजनां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगन्त येन मामुपयान्ति ते ॥ (गीता-१०।९-१०)

यथार्थतः यह श्रुतिसिद्ध है कि उन्हीं परमेश्वर में परा भक्ति और शरणा गति के फलस्वरूप उन्हीं की परम कृपा के साधक उनको दर्शन करके आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं । यह सत्य नहीं कि उन्नियद् में परमेश्वर में पराभक्ति तथा शरणागति का बातें नहीं है । (तृतीय अध्याय देखिये) ब्रह्मोपनिषद् की—‘यमेवैष वृणुते तेन लब्धस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्न स्वाम्’ (१।२।२२) यह बात भी परमेश्वर की कृपा ही की बात है तथा वह सारभूत बात है । श्रीधरस्वामिशर ने भक्ति को ही मुक्ति का कारण कहने पर भी आत्म ज्ञान को भक्ति का व्यापार कहा है । परमेश्वर में पराभक्ति के फल से उन्हीं के प्रसाद में आत्मज्ञान होता है । अत्र भगवद्गीता के व्याख्यान के उक्त स्थल में श्रीधरस्वामी शर ने कहा है—

भगवद्भक्तिमुनस्य तत्प्रसादात्प्रबोधत । मुक्तं बन्धविमुक्ति र्थादिति गीतार्थवृत्तम् ॥

१ बुध्दिष्टिर उवाच—

‘अत्रहृदयस्य दाहनायाः सततं सत्प्राप्तयेन ।

अहृतोपवनायस्य श्रयो बृद्धिं पितामह ॥

भीष्म उवाच—

गुरुजा च सततं वृद्धानां पशुपामनम् ।

अश्रुतञ्चैव दाहनायां कृतस्य श्रय उच्यते ॥

(महाभारत, पाणिपत मोक्षधर्म, २८७ पं०)

दशवाँ अध्याय

न्यायदर्शन में ईश्वर तत्त्व

महर्षि गौतम के मत की व्याख्या करते समय यह बात कई बार कही जा चुकी है कि जीवार्त्मा ईश्वर से वस्तुतः भिन्न है तथा ईश्वर की अनुमति के बिना किसी को पुक्ति नहीं हो सकती है। अतः यह भी वक्तव्य है कि गौतम ने न्यायदर्शन में ईश्वर के सम्बन्ध में किस प्रकार का सिद्धान्त कहा है। गौतम ने न्यायदर्शन के चतुर्थ अध्याय में निम्नलिखित तीन सूत्रों को कहा है—

‘ईश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्’ ४।१।१९

‘न पुरुषकर्माभावे फलनिष्पत्तेः ।’ ४।१।२०।

‘तत्कारितत्वादहेतुः’ ४।१।२१।

माध्यकार वात्स्यायन आदि के मत से उक्त प्रथम सूत्र पूर्वपक्ष सूत्र है। महर्षि गौतम ने पहले उक्त सूत्र के द्वारा पूर्वपक्ष के रूप में यह मतान्तर प्रकाशित किया है कि जीव के कर्म से निरपेक्ष ईश्वर ही कारण है, चूंकि जीवों की कर्मों की विफलता देखी जाती है। अर्थात् जब जीव कर्म करने पर भी अनेक बार विफल होता है तब जीवों के कर्म कारण नहीं है। ईश्वर ही अपनी इच्छानुसार जगत् की सृष्टि आदि तथा सभी जीवों के सुख दुःख आदि का विधान करते हैं।

वस्तुतः जीव के कर्म आदि से निरपेक्ष ईश्वर ही जगत् की सृष्टि आदि का कारण है—यह भी एक सुप्राचीन मत है। प्राचीन समय में उसीका नाम ईश्वरवाद था। बौद्ध पालिग्रन्थ महाबोधिजातक में उक्त मत का वर्णन है। (जातक पञ्चम खण्ड २३८ पृ० द्रष्टव्य है) बुद्धचरित में अश्वघोष ने भी उक्त मत का उल्लेख किया है।^१

सुभ्रतमहिषा के शरीर स्थान में भी स्वभाववाद, कालवाद, यदृच्छावाद तथा नियतिवाद के साथ उक्त प्राचीन ईश्वरवाद का भी उल्लेख हुआ है। चतुर्विंश माहेश्वर सम्प्रदाय में अन्यतम नकुलीश पाशुपत सम्प्रदाय ने उक्त मत का ही समर्थनपूर्वक ग्रहण किया था। सर्वदर्शनसमूह में माधवाचार्य ने उक्त मत की व्याख्या की है। पहले महानैयायिक उदयनाचार्य ने भी न्याय

१ सर्वं वदन्तीश्वरतत्त्वमाज्ये तथा प्रयत्ने पुरुषस्य कोऽर्थः ।

स एव हेतुर्जगत् प्रवृत्तो हेतुनिवृत्तो नियतः स एव ॥ १।५३ ॥

कुमुदाञ्जलि के आरम्भ में उक्त मत को महापाशुरत सम्प्रदाय का मत कहकर उल्लेख किया है। गौतम ने पश्चात् कर्मवादियों के मत को व्यक्त करते हुए द्वितीय सूत्र कहा है—'न पुण्यकर्माभावे फलनिवृत्तेः'। अर्थात् ईश्वर ही जगत् की सृष्टि आदि का कारण नहीं है। क्योंकि जीवों के कर्मों के बिना फल की निर्वृत्ति नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि जीवों को स्वीकृत कर्मबन्धु धर्माधर्मिक अदृष्ट ही जगत् की सृष्टि आदि के प्रति कारण है। ईश्वर कारण नहीं है।

पूर्वोक्त दोनों मतों का ही खण्डन करने के लिये गौतम ने बाद में अपना सिद्धान्तसूत्र कहा है—'तत्कारितत्वाद्देतुः'। अर्थात् पूर्वोक्त मतद्वय के साधक के रूप में जो देतु कहा गया है वह अदेतु। वह देतु क्यों नहीं है? अत्र कहा है—'तत्कारितत्वात्'। तेन ईश्वरेण कारितत्वात्। 'तत्' शब्द से प्रथम सूचोक्त ईश्वर ही गृहीत है अर्थात् जीवों के सभी कर्म पक्ष उनके फल जब ईश्वर के द्वारा कराये गये हैं तब केवल ईश्वर ही या केवल अदृष्ट ही कारण है यह नहीं कहा जा सकता है। किन्तु जीवों का कर्म तथा ईश्वर दोनों ही जगत् की सृष्टि आदि के प्रति निमित्त कारण है। तात्पर्य यह है कि जीवों के कर्मबन्धु धर्माधर्म की अपेक्षा नहीं करता हुआ ईश्वर ही अपनी इच्छा से जगत् की सृष्टि तथा संहार करे तो उनका वैधर्म्य (पञ्चरात) और नैर्घृण्य (निर्दयता) दोष की अवरिहाय-आपत्ति हो जाती है।

अत्र ईश्वर जीवों के धर्माधर्मात्मक अदृष्ट के अनुसार ही ससार की सृष्टि आदि करते हैं अर्थात् जीवों के धर्माधर्मसापेक्ष कर्ता यही सिद्धान्त है। वेदान्त दर्शन में भगवान् वाटरायण ने भी कहा है—

'वैधर्म्यनैर्घृण्ये न, सापेक्षत्वात् तत्पादि दृश्यति' २।१।३१।

वास्तव में, भूति ने स्पष्ट कहा है—'एष ह्येव साधु कर्मकारयति तं यमेवो लोकेव्य उचिनीयते। एष होवासाधु कर्मकारयति तं यमघो निनीयते' (ओपीतही— ब्राह्मणम् ३।८ 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति ५।१० पापेन' (गृहदारण्यक

१. भाष्यकार दाङ्कराचार्य ने व्याख्या की है—'वैधर्म्य नैर्घृण्य नेश्वरस्य प्रसज्यते। कस्मात्? सापेक्षत्वात्। यदि हि निरपेक्षः केवल ईश्वरो विपदां सृष्टिं निर्ममोते स्यातामेतौ दोषो वैधर्म्य नैर्घृण्यश्च न तु निरपेक्षस्य निर्मा-
सृत्वमस्ति। सापेक्षो हीरवरो विपदां सृष्टिं निर्ममोते। किमपक्षत इति चेत्? धर्माधर्मावपेक्षते इति वदामः।'

अतः सृष्ट्यमानप्राणिधर्माधर्माविशा विपदा सृष्टिरिति नामोद्वेग-
स्यापराधः।

३।२।१३) 'कर्माप्यष्टः सर्वभूताधिवासः' (श्वेताश्वतर ६।१.१) 'स वा एष महानत्र आत्मान्नादो वसुदानः' , बृहदारण्यक ४।४।२४)

निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर ही जीवों को साधु तथा असाधु कर्म कराते है। जीव कर्म करनेवाला है और परमेश्वर उन सब कर्मों के करानेवाले हैं। यानी हेतुकर्ता या प्रयोजक कर्ता है। तथा वे ही जीवों के सभी कर्मों के अप्यष्ट है यानी सब अदृष्टों के अधिष्ठाता तथा वे ही जीवों के 'वसुदान' अर्थात् सभी कर्मों का पत्र देने वाले हैं। अतः जीवों का कर्मजन्य धर्माधमात्मक अदृष्ट स्वयं उसका पत्र दान करता है उसके लिये ईश्वर की आवश्यकता नहीं है— यह भ्रुति का सिद्धान्त नहीं है। अपितु उसी ईश्वर के अनुग्रह से ही अर्थात् सब जीव के सभी अदृष्टों के ऊपर उनके अधिष्ठान के कारण ही अदृष्ट पत्रजनक होते हैं। यह भ्रुति का सिद्धान्त है। महर्षि गौतम ने पूर्वोक्त तृतीय सूत्र के द्वारा उक्त श्रौत सिद्धान्त को ही व्यक्त किया गया है। भाष्यकार वात्स्यायन ने भी गौतम के उस रूप तात्पर्य की ही व्याख्या की है।^१

गौतम मत के व्याख्याता महानैयायिक उदयनाचार्य ने न्यायकुसुमाञ्जलि के प्रथम स्तवक में विचार पूर्वक युक्तियों के द्वारा भी यह समर्थन किया है कि जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से होने वाला धर्माधर्मात्मक अदृष्ट अवश्य मानना होगा। अतएव जीवों की उस अदृष्टसमष्टि के अधिष्ठातृ के रूप में नित्य सर्वश ईश्वर अवश्य स्वीकारयोग्य है।

तात्पर्य यह है कि जैसे ब्रह्महाडी आदि अचेतन पदार्थ किसी चेतन पुरुष के अधिष्ठान से ही छेदन आदि क्रिया का कारण होता है वैसे ही जीवों की अदृष्ट-समष्टि रूप अचेतन पदार्थ भी किसी चेतन पुरुष के अधिष्ठान से ही जात की सृष्टि आदि के प्रति कारण हो सकता है। चेतन पुरुष के अधिष्ठान के बिना अचेतन पदार्थ कदापि कार्य का जनक नहीं हो सकता है। किन्तु असर्वश जीव कभी उसके अदृष्ट का अधिष्ठाता नहीं हो सकता है। अतः जो अनार्षि काल से असख्य जीवों के असख्य अदृष्टों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं और किस समय में किस स्थान में किस अदृष्ट का कैसा पत्र होगा यह भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं इस तरह के किसी सर्वदर्शी पुरुष को अवश्य मानना होगा। वे ही जीव वे समूचे अदृष्टों का अधिष्ठाता है, अतः वे ही जीव के सकल कर्मों का पत्र देने वाले

१. 'पुण्यकारमोश्वरोऽनुग्रहति । फलाय पुण्यस्य यतमानस्वैश्वर फल संपादयतीति । यदा न संपादयति तदा पुण्यकर्माफलं भवति । तस्मादीश्वरकास्त्रिवादेहेतुः पुण्यकर्माभावे फलानिष्पत्तेरिति ।'

हैं। इसी से भृत्ति ने उसी को—'कर्माप्यथ सर्वभूगधिवास' कहा है। उग्युंज औत सिद्धान्त के अनुसार परमेश्वर सद्यु कर्म की तरह असाद्यु कर्म के भी करानेवाले है। क्योंकि पूर्व जन्म के जिस कर्म के फल स्वरूप इस जन्म में जो जीव जिस समय में जिस असाद्यु कर्म करके जिस काल में उसके जिस फल को भोगेगा वह सभी कर्मों का अप्यथ तथा सर्वज्ञ वे परमेश्वर ही जानते हैं और वे ही जीव के उस कर्म का फल देने वाले हैं।

अतः जीव के पूर्वजन्मकृत उस कर्म के अनुसार जीव को वह कर्मफल देने के लिये वे स्वयं में उस जन्म से वह असाद्यु कर्म कराते हैं और जीव के पूर्व जन्म के वे सब कर्म भी उन्होंने तत्पूर्व पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही कराये हैं। सृष्टि का प्रवाह या जीवों का ससार अनादि है वह मने पहले कहा है। सभी जीवों की सभी जन्मों में विचित्र शरीर की सृष्टि उसके पूर्वजन्मकृत कर्मफल घमाघर्मजन्य है इसी सिद्धान्त को प्रकाश करने के लिये महर्षि गोतम ने भी पहले कहा है—'पूर्वकृतफलानु बन्धोत्तदुत्तरति' ३।२।६-७।

ईश्वर जीव के सभी कर्मों का कराने वाला होने पर भी जीव स्वयं उसका कर्ता है। अतः जिस अवस्था में जिन मनुष्यों के लिये जो क्रियाएँ पाप जनक के रूप में निर्दिष्ट हैं, ईश्वर से प्रेरित होकर उन कर्मों के करने पर भी

१ कोई कोई कहते हैं कि गोतम के मन में सर्वज्ञ ईश्वर जीव के अतीत शुभ एवं अशुभ कर्म के अनुसार ही जगत् का कर्ता है तथा जीव के सुख दुःख का विधाता है अर्थात् गोतम ने शुभाशुभ कर्मजन्य धर्म तथा अधर्म नामक आत्म गुण नहीं माना है। किन्तु उक्त सूत्र में (२।३।६०) गोतम 'पूर्वकृत' शब्द के बाद 'फल' शब्द का प्रयोग किया है। वात्स्यायन ने भी उक्त सूत्र में 'पूजकृत' शब्द तथा 'फल' शब्द के धर्म की व्याख्या की है—'पूर्वकारीरे या प्रकृतिर्वागबुद्धिरीरारम्भलक्षणा तत् पूर्वकृत कर्मात्म तस्य फल तज्जन्तितो धर्माधर्मौ । परंतु गोतम ने न्यायदर्शन के तृतीय अध्याय में भी पहले—'शरीरदाहे वातकामादात्' (१।४।) इस सूत्र में 'वातक' शब्द से लघुम का उल्लेख किया है। बाद में तृतीय आह्निक में ४१वें सूत्र में सस्वार के उद्गोपकसमूह का उल्लेख करते हुये सधमे जन्म म धर्म और अधर्म का भी उल्लेख किया है। अतः नैयायिकसम्प्रदाय ने गोतम के सूत्र के अनुसार ही धर्माधर्म को जीवात्मा के गुण के रूप में व्याख्या की है। वैशेषिक दर्शन के पञ्चम तथा षष्ठ अध्याय में महर्षि कणाद ने भी धर्माधर्म रूप धृष्ट का उल्लेख किया है। वैशेषिक का आचार्य प्रसन्ननाद आदि ने भी धर्माधर्म को जीवात्मा का गुण कहा है।

तत्रन्य अपराध या पाप उनको अवश्य ही होगा, अन्यथा ईश्वर से प्रेरित होकर साधुकर्म के करने से तत्रन्य पुण्य भी क्यों होगा ? जैसे पिता के आदेश से बाध्य होकर पुत्र किसी कुकर्म को करता है तो उसका भी तत्रन्य अपराध होता है, एवं उसके कारण उसके लिए भी राजदण्ड की व्यवस्था है । उसी तरह से मानव ईश्वर से प्रेरित होकर असाधुकर्मा करने पर भी तत्रन्य उनका अपराध अवश्य ही होगा । और ईश्वर भी उनके पूर्वपूर्वजन्म में कृत कर्मों के अनुसार ही उन को अनादिकाल से ही यथाकाल उन सब असाधु-कमा में प्रेरित करते हैं । क्योंकि वे ही जीवों के सभी कर्मों का फल देने वाले हैं ।

वेदान्तदर्शन में वादरायण ने भी सिद्धान्तसूत्र कहा है—‘परासु तन्मृतैः’ २।३।४। भाष्यकार शङ्कराचार्य ने पहले यहाँ पर जीवात्मा के कर्तृत्व को उपाधिनिमित्तक तथा अवयवार्थ कहकर समर्थन करने पर भी बाद में उक्त सूत्र के अनुसार उस कर्तृत्व को भी उन्होने ईश्वराधीन कहा है । जीव के किसी भी कर्म में उसका कर्तृत्व स्वाधीन नहीं है । इसलिए उक्त वेदान्त सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार शङ्कराचार्य ने भी स्पष्ट कहा है—‘सर्वास्त्रेव प्रवृत्तिषु ईश्वरो हेतु कर्तेति भूतेरवसीयते । तथाहि श्रुतिर्भवति—‘एष ह्येव साधुकर्म कारयति’— इत्यादि । अर्थात् जीवों के सभी कर्मों में भन्वर्णानो ईश्वर ही प्रयोजक कर्ता है— इस विषय में भ्रुति ही प्रमाण है । अतः वही वास्तव सिद्धान्त है । शङ्कराचार्य ने यहाँ परवर्ती वेदान्तसूत्र के भाष्य में आशङ्कित दोषों के खण्डन के लिए स्पष्ट कहा है कि जीवों का कर्तृत्व ईश्वराधीन होने पर भी जीव उन सभी कर्मों को अवश्य ही करते हैं । अन्यथा ईश्वर उसके करानेवाले अर्थात् प्रयोजककर्ता नहीं हो सकते हैं । अतएव ईश्वर जीवों के पूर्व कर्मों के अनुसार ही अनादिकाल से जीवों से कर्म कराते हैं । जीवों के संसार के अनादि होने से सभी जीवों के सभी जन्मों में ईश्वर पूर्वजन्मकृत कर्मों के अनुसार अन्य कर्मों का प्रयोजककर्ता हो सकते हैं ।

उपर्युक्त वेदान्त सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार शङ्कराचार्य ने यह भी कहा है कि—‘तद्गुणप्रदहेतुकैर्नैव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिर्भवितुमर्हति’ अर्थात् ईश्वर

१. नैव दोषः, परावसेऽपि हि कर्तृत्वे करोत्येव जीवः, कुर्वन्तहि समीश्वरः कारयति । अपि च पूर्वप्रपत्नमपेक्ष्यैदानीं कारयति । पूर्वतरङ्ग्य प्रपत्नमपेक्ष्य पूर्वमकारयदित्यनादित्यात्मसारस्तेत्यनवद्यम्—

(सारौरक भाष्य २।३।४२ ।)

की अनुग्रह के कारण प्राप्त तत्त्वज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि सम्भव है । क्योंकि वह भी श्रुतिसिद्ध वस्तु है ।

साध्य यह है कि ईश्वर जिसको मुक्त करने की इच्छा करते हैं उससे वे ही मुक्ति के सहायक अच्छे कर्म कराते हैं ।—‘एष ह्येव साधु कर्म कारयति’ इत्यादि श्रुतिवाक्य से यह कहा गया है । अतः जीव के ससार की तरह मुक्ति भी उस ईश्वर के अधीन में ही है यह भी उक्त श्रुति वाक्य से सिद्ध होता है । महर्षि गौतम ने भी—‘एष ह्येव साधु कर्म कारयति’ इत्यादि श्रुतिवाक्य के अनुसार ही पूर्वोक्त सिद्धान्त सूत्र में कहा है—‘त कारितत्वात्’ । अतः उक्त वेदान्तसूत्र के द्वारा शङ्कराचार्य ने शेषोक्त जिस सिद्धान्त की व्याख्या की है वह भी गौतम के उक्त सूत्र से सूचित हुआ है—इसमें सन्देह नहीं है । वस्तुतः गौतम के मत में यह चिरप्रसिद्ध है कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही मुक्ति के कारण तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है । माधवाचार्य प्रभृति भी यह कह गये हैं ।^१

बहुत से विद्वान् कहते हैं कि ऋणाद ने अपने द्वारा कथित द्रव्यादि षट् पदार्थों में तथा गौतम ने अपने द्वारा कथित प्रमाणादि सोलह पदार्थों में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है । उन्होंने जिन आत्मा का उल्लेख किया है वह जीवात्मा है । क्योंकि आगे जाकर आत्मनिरूपण में उन्होंने जीवात्मा की ही तत्त्वपरीक्षा की है । इसके उत्तर में सबसे पहले यह कहना है कि गौतम ने प्रमेय पदार्थों में पहले आत्मन् शब्द से जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों का ही उल्लेख किया है और आत्मा के लक्षण सूत्र के द्वारा उन्होंने परमात्मा=ईश्वर का लक्षण भी कहा है । न्यायसूत्र की श्रुति में विष्वक्नाथ आदि ने भी उही प्रकार की ही व्याख्या की है । आगे प्रमेय पदार्थ की व्याख्या में यह कहूँगा । माध्वकार वात्स्यायन किसी कारण से उक्त स्थल में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या नहीं करने पर भी उनके मत में भी ईश्वर भी आत्मा है, वे जीवात्मा से भिन्न ‘परमात्मा’ हैं क्योंकि बाद में वात्स्यायन गौतम के ‘तत्कारितत्वाद्देव’ इस सूत्र के माध्य में गौतममत ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा है—‘गुणविशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः । तत्परमकल्यात् कल्याणराजः’

१ सर्वदर्शनसंग्रह में (अणुवाददर्शन म) गौतममत की व्याख्या करते हुए माधवाचार्य ने भी लिखा है—‘तस्मान् परिशेषान् परमेश्वरानुग्रहनात् स्वप्नादिक्रमेणात्मत्वसाक्षात्कारवत् पुण्यघोरेण्यं तु सनिवृत्तारत्यन्तिकी निश्चयमिति निरूपेत्तम्’ ।

शङ्कराचार्य विरचित ‘सर्वविद्यासंग्रह’ नामक ग्रन्थ में (वैशेषिक पत्र पृ० २१२ । एव नैयायिक पत्र पृ० २२८) दृष्टव्य ।

पपत्तिः' । तात्पर्य यह है कि आत्मा दो प्रकार के होते हैं—जीवात्मा और परमात्मा । ईश्वर आत्मा का ही दूसरा प्रकार है । उसमें भी आत्मत्व है । अतः शास्त्र में उन्हें परमात्मा कहा गया है । वात्स्यायन आगे जाकर वहाँ पर आत्मा का अस्तित्वसाधक ज्ञान जो ईश्वर में भी है, अर्थात् ईश्वर भी ज्ञानात्मक गुण-विशिष्ट आत्मा इसका समर्थन किया है ।

वास्तव में वात्स्यायन के मत में भी ईश्वर भी आत्मा शब्द का वाच्य होने से प्रमेय पदार्थ के विभागमूल में गौतमोक्त आत्मन् शब्द से पूजाक्त द्वितीय आत्मा ही समझने चाहिये । वहाँ पर ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या के लिए अपने मत के अनुसार वात्स्यायन ने और भी जो सब बातें कही हैं उनको भी अवश्य देखना चाहिये ।

इसी प्रकार वैशेषिकदर्शन में महर्षि कणाद ने भी नौ प्रकार के द्रव्य पदार्थों में 'आत्मन्' शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ही उल्लेख किया है । अन्यथा उनके पदार्थों की गणना में न्यूनता होती है अतः वहाँ पर 'उपस्कार' टीकाकार शङ्करमिश्र ने भी वही कहा है एव उन्होंने अपने 'कणाद रहस्य' नामक ग्रन्थ में भी कणादसम्मत आत्मा को व्याख्या करते हुए जीवात्मा और परमात्मारूप दो प्रकार के आत्मा कहकर बाद में प्रमाणों के द्वारा सर्वज्ञ परमात्मा यानी ईश्वर के भी अस्तित्व का समर्थन किया है । प्राचीन वैशेषिक आचार्य प्रशस्तपाद ने भी कणादोक्त पृथिवी आदि नौ प्रकार के द्रव्य पदार्थों का उल्लेख करके आगे जाकर कहा है—'तद्रूपतिरेकेणान्यस्य मज्जानभिधानात्' । अर्थात् सभी पदार्थों के उद्देश्य के लिए प्रवृत्त महर्षि कणाद पूर्वोक्त नौ प्रकार के द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य का नाम नहीं कहने से उनके मत में नौ ही प्रकार के द्रव्यपदार्थ हैं ।

इसीलिए प्रशस्तपाद के मत से भी महर्षि कणाद ने द्रव्य पदार्थ में 'आत्मन्' शब्द से परमात्मा (ईश्वर) को भी लिया है यह स्वीकार करने योग्य है । अन्यथा यह कहना आवश्यक होगा कि प्रशस्तपाद आगे जाकर सृष्टि तथा संहार के कर्ता के रूप में महेश्वर का जो उल्लेख किया है वह उनके मत से कणादोक्त कौन सा पदार्थ है । अतः प्रशस्तपाद की इसी उक्ति का समर्थन करने के लिए न्यायकन्दलीकार श्रीधरमठ ने अन्त में कहा है—'ईश्वरोऽपि बुद्धिगुण-स्वादात्मैव' । अर्थात् बुद्धि या ज्ञान जिनका गुण है वह आत्मन् शब्द का वाच्य अर्थ है, जब नित्य ज्ञानरूप बुद्धि ईश्वर का गुण है तब वह ईश्वर भी आत्मा ही है, वे आत्मा से भिन्न अरज्जातीय कोई द्रव्य नहीं है ।' अतः कणाद के द्रव्य पदार्थ

१. कणाद के द्वारा कहे गये रूप आदि, गुण पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ में ही

के बीच आत्मन् शब्द से ईश्वर भी ए हीत हुये हैं। वास्तव में वैशेषिक संप्रदाय ने भी प्राचीनकाल से ही कणाद के सूत्रानुसार ही सत्ता के निमित्तकारण नित्य तथा सर्वज्ञ ईश्वर का समर्थन किया है। इसी में शारीक भाष्य में शङ्कराचार्य ने भी कहा है—‘तथा वैशेषिकादयोऽपि केचित् कथञ्चित् स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति’—२।२।१७।

ऐसी स्थिति में कणाद तथा गौतम ने आत्मा की तत्त्व की परीक्षा के समय में परमात्मा की भी तत्त्व परीक्षा क्यों नहीं की है ? इसके उत्तर में पहले यही कहना है कि कणाद तथा गौतम ने विस्तार द्वारा स्वकथित सभी पदार्थों की तत्त्वपरीक्षा नहीं की है किन्तु जिन पदार्थों की तत्त्वपरीक्षा की आवश्यकता समझी है, उन्हीं की तत्त्वपरीक्षा की है। दूसरी बात यह है कि उन लोगों के मत से मुमुक्षु के अपने आत्मा का यानी जीवात्मा का साक्षात्कार ही सत्ता के निदानरूप मित्याज्ञान की निवृत्ति करके मुक्ति का साक्षात् कारण होता है।

अतएव वे उसी आत्मसाक्षात्कार के उपाय के रूप में जीवात्मा का श्रुति विहित मनन जिस तरह से करना चाहिए उसीके उपदेश के लिए जीवात्मा को देहात् से भिन्न तथा नित्य है—इसी विषय के लिए विशेष रूप से अनुमानात्मक युक्त दिया गये हैं। अतः वहाँ पर परमात्मा ईश्वर के तत्त्व की परीक्षा नहीं करने पर यह प्रावधानित नहीं होता है कि वे ईश्वर के तत्त्वज्ञान की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते थे।

तीसरा वक्तव्य यह है कि गौतम ने न्यायदर्शन के चतुर्थ अध्याय में पृथक् तीन सूत्रों के द्वारा मक्षेप में ईश्वरतत्त्व की परीक्षा भी की है तथा कणाद ने भी जीवात्मा की परीक्षा से पूर्व ही द्वितीय अध्याय में दूसरे प्रसङ्ग में परमात्मा ईश्वर के बारे में अनुमानप्रमाण दिखाने से उसी के द्वारा सामान्यतः ईश्वर की

रहते हैं यह गुण के लक्षण में कणाद ने स्वयं ही कहा है। उनमें सत्ता, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग तथा विभाग—ये पाँच सामान्य गुण इत्येव मात्र के ही गुण हैं, अतः ईश्वर के भी गुण हैं—यह समझा जाता है। तथा जगत्कर्ता ईश्वर में ज्ञान इच्छा एवं प्रयत्न ये तीन विषय गुण अवश्य हैं। सब रूप आदि बीबीस गुणों में से ईश्वर में आठ गुण रहते हैं यह समझा जाता है। इसीसे कहा गया—महेश्वरोऽष्टौ। किसी प्राचीन संप्रदाय ने ईश्वर में ज्ञान से भिन्न इच्छा तथा प्रयत्न को नहीं मान कर (ईश्वर ५) एकगुण ब्रह्म के। उद्घोषकर तथा श्रोषरभट्ट ने उक्त मत का उल्लेख किया है। किन्तु वाचस्पति मिश्र तथा उदयनाचार्य आदि ने उक्त मत नहीं माना है।

तत्त्वपरीक्षा भी की है। इसीलिए बाद में तृतीय अध्याय में आत्मा की परीक्षा करते हुए उन्होंने केवल जीवामा की ही तत्त्व परीक्षा की है।

अब कणाद ने किस प्रसङ्ग में जैसे इश्वर के विषय में अनुमान प्रमाण प्रदर्शित किया है—यह भी यहाँ सक्षेप में कह रहा हूँ। कणाद ने वायु के अस्तित्व के विषय में अनुमान प्रमाण दिखा कर उसकी 'वायु' इस सश के बारे में प्रमाण प्रकाशित करने के लिए सूत्र कहा है—'तत्त्मादागमिकम्' २।१।१७।

अथात् पूवाक्त प्रकार अनुमान प्रमाण के द्वारा वायु का अस्तित्व सिद्ध होने पर भी उसका नाम भी वायु है—यह सिद्ध नहीं होता है। अतः उसका 'वायु' यह नाम आगमिक है, अर्थात् आगम से सिद्ध है। सारांश यह है कि वेद के बिना किसी स्वतंत्र अनुमानात्मक प्रमाण से 'वायु' यह रुश प्रतीत नहीं होती है। कणाद ने इसके बाद ही दो सूत्र कहे हैं—'सशकर्मत्वादिशिष्टाना लिङ्गम् २।१।१८। प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् सशकर्मण २।१।१९।

प्रथम सूत्र से कणाद ने कहा है कि वायु आदि पदार्थों का जो सशकर्म नामकरण है यह 'अस्मद्विशिष्ट', हम लोगों से विशिष्ट पुरुष का लिङ्ग अर्थात् अस्तित्वसापक है। द्वितीय सूत्र के द्वारा यह समझाने के लिये कणाद ने कहा है कि चूँकि कर्ता के प्रत्यक्ष से किसी वस्तु का सशकर्म यानी नामकरण होता है। तत्पर्य यह है कि उन सभी पदार्थों के प्रत्यक्ष के बिना पहले पहले उनका नामकरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए 'वेदोक्त' वायु आदि अनेक नामों से सिद्ध होता है कि उन नामों के प्रतिपाद्य विषयों का साक्षात्कार करने वाले, पुरुष ने ही इस नाम को बताया है। अतएव जिन्होंने सबसे पहले वेद में इन नामों को बताया उसी बदकवा आदि गुरु की सर्वशता नित्यसिद्धा यह स्वीकारयोग्य है क्योंकि वेद रचना से अन्य किसी उपाय से ही कोई पुरुष सर्वशता लाभ करके वेदोक्त उन सभी नामों को नहीं कर सकता है।

कणाद के पूवाक्त प्रथम सूत्र में—'अस्मादशिष्टाना' इस बहुवचनान्त पद से यह भी प्रतीत हो सकता है कि महेश्वर तथा ब्रह्मा आदि ईश्वर उनके बुद्धिस्य थे। परन्तु कणाद ने पहले कहा है—'तद्वचनादान्नायस्य प्रामाण्यम्'। उदयनाचार्य ने उक्त सूत्र में 'तत्' पद से ईश्वर को ही ग्रहण करके व्याख्या की है—'तेनेश्वरेण प्रणयनात्'।

परन्तु भायस्कन्दकी टीका में (२।१६ पृष्ठ पर) भीषरभट्ट उक्त सूत्र के 'तत्' पद से कणाद का क्या बुद्धिस्य था—यह समझाने के लिए कणाद को शेषोक्त सूत्र कहकर अस्मद्दिशिष्टस्य तु लिङ्गमूये' ऐसा एक सूत्र उद्धृत किया है। वहाँ उनकी व्याख्या से उक्त सूत्र में—'अस्मद्दिशिष्टस्य' यही वास्तव पाठ है यह

समझा जाता है। उक्त सूत्र में एक्यचनान्त ऋषि शब्द के उल्लेख को करना आवश्यक है। इसे समझने में कुछ भी बाधा नहीं है कि उक्त 'ऋषि' शब्द से वेद कर्ता परमेश्वर महर्षि कणाद के बुद्धिरूप हैं। क्योंकि ऋषि शब्द का एक अर्थ वेदायंद्ग्राहक है। परमेश्वर ही सभी वदाया का आदिगुरु तथा सभी के आदिगुरु हैं।

अवश्य प्रचलित वैशेषिकदर्शन में उक्तरूप सूत्र नहीं मिलता है। परन्तु यह भी जानना कारणों से समझा जाता है कि कणाद के बहुत से सूत्र लुप्त हो गये हैं। जो भी हो निष्कर्ष यह है कि कणाद किसी सूत्र में सगत्कर्ता ईश्वर का नामविशेष का उल्लेख न करने पर भी उससे यह प्रतिपादित नहीं होता है कि उन्होंने ईश्वर के विषय में कोई बातें नहीं कही है। क्योंकि ईश्वर के विषय में अनुमान प्रमाण दिखाने पर उसमें ईश्वर का नाम नहीं कहा जा सकता है। सर्वज्ञत्व अथवा वदकर्तृत्व आदि रूप में ही ईश्वर का अनुमान हो सकता है। इसीलिए कणाद ने पूर्वाक्ष रूप से अनुमान प्रमाण प्रदर्शित किया है। महर्षि वत्साल ने भी योगदर्शन में—'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबोजम्'। १।२५। इस सूत्र से अपने मत के अनुसार नित्य सर्वज्ञ ईश्वर का अस्तित्वसाधक अनुमान प्रमाण ही प्रदर्शित किया है। किन्तु उसके द्वारा उस ईश्वर का नाम तथा अन्यान्य समूचे तत्वों की विशेष जानकारी नहीं होती है। इसलिए भाष्यकार व्यासदेव ने वहाँ पर कहा है—'तस्य सहादिविशेषप्रतिपत्तिरागमत पर्यन्नेभ्या'। यानी उस ईश्वरका नाम तथा अन्यान्य तत्व वेद आदि शास्त्रों से जानने चादिये। वैशेषिक दर्शनके पूर्वाक्ष स्थल में कणाद का भी उक्तरूप तात्पर्य समझा जाता है। किन्तु वहाँ बाद में कणाद का—'तस्मादागमिकम्' इस पूर्वाक्ष सूत्र की अनुवृत्ति समझ के कणाद ने वासु की तरह ईश्वर के नाम आदि भी आगमिक होने के कारण वेद आदि शास्त्रों से ही उल्लेख जानने को कहा है—यह भी अवश्य ही समझा जाता है। सूत्रग्रन्थ में किसी किसी स्थल में पूर्वकथित सूत्र की भी आगे अनुवृत्ति सूत्रकार को अभिमत रहती है तथा सूत्रकार ऋषि आदियों के स्वत्या-हारसूत्र से बहुत से अर्थ सूचित होते हैं। अतएव उसका नाम सूत्र है।^१

यह भी जानना आवश्यक है कि किसी शास्त्रकार ने शास्त्रान्तरोक्त बिना मठों का लण्डन नहीं किया है या जो मत उनके मत के अविरोध है वह उनका अपना

१ श्रीमद्वाचस्पतिमिश्र ने लिखा है—'मूत्रञ्च बहुपदमनाद्भवति । यथाह—लघुनि सूचितादानि स्वत्साधारणानि च । सवन सारभूतानि मूनाप्याहुर्मनीषिणः' । इति 'सामती' १।१।१ ।

भी अभिमत है—यह 'अनुमत' नामक तन्त्रयुक्ति से शात होता है। सुश्रुत-सहिता के उत्तरतन्त्र में तन्त्रयुक्ति अर्थात् में बत्तीस प्रकार की तन्त्रयुक्ति तथा उनके उदाहरण कहे गये हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अन्त में भी उन सभी तन्त्रयुक्तियों का उल्लेख देखा जाता है। उनमें एक का नाम 'अनुमत' है। न्यायदर्शन के चतुर्थ सूत्र के भाष्य के अन्त में वात्स्यायन ने भी कहा है—'परमतमप्रतिपिद्धमनुमतमिति हि तन्त्रयुक्ति'। अतएव अगर्कर्ता नित्य सर्वश ईश्वर कणाद का भी सम्मत है—यह पूर्वाक्त तन्त्रयुक्ति के द्वारा भी शात होता है।

कणाद तथा गौतम के मतानुसार यह ईश्वर नित्यज्ञान तथा आनन्दस्वरूप एव वस्तुतः निर्गुण है—यह नहीं समझा जाता है। क्योंकि कणाद के मत से ईश्वर द्रव्य पदार्थ के अन्तर्गत है, अतएव सगुण है। ज्ञान आत्मा का ही गुण है—यह गौतम ने विचारपूर्वक समर्थित किया है, अतएव प्रतीत होता है कि उनके मतानुसार भी परमात्मा भी नित्यज्ञानस्वरूप नहीं है। किन्तु नित्यज्ञान उसका गुण है। सृष्टि तथा संहार के कर्ता एक वे ही सर्वदा सर्वविषयक प्रत्यक्षरूप नित्यज्ञान का आशय है—इसी अर्थ में वे नित्य सर्वश है।

गौतममत की व्याख्या करते समय भाष्यकार वात्स्यायन ने भी कहा है कि ज्ञान आदि गुण से रहित ईश्वर किसी प्रमाण का ही विषय न होने से उस प्रकार के ईश्वर को कोई भी उपपादित नहीं कर सकते हैं। अर्थात् प्रमाण के अभाव में निर्गुण तथा निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध ही नहीं होता है।

परन्तु सर्वविषयक शास्त्र से भी यहां समझा जाता है कि ईश्वर सर्व-विषयक ज्ञान का आशय है यानी नित्यज्ञान ही उनका गुण है। वात्स्यायन का तात्पर्य यह है कि—'य सर्वशः स सर्ववित् यस्य ज्ञानमयन्तप' (मुण्डक १।१।९)। इस भूतिवाक्य से शात होता है कि ईश्वर सामान्यतः तथा विशेषतः सर्वविषयक नित्यज्ञान का आशय है। परन्तु वासुपुराण के बारहवें अध्याय में भी महेश्वर के छ अङ्गों का वर्णन के पसग में सर्वशता को उनके परला अङ्ग कहा गया है तथा ज्ञान आदि दस अव्यय पदार्थ को सर्वदा उनमें वर्तमान है—

१ षडदशानसमुच्चय में नैयायिकमत की व्याख्या के आरम्भ में जैन पण्डित हरिभद्र सूरि ने भी कहा है—'अक्षपादमते देव सृष्टिसंहारकृष्टिवः। विमुनित्यैकसवज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः।' उक्त श्लोक के अक्षपाद शब्द का अर्थ अक्षपादमतावलम्बी नैयायिक। हेमचन्द्र सूरि ने—'नैयायिकश्चाक्षपाद' (अभिधानचिन्तामणि ग्रन्थ में कहा है)।

यह भी आगे कहा गया है। योगदर्शनभाष्य की (१।२५) टीका में श्रीमद्वाचस्पतिमिश्र ने भी वायुपुराण के वे सब वचन उद्धृत किये हैं। ईश्वर का वह ज्ञान एक गुण भी अव्यय या नि य है। अतः वायुपुराण में कहा गया है—'अव्ययानि दशैतानि नि य तिष्ठन्ति शङ्करे'।

विष्णुपुराण में कहा गया है कि—'सत्त्वादयो न सन्तीदो यत्र च प्राकृता गुणा' (१।९।४३) इससे ज्ञात होता है कि सत्त्व, रजस्तथा तमस ये तीनों गुण तथा दूसरे कोई प्राकृत गुण परमेश्वर में नहीं हैं। रामानुज प्रभृति वैष्णवाचार्यों ने भी परमेश्वर के विषय में शास्त्रोक्त निर्गुणवाद का उत्तरूप अर्थ ही किया है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में—'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इस वाक्य में तथा शास्त्र में अन्यत्र भी निर्गुण प्रभृति शब्द का उक्त रूप अर्थ ही समझना चाहिये।

यथार्थ में गुण का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। सत्त्व, रज तथा तम—ये नामत्रय शास्त्रोक्त त्रिगुण तथा 'गुण' शब्द का सुप्रसिद्ध अर्थ है। कोपकार अमरसिंह ने कहा है—'गुणा सत्त्व रजस्तम'। यद्यपि परमेश्वर उक्त तीनों गुणों से रहित है, तथापि त्रिगुणात्मिका प्रकृति की अपेक्षा करके उसके अनुसार ही ईश्वर सृष्टि आदि का विधान करता है। नय नैयायिक के गुरु गङ्गेश उपाध्याय ने भी तत्त्वचिन्तामणि के मङ्गलधरण श्लोक में प्रारम्भ में कहा है—'गुणातीतोऽपीशत्रिगुणसत्त्वस्वप्नधरमय'। वहाँ पर 'रहस्य टीकाकार मधुरानाथ तर्कवागीश ने कहा है—'सत्त्वादयश्च न्यायनये सृष्टिस्थितिप्रलयोत्पादका अदृष्टमेव एवेति नाप्रसिद्धिः'। अर्थात् नैयायिक संप्रदाय के मत से सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के जनक जीवगत अदृष्टविशेष ही शास्त्र में सत्त्व, रज तथा तम इन तीन नामों से कहा गया है परमेश्वर में उनके न रहने से वे गुणातीत या निर्गुण कहे गये हैं। गङ्गेश के पूर्ववर्ती उदयनाचार्य के कथन से भी प्रतीत होता है कि नैयायिक संप्रदाय के मत से भी सभी जीवों की अदृष्टसमष्टि ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और वह माया तथा अविद्या शब्द से कही गयी है।^१

जो भी हो, मौलिक बात यह है कि मरिचि कणाद तथा गौतम के मत से परमेश्वर नित्यज्ञान का आशय है।

१ श्यामकुमुमाञ्जलि प्रथमस्तबक के अठितम श्लोक में महानैयायिक उदयनाचार्य ने कहा है कि जीवगत के विचित्र जो सब अदृष्ट हैं वे सृष्टि आदि-काम में परमेश्वर का सहकारी कारणरूप शक्तिविशेष ही वह अति दुर्गम

यह अवश्य सत्य है कि श्रुति ने कहा है—'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' । किन्तु कयाद तथा गौतम के मतानुसार ज्ञान और आनन्द विरुद्ध स्वभाव के पदार्थ होने के कारण जो ज्ञानात्मक है वह आनन्दात्मक नहीं हो सकता । साख्य ने स्पष्ट कहा है—'नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्वयो विरोधात्' दुःख निवृत्तेशोणः (५।६७) अर्थात् आत्मा निरवच्छिन्नदुःखाभावविशिष्ट है—इस अर्थ में ही उसमें आनन्द शब्द का गौण प्रयोग हुआ है । किन्तु आत्मा आनन्द स्वरूप भी नहीं है और उसमें आनन्दरूप गुण भी नहीं है ।

आत्मा का सगुणत्ववादी न्यायवैशेषिकसंप्रदाय के बहुत से ग्रन्थकारों ने भी—'विज्ञानमानन्दम् ब्रह्म' इस श्रुतिवाक्य में "आनन्दम्" इस नपुंसक लिङ्ग के प्रयोग से ब्रह्म आनन्दविशिष्ट है (आनन्द स्वरूप नहीं है) तथा उनका यह आनन्द भी निरवच्छिन्न नित्यदुःखाभावरूप है—यह कहा है । परन्तु नैयायिकों के गुरु उदयनाचार्य ने कुसुमाञ्जलि के अन्त में द्वितीय श्लोक में परमेश्वर को 'आनन्दनिधि' कहा है ।

न्यायमञ्जरीकार अयन्तमट्ट ने समर्थन किया है कि परमेश्वर नित्यसुखविशिष्ट है । बाद में नव्यनैयायिक रघुनाथ शिरोमणि ने भी वही स्वीकार किया है तथा उन्होंने अपनी 'दीर्घति' के मङ्गलाचरण में भी कहा है—'अखण्डानन्द बोधाय पूर्णाय परमात्मने ।'

होने से शास्त्र में 'माया' शब्द से मुख्य या प्रधान कारण होने से 'प्रकृति' शब्दसे तथा तत्त्वज्ञानात्मक विद्या से गृह्य होने के कारण 'अविद्या' शब्द से भी कहा गया है । किन्तु विष्णुपुराण में भी कहा गया है—'अविद्या कर्म सज्ञाज्या तृतीया शक्ति रित्यने' । (६।७।६१) अर्थात् कर्ता या जीव अदृष्ट रूप जो अविद्या यह ईश्वर की तीसरी शक्ति है । यद्यप्यतः शास्त्रों में माया, प्रकृति तथा अविद्या शब्दों का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है । परमेश्वर की जो अघटनघटनपटीयती इच्छाशक्ति है, वह भी माया शब्द से कही गयी है । उदयनाचार्य आदि के मत से उसी का नाम 'आत्ममाया' है । परमेश्वर जीव की अदृष्टसमष्टिरूप 'गुणमाया' का अधिष्ठाता है—इस अर्थ में भी श्रुति ने उसे 'मायी' कहा है, तस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्' -मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायितन्तु महेश्वरम्' । (श्वेताश्वतर उपनिषद्)

२ रघुनाथ शिरोमणि का उक्त कथन उद्धृत करके किसी ने अनेक बार उनको अद्वैतमतानुरागी कहकर समर्थन किया है । पश्चात् उन्होंने "अद्वैत सिद्धि" की अपनी भूमिका (पृ० १९५) में लिखा है कि जगदीश अद्वैतयो

उदयनाशाय से पहले सर्वतन्त्रस्वतन्त्र याचस्पतिभिन्न ने नैयायिक के मत का समर्थन करते हुए अपनी न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका में (चतुर्थ अध्याय द्वितीय आह्निक के प्रारम्भ में) लिखा है—'विज्ञानमानन्द ब्रह्मेव श्रुतिरानन्दचैतन्यशक्त्यभिप्राया' । अर्थात् इस मत में परब्रह्म विज्ञान तथा आनन्द स्वरूप नहीं हैं किन्तु वे चैतन्यशक्तिविशिष्ट तथा नित्य आनन्द शक्तिविशिष्ट है यही उस श्रुतिवाक्य का तात्पर्य है । परमेश्वर की स्वाभाविक अनन्त शक्तियों में उनकी चैतन्यशक्ति तथा आनन्दशक्ति ही प्रधान हैं—इसी को प्रकाशित करने के लिये श्रुति उनके स्वरूप का वर्णन करती हुई पूर्वोक्त तात्पर्य से कहा है—'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' । इस मत में परमेश्वर की स्वाभाविक चैतन्यशक्ति के बिना जीवों की कभी भी कोई आनन्द उदरन्न नहीं हो सकता है । अतः इसी तात्पर्य से उक्त तैत्तिरीय उपनिषद् में ही कहा गया है—'को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेव आनन्दो न स्यात् एव ह्येवानन्दपति' । परमेश्वर की स्वाभाविक परिपूर्ण चैतन्यशक्ति ही शास्त्र में चिच्छक्ति नाम से तथा उनका वही परिपूर्ण आनन्दशक्ति ही हादिनी शक्ति नाम से कही गई है । परन्तु वे ही उस शक्ति का एकमात्र आधार हैं । अतः उसी तात्पर्य में वे 'चिन्मय' 'आनन्दमय' तथा 'रस' आदि नामों से शास्त्रों में कहे गये हैं ।

किन्तु शास्त्र में अनेक स्थलों में उनकी उसी शक्ति का प्राधान्यविवक्षावशात् और बहुत स्थलों में उस शक्तिमान् का ही प्राधान्यविवक्षावशात् तथा शक्ति और शक्तिमान् में अनेकविवक्षावशात् उस प्रकार का वर्णन किया गया है—यह भी प्रणिधानपूर्वक समझना आवश्यक है ।

यथार्थ में परमेश्वर का स्वरूप अतीव दुर्ज्ञेय है । वेद आदि शास्त्रों में उसे मन तथा वचन का अगोचर कहकर तथा उनमें नाना विरोधी भावों के वर्णन

नैयायिक होते हुए भी अद्वैतवेदान्त के अनुरागी थे । क्योंकि शिरोमणि वे—'असङ्गानन्दबोधाय' पद की अद्वैतपरक व्याख्या ही उन्होंने की है । किन्तु यह बात सचदा मिस्या है क्योंकि टीकाकार जगदीश न शिरोमणि की उम उक्ति की व्याख्या की है—'असङ्गो नित्यो आनन्दबोधो यस्य तस्मै ।' तथा 'शुभाय' शिरोमणि ने स्वयं ही आरम्भतत्त्वविवेक टीका की वे अन्त में—'विज्ञानमानन्द ब्रह्म इमं श्रुतिवाक्य से सर्वज्ञ परमेश्वर में नित्यज्ञान तथा नित्य आनन्द का ही समर्थन किया है—इसको देखना भी आवश्यक है । अतएव उक्त मङ्गलाचरण श्लोक में—'असङ्गानन्दबोधाय' इति विशेषण पद में त्रिसम नित्य आनन्द तथा नित्यज्ञान है—इस अर्थ में बहुव्रीहि समास ही उक्तका अभिप्रेत है—यह समझा जाता है ।

से उनकी वह अत्यन्त दुर्ज्ञेयता ही व्यक्त की गयी है। कितने साधकों ने कितने प्रकारों से उनका ध्यान आदि करके अवस्थाविशेष में कितने प्रकारों से उनका दर्शन किया है और बहुतों ने उस रूप से ही उनकी स्तुति भी की है—उसका वर्णन करना असम्भव है। कितने साधकों ने अपने आचार्यों के उपदेशानुसार उसको अद्वितीय ज्ञानरूप समझकर ध्यान करने के समय पर उनका उसी ज्ञानरूप में ही दर्शन करके उसी रूप से ही उनकी स्तुति की है। विष्णुपुराण (१।४) में सनन्दन की उसी रूप की स्तुति वर्णित हुई है।

इसी तरह अपने आचार्यों के उपदेशानुसार कितने साधकों ने उनको नित्यज्ञान आभय समझकर भी ध्यान आदि किये हैं—इसमें सन्देह नहीं है। माधवाचार्य ने भी सर्वदर्शनसंग्रह के प्रारम्भ में उनको नमस्कार करते हुए कहा है—‘नित्यज्ञानाभय बन्दे नि श्रेयसनिधि शिवम्’, भी भगवान् ने कहा है—

‘ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति वेचिदात्मानमात्मना ।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥’

(गीता १३।२४)

परन्तु दूसरे बहुत से व्यक्ति उक्त ध्यानयोग आदि नहीं जानकर अपरापर गुरुओं से अपने अधिकार के अनुसार ध्यान आदि का उपदेश सुनकर उसी रूप से ही उपास्यदेव की उपासना करते हैं। वे भी गुरुओं के उपदेश में दृष्ट भ्रमा एव उस उपास्य देव में पराभक्ति के प्रभाव से समय पर उनका दर्शन पाकर ज्ञानलाभ तथा मुक्तिलाभ करते हैं। अतएव भगवान् ने बाद में कहा है—

‘अन्ये त्वेवमजानन्तः भुत्वाऽन्देभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्देव मृत्युं भुतिपरायणाः ॥’

(गीता १३।२५)

तथा करुणामय उन्होंने ही कहा है—‘ये यथा मा प्रपद्यन्ते तस्मिन्मैव भजान्-भ्यश्मू’ (गीता ४।११)। अतः जिस किसी प्रकार से ही उनका शरणागत होकर उनके पास आत्मसमर्पण करने पर ही वे तब अपने वास्तव स्वरूप का दर्शन कराते हैं। उन्हें जो प्राप्त करने के लिये नाना साधकों ने नाना मार्गों से यात्रा की है। क्योंकि मनुष्यों की रुचिविचित्रता के कारण ही सभी मार्गों में सभी की रुचि तथा अधिकार सम्भव नहीं होता है। किन्तु वर्षाकाल में सरल तथा झुट्टि पथों से बहते हुये सभी पानी भिन्न-भिन्न पथ से जाते हुये भी जिस तरह अन्त में एक ही महासमुद्र को ही प्राप्त करने हैं उसी तरह से साधकगण अपनी विविध रुचि के अनुसार आचार्यों के उपदेश से वेद आदि शास्त्रों में कहे गये

भिन्न भिन्न मतों को श्रेष्ठ समझकर अवलम्बन करने पर भी समय पर उसी परमेश्वर में परामर्श के प्रभाव से सभी एक उन्हीं को प्राप्त करते हैं। उनका परम भक्त गन्धर्वराज पुष्पदन्त उन्हीं की कृपा से उसी महासत्य की उपस्थिति करके अपने महिम्न स्तोत्र में उनसे उपर्युक्त बात भी कहा है। अन्त में हम लोग भी उसी बात को ही कहते हैं, हे महेश्वर—

‘त्रयी साख्य योग पशुपतिमत वैष्णवमिति
प्राभन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथमिति च ।
रुचीना वैचित्र्याद्भुक्तिलनानापरधनुषां
शृणामेको गम्पस्त्वमसि पयसामर्णव इव’ ॥

प्रथम खण्ड समाप्त ।



ग्यारहवाँ अध्याय

(न्यायदर्शन में प्रमाण पदार्थ की व्याख्या)

इस ग्रन्थ के दशवें अध्याय तक प्रथम खण्ड में प्रधानतः न्यायवैशेषिक संप्रदाय के मत के अनुसार अनेक दार्शनिक सिद्धान्त यथामति विचारपूर्वक व्याख्यात हुए हैं। अब द्वितीय खण्ड में न्यायदर्शन के प्रतिपाद्य प्रमाण आदि सोलह पदार्थों का परिचय का प्रकाश करणीय है। महर्षि गौतम ने पदला सूत्र कहा है—‘प्रमाण प्रमेय-सशय प्रयोजन-दृष्टान्त सिद्धान्तावयव-तर्क-निर्णयवाद-जल्य-वितण्डा-हेत्याभासच्छलजातिनिप्रदृश्यानाना तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः १।१।१। अर्थान् (१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) सशय, (४) प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धान्त, (७) अवयव, (८) तर्क, (९) निर्णय, (१०) वाद, (११) जल्य (१२) वितण्डा, (१३) हेत्याभास, (१४) छल, (१५) जाति तथा (१६) निप्रदृश्याना के (उक्त सोलह प्रकार पदार्थों के) तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस प्राप्त होता है।

यहाँ पहले यह कहना आवश्यक है कि बहुतों की यह धारणा है कि महर्षि गौतम प्रमाण आदि सोलह पदार्थों को ही मानते हैं यानी उनके मत में और कोई पदार्थ नहीं है। किन्तु महर्षि गौतम ने उक्त प्रथम सूत्र में अपने सम्मत पदार्थों की संख्या का नियम प्रकाशित नहीं किया है। उनके मत से जो किसी प्रमाण से सिद्ध होता है वही सामान्यतः पदार्थ रूप प्रमेय हैं, अतः नैयायिक संप्रदाय अनियतपदार्थवादी के रूप से कहे गये हैं। न्यायलीलावती ग्रन्थ में (१२२ पृ० में) बल्लभाचार्य ने भी कहा है—‘नैयायिकानामनियतपदार्थवादित्त्वेन विरोधाभावात्’। वास्तव में कणाद के द्वारा उक्त द्रव्य आदि पदार्थ एवं अभाव पदार्थ भी गौतम का सम्मत है। आगे प्रमेय पदार्थ की व्याख्या में यह स्पष्ट होगा। किन्तु निःश्रेयस लाभ के लिये प्रमाण आदि सोलह उपयोगी प्रकार के पदार्थ ही न्यायदर्शन के प्रतिपाद्य हैं। अतएव न्यायदर्शन के वक्ता महर्षि गौतम ने पहले सूत्र में उक्त प्रमाण आदि पदार्थों का ही उल्लेख किया है और कोई पदार्थ नहीं है यह उक्त सूत्र से उनका विवक्षित ही नहीं है।

पहले प्रतिपाद्य पदार्थ का नाम नहीं कहने से उसका निरूपण संभव नहीं है। प्रतिपाद्य पदार्थ के सामान्य नाम तथा विशेष नाम का कथन उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के बाद उस उद्दिष्ट पदार्थ का लक्षण और पश्चात् उस लक्षणानुसार सन्दिग्ध विषय में विचारात्मक परीक्षा के द्वारा तत्त्वनिर्णय

करना चाहिये। अतः न्यायदर्शन की प्रवृत्ति या उपदेश का तीन प्रकार है—(१) उद्देश, (२) लक्षण तथा (३) परीक्षा। न्यायदर्शन के प्रतिपाद्य पदायों में द्वितीय प्रमेय पदार्थ सर्वश्रेष्ठ होने पर भी प्रमाण पदार्थ ही सब पदायों का व्यवस्थापक है। क्योंकि प्रमाण के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। इसी से महर्षि गौतम ने प्रथम सूत्र में पहले प्रमाण पदार्थ का ही उद्देश किया है। पश्चात् उक्त प्रमाण पदार्थ के विशेष निरूपण के लिये उसका विभाग करने के हेतु तीसरा सूत्र कहा है—‘प्रत्ययानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि’। (१) प्रत्यय, (२) अनुमान, (३) उपमान, तथा (४) शब्द प्रमाण हैं, अर्थात् प्रत्यय आदि नाम से प्रमाण चार प्रकार के हैं, किन्तु प्रमाण वैसे कहते हैं यानी प्रमाण का सामान्य लक्षण क्या है? इसको पहले न समझने पर प्रमाण का विशेष लक्षण नहीं समझा जाता है, सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान सम्भव नहीं है। अतएव प्रश्न उठता है कि महर्षि गौतम ने उनसे द्वारा उद्दिष्ट ‘प्रमाण’ पदार्थ को सामान्य लक्षण नहीं कहकर पहले ही उसका विभाग क्यों किया है ?

भाष्यकार आदि की व्याख्या से पूर्वोक्त अर्थ का उत्तर समझा जाता है कि उक्त तृतीय सूत्र में शेषोक्त प्रमाण शब्द के द्वारा ही प्रमाण का सामान्य लक्षण सूचित होने से सूत्रकार ने यहाँ पृथक् रूप से प्रमाण का सामान्य लक्षण सूत्र नहीं कहा है। उक्त एक ही सूत्र से प्रमाण का सामान्य लक्षण एवं चतुर्विधत्व उनका विवक्षित, न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्ट ने यह स्पष्टरूप से कहा है—

‘एकेनानेन सूत्रेण द्वयञ्चाह महामुनि ।

प्रमाणेषु चतुः सकृद्यं तथा सामान्यलक्षणम् ॥’

उक्त प्रमाण शब्द वस्तुतः प्र पूर्वक ‘मा’ घातु से करण वाच्य में ‘ल्युट’ प्रत्यय से सिद्ध है। प्र पूर्वक मा घातु का अर्थ है—प्रकृत ज्ञान। यह प्रकृत ज्ञान दो प्रकार का है—अनुभूति और स्मृति। परन्तु स्मृति का कारण अनुभूति को स्मृत विषय में अल्प प्रमाण कहना अनावश्यक है। क्योंकि उस स्मृत विषय में उसका पूर्वानुभूति का कारण ही प्रमाण है। किसी विषय में किसी प्रमाण से उत्पन्न पूर्वानुभूति के बिना बाद में उसकी स्मृति नहीं हो सकती। अतः उक्त स्थल में प्र पूर्वक मा घातु से प्रकृत अनुभूति ग्रहणीय है। अतः प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति से प्रकृत अनुभव का कारण समझा जाता है। यानी जिससे जिस विषय की यथार्थ अनुभूति होती है वही उस विषय में प्रमाण पदार्थ है। अतः यथार्थ अनुभव का करणत्व ही प्रमाण का सामान्य लक्षण है, यह उक्त

सूत्र के प्रमाण शब्द से सूचित हुआ है। गौतम के मतानुसार अनुमृति चार प्रकार का है। अतः उन्होंने कहा है—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमिति, (३) उपमिति तथा (४) शब्दबोध—

‘प्रत्यक्षानुमानोरमानशब्दाः प्रमाणानि’ ।

प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता के बिना किसी प्रमाण की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है। इसी से महर्षि गौतम ने प्रमाण के विभाग में पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का ही उद्देश्य करके शब्द में उसका लक्षणार्थ कहा है—‘इन्द्रियार्थसन्निकषात्स्वन्न ज्ञानमप्यवदेश्यमव्यभिचारि व्यरसायात्मक प्रत्यक्षम् १।१।४ ।

उक्त सूत्र के इन्द्रिय शब्द से घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र तथा मन ये छ इन्द्रियों समझनी चाहिये। अर्थ शब्द से उन सब इन्द्रियों का ग्राह्य अलग अलग विषय समझना चाहिये। इन्द्रिय के द्वारा ग्रहणीय विषय के साथ उसके इन्द्रियग्राहकविशेष का जो सन्निकर्षसम्बन्धावशेष वही इन्द्रियार्थसन्निकर्ष है। उक्त इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से जो अव्यभिचारी ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। गौतम ने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण ही कहा है कि जो प्रमाण ज्ञान का कारण है वही प्रमाण है—यह पहले प्रमाण शब्द से सूचित होने से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कहने से ही प्रत्यक्ष प्रमाण का चरम कारण होने से वही मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण समझा जाता है।

माध्यक्षार वास्त्यायन आदि प्राचीन आचार्या के मत से कार्य का जो चरम कारण नहीं मुख्य कारण है। अतएव इन्द्रियार्थसन्निकर्ष ही पूर्वाक्त प्रत्यक्ष प्रमाण है तथा वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही हानबुद्धि, उपादानबुद्धि एवं उपेक्षाबुद्धि का चरम कारण होने से वह भी प्रमाण है। क्योंकि किसी विषय के यथार्थ प्रत्यक्ष हो जाने के बाद उस विषय को त्याग्य के रूप से समझने पर त्याग करता है, ग्राह्य समझनेपर ग्रहण करता है तथा उपेक्ष्य समझने पर उपेक्षा करता है। जिम बुद्धि के द्वारा त्याग देता है उसका नाम हानबुद्धि है। जिम बुद्धि के द्वारा उपादान या ग्रहण करता है उसका नाम उपादानबुद्धि है तथा जिम बुद्धि से उपेक्षा करता है उसका नाम उपेक्षाबुद्धि है। पूर्वोक्त ज्ञानादि बुद्धि ही प्रमाण का चरम फल है। अतः उसका कारण जो प्रमात्मक ज्ञान है वह भी प्रमाण के रूप से स्वीकरणीय है। बहूतों के मत से महर्षि गौतम ने उसी तार्क्य से उक्त सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण को ही चरम प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में व्यक्त किया है। अवश्य मार्चन नैयायक मन्त्राय ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रयोजक इन्द्रिय का ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है, किन्तु उन लोगों के मतानुसार उस प्रत्यक्ष प्रमाण का चरम कारण जो इन्द्रियार्थसन्निकर्ष तथा उससे होने वाले जो प्रत्यक्ष प्रमाण वही मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है।

गगेश उपाध्याय आदि अनेक नव्यनैयायिकों ने पश्चात् विचारपूर्वक यहाँ कहा है कि जो किसी व्यापार के द्वारा कार्य को उत्पन्न करता है वही कारणों के बीच कारण नाम का कारण है। परन्तु जो कारण किसी व्यापार की अपेक्षा नहीं करके कार्य को उत्पन्न करता है वह व्यापाररहित चरम कारण कारण नहीं है। अतएव विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध विरोधरूप जो इन्द्रियाथसन्निकर्ष वर प्रत्यक्ष प्रमा का कारण नहीं होने से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। किन्तु वही इन्द्रिय वही पर प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि पुरातन इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष उक्त इन्द्रिय का व्यापार है उसके द्वारा वही इन्द्रिय उस प्रत्यक्ष का कारण होता है। अत 'चक्षुषा पश्यति' 'घ्राणेन जिघ्रति' इत्यादि प्रयोग में चक्षुरादि इन्द्रिय ही दर्शन आदि प्रत्यक्ष के कारण के रूप में कहे जाते हैं। क्योंकि जिसके व्यापार के बाद क्रिया की निष्पत्ति विवक्षित है वही कारण है। वाक्यपदीय ग्रन्थ में शाब्दिकशिरोमणि मतृहरि ने भी कहा है—'क्रियाया परिनिष्पत्ति यद्व्यापारादनन्तरम्। विवक्षयते तदा तत्र कारण तत् प्रकीर्तितम्।

मन के साथ आत्मा का बिल्क्षण संयोग तथा उस इन्द्रियविरोध के साथ मन का संयोग और उस ग्राह्य विषय के साथ उस इन्द्रिय का संयोग आदि सम्बन्ध रूप कोई सन्निकर्ष अन्यप्रत्यक्ष का कारण है। और भी बहुत से साधारण कारण है। परन्तु उनमें ग्राह्य विषय के साथ इन्द्रिय के सन्निकर्ष को ही विरोध कारण के रूप से लेकर गौतम ने पूर्वोक्त सूत्र में अन्य प्रत्यक्ष का लक्षण प्रकाशित करने के लिये कहा है—'इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानम्' इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य गुण, क्रिया तथा जाति आदि पदाया के साथ इन्द्रिय का ज्ञान संयोग रूप सम्बन्ध नहीं सम्भव है। अतः उक्त सूत्र में गौतम ने संयोग शब्द का प्रयोग नहीं करके सन्निकर्ष शब्द का प्रयोग किया है। उसके द्वारा संयोग सम्बन्ध के सापेक्ष अन्यान्य संबन्धविरोध भा गृहीत हुए हैं। अर्थात् इन्द्रियग्राह्य विषय के साथ उस इन्द्रिय का जिस स्थान में जिस तरह का सम्बन्ध उस प्रत्यक्ष का जनक होता है वही उक्त स्थलों में इन्द्रियाथ सन्निकर्ष शब्द

१ महर्षि कणाद ने गुण पदार्थों में संयोग का उल्लेख किया है और द्रव्य पदार्थ ही गुण का धारण कहा है और उनके बाद गुण और क्रिया को निगुण कहा है। अत उक्त मत के अनुसार में गुण आदि पदार्थ में संयोग रूप गुण सम्भव नहीं होता है। द्रव्य पदार्थ में ही क्रम द्रव्य का संयोगरूप गुण उत्पन्न होता है।

(वेदवैदिकदशमं अ० १।६ १५ १६ १७ मुक्तों की देखिए)

से रहित हुआ है। प्राचीन न्यायाचार्य उचोतकर ने लौकिक प्रत्यक्ष के बनक उक्त लौकिक सन्निकर्ष को छः प्रकार का कहा है यथा—(१) सयोग, (२) सयुक्त समवाय, (३) सयुक्त समवेत समवाय, (४) समवाय, (५) समवेत समवाय, (६) और विशेषण विशेष्य भाव।

ब्रह्मिन्द्रियों में से चक्षुरिन्द्रिय तथा त्वग्निन्द्रिय के द्वारा ही द्रव्य विशेष का प्रत्यक्ष होता है। उस प्रत्यक्ष में उस द्रव्य विशेष के साथ चक्षुरिन्द्रिय तथा त्वग्निन्द्रिय का सयोग सम्बन्ध ही यथाक्रम उस द्रव्य का चाक्षुष तथा त्वाच-प्रत्यक्ष का कारण इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष है। कणाद तथा गौतम के मत में चक्षुरिन्द्रिय तेजस पदार्थ है। प्रदीप की तरह उसकी प्रभा या रश्मि है। नही रश्मि बाहर होकर उसे ग्राह्य विषय के साथ सयुक्त होने पर उसके द्वारा उसके साथ चक्षुरिन्द्रिय का सयोग रूप सन्निकर्ष उत्पन्न होता है।

अन्वान्य ब्रह्मिन्द्रिय अन्दर स्थान में रहकर ही उसके ग्राह्य विषय के साथ सन्निकृष्ट होते हैं। आगे जाकर प्रमेय पदार्थों की व्याख्या में इस विषय में गौतम का सिद्धान्त कहेंगा। चक्षुरिन्द्रिय से जैसे घट का प्रत्यक्ष होता है उसी तरह से उस घट में रहने वाले रूप और उस रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का भी प्रत्यक्ष होता है। किन्तु उस रूप आदि के साथ चक्षुरिन्द्रिय का सयोगरूप सम्बन्ध सम्भव न होने से सयुक्त समवाय नाम का द्वितीय प्रकार का तथा सयुक्त समवेत समवाय नाम का तृतीय प्रकार का सन्निकर्ष स्वीकृत हुए हैं। कणाद के द्वारा कहा गया समवाय नाम का सम्बन्ध गौतम को भी सम्भन है। घट का रूप उस घट में समवाय सम्बन्ध से रहता है और उस रूप में रूपत्व जाति एव नीलत्व पीतत्व आदि जाति विशेष भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। इस मत में घट का रूप उस घट से भिन्न वस्तु है और रूपत्व आदि जाति भी उस रूप से भिन्न पदार्थ है। अतः चक्षु से सयुक्त घट के साथ उसके रूप का और उस रूप के साथ रूपत्व आदि जाति का तादात्म्य सम्बन्ध सम्भव न होने से रूप के प्रत्यक्ष में चक्षु सयुक्त तादात्म्य को एव रूपत्व आदि जाति के प्रत्यक्ष में चक्षु-सयुक्त तादात्म्य विशिष्ट के तादात्म्य को सन्निकर्ष नहीं कहा जा सकता है। धनः न्यायपेशेयिक सम्प्रदाय ने अन्य सम्प्रदायों के सम्मन उक्त दोनों सन्निकर्षों को स्वीकार नहीं करके घट के रूप के प्रत्यक्ष में (२) चक्षुः सयुक्तसमवाय को और रूपत्व आदि जाति के प्रत्यक्ष में चक्षुः सयुक्त समवाय को इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष कहा है। उनके मत से चक्षु से सयुक्त घट के साथ उसके रूप का समवाय नाम का सम्बन्ध रहने में उस रूप के साथ चक्षुरिन्द्रिय का (२) सयुक्त समवाय नाम का सम्बन्धसन्निकर्ष सम्भव है और उस रूप के साथ रूपत्व आदि जाति

का समवाय सम्बन्ध रहने से उस रूप आदि के साथ चक्षुरिन्द्रिय का, (१) सयुक्त समवेत-समवाय नाम का सन्निकर्ष सम्भव है।

जिन पदार्थ में जो समवाय सम्बन्ध से रहता है उस पदार्थ में उसको समवेत कहा जाता है। चक्षु सन्निकृष्ट घट में समवेत यानी समवाय सम्बन्ध से विद्यमान जो रूप उसमें रूपत्व आदि जाति समवाय सम्बन्ध में विद्यमान रहने से उस रूपत्व आदि जाति में चक्षु सयुक्त घट में समवेत उस रूप का जो समवाय सम्बन्ध रहता है वही उक्त स्थल में सयुक्त समवेत-समवाय शब्द से समझना चाहिये। सयुक्त में अर्थात् इन्द्रिय सयोग से विशिष्ट द्रव्य में जो समवेत रहता है अर्थात् समवाय सम्बन्ध में रहता है उसका समवाय नामक सम्बन्ध ही उक्त "सयुक्त-समवेत समवाय" शब्द का अर्थ है। इन्हीं तरह धारोन्द्रिय से गन्ध तथा गन्धगत गन्धत्व जाति के प्रत्यक्ष में तथा रसोन्द्रिय से रस और तद्गत रसत्व आदि जाति के प्रत्यक्ष में तथा त्वगिन्द्रिय से स्पर्श और तद्गत स्पर्शत्व आदि जाति के प्रत्यक्ष में क्रमशः उन इन्द्रियों का (२) सयुक्त समवाय तथा (३) "सयुक्त-समवेत-समवाय" नामक सन्निकर्ष समझने चाहिये। गन्ध आदि गुण विशिष्ट द्रव्य ही उक्त स्थल में क्रमशः धार आदि इन्द्रियों से सयुक्त है।

इसी तरह अन्तरिन्द्रिय मन के द्वारा—मैं सुनी हूँ मैं दुःखी हूँ, मैं जानता हूँ मैं इच्छा करता हूँ इस तरह से आत्मा में उत्पन्न सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न तथा द्वेष नाम के आदि विशेष गुणों का जो मानस प्रत्यक्ष करता है उसमें मन संयुक्त समवाय ही तथा उस समय में जीव के अपने आत्मा का भी जो मानसप्रत्यक्ष होता है उसमें उस आत्मा के साथ उसके उस मन का विलक्षण सयोग ही सन्निकर्ष है। तथा सुख आदि में रहनेवाली सुखत्व दुःखत्व आदि जाति का जो मानस प्रत्यक्ष होता है उसमें मन-सयुक्त-समवेत समवाय ही तृतीय प्रकार का सन्निकर्ष है। मन से सयुक्त देह आत्मा में समवाय सम्बन्ध से उसके सुख दुःख आदि गुणों के रहने में वे (गुण) मन-सयुक्त-समवेत हैं। और उनमें सुखत्व आदि जाति समवाय सम्बन्ध में रहने के कारण उन जानियों के साथ मन का उक्त प्रकार का (सयुक्त-समवेत-समवाय) सन्निकर्ष सम्भव होता है। धरोन्द्रिय का समवाय सम्बन्ध ही चौथे प्रकार का है। और उस शब्द में रहने वाले (शब्दत्व एवं तीक्ष्ण मन्दाव आदि जाति के प्रत्यक्ष में उसके साथ धरोन्द्रिय का समवेत समवाय प्रकार का सन्निकर्ष स्वीकृत हुआ है। कणाद तथा गौतम के मत में धरोन्द्रिय रूप आकार में उत्पन्न तथा उसी में समवाय सम्बन्ध में स्थित उसी शब्द का तब धरोन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। अतः उस शब्द के साथ उस समय धरोन्द्रिय का समवाय सम्बन्ध-

रूप-सन्निकर्ष होता है तथा उस शब्द में रहने वाले शब्दत्व एव तीव्रत्व मन्दरूप आदि जाति का समवेत-समनाय रूप सन्निकर्ष होता है। श्रवणेन्द्रिय में समवेत अर्थात् समवाय सम्बन्ध से विद्यमान जो शब्द उसके सम्बन्ध ही उक्त स्थान में समवेत समवाय शब्द से समझना चाहिये।

ऐसे प्रत्यक्ष विषयीभूत पदार्थ का जो समवाय नाम का सम्बन्ध है, उसका भी प्रत्यक्ष होता है। अतः समवाय तथा अभाव पदार्थ के प्रत्यक्ष में (६) 'विशेष्य विशेषणभाव' यानी विशेषणता नामक षष्ठ प्रकार का सन्निकर्ष स्वीकृत हुआ। यह विशेषणता कोई अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं है किन्तु वह विशेषण और विशेष्यरूप है। जिस 'विशेषणता' सम्बन्ध से किसी पदार्थ में समवाय सम्बन्ध रहता है वह 'विशेषणता' विशेष्य भूत समवायस्वरूप ही है, यानी उसमें भिन्न कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। अतः स्वात्मक स्वरूप सम्बन्ध से ही समवाय सम्बन्ध के रहने से समवाय सम्बन्ध का सम्बन्ध फिर उसका सम्बन्ध आदि की आपत्तिरूप अनवस्था दोष की संभावना नहीं है।

इसी तरह से कोई अभाव पदार्थ जिस समय में जिस आधार में रहता है उस काल का वह आधार रूप विशेष्य ही उस अभाव का सम्बन्ध है। उस आधार से वह अभाव भिन्न पदार्थ है, किन्तु तात्कालिक उस आधाररूपक सम्बन्ध से ही उसमें वह अभाव रहता है और प्रत्यक्ष न सभी कारणों के रहने पर पूर्वोक्त विशेषणता अथवा स्वरूप सम्बन्ध विशेष्य रूप सन्निकर्ष से उसका प्रत्यक्ष होता है। इन सब विषयों को अच्छी तरह से समझने के लिये 'सिद्धान्त-मुक्तावली' आदि मूल ग्रन्थों को गुरु के समीप में गहरा पढ़ना चाहिये।

१ उक्त सन्निकर्ष की व्याख्या में न्यायवार्तिक में उद्योतकर ने कहा है— 'समवाये चाभावे च विशेष्य विशेष्य भावादिति'। अतः समवाय सम्बन्ध का और अभाव पदार्थ तथा उनकी प्रत्यक्षता प्राचीन नैयायिक सम्प्रदाय का भी सम्मत है किन्तु वैशेषिक यह समझा जाता है। सम्प्रदान के मत में समवाय सम्बन्ध अनुमेय है। वैशेषिक दर्शन के उत्स्कार में (७।२।२८) बहुर मिथ न कहा है— 'प्रत्यग समवाय इति नैयायिका, तदप्यनुपपन्नम्, समवायाऽतीन्द्रिय ।' इत्यादि वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के प्रथम आह्निक में कणाद ने अभाव पदार्थ एव उसकी प्रत्यक्षता का समर्थन किया है। न्यायदर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में (८-६-१०-११ तथा १२ सूत्रों में) गहर्षि गौतम ने भी उसका समर्थन किया है।

अतः यह कहना आवश्यक है कि पूर्वोक्त प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार के है —
 (१) लौकिक और (२) अलौकिक । लौकिक सन्निकर्ष से होनेवाले प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष है । पूर्वोक्त छः प्रकारों के सन्निकर्ष ही लौकिक सन्निकर्ष हैं । तथा अलौकिक सन्निकर्ष जन्म जो प्रत्यक्ष, उसका नाम अलौकिक प्रत्यक्ष है, वह अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार के है यथा—

(१) सामान्य लक्षणसन्निकर्ष (२) ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष और (३) योगज-सन्निकर्ष । पूर्वोक्त सूत्र के सन्निकर्ष शब्द से उक्त त्रिविध सन्निकर्ष भी लिए जाते हैं । उनमें किसी पदार्थ का सामान्य धर्म विषयक प्रत्यक्ष ही “सामान्य लक्षण” सन्निकर्ष है । जैसे सभी गायों में रहनेवाला सामान्य धर्म गोत्व है । सब धूमों का सामान्य धर्म धूमत्व है इत्यादि । पहले किसी गाय के देखने से उसमें रहनेवाला सामान्य धर्म गोत्व का प्रत्यक्ष होने पर उस सामान्य धर्म के (गोत्व के) प्रत्यक्ष रूप सन्निकर्ष से अन्यान्य सभी गायों का अलौकिक प्रत्यक्ष होता है । क्यों वह मानना पड़ता है सक्षेप में यह भी यहाँ कहना आवश्यक है ।

उक्त सामान्यलक्षण सन्निकर्षवादी नैयायिक सम्प्रदाय की फल्गुनी बात यह है कि उक्त सन्निकर्ष और तद्वन्व्य उस प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं मानने पर किसी गाय के दर्शन के बाद में किसी को साधारण रूप से सभी गायों में सींग है या नहीं—यह सशय अथवा उस तरह के अन्य धर्म का सशय नहीं हो सकता है । इसी तरह ने पाकशाला में धूम एव आग इन दोनों को देखने पर भी धूम वहि का व्याप्य है या नहीं अर्थात् धूम से युक्त सभी स्थानों में आग रहती है या नहीं इस तरह का सशय भी बहुतों का होता है । किन्तु पूर्वोक्त स्थल में श्रौत में संयुक्त जिस गाय के शृंग का दर्शन हुआ है उसे सींग है या नहीं यह सन्देह नहीं हो सकता है । तथा पाकशाला में देखने गंधे उस धूम में वहि के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होने से उसमें पूर्वोक्त प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता है । यह मानना होगा कि पूर्वोक्त स्थल में जो सब गायें चतु के साथ संयुक्त नहीं हैं, अर्थात् जिन सब गायों का लौकिक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है उन सब गायों के बारे में ही सींग है या नहीं—इस तरह का सन्देह होता है तथा जो सब धूम श्रौत से संयुक्त नहीं है उन सब धूम के बारे में ही ‘धूमो वहिन्याप्यो न वा’—ऐसा सन्देह होता है । किन्तु उन सब गायों और उन सब धूमों का किसी तरह से प्रत्यक्ष नहीं होने पर अप्रत्यक्ष धर्मों में किसी धर्म का संशयात्मक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । अतएव यह मानना होगा कि उक्त स्थल में गायत्व व सामान्य धर्म के प्रत्यक्ष से सभी गायों का प्रत्यक्ष होता है । और वह प्रत्यक्ष अन्यान्य सब गायों के बारे में अलौकिक प्रत्यक्ष है । इसी तरह से धूमत्व आदि सामान्य धर्म के प्रत्यक्ष से सब धर्म आदि का प्रत्यक्ष भी समझना चाहिये । परन्तु,

पाक्याना में धूम-व रूप से सफल धूमों का प्रत्यक्ष नहीं होने से वहाँ धूमत्व-रूप से धूम मान में ही वहि की व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि अत्रप्रत्यक्ष धर्मों में किसी धर्म का प्रत्यक्ष सम्भन नहीं है। अत्रएव पहले ही धूम-व रूप से सभी धूमों में वहि-रूप से सफल वहि का व्याप्ति-निश्चय समर्थन करने के लिए भी पूर्वोक्त सामान्य लक्षण सन्निकर्ष मानना होगा, क्योंकि उक्त रूप सामान्य व्याप्ति विषय के बिना धूम-वरूप से धूम हेतु के द्वारा वहि-रूप से वहि का अनुमान नहीं हो सकता है।

जो पदार्थ निश्चय रूप से ज्ञान है उसमें और जिसका सर्वथा ज्ञान ही नहीं है उस विषय में भी इच्छा नहीं होती है। अतः भावी सुख के बारे में जीव की जो इच्छा होती है उसमें पहले उस सुख का किसी प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। किन्तु वह कैसे सम्भव हो सकता है? सुखत्व रूप से अन्यान्य सुख पहले ज्ञात होने पर भी इच्छा का विषय भावी सुख विशेष पहले कैसे ज्ञात होगा? अत्रएव यह मानना होगा कि पहले सुख विशेष का मानस प्रत्यक्ष होने से उसके सुख मात्र के सामान्य धर्म सुखत्व का भी मानस प्रत्यक्ष होता है। पश्चात् उस सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष रूप अलौकिक सन्निकर्ष से अतीत एव भविष्य सभी सुखों का अलौकिक मानस प्रत्यक्ष होता है। अतः उक्तरूप से भावी सुख भी पहले ज्ञात होने से उस विषय की इच्छा हो सकती है।

अवश्य परवर्ती काल में नव्य नैयायिक रघुनाथ शिरोमणि ने तत्त्व चिन्ता-मणि के प्रत्यक्ष खण्ड में "सामान्य लक्षण" ग्रन्थ की दीधिति टीका में उक्त "सामान्य लक्षण" सन्निकर्ष का खण्डन करने के लिए और भावी सुख के विषय में अनुमान प्रदर्शन किया है, तथा उन्होंने नये दग से बहुत से सूक्ष्म विचार किए हैं। "अद्वैत सिद्धि" ग्रन्थ में महाभनीयी मनुसूदन सरस्वती ने भी नैयायिक सम्भन उक्त सन्निकर्ष का खण्डन करने के लिए बहुत से विचार किए हैं। विशेष विशामु व्यक्ति अवश्य उसका अध्ययन करेंगे। संक्षेप में उन सब विचारों का कुछ भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। परन्तु यह भी कहना पड़ना है कि उक्त सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के समर्थन में भी बहुत से विचार हुए हैं। और उक्त सन्निकर्ष सबसे पहले नव्य नैयायिक गङ्गेश उपाध्याय ने ही समर्थन किया है—यह सत्य नहीं है।'

१ मन्त्रों के बहुत पूर्ववर्ती टोकाकार घोमद् वाचस्पति मिथ ने भी न्याय मनु की व्याख्या में उक्त समर्थन किया है। उसकी प्रतीकार करने पर धूम धारि हेतु में सामान्यतः व्याप्ति निश्चय की प्राणा ननुंसक से जारी कराकर सुन्दरी

द्वितीय प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष का ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष है। वह "ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति" नाम से भी कहा गया है। नव्य नैयायिकों ने बहुत से स्थलों में उसे 'उपनय' नाम से उल्लिखित किया है और उस उपनय सन्निकर्ष में होने वाले अलौकिक प्रत्यक्ष को 'उत्पत्तीत मान' कहा है। नैयायिक संप्रदाय के मत में भ्रमनात्मक प्रत्यक्ष अर्थात् रज्जु (रस्सी) में सर्प का भ्रम सितुआ म (शुक्ति में) रजत (चौदी) का भ्रम, मधु-मयीचिका में जल का भ्रम आदि पूर्वोक्त "ज्ञानलक्षण" सन्निकर्षान्वय अलौकिक प्रत्यक्ष विशेष है। क्योंकि उन भ्रम स्थलों में वहाँ पर वस्तुतः सर्प आदि रहने से विषय के साथ इन्द्रिय का कोई लौकिक सन्निकर्ष सम्भव ही नहीं है। किन्तु जो वस्तु असत् या अलौकिक है वह भ्रम ज्ञान का मा विषय नहीं हो सकता। क्योंकि जिस विषय में प्रमाणात्तन असम्भव है, उस विषय में भ्रमज्ञान हो नहीं सकता। अतएव यह मानना होगा कि किसी सत् पदार्थ का ही अन्य सत् पदार्थ में भ्रम होता है। अतः रज्जु आदि में अन्यत्र स्थित सर्प आदि विषय का भ्रम होता है, तथा पहले कहा गया 'ज्ञानलक्षण' सन्निकर्ष ही उस प्रत्यक्ष का चरम कारण है—यह भी मानना होगा।

पूर्वोक्त प्रकार भ्रम के कारण को किसी भी मत में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। अत्यभिचारी अर्थात् यथार्थ प्रत्यक्ष का कारण ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी से पूर्वोक्त प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र में मूर्ति गीतम ने बाद में 'अत्यभिचारी' पद को कहा है।

'इन्द्रियेषु सामान्यलक्षणानां प्रत्यासत्त्या व्याप्तिप्रहणकाले स्यान्तजातीयव्यनयो गृह्यन्ते। यदनम्युपगमे परहकमुद्राय मुग्धाया पुनप्रार्थनभिवेति वाचस्तत्तिम्नानम्ममसादीदिति चेत् ?' श्रीरुद्र ने कहा है कि सामान्यलक्षणानां प्रत्यासत्ति स्वीकार करने पर किसी पदार्थ में सभी पदार्थों के सामान्य धर्म प्रमेयत्व आदि के प्रत्यक्ष से सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष मानना करने से प्रमेयत्व रूप से सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष करने वाले मानवा को सर्वज्ञ कहा जा सकता है। किन्तु सर्वज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? सभी पदार्थों के समूचे धर्म के रूप से प्रत्यक्ष से बिना किसी को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता है। उस शब्द का विशेष ज्ञान विशेषण नहीं

का पुन प्रार्थना का तरह निष्पन्न है—ऐसे बात भी सन्ताने तात्पर्य टीका म (२६ पृ०) में कहा है। अतः सङ्कतसङ्गहात के प्रथम परिच्छेद में व्याप्ति आदि पदार्थ का उद्घाटन करने के लिए गङ्गोष्ठी के पूर्वोक्त श्री रुद्र भी वाचस्तति के उक्त कथन का उल्लेख करने के लिये कहा है।

सांख्य है। इसी से—‘य. सर्वशः सर्ववित्’ इत्यादि श्रुतिवाक्य में उक्त विशेष ज्ञान की जानकारी के लिये ही फिर से ‘सर्ववित्’ कहा गया है। सिद्धान्त मुक्तारली में विश्वनाथ ने भी उक्त आपत्ति का उल्लेख करके स्पष्ट करने के लिये लिखा है—‘प्रमेयत्वेन सकलप्रमेये ज्ञानेऽपि विशिष्य सकलपदार्थानाम् अज्ञातत्वेन सर्वव्याप्तात्’। किन्तु भ्रमरूपक प्रत्यक्ष इन्द्रिय तथा विषय (अर्थ) के सन्निकर्ष से नहीं होने पर ‘इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्’ इस प्रथम पद से ही उसका धारण होने से पश्चात् ‘अव्यभिचारी’ इस पद का प्रयोग व्यर्थ होता है। अतः महर्षि गौतम के उक्त पद से भी समझा जाता है कि भ्रम प्रत्यक्ष का कारण कोई सन्निकर्ष भी उनका सम्मत है तथा प्रथम पद के ‘सन्निकर्ष’ शब्द से यह भी गृहीत हुआ है।

उक्त सूत्र में प्रथम यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि महर्षि गौतम ने पद में ‘सन्निकर्षजन्यम्’ ऐसा नहीं कहकर जैसा ‘सन्निकर्ष’ शब्द के बाद “उत्पन्न” विषय के साथ इन्द्रिय का शब्द के प्रयोग से सूचित किया है कि वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान का उत्पादक होता है वही ‘इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष’ है। जिस किसी प्रकार का सम्बन्ध जैसे कालिक आदि सम्बन्ध या संयुक्त-संयोग आदि परम्परा

१ भाष्यकार वात्स्यायन ने गौतमोक्त उस ‘अव्यभिचारी’ पद के अर्थ की व्याख्या करते हुए लिखा है—‘यदतस्मिंस्तदिति तदव्यभिचारि, यत् तस्मिंस्तदिति तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति’। जो पदार्थ जिस पदार्थात्मिक नहीं है उस पदार्थ का उसके रूप से जो ज्ञान होता है अर्थात् अन्य पदार्थ की अन्य प्रकार की जो व्याप्ति या ज्ञान वही भ्रम ज्ञान है—यही वात्स्यायन की उक्त व्याख्या से ज्ञात होता है। जैसे रस्सी को—‘अथ सर्पः’ इस तरह से प्रत्यक्ष करने से अन्य पदार्थ की अ-व प्रकार से ही व्याप्ति या ज्ञान होता है। इसी से नैयायिक संप्रदाय ने भ्रमज्ञान को अन्यव्याख्याति शब्द से तथा बहुत व्यक्तिग्रां ने विपरीत व्याप्ति शब्द से भी उल्लेख किया है। उन्होंने भ्रमस्थल में मिथ्या अथवा अनिर्वचनाय विषय की उत्पत्ति मानकर—‘अनिर्वचनीयव्याप्ति’ नहीं मानो है। किन्तु विचारपूर्वक पूर्वोक्त अन्वयावस्थाव्याप्तिवाद का ही समर्थन किया है। योगदर्शनोक्त “विषयं” नामक चित्तवृत्ति भी अन्वयावस्थाव्याप्ति है यह योग प्रवक्तृ के (१८) विज्ञान भिक्षु ने भी स्पष्ट कहा है, मीमांसाचार्य भट्ट कुमांगिल भी अन्वयावस्थाव्याप्तिवादी हैं। बहुत प्राचीन काल से ही यह बहुत प्रकार से व्याख्यात हुआ है। शारीरक भाष्य के प्रारम्भ में अन्वयावस्था की व्याख्या में शङ्कराचार्य ने पहले उक्तमत का उल्लेख करने के लिये उक्तमत में अन्य पदार्थ में अन्य अर्थ का ही अन्वय होता है यह कहा है।

सम्बन्ध इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है। क्योंकि उन संबन्धों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान रूप फल से ही उसका कारण इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष सिद्ध होता है। अतएव अनुमान आदि ज्ञान के पूर्व आवश्यक विशेषण का ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष नहीं कहा जा सकता है, जैसे पर्वत में आग है (पर्वतो वह्निमान्) ऐसी अनुमिति से पहले वह्नित्व रूप से वह्नि का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है। किन्तु वह विशेषण ज्ञान उक्त स्थान में पश्चात् प्रत्यक्ष ज्ञान का उत्पादक नहीं होने से उसे ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष नहीं कहा जा सकता है। अतः 'ज्ञान लक्षण' सन्निकर्ष को मानने से अनुमान आदि स्थल में भी 'ज्ञान लक्षण' सन्निकर्षजन्य अलौकिक प्रत्यक्ष ही कहा जा सकता है अर्थात् अनुमान आदि प्रमाण का उच्छेद हो जाता है यह प्रतिवाद निर्मूल है। अवश्य अनिर्वाचनीय ख्यातिवादी (विवर्तवादी) वेदान्ती सम्प्रदाय के और भी बहुत से प्रतिवाद हैं, पूर्वोक्त सामान्य लक्षण सन्निकर्ष का पखडन करने के लिये अद्वैतसिद्धि ग्रन्थ में नव्य नैयायिक तथा वेदान्ती मनुसूदन सरस्वती ने इस विषय में भी सूक्ष्म विचार किया है। सत्त्व में उन सब बातों की समालोचना नहीं की जा सकती है।

अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक सम्प्रदाय की विशेष बात यह है कि यह सर्वमान्य है कि जिस व्यक्ति ने कभी कहीं पर वाग्मव सर्प को नहीं देखा है अर्थात् सर्पत्व रूप से सर्प के बारे में जिसका कोई संस्कार नहीं है उसे कभी सर्प की तरह रिधन रज्जु को रज्जुत्व रूप से प्रत्यक्ष करने में असमर्थ होकर 'अयं' इस रूप से अर्थात् 'इदन्त्व' रूप से प्रत्यक्ष करता है उस व्यक्ति का तब उसमें उसके द्वारा अन्यत्र पूर्व दृष्ट सर्प के सादृश्य के प्रत्यक्ष से पूर्व संस्कार उद्बुद्ध हो जाने पर पश्चात् सर्पत्व रूप से सर्प का स्मरण होना है तथा उस स्मरणायक ज्ञान के बाद ही 'अयं सर्पः' इस तरह का प्रत्यक्ष होता है अन्यथा वह नहीं होता है—यह भी सबको ही मान्य है। इसी से उक्त रूप भ्रमात्मक प्रत्यक्ष स्थल में पूर्वोक्त उस प्रकार के स्मृति रूप ज्ञान को ही सन्निकर्ष मानकर तज्जन्य भ्रमात्मक प्रत्यक्ष का उपादान करने से कल्पना-गौरव भी नहीं होता है। किन्तु रज्जु आदि में उस समय में मिथ्या सर्प आदि विषय की उत्पत्ति स्वीकार करने पर उस मिथ्या विषय का उपादान कारण तथा उससे उत्पत्ति-विनाश आदि मानने में कल्पनागौरव होता है। मिथ्या विषय का उत्पादक उपादान कारण भी बहुत विवादग्रस्त है।

उक्त ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष को नहीं मानने से बाद-पदार्थ विषयक स्विकल्पक ज्ञान का मानस प्रत्यक्षरूप अनुव्यवसाय सम्भव नहीं होता। यहाँ यह कदना आवश्यक है कि पूर्वोक्त गौतम सूत्र में लक्षित प्रत्यक्ष ज्ञान दो

प्रकार के होते हैं—(१) निर्विकल्पक, (२) सविकल्पक । तात्पर्य टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने इसका समर्थन करने के लिये त्रिलोचन गुरु के सिद्धान्तानुसार व्याख्या की है कि गौतम के पूर्वोक्त प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र में—‘अन्यपदेरयम्’ इस पद का अर्थ ‘निर्विकल्पक’ और ‘व्यवसायात्मकम्’ इस पद का अर्थ ‘सविकल्पक’ है अर्थात् उक्त दोनों नामों के प्रत्यक्ष द्विविध हैं—यही महर्षि गौतम को उक्त दोनों पदों में विवक्षित है । उनमें जिस प्रत्यक्ष के विषयीभूत पदार्थ में ‘विकल्प’ यानी विशेष्य विशेषण भाव नहीं है वह ‘निर्विकल्पक’ और जिस प्रत्यक्ष के विषयीभूत पदार्थ ‘विकल्प’ यानी विशेष्यविशेषणभाव है वह सविकल्पक है ।

जैसे—‘अयं घटः’—इस तरह से घट का जो प्रत्यक्ष होता है वह घटत्व विशिष्ट घटविषयक प्रत्यक्ष है । अतः उसमें घट का धर्म घटत्व विशेषण और घट विशेष्य है, (तादात्म्य सम्बन्ध से घट भी विशेषण हो सकता है) किन्तु घटत्व रूप से विशेषण के ज्ञान के बिना उस तरह का विशिष्ट प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता है, अतः घट के साथ चक्षुर्इन्द्रिय का सन्निकर्ष होने पर पहले घट एवं घटत्व धर्म के बारे में अविशिष्ट प्रत्यक्ष होता है यह मानना पड़ेगा, वही घट और घटत्व विषयक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है । वह घटत्व विशिष्ट घट विषयक नहीं होने से सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं है, तथा मन के द्वारा उसका बोध (मानस प्रत्यक्ष) सम्भन नहीं होने से वह अतीन्द्रिय है, किन्तु वह सविकल्पक प्रत्यक्ष के कारण के रूप से अनुमान प्रमाण के द्वारा होता है, क्योंकि पहले विशेषण ज्ञान के बिना कोई विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता ।

पूर्वोक्त घटत्व विशेषणज्ञान से उत्पन्न विशिष्ट घट विषयक सविकल्पक प्रत्यक्ष के बाद ‘घटमहं जानामि’ अर्थात् मैंने घटत्व रूप से घट को जाना है, इस तरह से उस ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, उस तरह के मानस प्रत्यक्ष का अनुव्यवसाय है । पूर्वोक्त रूप अनुव्यवसाय ने मनः सशुक्त आत्मा में उस घट का ज्ञान समयाय सम्बन्ध से विशेषण के रूप से विषय होता है और उस ज्ञान में विषयिता सम्बन्ध से घटत्व रूप से घट विशेषण के रूप से विषय होता है ।

क्योंकि—‘घटमहं जानामि’ अर्थात् घटत्व विशिष्ट सघट विषय का जो ज्ञान मैं उस ज्ञान से विशिष्ट हूँ—इसी तरह से उस ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष (अनुव्यवसाय) उत्पन्न होता है । लेकिन पूर्वोक्त रूप घटज्ञान नाह्य-मदार्थ विषयक होने से मन के द्वारा इसका प्रत्यक्ष कैसे होगा ? बाह्य-मदार्थ के बारे में स्वतन्त्ररूप से मन की प्रवृत्ति नहीं होती है । इसीने कहा गया है—‘परतन्त्र

बहिर्गमन' । अतएव यह मानना होगा कि 'मि पत्त्र विशिष्ट-धृ विषयक ज्ञान-वान्' इस मन्त्र से जो मानस प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, वह शनाथ धनाथ में लौकिक होते हुए भी धारा में अलौकिक प्रत्यक्ष है । अर्थात् उस रूप में वाय घट प्राद पदार्थों का मन के द्वारा अलौकिक मानना पड़ेगा । अतः पूजात्मक धरुधान ही उस अलौकिक प्रत्यक्ष का कारण अलौकिक सन्निकर्ष है । अतएव ज्ञान का मानस प्रत्यक्षात्मक अनुब्यवसाय सांख्यिक नहीं है । अतएव अध्याय में उस विषय की आलोचना करूँगा । नैयायिक संप्रदाय के मतानुसार और भी उद्धृत न स्थलों में ज्ञान-लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा उत्पन्न अलौकिक प्रत्यक्ष विशय (उपनीतमान) मानने योग्य है । अथवा बहुत से प्रत्यक्षों की उपपत्ति नहीं होती । सन्धेप में इन सप्त दुर्बोध विषयों को नहीं कहा जा सकता है । गहल्य के डर से यहाँ और अधिक लिखना भी सम्भव नहीं है । तीसरे प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष का तीसरा नाम योगज है । महायोगी का समाधिनिरोध रूप योगनय सन्निकर्ष ही योगन सन्निकर्ष है । उस सन्निकर्ष से उस योगी को भूत, भविष्य एव दूरस्थ आदि सभी विषयों का अलौकिक प्रत्यक्ष होता है । जीवात्मा और परमात्मा का जो यथार्थ प्रत्यक्ष है वह योगन सन्निकर्ष विशेष से उत्पन्न अलौकिक मानस प्रत्यक्ष महर्षि गौतम ने भी बाद में कहा है—'समाधिनिरोधान्म्यासात्' ४।२।२८ । महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के पल्ल आह्निक में योगि प्रत्यक्ष का विशेष रूप से उल्लेख किया है । कणाद के द्वारा कहे गये युक्त और विद्युत्—इन दोनों प्रकार के योगियों को किस तरह से श्रेय विषयों के साथ इन्द्रियों का सन्निकर्ष होता है—प्रशस्तपाद ने इसका वर्णन किया है । युक्त योगी का योगज सन्निकर्ष से सभी विषयों का प्रत्यक्ष ही होता है ।

निरय सतत इत्तर का सर्वविषयक निरय प्रत्यक्ष किसी कारण से उत्पन्न नहीं है । इसी में महर्षि गौतम ने पूर्वोक्त प्रत्यक्ष मूत्र में ईत्तर प्रत्यक्ष को लक्षण के रूप में ग्रहण नहीं किया है । परन्तु सर्वदा सर्वविषयक प्रत्यक्ष रूप प्रमा ज्ञान का आश्रय है । इसी तात्पर्य से शास्त्रों में प्रमाण शब्द में कहे गये हैं ।

मन्त्र से उत्पन्न तादृश लिङ्ग का स्मरणायक ज्ञान भी मूत्रकार का अभिप्रेत है । अर्थात् 'तत्पूर्वकम्' इस पद में लिङ्ग और लिङ्गी के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष तथा लिङ्ग प्रत्यक्ष और उस सम्बन्ध से रिच्छित लिङ्ग का स्मरणपूर्वक इन सब बातों का समझना चाहिये ।

प्रनुमान के हेतु पदार्थों को लिङ्ग तथा उसमें अनुमान पदार्थों को लिङ्गी कहते हैं । जिस पदार्थ के सत्त्व आधारा में जो पदार्थ असत्त्व ही रहता है उस

पदार्थ को उस अत्र पदार्थ का व्याप्य पदार्थ कहते हैं, और उस अत्र्य पदार्थ को उसका व्यापक पदार्थ कहते हैं। व्याप्य पदार्थ रहने पर ही उस स्थल में उसका व्यापक पदार्थ अवश्य ही रहता है। अत्र व्याप्य पदार्थ से उसके व्यापक पदार्थ की अनुमिति होने से ही वहाँ 'लिङ्ग' ना हेतु होता है और उसका व्यापक वही पदार्थ वहाँ लिङ्गी होता है। विल घर्मा में उस लिङ्गी की अनुमिति होती है वह घर्मा 'नद' शब्द से भी कहा गया है।

जैसे वहि रहित स्थल में धूम की उत्पत्ति सम्भव नहीं होने पर लिङ्गी स्थल में धूम रहता है उन सभी स्थलों में उसका कारण वहि अवश्य ही रहता है। अतएव धूम वहि का व्याप्य पदार्थ है और वहि उसका व्यापक पदार्थ है अत्र पाँत आदि पद में धूम के द्वारा वहि की अनुमिति होती है और उसमें धूम लिङ्ग है वहि लिङ्गी। निरुद्धे माप्यकार न लिङ्ग और लिङ्गी के सम्बन्ध को कहकर उन दोनों का वह व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध ही कहा है क्योंकि उस सम्बन्ध के बिना अनुमिति नहीं होती है। जैसे पूर्वोक्त स्थल में धूम में वहि का व्याप्यत्व सम्बन्ध अथवा व्याप्ति के प्रत्यक्ष के बिना धूम से आग की अनुमिति नहीं हो सकती है। पहले पाक्याना आदि किसी स्थान में धूम और वहि का दर्शन और वहिगुण्य स्थान में धूम के अदर्शन से धूम में वहि के व्याप्ति सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता है। पश्चात् पाँत आदि किसी स्थल में धूम देने से उस स्थल में उसके पूर्वगत उस व्याप्ति के प्रत्यक्ष से सम्भार उद्बुद्ध होकर धूम वहि का व्याप्य है—इस तरह की स्मृति को उत्पन्न कराता है। उस व्याप्ति स्मरण के बाद ही वहि व्याप्य धूम से विशिष्ट पाँत, इस तरह से पाँत के ऊपर फिर से उस धूम का प्रत्यक्ष होता है।

पहले पाक्याना आदि किसी स्थल में धूमदर्शन के बाद पाँत में जो पक्षे-महल धूम का दर्शन होता है वह धूम का द्वितीय दर्शन है तथा उसने उत्पन्न धूम में वहि की व्याप्ति के स्मरण के उपरान्त वही वहि की व्याप्ति से विशिष्ट धूम का फिर से जो दर्शन होता है वह तृतीय लिङ्गी दर्शन है।

अत्र यह तृतीय लिङ्ग पदार्थों नाम से कहा गया है। 'लिङ्ग पदार्थों' अथवा बेवत् 'पदार्थ' शब्द से भी कहा गया है।

पलित कथन यह है कि साध्य घर्मा की यानी अनुमेय पदार्थ की व्याप्ति से विशिष्ट हेतु पदार्थ अनुमान के आशय पद पदार्थ में है इस तरह का निश्चय ही लिङ्ग पदार्थों है। वही अनुमिति का चरम कारण है। जैसे पूर्वोक्त स्थल में—'महिनाप्यधूमगान् पतंत'। इस तरह का लिङ्ग पदार्थों है। इस शब्द के पदार्थों रूप में ही—'पतंतो वहिमाद्' इस तरह से पतंत में अनुमिति होती

है। भाष्यकार ने चाद में फिर भी लिंगदर्शन तथा लिंगस्मरण का उल्लेख करके उक्त लिंग परामर्श को ही व्यक्त किया तथा हेतु पदार्थ में साध्य पद की व्याप्ति के प्रत्यक्ष स्थल को लेकर ही उक्त प्रकार की व्याख्या की है। किन्तु जिस किसी प्रमाण से ही किसी पदार्थ में किसी पदार्थ के व्याप्ति निश्चय होने पर भी उसका फलस्वरूप उस व्याप्य पदार्थ के द्वारा उसके व्यापक पदार्थ की अनुमिति होती है अतः लिंग परामर्शात्मक ज्ञान से होनेवाली जो परोक्ष अनुभूति वही अनुमिति है और यथार्थ अनुमिति का कारण ही अनुमान प्रमाण है यही उक्त सूत्र का तात्पर्यार्थ समझना चाहिये।

तत्त्व चिन्तामणिकार गङ्गेश उपाध्याय ने भी उक्त प्रकार में ही अनुमिति और अनुमान प्रमाण का लक्षण कहकर पहले प्राचीनों के मतानुसार लिंग परामर्श को ही अनुमिति का चरम कारण कहने पर भी परामर्श नामक ग्रन्थ में अपना सिद्धान्त कहा है कि उक्त लिंग परामर्श के जनक पूर्वोत्पन्न व्याप्ति-ज्ञान ही अनुमिति का कारण है अतः वही अनुमान प्रमाण है। क्योंकि जो किसी व्यापार के द्वारा कार्य का जनक होता है वही 'कारण' है। अतः उक्त लिंग परामर्श ही उसके पहले उत्पन्न व्याप्तिज्ञान का व्यापार होने से उसके द्वारा वह व्याप्तिज्ञान ही अनुमिति का कारण हो सकता है। परन्तु उक्त लिंग परामर्शात्मक चरमकारण अनुमिति का कारण नहीं हो सकता है।

अवश्य प्राचीन न्यायाचार्य उद्योतकर के भी उक्त मतान्तर का उल्लेख करने से वह भी प्राचीन मतविशेष है। किन्तु उनके मतानुसार अनुमिति का चरम-कारण उक्त लिंग परामर्श ही अनुमिति का मुख्य कारण होने से वही मुख्यतः अनुमान प्रमाण है। प्राचीन मन के अनुसार चरम कारण ही मुख्य कारण है। और प्रमाण का चरम फल 'ज्ञान बुद्धि' 'उपादान बुद्धि' तथा 'उपेक्षा बुद्धि' के लिए प्रमाण अन्य प्रमिति भी प्रमाण होता है यह पहले कह चुका हूँ। इसी से उद्योतकर ने अनुमान प्रमाण से होनेवाली अनुमिति को भी अनुमान प्रमाण कहा है।

अनुमिति के कारण के विषय में और भी बहुत से मतभेद हैं। अनुमान गणमाणा का प्रमेय अर्थात् अनुमेय क्या है—इस विषय में भी प्राचीन काल में अनेक से विचार और नाना मतभेद हुए हैं। संक्षेप में उनको व्यक्त करना प्रेन है। अर्थात् (१)

तथा लिङ्ग प्रत्यक्ष और अनुमान का चरम कारण की बात एवं उद्योतकर तथा कुमारिल पातों को समझना चाहिये।

अनुमान के हेतु पदार्थ को लिङ्ग गानोचना मेरे द्वारा सम्पादित न्यायदर्शन के पृष्ठ १७-४४ में देखा है। जिस पदार्थ के सकल आधाराँ १७-४४ पृष्ठ में देखिए।

गौतम ने पूर्वोक्त सूत्र में अनुमान प्रमाण को तीन प्रकार का कहा है (१) पूर्ववत् (२) शेषवत् (३) सामान्यतोदृष्ट । इन तीन नामों से पूर्व शब्द के साथ तुल्यार्थ 'वनि' प्रत्यय से निष्पन्न 'पूर्ववत्' शब्द से पूर्वतुल्य 'अर्थ' समझा जाता है । अर्थात् पहले किसी स्थान में जिस पदार्थ को व्याप्य और जिस पदार्थ को उसने व्यापक के रूप से प्रत्यक्ष किया जाता है, अर्थात् जिस पदार्थ में जिसने व्याप्तिसम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता है, तज्जातीय उस व्याप्य पदार्थ को अन्यत्र प्रत्यक्ष करके वहाँ तज्जातीय उस व्यापक पदार्थ की अनुमिति होने पर वहाँ उस अनुमान प्रमाण का नाम 'पूर्ववत्' है—जैसे पहले पाकशाला में जिस धूम और वहि का दर्शन करने से धूम में वहि के व्याप्ति सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता है तब उस में पात में तज्जातीय धूम को दर्शन करने से ही तज्जातीय वहि की अनुमिति होती है । अतः वैसे स्थल का अनुमान प्रमाण 'पूर्ववत्' है । इसकी दूसरे प्रकार की व्याख्या भी है ।^१

जो पदार्थ अवशिष्ट रहता है उसे 'शेष' पदार्थ कहते हैं । जिस अनुमान से उस शेष पदार्थ विषयक अनुमिति होती है उसका नाम 'शेषवत्' अनुमान है । भाष्यकार ने कणाद के सूत्रानुसार इसका उदाहरण बतलाया है कि कणादोक्त द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा सामान्य, नाम के छः पदार्थों में शब्द सामान्य, विशेष तथा समवाय नहीं है ।

यह निश्चिन ही है क्योंकि कणाद के मत में वे तीन पदार्थ नित्य हैं परन्तु शब्द अनित्य है, अतः क्या शब्द द्रव्य है ? या गुण है ? या कर्म है ? इस प्रकार का सशय होता है ।

तब में 'शब्दो न द्रव्यम्, एकद्रव्यसमवेतत्वात्' ऐसे अनुमान प्रमाण से निश्चिन होता है कि शब्द-द्रव्य पदार्थ नहीं है । क्योंकि अनित्य द्रव्य समूह सादृश्य है और वे एक से अधिक अवयवात्मक द्रव्य में ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं । किन्तु शब्द केवल आकाश नाम के द्रव्य में समवाय सम्बन्ध में रहता

१. कारण तथा कार्य में कारण पूर्व और कार्य शेष या उत्तर है । इसीसे कारण कार्य में 'पूर्व' शब्द का और कार्य कार्य में 'शेष' शब्द का भी प्रयोग हुआ है । अतः जिस अनुमान में 'पूर्व' अर्थात् कारण—हेतु के रूप में विद्यमान रहता है, हम तात्पर्य में 'पूर्ववत्' शब्द से कारण हेतु के कार्य का अनुमान समझा जाता है और उक्त रूप कार्य में शेषवत् शब्द से कार्य हेतु का कारण का अनुमान समझा जाता है । अर्थात् कारण के कार्य की अनुमिति होने पर उक्त अनुमिति का कारण 'शेषवत्' शब्द से कहा गया है । भाष्यकार वात्स्यायन भी पहले उक्त रूप व्याख्या एवं उदाहरण प्रकाशित करने से यह भी प्राचान व्याख्या है इसमें शदेह नहीं है ।

है यही कणाद का सिद्धान्त है। अतएव शब्द द्रव्य पदार्थ नहीं है। बाद में 'शब्दो न कर्म, सजातीयोत्पादकत्वात्' ऐसे अनुमान प्रमाण में निश्चित होता है कि यह भी शब्द-कर्म पदार्थ नहीं है। क्योंकि कणाद के मत में शब्द उत्पन्न होने के बाद वह दूसरे क्षण में उसके सजातीय अन्य शब्द को उत्पन्न करता है। परन्तु कर्म मानी कोई क्रिया उत्पन्न होने पर वह क्रिया उसकी सजातीय अपर क्रिया को उत्पन्न नहीं करती, वहाँ क्रिया का अन्य कारण ही अपर क्रिया को उत्पन्न करता है। अतः शब्द उसके सजातीय अपर शब्द का उत्पादक होने से वह कर्म या क्रिया विशेष नहीं है। इसी तरह से शब्द में सशर्थावगपीनूत द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कर्मत्वों में से द्रव्यत्व और कर्मत्व का प्रतिषेध या अभाव का निश्चय होने पर गुणत्व ही शेष रहता है। अतएव परिशेष में शब्द गुण पदार्थ है यही अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। उस अनुमिति का कारण जो अनुमान प्रमाण है उसमें साधकत्व सम्बन्ध से गुणत्व रूप 'शेष' पदार्थ के रहने से उस तात्पर्य में उसको 'शेषवत्' अनुमान कहा जा सकता है।^१

तीसरे प्रकार के अनुमान का नाम 'सामान्यतो दृष्ट' है। यह 'पूर्ववत्' अनुमान के विपरीत है। क्योंकि पूर्ववत् अनुमान के स्थान में पहले किसी स्थान में हेतु अथवा साध्य धर्म के व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होना है। सामान्यतोदृष्ट अनुमान के स्थलों में वह नहीं होता है।

किन्तु अन्य किसी पदार्थ में किसी धर्म की व्याप्ति का प्रत्यक्ष होने पर उसके सदृश किसी पदार्थ में उस धर्म की व्याप्ति के निश्चय से उसी व्याप्ति विशिष्ट हेतु के द्वारा वहाँ अप्रत्यक्ष पदार्थ की अनुमिति होती है। भाष्यकार ने इच्छा आदि गुण में आत्मा के अनुमान को इससे उदाहरण के रूप में उल्लेख किया है। भाष्यकार का तात्पर्य यह है कि जिसमें इच्छा आदि गुण हैं वह आत्मा है इस तरह से पहले किसी स्थल में व्याप्ति का निश्चय सामर्थ ही नहीं है किन्तु जो-जो गुण पदार्थ हैं, वे सभी किसी द्रव्य में आधित हैं, जैसे रूप आदि गुण, इसी तरह से सामान्यतः व्याप्ति निश्चय में इच्छा आदि गुणों का

१. वाचस्पति मिश्र ने 'सांख्यतत्त्व बौमुदी' में शेषवत् अनुमान की व्याख्या करते हुए भाष्यकार बाह्यायन के सूत्रों को भी उद्धृत किया है। परन्तु उन्होंने वहाँ अनुमान प्रमाण को पहले 'बोध' तथा 'ध्वीत' शब्द से दो प्रकारों को बटकर 'शौनमोक्त शेषवत्' अनुमान को ही 'ध्वीत' कहा है। व्यतिरेक मुक्त से प्रवर्तमान निषेधक अनुमान ही 'ध्वीत' है और उसी का प्रसिद्ध नाम 'व्यतिरेकी' अनुमान है। शौनमाक्त 'पूर्ववत्' एव 'सामान्यतोदृष्ट' अनुमान ही 'धीत' अनुमान है।

आत्मन देह आदि से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है। अर्थात् चूँकि इच्छा आदि गुण पदार्थ हैं अतएव वे किसी द्रव्य में आश्रित हैं, इस तरह से उस इच्छा आदि गुण में उस गुणत्व हेतु से द्रव्याश्रितत्व अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। पश्चात् इच्छा आदि गुण देह तथा इन्द्रिय आदि में आश्रित नहीं हैं अर्थात् वे गुण देह आदि के नहीं हैं—यह सिद्ध हो जाने पर अन्त में वे देह आदि से भिन्न किसी द्रव्य में आश्रित हैं—यही सिद्ध होता है। यही द्रव्य आत्मा है।

वार्तिककार उद्योतकर और तात्पर्य टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि इच्छा आदि गुण परतन्त्र है, यही सामान्यतो दृष्ट अनुमान से सिद्ध होता है, अर्थात् जो गुण पदार्थ है वह पराश्रित है, जैसे रूप आदि, इस तरह से सामान्यतः गुण पदार्थ में पराश्रितत्व की व्याप्ति के निश्चय से इच्छा आदि गुण में पराश्रितत्व ही उक्त 'सामान्यतो दृष्ट-अनुमान' सिद्ध होता है। पश्चात् वे इच्छा आदि गुण देहाश्रित नहीं हैं, इन्द्रियाश्रित नहीं हैं, इत्यादि रूप से वे देह आदि के गुण नहीं हैं यद्य अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने पर अन्त में वे देह आदि से भिन्न किसी द्रव्य में आश्रित हैं अर्थात् उस अतिरिक्त द्रव्य के ही गुण हैं—यही शेषवत् अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। फलित कथन यह है कि उक्त मत के अनुसार पूर्वोक्त स्थल में इच्छा आदि गुणों के पराश्रितत्व का सावक अनुमान प्रमाण ही सामान्यतो दृष्ट है और अन्त में उसका आत्माश्रितत्व सावक अनुमान प्रमाण ही शेषवत् है या 'परिशेष' अनुमान है।

वास्तव में महर्षि गौतम ने भी पश्चात् ज्ञान उनके मत में आत्माश्रित अर्थात् आत्मा का वास्तविक गुण है इस सिद्धान्त को बहुत से हेतुओं के द्वारा समर्थन करके बाद में कहा है—'परिशेषाद् यथोक्तहेतुष्वतोश्च' (३।२।४१)। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त सूत्र में परिशेष शब्द से उनके द्वारा 'शेषवत्' अनुमान को ही ग्रहण किया है। परवर्ती काल में यह 'शेषवत्' अनुमान ही 'व्यतिरेकी' और 'केवल व्यतिरेकी' शब्द से कहा गया है तथा उसकी नाना प्रकार की व्याख्याएँ एव उदाहरण भी कहे गये हैं। परन्तु प्राचीन न्यायाचार्य उद्योतकर ने भी गौतमोक्त उन तीन प्रकारों के अनुमानों का क्रमशः 'अन्वयी', 'व्यतिरेकी' और 'अन्वय व्यतिरेकी' इन तीनों नामों से उल्लेख करके व्याख्या करने में यह भी प्राचीन मत विशेष है। पश्चात् 'तत्त्व चिन्तामणि' का गङ्गेश उपाध्याय ने अपने मतानुसार उसकी विस्तृत व्याख्या की है और उसकी व्याख्या में अनेक मतभेद हुए हैं। बाद में यह व्यक्त होगा।

उपमान प्रमाण—

तीसरे प्रमाण उपमान का लक्षण कहते हुए गौतम ने कहा है—‘प्रसिद्ध-साधर्म्यात् साध्य-साधनमुपमानम्’ १।१।६। जो पदार्थ पहले ही यथार्थ रूप से जाना है उसे प्रसिद्ध पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ पहले अज्ञात है, वह साध्य पदार्थ है। किसी पदार्थ में किसी प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य के प्रत्यक्ष से उत्पन्न किसी साध्य की सिद्ध में जो करण है अर्थात् जिससे उस अनीन्द्रिय साध्य पदार्थ की यथार्थ अनुभूति होती है वह उपमान प्रमाण है। उपमान प्रमाण से होने-वाली जो अनुभूति उसका नाम उपमिति है। गाय जानवर में गाय का लक्षण गन् कम्बल नहीं है किन्तु गाय के बहुत से सादृश्य हैं। नागरिक ने गवय पशु को देखा नहा है, लेकिन किसी अरण्यवासी ने उनसे कहा कि गवय जानवर गाय के सदृश है। पश्चात् किसी समय में वे शहर के रहने वाले गवय पशु को देखकर उसमें गाय के सादृश्य का प्रत्यक्ष करने पर बाद में ही उनको पूर्व-भूत उस अरण्यवासी के वाक्य के अर्थ का स्मरण होता है और उसमें परक्षण में गवयत्व विशिष्ट पशु मात्र में गवय शब्द की वाच्यत्व रूप शक्ति का निश्चय होता है।’

गौतम के मत में अन्य किसी प्रमाण से उस तरह से गवय शब्द के वाच्यत्व का निश्चय नहीं हो सकता। अतएव उपमान नाम का पृथक् प्रमाण स्वीकरणीय है। बाद में यह व्यक्त होगा।

न्यायमञ्जरीकार जयन्त मट्ट ने कहा है कि बुद्ध नैयायिकों के मतानुसार उक्त स्थल में—‘यथा गौमनया गवय’ ऐसा पूर्वभूत वाक्य ही उपमिति का

१. मीमांसक एव वेदान्ता संप्रदाय उपमान प्रमाण को मानता है किन्तु गवयत्व विशिष्ट पशु में गवय शब्द के वाच्यत्व बोधक उपमान का फल उपमिति को नहीं मानता है। मीमांसाचार्य भाष्यकार शबरस्वामी एव वार्तिककार कुमारिल मट्ट आदि के मत में इस स्थल में गवय पशु में गाय के सादृश्य के प्रत्यक्ष होने पर वह पूर्वदृष्ट गाय इस गवय के सदृश है—इस तरह से उस गौ पदार्थ में प्रत्यक्ष दृष्ट गवय के सादृश्य का ज्ञान होता है। यही उपमान प्रमाण का फल उपमिति है। यही पूर्वदृष्ट गाय के प्रत्यक्ष नहीं होने से उत्तम गवय के सादृश्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। किन्तु नैयायिक आदि अनेक सम्प्रदायों के मत से पूर्वदृष्ट गाय में गवय का सादृश्य बोध वही स्मरणार्थक ज्ञान है। वह गाय गवय का सदृश है। इस तरह से पूर्वदृष्ट गाय का स्मरण होता है। यह उपमान प्रमाण का फल नहीं है।

करण है। किन्तु उक्त वाक्य को सुनने पर भी वन में जाकर गवय को देखकर उसमें पर्वट्ट गाय के सादृश्य को प्रत्यक्ष नहीं करने से उसमें गवय शब्द के वाच्यता का बोध नहीं हो सकता। अतः उक्त रूप वाक्य श्राव्य वाक्य होने पर भी उक्त विषय में वह शब्दात्मक प्रमाण नहीं है, किन्तु वह उपमान नाम का अरथ प्रमाण है। यद्यपि में भाष्यकार के कथन से भी सरल रूप से उक्त का उक्त रूप मन समझा जाता है। किन्तु वातिकार उद्योतकर ने पूर्वोक्त वाक्यार्थ का स्मरण सहजत सादृश्य प्रत्यक्ष को ही उपमिति का करण होने के नाते उपमान प्रमाण कहा है। उद्योतकार्य आदि नैयायिकों ने उक्त स्थल में गवय में गाय के सादृश्य के प्रत्यक्ष को ही उपमिति का करण कहकर पूर्वोक्त उस वाक्यार्थ के स्मरण को उसका व्यापार कहा है। प्राचीना के मन में वह व्यापार रूप चरमकारण ही मुख्यः करण होने से वही मुख्य उपमान प्रमाण है और इसमें होने वाली उपमिति रूप प्रमा भी उपमान प्रमाण है।

उस प्रमाण का फल 'ज्ञान बुद्धि' या 'उपादान बुद्धि' या 'उपेक्षा बुद्धि' है। वह आदि बुद्धि वैधी है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या में मेने पहले कहा है। इसी तरह से जो व्यक्ति 'मुद्रपर्णी' और 'मापपर्णी' शब्द के वाच्य अर्थ को नहीं जानते वे द्रव्यतत्त्वज्ञ चिकित्सक से सुनते हैं कि मुद्रपर्णी नाम का औषधिविशेष देखने में मूँग के सदृश है एवं मापपर्णी नाम का औषधिविशेष देखने में माप (उद्द) की तरह है। मुद्ग और माप उनके पूर्व-दृष्ट प्रसिद्ध पदार्थ हैं। अतः बाद में किसी समय पर वही व्यक्ति पर्वत आदि किसी स्थान पर जाकर मुद्गपर्णी को देखकर उसमें मूँग के सादृश्य का प्रत्यक्ष करने से तथा उनको उस मापपर्णी देखकर उसमें माप का सादृश्य प्रत्यक्ष करने से बाद में ही पूर्वोक्त वैद्य वचन के अर्थ की स्मृति होने पर उस औषधिविशेष में यथान्त मुद्रपर्णी और मापपर्णी शब्द के वाच्यत्वसम्बन्धरूप शक्ति का निर्णय होगा है। वह भी उपमान प्रमाण से होनेवाली उपमिति नामक ज्ञान है।

भाष्यकार वात्स्यायन ने उत्तररूप उदाहरणों को दिखाकर अन्त में कहा है कि उपमान प्रमाण के और भी विषय हैं। तात्पर्य टीकाकार वाचस्पति मिथ ने भाष्यकार के उस कथन के द्वारा समर्थन किया है कि जैसे प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य के प्रत्यक्ष से उपमिति होती है, उसी तरह से वैधर्म्य के प्रत्यक्ष से भी उपमिति होती है। उसको 'वैधर्म्योपमिति' कहते हैं। उसे कोई व्यक्ति उष्ट्र पशु 'करम' शब्द का वाच्य यह नहीं जानता है उस व्यक्ति ने किसी जानकार व्यक्ति से ऐसा वाक्य सुना है कि 'करम' बहुत लक्ष्मण है उसकी ग्रीवा देश बहुत लम्बा है और वह प्रति कठोर कटि को खाता है। पश्चात् वह व्यक्ति कर्ण पर ऊँट को देखने से उसमें उसके पूर्वज्ञान गाय आदि पशु के वैधर्म्य को

देखकर और उसने गट में ही उनका उस पूर्वभूत वाक्यार्थ को स्मरण करने 'ऊँ' 'करम' शब्द का वाच्य है—इस तरह में उस में करम शब्द के वाच्यरूप शक्ति का निरास्य करते हैं। उक्त स्थान में उस तज का शक्तिनिर्णय उनकी वैशम्भोपमिति है।

अगर तुल्य रूप से उक्त रूप वैशम्भोपमिति को भी गौतम का सम्मत कहा जा सकता है। किन्तु भाष्यकार के शब्दों में उस कथन में अर्थविशेष में शब्दविशेष का वाच्यरूप रूप शक्ति से भिन्न उपमान प्रमाण का और भी विषय है, अर्थात् उपमान प्रमाण में अर्थरूप तत्त्व भी सिद्ध होता है—यही भाष्यकार का विद्वान्त्व है, ऐसा समझा जाता है। वृत्तिकार विरचनाय ने भी यही समझकर उसका उदाहरण कहा है कि किसी जानकार व्यक्ति के हाथ कटता है कि मुद्रणों के सदृश श्रीपथविशेष विषय का नाश करता है, ऐसा वाक्य कह जाने पर किसी स्थान पर कोई अगर श्रीपथविशेष का देखकर उसमें मुद्रणों के सदृश का प्रत्यक्ष करते हैं तो गट में ही उनसे उस पूर्वभूत वाक्यार्थ का स्मरण हो जाने से तजवन्त उनका यह श्रीपथविशेष विषय का नाश करता है, ऐसा निश्चय होता है। उक्त स्थान में उनका उस श्रीपथविशेष में विषयान्तरणार्थ धर्म का भी निश्चय है, यह भी सदृश के प्रत्यक्ष से होने वाली उपमिति है, अतः गट में उपमान प्रमाण का फल है। उपमान प्रमाण में अर्थ तत्त्व के तत्त्वों के निश्चय के और भी बहुत से उदाहरण हैं।

शब्द प्रमाण —

उपमान प्रमाण के शब्द चर्चा शब्द प्रमाण का लक्षण एक प्रकारमें देवनागरी के हुए गौतम ने कहा है—'आप्तोपदेशे शब्द १।१।७ स इति च दृष्ट्या-दृष्टार्थान्' १।१।८ अर्थात् आत्मव्यक्ति का जो उपदेश अथवा वाक्य है यह शब्द प्रमाण है। जो व्यक्ति जिस विषय का तत्त्वज्ञ है और उस तत्त्व का प्रकाशित करने के लिये ही यथार्थ वाक्य का प्रयोग करते हैं उन्हीं व्यक्ति को उस विषय में ज्ञान कहते हैं। उस विषय में उनका वह उपदेश अर्थात् उस विषय का बोधक वाक्य ही शब्द प्रमाण है। मद्रूपि गौतम के उक्त सूत्र में भी उपमान प्रमाण का समझा जाता है। किन्तु परवर्ती गट से नन्व-नैयायिका ने वाक्य के अन्वय-पद-समूह के स्मरणार्थक ज्ञान को ही वाक्यार्थविशेष का कारण मान्य करने का शब्द प्रमाण कहा है। यथार्थ में शब्दविशेष में पहले पद का ज्ञान और उसके अर्थ का स्मरण आवश्यक है। उक्त मत में पहले एक-एक पद का ज्ञान होने पर भी बाद में उन सब पदों के गट में अनुमानमय स्मरण होता है। परन्तु उन सब पदार्थों का उस प्रकार का स्मरण होता है। उस पदार्थ स्मरण रूप व्यापार में पूर्वोक्त पद-पदस्मरण शब्दविशेष का यही वाक्यार्थविशेष का कारण

होने के नाते शब्द प्रमाण है। शब्दबोध के अन्वयहित पूर्ववर्ण में उस वाक्य के विद्यमान नहीं रहने में वह शब्द प्रमाण नहीं हो सकता है। परन्तु प्राचीन मन में स्मरण रूप ज्ञानतत्त्व सम्बन्ध में वह वाक्य भी आत्मा में विद्यमान होने से वह शब्द प्रमाण हो सकता है, परन्तु शब्दबोध का चरम कारण ही मुख्य कारण है। इस मन में पदार्थस्मरण मुख्य शब्द प्रमाण है, यह कहना होगा।

श्रद्धार्थक वेद आदि शास्त्र भी जो शब्दप्रमाण है—इसे एक करने के लिये मरिचि गौतम ने यही द्वितीय सूत्र के द्वारा कहा है कि वह श्रात वाक्य रूप शब्द प्रमाण दो प्रकार के है—चूँकि वे दृष्टार्थक और श्रद्धार्थक है, अर्थात् दृष्टार्थक और श्रद्धार्थक जिस नाम में शब्द प्रमाण दो प्रकार के है। भाष्यकार वात्स्यायन ने उसकी व्याख्या की है कि श्रात वाक्य का प्रतिपाद्य अर्थ इस लोक में तथा प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण में समझा जाता है, वह दृष्टार्थक शब्द प्रमाण है और जिस श्रातवाक्य का प्रतिपाद्य अर्थ 'इह' लोक में अथवा किसी प्रमाण में समझा नहीं जाता है, वह श्रद्धार्थक शब्द प्रमाण है। जैसे—'स्वर्गकामोऽश्नमेवेन यजेत' इत्यादि वेदवाक्य। उन वाक्य का अर्थ यह है कि स्वर्ग की इच्छा करने वाले अधिकारी अश्नमेव यज्ञ करें। अर्थात् अश्नमेव यज्ञ उनके लिये स्वर्ग का साधन है। किन्तु इह लोक में अन्य किसी प्रमाण में ही अश्नमेव यज्ञ की स्वर्ग साधनता समझी नहीं जाती। स्वर्ग नामक सुत्र विशेष का भी इह लोक में अनुभव नहीं किया जाता। ऐसे और भी बहुत में तत्त्व हैं जो वेद आदि शास्त्रों में भिन्न किसी प्रमाण से ही समझा नहीं जाता। अतः उन सब विषयों में वेद आदि शास्त्ररूप श्रातवाक्य ही श्रद्धार्थक शब्द प्रमाण है। मास्मान्तार्य ईश्वरदृष्ट्या ने भी कहा है—'तस्मादपि चाच्छिन्न परोन्मानागनात् सिद्धम्' १६।

वेद आदि शास्त्र में दृष्टार्थक वाक्य भी बहुत में हैं और श्रद्धार्थक बहुत में लौकिक वाक्य भी दृष्टार्थक शब्द प्रमाण है। इसी से सर्व ही सत्यवादी विश्व व्यक्ति के लौकिक वाक्य को सुनकर तदनुसार लोक व्यवहार चल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस विषय में 'आम' है उस विषय में उनका वाक्य ही श्रातवाक्य है। इसलिए भाष्यकार वात्स्यायन ने भी श्रात का लक्षण कहकर बाद में कहा है कि यह आम लक्षण सृष्टि, आर्य तथा म्लेच्छों के लिये समान है। अर्थात् चूँकि सृष्टियों के वाक्य की तरह अस्मरार आर्यगण तथा म्लेच्छगण सार्वार्थक बहुत में लौकिक-वाक्यों में भी जब उन विषयों का यथार्थ शब्द-बोध हो रहा है और तदनुसार उनका यथार्थ व्यवहार भी चल रहा है। तब वे भा उन सब विषयों में श्रात हैं। किन्तु अलौकिक विषय में सब व्यक्ति आम नहीं हो सकते। इस विषय में अन्वयान्य नापे नाद में व्यक्त होंगी।

वारहवाँ अध्याय

न्यायदर्शन में प्रमाण की परीक्षा

न्यायदर्शन के द्वितीय अध्याय प्रथम आह्निक म महर्षि गौतम ने सामान्यतः प्रमाण पदार्थ की परीक्षा करते हुए पहले—‘प्रत्यक्षादीनाप्रामाण्य त्रैकाल्यासिद्धौ’ २।१।८ आदि सूत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष आदि का प्रामाण्य नहीं है—इस पूर्वपक्ष का समर्थन करके उसका पण्डन करने के लिये पहले जो कहा है उसका तात्पर्य यह है कि प्रमाण के बिना कुछ भी सिद्ध नहा हो सकता। जो स्वमत-साधक किसी प्रमाण को नहीं कह सकते वे दूसरों के मत में भी प्रमाण का प्रश्न नहीं कर सकते। अतः प्रमाण के बिना भी उनका मत सिद्ध होने पर तुल्यरूप से दूसरों के मत भी सिद्ध हो सकते हैं। अतएव सभी को अपने मत के साधक प्रमाण कहने चाहिये। लेकिन जिस के मत म प्रमाण नामक कुछ भी नहा है वे अपने उत्तररूप मत को भी सिद्ध नहा कर सकता और यदि बाध्य होकर वे व्यक्ति अपने उस मत के साधक प्रमाण में वास्तविक प्रामाण्य मानते हैं तो जिस हेतु के द्वारा वे सकल प्रमाणों का अप्रामाण्य सिद्ध कर रहे हैं वही हेतु सकल प्रमाणों म नहीं है—यह उन्हें भी मानना होगा। तब फिर वे उन प्रमाणों का अप्रामाण्य सिद्ध नहीं कर सकते।

तब क्या प्रमाण का भी प्रमाण है? प्रमाण के बिना यदि कुछ भी सिद्ध नहीं होता है तो प्रमाण पदार्थ भी सिद्ध नहीं हो सकता। और प्रमाण भी यदि प्रमाण का विषय होता है तो वह भी प्रमेय पदार्थ ही होता है। तब उसको प्रमाण कैसे कहा जा सकता है? इसने उत्तर में गौतम ने कहा है—‘प्रमेय-श्च तुलाप्रामाण्यवत्’ २।१।१६॥

तात्पर्य यह है कि जो प्रमाण है वह भी प्रमाणान्तर ने सिद्ध होने पर उस समय म प्रमेय भी होता है। सामान्यतः प्रमेयत्व सभी पदार्थों म है। जैसे मुख्य आदि के गुरुत्वविशेष के निर्धारक तर्गन् से जिस समय में मुख्य आदि के गुरुत्व विशेष का निश्चय किया जाता है उस समय में वह तर्गन् उस निश्चय का साधन होने से ‘प्रमाण्य’ नाम से कहा जाता है। परन्तु किसी समय म भी उस तर्गन् के प्रामाण्य के बारे में किसी का अग्रर सन्देह होता है तो दूसर परीक्षा तर्गन् से उसके प्रामाण्य की परीक्षा की जाती है। तब वही तर्गन् प्रमेय होता है।

इसी तरह से किसी प्रमाण से जब किसी पदार्थ का निर्णय होता है, तब वह प्रमाण ही है, किन्तु उस प्रमाण के प्रामाण्य के बारे में अगर किसी को शक हो या कोई उससे प्रामाण्य को इनकार करे तो उस समय में प्रमाण के द्वारा उसके प्रामाण्य का निर्णय आवश्यक होता है और तब वही प्रमाण दूसरे प्रमाण का विषय होकर प्रमेय बन जाता है। अतः प्रमाण में भी प्रमेयत्व रहता है। प्रामाण्य और प्रमेयत्व काच के भेद से विरुद्ध नहीं होते।

पूर्वज्ञादी की अन्तिम बात यह है कि प्रमाण का भी यदि प्रमाण माना जाय तो उस प्रमाण का सावक दूसरा प्रमाण तथा उसका सावक अरु प्रमाण मानना पड़ेगा।

इस तरह से अनन्त प्रमाण मानना पड़ता है, परन्तु उसे मानने पर किसी समय में भी किसी को किसी प्रमाण से किसी तत्व का निश्चय नहीं हो सकता। अतः वस्तुतः प्रमाण भी नहीं है। प्रमाण तथा प्रमेय का व्यवहार काष्पनिक प्रमेय भी नहीं है। महर्षि गौतम ने उक्त पूर्वपक्ष को अन्त में कहा है यही भाग्या पड़ेगा, उसका पण्डन करने के लिए अन्त में कहा है,—‘न, प्रदीप-प्रकाश-सिद्धिरत् तत्सिद्धे’ ॥२॥१॥१६॥

अर्थात् जैसे प्रदीप का प्रकाश चक्षुरिन्द्रिय से सिद्ध होता है, वैसे प्रमाण समूह भी प्रमाणान्तर में ही सिद्ध होते हैं। अभिप्राय यह है कि प्रदीप को देखने के लिए दूसरा प्रदीप आवश्यक न होने पर भी चक्षुरिन्द्रिय आवश्यक है। क्योंकि अन्य व्यक्ति प्रदीप को भी नहीं देख पाता है। अतएव प्रदीप स्वयं प्रकाश है—यह भी नहीं कहा जा सकता है। किन्तु उस प्रदीप के लिए तो दृष्टा का चक्षुरिन्द्रिय आदि प्रमाण है एव उस प्रमाण के बारे में भी अनुमान प्रमाण है एव वह अनुमान जो प्रमाण है, उसके बारे में भी अरु अनुमान प्रमाण है।

किन्तु निम्न तरह से प्रदीप को देखने के लिए चक्षुरिन्द्रिय आवश्यक होने पर भी उस समय में उसका ज्ञान आवश्यक नहीं होता है इसी तरह से सभी प्रमाण के सावक प्रमाण के रहने पर भी उसका ज्ञान आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि सर्वत्र प्रमाण पदार्थ में प्रामाण्य का शक नहीं होता है। किन्तु किसी-किसी स्थान में प्रमाण के द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होने पर भी वह ज्ञान यथार्थ है या नहीं ऐसा शक्य होता है। अतः उक्त स्थान में उस प्रमाण पदार्थ में भी यथार्थ का स्पष्ट होता है। इसलिये यह भी नहीं माना जा सकता है कि ज्ञान का प्रामाण्य या यथार्थत्व स्वतोभावे है अर्थात् उसका निश्चय कराने वाला

अपर प्रमाण आवश्यक है। अतः प्रमाज्ञान का प्रमाण तथा प्रमाण का प्रामाण्य, 'परतोभास्य' है अर्थात् अन्य प्रमाण के द्वारा ही वह निश्चित होता है—यही मानना पड़ेगा।

प्रमाण की प्रामाण्यसिद्धि के लिए अतिरिक्त किसी प्रमाण को मानना अनावश्यक है। क्योंकि द्वितीय प्रमाण अनुमान के द्वारा ही सभी प्रमाणों का प्रामाण्य सिद्ध होता है। प्रमाण के द्वारा किसी विषय के ज्ञान होने पर वह उस विषय में सफल प्रवृत्ति का कारण होता है। तथा उस प्रमाज्ञान के द्वारा वह प्रमाण भी सफल प्रवृत्ति का कारण होता है। जैसे मृगवृष्णा में जन का भ्रम होने में उसमें उत्पन्न जन पीने की प्रवृत्ति सफल नहीं होती है किन्तु प्रमाण से वास्तव जल को जल स्मभने पर पीने से पिशाच की निवृत्ति होने पर जलपान में प्रवृत्ति सफल होती है। अतः बाद में 'इदं ज्ञानं यथार्थं, सफल-प्रवृत्तिजनकत्वात्, यन्नैव तन्नैवम्' ऐसे अनुमान के द्वारा पहले उत्पन्न उस जलज्ञान का यथावत् सिद्ध होता है तथा उस यथार्थ ज्ञान के कारण प्रमाण पदार्थ का प्रामाण्य भी उक्त रूप से ही द्वारा अनुमान से सिद्ध होता है।

इसी तरह से वेद आदि शास्त्ररूप धृष्टार्थक शब्द प्रमाण का प्रामाण्य भी दूसरे अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है। किन्तु प्रमाण के प्रामाण्य साधक उस अनुमान प्रमाण में प्रामाण्य का सन्देह नष्ट होने से उस अनुमान के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए फिर से अनुमानान्तर की आवश्यकता नहीं होती है।

यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि सब सभी प्रमाणों में प्रामाण्य का सन्देह होता है। क्योंकि वेदा होने पर जीवों की प्रमाणमूलक निश्चय जन्म जो सब प्रवृत्तियों तथा व्यवहार हो रहे हैं, वे उत्पन्न नहीं होते। सन्देहादी भी यह नहीं कह सकते कि किसी विषय में कभी यथावत् निश्चय नहीं होता है।

न्यायदर्शन पद्धत अध्याय प्रथम आहिक के अंत में महर्षि गौतम ने कहा है—'ज्ञानविकल्पानां भावाभाससंवेदनादध्यात्मम्'। उक्त सूत्र में 'ज्ञान विकल्प' शब्द से विशिष्ट विषयक ज्ञान को इष्ट करके 'भावाभाससंवेदनात्' इस पद से गौतम ने अपना सिद्धान्त व्यक्त किया है कि विशिष्ट विषयक ज्ञान मात्र के भाव तथा अभ्यास का मानस प्रवृत्त रूप संवेदन होता है। गौतम के उक्त सूत्र के अनुसार ही नैयायिक सम्प्रदाय ने ज्ञान के शास्त्र प्रवृत्त को 'अनुव्यवसाय' नाम से उल्लिखित किया है।

जैसे धातु रूप से धातु विषयक ज्ञान होने पर रूप में 'पद्मं जानामि' यानी धातु विशिष्ट धातु का मैं जानता हूँ—इस तरह से मन के द्वारा ही उस

ज्ञान का ज्ञान होना है। वह जो बोध है, वह उस ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष रूप बोध है और उक्त नाम है अनुब्यवसाय। किन्तु उस अनुब्यवसाय का मानस प्रत्यक्ष रूप अनुब्यवसाय एव उसका अनुब्यवसाय प्रभृति उस ज्ञान का प्रकाश आवश्यक नहीं होने के कारण अनन्त अनुब्यवसाय स्वीकार की आपत्ति नहीं होती है। किसी प्रतिबन्धक के कारण अनुब्यवसाय के मानस प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी पश्चात् वह अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने से उसे निष्प्रमाण भी नहीं कहा जा सकता है। कतिपय कथन यह है कि गौतम के मत से पहले-पहले जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है वह मन के द्वारा प्राप्य है, वह स्वतः प्रकाश नहीं है तथा वह ज्ञानाद्यय आत्मा भी स्वतः प्रकाश नहीं है।

पूर्वोक्त प्रकार से पहले-पहले उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष रूप अनुब्यवसाय होने पर भी उस अनुब्यवसाय में उस ज्ञान का भ्रमत्व या प्रमात्व विषय नहीं होता है। अतएव वाद में अनुमान प्रमाण रूप दूसरे प्रमाण में ही उस ज्ञान का भ्रमत्व या प्रमात्व का निश्चय होता है। अर्थात् जैसे भ्रमात्मक ज्ञान का भ्रमत्व परतोप्राप्य है उसी तरह में प्रमात्मक ज्ञान का प्रमात्व भी परतोप्राप्य है, वह स्वतोप्राप्य नहीं है तथा भ्रमात्मक ज्ञान की उत्पत्ति जैसे किसी दोष में होने के कारण उसका भ्रमत्व भी उस दोष से उत्पन्न होता है, उसी तरह से प्रमात्मक ज्ञान की उत्पत्ति भी तुल्य बुद्धि से किसी गुण से उत्पन्न होती है, ऐसा स्वीकार करने योग्य होने के कारण उसका प्रमात्व भी उसी गुण से उत्पन्न है—यह मानना पड़गा, इसी मत का नाम है—‘परतः प्रामाण्यवाद’।

न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय ने उक्त मत का अस्वीकार करके ही वेद को पौरुषेयत्व का समर्थन किया है। कारण यह है कि उक्त मत के अनुसार वेद-वाक्यजन्य शाब्दबोधक का जो प्रमात्व है, वह उस वेद के वक्ता पुरुष के वेदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान रूप गुण से उत्पन्न है। अतः वेद उस पुरुष से वृत्त होने के नाते पौरुषेय है तथा उनके प्रामाण्य से ही वेद का प्रामाण्य है। अतः उस वेद के वक्ता नित्य सज्ञ परोक्ष भी स्वीकरणीय है। यह व्यक्त होगा।

कर्म मीमांसक सम्प्रदाय के मतानुसार वेद नित्य है। वेद किसी पुरुष के द्वारा वृत्त नहीं है इस अर्थ में अनीरुपेय है। इसीलिये उन्होंने स्वतः प्रामाण्यवाद का समर्थन किया है। वेदान्त आदि और अनेक सम्प्रदायों ने विभिन्न रूप में वेद का अनीरुपेयत्व तथा स्वतः प्रामाण्यवाद ही स्वीकार किया है। स्वतः प्रामाण्यवादी मीमांसक के मत में भ्रमात्मक ज्ञान की उत्पत्ति तथा किसी दोष से होती है और उक्त भ्रमत्व निश्चय भी पश्चात् अनुमान आदि प्रमाण से

ही होता है। किन्तु प्रामाणिक ज्ञान का प्रमात्व स्वतः है यानी प्रतिरिक्त किसी विशेष कारण की अपेक्षा नहीं है तथा उस ज्ञान का प्रमात्व निश्चय न मा अप्रमात्व की अपेक्षा नहीं होती है। क्योंकि प्रामाणिक ज्ञान की उत्पत्ति उस ज्ञान के बोधक को मनुष्य काणा है जन्म द्वारा ही उस ज्ञान का प्रमात्व निश्चय होता है। इसी मत का नाम है 'स्वतः प्रामाण्यवाद'।

किस वस्तु सम्बन्ध हुआ है उस विषय में प्रामाणिक संप्रदाय में दुःख प्रभाकर, तुमारिल मन्त्र तथा मुयारिभिन्न व विभिन्न मत हैं। प्रभाकर के मत में ज्ञान स्वप्रकाश है। क्योंकि ज्ञान शेष तथा ज्ञाना इन दोनों का विषय जन्म ही ज्ञान उत्पन्न होता है। 'न—अथ धं इन्द्रा जनामि—इस तरह स ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उसमें उस ज्ञान का प्रमात्व भी विषय ज्ञान में उस ज्ञान द्वारा किसी प्रकार का प्रामाणिकता नहीं होती है, प्रभाकर के मत में ज्ञान (ज्ञान) नहीं होता है।

तुमारिल मन्त्र के मतानुसार ज्ञान अतीन्द्रिय है। किन्तु ज्ञान उत्पन्न ज्ञान पर उसमें उस ज्ञान के विषय में ज्ञानता नामक एक पदार्थ उत्पन्न होता है और फलवात् उसी का मानव ज्ञान होता है। ज्ञान का विषयक ज्ञान उत्पन्न होने पर फलवात् 'ज्ञान मया ज्ञान' इस तरह में उस धर्म में रहने वाली का प्रत्यक्ष होता है, फलवात् 'अहं धर्मरसकज्ञानान् तथा विषयान्तरत्वात्' इस तरह में उस ज्ञानता हेतु का द्वारा उत्पन्न कारण का विषयक ज्ञान का अनुमान होता है।

गणेश उसध्याय के प्रामाण्यवाद की सम्प्रदाया में मधुसूतनाथ तन्वागण्य न मन्त्र मत की व्याख्या के प्रयोग में ज्ञान में भी ज्ञान को स्वरूप सम्भव विराट है ऐसा कहकर ज्ञानता हेतुके अनुमान ही दिग्गया है।

जो भा हो, कलिस्त कथन यह है कि तुमारिल मन्त्र के प्रसिद्ध मत में अतीन्द्रिय ज्ञान का ज्ञान अनुमान प्रमात्व का ज्ञान ही ज्ञान के माध्याम्य उत्पन्न प्रमात्व मा म्निद्र होता है—इसी अर्थ में ज्ञान का प्रमात्व स्वतः प्रमात्व है।

किन्तु मुयारिभिन्न न ज्ञान में ज्ञान का अनुमान स्वतः ही के मानक ज्ञान का द्वारा ही ज्ञान की तरह उनका प्रमात्व भी सिद्ध होता है—इसका अनुमान किया है। इन सभी मतों की तुलना सुन्दर नहीं है।

परन्तु प्रामाण्यवादी न्यायज्ञान के संप्रदाय की ज्ञानता ज्ञान यह है कि किसी विषय में किसी को बतलाने प्रमात्व होने पर भी ज्ञान किसी स्थल में यह ज्ञान प्रामाणिक है या नहीं—इस तरह का सन्देह भी ज्ञान है, तब उस प्रमात्व ज्ञान के बोधक कारण के द्वारा ही उत्पन्न प्रमात्व का निश्चय होता है, यह कदापि

कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि पहले प्रमात्य का निश्चय होने पर उस विषय में शय्य नहीं हो सकता है। जैसे स्थल में जाता पुरुष ना कोई दोष प्रतिबन्धक के रूप में रहने से पहले उसने ज्ञान में प्रमात्य का निश्चय नहीं होता है। ऐसा करने पर जिस तरह वा दोष उस प्रमात्य निश्चय का प्रतिबन्धक है, यह कहना आवश्यक है तथा दोष रहने से उस दोष से उत्पन्न उसका वह ज्ञान क्यों नहीं भ्रम ही क्यों नहीं होता है, यह भी कहना आवश्यक है, परन्तु ज्ञान के प्रमात्य निश्चय में दोष को प्रतिबन्धक मानन पर उसमें दोष के उस अभाव को भी अतिरिक्त कारण के रूप में मानना हा होगा। क्योंकि वायुमात्र में ही उनक प्रति प्रतिबन्धक पदार्थ का अभाव भी कारण के रूप में स्वीकरणीय है।

नव प्रमाशन के प्रमात्य निश्चय में यातरिक्त और किसी कारण की अपेक्षा नहीं है अथात् प्रमात्य स्वतोप्राप्त है—इस सिद्धान्त की रक्षा नहीं होती है।

इसी तरह स प्रमात्मक ज्ञान की उत्पत्ति में 'शुण्य' के रूप में किसी अतिरिक्त कारण को नहीं मानने पर भी दोष का अभाव कारण है, यह मानना ही होगा। क्योंकि भ्रम का उत्पादक कोई दोष रहने पर वहाँ भ्रमज्ञान ही होता है, प्रमात्मक ज्ञान नहीं होता है—यह सर्वस्वीकृत सत्य है। अतः प्रमाशन की उत्पत्ति या स्वत ही प्रमात्य यदि दोषाभावरूप अतिरिक्त कारण होता है, तो उत्पत्ति पक्ष में भी स्वत प्रामाण्यवाद सिद्धान्त की रक्षा नहीं होती है। इसमें युक्ति नहीं है कि अभाव पदाधरूप किसी अतिरिक्त कारण से उत्पन्न होने पर भी 'स्वत प्रामाण्य' का हानि नहीं होती है और यह कहने पर अभाव रूप दोष जन्य जो भ्रमज्ञान है उसमें भी स्वतस्व क्यों नहीं माना जाता ?

न्यायदुग्गुमात्रले के तृतीय खण्ड के आरम्भ में एक मत का खण्डन करने के लिये महानैयायिक उदयनाचार्य ने कहा है कि भ्रम का उत्पादक दोष मात्र ही स्वत भाव पदार्थ ही नहीं है। क्योंकि विशेष धर्म के दशन के प्रभाव आदि भी दोष है अतः उनके लक्ष्यादि भ्रमज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमात्मक ज्ञान की उत्पत्ति में जो विशेष कारण है उसे ही दोष कहा जाता है। अतः किसी प्रभावामक दोष का जो अभाव जत्र वह वस्तुत्व भाव पदार्थ ही है, तत्र उस दोष के अभाव के प्रभाव से जिस प्रमाशन की उत्पत्ति होती है वह वस्तुत्व भावपदाधर होने पर भी उसे स्वत उत्पत्ति क्यों नहीं कहेंगा ? उदयनाचार्य ने तत्र में मीमांसक संप्रदाय की श्रुत्यान्वयता का उल्लेख करते हुये सूक्ष्म विचार के द्वारा उनका भी खण्डन किया है। बाद में नव्यनैयायिक मन्नेश उपपाध्याय ने तत्त्वचिन्तामणि के प्रामाण्यवाद ग्रन्थ में नवीन रीति से विस्तारपूर्वक सूक्ष्म विचार किया है। विशेष दिशामु को यह ग्रन्थ प्रवर्त्य पढ़ना चाहिये।

महापि गौतम ने शब्द में उनके द्वारा पहले कहे गये प्रत्यक्ष लक्षण की परीक्षा करके पश्चान् प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा करते हुए पूर्वपक्ष सूत्र कहा है—‘प्रत्यक्षमनुमानमेकदेशप्रहरणादुपलब्धे’ २।१।३१।

अर्थात् चूँकि वृत्त आदि द्रव्य की शाखा आदि अवयव रूप किसी एक-देश के दर्शन से उस वृत्त आदि का ज्ञान होता है, इसलिये वृत्त आदि का ज्ञान अनुमिति है। इसके उत्तर में गौतम ने कहा है कि वृत्त आदि की शाखा आदि किसी एकदेश का प्रत्यक्ष मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करना जाना है। अन्यथा वह अनुमिति भी नहीं हो सकती। गौतम ने पश्चान् अवयव समष्टि से भिन्न अवयवों द्रव्य का समर्थन करके प्रत्यक्ष का समर्थन किया है। वृत्त आदि द्रव्य जो परमाणुओं का समूह रूप नहीं है—इसके समर्थन में गौतम ने कहा है कि अवयवों के नहीं रहने से किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक परमाणु ही अतीन्द्रिय है। अतएव परस्पर संयुक्त परमाणुओं का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है।

गौतम ने शब्द में अनुमान के प्रामाण्य की परीक्षा करते हुए सत्त्व में जा कहा है उसका कारण यह है कि—

जो जिस अनुमान में प्रवृत्त हेतु नहीं है उसे हेतु के रूप में ग्रहण करके उक्त अनुमेय धर्म का व्यभिचार प्रदर्शन करने पर उसमें प्रवृत्त अनुमान का अप्रामाण्य सिद्ध नहीं होता है। अनुमान का जो प्रवृत्त हेतु है, वह कदापि अनुमेय धर्म का व्यभिचारी नहीं होता है। कल्पित कथन यह है कि प्रवृत्त हेतु से जो अनुमितिरूप ज्ञान उत्पन्न होता है वह यथार्थ निश्चयात्मक ज्ञान है। अतः उस ज्ञान का कारण भूत जो अनुमान प्रमाण है उसका प्रामाण्य अस्मत् मानना होगा। केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण करने वाले चार्वाक ने सभी स्थानों में अनुमान के हेतु अनुमेय धर्म का व्यभिचार संशय समर्थन करके अनुमान का अप्रामाण्य समर्थन किया है। किन्तु अनुमान प्रमाण का अनु-लम्बन न करने पर उक्त व्यभिचार संशय का भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सर्वत्र ही अनुमान के हेतु में व्यभिचार या संशय होता है—इसका समर्थन करने के लिए जिस देश काल प्राद का प्रवृत्त प्रमाण पड़ता है, वह अप्रत्यक्ष है। और अनुमान प्रमाण अस्मत् होने में प्रत्यक्ष प्रमाण भी सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि चतुरादि इन्द्रिय रूप प्रमाण सिद्ध नहीं है। अनुमान प्रमाण से ही वे सिद्ध होते हैं।

अनुमान प्रमाण को नहीं मानने में चार्वाक गण भी दूसरों को अज्ञान मानते नहीं कह सकते हैं। क्योंकि (दूसरे) की आत्मगत प्रज्ञा तथा भ्रम को अज्ञान

व्यक्ति मन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, किन्तु उसके वाक्य का श्रवण आदि करके अनुमान करता है—यह चार्वाक को भी मान्य है। सर्वत्र ही दूसरों की श्रुता या भ्रम के विषय में संभावनात्मक ज्ञान ही होने से निश्चित रूप में यह कभी कक्षा नहीं जा सकता। परन्तु यह भी कदापि नहीं कहा जा सकता है कि सर्वत्र अप्रत्यक्ष विषय में समानात्मक सशय ज्ञान के द्वारा ही जीवों की प्रवृत्ति तथा व्यवहार होते हैं। स्त्री या पुत्र आदि के मर जाने पर उस मृत्यु के अनुमापक अनेक अज्यभिचारी हेतुआ का निश्चय करके अनुमान प्रमाण के द्वारा उस मृत्यु का निश्चय होने पर ही देह के दाह आदि क्रिया में प्रवृत्ति होती है। अनेक स्थलों में अमात्म्य निश्चय हो सक्ता है किन्तु मृत्यु के विषय में किसी तरह के सशय रहने से सर्वत्र उस तरह की प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

अनुमान के प्रामाण्य को सन्दिग्ध कहने में उनका अप्रामाण्य भी सन्दिग्ध ही होगा। परन्तु जो सन्दिग्ध है, वह कोई सिद्धान्त हो नहीं सकता अतः अनुमान के अप्रामाण्य को सिद्धान्त कहना ही तो उसके साधक प्रमाण को भी कहना होगा, किन्तु चार्वाक के मन में प्रत्यक्ष को छोड़कर प्रमाण नहीं है, अवश्य तीक्ष्ण बुद्धि वाले चार्वाक ने अनुमान के प्रामाण्य के सङ्ग में साधक के रूप में अनेक बातें कही हैं। किन्तु उदयनाचार्य प्रभृति नैयायिकों ने विचारपूर्वक उसका खण्डन किया है। जैन तथा बौद्ध सम्प्रदाय ने भी चार्वाक मन का खण्डन किया है।

प्राचीन वैशेषिक आचार्य प्रशस्तपाद ने कहा है—‘शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः’। यह प्रसिद्ध ही है कि वैशेषिक सम्प्रदाय के मतानुसार उपमान शब्द प्रमाण आदि अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत हैं—यही प्रसिद्ध है। किन्तु व्योमशिराचार्य ने बहुत बुनियादों के द्वारा सिद्ध किया है कि कणाद के मत में शब्द अनुमान में पृथक् प्रमाण है। कणाद प्रकृत, अनुमान तथा शब्द ये तीन प्रमाण मानते हैं। अतः प्रशस्तपाद के उक्त वाक्य में—‘शब्दादीनाम्’ इस पद में अतद्गुण्य अविज्ञान बहुव्रीहि समास मानकर उक्त पद के द्वारा शब्द प्रमाण को छोड़कर उपमान आदि प्रमाण ही समझना चाहिये।^१

१ अनुमान प्रामाण्य के खण्डन में चार्वाक का सब बाते तथा उनके खण्डन के लिए विवृत धारोचना मसम्पादित न्यायदर्शन के द्वितीय खण्ड पृष्ठ २१६ में देखिये। सर्वं सिद्धांत नाम की ग्रन्थ में वैशेषिक मत में प्रमाण के तीन प्रकार बड़े गर हैं किन्तु इस ग्रन्थ को शङ्कराचार्य की रचना नहीं माना

शङ्कराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य ने 'मानसोल्लास' ग्रन्थ में प्रमाण की संख्या से विषय में प्रसिद्ध मत में दिग्गते हुए कहा है कि चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। कणाद तथा बौद्ध सम्प्रदाय विशेष प्रत्यक्ष और अनुमान—इन दो प्रमाणों को मानते हैं। सायन तथा न्याय का एकदेशी सम्प्रदाय विशेष प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द इन तीन प्रमाणों से मानता है। नैयायिक सम्प्रदाय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार प्रमाणों को मानते हैं। गुरु प्रभाकर पूर्वोक्त प्रमाण चतुष्टय और श्रयान्ति इन पाँच प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। कुमारिल भट्ट का सम्प्रदाय एवं वेदान्त सम्प्रदाय उक्त पाँच प्रमाण तथा "श्रमाय" यानी अनुपलब्धि इन छह प्रमाणों को मानते हैं। पौराणिक गण उक्त छह प्रमाण तथा सम्भव और ऐतिह्य इन आठ प्रमाणों को मानते हैं। बरद राजा ने भी 'लार्किक रत्न' ग्रन्थ में सुरेश्वराचार्य के उन सत्र प्रसिद्ध श्लोकों को उद्धृत किया है—यही समझा जाता है।

जा भी हो श्रय यही पहले समझता है कि महर्षि गौतम ने उपमान नाम का प्रथम प्रमाण क्यों स्वीकार किया है? पूर्वपक्ष यह है कि उपमान भी अनुमान का अन्तर्गत है।

महर्षि गौतम ने ज्ञान में स्वयं ही उक्त पूर्वपक्ष का स्पष्टीकरण करके उससे स्पष्टीकरण के लिए कहा है।

'तथत्वपक्षहारादपमानसिद्धे नो विशय' २।१।४८। तात्पर्य यह है कि पहले 'यथा गीस्तथा गवय' ऐस वाक्य का अर्थ 'य' बिना ज्ञान में गवय को देखने पर भी नगरवासी का उसमें गवयशब्द वाच्यत्व का निर्णय नहीं होता है। किन्तु उस प्रकार के वाक्य के सुनने के बाद गवय को देखने पर उसमें यह भेद पूर्वपक्ष गौ के सदृश है—इस तरह से उस गवय पशु में गौ के सदृश्य के प्रत्यक्ष में पूर्वश्रुतवाक्याथ का स्मरण होने पर गवयत्व विशिष्ट पशुमात्र गवय

जा सकता है। शङ्कराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य ने भी कणाद के मत में प्रमाण तथा अनुमान दोनों प्रमाणों को ही कहा है। किन्तु महर्षि कणाद ने अनुमान के निराकरण के बाद ही कहा है—'एतन्न शब्द व्याप्तायम्' ६।२।३। कणाद के उक्त मूल का तथा प्रमाणाद की धारणा रक्षित्या से स्पष्ट ही जाना जाता है कि कणाद के मत में अनुमान भी अनुमित विशेष है। अतः मत में अनुमान ही ही ज्ञान का प्रमाण है। वह (शब्द) स्वयं प्रमाण नहीं है। किन्तु विशेषज्ञ चाचार्य ने कणाद की उक्त मूल की वाई व्याख्या नहीं की है। (बौध्दगी) बौध्दशास्त्रकारण, पृ० ५७७ में ५६६ का स्पष्ट है।

शब्द का वाच्य है। इस तरह का ज्ञान होता है। उक्त स्थल में उक्त रूप बोध ही उपमिति है। अनुमिति में उसका भेद है। क्योंकि उक्त रूप सादृश्य का प्रयत्न किसी अनुमिति का कारण नहीं है। परन्तु किसी हेतु में पहले अनुमेय धर्म की व्याप्ति निश्चय के बिना अनुमिति हो नहीं सकती। परन्तु उक्त स्थल में गवय शब्द के वाच्यत्व के अनुमान में कोई हेतु नहीं है।

अवश्य वैशेषिक संप्रदाय के परवर्ती आचार्यों ने गवय शब्द के शक्ति निर्णय के लिए नाना प्रकार का अनुमान प्रयोग किया है। किन्तु इस विषय में नैयायिक का कहना है कि गवय शब्द का किसी अर्थ विशेष में शक्ति है—केवल इतना ही अनुमान प्रमाण से जाना जा सकता है। किन्तु गवयत्वरूप से गवयवस्तु में जो शक्ति अर्थात् गवयत्वावच्छिन्न में जो शक्ति है वह अनुमान प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकता है।

क्योंकि पहले किसी दृष्टान्त में किसी हेतु में गवयत्व विशिष्ट में गवय शब्द की शक्ति के व्याप्ति-निश्चय के बिना यह सम्भवा नहीं जाना। परन्तु दृष्टान्त के अभाव में उस तरह का व्याप्तिनिश्चय सम्भव नहीं होता। इसलिये उक्तरूप शक्ति निर्णयका साधन उपमान नाम का प्रमाण मानना चाहिए।

अवश्य वैशेषिक संप्रदाय के उक्त मत के समर्थन में भी बहुत सी बातें हैं। नैयायिक संप्रदाय का अन्तिम पक्षव्य यह है कि सादृश्य के प्रत्यक्ष आदि से उक्त रूप से गवय शब्द के वाच्यत्व के ज्ञान के बाद उस बोद्धा का “भिन्ने गवयवस्तु विशिष्ट एतु में गवय शब्द के वाच्यत्व की अनुमिति की” इस तरह से उस ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष नहीं होता है। किन्तु उपमिति की इस रूप से ही उस ज्ञान का मानस प्रयत्न होता है। अतः उपमिति करनेवाले यह नहीं कहते हैं—“भिन्ने अनुमान के द्वारा यह सम्भवा है।” अतः उसका उस प्रकार का ज्ञान अनुमिति से भिन्न उपमिति है।

महर्षि गौतम ने चाँदे शब्द प्रमाण की परीक्षा करते हुए भी बहुत सी बातें कही हैं।

शब्द प्रमाण भी अनुमान के अन्तर्गत है अर्थात् शाब्दज्ञान भी शब्दमूलक अनुमिति विशेष है—इस पूर्णतः का समर्थन करके उसके रचन के लिए गौतम ने कहा है—‘आनोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादर्थसंप्रत्ययः’ २।१।५२।

अर्थात् वाक्यविशेष रूप शब्दविशेष में अर्थविशेष का जो सम्बन्ध होता है वानी वाक्यार्थनोदरप जो शाब्दज्ञेय होता है वह आतवाक्य के सामर्थ्य से होता है। अभिप्राय यह है कि किसी आतवाक्य में जो यथार्थ बोध होता है वह किसी हेतु में उस वाक्यार्थ के व्याप्तिज्ञान से नहीं होता है। अतः जैसे

धूम हेतु से वहि की अनुमिति होती है वैसे किसी हेतु से वाक्यार्थ की अनुमिति नहीं होती है ।

इसलिए वाक्याथ गोध के ग्राह गेद्धा व्याक्त को—मने इस वाक्यार्थ की अनुमिति की है—इस तरह से उस गोध का मानस प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु मन शान्दनेव किया है—इस तरह से ही उस गोध का मानस प्रत्यक्ष (अनुब्य-वकाय) होता है । महर्षि गौतम ने ग्राह न कहा है कि शब्द तथा अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है आण्य शब्द से उससे अर्थ की अनुमिति नहीं हो सकती क्योंकि स्वाभाविक सम्बन्ध रूप व्याप्ति में विशिष्ट हेतु से ही अनुमिति होती है ।

शब्द तथा अर्थ के स्वाभाविक सम्बन्ध का खण्डन करके गौतम ने प्रमा सिद्धान्त कहा है कि अर्थविशेष म शब्दविशेष के सङ्केत से ही उस शब्द में उस अर्थविशेष का गोध होता है । यह गोध शब्द तथा अर्थ के स्वाभाविक सम्बन्ध प्रयुक्त नहीं है । महर्षि कणाद का भी वही सिद्धान्त है । परन्तु किस तरह के हेतु से जैसे अनुमान के द्वारा वाक्यार्थगोध रूप शब्दगोध होता है—यं कणाद तथा प्रशस्तनाद ने भी नहीं कहा है । परन्ती अनेक वैशेषिक ग्राचार्यों ने शान्दनेव के स्थल में नाना प्रकार से अनुमानों का प्रदर्शन किया है । किन्तु न्यायकुसुमाञ्जलि तृतीय स्तरक में उदयनाचार्य ने सूक्ष्म विचार करते हुए सिद्ध किया है कि उपमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण अनुमान से भिन्न प्रमाण है । ग्राह में गङ्गेश उपाध्याय प्रकृति नरीन नैयायिकों न विशेष विचारपूर्वक वैशेषिक मत का खण्डन किया है । सञ्चेर में उन सब मतों का कुछ भा नहीं कहा जा सकता है ।

न्यायदर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय आह्निक के प्रारम्भ में महर्षि गौतम ने—'च चतुष्टयं' इत्यादि सूत्र के द्वारा पूर्वपक्ष का प्रकाश किया है कि 'ऐतिस' 'अर्थवत्ति' 'सम्भव' और 'अभाव' नाम के और चार प्रमाण प रहते हुए प्रमाण चार प्रकार के नहीं हैं । इस पूर्वमत का खण्डन करने के लिए गौतम ने बाद में कहा है कि 'ऐतिस' शब्द प्रमाण में अन्व-भूत है तथा 'अर्थवत्ति', 'सम्भव' तथा 'अभाव' अन्वभूत है । अतएव प्रमाण चार ही प्रकार के हैं ।^१

१ गौतम न पहले ही कहा है—'प्रमाणानुमानात्मानशब्दा वशात्प्रानि' १।१।३। बाद में उत्तरपूर्वपक्ष का प्रकाश कर के उसका खण्डन करके भी मत मत म प्रमाण का अनुविधान खण्डन के व्यक्त किया है ।

विषय वाक्य के वक्तव्य का निर्देश नहीं है—इस तरह के परम्परागत प्रवाद वाक्य “ऐतिस्य” नाम से कहा जाता है। गौतम के मत में प्रवाद मात्र ही प्रमाण नहीं हो सकता। जिस तरह का प्रवाद प्रमाण के रूप से माना जाता है वह शब्द प्रमाण रूप से ही ग्रहण करने योग्य है। शङ्कराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य ने कहा है—‘समवैतिह्यसुत्तानि तानि पौराणिका जगु’
(मानसोल्लास द्वितीय अध्याय २०वाँ श्लोक)।

पौराणिकों के मत में समवैतिह्य नामक प्रमाण अनुमान से भिन्न है। जैसे किसी के पास हजार रुपये हैं—यह जानने पर उसके पास सौ रुपये हैं यह समझा जाता है। किन्तु उस बोध में किसी हेतु की, तथा उसमें व्याप्ति शान आदि की अपेक्षा नहीं होती। अतएव उस तरह का निश्चयात्मक बोध अनुमान प्रमाणरूप नहीं है किन्तु भिन्न प्रमाण से यह ज्ञान उत्पन्न होना है। उस प्रमाण का नाम “समवै” है। परन्तु महर्षि गौतम ने उससे भी अनुमान प्रमाण ही कहा है। आचार्य मत में भी वह अनुमान में अन्तर्भूत है क्योंकि सौ के नष्ट रहने से शत से अधिक का रहना असंभव है। अतएव यदि हजार रुपये हैं तो सौ रुपये जरूर रहते हैं—इस तरह के व्याप्ति निश्चय से उत्पन्न संस्कार से ही तब उस व्याप्ति का स्मरण होने पर उसके उक्त रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। परन्तु जिसका उस प्रकार की व्याप्ति के बारे में कोई संस्कार नहीं है उसका उस तरह का ज्ञान नहीं होता है। अतः उस तरह का निश्चयात्मक यथार्थ ज्ञान अनुमान प्रमाण ज्ञान है—यही मानना है।

मीमांसक सम्प्रदाय ने अथापत्ति नामक पाचवाँ प्रमाण माना है। अर्थस्य अथापत्ति कल्पना इत्यर्थ में अथापत्ति शब्द से अथापत्ति नामक कल्पनात्मक प्रमाण समझना है। अथ अर्थस्य अथापत्ति कल्पना यस्मात् इस अर्थ में बहुव्रीहि समास ५ आधार पर उस कल्पना का लक्षण अथापत्ति नामका प्रमाण समझना

१. तथापि प्रमाणप्रवादों भाष्यज्ञान “न्यायप्रकार” ग्रन्थ में स्वमत समर्थन के लिए गौतम का भाष्यार्थ कल्पना की है कि गौतम के मत में भी अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण में अन्तर्भूत है। अतः उन्होंने उपमान प्रमाण अनुमान के अन्तर्गत है—इस मत का ही स्पष्टन किया है। किन्तु यह स्पष्ट प्रमाण नहीं है—यह उन्होंने नहीं कहा है। मासर्वान की यह कल्पना अथ किसी भी सम्प्रदाय में प्रचलित नहीं है। इसी से मासर्वान का सम्मत प्रमाणप्रवाद नैयायिक मतके रूप में नहीं माना। किन्तु यह न्यायप्रदेशी मत के रूप से कहा गया है। ‘मानसोल्लास’ ग्रन्थ में सुरेश्वराचार्य ने भी कहा है—‘न्यायप्रदेशिनोऽप्येवम् ।

है। दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति नाम से सामान्यतः अर्थापत्ति दो प्रकार की है। श्रुतार्थापत्ति भी दो प्रकार की है। वेदान्तपरिभाषाकार धर्मराजने भी इसकी व्याख्या तथा उदाहरण दिये हैं। श्रुतार्थापत्ति का प्रसिद्ध उदाहरण का प्रकाश करने हुए उन्होंने गद में कहा है—'यथा वा जीवो देवदत्त गृहे नेति वाक्यप्र-
धानतर जीविनो गृहासत्त्व वहि सत्त्वं कल्पयतीति। तात्पर्य यह है कि देवदत्त नामका कोई व्यक्ति जीविन है—यह जिसे निश्चित है वे किसी यात व्यक्ति से—'देवदत्त घर में नहीं है'—इस वाक्य को सुनने पर परचात् उस देवदत्त का वहि सत्त्व की कल्पना करते हैं। क्योंकि जीविन व्यक्ति की वो गृह में अस्तित्व है वह उसकी वहि सत्त्व के विना उत्पन्न नहीं होती है। अतएव उसका वहि-
सत्त्व ही गृह में अस्तित्व का उपपादक है और गृह में अस्तित्व ही उपपादक है। वह उपपादक ही उपपादक की कल्पना का कारण है। बहुते के मन से अनुसरत्तिका ज्ञान ही उस कल्पना का कारण है।

जो भी हो, फलित कथन यह है कि उत्तमन में पूर्वोक्त स्थल में किसी हेतु में वहि सत्त्व का व्याप्ति निश्चय सम्भव नहीं है। व्यतिरेक व्याप्ति का निश्चय अनुमान का कारण नहीं है। अनुमान मान ही अन्वयी है। अतः अर्थापत्ति के स्थल में अनुमान समर्थ नहीं होने से अर्थापत्ति नाम का पृथक् प्रमाण ही स्वीकरणीय है।

मीमांसक सम्प्रदाय के परन्तों आचार्यों ने इसका समर्थन करने के लिये बहुत स सूक्ष्म विचार किए हैं। परचात् नव्यनैयायिक स्थानाथ शिरोमणि न भी अतः मन के अनुसार विचार करके अनुमान मान को अन्वयी मानकर अर्थापत्ति का पृथक् प्रमाण ही समर्थन किया है।

किन्तु महर्षि गौतम ने अर्थापत्ति प्रमाण को भी अनुमान में अन्तर्भूत कहा है। उसने अनुसार उदयनाचार्यप्रभृति नैयायिकों ने विशेष विचार करके अर्थापत्ति के पृथक् प्रमाण का लक्षण किया है। वाहुल्य के दर से उनकी सभी बातों को प्रकाशित करना सम्भव नहीं है। संक्षेप में कहना यह है कि पूर्वोक्त स्थल में जीविन व्यक्ति का जो गृह में अस्तित्व है उसमें वहि सत्त्व के व्याप्ति निश्चय से ही उस देवदत्त में वहि सत्त्व की कल्पना रूप अनुमिति ही होती है। जीविन जिन सब व्यक्तियों की गृह में अस्तित्व नहीं है अर्थात् गृह में अस्तित्व है उन सब लोगों की गृह में अस्तित्व नहीं है ऐसा व्यतिरेक व्याप्ति का निश्चय निज देहरूप दृष्टान्त में ही सम्भव होता है।

परन्तु अन्वयव्याप्ति के निश्चय से भी उस देवदत्त में वहि सत्त्व की अनुमिति हो सकती है। क्योंकि जीविन जिन सब व्यक्तियों में गृह में अस्तित्व गृह है उन सब व्यक्तियों में वहि सत्त्व ही खड़ा है, जैसे विदेशस्थ पर शरीर

है—ऐसे निज शरीररूप दृष्टान्त में ही—उत्तरूप अन्वयव्याप्ति का निश्चय भी सम्भव है ।

वैशेषिक दर्शन के “उपस्कार” में (१।२।५) शङ्कर मिश्र ने भी पहले उत्तरूप अन्वयव्याप्ति ही दिखायी है । फलित कथन यह है कि इस मन में पूर्वोक्त रूप किसी वृत्तिनिश्चय से उत्पन्न संस्कार जिसका नहीं है उसको उस देवदत्त में वृत्ति संसृष्ट का ज्ञान नहीं होता है तथा उसको पूर्वोक्त रूप अनुपपत्ति का ज्ञान भी नहीं हो सकता । अतः पूर्वोक्त स्थल में—‘देवदत्तो न्हिरिति जीवित्वे सति गृहेऽसत्त्वात्’—इस तरह से अनुमान प्रमाण के द्वारा ही उस देवदत्त में वहि संसृष्ट सिद्ध होता है ।

महर्षि गौतम ने बाद में जो “अभाव” नाम के प्रमाण को अनुमान में अन्तर्भूत कहा है वह परंप्रमाणवादी कुमारिल भट्ट के द्वारा समर्थित “अभाव” नाम का पष्ठ प्रमाण नहीं है । भाष्यकार वात्स्यायन ने उसका उदाहरण दिखाना है कि बादल से पानी नहीं उरसने पर समझा जाता है कि उस बादल के साथ हवा का विलक्षण संयोग हुआ है । अर्थात् उस जलवर्षण का अभाव शत होने पर उस अभावरूप प्रमाण से ही हवा तथा बादल का विलक्षण संयोग सिद्ध हो । है । तात्पर्यगीकाकार वाचस्पति मिश्र ने उक्त स्थल में उस जलवर्षण के अभाव के ज्ञान को ही “अभाव” नाम का प्रमाण कहा है । किन्तु वह किस सम्प्रदाय का मत था यह उन्होंने भी वहाँ नहीं कहा है । जो भी हो उक्त “अभाव” को प्रमाण कहने वालों का यही अभिप्राय समझा जाता है कि अभाव पदार्थ में रहनेवाली व्याप्ति अनुमान का अंग नहीं होती है । अतः कोई अभाव पदार्थ अनुमान का हेतु नहीं होता है । अतः उक्त स्थल में जलवर्षण के अभाव के द्वारा अनुमिति सम्भव नहीं होने पर अभाव नाम का अतिरिक्त प्रमाण ही मानना चाहिए ।

किन्तु महर्षि गौतम के मन में अभाव पदार्थ भी अनुमान का हेतु होता है । इसमें युक्ति नहीं है कि अभाव पदार्थ में जो व्याप्ति रहती है वह अनुमान का अंग नहीं है । परन्तु किसी कार्य के अभाव रूप हेतु के द्वारा उसके कारण के अभाव का यथार्थ अनुमान ही होता है । अतः तुल्य युक्ति से भेदवन्वय जलवर्षण रूप कार्य के अभाव रूप हेतु से उस जलवर्षण का प्रतेरन्वय बादल तथा हवा का संयोग भी अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने पर अभाव नाम का पृथक् प्रमाण मानना आवश्यक नहीं है ।

वैशेषिक दर्शन में महर्षि बराद ने भी—‘विद्यमभ्यभूत भूतस्य’ (२।२।११) इस सूत्र के द्वारा उक्त रूप स्थल में चौथे प्रकार का अनुमान ही कहा है ।

परन्तु महर्षि कणाद पहले किसी कारण से द्रव्यादि छुट्टी प्रकार के भाव-पदार्थों का ही उपदेश करने पर भी बाद में नवम अध्याय के प्रथम आदिष्ट में भावपदार्थ से भिन्न अभाव पदार्थ भी जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है—यह कहा है। न्याय दर्शन में (२।२।८) बाद में महर्षि गौतम ने भी अभावपदार्थ के प्रत्यक्ष सिद्धत्व का समर्थन किया है। अतः उससे अभाव पदार्थ का बोधक किसी अतिरिक्त प्रमाण का स्वीकार करना अनावश्यक है—यह भी सूचित हुआ है।

परन्तु कुमारिल भट्ट की युक्तियों को स्वीकार करके श्रद्धैतवादी वेदान्ती सम्प्रदाय ने भी अभाव पदार्थ का बोधक स्वीकार करके अनुपलब्धि नाम का अज्ञा प्रमाण माना है। इस मत में जिस आधार में कोई अभाव रहता है उस आधार के साथ इन्द्रिय के सन्निकर्ष में उस (आधार) का ही प्रत्यक्ष हो सकता है किन्तु अभाव के साथ वह इन्द्रिय सन्निकर्ष नहीं होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे गौ से शून्य एह के साथ चक्षु इन्द्रिय के सन्निकर्ष के बाद में उस एह का प्रत्यक्ष होने पर भी उससे उस एह में गौ के अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। परन्तु उसमें गौ की अनुपलब्धि में गाय के अभाव का पृथक् ज्ञान होता है। उक्त स्थान में गाय की अनुपलब्धि ही उस अभाव के ज्ञान का कारण है। अतः वह अनुपलब्धि ही उसके बारे में प्रमाण है।

परन्तु न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय की पहली बात यह है कि उक्त स्थल में गौ के अभाव विषयक ज्ञान भी जो प्रत्यक्षात्मक है—यह अनुभवसिद्ध है क्योंकि उस बोध के बाद मैंने यहाँ गौ के अभाव को देखा है—इस तरह से ही उस बोध का मानस प्रत्यक्ष (अनुभवसाय) होता है। इसी तरह से मनुष्य आदि के अभाव का प्रत्यक्ष भी मनोमात्र है। अतः कोई व्यक्तिविशेष के आह्वान से नियुक्त होकर स्थानविशेष में उनको नहीं देखने पर वे वहाँ उनके अभाव का समर्थन करने के लिए कहते हैं—मैं जहाँ देखा है आया हूँ कि वे वहाँ नहीं हैं। अतः अभाव विशेष के प्रत्यक्ष के लिए उस अभाव के साथ ही इन्द्रिय के सन्निकर्ष विशेष स्वीकार करना है। अभाव के आधार के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष होने पर ही उस अभाव के साथ ही सन्निकर्ष कहा जाता है। उसका बोधक कोई युक्ति नहीं है (पृष्ठ १८२ देखिए)।

वेदान्तपरिभाषाकार चर्मन्तत्र ने भी बाद में अपने सिद्धान्त के अनुसार अभाव विषयक ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वीकार करके कहा है—“अवयवभावप्रतीतिः प्रत्यक्षत्वेऽपि तस्मिन्स्थानुरन्वेषान्तरत्वात् ।” किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का

करण होने पर भी वह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है किन्तु पृथक् प्रमाण है—यह सिद्धान्त बहुविवादमत्त है। परन्तु प्रत्यक्ष के अयोग्य पदार्थ की अनुपलब्धि से उसके अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः जिस पदार्थ की प्रत्यक्षात्मक उपलब्धि सम्भव है, उस पदार्थ की जा अनुपलब्धि है वही उसके अभाव के प्रत्यक्ष में कारण होता है—यही मानना है। अर्थात् जिस अनुपलब्धि का प्रतियोगी उपलब्धि की आपत्ति होती है वह योग्यतानुपलब्धि ही अभाव के प्रत्यक्ष में विशेष कारण है, किन्तु उस अनुपलब्धि का कोई व्यापार न रहने से वह प्रत्यक्ष या तत्त्वज्ञान पृथक् ज्ञान के प्रति कारण नहीं हो सकता है। अर्थात् 'व्यापारवत् कारण कारणम्' इस मत में अनुपलब्धि का कारणत्व नहीं सम्भव हो सकता और अनेक युक्तियों के द्वारा न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय ने अनुपलब्धि का प्रमाणत्व का खण्डन किया है। न्यायकुसुमाञ्जलि के तृतीय स्वर्ग के अन्त में उदयनाचार्य ने भी विशेष विचार के द्वारा नैयायिक सिद्धान्त का समर्थन किया है। विशेष जित्तु उसका अध्ययन करें। विस्तार के भय से इस विषय में अधिक लिखना सम्भव नहीं है।

तेरहवाँ अध्याय

(न्यायदर्शन में वेद की प्रामाण्य-परीक्षा)

वेद की प्रामाण्य-परीक्षा करते हुए महर्षि गौतम ने पहले नास्तिकमत के अनुसार सूत्र कहा है—‘तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषम्’ २।१।५७ । उक्त सूत्र के आदि में ‘तत्’ शब्द से वेद ही ग्रहीत हुआ है । तस्य वेदस्य अप्रामाण्यम्—तदप्रामाण्यम् । अर्थात् वेद के विरोध नास्तिक का मत यह है कि वेद का प्रामाण्य नहीं है, वेद प्रमाण नहीं हो सकता है—‘चूँकि वेद में ‘अनृत’ यानी मिथ्यात्व ‘व्याघात’ तथा ‘पुनरुक्त’ दोष हैं । भाष्यकार वात्स्यायन ने नास्तिक की बात के अनुसार पहले अनृत दोष का उदाहरण कहा है कि वेद में है ‘पुत्रकाम पुनश्च वा यत्नेत्’ पुत्र चाहने वालों को पुनश्च याग करना चाहिए । अर्थात् पुनश्च याग करने से पुत्र का जन्म होता है । किन्तु कितने स्थानों में कितने व्यक्तियों ने पुनश्च याग करके भी पुत्रलाभ नहीं किया है । इसी तरह से वेद में है—‘कारीरी’ नामक यज्ञ करने से वृष्टि होती है । किन्तु अनेक स्थानों में कारीरी याग करने पर भी वृष्टि नहीं हुई है । तात्पर्य यह है कि वेद में कहा गया पुनश्च तथा कारीरी आदि यज्ञ के फल हो तो इसी जन्म में वह प्रत्यक्ष होगा अतएव वे सब वेदवाक्य दृष्टार्थ हैं । परन्तु जब वे दृष्टार्थ वेदवाक्य ही मिथ्या सिद्ध होते हैं तो उस दृष्टान्त से अन्याय सभी वेदवाक्य भी मिथ्या सिद्ध होते हैं । क्योंकि जिसके बहुत म दृष्टार्थ वाक्य भी मिथ्या हैं, वे साधारण मनुष्य की तरह भ्रत तथा वञ्चक हैं, अतः अनाप्त हैं—इस विषय में संशय नहीं है । अतः उस तरह के व्यक्ति का कोई भी वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता ।

पूर्वपक्षवादी का दूसरा हेतु ‘व्याघातदोष’ है । परस्पर विरोध की व्याघात कहा जाता है । न्याय भाष्यकार ने इसका उदाहरण दिया है कि वेद में कहा गया है—‘उदिते होतव्यम्, अनुदिते होतव्यम्, समयाभ्युपिते होतव्यम्’ । सूर्योदय के बाद का समय उदित काल है । सूर्योदय से पहले अस्तकरण तथा अल्प नक्षत्र से विशिष्ट काल का नाम अनुदित काल है । सूर्य तथा नक्षत्रों के अभाव से विशिष्ट समय का नाम समयाभ्युपित काल है । परन्तु वेद में इन तीनों कालों में होम का विधान करके पथात् अन्य वाक्यों के द्वारा उक्त तीनों समयों में उक्त होम का निन्दा की गई है । उस निन्दा से यही समझ

जाना है कि उक्त तीनों कानों में होम नहीं करना चाहिए। इसलिए उस स्थान में पहले कहा गया विधिवाक्य तथा बाद में कहा गया निन्दार्यवाद परस्पर विरुद्ध हैं। अतः उक्त रूप "व्याघात" या विशेष के कारण पूर्वोक्त सभी वेदवाक्य अप्रमाण हैं और उस दृष्टान्त से अन्याय्य वेद सभी वेदवाक्य भी अप्रमाण सिद्ध होते हैं।

तीसरा कारण "पुनरुक्त" दोष है। न्यायभाष्यकार ने इसका उदाहरण प्रकाशित किया है कि वेद में है—त्रिप्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम् (शतसप्त ब्रा० १।३।५)। उक्त वाक्य से यह कहा गया है कि एकादश सामिपेनी के बीच पहली ऋचा तथा उत्तमा ऋचा को तीन बार पठना चाहिये। जिस मन्त्र से आग प्रज्वलित की जायेगी उतला नाम सामिपेनी ऋक् है। वेद में (तैत्तिरीय ब्रा० में) एगारह सामिपेनी कही गयी हैं तथा उनकी पृथक् पृथक् सहा भी है। उनमें 'प्रजावावा' इत्यादि ऋचा पहली है तथा उसका नाम प्रवती है। और समये उनमें—अ'ब्रह्मता सुवस्वते' इत्यदि ऋचा का नाम उत्तमा है। वेद के (शतसप्त ब्राह्मण आदि में) उन एगारह ऋचाओं में से प्रथम को तीन बार और शेषोक्त उत्तमा को तीन बार पाठ करना होगा—यह कहा गया है किन्तु जिस अर्थ को प्रकाशित करने के लिए जो वाक्य कहना है, वह तो एक बार कहने से ही उसकी फलसिद्धि होने से फिर से वह कहने पर पुनरुक्त दोष होता है। अतः पूर्वोक्त एक ही मन्त्र को तीन बार पाठ करने से पुनरुक्त दोष उत्पन्न ही होगा। अतएव पूर्वोक्त स्थान में उक्त रूप पुनरुक्त दोष के कारण वेद अप्रमाण है। यद्यपि समस्त वेद में इस तरह से पुनरुक्त दोष नहीं हैं तथापि जिस अर्थ में वह दोष है उस दृष्टान्त से वेद का अन्य सकृज अर्थ भी अप्रमाण है—यह सिद्ध होना है। क्योंकि जो वक्ता उस तरह का पुनरुक्त दोष भी नहीं समझने हैं वे अज्ञ या भ्रम हैं। इसलिए उस वक्ता के किसी वाक्य को ही आतन्त्रक्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता।

मन्त्रिं गौतम ने उपर्युक्त पूर्ववर्तियों के खण्डन करने के लिये पश्चात् निम्नलिखित तीन सूत्रों को कहा है—

'न. कर्मरुचृसावनवैगुरवात्' ॥२।१।५८॥

'अभ्युपेत्य कानभेदे दोषवचनात्' ॥२।१।५९॥

'अनुवादोन्नवेश्च' ॥२।१।६०॥

प्रथम सूत्र के द्वारा कहेते हैं कि पुनेष्टि प्रभृति नाग के विधायक वेदवाक्य में अद्वय दोष नहीं है। क्योंकि कर्म, कर्ता, उस कर्म के साधन उपकरण के वैगुर से भी फल का अभाव होता है। तात्पर्य यह है कि वेदविहित पुनेष्टि

आदि याग यथाविधि अनुष्ठित नहीं होने से वह उसने फल-जनक अष्टष्ट विशेष को उत्पन्न नही करता । पुत्रेष्टि आदि याग में अवरुध कर्तव्य अद्रग्याग आदि के अनुष्ठान का अभाव कर्मवैगुण्य है एव इन यागों का कर्ता अविद्वान् होने से या पातित्य आदि किसी दोष से वह इस कर्म के अनधिकारी—होने से कर्ता का दोष कर्मवैगुण्य है तथा—उन सब यागों का साधन द्रव्य आदि या मन्त्र या दक्षिणा आदि का कोई दोष होने पर वह “साधनवैगुण्य” है । पूर्वोक्त कर्म-वैगुण्य कर्मवैगुण्य तथा साधनवैगुण्य अथवा उनमें किसी प्रकार के वैगुण्य से समूचे याग ही निष्फल होते हैं । अतः किसी स्थल में पुनर्ष्टि याग का फल न होने से उससे पूर्वोक्त वेदवाक्य का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो सकता ।

परन्तु बहुत स्थलों में पुत्रेष्टि याग का अनुष्ठान करके बहुत व्यक्तियों ने पुत्रलाभ किया है । और कारीरी याग के बाद ही बहुत स्थलों में वर्षा हुई है—इसे मिथ्या कहने में कोई प्रमाण नहीं है ।

वेद में पूर्वोक्त व्याघात दोष भी नहीं है । इसी को समझने के लिए गौतम ने द्वितीय सूत्र कहा है—‘अभ्युपेत्य कालभेदे दशवचनात्’ । अर्थात् वेद में उदित, अनुदित तथा समयाऽभ्युपित नाम के तीनों कालों में होम के विधिवाक्य के अन्त में कहे गये उन सब निन्दार्थवाद का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने उदित काल में ही होम करने का संकल्प किया है वह (अग्निहोत्री) उस पूर्ववर्षीकृत काल को छोड़कर ‘अनुदित’ या ‘समयाऽभ्युपित’ नामक काल में होम करने से वह निन्दित है । इसी तरह से ‘अनुदित’ या ‘समयाऽभ्यु-

१ वेदविरोधी बौद्ध सम्प्रदाय गौतम के इस उत्तर का प्रतिवाद करता है कि पुनर्ष्टि यज्ञ की निष्फलता कर्मादियों में वैगुण्य होने से होती है । इसमें कुछ प्रमाण नहीं है । यह भी तो कहा जा सकता है कि उस वेदवाक्य के मिथ्या होने से वह (यज्ञ) निष्फल होता है । यदि किसी को यज्ञ करने से पुत्र का जन्म होता है तो उसको पुनर्ष्टि याग का ही पत्र नहीं कह सकते हैं । तत्काल में बौद्ध सम्प्रदाय के प्रबल विरोधी उद्योतकर न्यायवातिक में कहते हैं कि मेरा यहाँ यही कहना है कि जब कर्मादि वैगुण्य से भी यज्ञ का निष्फलता हो सकती है तब उसको सर्वथा मिथ्या नहीं कहा जा सकता है । पहले उसे मिथ्या कहकर भी पश्चात् हम लोगों से बाध्य होकर यदि हममें (हम लोगों के मत में) शक्य हो उदित्युक्त करते हो तो भी वेदवाक्य का सधामाण्य सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि यह तो बौद्धों की भाष्य है कि जो सन्दिग्ध है उसे प्रष्टु हेतु न मानकर हेतुवाण्य ही कहा जाता है ।

पितृ" नामक काल में होम का सकल्प करके भिन्न काल में होम करने से वह होम भी निन्दित है। अर्थात् अग्निहोत्री पहले उनके द्वारा एहीन कालविशेष में ही जीवन भर होम करेंगे। कभी भी दूसरे समय में होम करने से वह सिद्ध नहीं होगा।

वस्तुतः वेद में "उदिते होतव्यम्", "अनुदिते होतव्यम्" तथा 'समया-
ध्युपिते होतव्यम्" इन तीन विधिवाक्या से कल्पत्रय में अग्निहोत्र होम के लिए उक्त कालत्रय का विधान हुआ है। सभी अग्निहोत्री उक्त कालत्रय में ही हवन करें—यह अर्थ नहीं है। अपितु उन सब विधिवाक्य का उनसे विकल्प ही अभिप्रेत है। अर्थात् उक्त तीनों कालों में से आत्मा की तुष्टि के अनुसार जिनकी जिस काल में होम करने की इच्छा हो वे उस काल में ही होम करेंगे। जहाँ दो तरह की श्रुतियाँ हैं अर्थात् श्रुति के द्वारा दो तरह के धर्म ही विहित हुए हैं वहाँ वे दोनों ही धर्म हैं, ऐसा कहकर भगवान् मनु ने भी पूर्वोक्त "उदित" आदि कालत्रय के होम को इसके उदाहरण के रूप में दिखाया है। तुल्यवन सहिताकार महर्षि गौतम ने स्पष्ट कहा है—'तुल्यवनविरोधे विकल्पः' अर्थात् अनक विधिवाक्यों में विरोध उपस्थित होने से विकल्प ही अभिप्रेत है—यह समझना चाहिए। अतः विरोध नहीं रहने से उन सब विधिवाक्यों का अप्रामाण्य नहीं हो सकता। जैसे वेद में विधिवाक्य है—'ब्रीहिमेवा यजेत, यवैवा यजेत' अर्थात् ब्रीहि के द्वारा यज्ञ करना या यव के द्वारा यज्ञ करना। ब्रीहि के द्वारा किया हुआ याग या यव के द्वारा किया हुआ याग—दोनों का ही फल बराबर है। अतः आत्मतुष्टि के अनुसार जिनकी जिस कल्प की इच्छा होती हो वे उर्धा कल्प को ग्रहण करें। किन्तु सर्वत्र ही आत्मतुष्टि से धर्म का निर्णय करना नहीं चाहिए। जहाँ पर श्रुति, स्मृति और सदाचार से दो प्रकार के या अनेक प्रकार के धर्म समझे जाते हैं वैसे स्थल में ही मनु ने कहा है—

'आत्मनस्तुष्टिरेव च'। (मनु० २।६।)

वेद में पूर्वोक्त पुनरुक्त दोष भी नहीं है। इसके समझाने के लिए गौतम ने बाद में तीसरा सूत्र कहा है 'अनुवादोऽपत्तेश्च' अर्थात् वेद में—'त्रिः प्रथमा-
मन्वाद् विरुत्तमान्' इस तरह के वाक्य रहने पर भी उभरे पुनरुक्त दोष नहीं होता है। क्योंकि वह अनुवाद है। अनयक पुनरुक्त ही पुनरुक्त दोष है और

१—दुनिद्वेषन्तु यत्र स्यात् तत्र धमत्रिनो स्मृतो ।

उभावपि हि ती धमो सम्पगुतो मनोपिभिः ॥

उदिनेऽनुदिते चैव समयाऽप्युपिते तथा ।

सर्वथा वर्तते यत्र इतीय वैदिकी धृतिः ॥ (मनुसंहिता २-१४-१५)

सार्थक पुनरुक्ति का नाम अनुवाद है। इदमह भ्रातृयम् पञ्चदशावरेण वाग्व ज्ञेयं इत्यादि मन्त्र का उद्धरण देते हुए न्यायभाष्यकार ने दिखाया है कि पूर्वोक्त मन्त्र में एकादश सामिधेनी का पञ्चदशव श्रुत है। परन्तु यह कैसे समभव होगा? इसलिए वेद में कहा गया है—‘त्रि प्रथमाम्वाह विरुत्तमान्’। अर्थात् पूर्वोक्त एकारह ‘सामिधेनी’ में से ‘प्रथमा’ को तीन बार तथा ‘उत्तमा’ को बानी अन्तिम को तीन बार पाठ करना चाहिए। तब प्रथम और अन्तिम का दो बार अधिक पाठ होने से उस एकादश ‘सामिधेनी’ को उक्तरूप से पाठ क द्वारा पञ्चदश मन्त्र सम्भव होता है। अर्थात् पूर्वोक्त एकादश मन्त्रों में से प्रथम का तीन बार तथा अन्तिम का तीन बार पाठ होने से ही उसी पाठ भेद से मन्त्र का भेद होने से ह्य मन्त्र तथा मध्यवर्ती नौ मन्त्रों को लेकर पञ्चदश मन्त्र होंगे। उक्तरूप से पूर्वोक्त एकादश मन्त्रों का पञ्चदशत्व सम्पादन करने के लिए ही वेद में पूर्वोक्त मन्त्रद्वय की पुनरावृत्ति विहित हुई है। अन्यथा वह पुनरुक्त दोष नहीं है।

फलित कथन यह है कि पूर्वोक्त मन्त्रद्वय की उस तरह की पुनरावृत्ति के बिना अन्त में कहे गये पञ्चदशत्वबोधक मन्त्र की सङ्गति नहीं हो सकती। अतः उस मन्त्र का पाठ नहीं किया जा सकता है किन्तु उस यज्ञविशेष में यह अवश्य प्राप्य है। अन्यथा उसकी फलसिद्धि नहीं होती। इसलिए उस यज्ञ की फलसिद्धि के लिए उक्त मन्त्रद्वय की पुनरावृत्ति अवश्य करनी चाहिए। इनसे पुनरुक्त दोष नहीं होता है क्योंकि वह सप्रयोजन होने से अनुवाद कहा जाता है।

पश्चात् महर्षि गौतम वेद के ब्राह्मण भाग में जा विधि, अर्थवाद तथा अनुवाद इन तीनों विभागों को कहते हुए इन सबों के लक्षण तथा प्रकार भेद आदि का वर्णन किया है, पूर्वपद का लक्षण करते हुए अनुवाद तथा पुनरुक्ति में क्या विशेष अन्तर है—इसको स्पष्ट करते हैं। लौकिक वाक्य की तरह वेद में भी विधि अर्थवाद तथा अनुवाद— इन तीनों वाक्यविभागों का और लौकिक वाक्य की तरह वेद के प्रामाण्य को जिसका साप कदापि नहीं हो सकता

१ यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण भेद से उक्त मन्त्रों में भेद के बिना एकारह मन्त्रों का पञ्चदशत्व समभव नहीं है। कलाद तथा गौतम के मत में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती है किन्तु तद्व्यतिरिक्त रूपों का उच्चारण ही शब्द की पुनरावृत्ति है। वे सब शब्द ही उच्चारण के भेद से भिन्न और धर्मिय हैं। उक्त सिद्धांत से पूर्वोक्त श्रुति भी भूय के रूप से सा जा सकती है।

है, न वह समाहित ही है—प्रतिपादित करते हैं और इसमें प्रमाण भी दिखाते हैं—‘मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच तत्प्रामाण्यम्’ २।१।६८। शास्त्र में विष भूत तथा वज्र से रक्षा के लिए अनेक मन्त्रों का विधान है। उन मन्त्रों के यथाविधि प्रयोग से व्यक्ति सबसे बच जाता है। इसकी परीक्षा करके लोगों ने इसका सत्यता प्रमाणित कर दी है। इसी तरह से चिरकाल से ही आयुर्वेद की सत्यता भी प्रमाणित हो चुकी है। मन्त्र तथा आयुर्वेद का यही प्रामाण्य है कि उसमें जो कुछ कहा गया है उसकी सत्यता की परीक्षा में वह खरा उतरा है। किन्तु इस प्रामाण्य का कारण क्या है? इस पर विचार करने से यही स्वीकार करना होगा कि इन सभी मन्त्रों का तथा आयुर्वेद शास्त्र का सत्ता वही आत्त पुरुष है जो सभी तत्वों का देलता है। उस आत्त पुरुष में प्रामाण्य के कारण ही इस मन्त्र तथा आयुर्वेद में प्रामाण्य सिद्ध होता है। इसी तरह से ऋग्वेद आदि चारों वेद भी—जिनमें सभी अलौकिक विषयों का वर्णन है—उस सर्वदर्शी ईश्वर को छोड़कर और किसी के ज्ञान का अपय नहीं हो सकता है। अतएव इन सभी पदार्थों के देखने वाले पुरुष का सर्वत्र मानना होगा। वही जीवों के भगवत के लिए एव दुःख से रक्षा करने के लिए हमेशा बिना रहता है। जो जिस रूप में है उसने उसी रूप का (वस्तुतथ्य का) उपदेश करता है। तत्रदर्शिता तथा जीवदया आदि ही उसे आत्त बनाना है। इसलिए वह प्रमाण पुरुष है। उसमें (पुरुष में) प्रामाण्य के कारण ही वेद को भी प्रमाण माना जाता है। जैसे मन्त्र तथा आयुर्वेद प्रमाण है।

वेद में कितने रोगों के निवारण या शमन के लिए मन्त्र और औषधियों का उल्लेख आया है। किन्तु उपर्युक्त सूत्र में महर्षि गौतम ने मन्त्र तथा आयुर्वेद के प्रामाण्य की जो चर्चा की है वह मूल वेद से भिन्न है। भाष्यकार वाल्यायन के भाष्य से यही ज्ञान होता है। न्यायमञ्जरी ग्रन्थ के लेखक भट्ट जयन्त आदि विद्वानों ने भी सुक्तियों दिखाकर इसका समर्थन किया है और कहते हैं कि आयुर्वेदशास्त्र मूलवेद से भिन्न है। अत्रुव विष्णुपुराण में भी जहाँ अठारह विद्याओं की चर्चा हुई है परचात् आयुर्वेद का पृथक् ही उल्लेख किया गया है।

१ मन्त्रानि चतुरो वेदः सीमाना न्यायविस्तरः ।

पुराण धर्मशास्त्रस्य विद्या ह्यत्राम्बुदयः ॥

‘आयुर्वेदो धनुर्वेदो गणपदश्चतुर्षु तत्र ॥

धर्मशास्त्रं चतुर्षु विद्या ह्यत्रा एतैव तु ॥

मुमुक्षु भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपाङ्ग कहता है।^१ आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति में वेद शब्द भूतिरूप अर्थ का वाचक नहीं है—यह वहाँ कण्ठतः कहा गया है। सबसे पहले वहाँ यह भी कहा गया है कि स्वयम्भू ने अथर्ववेद व उपाङ्ग आयुर्वेद का प्रणयन किया है। गरुडपुराण में (पूर्वखण्ड १४६ अ०) प्रतिपादित है कि परमेश्वर ने ऋषय घन्वन्तार रूप में अवतार लेकर मुमुक्षु को आयुर्वेद का उपदेश दिया था। गौतम के उपसुक्त सूत्र से भी प्रतीत होता है कि आयुर्वेद सर्वज्ञ आत्म पुरुष का वाक्य है।

न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने 'ग्रामकामो यजेत' इत्यादि दृष्टार्थक^२ मूलवेदवाक्य का दृष्टान्त रूप में उल्लेख किया है। जो व्यक्ति अपने गाँव की स्वाधिकार में रखना चाहता है उसके लिए वेद में—'साम्रहणी' नामक यज्ञ का विधान है। और उस याग को करने की विधियाँ भी वहाँ बताई गई हैं। उचित रूप में उस यज्ञ के कर्म से व्यक्ति गाँव का अधिपति हो जाता है—अतएव इसी जन्म में उसको उसका फल मिल जाता है। कितने व्यक्ति इसके अनुष्ठान से लाभ उठा चुके हैं—जिससे वेदवाक्य का प्रामाण्य परीक्षित है। न्यायमञ्जरी में जयन्तमट्ट इसके समर्थन में कहते हैं कि मेरे पितामह कल्याण स्वामी ने 'साम्रहणी' यज्ञ के अनुष्ठान से गौरमूलक गाँव को प्राप्त किया था। वात्स्यायन ने मूल वेद से दृष्टार्थक वाक्यों का दृढ़कर दृष्टान्तरूप में उसे उटाने हुए सकल वेदों का प्रामाण्य सिद्ध किया है। इनके मत से यह भी शत होता है कि महर्षि गौतम उक्त सूत्र के 'च' शब्द से इन सभी वेदवाक्यों को तथा भिन्न-भिन्न लौकिक सत्यार्थ वाक्यों का दृष्टान्त रूप में स्वीकार करते हैं। महर्षि गौतम के मत में आत्म पुरुष के प्रमाण होने में ही उसके वाक्यों में प्रामाण्य आता है। इसलिए वे वेद के प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए सामान्य हेतु कहते हैं—'आत्मप्रामाण्यात्'।

वेद का कर्ता वह आत्म पुरुष कौन है—न्यायदर्शन में यह कही नहीं कहा गया है किन्तु शास्त्र युक्तियों से सिद्ध है कि वही सर्वज्ञ वेद का कर्ता है। अतएव प्रतीत होता है कि गौतम का भी यही मत है। वाचस्पतिमिश्र तात्पर्यटीका में गौतम के तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि सगार का कर्ता

१. इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुशासकं प्रजा इति कथ्यते महत्प्रमाणम्—महर्षि गौतम स्वयम्भूः। ततोऽन्यासृष्टमत्यमेघस्तदन्वावनाकर नराणाम् भूयोऽष्टधा प्रणोतवान्। गृध्रमसहिता ॥१॥ ४०।

२. जिसका फल हमो जन्म में मिल जाता है वही दृष्टार्थक वाक्य है वही प्रमाण है।

परमेश्वर नित्य, सर्वज्ञ तथा परमकारणिक है। वह सृष्टि के बाद मानवों के हित के लिए अनेक प्रकारों का उपदेश देता है। उसका वही उपदेश वाक्य वेद है। वह वेद वणाश्रम धर्म का व्यवस्थापक है, सभी शास्त्रों का मूल है और ऋषि महर्षि तथा महाजन (विशिष्ट पुरुष) से समाहृत है। विष आदि अनिष्ट से निवारण के लिए कितने मन्त्र तथा आयुर्वेदशास्त्र भी उसी परमेश्वर का उपदेश है। इसकी उत्पत्ता की इसी संधार में परीक्षा हो चुकी है और वह खरा भी उनका है। इसी दृष्टान्त से मन्त्र और आयुर्वेदशास्त्र की तरह वेद भी परमेश्वर का उपदेश है। अतएव उसका प्रामाण्य मानना होगा। आयुर्वेद में भी 'शान्ति' तथा 'पौष्टिक' क्रम के अनुष्ठान का बर्णन आता है और रक्षायन बनाने पर प्रायश्चित्तरूप में चाण्ड्रायण व्रत करने के लिए कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिसका प्रामाण्य परीक्षा है और सर्व-सम्मत है उस आयुर्वेदशास्त्र में भी वेद को प्रमाण माना गया है जो वेद के प्रमाण का निर्णायक है।

वाचस्पतिमिश्र योगदर्शन भाष्य की टीका में (१।२४) गौतम के युक्त सूत्र का उद्धरण देते हैं और कहते हैं कि मन्त्र तथा आयुर्वेद नित्य स्वस्त ईश्वर की रचना है। उससे भिन्न कोई भी दूसरा व्यक्ति कदापि निष्फल नहीं होने वाले मन्त्र तथा आयुर्वेद की रचना नहीं कर सकता है। अभ्युदय और निश्रेयस का उपदेश देने वाला और असंख्य अतीन्द्रिय तत्वों का प्रतिपादन करने वाला वेद का निर्माण ईश्वर को छोड़कर दूसरा नहीं कर सकता है। उस ईश्वर की नित्यसर्वशता ही शास्त्र का मूल्य है। उसकी नित्य सर्वशता से मन्त्र तथा आयुर्वेद की तरह वेद भी अवश्य प्रमाण है। वाचस्पति मिश्र के परवर्ती उदयनाचार्य, जयन्तभट्ट और गङ्गेश उपाध्याय आदि महानैयायिकों ने युक्तियों से सूक्ष्म विचार करके इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है^२।

१. (जिसका प्रत्यक्ष साधारण व्यक्तियों को नहीं होता है वह अतीन्द्रिय है)

२. परमेश्वर किसी प्रमाणान का कारण नहीं है अतएव गौतम प्रमाण पदार्थ में हमारा उसका पञ्चम प्रकार नहीं कहने हैं किन्तु प्रमाता धर्म में वह भी प्रमाण है। ईश्वर के सहस्रनामों में प्रमाण शब्द ही आया है जिसका अर्थ प्रमाता ही है। उक्त सूत्र में जो वास्तवगत कहा गया है उनका अर्थ है वास्तविकता की प्रमातृता। परमेश्वर में सर्वदा सत्त्व विषयों का प्रमाणान रहना है, किसी भी काम में उसका अभाव नहीं रहता है। गौतम के मत में उक्तरूप प्रमातृत्व ही

वैशेषिकदर्शन में महर्षि कणाद भी कहते हैं—‘तद्वचनादाभ्यायपामा-
 शयम्’ १।१।३ उदयनाचार्य अपनी किरणाली में इस सूत्र के ‘तत्’ शब्द में
 ईश्वर का परामर्श करते हैं। अतएव वे इस सूत्र का व्याख्या इस तरह
 से करते हैं—‘तद्वचनात् = तेनेश्वरेण प्रणयनात्’ १। किन्तु वहाँ ‘तत्’
 शब्द से अव्यवहित पूर्वसूत्र में कहा गया धर्म का यदि लिया जाए तो
 ‘तद्वचनात्’ इस शब्द की व्याख्या ‘धर्मवचनात् = धर्मप्रतिपादकत्वात्’ इस
 तरह की होगी। उसके भी यही सिद्ध होगा कि कणाद का मत में भी वेद ईश्वर
 की ही रचना है।

क्योंकि कणाद का सूत्र है—‘बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेद ६।१।१। लौकिक
 वाक्य की तरह वैदिक वाक्यों की रचना भी बुद्धिपूर्वक होती है। अर्थात्
 वेदार्थ विषयक ज्ञान रहने से होती है। इससे स्पष्ट है कि वेद पुरुष की रचना
 है अतएव वह पौरुषेय है—यही कणाद का सिद्धान्त है। वेदकर्ता पुरुष समस्त
 अलौकिक वेदार्थों का नित्यज्ञान रखता है। इसी से सिद्ध है कि सनातन धर्म
 का रक्षक परमेश्वर ही धर्म के प्रतिपादक वेद का आदिब्रह्मा है और उसी के
 प्रमाण होने से वेद में प्रामाण्य आता है। सृष्टि के आरम्भ में ही सबसे पहले

परमेश्वर का प्रामाण्य है। महानैवाकिक उदयनाचार्य भी इसका समर्थन करते
 हैं—‘मिति सम्बन्ध रश्चिश्चित्स्त्वद्भूता च प्रमातृता। तदयोग्यवच्छेद प्रामाण्य
 गीतम प्रते ॥’ (कुमुदाञ्जलि १।४।५।)

१ निरावार ईश्वर वेद का उच्चारण कैसे कर सकता है? इसके उत्तर
 में उदयनाचार्य कहते हैं कि वह देह धारण करके ही वेद का उच्चारण करता
 है। उक्तका प्रथम वेदोच्चारण ही वेद की रचना है। किन्तु कुमुदाञ्जलि १।४।५
 स्तवक में उदयनाचार्य यह भी कहते हैं कि वेद के वाक्य, वाक्यापक प्रभृति
 शास्त्राविद्येय के नाम से यह प्रतीत होता है कि वेद तथा वाक्य नामक ऋषि
 ही तत्तद् शास्त्रा के आदिब्रह्मा हैं। अन्यथा इन शास्त्रार्थों के वे नाम नहीं हो सकते
 थे। वही उदयनाचार्य का यह मत भी प्रतिपादित है कि परमेश्वर ने वेद प्रभृति
 नामक शरीरों का धारण करने अथवा ऋषियों के शरीर में आबिष्ट होकर
 वेद की इन शास्त्रार्थों को कहा है। स्वबिन्तात्मणिरुत्तर गच्छेत् तदाभ्याय ईश्वरा-

म न चिन्तामणि में कहते हैं कि परमेश्वर ने मोत वा देह धारण करके वेदों का
 उच्चारण किया है तथा वही यह भी है कि ईश्वर अपने शरीरों का धारण करते
 हैं। इसके दृष्टान्त में बिन्तात्मणिरुत्तर ‘भूतावेदभ्याय’ कहते हैं।

ईश्वर को छोड़कर कोई भी दूसरा व्यक्ति वेद का उपदेश देनेवाला नहीं हो सकता है ।

शास्त्र में यह भी प्रतिपादित है कि वेद का कोई कर्ता नहीं है यह नित्य है । किन्तु इन वाक्यों का वेद की स्तुति अथवा अर्थवाद रूप में लेना चाहिए । वेद की नित्य कहनेवाले कर्म मीमांसक सम्प्रदाय किन्तु वेदवाक्यों को अर्थवाद करके उन वाक्यों की तात्पर्यव्याख्या कुछ और ढंग से ही करते हैं । वस्तुतः वेद उस परमेश्वर की परम प्रीति ही है । शास्त्र में उस परमेश्वर को वेदमूर्ति भी कहा गया है । महिषासुर का वध हो जाने पर इन्द्र आदि देव-वृन्द भी उस वेदमूर्ता, वेदाविधायी महामाया की स्तुति में कहते हैं—‘शब्दाग्निं सुविमलार्णवेषु निधानमुद्रोपरभ्यपदपाठवताञ्च खाम्नाम्’ (दुर्गा-सप्तशती अ० ४। श्लो० १० ।) महर्षि जैमिनि पूर्वमीमांसादर्शन में वर्णात्मक शब्द की नित्यता का ध्यान करते हुए अग्निम सूत्र कहते हैं—‘लिङ्गदर्शनाच्च’ १।१।२३। भाष्यकार शबर स्वामी वहाँ—‘वाचा विरूपनिरूपया’ इस श्रुतिवाक्य का उद्धरण देकर जैमिनि के उक्त मत में साधक युक्तियों दिखाते हैं । इस श्रुतिवाक्य के ‘नित्य’ शब्द के द्वारा वर्णात्मक शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है ।

किन्तु महर्षि गौतम तथा कणाद ने शब्दनित्यत्ववाद का सयुक्तिक व्यवहन किया है और इसे अनित्य माना है । इनके मत से शब्द उत्पत्ति तथा विनाश में रहित नहीं है अतएव वह नित्य नहीं हो सकता है । वर्णात्मक शब्द को नित्य मानने वालों के मत में भी पद और वाक्य नित्य नहीं होते हैं । अनेक पदों की योजना से एक पद बनता है और अनेक पदों से वाक्य । माननी में वाचस्पति ने इसके समर्थन में विशद आलोचना की है । किन्तु वर्ण के नित्य होने में यदि वर्णमय वेद का नित्य माना जाय तो लौकिक वाक्य का भी नित्य स्वीकार करना होगा । क्योंकि वह भी नित्य वर्णमय है ।

१. स्मरण रखना चाहिए कि महर्षि कणाद के मत में शब्द प्रमाण अनुमान का ही है इन प्रसिद्ध मत में भी वेद का गणनापण कहा गया है । कणाद ने भी तृतीय सूत्र के द्वारा दलता स्पष्ट कहा है । किन्तु वर्ण के प्रतिपादित किन्तु वेदान्तदर्शन प्रस्ता की प्रीति में स्त्रिया दासिगुण्य महानह.गव्याय ने त्रिःपैत्राक्षरूप से कहा है कि वैशेषिक सम्प्रदाय वेद का प्रमाण नहीं मानता है अतएव वह नास्तिक है । इन विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है । किन्तु यह धरकर रहना है कि इन उक्त के समन्वित वा प्रचार निजान्त दु.ख का विषय है ।

और तब किसी भी वाक्य को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता है। भाष्यकार चात्स्यायन इस विषय में मीमांसक-सिद्धान्त के विरोध में कहते हैं कि भूत और भविष्य युगान्तर और मन्वन्तर में संप्रदाय के अविरल रूप से चरने से वेद की निरूपता सिद्ध होती है। एक दिव्य युग के बीत जाने पर और दूसरे दिव्य युग के आरम्भ में तथा एक मन्वन्तर से अপর मन्वन्तर में वेद का अध्ययन अध्यापन चलता रहना है एव चिरकाल तक इसी तरह से चलता रहेगा। इसी तात्पर्य से शान्त्रो में वेद का निरन्तर प्रतिपादित है^१।

महाप्रलय में जब सत्यलोक का विनाश हो जाता है तब सत्यलोक में रहनेवाले ब्रह्म के शरीर का भी अवनान हो जाता है। तब उस समय में वैदिक संप्रदाय का सर्वथा उच्छेद संभव है। यहाँ प्रश्न उठता है कि महाप्रलय के बाद में जब पुनः सृष्टि का आरम्भ होता है तब वैदिक संप्रदाय का प्रवर्तन कौन करेगा? वाचस्पति मिश्र चात्स्यायन की उक्ति की व्याख्या में अपनी तात्पर्यटीका में कहते हैं कि महाप्रलय में नित्य सर्वज्ञ ईश्वर सफल वेदों की रचना करके सृष्टि के आरम्भ में स्वयं संप्रदाय चलाते हैं—'महाप्रलये तु' ईश्वरेण वेदान् प्रणीय सृष्ट्यादी स्वयमेव संप्रदाय प्रवस्यते एवेति भाव'। वह (ईश्वर) ब्रह्म जीव के प्रति अनुग्रह करके उसका उद्धार करने के लिए हम लोगों को ज्ञान और धर्म आदि का उपदेश करते हैं। योगदर्शन भाष्य में व्यासदेव भी कहते हैं—'तस्यामानुमहामावेऽपि भूतानुग्रह' प्रयोजनम्, ज्ञान धर्मापदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति'। कर्म मीमांसक संप्रदाय इस प्रलय को नहीं मानता है। आएव वेद के संप्रदाय का कभी उच्छेद संभव नहीं है और वह अनुच्छेद ही उसकी निरूपता प्रमाणित कर देता है। किन्तु प्रलय तथा पुनः सृष्टि शास्त्र तथा सुक्तियों से सिद्ध है।

१. यहाँ यह कहना आवश्यक है कि नित्यसर्वज्ञ ईश्वर का मूलवेदार्थ विषयक जो प्रज्ञा या निरूपज्ञान है वह वेद शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। मात्र तथा ब्राह्मणनाम से कहा गया छन्दराशि ही वेद शब्द का अर्थ है। महर्षि चात्स्यायन कहते हैं—'मन्वन्ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्'। मुण्डक उपनिषद् में ऋग्वेद आदि को जो छपराबिदा कहा गया है वह भी वेद के छन्दराशि रूप होने में प्रमाण है। भाष्यकार शङ्कराचार्य भी वहाँ बतते हैं—'वेदशब्देन तु सर्वत्र वेदछन्दराशिर्विद्वन्वित'। श्वेताश्वतर उपनिषद् में—'यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै' (६।२) इत्यादि बहूवचनात् वेद शब्द से मन्वन् छन्दराशि ही जाना जाता है। अतएव वह निरूप है या धनिशः—यह विचारणीय है और इसमें मतभेद है।

यथार्थतः ऋग्वेद दशम मण्डल पुरुषसूक्त में—‘तस्मात् यज्ञात् सर्वं हुत
 मृच कामानि यज्ञिरे । छन्दोसि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ।’ (६०।६।)
 इस मन्त्र में वेद की उत्पत्ति स्पष्ट ही कही गई है । बृहदारण्यक में वेद को
 परमेश्वर का निश्चयित कहा है—‘अस्य महतो भूतस्य निश्चयितमेतत्
 यदृग्वेद’ इत्यादि (२।४।१०) जैसे निश्वास बिना किसी खास प्रयास क
 चलना रहना है उसी तरह से वेद ईश्वर के किसी खास प्रयास के अभाव में
 हुआ है । वेदान्तदर्शन तृतीय सूत्र के माध्यम शंकराचार्य इसम प्रमाण
 दिलाते हैं—‘अस्य महतो भूतस्य निश्चयितमेतत् यदृग्वेद इत्यादि धृते’ ।
 मामनी में वाचस्पति मिथिन कहते हैं—‘अप्रयत्नेनास्य वेदकृतृत्वे श्रुतिरुक्ता
 अस्य महतो भूतस्येति’ इससे प्रमाणित है कि शंकराचार्य के मत में भी परमेश्वर ही
 वेद का कर्ता है । किन्तु इनके मते वेद के ईश्वरकृत होने पर भी उसे पौरुषेय नहीं
 कहा जा सकता है । क्योंकि जो स्वतन्त्र पुरुष में निमित्त होता है वह पौरुषेय
 है । किन्तु परमेश्वर सर्वशक्तिमान् होकर भी वेद की रचना में स्वतन्त्र
 नहीं है ।

अभिप्राय यह है कि प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में पूर्वकल्प की तरह परमेश्वर
 उन सभी स्वर एव वर्ण विशिष्ट वेदों को कह देता है । आशिक परिवर्तन
 भी वह कहीं नहीं करता है । अतएव चिरकाल से ही वेदोक्त एव स्वयं देनेवाला
 कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती आई है और होती रहेगी भी । वेद में जो
 निहित है जैसे ब्रह्महत्या आदि उसके करने से नरक होता आया है और
 चिरकाल तक होता रहेगा । इसका विरगीन न कदापि हुआ है न आगे होने
 की बात ही है । मामनी में वाचस्पति मिथिन न इस विषय की विशद आलोचना
 से वेद का अपौरुषेय होना कहा है ।

किन्तु न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय पौरुषेय शब्द के वाचस्पति का सम्मन
 उक्त अर्थ को नहीं मानता है । इसने मत में जो वस्तु पुरुष से सम्पादित है
 वही पौरुषेय है । जा भी हो, जान यही है कि उक्त अर्थ में वेद को भले ही
 अपौरुषेय मानना हो किन्तु उपयुक्त श्रुति तथा युक्ति के बल पर अद्वैतवादा
 वेदान्ती सम्प्रदाय भी वेद के आदि कर्ता परमेश्वर का समर्थन करता है ।
 अद्वैतमत में परब्रह्म से भिन्न सभी वस्तु अनित्य ही हैं तब वेदान्तदर्शन के—
 ‘अत एव च नित्यत्वम् १।१।२६ इस सूत्र के द्वारा भगवान् बादरायण ने भी
 वेद की उत्पत्ति तथा विनाश में शक्य नहीं कहा है । अतएव यह मानना होगा कि
 अद्वैतवेदान्ती उन्में नित्य नहीं कहना है ।

१. वेदान्त परिभाषा में अद्वैतवादी धर्मराज कर्मवीरमाधव संप्रदाय के मत

अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने पहले पटल वेद की उत्पत्ति कैसे की होगी। इस विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद् कहता है—'यो वै ब्रह्माण्ड विद्-धाति पूर्वम्। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। ६।१८' परमेश्वर पहले ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं और बाद में उन्हीं को समस्त वेद का उपदेश दे देते हैं। मुण्डक उपनिषद् में भी ब्रह्मा ने ब्रह्मविद्याप्रवर्तक संप्रदाय का क्रम वर्णित है। ब्रह्मा अपने मानसपुत्रों को चारों मुक्तों से समस्त वेद का अध्यापन करते थे। और वे लग अने अने पुत्रों को शिक्षा देते थे। इस तरह में उन सभी ब्रह्मपुत्रों ने एक बार ईश्वर से प्रेरित होकर उन वेदों का विभाजन मा किया था और पश्चात् धर्म का स्थापना के लिए भगवान् नारायण ने कृष्णद्वैपायन के रूप में अवतार लेकर समस्त वेदों को चार भागों में विभाजित कर दिया। पल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुपन्तु—इन चार शिष्यों को यथाक्रम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का दान दिया और उन चारों शिष्यों ने अन्य शिष्यों को उन संहिताओं का पाठ पढ़ाया। इन्हा लोगों की शिष्यावशिष्य परम्परा ने वेद का प्रचार एवं संप्रदाय की रक्षा की—यह कथा श्रीमद्भागवत में (१२ स्क० ६ अ० में) वर्णित है। विष्णुपुराण में भी इस कथा की विस्तृत रूप में चर्चा की गई है।

वेदान्तदर्शन में भगवान् नारायण का सूत्र है—यावदधिकारमवरिषि-तिराधिकारिकाणाम्' २।३।२२ भाष्यकार शङ्कराचार्य इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि पूर्व कल्प में जो महर्षिगण तपस्वियों से सिद्ध हो चुके हैं उनमें से

म वेद की नित्य बहुरूप पश्चात् कहते हैं—सम्मान्तु मते वेदा न नित्य उत्पत्ति-मत्तान्। सत्यसि मत्वे च अन्य महता भूतस्य निःश्वसितमेतन् मृगवेदाः पशुवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः इति श्रुतेः'। पुनः बड़ी वेद में तीन सत्य न रहता है सति मत्वे च सत्यन करके वेद च अपौरुषेय का समर्थन करते हैं—'मर्त्तु-काले परमेश्वर पूर्वकर्मिणो वेदानुपूर्वीतमानानुपूर्वीक वेद विरचितवान् न तु सद्भिर्जातोर्मिनि, न तस्य सत्रातीय चचारणानपञ्चचारणोऽप्यथ पौरुषेयत्वम्'। यह स्पष्ट मत में स्वीकृत है कि परमेश्वर सृष्टि से पहले पूर्व सृष्टि की तरह समस्त वेदकारों के सत्रातीय कार्यों का उच्चारण करता है और वह उच्चारण ही वेदरचना है। मामनी में (२।१।३) वाचसतिसिन्धु वेद के पौरुषेयत्व का निःसिद्धि है—'मर्त्तुः सत्रातीयं पूर्वकर्मिणोऽनुपूर्वीक वेदानु-विषयमन् न स्वतः' इत्यादि। अतएव यह नहीं कहा जा सकता है कि वेदान्त सिद्धांत में वेद का ईश्वर की रचना नहीं माना जाता है।

जो उनके तत्त्वज्ञान पाकर भी प्रारब्धकर्मों का फलभोग समाप्त नहा किए हैं उन्हें विदेह कैवल्य प्राप्त नहीं होता है। वे लोग दूसरे कल्प के आरम्भ में परमेश्वर के द्वारा वेद प्रवर्तन आदि कायम नियुक्त होकर जब तक अधिकार रहता है तब तक रहते हैं। इसी से उन महर्षियों को आधिकारिक पुरुष कहते हैं। शङ्कराचार्य के मत से ऋष्यद्वैपायन वेदव्यास भी आधिकारिक पुरुष हैं। पूर कल्प के 'अपान्तरतमा' नामक प्राचीन ऋषि वेदाचार्य कलि तथा द्वार के सविस्मय में महाविष्णु के आदेश से ऋष्यद्वैपायन होकर अवतार लिए। यद्यपि इस विषय में शङ्कराचार्य कुछ प्रमाण नहीं देते हैं किन्तु यह तो पुराण में भा आया है कि ऋष्यद्वैपायन नारद्व्यास का अवतार हैं। भगवद्गीता की टीका में अद्वैतवादी मधुसूदन सरस्वती भी कहते हैं कि परमेश्वर ही वेदव्यास के रूप में वेदान्त संप्रदाय का प्रवर्तक है।

शास्त्र में यह प्रतिपादित है एव प्रमाणसिद्ध है कि परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव—इन तीनों रूप में रहता है। आप्त त्रिमूर्ति है। महाकवि कालिदास कुमारसम्भव महाकाव्य में ब्रह्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि—
'नमन्निमूतये तुम्यं प्राक्सृष्टे बलारामने।' लघुभागवतामृत ग्रन्थ में श्रीरूप गणेश्वारी पद्मपुराण के वचन का उद्धरण देकर समाधान करते हैं कि किसी महाकल्प में उपासना के द्वारा सिद्ध जीवन्मुक्त पुरुष भी ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लेता है। और किसी महाकल्प में स्वयं महाविष्णु भी ब्रह्मा हो जाता है। श्रीरूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा दो प्रकार के होते हैं—'हिरण्यगर्भ तथा वैराज।' उनमें हिरण्यगर्भ जब तक ब्रह्मनाक में रहता है तब तक वहीं रहकर वहाँ के ऐश्वर्य का भोग करता है। और प्रायः वैराज परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा की सृष्टि तथा वेद का प्रचार करते हैं।

शारीरिक भाष्य में (१।३।३०) शङ्कराचार्य कहते हैं कि परमेश्वर की दया पाकर पूर्वकल्प का हिरण्यगर्भ ईश्वर गण के पूर्वयुगीय व्यवहार का स्मरण करता है और तब सृष्टिकार्य का सम्पादन करता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता है—इसमें अन्याय युक्तियों भी हैं।

ना भी हो, प्रकृत में कहना यही है। कि परमेश्वर पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के शरीर आदि की सृष्टि करता है जिसमें अन्यान्य अनेक सृष्टि तथा वेद प्रवर्तन आदि कर्म के लिए उसको पहले समस्त वेदों का सङ्ग्राह्य मात्र से उपदेश करने के लिए वह स्वयं निर्मूर्ति धारण करता है और तब चतुर्भुज ब्रह्मा की

* तथा च—भवत् क्वचिन्महाकला दत्त्वा जीवाऽमुपासतः ।

३।३।३० महाविष्णुः प्रवर्तकः प्रवर्तयते ॥'

देह-सृष्टि करता है। वह ब्रह्मा उस देह में अधिष्ठित होकर स्वयं सर्वप्रथम सकल वेदों के सनायीय वेद वाक्यों का उच्चारण करता है।

अतएव यह मानना होगा कि परमेश्वर समस्त वेदों का आदिकर्ता तथा आदिवक्ता है। किन्तु हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से लेकर भवद्रष्टा ऋषि पन्न तपोबल से तथा परमेश्वर की दया पाकर वेद को प्राप्त करते हैं और अन्य पर (जैसा है उसी रूप में) उसका स्मरण करके अविफल रूप में उच्चारण करते हैं। चात्स्मायन आदि प्राचीन आचार्यगण इसी तात्पर्य से वेद का ऋषिवाक्य कहते हैं। किन्तु वे लग भी वेद का आदिकर्ता रूप में इन ऋषियों का नाम नहीं लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी वेद का आदिकर्ता नहीं हो सकता है। ईश्वर के उपदेश के बिना वेद का अथवा वेदाय विषयक किसी भा तरह का ज्ञान किसा का नहीं हो सकता है। वेदरचना से पहले किसी को भी वेदाय का ज्ञान या ऋषत्व लाभ होने का कोई उपाय नहीं था। योगदर्शन में महर्षि पतञ्जलि का सूत्र है—'स पूर्वेषामपि गुरु' कालेनानवच्छेदात्' १।२६। वही परमेश्वर हिरण्यगर्भ ऋषिति का गुरु है। क्योंकि परमेश्वर किसी कालविशेष में अवच्छिन्न पुण्य नष्टा है। ब्रह्मा स भी वह पूर्ववर्ती है। अतएव तत्तं चिरविद्यमानं कदा जा सकता है। वह अनादि तथा अनन्त है। अब क्या इसमें लेशमात्र भी सन्देह हो सकता है कि उही परमेश्वर न वेद का सर्वप्रथम उपदेश दिया तथा सर्वप्रथम वेदार्थों का भाष्य का। स्मरण रखना चाहिए कि गाथा में भगवान् आदिष्ण कहते हैं—'अहमादिर्हिदवानाम् महर्षीणाञ्च सरथ ।' १।१२। इसके पहले भी कहे हैं—'कर्म ब्रह्माद्भेवविद्विजब्राह्मण समुद्भवम्' १।१५। इस श्लोक में ब्रह्म शब्द का वेद अर्थ है। 'विद्य पवित्रनाडात्सृष्ट्वात्मपपुरवे च' ६।१७। पश्चात् कहा गया है—

'सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्त स्मृतिर्ज्ञानमतेहनञ्च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो
यदान्तर्हृदु वेदविदेव चाहम्' ॥१५।१५।

(श्रीमद्भगवद्गीता)

॥ इति ॥

विश्वान्तर्हृत्
मेतावदेव, वेदविदेव
प्राणव-सर्ववैश्यापवित्राहम् ।

वशमादिरुपात्त । न वेदन
—मात्राज्ञा-
गाधून ब्रह्मज्ञोऽदि प्रविष्टाहमिष्यादि ।
५. सरस्वतीहृत्त मावद्गीता श्रुताधकारिता ।

चौदहवाँ अध्याय

न्यायदर्शन में प्रमेय पदार्थ की व्याख्या

महर्षि गौतम ने न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रमाण के बाद प्रमेय की चर्चा की है। मुमुक्षुश्री = मोक्ष को इच्छा रखने वालों, के लिए प्रमेय पदार्थ का ज्ञान ही प्रधान कर्तव्य है। इत्यनिरु प्रकृष्ट = सर्वश्रेष्ठ, मेय = ज्ञेय, यही प्रमेय पद का अर्थ होता है। महर्षि गौतम बाद में उसी प्रमेय पदार्थ का विशेषरूप से नामनिर्देश के द्वारा विभाग करते हैं—'आत्मशरीरेन्द्रियार्थ बुद्धिमनः प्रवृत्तिदोष प्रेत्यभाव फलदुःखापवर्गान्तु प्रमेयम्' १।१।६। आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनस्, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और अवनर्ग—इन बारह पदार्थों का प्रमेय कहते हैं। ये बारह प्रकार के प्रमेय ही प्रथम सूत्रगत प्रमेय पद का अर्थ है।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि वस्तुमात्र जो प्रमाण से सिद्ध किया जाना है प्रमेय पद से अभिहित हो सक्ता है। साक्ष्यदर्शन में आचार्य ईश्वरकृष्ण भी कहते हैं—'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि'। महर्षि गौतम भी इसमें सहमत ही हैं। अतएव—'प्रमेया च तुना प्रामाण्यवत्' इस सूत्र के द्वारा प्रमाण की भी प्रमेय कहा गया है। गौतम के सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए माध्यकार वात्स्यायन स्पष्ट कहते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय आदि प्रमेय पद से प्रसिद्ध हैं। उष द्रव्य आदि के असंख्य प्रकार हैं इसलिए प्रमेय का आनन्त्य सिद्ध होता है। किन्तु उन

१. अयं यन्मदंश्चि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम् । तद्भेदे न चापरि-
संख्येयम् । अन्य तु तत्त्वज्ञानावपवर्गो निव्याजानात् संसार इत्यत्र एतदुपदिष्ट
विशेषेणेति' । वात्स्यायनभाष्य १।१।६ पर्याय म गौतम के अनेक सूत्रों से और
परमाणु की निव्याय एव अवयवों की सिद्धि से ज्ञात होता है कि कणाद के द्वारा
कह गये द्रव्य आदि छषो पदार्थ गौतम की भी मान्य हैं। और ये भी पञ्चान्
कणाद की तरह समाहात्मक प्रमेय की चर्चा करते हैं। इसी से गङ्गेशउपाध्याय
आदि नैयायिकगण गौतम के सिद्धान्त की व्याख्या में द्रव्य आदि सात पदार्थों का
समर्थन करते हैं। सिद्धान्तमुक्तवचनो म विद्वत्ताय भी माध्यकार वात्स्यायन की
उक्त कथा के अनुसार ही लिखते हैं—'एते च पदार्थाः वैशेषिकप्रसिद्धाः नैयायि-
कानामप्यविकृताः प्रतिपादितरचैवमेव भाष्ये' ।

प्रमेयो में आत्मा से लेकर अपवर्ग पर्यन्त उपर्युक्त बारह पदार्थों का उक्त साक्षात्कार सकल पदार्थ विषयक मिथ्याज्ञान की निवृत्ति के द्वारा मुक्ति का साक्षात्कारण होता है। मुमुक्षुओं के लिए ये पदार्थ ही प्रकृष्ट मंत्र हैं। इसीसे महर्षि गौतम उक्त अर्थ में ही आत्मा आदि बारह पदार्थों को प्रमेय कहते हैं। वाराणस यह है कि न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में कहा गया प्रमेय शब्द उक्त बारह प्रकारों के पदार्थों के अर्थ में पारिभाषिक है।

प्रमेयवर्ग में सबसे पहले आत्मा का उपादान है। इसीसे पहले इसके साधक हेतुओं को कहते हुए इसका लक्षण करते हैं—'इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःख ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्' १।१।१०। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान आत्मा के अनुमापक हेतु हैं। अभिप्राय यह है कि उक्त इच्छा आदि गुणों से (हेतुओं से) अनुमान के आधार पर इन गुणों का आप्रय सिद्ध होता है, पश्चात् इच्छा आदि गुणों का अधिकरण देह आदि नहीं हो सकते हैं—इसका यथार्थ अनुमान होता है। इसके बाद में जाकर देह आदि से भिन्न उन गुणों के साधकरूप में आत्मा की सिद्धि होती है। जिसमें अनुमान प्रमाण ही उपकारक होता है। इससे यही ज्ञान होता है कि उक्त सूत्र से आत्मा का लक्षण भी कहा जाता है। (विरोपज्ञान के लिए धङ्गला न्याय-माध्य का चतुर्थ भाग देखना आवश्यक है)।

मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ इस प्रकार से सुख आदि के मानस प्रत्यक्ष के समय में प्रत्येक जीव स्व का भी (आत्मा का भी) मानस प्रत्यक्ष कर लेता है किन्तु मिथ्या अभिमान में लिप्त जीव उस समय में देह आदि से भिन्नरूप में आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं करता है। इसी तात्पर्य से महर्षि कणाद भी जीवात्मा को अप्रत्यक्ष कहकर उसके विषय में अनुमान प्रमाण दिग्यते हैं।^१ और बोधव

१. बेंदोपक दशन मे (३।१।४) महर्षि कणाद भी प्राण आदि की तरह सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न का एव उल्लेख पहले (१।१।१०) ज्ञान को जीवात्मा के साधक हेतु कहते हैं। कणाद के सूत्र के अनुसार वस्तुतः कहते हैं—'मुसद्दुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नैश्च गुणैर्गुणानुमीयत'। इच्छा आदि गुणों से गृणीया मा के अनुमान में क्या मतभेद है—एह पहले ही 'सामान्यनोदष्ट' अनुमान को व्याख्या में कहा गया है। प्रसङ्गात्तदभाध की मूर्ति टोका में जगदीश तर्कविश्वार इन अनुमान प्रयोगों की व्याख्या में करते हैं—'मुक्तादिर्षं द्रव्य गणवन्तम् गुणैर्वात्'। ज्ञानं च कदाचित्तं कर्तृत्वात् प्रत्यक्षम्'। कणाद के मत में ज्ञान आदि आत्मा के गुण हैं—इसे हम मानते हैं कि यह सत्य है—'मुदयधीनान् सद् गुणैर्वाभावे तस्मिन् क्वचनानुपपत्तेरिति भावः'।

सन्निकर्ष से योगियों के प्रयत्न का विषय मानने हैं। किन्तु महर्षि गौतम पूर्वसूत्र में प्रमेय पदार्थ के विभाजन के द्वारा उद्देश किए हैं अतएव उन सबों का लक्षण करना भी उनके लिए आवश्यक होगा। इसी को ध्यान में रखकर 'इच्छा द्वेष' आदि मूल कहे हैं जिसमें आत्मा का लक्षण सूचित होता है। इसलिए उक्त सूत्र से यह भी ज्ञान होना है कि इच्छा आदि आत्मा के असाधारण (विशेष) गुण हैं। अन्यथा इच्छा आदि गुण आत्मा के लक्षण नहीं हो सकते थे। इस विषय में जो कुछ कहना था वह छठे अध्याय में कहा जा चुका है।

वृत्तिहार विरचनाय आत्मा के लक्षण सूत्र में आया हुआ त्रिग पद का लक्षणरूप अर्थ ही कहते हैं और व्याख्या करते हैं कि इच्छा आदि सभी गुण आत्मा के लक्षण हैं। जिनमें से इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान उभय साधारण है अर्थात् जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के लक्षण हैं। द्वेष, सुख और दुःख केवल जीवात्मा के लक्षण हैं। महर्षि गौतम उक्त इच्छा आदि गुणों में से प्रत्येक को आत्मा का लक्षण करते हैं। सभी गुणों को लेकर एक लक्षण नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उसमें वैयर्थ्य दोष की आपत्ति हो जाएगी। इच्छावत्त्व, यत्नवत्त्व तथा ज्ञानवत्त्व केवल जीवात्मा के लक्षण नहीं हैं। क्योंकि परमात्मा में भी नित्यइच्छा, नित्यप्रयत्न तथा नित्यज्ञान रहते हैं। (बहुतों के मन से ईश्वर में नित्य सुख भोग रहता है) इसमें शक्य होता है कि महर्षि गौतम जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों का उक्त इच्छावत्त्व आदि तीनों लक्षण हैं। अतएव यह भी मानना होगा कि प्रमेय के विभाजक सूत्र में आत्मन् शब्द के प्रथम उपादान से आत्मत्व जातिविशिष्ट जीव तथा ईश्वर दोनों ही महर्षि गौतम के विवक्षित हैं। इस विषय में अधिक बातें दशम अध्याय में कही जा चुकी हैं।

दूसरा प्रमेय शरीर है। महर्षि गौतम इसका लक्षण करते हैं—'चेष्टेन्द्रियार्थायः शरीरम्' १।१।११। आत्मा के प्रयत्न से शरीर में जो क्रिया उत्पन्न होती है उसी क्रिया का नाम चेष्टा है। इसी से चेष्टाश्रयण शरीर का लक्षण होता है। इसी तत्त्व घ्राण आदि इन्द्रिय समूह भी शरीर को ही आश्रय बनाकर रहता है अतएव शरीराश्रित है। शरीर के साथ इन इन्द्रियों की सत्ता है। अतएव अवच्छेदकता सम्बन्ध से शरीर उनका आश्रय होता है। इसी से इन्द्रियानन्वय भा शरीर का लक्षण है। इसी सूत्र के अन्त में गौतम कहते हैं कि अर्थाभरण भा शरीर का लक्षण होगा है। भाष्यकार आदि आचार्यगण अपनी व्याख्या में करते हैं कि अर्थ रक्ष का अर्थ सुख और दुःख है वह पारिभाषिक शब्द है। इसीलिए सुखभयवत् तथा दुःखानवत्त्व भा शरीर का लक्षण होगा

है। यद्यपि महर्षि गौतम के मत से जीवात्मा ही साक्षात् सम्बन्ध से सुख तथा दुःख का आशय होता है। किन्तु प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर से ही सुख और दुःख का भोग करता है। क्योंकि शरीर से बाहर उसका (सुख दुःख का) जन्म ही नहीं होता है। प्रत्येक जीवात्मा का अपना शरीर ही सकल सुख तथा दुःख के भोग का आवतन या अधिष्ठान है। इसी तात्पर्य से महर्षि गौतम शरीर को सुखाश्रय तथा दुःखाश्रय कहते हैं।

महर्षि गौतम बाद में शरीर की तत्त्वपीडा करते हुए कहते हैं कि—‘पार्थिव गुणान्तरोपलब्धे’ ३।१।२८ तात्पर्य यह है कि जब तक मानव शरीर रहता है तब तक उसमें गन्धविशेष पाया जाता है। इसी से सिद्ध होता है कि मनुष्य का शरीर पार्थिव है। पञ्चमहाभूतों में पृथ्वी ही उसका उपादान कारण है। यहाँ यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि महर्षि कणाद तथा गौतम के मत में गन्ध केवल पृथिवी का ही विशेष गुण है। जल आदि अन्य द्रव्यों में गन्ध नहीं रहता है। किन्तु पृथिवी में भिन्न द्रव्य में यदि गन्ध की अनुभूति होती है तो वह पार्थिव अणु का ही होगा। मनुष्य शरीर में जल आदि महाभूतों के जो गुण उपलब्ध होते हैं उसने उसका जनीयत्व सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि वे गुण सब शरीर के अन्तस्त् में रहने वाले जल आदि भूतों के हीगे। एक ही शरीर को पार्थिव, जलीय, तैजस तथा वायवीय सब नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि एक पदार्थ में नाना विरुद्ध जातियाँ पृथिवीत्व, जलत्व आदि नहीं रह सकती हैं। केवल मनुष्य का शरीर ही नहीं प्रत्युत मर्त्यलोक के सकल शरीर एवं समस्त पार्थिव द्रव्य का उपादान कारण पृथिवी ही है। क्योंकि नाना विरुद्ध जातीय द्रव्य किसी एक द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो सकता है। किन्तु सजातीय द्रव्य ही सजातीय द्रव्यान्तर का उपादान कारण हो सकता है। यह सभी दार्शनिकों को मान्य है कि मानव शरीर में पार्थिव अणु ही अधिक रहता है। अन्यथा दर्शनान्तर में प्रतिपादित उसकी पार्थिव संज्ञा उपज नहीं हो सकती है। किन्तु महर्षि गौतम तथा कणाद के मत में केवल पृथिवी ही जिसका उपादान कारण है—इस अर्थ में उसको पार्थिव कहते हैं। किन्तु जल आदि भूतचतुष्टय भी उसका निमित्त कारण है। इसीसे पाँच महाभूतों के द्वारा निष्पन्न होने से इसको पञ्चमौलिक अथवा पञ्चामक करते हैं।

महर्षि गौतम उपस्युक्त सिद्धान्त को उदाहरण बाद में करते हैं कि—‘धुन्वि-
प्रामायाच्च’ ३।१।३१ भाष्यकार वासुदेवान महर्षि गौतम के सिद्धान्त में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि—‘स्यन्ते चतुर्गर्ह्यतात्’ इस भ्रुतिमन्त्र के अन्त में कहा गया है—‘पृथिवीन्ते शरीरम्’ इस मन्त्र से यह स्पष्ट जान होता है कि

तमहारा शरीर पृथिवी में लय को प्राप्त करे । उपादान कारण में ही कार्य द्रव्य का लय होता है । इस श्रुतिमंत्र में विशेषतः पृथिवी में शरीर का लय कहना सिद्ध करता है कि केवल पृथिवी ही शरीर का उपादान कारण है । 'इसीमे मानव शरीर का पार्थिवत्व सिद्ध होता है जो इस विषय में अन्य तरह के सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए किए गये अनुमान को काट देगा । महर्षि गौतम यह भी प्रतिपादित करते हैं कि भुक्तिविरोधी अनुमान को प्रमाण नहीं माना जाता है ।

वैशेषिकदर्शन में महर्षि कणाद भी उपर्युक्त सिद्धान्त का समर्थन करते हैं— 'प्रत्यक्षाप्रत्यक्षायाः सयोगस्याप्रत्यक्षत्वात् पचात्मक न विद्यते' ४।२।२। इस सूत्र में पचात्मक शब्द पचमहाभूत उपादान कारण है जिसका—इस अर्थ को लेकर अन्य सम्प्रदाय के अनुसार उसका प्रयोग किए हैं । पचात्मक रूप कोई द्रव्यान्तर नहीं है । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप द्रव्यों के सयोग का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसका तात्पर्य यह है कि पच महाभूतों में पृथिवी, जल तथा तैजस्— इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है और वायु तथा आकाश का नहीं । अतएव इन पाँचों को यदि शरीर का उपादान कारण मान लिया जाए तो इन सबों में समवाय सम्बन्ध से वर्तमान शरीर का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा । क्योंकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष पदार्थों में जो समवाय सम्बन्ध से रहता है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । पृथिवी और वायु के सयोग को दृष्टान्तरूप में लिया जा सकता है^२

१. द्दान्दोग्य उपनिषद् के—'तासां त्रिवृत त्रिवृतमेकैकानकरोत्' ६।२।४। इस श्रुतिवाक्य से तज, जन और पृथिवी इन तीन ही भूतों के त्रिवृत्करण कथित होता है जिससे कितने व्यक्ति खदन इन तीन भूतों का उपादान कारण मानते हैं और कितने व्यक्ति पञ्चोकरण मानकर पाँच भूतों को उपादान कारण मानते हैं । कणाद तथा गौतम के मत में अन्य भूतों के निमित्तकारण होने पर भी इस श्रुतिवाक्य की उपपत्ति होती है । पूर्वोक्त तीन भूतों में परस्पर विलक्षण संयोग विषय का उत्पादन ही इस श्रुतिवाक्य में त्रिवृत्करण पद से कहा गया है । इस उपादानकारणभूत विद्ये के बाधक्य का प्रकाश भी इस तरह की उक्ति का उद्देश्य है ।

२. वैशाल सम्प्रदाय का पञ्चीकरण कणाद को भी मान्य है—इसके समर्थन के लिए महामहेपाठगय चन्द्रान्त तर्कानुसार किनापकी भेनकर के (पञ्चमवप) पृ० ४५ में 'द्रव्येषु पचात्मकत्वम्' इसी कणाद का सूत्र कद कर उद्धृत करते हैं । हिन्दू कणाद पहले—'प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणाम्' इत्यादि सूत्र से पचात्मकत्व

महर्षि कणाद ने बाद में यह भी समुचित विद्वत् कर दिया है कि पृथिवी, जल तथा तेजस्—ये तीनों भूत ही शरीर का उपादान कारण नहीं हो सकते हैं। सारांश यह हुआ कि महर्षि कणाद के मत में भी पृथिवी शरीर का उपादान कारण पृथिवी ही है। अन्य जल आदि भूतचतुष्टय उसका निमित्त कारण हैं। इसी तरह स ब्रह्मलोक, सूर्यलोक तथा वायुलोक में जो क्रमशः देवगणों का जलीय तेजस् तथा वायवीय शरीर हैं उनका उपादान कारण क्रमशः जल, तेजस् तथा वायु है और अन्य भूतचतुष्टय निमित्त कारण होते हैं। महर्षि कणाद ने इन सभी अमानिज शरीरों की विषय व्याख्या की है।

तौषथ प्रमेय इन्द्रिय है। छद्म प्रमेय मनस भी इन्द्रिय है। किन्तु मनस के विषय में विशेष ज्ञान के लिए महर्षि गौतम ने यहाँ उक्त पृथक् उल्लेख किया है। इसी से यहाँ प्राण आदि बाह्य इंद्रियों की सूचना देते हैं— प्राण रसन चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः १।१।११। साखर आदि शास्त्रों में वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ इन पाँच कर्मेन्द्रियों को भी कहते हैं। और वहीं यह भी प्रतिपादित है कि अहङ्कार सभी इंद्रियों को उत्पन्न करता है। महर्षि गौतम तथा कणाद हस्त आदि अङ्गविशेष को इन्द्रिय नहीं मानते हैं। इन लोगों के मत में प्राण आदि पाँच ही इंद्रियाँ हैं। क्योंकि वे परवदात्मक ज्ञान के साधन हैं किन्तु हस्त आदि इन्द्रिय सटय हैं। अन्यथा उनमें इन्द्रिय पद का लाक्षणिक प्रयोग होता है। तात्पर्यहीनकार वाचस्पतिमिश्र भी गौतम के इस सिद्धान्त का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि यदि असाधारण कार्य के साधन हस्त आदि का इन्द्रिय कहा जाय तो कण्ठ, हृदय, आमाशय तथा प्लेहाशय को भी कर्मेन्द्रिय कहा जा सकता है। किन्तु यह सिद्धान्त किसी भी दार्शनिक को मान्य नहीं है। कणाद तथा गौतम के मत में अहङ्कार किसी इन्द्रिय का उपादान कारण नहीं है किन्तु पृथिवी आदि पञ्चभूत ही क्रमशः प्राण आदि पाँच इंद्रियों के उपादान कारण हैं। अन्यथा न्यायदर्शन में इन्द्रिय को भौतिक पदार्थ कहा गया है। इसीलिए—इस सिद्धान्त को व्यक्त करने के लिए ही—उक्त सूत्र में अन्त में महर्षि गौतम कहते

का स्पष्टन करते हैं पञ्चात् सटय प्रमेय द्वितीय प्रमेय म हस्त स्पर्शजनक लिए कहते हैं—द्रोणु पञ्चामहव प्रतिपिठम्। शरीरका भाग में (२२।११) साधय शङ्कर मा कणाद के—‘प्रयत्नात्प्राणाम्’ इत्यादि सूत्र का उद्धरण देते हुए उक्त कणाद के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। सारांश यह हुआ कि यह स्पष्ट ही ज्ञान होता है कि पञ्चकारण कणाद का मान्य नहीं है।

हैं—‘भूतेभ्यः’ । महर्षि गौतम न्यायदर्शन के तृतीय अध्याय में इस सिद्धान्त का उपगदन करते हैं । इनकी मूलयुक्ति यही है कि गन्ध रस, स्पर्श तथा शब्दों के बीच में घ्राण इन्द्रिय जन्म केवल गन्ध को ही ग्रहण करता है तथा रसना केवल रस का ही प्रत्यक्ष कराता है । चक्षुस् केवल रूप का ही और श्वेन्द्रिय केवल स्पर्श का ही प्रत्यक्ष कराता है । इसी से घ्राण आदि चार इन्द्रियों का यथानुक्रम पार्थिवत्व, जलीयत्व, तेजस्त्व तथा वायवीयत्व अनुमान से सिद्ध होना है । इसी के समर्थन में इनका सूत्र है—‘तद्वयवस्थानन्तु भूयस्त्वात्’ ३।१।६६। घ्राण आदि इन्द्रियों के उत्पादक भूतवर्गों में घ्राणेन्द्रिय के उत्पादन में पृथिवी का ही भूयस्त्व है अर्थात् घ्राण का उपादान पृथिवी ही है । इसी तरह रसना आदि तीन इन्द्रियों में पृथिवी आदि भूतों में क्रमशः जल, तेजस् तथा वायु का ही भूयस्त्व है । अतएव क्रमशः वही सब उपादान कारण होते हैं । पृथिवी आदि भूतों से घ्राण आदि इन्द्रियों की सृष्टि में जीव के अदृष्ट विशेष का भी हाथ रहना है अर्थात् वह सहकारी होता है । किन्तु इस मत में अथवेन्द्रिय उत्पन्न नहीं होता है । क्योंकि जीव का कर्णगोलकावच्छिन्न नित्य आकाश ही वस्तुतः अवण है । उसी कर्णगोलक की उत्पत्ति मानकर शास्त्र में अथवेन्द्रिय को उत्पन्न कहा गया है । किन्तु कर्णगोलकरूप उपाधि के भेद से अथवेन्द्रियरूप आकाश के भेद की कल्पना की जाती है । किन्तु उस नित्य आकाश की सत्ता के बिना अथवेन्द्रिय की सत्ता सिद्ध नहीं होती है—इसी तात्पर्य से महर्षि गौतम आकाश को अथवेन्द्रिय की योनि (मूल) कहा है । अथवेन्द्रिय भी अधौतिक पदार्थ नहीं है । किन्तु आकाशात्मक पञ्चमभूतरूप ही है ।

१. कणाद तथा गौतम के मत में आकाश का उत्पादक कोई सुक्ष्म भूत नहीं है । इनके मत में आकाश विष्णु-सर्वव्यापी पदार्थ है । कणाद स्पष्ट कहते हैं—‘विमवानमहानाकाशान्तया चारामा’ ७।१।२२। गौतम भी कहते हैं—‘ध्व्यूऽक्षिण्णु विष्णुमिति आकाशधर्मा’ ४।२।२२। विष्णुत्व की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । कणाद तथा गौतम के मत में आकाश नित्य पदार्थ है । इन लोगों के मत में घ्राण सूत्रों से भी यही ज्ञत होना है । अतएव आकाश अथवेन्द्रिय वस्तुतः नित्य पदार्थ है । अतएव गौतम के इन्द्रिय-व्यवस्था सूत्र में—‘भूतेभ्यः’ इस पद में पञ्चमी विभक्ति का अर्थ जन्मत्व नहीं है किन्तु प्रयोजकत्व है । जिसकी सत्ता के बिना जिसकी सत्ता सिद्ध नहीं होनी है उस उपादान प्रयोज्य कहते हैं । आकाश की सत्ता के बिना अथवेन्द्रिय की सत्ता सिद्ध नहीं होनी है अतएव वह आकाश का प्रयोज्य है ।

महर्षि गौतम चक्षुष् इन्द्रिय के तेजस्त्व का समर्थन करते हैं और उसकी भौतिकता भी सिद्ध करते हैं। इसीलिए प्रत्येक इन्द्रिय की प्राप्यकारिता भी सिद्ध होनी है। इन्द्रिय वर्ग अपने विषय को प्राप्त करके अर्थात् उस विषय के साथ सन्निकृष्ट होकर उस विषय का प्रत्यक्ष कराता है। इसी अर्थ में इन्द्रिय प्राप्यकारी कहा जाता है। चक्षुष् इन्द्रिय से जब दूरस्थ विषय का प्रत्यक्ष होता है तब उस स्थल में इन्द्रिय विषय से सन्निकृष्ट कैसे होगा ? यदि चक्षुष् इन्द्रिय अमौक्तिक पदार्थ है तब तो उस स्थिति में विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष ही सम्भव नहीं होगा। तो भी चक्षुष् से पृष्ठवर्ती व्यवहित तथा अतिदूरस्थ द्रव्य का प्रत्यक्ष कैसे होगा ? अतएव यह भी मानना होगा कि चक्षुष् प्रदीप की तरह तेजस पदार्थ है। जैसे प्रदीप में ज्योति होती है उसी तरह से चक्षुष् में भी ज्योति होती है और जैसे प्रदीप की ज्योति किसी व्यवधायक द्रव्य के रहने से व्यवहित हो जाती है उसी तरह से चक्षुष् की ज्योति भी प्रतिहत हो जाती है और व्यवहित विषय के साथ उसका सन्निकर्ष नहीं हो सकता है। इसीलिए उन विषयों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि चक्षुष् को अदृश्या से उदरग्र माना जाए तो पुनः भिक्षि आदि व्यवधायक द्रव्य के रहने से उसका प्रतिघात सम्भव नहीं है क्योंकि तब तो वह अमौक्तिक रहना। प्रतिहत होना भौतिक पदार्थ का धर्म है। काच जैसा किसी स्वच्छ पदार्थ से चक्षुष् यद्यपि प्रतिहत नहीं भी होता है अर्थात् काच के व्यवधान में भी वस्तु दृश्य होता है तथापि दिवाल आदि के रहने से वह अवश्य प्रतिहत होता है। इससे भी चक्षुष् का भौतिक पदार्थ होना सिद्ध होता है। महर्षि गौतम इसका समर्थन करते हुए अन्त में कहते हैं कि—‘नक्षत्रान् नयनरश्मि दशनाच्च’ ३।१।४४। रात में बिजली तथा व्याघ्र आदि किसी किसी जीव का— जो रात में निकलते हैं—आँखों की ज्योति देनी भी जानी है। इसी दृष्टान्त से सभी जीवों की आँख की ज्योति अनुमान से सिद्ध होनी है। बिजली आदि की आँखों की ज्योति दिवाल आदि के व्यवधान में प्रतिहत हो जाती है और तब वह भी व्यवहित विषय का प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है। अतएव यह नहीं कहा जा सकता है कि बिजली की आँख अन्य जीवों की आँख में भिन्न है। किन्तु मनुष्य के चक्षुष् का रूप उद्भूत नहीं है अतएव यद्यपि उसकी ज्योति दूर तक जाती है किन्तु वह दृश्य दृश्य नहीं होता है। क्योंकि उद्भूत रूप और महत्त्व जिसमें रहता है उसी दृश्य का प्राप्य होना है जो चक्षुष् में नहीं है। जैसे आग से उत्पन्न किए गये जल में तेजस पदार्थ के रहने पर भी उसमें उद्भूत रूप नहीं रहता है अतएव उस तेजस पदार्थ का चक्षुष् प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी तर्क से मानने के चक्षुष्

इन्द्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है। रूप दो तरह के होते हैं उद्भूत तथा अनुद्भूत। उनमें केवल उद्भूत रूप प्रत्यक्ष के योग्य हैं किन्तु जहाँ पर वह भी किसी से अभिभूत होकर रहता है वहाँ उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे उल्का में उद्भूत रूप रहता है किन्तु दिन में वह सूर्य किरण से अभिभूत रहता है अतएव उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है।

किसी प्राचीन साध्य संप्रदाय के अनुसार केवल त्वक् ही बाह्य इन्द्रिय है और घ्राण, रसना, चक्षुष् तथा श्रवण के स्थान में जो त्वक् है वही क्रमशः गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द का प्रत्यक्ष कराना है। शारीरिक माध्य में (२।२।१०) शङ्कराचार्य भी साध्य के इस सिद्धान्त का उल्लेख करते हैं। महर्षि गौतम पहले इन्द्रिय की परीक्षा करते हैं और बाद में इस मत का सयुक्तिक एखण्डन किया है। इन्द्रिय की परीक्षा के समय में महर्षि गौतम ने बहुत सी बातें कही हैं किन्तु सक्षेप में उन विषयों को कहना कठिन है।

चौथा प्रमेय का नाम अर्थ है। यह इन्द्रिय का अर्थ होता है। क्रमशः पाँच इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य पाँच विशेष गुण—गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द को इन्द्रियार्थ कहते हैं। अतएव महर्षि कणाद कहते हैं कि इन्द्रियों का अर्थ=विषय प्रसिद्ध है—‘प्रसिद्धाः इन्द्रियार्थाः’ ३।१।१। महर्षि गौतम इसको अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं—‘गन्ध, रस, रूप, स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास्तदार्थाः १।१।१४। इस सूत्र में तत्पद से उक्त इन्द्रियों का ग्रहण होता है। अतएव ‘तदार्थाः’ का अर्थ—‘इन्द्रियार्थाः’ होता है। तेषाम् = इन्द्रियाणाम् अर्थाः = विषयाः। महर्षि गौतम (१।१।६२ और ६३ सूत्रों में) अर्थ नामक प्रमेय की परीक्षा करते हुए पहले अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं—गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्श पृथिवी के गुण हैं। रस, रूप तथा स्पर्श जल के गुण हैं, रूप और स्पर्श तेजस के गुण हैं केवल स्पर्श वायु का और केवल शब्द आकाश का गुण है। वैशेषिकदर्शन के द्वितीय अध्याय के आरम्भ में ही क्रमशः पाँच सूत्रों के द्वारा गौतम के इस सिद्धान्त का ही समर्थन किया गया है।

महर्षि गौतम बाद में किसी दूसरे सिद्धान्त का कहते हैं कि केवल गन्ध ही पृथिवी का विशेष गुण है, केवल रस ही जल का, केवल रूप ही तेजस् का, केवल स्पर्श ही वायु का और केवल शब्द ही आकाश का स्वामाधिक (अथवा विशेष) गुण है। अतएव पृथिवी में स्पर्श, रूप तथा रस का प्रत्यक्षानुभव कैसे होगा ? इसी तरह से जल में रूप तथा स्पर्श का प्रत्यक्ष कैसे होगा,

तेजस में स्वर्ण का प्रत्यक्ष कैसे होगा ? इसका उत्तर देते हुए महर्षि गौतम कहते हैं—विष्णु अथवा परण' ३।१।६६। अभिप्राय यह है कि स्थूल भूत की सृष्टि में पृथिवी आदि जन आदि से यथाक्रम विनक्षण संयोग रूप संघ क द्वारा बद्ध हो जाना है अतएव किसी भूत के विशेष गुणों का प्रत्यक्ष किंवा और भूत में हाता है । किंतु यहाँ एक नियम है वह यह कि पूर्वस्थित भूत जैसे पृथिवी अथवा भूत से = जन से सबद्ध ह कर जन के विशेष गुण का प्रत्यक्ष करता है । किन्तु क्रमशः अपरभूत जैसे पूर्वस्थित भूत पृथिवी के विशेष गुण का प्रत्यक्ष नहीं करता है । इससे सिद्ध होता है कि पूर्वस्थित भूत में अन्य भूत का अनुप्रवेश हाता है किन्तु परभूत में पूर्वभूत का अनुप्रवेश नहीं ।

महर्षि गौतम वाद में इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि—'न पार्थिवान्पयो प्रत्यक्षन्त' ३।१।६७। जब पार्थिव तथा पनीय द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है तब तो यह मानना होगा कि उन द्रव्यों में भी रूप है । जिस द्रव्य में उद्भूत रूप नहीं रहना है किन्तु चाक्षुष प्रायण नहीं होता है । यदि यह माना जाए कि पार्थिव तथा पनीय द्रव्य में उद्भूतरूप विशिष्ट तेजस् द्रव्य का विनक्षण संयोग है अतएव उस तेजस वृत्ति का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है—तब तो वायु में जो तेजस् है उसके रूप का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष होने लगेगा । यह नहीं कहा जा सकता है कि वायु में तेजस् का संयोग नहीं है किन्तु तेजस् में वायु का संयोग है ।

भाष्यकार ने इस सूत्र की भिन्न व्याख्यान उपस्थित को है । निम्नमें बहुत युक्तियों के साथ उक्त मत का खण्डन किया गया है । वे कहते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पार्थिव द्रव्य का स्वाद जो कर्मा तीता भी होता है वह उस पृथिवी के अन्तर्गत जन का रस है । क्योंकि इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं है कि केवल जन में ही तीत रस रहता है । और इसमें भी कुछ प्रमाण नहीं है कि शुक्ल तथा पात आदि रूप केवल तेजस् का ही हाता है । भाष्यकार और भी कहते हैं कि जब किसी पार्थिव द्रव्य में जन आदि भूतद्रव्य का संघ नष्ट हो जाता है तब भी उसमें रस रूप और स्पर्श—इन सब गुणों का प्रायण होता है । अतएव यह मानना होगा कि पृथिवी में उपर्युक्त चार गुणों का समावेश रहना है इसी कारण से जब जन में तेजस् तथा वायु का संघ नष्ट होता है तो भी वहाँ रूप तथा स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है अतएव जन में उक्त तीनों गुण रहते हैं । किसी तेजस पदार्थ में वायु का पूर्वस्थिति संघ नष्ट हो जाय तो उसमें रस का प्रत्यक्ष होगा अतएव तेजस द्रव्य में रूप की तरह स्वर्ण गुण भी मानना होगा ।

अब प्रश्न उठता है कि गन्ध आदि चार गुण पृथिवी में जब रहते ही हैं तो घ्राणेन्द्रिय से उन गुणों का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा ? इसका उत्तर देते हुए महर्षि गौतम (३।१।६८ सूत्र में) कहते हैं कि जिस इन्द्रिय में जिस गुण का उत्कर्ष रहता है। उस से उसी गुण का प्रत्यक्ष होता है। घ्राण पाचिव द्रव्य है, उसमें यद्यपि गन्ध, रूप, रस तथा स्पर्श—इन चार गुणों का समावेश रहता है तथापि गन्ध का ही उत्कर्ष रहता है अतएव उससे गन्ध का ही प्रत्यक्ष होता है। इसी तरह रसनेन्द्रिय जलीय द्रव्य है अतएव रस, रूप तथा स्पर्श उसमें रहते हैं किन्तु वहाँ उत्कर्ष रस का ही रहता है अतएव उससे केवल रस का प्रत्यक्ष होता है। चक्षुष् इन्द्रिय तेजस् पदार्थ है। यद्यपि रूप तथा स्पर्श उसमें रहते हैं किन्तु उत्कर्षवशात् रूप का ही उससे प्रत्यक्ष होता है। त्वक् इन्द्रिय में केवल स्पर्श गुण ही रहता है। अतएव उससे स्पर्श का ही प्रत्यक्ष होता है। किन्तु संगा इन्द्रिय अतोन्द्रिय अर्थात् अप्रत्यक्ष होते हैं। श्रवणेन्द्रिय से तद्गत शब्द का प्रत्यक्ष होता है। किन्तु घ्राण आदि इन्द्रियों से तद्गत गन्ध आदि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। गौतम इसका कारण कहते हैं कि घ्राण आदि इन्द्रियों में जो गन्ध आदि गुण रहते हैं उष गुणविशिष्ट द्रव्य की ही इन्द्रिय कहा जाता है। अतएव स्व को = अपने को ग्रहण करने वाला स्वयं नहीं हो सकता है।

यथार्थ में सभी द्रव्यों तथा गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। चक्षुष् इन्द्रिय तथा उसके रूप का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है ? इसका उत्तर महर्षि गौतम पहले ही दे चुके हैं—‘द्रव्यगुण धर्म भेदाच्चोपलब्धे नियम’ ३।१।३७। अभिप्राय यह है कि जिस द्रव्य तथा जिस गुण में प्रत्यक्ष का प्रयोजक धर्म रहता है केवल उसी द्रव्य और गुण का प्रत्यक्ष होता है। केवल उद्भूतव्य धर्म से युक्त रूपविशेष और उस रूप से युक्त द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि रूप चक्षुष् में मौजूद है किन्तु वह उद्भूतव्य धर्म विशिष्ट नहीं है। अर्थात् चक्षुष् में उद्भूत रूप नहीं है। घ्राण, रसना और त्वक् इन्द्रियों में जो गुण विद्यमान हैं उनमें प्रत्यक्ष प्रयोजक उद्भूतव्य नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होता है—प्रतीत होता है कि यही महर्षि गौतम का अन्तिय अभिप्राय है। जैसे घ्राण आदि अनेक द्रव्यों में गन्ध रहने पर भी उसमें गन्ध की उत्कर्षना नहीं है इसी से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी तरह से घ्राणगत गन्ध का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी तरह से रसना आदि इन्द्रियों में रहने वाले रस आदि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है।

पंचवें प्रमेय बुद्धि है। जिसने द्वारा ज्ञान होता है—इस अर्थ में निम्न ‘बुद्धि’ शब्द से जीव का अन्त करण अथवा मनस् बुद्धि पद से लिखा

जाता है। महर्षि गौतम बाद में इसी अर्थ में बुद्धिपद का प्रयोग किए हैं। किन्तु वे प्रमेय रूप में जिस बुद्धि की चर्चा करते हैं वह आत्मा का प्रत्यक्ष आदि ज्ञान रूप है। ज्ञानार्थक 'बुध' धातु से भाव में कितना प्रत्यक्ष करने पर बुद्धि शब्द बनाने से उसका ज्ञानरूप अर्थ ही लिया जा सकता है। गौतम के मत में इसी को उपलब्धि भी कहते हैं। महर्षि गौतम स्वयं बुद्धि का स्वरूप दिखाने हैं—'बुद्धिरुपलब्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्' बुद्धि उपलब्धि या ज्ञान भिन्न पदार्थ नहीं हैं। जिसे ज्ञान या उपलब्धि कहा जाता है वही बुद्धि है।

साख्य मत में प्रकृति का प्रथम परिणाम बुद्धि है उसी का नाम अन्तःकरण भी है। ज्ञान उसी अन्तःकरण का परिणाम या प्रवृत्ति है। वह अन्तःकरण का ही यथार्थ धर्म है।

गौतम इस मत का सयुक्तिक सारङ्गन किए हैं। साख्य मत में जड़ अन्तःकरण जानता है और आत्मा (चेतन पदार्थ) उसी की उपलब्धि करता है। किन्तु यह सर्वथा अनुभव विरुद्ध वस्तु है। क्योंकि किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान जब जीव को होता है तब 'मैं इसे जानता हूँ' 'मैं इसे उपलब्धि करता हूँ' इस तरह का मानस प्रत्यक्ष जीवात्मा को होता है। अनप्य यह अनुभव से सिद्ध है कि ज्ञान और उपलब्धि भिन्न पदार्थ नहीं हैं। जीव ही उसका आधार है। साख्य का यह कहना है कि अन्तःकरण की वृत्तिरूप ज्ञान के साथ आत्मा का अवास्तव सम्बन्ध है। जिसे उपलब्धि कहते हैं। वह कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। किन्तु नैपथ्यिक कइता है कि उपलब्धि का अर्थार्थ कहना अनुभव विरुद्ध है। चन्द्रमण्डल में सूर्यमण्डल की तरह अन्तःकरण में आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ना भी समभव नहीं है। क्योंकि रूप से रहित निर्विकार पदार्थ का प्रतिबिम्ब नहीं होता है। भले ही साख्य आदि संन्यास नीरूप पदार्थ का प्रतिबिम्ब मानें किन्तु कणाद तथा गौतम के सिद्धान्त में वह मान्य नहीं होगा।

महर्षि गौतम तथा कणाद को यह मान्य नहीं है कि अन्तःकरण का ही परिणाम (भेद) मनस, बुद्धि तथा अहङ्कार इन नामों से प्रसिद्ध है। इनके मत में मनस अन्तरिन्द्रिय है इसी का दूसरा नाम अन्तःकरण है। जीव का अनजान विशेष अहङ्कार या अभिमान है और बुद्धि तो उपर्युक्त रीति से प्रसिद्ध ही है। किन्तु कर्तव्य निश्चयार्थक बुद्धि को भी बुद्धि पद से लिया जाता है। उपनिषद् में इसी बुद्धि को सारथि कहा गया है। इसी तरह से शास्त्रों में अनेक विशेष अर्थों में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मिलना है। किन्तु सारांश यही है कि महर्षि गौतम तथा कणाद के मत में ज्ञान, बुद्धि और उपलब्धि एक ही पदार्थ है और वह जीव से उत्पन्न होता है। जीवात्मा

अन्तःकरण की कर्तृता और सुख दुःख आदि का अभिमान करता है—यह कहने पर भी आत्मा से ज्ञान की उत्पत्ति माननी होगी। क्योंकि कर्तृता तथा सुख दुःख आदि अन्तःकरण का वास्तव धर्म है। यह मानने की बात नहीं है कि अन्तःकरण को ही इस विषय में भ्रम होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अन्तःकरण में स्थित उस ज्ञान के साथ आत्मा का अवास्तव संयन्ध ही उसका अभिमान है। भ्रमात्मक ज्ञान विशेष से भिन्न अर्थ में अभिमान शब्द के व्यवहार में सर्वसम्मत एक भी प्रमाण नहीं है।

छटा प्रमेय मनस् है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जीव के सुख तथा दुःख आदि के मानस प्रत्यक्ष का कारण अन्तरिन्द्रिय मनस् है। मनस् के अस्तित्व साधक इस तरह के अनेक हेतुओं के रहने पर भी महर्षि गौतम अपने एक विशेष हेतु को दिखाने के लिए कहते हैं—'सुगण्ज् ज्ञानानुत्पत्ति-मर्नसो लिङ्गम्' १।१।१६। एक समय में अनेक इन्द्रियों से अनेक विषयों के प्रत्यक्ष का नहीं होना मनस् का हेतु है। तात्पर्य यह है कि जिस काल में किसी विषय के साथ किसी इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है उस समय में अन्य विषय के साथ अन्य इन्द्रिय के सन्निकर्ष रहने पर भी एक समय में अनेक विषयों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। किन्तु समय के विचित्र से ही अपर प्रत्यक्ष उत्पन्न होना है। इसी से अनुमान के आधार पर सिद्ध होता है कि जीव के शरीर में इस तरह के पदार्थ अवश्य हैं जिसके संयोग इन्द्रिय से यदि नहीं रहे तो उस इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है। वह पदार्थ परमाणु की तरह अति सूक्ष्म है अतएव एक समय में अनेक इन्द्रियों से उसका संयोग नहीं हो सकता है। इसी से एक समय में अनेक इन्द्रियों से विभिन्न विषयों का प्रत्यक्ष सर्वथा असंभव है। इसी लिए मन का यह भी लक्षण कहा जा सकता है कि इन्द्रिय के साथ जिसका संयोग होने पर उस इन्द्रिय से प्राप्य विषय का प्रत्यक्ष होता है और जिसके संयोग के अभाव में अन्य कारणों के रहने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होता है वही अति सूक्ष्म द्रव्य मनस् है। महर्षि गौतम उक्त सूत्र के द्वारा इस लक्षण को भी सूचित करते हैं। इसी हेतु के आधार पर यह भी सूचित होता है कि जीव के देह में वह एक ही मनस् रहता है। वह अणु अणुत् परमाणु की तरह अति सूक्ष्म होता है। जीव के शरीर में एक से अधिक मनस् की सत्ता यदि मान ली जाए तो एक काल में विभिन्न इन्द्रियों के साथ अनेक मनस् का संयोग सम्भव हो जाएगा जो अनेक विषयों का प्रत्यक्ष एक काल में कर देगा। उस एक ही मन को यदि शरीरव्यापी मान लिया जाए तो एक समय में सभी इन्द्रियों के साथ उसका

सयोग होना सम्भव हो जाएगा, जिससे अनेक विषयों का प्रत्यक्ष अनेक इन्द्रियों से एक समय में होने लगेगा ।

किन्तु महर्षि गौतम एक समय में विभिन्न ज्ञानों को नहीं मानते हैं । और प्रति शरीर में एक एक अणु परिमाण विशिष्ट मनस् का अस्तित्व स्वीकार करते हैं । इसी से मनस् की परीक्षा के अंगर में वे स्पष्ट कहते हैं— ज्ञानायोग-पद्यादेकम् मन' यथोक्त हेतुशास्त्राणु' १।२।५६ तथा ५६ सू० ।

यद्यपि विभिन्न सम्प्रदाय एक काल में अनेक ज्ञानों का होना मानते हैं । सम्प्रदाय विशेष पांच इन्द्रियों का सङ्कारी पाँच मनस् का अस्तित्व प्रत्येक शरीर में मानता है । वैशेषिक दर्शन उपस्कार में शङ्करमिश्र ने भी इस मन का उल्लेख किया है । किन्तु महर्षि कणाद भी ज्ञान का योग्य अर्थात् एक ज्ञान में अनेक ज्ञानों का होना स्वीकार नहीं करते हैं । वैशेषिक दर्शन में वे भी कहते हैं कि मनस् एक है और अणु है । 'प्रयत्नायौगव्याज् ज्ञानायौगव्यादेकम्' १।२३ वै० सू० । 'तद् भावादणु मन' ७।१।२३ ।

महर्षि गौतम वाद में मनस् की परीक्षा के प्रकार में उसके विस्तार का खण्डन करते हैं—'न गायभावात्' ३।०।८। मनस् विभु (सर्वव्यापी) नहीं है । विभुद्रव्य में गति = क्रिया नहीं रहती है और मनस् में वह है इसी से यह चञ्चल है । शरीर में द्रुतगति से मनस् का व्यापार चञ्चल रहता है । मृत्यु के समय में मनस् शरीर में बाहर चला जाता है । अतएव वह विभु नहीं हो सकता है ।

यथाय में यह मानना चाहिए कि मनस् गमनशील = चञ्चल है । भगवद्गीता कहती है—'चञ्चल हि मन कृष्ण, प्रमाथि बलवद् दृढम्' ६।३५। किन्तु भुक्ति कहती है—'अथ मनो अभूवम् नादशम्, अन्यत्र मनो अभूवम् नाथोपमम्, इति । मनसा ह्येष पश्यति मनसा शृणोति (बृहदारण्यक १।५।३) इस भुक्ति में 'अथ मनो'—यद् से अन्य मनस्क रूप अर्थ लिया जाता है । वास्तव में किसी समय में व्यक्ति बात ही नहीं सुन पाता है समीप के व्यक्ति को भी नहीं देखता है और वाद में कहता है—'मै अन्यमनस्क था कुछ भी नहीं सुन सता आदि । किन्तु उसकी वह अ मनस्कता केमे सम्भव हो सकती है । कणाद तथा गौतम के मत में जिस समय में किसी का मनस् उपर किसी वास्तव इन्द्रिय से युक्त होकर स्थिर रहता है उस समय में उस व्यक्ति का अथ-मनस्क कहा जाता है । उस समय में उसने अथ इन्द्रिय के साथ मनस् संयुक्त नहीं रहता है अतएव इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है । किन्तु मनस् में अन्वेषिक द्रुतगति है । अतएव सीमा ही अन्य इन्द्रियों से संरद्ध होकर

प्रत्यक्ष उत्पन्न करता है। किन्तु किसी किसी समय में क्षण विलम्ब के अभाव में भी अनेक इन्द्रियों अनेक प्रत्यक्ष कराती हैं जिसे यौग पत्र भ्रम कहते हैं।

महर्षि गौतम दृष्टान्त देकर इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि— 'अगतचक्रदर्शनम् तदुपलब्धिप्राप्तुं सञ्चारात्' ३।२।५। आधुनिक समय की आतिशयाजी की तरह प्राचीन समय में अत्यतचक्र नामक यन्त्र विशेष हुआ करता था। उस यन्त्र को फेरते ही उसमें चारों ओर घूमने की क्रिया देखी जाती थी। वे सारी क्रियाएँ यद्यपि एक क्षण में नहीं होती थीं किन्तु भ्रम होता था कि एक ही समय में होती हैं। अत्यत-चक्र का आशु सञ्चार=शीघ्र गमन उम भ्रम का कारण (दोष) होता है। इसी तरह से अनेक इन्द्रियजन्य अनेक प्रत्यक्ष एक काल में होते हैं—यह भी भ्रम है और इसका कारण शरीर में मनस की द्रुतगति रूप दोष है।

भाष्यकार वात्स्यायन इस मत का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि किसी स्थल में गन्ध आदि नाना विषयों का एक काल में जो प्रत्यक्ष होता है—यह सर्वसम्मत दृष्टान्त नहीं हो सकता है। किन्तु अनेक स्थलों में क्रमशः उत्पन्न नाना क्रियाओं के यौगपत्र का जो भ्रम होता है—इस विषय में गौतम का कहा हुआ दृष्टान्त तथा अन्य अनेक दृष्टान्त सर्वसम्मत हैं। आएँ इस दृष्टान्त में क्रम के अभाव में मिश्रित क्षणों में उत्पन्न गन्ध आदि कितने विषयों के प्रत्यक्ष में यौगपत्र बुद्धि को भी भ्रम करा जाता है। वात्स्यायन और भी अनेक कथाओं को बड़े हैं। जो भी हो, महर्षि गौतम तथा कणाद के उक्त मत में बहुत विवाद रहने पर भी मनस् के अणु तथा एकत्व के विषय में विवाद नहीं है। चरकमहिता के शारीरस्थान में भी कहा गया है—'अगुचमय चैकत्वम् द्वौ गुणौ मनस- स्मृतौ' (१ म० अ०) मालव गूत्रकार भी कहते हैं—'अगुपरिमाणम् तत्कृतिश्रुते' ३।१४।

किन्तु परिणामवादी सांख्य संप्रदाय के मत में मनस् का परिणाम होता है। इनके मत से प्रत्येक जड़ वस्तु प्रतिक्षण परिणामी है। अद्वैत वेदान्त के आचार्य

१. सांख्य गूत्र की वृत्तिकार अनिहत्त मट्ट इस सूत्र के अनुसार मनस् के अणुत्तर सिद्धान्त को कहते हैं। किन्तु योगदर्शन भाष्य में (४।१०) व्यासदेव की उक्ति की व्याख्या में योगवातिक में विज्ञानभिन्नु सांख्य मत में देह का परिमाण है और पदञ्चल के मत में मन विभु है। इस मत में विभु मनस् का सङ्कोच और विकास नहीं होता है किन्तु उगकी वृत्ति का सङ्कोच और विकास होता है। न्यायब्रह्मसूत्राञ्चल में (३।१) महाशिवमिह उदयनाचार्य वृत्तियों के द्वारा मनस् के विभुत्ववाद का खण्डन किए हैं।

विद्यारण्य मुनि—‘जीवन्तकि त्रिके’ ग्रन्थ में कहते हैं—‘सावयवमनित्यम् सर्वान् जलमुनर्गादिवत् बहुविधपरिणामार्हम् द्रव्य मनः’। किन्तु आरम्भवाणी गौतम और कणाद के मत में मनस् सावयव नहीं हो सकता है। क्योंकि इन लोगों के मत में वेद जन्मभूत का मूल अयय परमाणु है और मनस् भौतिक द्रव्य नहीं है। शास्त्रों में भी पञ्चभूत से पृथक् रूप में मनस् का उल्लेख किया गया है। मनस् का मूल कोट गूह्यभूत (परमाणु) नहीं है। अत एव यही मानना चाहिए कि मनस् निरवयव, परमाणु की तरह अति सूक्ष्म और नित्य है। इस मत में मनस् का परिणाम सर्वोच्च विकास आदि नहीं होता है। क्योंकि परिणाम सावयवद्रव्य का ही होता है और मनस् निरवयव द्रव्य है। इस मत में प्रत्येक जीव में एक नियम मनस् रहता है। अनादि काल से ही जीव पूर्वजन्मार्जित अदृष्ट की महिमा से उस मनस् के साथ नूतन शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर में उस मनस् का प्रवेश और जीव के साथ उसके त्रिलक्षण सयोग की उत्पत्ति ही मनस् की सृष्टि कही जाती है। मनस् के साथ जीव के त्रिलक्षण सयोग के बिना उसमें (जीव में) ज्ञान आदि किसी गुण की स्थिति सम्भव नहीं है। जीव की उपाधि को और मनस् की अतिसूक्ष्मता एव अणुता को लेकर श्रुति कहती है—‘बालाग्तभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीव स विज्ञेय। (श्वेताश्वतर)। इस से ज्ञात होता है कि जीव केश के अग्रभाग के शतांश परिमाणवाली दाता है अर्थात् परमाणु की तरह अतिसूक्ष्म होता है। जीव शब्द का वाच्यार्थ मनोरूप उपाधि विशिष्ट जीवात्मा दाता है जिसमें उपाधिभूत मनस् भी परमाणु की तरह अति सूक्ष्म है। अन्यथा विश्वयापी जीव की उक्त रूप अणुता सिद्ध ही नहीं हो सकती है। शाराय यह है कि जीव की त्रिभुजा स्वाभाविक है और अणुता औपाधिक है।^१

१. योग दर्शन में (४।४) कहा गया है कि कायव्यूहकारी योगियों को बहुत मनस् की सृष्टि होती है। उन मनस् को सावयव माना गया है। योगी योगवृत्त के बल पर बहुत शरीरों की तरह बहुत मनस् को भी सृष्टि कर सकते हैं और वे एक समय में बहुत शरीरों में बहुत मनस् के द्वारा सुख दुःख का भोग भी करते हैं। शाराय श्वेताश्वतर वाक्यस्थिति सिद्ध कहते हैं कि कायव्यूह करने वाले योगी अपने गृह शरीरों में मृत्यु पुरुषों के उन मनस् का धारण करके प्रविष्ट करते हैं। किन्तु वाक्यस्थिति सिद्ध इस विषय में कुछ प्रमाण नहीं कहते हैं।

२. वैश्वदेववाक्यिक श्वेताश्वतर उपनिषद् के—‘बालाग्तभागस्य’ इत्यादि श्रुतिवाक्य के आधार पर जीवात्मा को स्वतः धणु कहते हैं। श्वेताश्वतर के वादरायण सूत्र से भी इसे सिद्धात्मान कह कर ही व्याख्या करते हैं।

इसी तरह अन्नार्थी परमात्मा को भी उपाधि विशेष के द्वारा अगु बनाकर किसी किसी शास्त्र में 'अद्भुत्प्रमात्र पुरुष' कहते हैं। इसी तरह जीव की उपाधि-मनस् की अगुता का ऐतर उसको किसी किसी स्थल में अद्भुत्प्रमात्र पुरुष बना गया है। अद्भुत्प्रमात्र पुरुष का अर्थ होता है अति सूक्ष्म। जैसे महाभारत के वनपर्व में कहा गया है—'अद्भुत्प्रमात्र पुरुष निश्चर्कर्म यमो नृत्' १८६ अ० १७। सावित्री का स्वामी सत्यवान् के शरीर से अद्भुत्प्रमात्र पुरुष को यम पकड़कर ले गया। साख्य आदि अनेक संप्रदायों में प्रतिपादित है कि सूक्ष्म शरीर में लिङ्ग शरीर अथवा सूक्ष्मशरीर (जिसे उपर्युक्त श्लोक में अद्भुत्प्रमात्र पुरुष कहा गया है)—रहता है। किन्तु न्याय वैशेषिक के मत में मरण समय में जीव का प्राण से युक्त मनस् ही शरीर से निकल जाता है। उस मनस् की सूक्ष्मता के कारण ही आत्मा को अद्भुत्प्रमात्र पुरुष कहते हैं। प्राण से युक्त उस मनस् का आकर्षण ही उस श्लोक में पुरुष के आकर्षण विवक्षित है। महाभारत में उस श्लोक के बाद—'तत समुद्भूत प्राणम् गतश्चास दत प्रभम्' कहा गया है इत्यादि पत्र से भी यही शक्त होता है। अभिप्राय यह है कि न्याय वैशेषिक संप्रदाय के मत से जीव का नित्य मनस् परमाणु की तरह अति सूक्ष्म है। इसी का नामान्तर अन्त करण, चित्त, हृदय आदि हैं। कोपकार अमरसिंह भी कहते हैं—'चित्तं तु चेतो हृदय स्वान्तं हृन्मानस मन'।

सातवें प्रमेय प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति पद का अर्थ होता है मनुष्यों का शुभाशुभ कर्म। यह तीन प्रकार का होता है—शारीरिक, वाचनिक और मानसिक। इसी को गौतम कहते हैं 'प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भ' १।१।१७ जो आरब्ध

किन्तु न्याय वैशेषिक आदि संप्रदाय के मत में जीवात्मा का स्वभावतः विभुत्व ही शास्त्रसिद्ध और युक्तिसिद्ध है। इस मत में—'महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति' (व० उप०) इत्यादि श्रुति और अथ शास्त्र वाक्यों के अनुसार परमात्मा की तरह जीवात्मा भी विभु होता है। इस श्वेताश्वतथ उपनिषद् की 'बुद्धेर्गुणो नात्म गुणे न चैव' इत्यादि श्रुति वाक्य से कहा गया है कि जीवात्मा का स्वकीय गुण परम महत्त्व से भी 'अन्तर' अर्थात् सब से बड़ा होने पर भी उस की बुद्धि अर्थात् मनस् के गुण अणुत्व से ही—'आराधमान'। अदिक तेज (तीक्ष्ण) मुद्ग विशेष का नाम धारा है। उस का अगला भाग अधिक तेज होता है। इन प्रतिवाक्य के अनुसार 'वशात् परिमाणा' में अद्वैतवादी धर्मराज कहते हैं—'एतन्न जीवस्याणुत्वम् प्रयुक्तम्। बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराधमानो ह्यवरोचि दृष्ट' इत्यादी जीवस्य बुद्धिगन्धराध्वान्त करणपरिमाणोपाधिकस्य परमाणुत्वप्रवृत्त्यात्'।

होता है अर्थात् आरम्भ किया जाता है इस अर्थ में आरम्भ शब्द सूत्र में व्याहृत हुआ है जिसका अर्थ शुभ और अशुभ कर्म होता है। भाष्यकार वात्स्यायन कहते हैं—'मनोऽत्रबुद्धिरित्यभिप्रेतम् । बुद्धयतेऽनेनेतिमुडि' । इसलिए उक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि वागारम्भ अर्थात् वाचिक शुभाशुभ कर्म, बुद्ध्यारम्भ = मानसिक शुभाशुभ कर्म और शरीरारम्भ = शारीरिक शुभाशुभ कर्म—इस तरह से तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। महर्षि गौतम न्यायदर्शन के द्वितीय सूत्र में उपयुक्त त्रिविध शुभाशुभ कर्मजन्य धर्म और अधर्म को प्रवृत्ति कहे हैं। किन्तु वह प्रवृत्ति शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है। उद्योतकर गौतम के मन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। कारण रूप और कार्य रूप। मानव के धर्म और अधर्म का कारण रूप शुभ और अशुभ कर्म कारणोत्पन्न प्रवृत्ति है। और उसका कार्य या फल धर्म और अधर्म कार्यात्मक प्रवृत्ति है।

आदर्श प्रमेय दोष है। जीवात्मा का राग, द्वेष तथा मोह इन तीनों को दोष कहते हैं। यह प्रवृत्ति का जनक उत्पाटक होता है। इसीलिए महर्षि गौतम प्रवृत्ति के साठ उच्छेद कारण दोष को कहते हैं। 'प्रवर्तनाच्छुभादोषाः' ॥११८॥ प्रवर्तना पदका अर्थ है प्रवृत्ति जनकत्व। यह प्रवर्तना जिनका लक्षण है वही दोष पद से कहा जाता है। विषय म आसक्तिरूप राग, द्वेष तथा मोह जीवात्मा को शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त करता है। काम, मत्सर तथा अमूया प्रवृत्ति उद्भूत प्रकार के दोष हैं किन्तु सभी दोष उक्त त्रिविध दोष के अन्तर्गत हैं। इसी से गौतम कहते हैं—'तत्रैरास्य रागद्वेषमोहाद्यान्तरमाणात्' ४॥११॥ राग, द्वेष और मोह—ये तीन दोष हैं। इन में भी मोह सब से अव्यय है। इस विषय में गौतम की मान्यता पहले ही (पाचमं अध्याय में) कही जा चुकी है।

नौवा प्रमेय प्रेत्य भाव है। प्र पृथक् 'इण्' धातु में का प्रत्यय करने पर 'प्रेत्य' शब्द जनता है जिस का अर्थ होता है—मरण के बाद। भाव शब्द का अर्थ है जन्म। जीव के धर्म और अधर्म रूप प्रवृत्ति का फल है जीव का पुनर्जन्म होना। धर्म और अधर्म दोषमूलक है अतएव जीव का पुनर्जन्म भी परम्परया दोष मूलक ही सिद्ध हुआ। महर्षि गौतम इसका लक्षण करते हैं—'पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः' ॥१११॥ जीवात्मा नित्य है अतएव उगरी उपनिषद् एव विनाश नहीं होता है। अनादिकात् से ही जीव परम्परा मूल्य शरीर विरोध का परिग्रह करता है जो हम सूत्र में 'पुनरुत्पत्ति' पद से विराधित है। बाद में इस विषय में प्रमाण दिखाने के लिए महर्षि गौतम कहते हैं—'आत्मनित्यत्वे प्रेत्यभावात् सिद्धि' ४॥११॥ जीवात्मा के नित्य होने से ही उगरी पुनर्जन्म या प्रेत्यभाव

सिद्ध होता है। अभिप्राय यह है कि न्यायदर्शन के तृतीय अध्याय में जीवात्मा के निरासक्त साधक जो मुक्तिर्वा नहीं गई हैं उन मुक्तियों से ही उसका पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है। इस विषय में गौतम के द्वारा कही गई मुक्तियाँ एवं अन्त्यान्व गतों पढ़ने दो (पाँचव अध्याय ३) की जा चुकी हैं।

दशार्थ प्रमेय कथ है। इसके दो प्रकार हैं—मुख्य और गण। जीव के दुःख तथा दुःख का मोक्ष उसका मुख्य कथ है और उसका साधन देह तथा इन्द्रिय प्रवृत्ति गौण कथ है। जीव का कथमात्र ही उसका पूर्वजन्म इन धर्म और अधर्म से उत्पन्न होता है और वह धर्माधर्म उस के दोष से होता है। महर्षि गौतम कथ का लक्षण करने हैं—'प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः कथम्' १।१। २०। धर्म और अधर्म रूप प्रवृत्ति और राग द्वेष आदि दोष से उत्पन्न पदार्थ मान ही जीव का कथ है। वाचस्पति मिश्र करते हैं कि धर्म और अधर्म रूप प्रवृत्ति की तरह जीव के सुखदुःख आदि कथ के प्रति भी उस का राग एवं द्वेष आदि दोष कारक होता है। शर्मा तो स्पष्ट करने के लिए गौतम उस मूल में प्रवृत्ति शब्द के बाद दोष पद का व्यवहार किए हैं। दोष रूप कथ से सिद्ध आम रूप भूमि में धर्म और अधर्म रूप जीव तुल्य और दुःख रूप कथ की उत्पन्न कता है। गौतम चतुर्थ अध्याय में याग आदि कर्मों से होने वाले स्वर्ग आदि कथ जो कालान्तर में समुत्पन्न होता है वह ऐहिक कथ नहीं है—इस सिद्धान्त की पुष्टि करने हुए इसी से परलोक का भी समर्थन करते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों से उत्पन्न धर्म और अधर्म रूप गुण—जो कर्म—कर्ता रूप जीव में ही उत्पन्न होने हैं—कालान्तर में स्वर्ग और नरक आदि कथ का कारण है—यह सिद्धान्त भी स्पष्ट होता है।

गारहर्षो प्रमेय दुःख है। दुःख क्या है—इसका ज्ञान लग तक नहीं होता है तब तक अनर्ग प्राप्ति का अधिकार ही नहीं मिलता है। अतएव महर्षि गौतम दुःख के कारण शरीर आदि कथ पर्यन्त प्रमेय पदार्थों के उद्देश एवं लक्ष्य को बंद कर अनर्ग से पढ़ने दुःख का उद्देश एवं लक्षण करते हैं—'नाधना लक्ष्णम् दुःखम्' १।१।२। माय्यहार इसी व्याख्या में करते हैं—'नाधना, पीड़ा ताप इति' नाधना पीड़ा और ताप एतार्थवाचक है अर्थात् पदार्थ है। मर्मा प्राणियों का मनोप्राय दुःख ही उपर्युक्त वाधना आदि शब्दों से लिया जाता है। प्राचीन आचार्यों के मन में इस के तीन प्रकार होने हैं—'आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिभौतिक'। यह 'त्रिताप' पद से भी प्रसिद्ध है। दुःख स्वभाव से ही अमित्र पदार्थ है। प्रवृत्त रूप ही उसकी अनुत्पत्ति होती है,

अथवा मानस प्रत्यक्ष होता है। प्राचीन आचार्यगण ने दुःख का लक्षण यह बना दिया है—'प्रतिकूलवेदनीयम्'।

भाष्यकार दुःख के लक्षण सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि जो दुःख से युक्त है वह भी दुःख है। जहाँ सुख है उस स्थान में भी दुःख अवश्य रहता है। सुख मात्र में दुःख का अविनाभाव रूप सन्ध है जिससे दुःखानुपन्न की प्रतीति होती है। इस लक्षण के अनुसार जीवों का सुख भी दुःख ही है और दुःख के कारणरूप शरीर आदि भी दुःखात्मक ही है। जीव का शरीर उसके सफल दुःखों का गृह है। शरीर में सभी दुःखों की निमित्तता=कारणता रहती है अतएव दुःख से अनुविद्ध भी है। जीवों के दुःख का साधन इन्द्रिय समूह और उनसे ग्रहण करने योग्य विषयसमूह और उन विषयों का ज्ञान दुःख के साधन होने हैं अतएव उन स्थलों में दुःखानुपन्न है अर्थात् ये सब पदार्थ भी दुःख हैं। सभी जीवों का अनुभव रूप दुःख भी दुःख से अनुविद्ध है इसी से उस में दुःख पद का मुख्य व्यग्रहण होता है। अभिप्राय यह है कि भाष्यकार शरीर आदि को तथा सुख को भी गौण दुःख रूप में मानते हैं। वार्तिककार उग्रोत्तर^१ भी इसी तरह की व्याख्या कर के एतैस प्रकार के दुःखों को गिनाया है। उन सभी दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति की ही मुक्ति के रूप में व्याख्या की गई है।

वास्तव में पूर्वोक्त शरीर आदि सुख पर्यन्त सभी पदार्थों को दुःख पद के वाच्य नहीं होने पर भी इन सबों की दुःख रूप में भावना करना चाहिए। इसी से महर्षि गौतम प्रमेय वर्ग में सुख का उल्लेख नहीं किए हैं। वे पश्चान् कहते हैं—'जाघनाऽनिवृत्तैर्वेदयतः पर्येषणदोषादप्रतिषेधः। दुःख निरन्त्रे सुखाभिमानाच्च' ४।१।१६ ५७। नाना प्रकारों के सुखों की आकाङ्क्षा को बहुत दोष में युक्त देख कर नाना दुःखों के कारण होने से सुख के इच्छुक जीवों के दुःख की निवृत्ति नहीं होती है। सुख की इच्छा रखने बाग मनुष्य नाना प्रकार के दुःख में सुख के अभिमान से सुख और उसके साधन विषय समूहों में आसक्त हो कर राग तथा द्वेष आदि दोष के कारण से नाना कर्मों को कर के उसके फल स्वरूप पुनः पुनः जन्म, जरा तथा नाना प्रकार के व्याधि आदि से नाना दुःखों का भोग करते हैं। अतएव जो मनुष्य होगा वह शरीर आदि की तरह

१. जीवों के दुःख का घर शरीर है और उस दुःख का साधन प्राण आदि छत्रो इन्द्रियों और उन इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य विभिन्न विषय, उन विषयों का छत्रो प्रकार के ज्ञान और सुख ये तीनों प्रकारों का गौण दुःख है और एक मुख्य दुःख (प्रतिकूल वेदनीयरूप) है—अतएव सब मिलाकर एतैस प्रकारों के दुःख कहे गये हैं।

सुख को भी दुःख रूप में भावना करता है। सभी प्रकार के सुखों को दुःखरूप में भावना करने पर नाम में आसक्ति नहीं रहती है अथवा दूसरे शब्द में वैराग्य हो जाता है। इसी से सुख के लिए अनेक कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। किन्तु मुमुक्षुओं के प्रमेय वर्ग में सुख का उल्लेख करने से सुखत्व रूप में उसके तत्त्व ज्ञान से सुख को भी सुख कहकर मुमुक्षुओं को ध्यान करना होगा। किन्तु यह ध्यान मुमुक्षुओं के वैराग्य का विरोधी है। मुमुक्षु-गण सुख को भी दुःख रूप में ही ध्यान करते हैं। इसीसे गौतम प्रमेयवर्ग में सुख का उल्लेख नहीं करते हैं। अन्य कितने गूनों में सुख का उल्लेख करते हैं अतः वे सुख पदार्थ को नहीं मानते हैं—यह कदापि नहीं कहा जा सकता है।

चारहवों प्रमेय अपवर्ग है। महर्षि गौतम इसका लक्षण करते हैं 'तदत्यन्त विमोक्षोऽपर्यगः' १।१।२२। पूर्व सूत्र में उक्त दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही अपवर्ग पदार्थ है। सुप्तिक काल में तथा प्रलय आदि में जो सामयिक दुःख निवृत्ति होती है वह आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति नहीं है। जिस दुःख की निवृत्ति के बाद पुनः कदापि जन्म नहीं हो—अर्थात् दुःखोत्पत्ति के कारण का अभाव ही आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति है। इसी का दूसरा नाम अपवर्ग है। गौतम चतुर्थ अध्याय में अपवर्ग की परीक्षा करते हुए पहले उसकी असंभवना दिग्दर्श है। इस पूर्वपक्ष का समर्थन एवं स्पष्टन करके प्रतिपादित करते हैं कि अपवर्ग को मानना आवश्यक है। इस विषय में बहुत सी बातें पहले ही (द्वितीय अध्याय में) कही जा चुकी हैं।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि महर्षि गौतम उन चारह प्रमेयों में हेय और उपादेय रूप दिखाए हैं। जिन में शरीर आदि दुःखपर्यन्त दश प्रमेय हेय हैं अर्थात् त्याज्य है। और प्रथम तथा चरम अर्थात् आत्मा और अपवर्ग उपादेय (ग्रहण करने योग्य) हैं। आत्मा का उच्छेद विघ्नी का काम्य नहीं हो सकता है। अतएव आत्मा और अपवर्ग को हेय कदापि नहीं कहा जा सकता है। आत्मा का परम एवं चरम लभ्य अपवर्ग ही चिरस्थायी होता है। किन्तु दुःख स्वभाव से ही अग्रिय है अतएव हेय है। योग दर्शन में पतञ्जलि भी कहते हैं—'द्वयं दुःखमनागतम्' ।'

पन्द्रहवाँ अध्याय

न्यायदर्शन में संशय आदि चौदह पदार्थों की व्याख्या

गौतम के सोल्ह पदार्थों में प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थ का परिचय दिया जा चुका है। इस अध्याय में क्रमशः संशय आदि निम्नस्थानपर्यन्त^१ चौदह पदार्थों से पाठकों का परिचय कराया जाता है। ये ही संशय आदि चौदह पदार्थ आन्वीक्षिकी विद्या अथवा न्यायशास्त्र के असाधारण प्रतिपाद्य हैं। अन्य किसी शास्त्र में इन संशय आदि पदार्थों का प्रतिपादन नहीं है। प्रस्थान के भेद से ही विद्या या शास्त्र में भेद होता है। इसी से आन्वीक्षिकी त्रयी, वार्ता और दण्डनीति—इन तीनों विद्याओं से भिन्न चौथी विद्या के रूप में शास्त्रों में ब्रूयित है।^२ इस आन्वीक्षिकी विद्या के भिन्न प्रस्थान होने के लिए संशय आदि चौदह पदार्थों का विशेष रूप में प्रतिपादन करना आवश्यक है। अन्यथा प्रस्थान भेद नहीं होने से विद्या अथवा शास्त्र में भेद नहीं हो सकता है। भास्कराचार्य वात्स्यायन इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि इन चौदह पदार्थों का पृथक् उल्लेख करके साङ्गोपाङ्ग वर्णन नहीं करने से यह विद्या उपनिषद् की तरह अप्पात्म विद्या मात्र कहला सकती है, इसे चतुर्थी विद्या = आन्वीक्षिकी नहीं कह सकते हैं। सामान्यतः प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थों की व्याख्या भर कर देने से यदि सभी पदार्थों की चर्चा हो गई—यह कहा जाए तो संशय आदि चौदह पदार्थों का विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी से न्यायशास्त्र का यत्ना महर्षि गौतम न्यायशास्त्र के असाधारण प्रतिपाद्य संशय आदि चौदह पदार्थों की व्याख्या अर्थात् पृथक् रूप से संशय आदि पदार्थों का लक्षण और उदाहरण आदि कहते हैं।

संशय

संशय गौतम के सोल्ह पदार्थों में तीसरा पदार्थ है। यह न्याय का पूर्वज्ञ है। क्योंकि अज्ञात पदार्थ में और निश्चित पदार्थ में न्याय की प्रवृत्ति नहीं

१. देखिए मनुस्मृति—अ० ७ श्लोक ४३। और महाभारत शांतिपर्व अ० ३१८ श्लोक ४७।

२. संशय, प्रमात्रण, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, उल्लेख, वितण्डा, हेतुवाचाम, एत, जाति और नियत स्थान—ये ही चौदह पदार्थ हैं।

होती है। जिस पदार्थ में किसी को सन्देह होता है उसी पदार्थ में न्याय की प्रवृत्ति होती है। महर्षि गौतम के द्वारा कहे गये प्रतिज्ञा आदि वाक्य समाष्टियों का यथाक्रम उच्चारण करना ही 'न्याय' शब्द का अर्थ होता है।

वादी और प्रतिवादी के अपने-अपने सिद्धान्त में सशय नहीं रहता है। किन्तु मध्यस्थ के सन्देह को दूर करने के लिए वादी और प्रतिवादी प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयव वाक्यों के प्रयोग से अपने पक्ष का स्थापन और परपक्ष का स्रण्टन करता है। इस न्याय प्रयोग का ही न्याय की प्रवृत्ति कहते हैं। मध्यस्थ का सशय ही इस का मूल है। इसी से महर्षि गौतम पहले प्रमाण और प्रमेय की व्याख्या कर के न्याय के पूर्वाङ्ग गण्य का उद्देश्य करते हैं। और इसका लक्षण और कारण भेद प्रयुक्त प्रकार भेद की सूचना भी करते हैं। 'समानानके धर्मोपपत्ते निप्रतिपत्तेरुपलब्धनुपलब्धव्यवस्थातो विशेषापेभो विमर्श सशय' १।१।२३। इस सूत्र के विमर्श शब्द से सशय के सामान्य लक्षण की सूचना मिलती है। 'वि' शब्द का अर्थ है विरोध और 'मृश' धातु का अर्थ है जान अतएव विमर्श शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध पक्षार्थ का जान। फलितार्थ यह है कि किसी एक पदार्थ में नाना विरुद्ध पदार्थों का ज्ञान ही सशय पद से लिया जाता है। भाष्यकार वात्स्यायन आदि आचार्यगण इसको अनवधारण ज्ञान कहते हैं। अनवधारण का अर्थ है निश्चय। किन्तु निश्चय का अभाव ही सशय नहीं है। क्योंकि जिस पदार्थ के विषय में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ है उस विषय में निश्चय का अभाव है किन्तु इस स्थल में सशय नहीं होता है। क्योंकि जिस विषय का सशय होता है पहले से ही उस का सामान्य ज्ञान अवश्य रहता है। इस विषय का अवधारण नहीं किया जा सकता है अतएव उद्विषयक सशयात्मक ज्ञान को ही अनवधारण ज्ञान कहते हैं। विशेष धर्म का निश्चयात्मक ज्ञान उस विषय के सशयात्मक ज्ञान का प्रतिबन्धक होता है। इस लिए जिस विषय के विशेष धर्म का निश्चय हो जाता है उसका सशय नहीं होता है। उक्त सूत्र के—'विशेषापेभ' इस पद से सूत्रकार को यही अभिप्रेत है। किन्तु इस पद के द्वारा ज्ञात जाता है कि विशेष धर्म का स्मरण सशय मात्र में आवश्यक है। पहले ही किसी अन्य स्थल में उस विशेष धर्म की उपस्थिति हो जानी चाहिए।

इस सूत्र में—'समानानेधर्मोपपत्ते' आदि पदों से सशय के पांच प्रकार सूचित होते हैं। प्रथम पद में समान धर्म विशिष्ट धर्मों के ज्ञान से सशय के प्रथम प्रकार का होना और असाधारण धर्म विशिष्ट धर्मों के ज्ञान से सशय के दूसरे प्रकार का होना सूचित होता है। जैसे शाम में मुग्धा के समय में रास्ते

पर एक दूठ पेड़ खड़ा है, किसी ने उसे देखकर उसमें स्थाणुत्व (दूठ पेड़ को स्थाणु कहते हैं और उस में रहने वाला धर्म स्थाणुत्व है) है या मनुष्यत्व इस तरह से किसी एक विशेष धर्म के निष्पत्ति नहीं होने पर यह स्थाणु है या मनुष्य वह सशय होता है। स्थाणुर्त्वा पुरुषो नवा' यह आकार भी सशय का होता है। 'स्थाणुवा पुरुषो वा' इस सशय में स्थाणुत्व, उसका अभाव, पुरुषत्व और उसका अभाव—ये चारों ही विवरण होते हैं। यह भी एकमत है। सशय के विशेषण के विवरण में बहुत भेद है। खो भी हो सारा यह है कि उक्त स्थान में उस दण्डात्मान द्रव्य में स्थिर होकर खड़ा हुआ पुरुष का समान धर्म दीर्घ हाना और मित्तर आदि के दर्शन से—'अत्र स्थाणुर्त्वा पुरुषो वा' इस आकार का सशय होता है' यह समान धर्म के ज्ञान से प्रथम प्रकार के सशय का उदाहरण हुआ। किन्तु समझ में स्थित उसी द्रव्य में स्थाणुत्व या मनुष्यत्व आदि किसी विशेष धर्म का निश्चय होने पर यह सशय नहीं होता है। अतएव सिद्ध होता है कि विशेष धर्म के निश्चय का अभाव सशय के प्रति कारण होता है।

इसी तरह से असाधारण धर्म विशिष्ट धर्मों के ज्ञान से सशय होता है। जैसे शब्द में नित्यत्व अथवा अनित्यत्व धर्म का निश्चय नहीं होने पर शब्द में रहने वाला असाधारण धर्म अथात् नित्य और अनित्य इन दोनों में नहीं रहने वाला शब्दत्व धर्म के ज्ञान से शब्द में नित्यता का संदेह होता है। गौतम के मत में और भी कितने स्थानों में इस तरह से असाधारण धर्म विशिष्ट धर्मों के ज्ञान से सशय का दूसरा प्रकार होता है। किन्तु शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व किसी एक धर्म के निश्चय हो जाने पर उन रूप सशय नहीं हो सकता है।

गौतम 'विरतिवत्ते' कहकर विप्रतिरति प्रयुक्त सशय का हाना रूप उसके तासरे प्रकार का कहते हैं। भाष्यकार की व्याख्या के अनुसार एक ही आधार

१ विरति नश्यन्वैवापिर्त्वा के मत में सशय का यह स्वरूप होता है—'अत्र स्थाणुर्त्वा वा' अथवा 'पुरुषो न वा'। किन्तु भाष्यकार आदि प्राचीन आचार्यों का केवल भाव पदाय कोटिक अथवा बहुभाव पदार्थ कोटिक सशय का प्रदर्शन करते हैं। इस विषय में केवल त्रिभिर्दोषित की व्याख्या में महाशय प्रवृत्तियों के दोनो मतों में युक्ति दिखात हुए विचार करते हैं। पदाय में दो भाव पदार्थों को अथवा उसमें या अधिक भाव पदार्थों को लेकर सशय हो सकता है यदि उसका कारण पहले उदाहरित रहे। 'अभिज्ञाने गान्धूल' के उदाहरण में—स्वप्ने नु धामा नु मतिधर्मो नु कालिणस के इस श्लोक में तथा—विमिदु कि पदुध विमु मुहुरविम्ब विमु धुवम हरानि पुन उन्नी मगकवि के श्लोक में बहुत भाव पदार्थों को लेकर भावकोटिक सशय का वर्णन किया गया है।

म विरुद्ध दो पदार्थों को कहने वाले दो वाक्य—उस विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है। जैसे मीमांसक कहता है—शब्द नित्य है। नैयायिक कहता है—शब्द नित्य नहीं है। एक ही शब्द रूप अधिनरण में नित्यत्व और अनित्यत्व इन दो पदार्थों की स्थिति प्रमाण से सिद्ध नहीं है। उक्त विरुद्ध पदार्थों के प्रति पादक दोनों वाक्यों के अर्थ से उन वाक्यार्थ के ज्ञान से मध्यस्थ को संशय होता है—शब्द नित्य है या अनित्य। वागी मीमांसक और प्रतिज्ञादी नैयायिक मध्यस्थ के संशय को हटाने के लिए न्याय के प्रयोग से अपने सिद्धान्त की रक्षा करते हैं।

महर्षि गौतम उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से क्रमशः चौथे तथा पाँचवें प्रकार के संशय को कहने है। अतएव उपर्युक्त दोनों ही अव्यवस्थाएँ क्रमशः दोनों संशयों के प्रति कारण होती हैं। उपलब्धि की अव्यवस्था का अर्थ है उपलब्धि के नियम का अभाव। जैसे जलाशय में विद्यमान जल की उपलब्धि होती है और मरु मरीचिका में अविद्यमान जल की भ्रमात्मक उपलब्धि होती है। इससे प्रतीत होता है कि उपलब्धि विद्यमान पदार्थ की ही होती है अथवा अविद्यमान पदार्थ की ही—इस तरह का कोई नियम नहीं है। इसी तरह से भूगर्भ में स्थित अथवा अन्यत्र ही स्थित जल की उपलब्धि नहीं होती है और अविद्यमान पदार्थ कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। अतएव उपलब्धि की तरह अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था है। अतएव किसी को यदि किसी वस्तु की उपलब्धि होती है तो वहाँ उस पदार्थ की स्थिति अथवा अविद्यमानता का निश्चय नहीं किया जा सकता है। अतएव उस स्थिति में संशय होता है कि उपलब्धि विद्यमान पदार्थ की होती है या अविद्यमान पदार्थ की। यही संशय का चौथा प्रकार है। निम्न मूल उपलब्धि की अव्यवस्था है।

इसी तरह में किसी स्थान में किसी पदार्थ के उपलब्ध नहीं होने पर जब तक उसी विद्यमानता या अविद्यमानता का निश्चय नहीं हुआ है तब तक संशय होता है कि क्या वहाँ विद्यमान पदार्थ की अनुपलब्धि हो रही है अथवा अविद्यमान पदार्थ की। यह अनुपलब्धि की व्यवस्था से होने वाले संशय का पाँचवाँ प्रकार है।

भाष्यकार वाल्मिश्वर ने संशय सूत्र की व्याख्या इसी तरह से की है। न्यायकार^१ में भागवत ने भी गौतम के सूत्रानुसार संशय के पांच प्रकारों को माना है।

१ वातिकार तद्योक्तकर भाष्यकार की इस व्याख्या का खण्डन करके ब्याख्या करते हैं कि उपलब्धि की अव्यवस्था से एक पक्ष के सापेक्ष प्रमाणों का

प्रयोजन

संशय की तरह प्रयोजन भी न्याय का पूर्वोक्त है। क्योंकि प्रयोजन के बिना न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। प्रयोजन की व्याख्या में भाष्यकार भी पहले ही कहते हैं—‘तदाभ्यन्तश्च न्यायः प्रयोजनम्’। अतएव महर्षि गौतम संशय के बाद प्रयोजन का लक्षण करते हैं ‘यमर्थमधिष्ठित्य प्रयोजनं तत् प्रयोजनम्’ १।१।२४। भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि जिस पदार्थ को भाष्य अथवा तान्य कहकर उभे पाने या छोड़ने के लिए जीव उपान करना है वही प्रयोजन पदार्थ है। भाष्यकार के मत में प्राण्य पदार्थ की तरह तान्य पदार्थ भी प्रयोजन होता है। क्योंकि तान्य पदार्थ के परित्याग के लिए भी जीव की प्रवृत्ति देखी जाती है। अतएव न्याय पदार्थ भा जीव की प्रवृत्ति के प्रति कारा है। ‘प्रयोजने अनेन एव तरह की व्युत्पत्ति करने पर प्रयोजन शब्द का उक्त रूप अर्थ प्राप्त होता है। किन्तु न्यायसूत्र की वृत्ति के लेखक विधनाथ सरा रूप से व्याख्या करते हुए करते हैं कि जीवगत त्रिषु पदार्थ का उद्देश्य कर के उसके उपाय में प्रयत्न होता है वही उसका प्रयोजन है। यह दो प्रकार के होते हैं—मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन। मुख्य म या दुःख से निवृत्ति में जीव की स्वतः इच्छा होती है अतएव इन दोनों को स्वतः प्रयोजन या मुख्य प्रयोजन करते हैं। सुख और दुःख निवृत्ति के विना उपाय हैं—उन उपायों को गौण प्रयोजन कहते हैं।

दृष्टान्त

प्रतिष्ठा अदि पञ्चावन्व वाक्य रूप न्याय में दृष्टान्तशोधक उदाहरण वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। यह उदाहरण वाक्य दृष्टान्त के ज्ञान के बिना सम्य नहीं है। इसी से महर्षि गौतम—‘प्रयोजनम्’ पदार्थ के बाद दृष्टान्त का लक्षणसूत्र करते हैं—‘लौकिकपरीक्षकानाम् यस्मिन्सर्वे बुद्धिसाम्प्रन् स दृष्टान्तः’

अभाव और अनुपलब्धि की दृष्टवस्था से बाधक प्रमाणों का अभाव लिया जाता है। ये दोनों सन्देह मान के प्रति कारण होते हैं किसी साध प्रकार के सन्देह का कारण नहीं है। महर्षि गौतम संशय मान के प्रति इन दोनों को कारण करते हैं। अतएव साधारण धर्म आदि कारणों से होने वाले तीन प्रकार के संशय होते हैं। परवर्ती नैयामिकतया इस विषय में उद्योतकरके मत को ही ग्रहण करते हैं। किन्तु गौतम के सूत्र से भाष्यकार को व्याख्या ही समुचित जान पड़ती है। नयनैयामिक मस्य य गौतम के इस सूत्र में य शब्द में व्याप्य पदार्थ के संशय से व्याप्य पदार्थ का संशय भी गौतम का अस्मिन् मानते हैं। ‘अनुमान वि नामनि’ के उपाधि भाग की व्याख्या में रघुनाथ गिरौमणि ने भी इस कथा को कहा है।

१।१।२५। भाष्य में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने स्वाभाविक और शास्त्रों के अनुशीलन से होने वाले बुद्धि के प्रकर्ष का लाभ नहीं किया है वह लौकिक है और जिस व्यक्ति ने शास्त्रों के अनुशीलन से बुद्धि का प्रकर्ष प्राप्त किया है अर्थात् जो व्यक्ति लौकिक को भी तत्त्व समझ सकता है वह परीक्षक है। जिस पदार्थ में लौकिक तथा परीक्षक—इन दोनों की बुद्धि का साम्य है। जिस विषय में दोनों की बुद्धि में वैषम्य या विरोध नहीं है उस पदार्थ को दृष्टान्त कहते हैं।

गौतम को यह नहीं विदित है कि सर्वत्र लौकिक व्यक्ति का बुद्धि-गम्य पदार्थ ही = लोक प्रसिद्ध पदार्थ, ही दृष्टान्त हो सकता है। क्योंकि उन्होंने स्वयं वेद के प्रामाण्य की परीक्षा के अन्तर में अन्तिम सूत्र में मन्त्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य का दृष्टान्त रूप में उल्लेख किया है। इसी तरह से अन्यत्र भी और भी कितने पदार्थों को दृष्टान्त बनाए हैं जो लोकसिद्ध नहीं हैं केवल पण्डित-जन ही उन पदार्थों को जानते रहते हैं। अतएव इस सूत्र में लौकिक शब्द से जिसे तत्त्व का ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति और परीक्षक शब्द से जिसे तत्त्व का ज्ञान है—वह बोद्धा पुरुष महर्षि गौतम का विदित है। जो पदार्थ इन दोनों कोटियों के मनुष्य से स्वीकृत है अर्थात् दोनों के मत में जो पदार्थ प्रमाण से सिद्ध है उसे लोकसिद्ध नहीं होने पर भी दृष्टान्त कहा जा सकता है।

भामती टीका (२।१।२५।) में वाचस्पति मिश्र भी गौतम के इस सूत्र के इसी तात्पर्य को कहते हैं। 'यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं' यह कहकर महर्षि गौतम इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि जिस पदार्थ में वादी तथा प्रतिवादी का मत वैषम्य रहता है वह कदापि दृष्टान्त नहीं हो सकता है। इस दृष्टान्त के दो प्रकार हैं—साधर्म्य दृष्टान्त और वैधर्म्य दृष्टान्त। परन्तु तृतीय अथवा उदाहरण वाक्य की व्याख्या में यह और अधिक स्पष्ट होगा।

सिद्धान्त

जिन्हीं सिद्धान्तों को लेकर ही उसकी स्थापना के लिए दृष्टान्त मूलक न्याय वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अतएव यह कहना आवश्यक हो जाता है कि सिद्धान्त किसे कहते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। अतएव महर्षि गौतम पहले दृष्टान्त पदार्थ को कहते हैं और पश्चात् सिद्धान्त को कहने के लिए प्रमशः उसका लक्षण और प्रकार भेद कहते हैं—'तन्नाधिकरणाभ्युपगममन्विधितिः सिद्धान्तः' १।१।२६। स चतुर्विधः सर्वतन्त्रः प्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगममन्विधत्यर्थान्तरभावात्' १।१।२७। तन्त्र शब्द का अर्थ है शास्त्र। शास्त्र जिसका अधिकरण है=आधय है अर्थात् जो पदार्थ किसी शास्त्र से जाना जाता है वह तन्त्राधिकरण पद से विदित है। उन सभी पदार्थों का अभ्युपगम=स्वीकार रूप

जो सत्यति=निश्चय अर्थात् निश्चित शास्त्रार्थ ही सिद्धान्त है। 'अन्त' शब्द से यदि निश्चय रूप अर्थ लिया जाए तो सिद्धान्त शब्द का अर्थ होता है शास्त्रमिद पदार्थ का निश्चय। भाष्यकार इसी निश्चयभूत पदार्थ को सिद्धान्त कहते हैं। विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न मत भी उन संप्रदाय के द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त ही हैं। यहाँ उपर्युक्त द्वितीय सूत्र से महर्षि गौतम सिद्धान्त के चार प्रकारों को कहते हैं—(१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त (२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त (३) अधिकरण सिद्धान्त और (४) अभ्युगम सिद्धान्त।

महर्षि गौतम प्रथम प्रकार के सिद्धान्त का लक्षण करते हैं—'सर्वतन्त्रा विरुद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः १।१।२८। सर्वतन्त्रसिद्धान्त उभे कहते हैं जो प्रत्येक शास्त्र का अविरोधी है और किसी एक शास्त्र में कहा गया है। जैसे प्राण आदि का इन्द्रिय होना (इन्द्रियत्व), पृथिवी आदि का भूत होना (भूतत्व) और आत्मा का नित्य होना (नित्यत्व) आदि सभी आत्मिक शास्त्रों का अविरोधी है और शास्त्र में कहा गया भी है इसी से वह सर्वतन्त्र सिद्धान्त हुआ। किन्तु जो सिद्धान्त किसी शास्त्र में कहा नहीं गया है वह यदि सभी शास्त्रों का अविरोधी है तो उसे सर्वतन्त्र सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए सूत्र में—'तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः' इस पद का समावेश किया गया है।

अन सिद्धान्त के दूसरे प्रकार को कहा जाता है—'समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रा-सिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः' १।१।२९। समानतन्त्र शब्द से यहाँ एक तन्त्र अर्थात् प्रत्येक संप्रदाय का स्वमत प्रतिपादक शास्त्र को लिया जाता है। जिस संप्रदाय का जो सिद्धान्त स्वतन्त्र में सिद्ध है और अन्य तन्त्र में सिद्ध नहीं है वह सिद्धान्त उस संप्रदाय का प्रतितन्त्र सिद्धान्त होता है। जैसे शब्द का अनित्य होना (अनित्यत्व) न्यायशैक्षिक का प्रतितन्त्र सिद्धान्त है और उसका नित्य होना (नित्यत्व) मीमांसक संप्रदाय का प्रतितन्त्र सिद्धान्त है। इसी तरह से अन्य विभिन्न सिद्धान्त भी इसके उदाहरण होते हैं।

महर्षि गौतम तीसरे प्रकार के सिद्धान्त का लक्षण कहते हैं—'यत्सिद्धान्त्य प्रकरणसिद्धि- मोऽधिकरणसिद्धान्तः'। जिस पदार्थ के सिद्ध होने से अन्य पदार्थ की स्वीकृत सत्य की सिद्धि होती है उसे 'अधिकरण सिद्धान्त' कहते हैं। इसकी व्याख्या और उदाहरण के विषय में मतभेद है। धार्मिकशास्त्र और अर्थशास्त्र और राजनीति की व्याख्या को आधार मानकर वृत्तिसार विधनाथ गौतम के इस सूत्र की व्याख्या इस रीति में की है—'जिस पदार्थ की सिद्धि के बिना जो अन्य पदार्थ अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है वही पदार्थ 'अधिकरण सिद्धान्त' होता है। जैसे—

तद्द्रव्यगुण समवृत्तम् कार्यत्वात् घट्यत्' इत्यादि न्याय वाक्य के प्रयोग से अनुमान के द्वारा सृष्टि का प्रथम उत्पन्न द्रव्यगुण नामक द्रव्य में कर्तृजन्यत्व सिद्ध करने के लिए अर्थात् उस द्रव्यगुण के कर्ता सिद्ध होने पर उस कर्ता का सर्वात्म्य सिद्ध हो जाता है। क्योंकि उस द्रव्यगुण के उत्पादन कारण अतीन्द्रिय परमाणु के प्रत्यक्ष के बिना उस द्रव्यगुण की सृष्टि समझ नहीं है। अतएव यह मानना होगा कि उस द्रव्यगुण का कर्ता पुन्य अतीन्द्रिय को भी देखता है अतएव सर्जन है। इस स्थल में जगत्कर्ता उस परमेश्वर का नित्य सर्जनत्व ही इस लक्षण के अनुसार अधिकरण सिद्धान्त है। क्योंकि पूर्वोक्त अनुमान के द्वारा सृष्टि के प्रथम उत्पन्न द्रव्य में (द्रव्यगुण में) सत्कर्तृत्व या कर्तृजन्यत्व सिद्ध होने से ही आनुपद्मिक रूप में उस द्रव्यगुण के कर्ता का नित्य सर्जनत्व सिद्ध होता है। अन्यथा किसी भी अन्य प्रमाण में उस द्रव्यगुण में कर्तृजन्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतएव परमेश्वर का नित्य सर्जन होना (नित्य सर्जनत्व) रूप सिद्धान्त उन कर्तृजन्यत्वरूप सिद्धान्त का अधिकरण अथवा आशय है, अतएव इसे अधिकरण सिद्धान्त कहा जाता है। इसी तरह आत्मा इन्द्रिय में भिन्न है—यह सिद्ध करने के लिए गौतम पहले अनुमान को करते हैं। इस अनुमान में आत्मा में इन्द्रिय भिन्नत्व सिद्ध हो जाने पर आनुपद्मिक रूप में इन्द्रिय का नानात्व (अनेक होना) आदि भी असत्य मानना होगा। भाष्यकार इन सभी सिद्धान्तों को इसके उदाहरण रूप में उद्धृत करते हैं।

महर्षि गौतम चतुर्थ प्रश्न के सिद्धान्त को कहते हैं—'अपरीक्षिताऽभ्युपगमात् तद्विशेष परीक्षणमभ्युपगम सिद्धान्तः' १।१।३१। भाष्यकार के सिद्धान्त के अनुसार त्रिम स्थल में प्रतिवादी किसी पदार्थ में अपना अपरीक्षित धर्म को स्वीकार कर लेता है और उसी पदार्थ में उसके (वादी के असम्मत) असम्मत अन्य विशेष धर्म को परीक्षा करता है उस स्थल में प्रतिवादी का स्वीकृत अपर सिद्धान्त उसका अभ्युपगम सिद्धान्त होता है। जैसे वादी भी मीमांसक कहता है कि शब्द द्रव्य है और नित्य है और प्रतिवादी नैयायिक वादि के सम्मत (स्वीकृत) शब्द के द्रव्यत्व सिद्धान्त (द्रव्य होना रूप सिद्धान्त) की परीक्षा नहीं कर के अर्थात् उस स्थल में बिना कुछ विचारे ही कहता है कि शब्द द्रव्य ही हो कोई धर्म नहीं है, किन्तु यह विचारणीय वस्तु है कि यह नित्य है अथवा अनित्य। इस स्थल में नैयायिक का स्वीकृत वादी का सिद्धान्त—शब्द का द्रव्य होना प्रतिवादी (नैयायिक) के लिए अभ्युपगम सिद्धान्त होता है। प्रतिवादी नैयायिक का अभिप्राय यह है कि शब्द के द्रव्यत्व सिद्धान्त को मान लेने पर भी उसका नित्य होना यदि सिद्ध नहीं होता है तो वादी का प्रधान सिद्धान्त-शब्द

का द्रव्यत्व भी भङ्ग हो जाएगा और बाद में पुनः वह शब्द में द्रव्यत्व के स्थापन के लिए प्रयास नहीं करेगा। इसी उद्देश्य से प्रतिवादी वादी के अभिमत किसी सिद्धान्त विशेष को मान लेता है और अन्य सिद्धान्त का खण्डन करता है। इस स्थल में (नैनायिक का) उसका स्वीकृत सिद्धान्त उसी के परम अभ्युपगम सिद्धान्त होता है। किन्तु वादी के पक्ष में वह प्रतितन्त्र सिद्धान्त होगा। चरकसहिता के विमानस्थान में इसी तरह अभ्युपगम सिद्धान्त की व्याख्या की गई है।

किन्तु वार्तिककार उद्योतकर आदि व्याख्या करते हैं कि जो सूत्र से अपरोक्षित है और सूत्र में स्पष्ट नहीं कहा गया है उसे स्वीकार करने के लिए सूत्रकार उस पदार्थ के विशेष धर्म की परीक्षा करते हैं और उसी अपरोक्षित पदार्थ को अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैं। जैसे गौतम इन्द्रिय विभाजक सूत्र में मनस् का उल्लेख नहीं करते हैं और वे ही पश्चात् मनस् के सभी विशेष धर्मों की परीक्षा करते हैं। इसी से ज्ञात होता है कि मनस् भी इन्द्रिय विशेष है। यहाँ मनस् का इन्द्रिय होना (इन्द्रियत्व) अभ्युपगम सिद्धान्त है। किन्तु गौतम के पूर्वोक्त 'अपरोक्षिताभ्युपगमात्' पद से प्रतीत होता है कि भाष्यकार की व्याख्या ही उचित है। भाष्यकार पहले ही प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र की व्याख्या में मनस् के इन्द्रियत्व का समर्थन करते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि महर्षि गौतम क्यों नहीं इन्द्रियों में मनस् का उल्लेख किए हैं। भाष्यकार के मत में मनस् का इन्द्रिय होना (इन्द्रियत्व) सर्वतन्त्र सिद्धान्त है।

अवयव

न्याय से सिद्धान्त के निर्णय करने के लिए अवयव पदार्थ का तत्त्वज्ञान आवश्यक है। इसी में महर्षि गौतम पहले सिद्धान्त का लक्षण कह कर पश्चात् अवयव का उल्लेख करते हैं और इसका विभाग भी करते हैं—'प्रतिगाहेतु दाहणोपनयनिगमनान्यवयवाः' १।१।३१। (१) प्रतिगा, (२) हेतु, (३) उदाहरण, (४) उपनय और (५) निगमन—इन पाँचों को अवयव कहते हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अनुमान का प्रकार के होते हैं—स्वार्थ और परार्थ। अपने ज्ञान के लिए जो अनुमान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। और दूसरों को समझाने के लिए जो अनुमान किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। विवाद होने पर विचार करता हुआ वादी और प्रतिवादी अपने अपने मत के प्रतिपादन में जो अनुमान दिग्गता है वह परार्थानुमान न्याय शब्द से कहा जाता है। उसी स्थल में वादी और प्रतिवादी प्रतिष्ठा आदि पाँच वाक्या का प्रयोग करते हैं जिसे पञ्चावयव न्याय कहते हैं। भाष्यकार इसी को परम न्याय कहते हैं।

तात्पर्य टीकाकार वाचस्पति मिश्र करते हैं कि जैसे सावयव द्रव्य के सभी अंगों में मिलकर उस द्रव्य का उत्पादन करते हैं और उसके स्वरूप को धारण करने हैं उसी तरह में यथाक्रम प्रतिज्ञा आदि पाँचों वाक्यों में मिलकर न्याय नामक महानाक्य बनकर वना के विवक्षित विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। अतएव प्रतिज्ञा आदि पाँच वाक्यों में अवयव शब्द का गौण प्रयोग होता है। ये सभी वाक्य अवयव के समान हैं इसी से अंगवत् पद से कहे जाने हैं। अभिप्राय यह है कि यथाक्रम उच्चरित प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयव रूप वाक्य समाष्ट ही न्याय है। इस न्याय वाक्य में प्रतिज्ञा आदि जो स्वतन्त्र वाक्य हैं वही उस न्याय के अवयव हैं। गङ्गेश उपाध्याय आदि नव्य न्याय के विद्वान् इस न्याय और अवयव के लक्षण की व्याख्या में बहुत सूक्ष्म विचार उपस्थित किए हैं।

पहला अवयव 'प्रतिज्ञा' है। इसी से मरुति गौतम पहले इसका लक्षण कहते हैं—'साध्य निर्देशा प्रतिज्ञा' १।१।३३। न्यायसूत्र में साध्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। माध्यकार भी कहते हैं—'साध्यञ्च द्विविधम्'। किसी धर्मा में धर्म के अनुमान करने के उद्देश्य में यदि न्याय का प्रयोग होता है तो वह अनुमेय धर्म 'साध्य' होता है। और उसी धर्म में दुःख धर्मा यदि साध्य होता है तो वह उसका दूसरा प्रकार हुआ। जैसे शब्द में अनित्यत्व धर्म के अनुमान में शब्द में अनुमेय धर्म अनित्यत्व साध्य होता है और वह शब्द धर्मा है। प्रतिज्ञा के लक्षणसूत्र में साध्य शब्द का अर्थ है धर्मा। वादी या प्रतिज्ञात्री न्याय का प्रयोग करता हुआ सबसे पहले जिस साध्य धर्मा का वाक्य के द्वारा निर्देश करता है अर्थात् साधनीय धर्म विशिष्ट धर्मा के बोधक वाक्य को प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे शब्द में अनित्यत्व की स्थापना करने के लिए नैयायिक पहले ही प्रतिज्ञा वाक्य कहता है कि—'शब्दोऽनित्यः'। (माध्यकार—'नित्य' शब्द' इस तरह से करते हैं।)

प्रतिज्ञा के बाद दूसरा अवयव 'हेतु' है। अनुमेय धर्म के लक्षण को अपना दृष्टव्य बोधक वाक्य को हेतुशब्द से लिया जाता है। वाक्यात्मक उस हेतु के दो प्रकार हैं—'साधर्म्य हेतु और वैधर्म्य हेतु'। मरुति गौतम उक्त दोनो हेतुओं का लक्षण कहते हैं—'उदाहरण साधर्म्यान् साध्य साधन हेतुः' १।१।३४। 'तथा वैधर्म्यान्' १।१।३५। इत सूत्र में उदाहरण पद से उदाहरण पदार्थ या दृष्टान्त पदार्थ को ली है। वही हेतु के साध्य साध्य का = अनुमेय धर्म का व्याप्ति निश्चय होता है वही पदार्थ उक्त अनुमान में दृष्टान्त होता है। इस दृष्टान्त के भा दो प्रकार होते हैं—'साधर्म्य दृष्टान्त' और वैधर्म्य दृष्टान्त। सूत्र में 'उदाहरण' १५ न्या०

साधर्म्य' शब्द से साध्य धर्मों और दृष्टान्त पदार्थ का समान धर्म लिया जाता है और वैधर्म्य शब्द से उदाहरण के व्यतिरेक अर्थात् दृष्टान्तभूत पदार्थ का वैधर्म्य लिया जाता है। अवयव के प्रकरण में इस सूत्र में हेतु शब्द से द्वितीय अवयव वाक्यात्मक हेतु ही लिया जाता है। अतएव—'साध्य साधनम्' इस पद से साध्य धर्म का साधनत्वबोधक वाक्य ही लिया जाता है।

उपर्युक्त इन दो सूत्रों में ज्ञात होना है कि अन्वयदृष्टान्त अर्थात् साध्य धर्मों के समान धर्म प्रयुक्त उस समान धर्मरूप हेतु का साध्य-साधनत्वबोधक वाक्य साधर्म्य हेतु वाक्य है और व्यतिरेक दृष्टान्त के वैधर्म्य प्रयुक्त उस वैधर्म्य रूप हेतु का साध्यसाधनत्वबोधक वाक्य वैधर्म्य हेतु वाक्य है। जैसे नैयायिक—'शब्दोऽनित्यः' इस प्रतिज्ञावाक्य के बाद हेतुवाक्य—'उत्पत्तिमत्त्वात्' कहना है। नैयायिक के मत में विद्यमान शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती है किन्तु अविद्यमान शब्द उत्पन्न होता है। नैयायिक उपर्युक्त स्थल में—'उत्पत्तिमत्त्वात्' इस वाक्य से कहना है कि उत्पत्तिमत्त्व अनित्यत्व रूप साध्य धर्म का साधन है। उत्पत्तिमत्त्व साध्य धर्मों शब्द और दृष्टान्त पद इन दोनों पदार्थों का समान धर्म है। इसी धर्म से प्रयुक्त होकर यह (उपर्युक्त) वाक्य कहा गया है। अत एव सिद्ध होता है कि यह वाक्य साधर्म्य हेतु का वाचक है।

भाष्यकार के मत में उपर्युक्त स्थल में ही नैयायिक यदि नित्य आत्मा को व्यतिरेक दृष्टान्त के रूप में ले लेता है और उसी को वैधर्म्योदाहरण के रूप में उपस्थित कर देता है। अत एव वह वाक्य (उपर्युक्त वाक्य) वैधर्म्य हेतु का वाचक हो सकता है।

किन्तु वार्तिककार उद्योतकर आदि विद्वान् का कहना है कि जहाँ अन्वय दृष्टान्त सर्वथा असम्भव है केवल व्यतिरेक दृष्टान्त ही हो सकता है उस स्थल के हेतु को वैधर्म्य हेतु अथवा व्यतिरेकी हेतु कहने हैं और उस हेतु के बोधक वाक्य को वैधर्म्य हेतु वाक्य। अतएव यह सिद्ध होता है कि यहाँ भाष्यकार का मत इन विद्वानों को मान्य नहीं है। नार में इसको और अधिक स्पष्ट किया जाएगा।

हेतु के बाद तीसरा अवयव 'उदाहरण' है। 'उदाहरणे केन वाक्येन' अर्थात् जिस वाक्य ने हेतु और साध्य में व्याप्य व्यापक भाव गन्तव्य स्त होना है उसे उदाहरण वाक्य कहने हैं। उक्त ध्युत्पत्ति के आधार पर उदाहरण पद का उक्त अर्थ स्थगित होता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं—साध्योदाहरण और वैधर्म्योदाहरण। महर्षि गौतम क्रमशः इन दोनों का लक्षण कहने हैं—'साध्य साधर्म्यान्तर्दमं भावो दृष्टान्त उदाहरणम्'

१।१।३६। 'तद्विपर्ययाद्वा विपरीतम्' १।१।३७। साध्य धर्मों के समान धर्म की स्थिति के कारण जिस पदार्थ में साध्य धर्म भी रहता है उस पदार्थ को साध्य दृष्टान्त अथवा अन्यत्र दृष्टान्त कहते हैं। उस दृष्टान्त के वाचक वाक्य को साध्योदाहरण वाक्य कहा जाता है। जैसे उक्त स्थल में ही नैयायिक— 'उत्पत्तिमत्त्वान्' हेतु कहकर प्राद में कहता है—'यो य. उत्पत्तिमान् सोऽनित्यः यथा घटः'। साध्योदाहरण वाक्य के आकार के विषय में मतभेद है। भाष्यकार के मत में उपर्युक्त स्थल में ही आत्मा आदि व्यतिरेक दृष्टान्त वाक्य को यदि कहा जाए तो वह वैधर्म्योदाहरण वाक्य होगा।

किन्तु चार्तिककार उद्योतकर करते हैं कि जिस स्थल में अन्यत्र दृष्टान्त नहीं दिखाया जा सकता है उस स्थल में व्यतिरेक दृष्टान्त को लेकर उदाहरण वाक्य यदि कहा जाए तो वह वैधर्म्योदाहरण होगा है। और उस स्थल का हेतु भी वैधर्म्य हेतु कहा जाता है। जैसे 'जो बच्छरीर न निरात्मक प्राणादिमत्त्वान् यन्नैवे तन्नैरम् यथा घटः' इस न्याय वाक्य में अन्यत्रदृष्टान्त का प्रदर्शन संभव नहीं है अतएव व्यतिरेक दृष्टान्त दिखाया जाता है।

क्योंकि प्रतिवादी (नैरात्म्यवादी) प्राण आदि विशिष्ट किसी शरीर में अतिरिक्त आत्मा नहीं मानता है, अतएव जहाँ प्राण है उस स्थल में आत्मा है— इस में दृष्टान्त नहीं दिखाया जा सकता है। जो सात्मक नहीं है उसमें प्राण भी नहीं है जैसे घट आदि—इस तरह से व्यतिरेक दृष्टान्त ही वादी (नैयायिक) दिखाता है। प्राणादिमत्त्व का अभाव सात्मकत्वाभाव का (निरात्मकत्व का) व्यापक है और निरात्मकत्व उसका व्याप्य। क्योंकि जो पदार्थ निरात्मक है। उसमें प्राण आदि नहीं है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के शरीर में प्राण अवश्य रहता है अतएव प्राणादिमत्त्व हेतु में निरात्मकत्व का अभाव अर्थात् सात्मकत्व अनुमान से सिद्ध होता है। जहाँ व्यापक पदार्थ का अभाव रहता है उस स्थान में उसके व्याप्य का अभाव अवश्य रहता है। याराध यह है कि इस मत में उक्त स्थल में व्यतिरेक दृष्टान्त में व्यतिरेक व्याप्ति के निश्चय से ही उपर्युक्त अनुमिति होती है। इस स्थल के हेतु और उदाहरण को व्यतिरेकी करने हैं। यही अनुमान व्यतिरेकी अनुमान शब्द से निर्दिष्ट होता है'।

१. तद्विपर्ययादि के रचयिता गङ्गेश उपाध्याय—'पृथिवीहृत्तरेभ्यो-
मिदमे गन्धवत्त्वान्' इस प्रयोग में 'केवल व्यतिरेकी' अनुमान का समर्थन करते हैं और इस प्रसङ्ग में सूक्ष्म विचार उचित करने हैं। किन्तु ये भा. वा. में—
'जो बच्छरीरम्' आदि उद्योतकर के प्रयोग को लेकर यही विचारपूर्वक व्यतिरेकी अनुमान का समर्थन करते हैं। सामान्य प्रशय अनुमान मात्र को अन्यत्र हो

दो प्रकार के हेतु और उदाहरण के कथन से ज्ञात होता है कि गौतम को कण व्यतिरेकी हेतु मान्य है। जड़ों के मत में हेतु के उदाहरण से अन्य व्यतिरेकी नामक हेतु का तीसरा प्रकार भी सूचित होता है। वस्तुतः गौतम के अनुमान सूत्र में कहे गये—'त्रिविधम्' पर से प्राचीन नैयायिक उद्योतकर भी पहले—अन्वयी, व्यतिरेकी और अन्य व्यतिरेकी—इन तीन प्रकारों के अनुमान की व्याख्या करते हैं। किन्तु उन अनुमानों के लक्षण तथा उदाहरण के विषय में बहुत मतभेद है। तत्त्वचिन्तामणिकार गङ्गेश उपाध्याय के मत में केवलान्वयि साध्यधर्म का साधक अनुमान ही केवलान्वयि अनुमान है। जिस पदार्थ का अभाव कहीं भी नहीं रहता है अर्थात् जिस पदार्थ का सामान्याभाव अलीक (मिथ्या) है उसी पदार्थ को केवलान्वयि कहते हैं। जैसे पदार्थ मात्र में उसने वाचक शब्द का वाच्यत्व धर्म रहता है। किसी भी पदार्थ में वाच्यत्व धर्म का व्यतिरेक = सामान्याभाव नहीं रहता है अतएव वाच्यत्व केवलान्वयी होता है। इसी का साधक अनुमान केवलान्वयी अनुमान है। क्योंकि इस तरह के साध्य धर्म के मन्त्र में अन्य पदार्थ में केवल अन्य व्यतिरेकी का ही निश्चय हो पाना है। केवल अन्य दृष्टान्त में जिस व्यतिरेकी का निश्चय होता है उसी का नाम अन्य व्यतिरेकी है। जिस स्थल में अन्य दृष्टान्त सम्यक् नहीं है, कण किसी व्यतिरेक दृष्टान्त में व्यतिरेक व्यतिरेकी का निश्चय होने पर अनुमिति हाती है उस स्थल में उस व्यतिरेकी का ज्ञान रूप अनुमान तथा हेतु केवल व्यतिरेकी पद से कहा जाता है। इसका उदाहरण पहले ही कहा जा चुका है।

इसी तरह से किसी स्थल में किसी हेतु के साथ दानों प्रकारों के दृष्टान्त में दाना प्रकारों की व्यतिरेकी का निश्चय हो जाने पर उस से अनुमिति हाती है उस अनुमान का कण रूप व्यतिरेकी और उस स्थल का हेतु अन्य व्यतिरेकी मानता है क्योंकि इस मत में सर्वत्र अवयव व्यतिरेकी के निश्चय से ही अनुमिति होती है। अतएव उद्योतकर के द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के स्थल में व्यतिरेकी नामक प्रमाण से बह बोध होता है। (पूर्व २१९-२० पृ० देखिए ।) वेदान्त परिभाषा के रचयिता धर्मराज केवल व्यतिरेकी अनुमान का लक्षण करते हैं और बाद में कहते हैं कि जिस व्यक्ति को धूम में बलि की अवयवव्यतिरेकी का ज्ञान नहीं है किन्तु आग के अभाव में धूमाभाव का व्यतिरेकी ज्ञान है। (व्यतिरेकी व्यतिरेकी ज्ञान है) उस स्थिति को किसी स्थान में धूम देखने के बाद जो बलि का निश्चय होता है वह भी व्यतिरेकी प्रमाण से ही होता है। किन्तु [यह अनुभव है कि] उस स्थल में—'पूर्वतो बलिमान्' इस तरह की निश्चयमात्रक अनुमिति होती है।

पद में निर्दिष्ट होता है। यह वाच्यत्व मिश्र को भी मान्य है। किन्तु यह गौतम को मान्य या या नहीं इसमें विवाद है। मिश्र के कठोर में वृद्धि के मत से इन विषयों की विशद विवेचना नहीं की जाती है। मूढक्या स्मरण रचना चाँहिए कि महर्षि गौतम ने हेतुवाक्य और उदाहरणवाक्य के दो प्रकारों को कहा है।

उदाहरण के बाद चौथा अवयव उपनय है। उदाहरण के दो प्रकार होने से उपनय के भी दो प्रकार होने हैं—साधर्म्योपनय और वैधर्म्योपनय। महर्षि गौतम इस उपनय का लक्षण कहते हैं—‘उदाहरणपेक्षन्तथेष्युसहारो न तथेतिवा साध्यत्वोपनयः’ १।१।३८। उदाहरण वाक्य के अनुसार साधर्म्योपनय के साथ ‘तथा’ अथवा ‘न तथा’ इस तरह का उपसंहार वाक्य उपनय पद से कहा जाता है। जैसे—‘शब्दोऽनित्यः उत्पत्ति धर्मकत्वात्’ इत्यादि न्यायप्रयोग में नैयायिक यदि—‘यथा घटः’ इस तरह से साधर्म्योदाहरणवाक्य का प्रयोग करता है और इसके बाद उपनय वाक्य कहता है—‘तथा चोत्पत्तिरमंकः शब्दः’ तो इस वाक्य को साधर्म्योपनय कहा जाएगा। इससे प्रतीत होता है कि शब्द भी घट की तरह उत्पत्ति से युक्त (उत्पत्ति विशिष्ट) है। किन्तु इनो स्थल में नैयायिक यदि—‘यथा आत्मा’ कहकर वैधर्म्योदाहरण प्रस्तुत करता है तो पश्चात् वैधर्म्योपनय का यह रूप होगा—‘न च तथाऽनुत्पत्ति धर्मकः शब्दः’=शब्द आत्मा की तरह अनुत्पत्ति धर्म विशिष्ट नहीं है। किसी के मत से इस स्थिति में भी—‘तथा चायम्’ इसी वाक्य का उपनय होना उचित है। उपनय वाक्य के स्वरूप के नियम में भी मतभेद है। नग्न नैयायिक के मत में उपनय वाक्य में ‘तथा’ शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है।

उपनय के बाद पाचवाँ या अन्तिम अवयव निगमन है। महर्षि गौतम इसका लक्षण करते हैं—‘हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम् निगमनम्’ १।१।३९। भाष्यकार की व्याख्या के अनुसार प्रतिज्ञा वाक्य के बाद जो हेतुवाक्य कहा जाता है उसका उल्लेख करते हुए प्रतिज्ञा वाक्य का पुनः कथन ‘निगमन’ होता है। जैसे उपर्युक्त स्थल में भाष्यकार—‘अनित्यः शब्दः’ इस प्रतिज्ञा वाक्य को कहकर बाद में—‘तरमादुत्पत्ति धर्मकत्वादनित्यः शब्दः’ इस निगमन वाक्य को कहते हैं।

और वे (भाष्यकार) गौतम के—‘हेत्वपदेशात्’—इस पद के अनुसार निगमन वाक्य में—‘तरमात्’ इस पद के बाद में—‘उत्पत्ति धर्मकत्वात्’—इस हेतु वाक्य का भी उल्लेख करते हैं। किन्तु अर्वाचीन विद्वान् केवल ‘तन्मात्’ इसी शब्द से हेतु का उल्लेख मानकर निगमन-वाक्य को कहते हैं। हेतुवाक्य, उदाहरण-वाक्य और उपनयवाक्य के द्विविध होने पर भी अन्त में कहा जानेवाला

निगमन वाक्य एक रूप ही होता है। क्योंकि साधर्म्य हेतु रहे अपवा वैधर्म्य उसके उल्लेख करने पर पुनः प्रतिज्ञावाक्य के कह देने से निगमनवाक्य में प्रकार भेद नहीं हो पाता है। किन्तु न्यायसार में कारभारी नैयायिक मासर्वज्ञ ने निगमन वाक्य के दो प्रकारों को कहा है।

पञ्चावयव का प्रयोजन

अवयव की सख्या के विषय में विवाद है^१। माध्यकार यात्स्यायन आदि विद्वानों ने गौतम के द्वारा कहे गये पञ्चावयव वाक्यों के प्रयोजन के विषय में जो सब बातें कही हैं उन सभी बातों का यही तात्पर्य है कि सबसे पहले प्रतिज्ञा वाक्य के नहीं कहने से न्याय का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वादी का साध्य धर्म क्या है—इसका ज्ञान यदि पहले नहीं है तो हेतु वाक्य आदि का कहना संभव ही नहीं होगा। वादी पहले प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा अपने साध्य धर्म को कहता है। पश्चात् इसका साधक क्या है? इस तरह से प्रश्न उठने पर हेतु वाक्य का प्रयोग करता है। उदाहरण अथवा उपनयवाक्य से किसी पदार्थ में साध्य धर्म के साधनत्व रूप हेतुत्व का ज्ञान नहीं होता है। अतएव उसे समझाने के लिए प्रतिज्ञावाक्य के बाद पञ्चमी विभक्ति से युक्त पद हेतुवाक्य का कथन आवश्यक होता है। परन्तु इस हेतु में वादी के साध्य की व्याप्ति है—इसे समझाने के लिए उदाहरण वाक्य का प्रयोग होता है। क्योंकि व्याप्ति सन्ध के ज्ञान के बिना उस हेतु से उस साध्य की अनुमिति ही नहीं हो सकती है। अन्य किसी अवयव से उस व्याप्ति सन्ध का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतएव उदाहरणवाक्य का उपादान (कहा जाना) आवश्यक है।

जिस धर्मा = अधिकरण में धर्म की-साध्य की अनुमिति होती है, उस धर्मा में उस धर्म की व्याप्ति से युक्त उसका हेतु रहता है—इस तरह के निश्चयात्मक ज्ञान का रहना उस अनुमिति के आवश्यक पूर्ण धरण में आवश्यक है। यह ज्ञान लिङ्ग परामर्श शब्द से अभिहित होता है। अन्यथा अनुमिति नहीं है।

१. मीमांसक संप्रदाय कहता है कि प्रतिज्ञा आदि तीन अवयवों का अथवा उदाहरण आदि तीन अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग आवश्यक नहीं है। प्रसिद्ध है कि बौद्ध संप्रदाय उदाहरण और उपनय दो ही अवयव मानता है। बाद में बौद्धाचार्य रत्नाकरान्ति ने 'अन्तर्ध्याप्तिममर्थन' नामक ग्रन्थ में जैन संप्रदाय की तरह 'अन्तर्ध्याप्ति' को मानकर उदाहरण वाक्य के प्रयोग को अनावश्यक कहा है। अवयव की सख्या के विषय में बहुत मतभेद है। इसकी समालोचना मेरे संपादित बट्टलायायमाध्य के द्वितीय संस्करण प्रथमसंख्य के २६०—६५ पृष्ठों को देखिए।

सकती है। इसी से वादी प्रतिवादी को अथवा मध्यस्थ को अनुमिति के चरम कारण इस ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए उदाहरण के बाद उपनयवाक्य को करना है। अन्त में उपसुक्त चारवाक्यों में साक्षात्कृता ज्ञानाने के लिए निगमनवाक्य को करता है। क्योंकि न्यायवाक्यों में परस्पर मध्य को जाने बिना वादी के प्रतिपाद्य अर्थ को नहीं जाना जा सकता है। माध्यकार निगमन शब्द को व्युत्पन्न करने हैं—निगम्यत्वेऽनेन प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनयाः एकत्रेति निगमनम् = जिस वाक्य से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय—इन वाक्यों का मध्य एक ही प्रतिपाद्य अर्थ के लिए होता है वह निगमन है। बाद में माध्यकार निगमन वाक्य के अन्य विशेष प्रयोजनों को भी कहे हैं।

रामानुज संप्रदाय का वैष्णव वैशाली श्री निवात दाम फलीन्द्रमतदीपिका न कहते हैं कि हम लोगों के मन में अवयव के प्रयोग के विषय में कुछ नियम नहीं है। किसी स्थल में पाँच, कहीं दो और कहीं तीन अवयवों को भी कहा जा सकता है। जिसकी बुद्धि तेज होती है वह केवल उदाहरण और उपनय वाक्यों को सुनकर भी वादी के विवक्षित विषय का ज्ञान कर लेता है। अतएव उसके लिए दो ही अवयवों का प्रयोग अनुचित है। मध्यम बुद्धि वालों को समझाने के लिए निगमन वाक्य का कहा जाना आवश्यक है। किन्तु कोमल बुद्धि वालों के लिए पाँच अवयवों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है।

बाद में जैन संप्रदाय भी इस तरह की कथाओं को कहता है। इस मत में सर्वत्र प्रतिज्ञा और हेतु—इन दो ही अवयवों का प्रयोग उचित है।

किन्तु इस मत में वक्तव्य है कि जिगीषानूक जन्म और क्लिप्ता कथा में वादी पहले प्रतिवादी और मध्यस्थ की बुद्धि के तात्पर्य का निश्चय करेगा और उसके अनुसार न्यायवाक्य का स्वरूप करेगा—यह नहीं हो सकता? अतएव जिगीषानूक विचार में वादी या प्रतिवादी का वाक्य मध्य करना कदापि उचित नहीं है। क्योंकि इतन (वाक्य सधेय में) उच्चो अनेक निम्न स्थानों का मन रहना है जिससे पराजय की शङ्का होती है। वादी या प्रतिवादी के साध्य धर्मों में साध्य धर्म के दोषक किसी शब्द के प्रयोग नहीं करने में केवल उदाहरण और उपनयवाक्यों के कह देने पर से उक्त साध्य धर्म का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। अतएव मौनिक संप्रदाय ने उदाहरण और उपनय वाक्य के साथ निगमन वाक्य तृतीय अवयव के प्रयोग को अनुचित कहा है। मौनिक संप्रदाय विशेष के मत में भी हेतु वाक्य के प्रयोग नहीं करने में पहले पहले उदाहरण वाक्य का प्रयोग अशुद्ध माना गया है। क्योंकि पहले हेतुवाक्य में हेतु पदार्थ के ज्ञान हो जाने पर मध्यस्थ के प्रश्न के अनुसार उक्त

हेतु पदार्थ में सात्य धर्म की व्याप्ति के प्रदर्शन के लिए उदाहरण वाक्य कथन समुचित होता है। और सबसे पहले प्रतिज्ञा-वाक्य नहीं कहने से हेतु के प्रयोग में भी सङ्गति नहीं होती है।

किन्तु जो विद्वान् स्थलविशेष में पञ्चावयव के प्रयोग को समुचित कहते हैं, वे पञ्चावयववाद को मानते हैं। न्यायसार में मासर्वज्ञ और प्राचीन वैशेषिक आचार्य प्रसस्तपाद भी पञ्चावयव का उल्लेख किए हैं। चरक संहिता के विमान स्थान में (आठवें अध्याय में) गौतम के पञ्चावयववाद की उदाहरण व्याख्या प्रस्तुत की गई है। किष्कुधर्मोत्तर में भी इसकी चर्चा है। महाभारत समापन में नारद के गुणवर्णन में कहा गया है—'पञ्चावयव युक्तस्य वाक्यस्य गुणोपनि' १।१। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि यह पञ्चावयववाद प्राचीन काल में ही विद्वानों के द्वारा मान्यता प्राप्त करता आ रहा है।

तर्क

प्राचीन काल से ही तर्कशब्द के अनेक अर्थ होते आ रहे हैं। किन्तु गौतम का तर्क पदार्थ प्रमाण का सहकारी और ज्ञानविशेषरूप है। प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयव रूप न्याय के प्रयोग से तत्त्वनिर्णय आदि करने में तर्क आवश्यक होता है। इसीसे महर्षि गौतम अवयव के बाद तर्क का लक्षण करते हैं—'अविज्ञानतत्त्वेऽप्ये कारणोपपत्तिस्त्वनानार्थमूहस्तर्क' १।१।४०। भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि जिस पदार्थ का तत्त्व निश्चय नहीं होता है उसके तत्त्व निर्णय के लिए उसमें कारण रूप प्रमाण की उपपत्ति से जो ऊह किया जाता है उसी का नाम 'तर्क' है। दो धर्मों के मन्द्ह में—इस विषय में ही प्रमाण मिलता है—इस तरह के ऊह (मानसज्ञान) को तर्क कहते हैं। यह (ऊह) प्रमाण नहीं है और प्रमाण का तत्त्व निश्चय भी नहीं है किन्तु प्रमाण का सहकारी है तथा ज्ञानविशेषात्मक है।

भाष्यकार इसका उदाहरण दियते हैं—किसी कारण से आत्मा की नित्यता के निषेध में सन्देह उपस्थित होता है तो उस आत्मा के नित्यत्वसाधक प्रमाण उसमें प्रवृत्त हो नहीं हो सकता है। किन्तु बाद में तत्त्व जिज्ञासा के लिए मन में तर्क होता है कि यदि जीव की दृढ़ की उत्पत्ति के समय में अविज्ञान आत्मा की ही उत्पत्ति हानी है तो आत्मा की बंध भोग व्यवस्था टूट जाएगी। क्योंकि आत्मा के पूर्ववृत्त कर्मणः के बिना उसका विचित्र जन्म और समाप्त समय नहीं है और आत्मा की उत्पत्ति मानन पर किसी समय में उसका विनाश

१. 'प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांशवृत्तहार एव च । तथा नित्यमनश्चैव पञ्चावयवमिष्यते' । किष्कुधर्मोत्तर १।१।४।

भी मानना होगा। जिसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता है। अतएव आत्मा की नित्यता म (उसकी उत्पत्ति तथा विनाश के अभाव म) प्रमाण की प्रवृत्ति हो सकती है। इस तर्क का यही फल है कि आत्मा की नित्यता में सशय की निवृत्ति होती है। और उसके नित्यस्वरूप तत्त्व का निर्णय होता है। यह तर्क उस प्रमाण को अनुग्रह करता है और तत्त्व निश्चय में उभरा सहायक भी होता है। तर्क प्रमाण का अनुग्रह करता है अर्थात् प्रमाण को सन्दिग्ध विषय म ल्याकर सशय को दूर करता है। भाष्यकार की अन्य कथाओं से भी यही बात होता है कि इस विषय म प्रमाण की प्रवृत्ति हो सकती है—इत तरह के सभावनात्मक ज्ञान को ही तर्क कहते हैं ।

प्राचीन काल से ही इस तर्क के स्वरूप के विषय म मतभेद है। उद्यानकर के विचार से भी यही बात हाता है। किसी मत म इसे सशयरूप ज्ञान विशेषात्मक कहा गया है, और किसी मत म इसे निर्णयविशेषरूप माना गया है। किसी मत म इसे स्वतन्त्र रूप से प्रमाण माना गया है। किसी मत म अनुमान में ही इसका अन्तर्भाव है। न्यायकन्दलीकार भीषरमट्ट विचार पूर्वक कहते हैं कि प्राचीन वैशेषिक आचार्य प्रशस्तपाद तर्क या ऊह को प्रशब् से ज्ञान रूप में उल्लेख नहीं करते हैं। किन्तु उद्योतकर न्यायमार्तिक म विभिन्न मतों का सम्यजन करते हैं और कहते हैं कि यह पदार्थ इसी तरह से हा सनता है—यह सभावनात्मक ज्ञान तर्क है। इसे सशय नहीं कहा जा सकता है न यह निर्णय ही है। इसी से महर्षि गौतम सोलह पदार्थों में स्वतन्त्र रूप से इसका उल्लेख किए हैं। पश्चात् उदनयनाचार्य आदि विद्वान् सशय से मित किसी ज्ञान को सभावना नाम से नहीं स्वीकार करते हैं। इन लोगों के मत म सभावना भी सशयात्मक ज्ञान ही है। किन्तु इस तर्क का ज्ञान हो ज्ञान पर मनम् से उसका सशयत्व रूप में ज्ञान नहीं हो सकता है अतएव सिद्ध होना है कि तर्क को सशयात्मक ज्ञान नहीं माना जा सकता है।

इसके स्वरूप के विषय म तात्पर्यपरिपुद्धि म उदनयनाचार्य कहते हैं—

१. भाष्यदोता के—'मत्त स्मृतिर्निमराहनश्च' १.१.१५। इत वाक्य में अपोहन शब्द से भाष्यकार रामानुज गौतम के तर्क को उक्त है और ऊहन शब्दवा ऊह तर्क का पर्याय है— इस कहन क लिए वास्त्यायन के मत के अनुसार इसक स्वरूप की व्याख्या करत है— ऊहनाम इद प्रमाणमत्य प्रवृत्तिमहतीति प्रमाण प्रवृत्त्यर्हता प्रयोजक सापक्ष्यादिनिष्पणत्रयम् प्रमाणानु-शाहक ज्ञानम् । न्यायपरिपुद्धि' ग्रन्थ म बहून्नाथ भा गौतमोक्त तर्क पशर्ष की व्याख्या म रामानुज की इस व्याख्या का उल्लेख करत है।

‘तस्य च स्वरूपमनिष्टप्रसङ्गः’ = अनिष्ट पदार्थ का प्रसङ्ग आपत्ति ही तर्क है। इसी मत के अनुसार तार्किकरक्षा में वरदराज कहते हैं—

‘तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गःस्यात् अनिष्टं द्विविधं स्मृतम् ।
प्रामाणिकं परित्यागस्तथेनरं परिग्रहः ॥’

इसका अर्थ होता है कि अनिष्ट की आपत्ति तर्क है। इसके दो प्रकार होते हैं— प्रामाणसिद्ध पदार्थ का परित्याग और अप्रामाणिक पदार्थ का स्वीकार। जैसे किसी ने कहा पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है। यहाँ यह सर्वसम्मत है कि पानी पीना प्यास को बुझाना है। उसका परित्याग अथवा अपत्याग प्रथम प्रकार के अनिष्ट का उदाहरण है। यही अनिष्ट की आपत्ति तर्क है। इसी तरह किसी ने कहा पानी पीने से अन्तर्दाह होता है। यहाँ पानी पीने में अन्तर्दाह का कारण प्रमाण से सिद्ध नहीं है अतएव यह अनिष्ट का दूसरा प्रकार है। यह अनिष्ट पदार्थ की आपत्ति तर्क है। इसी तरह से सर्वत्र जिस किसी अनिष्ट पदार्थ की आपत्तिरूप मानसज्ञान तर्क है। नव्य नैयायिकगण इसी सिद्धान्त के अनुसार इस नियम में और अधिक सूक्ष्म विचार करते हुए विलुप्त रूप से तर्क के स्वरूप को व्याख्या करते हैं। वृत्तिकार विश्वनाथ तर्कमूल में कारण शब्द में व्याप्य पदार्थ को और उपपत्ति शब्द के आरोप अर्थ को लेते हैं और तत्र तर्क के स्वरूप की व्याख्या में कहते हैं कि जहाँ यह निर्णय है कि व्यापक पदार्थ नहीं रहता है उस स्थल में व्याप्य पदार्थ के आरोप से उस व्यापक पदार्थ का आरोपरूप ऊह तर्क है। जैसे धूम आग का व्याप्य है और आग उसका व्यापक। जहाँ व्याप्य पदार्थ रहता है उस स्थल में उसका व्यापक पदार्थ अगम्य रहता है अन्यथा उसे व्यापक कहा ही नहीं जा सकता है। किसी स्थान में व्याप्य पदार्थ है—यह कहने पर उसी के आरोप से उसके व्यापक पदार्थ का आरोप होता है। किन्तु यदि उस स्थान में व्यापक पदार्थ विद्यमान ही है तत्र उसकी आपत्ति तर्क नहीं हो सकता है। इसे इष्टापत्ति कहा जाता है। जैसे महानद्य में जल आग और धूम दोनों रहते हैं तत्र यहाँ आग की आपत्ति इष्टापत्ति हुई। यह तर्क नहीं है। किन्तु जहाँ धूम नहीं है उस स्थान में बहिर्भागी नहीं है। कोई बड़ी यदि धूम है यह कह कह आग की आपत्ति करे ला वह तर्क होगा।

यह तर्क मनम् में ही उत्पन्न होता है। अतएव यह मानसप्रत्यक्षरूप से ज्ञान है। कितने समयों में एकान्त में अनेक विषयों के लिए मनम् में यह तर्क होता है। यदि प्रयोजन रहा तब उसे वाक्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है।

किन्तु यह वाक्य तर्क नहीं है। अपितु उपर्युक्त लक्षण से युक्त मानसप्रत्यक्षरूप आपत्ति ही तर्क होता है।

इसे भ्रमात्मक ज्ञान होने पर भी इसके साहाय्य से पश्चात् प्रमाण से तत्व निश्चय होता है। यह तत्व निश्चय कैसे होता है—सञ्चेप में इसका वर्णन किया जाता है। इसे जानने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि तर्कस्थान में व्याप्य पदार्थ के आरोप से व्यापक पदार्थ की जो आपत्ति होती है उस स्थल में उस व्याप्य पदार्थ को आपादक और उस व्यापक पदार्थ को आपात्र कहते हैं। जिस पदार्थ की आपत्ति की जाती है उसे आपात्र और जिस पदार्थ के आरोप से आपत्ति होती है उसे आपादक कहा जाता है। जैसे यदि धूम है तो आग अवश्य होगी—इस तरह से धूम के आरोप से आग की आपत्ति में बहिः आपात्र है और धूम आपादक। आपात्र पदार्थ का व्याप्य आपादक और आपादक का व्यापक आपात्र होता है। जहाँ व्याप्य पदार्थ रहता है उस स्थान में उसका व्यापक पदार्थ अवश्य रहता है। अतएव जहाँ व्यापक पदार्थ नहीं है उस स्थान में उसका व्याप्य पदार्थ भी नहीं रहता है।

जिस स्थान में व्यापक पदार्थ का अभाव रहता है उस स्थान में व्याप्य पदार्थ का अभाव रहता है। इसी से इन दोनों में व्याप्ति का निश्चय होता है। इस तरह की स्थिति में वही तर्क व्याप्ति का स्मरण कराता है। जैसे—'जल धूमाभावरद् बहुभवात्' इस रूप में जल में धूम के अभाव का साधक अनुमान उपरिष्ठत होता है। इस अनुमान में जल में धूमाभावरूप तत्व के निर्णय में तर्क सहायक होता है। प्रकृत में आपादक धूम पदार्थ में आपात्र बहिः पदार्थ की जो व्याप्ति है वही इस तर्क की मूलव्याप्ति है। इस व्याप्ति के नहीं रहने से उक्त रूप आपत्ति कदापि तर्क नहीं हो सकता है। अतएव आपादक पदार्थ में आपात्र पदार्थ की व्याप्ति ही तर्क का प्रथम अङ्ग है। तर्क के और भी अन्य चार

१. आरोपात्मक ज्ञान को ही भ्रमात्मक ज्ञान कहते हैं। भ्रम का ही दूसरा नाम आरोप है। भ्रम ज्ञान आहाय और अनाहाय के भेद से दो प्रकार के होते हैं। आहार्य शब्द का अर्थ है कृत्रिम। भ्रम के साधक रहने पर भी इच्छा से ही जो आरोप किया जाता है उसी को आहाय भ्रम कहते हैं। जल में धूम तथा आग नहीं रहती है—इसके निश्चय रहने पर यदि पानी में धूम रहता है तो आग भी अवश्य होगी—इस तरह से पानी में इच्छा से धूम और आग का आरोप आहार्य भ्रम है। यह तर्क भ्रमात्मक निश्चय रूप ज्ञान है। तथा मानस प्रत्यक्षरूप है। कृत्तिकार विद्वानाथ भी लिखते हैं—'उह्यञ्च मानस्य व्याप्यो जाति-विशेषः।'

अङ्ग होते हैं। इन पाँच अङ्गों से युक्त तर्क को ही प्रकृत तर्क माना जाता है। प्रमाण से तर्क के निश्चय में यही तर्क प्रमाण का सहायक होता है। वरदराज कहते हैं—‘अङ्ग पञ्चक सपक्षस्तत्त्व ज्ञानाय कल्पते’। इनमें से किसी अङ्ग की भी हानि से वह तर्क नहीं रहकर तर्कभ्रंश हो जाता है*। किसी तर्क के उपस्थित होने पर पहले यह विचार करना चाहिए कि यह तर्क है या तर्कभ्रंश। तर्क के दोषों का ज्ञान भी आवश्यक है। अन्यथा किसी के द्वारा तर्क उपस्थित करने पर यह नहीं जाना जा सकता है कि यह प्रकृत तर्क है या तर्कभ्रंश। यदि यह तर्क नहीं है तो इसमें क्या दोष है।

तर्क का प्रकार भेद

महानैयायिक उदयनाचार्य आत्मतत्त्वविवेक में इसी तर्क पदार्थ के पाँच भेद मानते हैं—(१) आत्माभय, (२) इतरेणभय, (३) चक्रक (४) अनन्यथा और (५) अनिष्ट प्रसङ्ग। तार्किकरक्षा में वरदराज कहते हैं—‘आत्माभयादि भेदेन तर्क-पञ्चविधः स्मृतः’। इस अनिष्ट प्रसङ्ग को बाधितार्थ प्रसङ्ग भी कहा जाता है। प्रसङ्ग शब्द का अर्थ है आपत्ति। जो पदार्थ प्रमाण से बाधित है उस अनिष्ट-अन्वीकृत पदार्थ की आपत्ति ही बाधितार्थ प्रसङ्ग है। यद्यपि तर्क के प्रत्येक भेद आत्माभय आदि बाधितार्थ प्रसङ्ग ही हैं। तथापि प्रत्येक तर्क में कुछ वैशिष्ट्य है। अतएव स्तनत्र नाम से उसका उल्लेख किया जाता है। आत्माभय आदि चार तर्कों में भिन्न पाँचवों प्रकार तर्क का बाधितार्थ प्रसङ्ग अनिष्ट्यपत्ति है। इसी से चूत्तिकार विद्वनाय इसे तदन्यनाधितार्थ प्रसङ्ग शब्द से कहते हैं^२।

१. तार्किकरक्षा में वरदराज कहते हैं—‘व्याप्तिस्तर्कान्तरवन्तान विपर्यये । अनिष्टाननुकूलत्वे इति तर्काङ्ग पञ्चकम् । अहान्यतमवकल्पेतर्कस्वामामतामवेत् ।’
(१) आगादक पदार्थ में आनाद पदार्थ को व्याप्ति (२) तर्क के व्यापानक अन्य प्रतिफलक से अप्रतिषाद । (३) आनाद पदार्थ के अभाव में पर्यवसान । (४) आनाद पदार्थ का अनिष्ट व (५) और तस आपत्ति को अनुकूलता अर्थात् प्रतिषेध को अनाघता—ये पाँच तर्क के अङ्ग हैं। इनमें से किसी एक अङ्ग के अभाव में तर्क प्रकृत तर्क नहीं होकर तर्कभ्रंश—होता है।

२. नवदर्शनसंग्रह में अग्रनाद दर्शन विभाग में माधवाचार्य पूर्वोक्त आत्माभय आदि चार प्रकारों के तर्क को ओर इस में विप्र व्यापान आदि सात प्रकारों के तर्क का उल्लेख करते हैं और गौडय तर्क के चार प्रकार मानते हैं। विष्णु ये पुनः इन तर्कों को कुछ भी अज्ञान नहीं करते हैं। किसी प्रसिद्ध ग्रन्थ में ‘इसको व्याख्या मिलने पर भी इसका मूल नहीं मिलता है। व्याख्य परिभाषित ग्रन्थ में देहूटनाय तर्क के प्रकार भेद के विषय में प्रस्तावित

जो पदार्थ अपनी उत्पत्ति, स्थिति और शान में अव्यवहित पूर्वक्षण में अपनी अपेक्षा करता है उसमें जो अनिष्ट की आपत्ति होती है उसीका नाम आत्माश्रय है। किसी पदार्थ के ज्ञान में किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा है और उस अन्य पदार्थ के लिए यदि पुनः उपर्युक्त पदार्थ की ही अपेक्षा होती रहे और इससे जो अनिष्ट की आपत्ति होती है वही इतरेतराश्रय (अन्योन्नाश्रय) है। अन्य दो पदार्थों की अगता उसमें भी अधिक पदार्थों की अपेक्षा करके अन्त में यदि पुनः अपनी ही अपेक्षा हो जाती है और इससे जो अनिष्ट की आपत्ति होती है वही चक्र है। जिस आपत्ति का कहीं भी विश्राम नहीं है इस तरह की धारावाहिक आपत्ति अनन्त्या है। किन्तु यदि धारावाहिक आपत्ति प्रमाण सिद्ध है तो इसको दौप नहीं माना जाता है। उसे सर्वसम्मत से दृष्टापत्ति कही जाती है। उक्त अनन्त आपत्तिमूलक अनिष्टापत्ति को भी गुरुतों के मत में अनवस्था कही जाती है। जैसे परमाणु को रावयन मानने पर उस अवयव का अवयव पुनः उसका भी अवयव आदि धारावाहिक रूप से अनन्त आपत्ति हो जाती है। और इसे स्वीकार कर लेने पर पर्वत और सरसों में तुल्य परिमाणत्व की अनिष्टापत्ति हो जाएगी। आत्माश्रय, इतरेतराश्रय और चक्र के बहुत उदाहरण मिलते हैं। किन्तु मध्ये में उन उदाहरणों को नहीं कहा जा सकता है। बहुत लिखने पर भी अच्छी तरह में उनका ज्ञान होना कठिन है अतएव गुरुओं के उपदेश से ही उन तर्कों को जाना जा सकता है।

उन चार प्रकारों के तर्क में भिन्न सभी तर्क उसके पञ्चम प्रकार में अन्त भूत होते हैं। वह विषय का परिशोधक और व्याप्ति का प्रादक है। अनुकूल तर्क और प्रतिकूल तर्क आदि नाना सजाओं से इसका बोध कराया जाता है। यहाँ

नामक ग्रंथ के सिद्धान्त को व्याख्या करते हुए आत्माश्रय आदि चार प्रकारों के तर्क को और इस से भिन्न विरोध और असम्य नामक तर्क को लेकर इसके ६ प्रकारों का वर्णन करते हैं। मानमेयादेय ग्रन्थ में अनुमान की परीक्षा के प्रकरण में नारायण भट्ट आत्माश्रय आदि प्रसिद्ध चार तर्कों के साथ गौरव और लापव को जोड़कर इसके छ प्रकारों का वर्णन करते हैं। वृत्तिकार विश्वनाथ की कथा में ज्ञात होता है कि किसी मन में प्रयमोपस्थितत्व और विनिगमनाविरह ये दोनों भी तर्क ही हैं। विश्वनाथ अन्त में कहते हैं कि नैयायिक मप्रदाय पाँच प्रकारों के तर्कों को मानता है जो पहले कहा गया है। और प्रयमोपस्थितत्व, लापव और गौरव आदि में आसक्तिका स्वरूप नहीं है अतएव वस्तुतः ये तर्क नहीं हैं। किन्तु ये सब भी तर्कों की तरह प्रमाण के सहकारी होते हैं। इनसे तर्कों की तरह इन सबों को भी व्यवहार किया जाता है।

उपर्युक्त तर्क का उदाहरण विषय परिशोधक = अनुकूल तर्क का है। अनुमान के स्थल में जो तर्क हेतु में साध्य धर्म के व्यभिचार मशय को दृष्टता है उसे व्याप्ति प्राहक अनुकूल तर्क कहते हैं। जैसे धूम में वहि के अनुमान में क्या धूम वहि का व्यभिचारी है अर्थात् जहाँ आग नहीं रहती है उस स्थान में धूम रहता है या नहीं—इस तरह के सन्देह होने पर धूम यदि आग का व्यभिचारी होना तो आग में धूम की उत्पत्ति नहीं होती। आग के अभाव में भी धूम उत्पन्न हो जाता—इस तरह से आपत्ति को कहना तर्क का फल होता है कि—‘धूमोन वहि व्यभिचारी वहि जन्यत्वात्’ धूम में आपाद्य पदार्थ आग के अभाव रूप वहि जन्यत्व हेतु में आपादक पदार्थ का अभाव वहि व्यभिचारित्वात्मान सिद्ध होता है जो धूम में वहि के व्यभिचारमशय को दृष्टता है। यहाँ तर्क व्याप्ति निश्चय का सहायक है अतएव इसे व्याप्तिप्राहक तर्क कहते हैं।

किसी प्रमाण से तत्त्व के निर्णय में विषय परिशोधक तर्क का रहना आवश्यक होता है। इसी में इस तर्क के स्वरूप के विषय में विवाद रहने पर भी यह अन्य संप्रदाय भी कहता है कि तर्क सभी प्रमाणों का अनुप्राहक है। मानमेयोदय में भीमासक नारायण भट्ट इसका समर्थन करते हैं—‘तस्मात् सर्वप्रमाणानां तर्कोऽनुप्राहक स्थितः’। यथार्थ में वेद आदि शास्त्रों के तात्पर्य में सन्देह होने पर उसके निरास के लिए विचार या भीमासा रूप तर्क आवश्यक है। इसी से भीमासक संप्रदाय तर्क को विचार और भीमासा शब्द से उल्लेख करता है। और इसको प्रमाण का सहायक (इति कर्तव्यत्वरूप) कहता है। क्योंकि प्रकृत तर्क की सहायता के बिना वेद आदि शास्त्रों के विषयों का निर्णय भी संभव नहीं है। इसी में भगवान् मनु भी कहते हैं—

‘आयं धर्मोपदेशश्च वेदशास्त्र विरोधिना ।

यस्तर्कैगानुसंधते सधर्म वेद नेतर ॥’ १२।१०६ ।

निर्णय

तर्क के मातृ निर्णय का लक्षण करते हैं। तत्त्व का अन्वेषण (निश्चय) ही निर्णय पदार्थ है। किन्तु न्यायदर्शन के सोऽह पण्यों में निर्णय शब्द है जो अन्वय तथा तर्क में सिद्ध किया जाता है। इसी में गौतम अरण्य और तर्क के बाद निर्णय का लक्षण कहते हैं—‘विमृत्तं पथ प्रतिपञ्चाम्यामर्षांशरणम् निर्णय’ १।१।४१। मशय के बाद वादी और प्रतिवादी के द्वारा स्वयं का स्थापन और परपक्ष का मण्डन किया जाता है। जिसमें मध्यम्य तत्त्व का अन्वेषण करता है उसे ही निर्णय करते हैं। अभिप्राय यह है कि वादी और प्रतिवादी का अपने अपने निदान में निर्णय रहना ही है किन्तु मध्यम्य यदि मशय उपस्थित

करता है तो उसके निरास के लिए वादी और प्रतिवादी स्वपक्ष के स्थापन में और परपक्ष के खण्डन में प्रवृत्त होता है। क्योंकि मध्यस्थ को जब तक एक पक्ष का निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक वह किसी सिद्धान्त का अनुमोदन नहीं कर सकता है। अतएव सिद्ध हुआ कि वादी और प्रतिवादी के द्वारा स्वपक्ष का स्थापन और परपक्ष का खण्डन हो जाने पर मध्यस्थ जिस एक पक्ष का अवधारण करता है उसी का नाम निर्णय है। समा में विजय प्राप्त करने की इच्छा से जल्प और क्लिष्टा कथा में वादी और प्रतिवादी के द्वारा सिद्धान्त पक्ष उपस्थित करने पर मध्यस्थ को जिसका अवधारण होता है उसी को गौतम निर्णय कहते हैं। इस निर्णयसूत्र में पहले विमृश्य पद का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है विचार करके अर्थात् मध्यस्थ के द्वारा मशय होने के बाद।

समा में विजय की कामना नहीं रखने वाले गुरु तथा शिष्य की कथा 'वाद' में मध्यस्थ नहीं होता है। इस कथा से जो तत्त्व निर्णय होता है उसमें मध्यस्थ के द्वारा पहले सन्देह प्रस्तुत किया गया नहीं रहता है अतएव निर्णयसूत्र के 'विमृश्य' पद को छोड़कर सूत्र के अन्य अंश से ही वादकथा स्थल के निर्णय का लक्षण समझना चाहिए। 'अर्थान्धारणम् निर्णयः' इतना अंश ही निर्णय का सामान्य लक्षण है। जिस किसी प्रमाण से अर्थ का अवधारण होता है = तत्त्व का निर्णय होता है यही निर्णय पदार्थ है और प्रमाणाभास से जिस पदार्थ का तत्त्व निर्णय होता है इसे भ्रमात्मक निर्णय कहते हैं।

वाद-जल्प और क्लिष्टा

महर्षि गौतम ने प्रथम सूत्र में वाद, जल्प और क्लिष्टा इन तीन पदार्थों की चर्चा की है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। भाष्यकार इन पदार्थों की व्याख्या में पहले ही कहते हैं—'तित्त्वं कथाः भ्रान्तिः। वादो जल्पो क्लिष्टा चेति' महर्षि गौतम स्वयं वाद में (५।२।१९ २३ सूत्रों में) इस पारिभाषिक कथा शब्द का व्यवहार करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड में भी (२।५२।) इस कथा शब्द का व्यवहार किए हैं। अभी पहले यह जानना आवश्यक है कि इस कथा का सामान्य लक्षण क्या है। तार्किकशास्त्र में उक्त राज कहते हैं—'विचार विषयो नाना वक्तव्यो वाक्यस्मिन्।' विचारणीय विषय में अनेक वक्तव्यों के वाक्यसमूह को कथा कहा जाता है। किसी एक वक्तव्य या ग्रन्थकार के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, दोष और समाधान—इन विषयों के प्रतिपादक वाक्यसमूह को 'कथा' शब्द से नहीं कहा जाता है। अपितु विचारणीय विषय में निरमपूरक वादी और प्रतिवादी का उक्ति प्रत्युत्तररूप

वचनसमूह 'कथा' है। उक्तिहार विन्याय इसी विषय को विस्तार करते हुए कहते हैं कि तत्त्वनिर्णय अथवा विजयलभ के संपादन योग्य न्यायानुसूत्र वाक्यसमूह कथा है। लौकिक विद्या के विषय में वाणी और प्रतिवादी की उक्तिप्रत्युक्ति वाच्य के पञ्चास्य वाक्य के अनुसूत्र नहीं होती है। इसलिए उसे कथा शब्द से नहीं कहा जाता है।

यथाथ में तत्त्वनिर्णय अथवा विजय की प्राप्ति—इन दो उद्देश्यों में ही वादी और प्रतिवादी अपने मत के स्थापन में और दूसरों के मत के खण्डन में प्रवृत्त होते हैं। जिस में केवल तत्त्वनिर्णय के लिए गुण तथा शिष्य में विचार होता है वह वादकथा है। इसमें किसी व्यक्ति का विजय की इच्छा नहीं रहती है। केवल तत्त्वनिर्णय करना ही उद्देश्य रहता है। अतएव परतक तत्त्वनिर्णय नहीं हो जाता है तब तक यह वाद चलता है।

वाणी और प्रतिवादी विजय की इच्छा से विचार करते हैं उस स्थान के न्यायानुसूत्र उक्तिप्रत्युक्तिरूप वाक्यसमूह ज्ञाप और विन्याय शब्द से बना जाता है। वाणी प्रतिवादी भी वाणी की तरह अपने पक्ष का स्थापन करता है उस कथा को ज्ञाप कहते हैं और वहीं प्रतिवादी अपने पक्ष का स्थापन नहीं करता है केवल परपक्ष का खण्डन ही करता है उस कथा को विन्याय कहते हैं। महर्षि गौतम न्यायशास्त्र के प्रथम अध्याय द्वितीय आश्रित में आरम्भ में ही इन कथाओं का उल्लेख करते हैं—'प्रमाणतर्कमाधनो पाठम्भ मिद्वानाभिद्व पञ्चास्यसोपपन्न पाप्रतिपक्षपरिग्रहो वा'। यथाना पप्रतर्कजातिनिग्रहस्थानमाधनोपाठम्भो ज्ञाप । स प्रतिपक्षस्थापनादोना विन्याय'।

जैसे प्रथम सूत्र में वाद का लक्षण कहते हैं। जहाँ प्रमाण तथा तर्क से स्थापन का स्थापन और परपक्ष का खण्डन किया जाता है और जो विद्वान् का अंगीकार है अर्थात् जिसे अविद्वान् नहीं बना जा सकता है जो प्रतिष्ठा आदि पात्र व्यक्तियों से युक्त है इस तरह के पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह = अर्थात् वाणी और प्रतिवादी नियमत दो विद्वध धर्मों का = पक्ष और प्रतिपक्ष का स्थापन करता है उस वाणी तथा प्रतिवादी के वाक्यसमूह का वाद कहते हैं। जैसे तत्त्वनिर्णय के लिए शिष्य पहले गुण के समापन में जाकर प्रातशा आदि पञ्चास्य वाक्य का प्रयोग करके आत्मा के अविनाश रूप परमात्मा का स्थापन करता है। पश्चात् गुण नियमपूर्वक आत्मा के विनाशरूप प्रतिपक्ष का स्थापन करता है और आन्तरिक पक्ष का खण्डन करता है जिसमें विषय का तत्त्व का निर्णय हो जाता है। इस स्थान के गुण तथा विषय

दोनों का उक्ति प्रत्युक्तिरूप वाक्यसमूह 'वाद' है। यहाँ शिष्य के द्वारा कहा गया प्रमाण तथा तर्क प्रकृत प्रमाण और प्रकृत तर्क नहीं है। किन्तु इसे प्रमाणाभास और तर्काभास कहते हैं, यद्यपि शिष्य इसे प्रकृत प्रमाण तथा प्रकृत तर्क समझकर प्रयोग करता है। इसी तात्पर्य में शिष्य के द्वारा कहे गये वाक्यसमूह को—'प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ' शब्द से व्ययहृत किया जाता है।

जल्प और चित्पण्डा कथा में प्रतिवादी जय की प्राप्ति के लिए किसी स्थल में प्रमाणाभास तथा तर्काभास को तत्काल समझकर भी प्रमाण और तर्क रूप में प्रस्तुत करता है और उसके द्वारा स्वप्न का स्थापन तथा परपक्ष का खण्डन करता है। किन्तु वाद कथा में ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रतारक व्यक्ति वाद कथा का अधिकारी ही नहीं है। प्रमाणाभास अथवा तर्काभास को जान बूझकर उसमें यदि स्वपक्ष का स्थापन आदि नहीं किया जाता है तो इसे वाद कहते हैं। वाद के लक्षणसूत्रगत प्रथम पद से गौतम का यही अभिप्राय व्यक्त होता है। भाष्यकार कहते हैं कि—'पञ्चापयोपपन्नः' इस पद से पहले—'प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ' इस पद के प्रयोग से सूचित होता है कि किसी स्थल में पञ्चापयत्र के प्रयोग के बिना भी वाद कथा होती है। किन्तु प्रमाण तथा तर्क में ही वहाँ निज पक्ष का स्थापन और परपक्ष का खण्डन किया जाता है। अन्यथा वह वाद कथा नहीं हो सकता है।

जल्प और चित्पण्डा में मध्यस्थ के प्रश्न के अनुसार वादी यथानियम प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयवों का प्रयोग करता है और उसके साथ जय एवं पराजय की व्यवस्था पहले से ही रहती है। इसीसे प्रतिज्ञाहानि आदि सभी निमद्दस्थानों का उद्घाटन किया जाता है। किन्तु वाद कथा में केवल अपसिद्धान्त तथा हेत्वाभास का प्रयोग होता है। गुरु भी यदि भ्रमरस्य अपसिद्धान्त कह देता है तो इसका ज्ञान उसे करा दिया जाता है। गुरु यदि दुष्ट हेतु से स्वपक्ष का स्थापन करता है तो शिष्य इसका उल्टे कर देता है अन्यथा तत्परिणयरूप उद्देश्य सिद्ध ही नहीं होता है। वाद के लक्षणसूत्र के—'सिद्धान्ताविषयः' पद से सूचित होता है कि वाद कथा में अपसिद्धान्त और हेत्वाभास का प्रयोग किया जा सकता है एव किया जाता भी है। भाष्यकार तथा अन्य प्राचीन आचार्यों के मत से वादकथा में पञ्चापयत्र वाक्य के प्रयोग होने में न्यून तथा अधिक नामक निमद्दस्थान की उद्घाटना अनवरत पर की जा सकती है। पश्चात् निमद्दस्थान के विचार में इसका स्पष्टीकरण होगा।

महर्षि गौतम द्वितीय सूत्र के द्वारा जल्पकथा का लक्षण कहने हैं। पहले वाद कथा के सूत्र में वाद के सभी धर्मों को कहा गया है। उन धर्मों से युक्त

होकर ही जहाँ छल, जाति और सभी प्रकारों के निग्रहस्थानों के द्वारा स्वपक्ष का स्थापन और परपक्ष का रण्डन किया जाता है इस तरह के वाक्य समूह को जल्प कहते हैं इस सूत्र में अन्तिम भिद्योग ने ज्ञात होता है कि वाद कथा म वादी और प्रतिवादी को जय की इच्छा नहीं रहती है किन्तु जय कथा म दोनों को जय की इच्छा रहती है क्योंकि विजय की कामना से ही प्रतिवादी छल आदि का व्यवहार करता है। जल्प और वितण्डा में जल्प के लिए अस दुत्तर का जो व्यवहार किया जाता है उस असदुत्तरभिद्योग को ही छल और जाति कहते हैं। वाद में (इसी अध्याय में) इनके स्वरूप का परिचय कराया जाएगा।

अभिप्राय यह है कि केवल तर्कनिर्णय के लिए जो विचार किया जाता है जिसमें किसी भी पक्ष को जय की इच्छा नहीं रहती है वह 'वाद' है। जल्प कथा में जय की इच्छा में वादी और प्रतिवादी अपने-अपने सिद्धान्त के स्थापनपूर्वक विचार करता है। गौतम के इन दोनों सूत्रों का यही अभिप्राय है। इसी के अनुसार प्राचीन आचार्यगण कहते हैं—'तदनुसुसुकथा वाद' 'उभयपक्षस्थापनायती त्रिजिगीपुकथा जल्प'।

वितण्डा का लक्षण किया जाता है—'स प्रतिपक्षस्थापनाद्दोनो वितण्डा' (स = जल्प प्रतिपक्षहीन सन् वितण्डा मरति)। जल्प कथा म ही यदि प्रतिपक्षी के मत की स्थापना नहीं रहती है तो वह वितण्डा कथा होती है। तात्पर्य यह है कि वादी के मत की स्थापना होने पर प्रतिवादी केवल उसका रण्डन करता है। वादी का जो प्रतिपक्ष रहता है वह—अर्थात् वैतण्डिक का मत स्थापित ही नहीं किया जाता है। किसी के मत से वैतण्डिक का अपना सिद्धान्त ही नहीं होता है। किन्तु भाष्यकार वात्स्यायन ने सुक्तियों में सिद्ध कर दिया है कि वैतण्डिक का भी अपना सिद्धान्त होता है। अन्यथा उसकी वितण्डा कथा समझ नहीं है। किन्तु वह उसका (निजपक्ष का) उपपादन नहीं करता है।

वस्तुतः महर्षि गौतम भी इस सूत्र में प्रतिपक्ष शब्द व वाद स्थापना शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि वैतण्डिक का भी अपना सिद्धान्त होता है। किन्तु वादी के मत के रण्डन करने पर उसके मत की रचना सिद्ध हो जाएगी—इसी आशा में प्रतिवादी वैतण्डिक अपने मत की स्थापना नहीं करता है, और वादी के मत का रण्डन करता है। उद्योतसर भी कहते हैं—'अभ्युपेक्ष कथं यो न स्थापयति स वैतण्डिक उच्यते'। जल्प कथा में वादी और प्रतिवादी दोनों ही नियमपूर्वक पक्षारोप वाक्य का प्रयोग करता है किन्तु वितण्डा म प्रतिवादी अपने मत की स्थापना नहीं करता है—जल्प और वितण्डा म

यही अन्तर है। चरकसंहिता के विमानस्थान (अध्याय ८) में कहा गया है—'जपविपर्ययो वितण्डा। वितण्डा नाम परपक्षदोषवचनमानमेव'। इस वितण्डा पदार्थ को नहीं जानकर किने व्यक्ति वाकुरुद्द अथवा सत्य के अपलाप के लिए कुतर्क के प्रयोग को वितण्डा शब्द से लेते हैं और वाक् वितण्डा तथा वादवितण्डा आदि शब्दों का व्यवहार भी करते हैं। वितण्डा शब्द का प्रयोग प्रायः उचित अर्थ में अभी नहीं होता है। 'वितण्डयते=व्याहन्वते परपक्षोऽनया' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वितण्डा वह कथा है जिसमें प्रतिवादी केवल परपक्ष का खण्डन करता है।

विचार के अन्तर में क्रुद्ध होकर जो कलह करता है अथवा सर्वजनसिद्ध वस्तु का अपलाप करने के लिए कुतर्क प्रस्तुत करता है वह व्यक्ति वितण्डा कथा का भी अधिकारी नहीं है। तर्कशास्त्र के व्याख्याता और प्रचारक प्राचीन आचार्यगण इस तरह अनुचित करने के लिए उसे भी छूट नहीं देते हैं जो विचार के द्वारा केवल विजय की ही कामना करता है।

तीन प्रकार की कथाओं के अधिकारी के वर्णन के अन्तर में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति तत्त्वनिर्णय अथवा जपलाप की इच्छा रखता है और सर्वजनसिद्ध वस्तु का अपलाप नहीं करता है, सुनने में पटु है, नहरा या प्रगल्भ नहीं है, कथा करने के सभी व्यापारों में निपुण है और कलह नहीं करता है वही कथा का यथार्थ अधिकारी है। इनमें भी जो तत्त्वनिर्णय की कामना रखता है, सत्य का जान नृक्षर अपलाप नहीं करता है, महान नियम में ही सभी वाक्यों का प्रयोग करता है, अन्तर पर ही उत्तर कह सकता है, और केवल युक्ति से सिद्ध तथ्य का ही ग्रहण करता है वह यथार्थतः 'वाद' कथा का अधिकारी है।

हिन्दु प्राचीन आचार्यगण ज-२ और वितण्डा के अङ्गरूप में (१) वादि नियम (२) प्रतिवादिनियम (३) सभापति नियम और (४) मध्यस्थ तथा सदस्य नियम—इन चार को भी कह गये हैं। उद्यमे वादिनियम और प्रतिवादिनियम अर्थात् वादी और प्रतिवादी कौन हो सकता है—इसके अधिकार का निर्णय करना आवश्यक है। सभापति इसका निश्चय करके वादी और प्रतिवादी को नियुक्त करता है। उस सभा में राजा अथवा राजा के सदस्य प्रभावशाली व्यक्ति ही सभापति हो सकता है। सभापति उपयुक्त मध्यस्थ को चुनकर देता है और तब वादी तथा प्रतिवादी में विचार आरम्भ होता है। वादी और प्रतिवादी मध्यस्थ के समीप में जाकर नियमपूर्वक सभी कथाओं को (अपने वक्तव्य को) कहते हैं। अभी जल्पकथा के क्रम का विवरण संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है।

वादी पहले मध्यस्थ के प्रश्न के अनुसार प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयवरूप न्याय का प्रयोग करता है जिससे अपने मन का स्थापन होता है। पश्चात् उसने द्वारा कहे गये हेतु में दोष नहीं है—इसका प्रतिपादन किया जाता है। अर्थात् उक्त हेतु में समान्यमान सभी दोषों के निराकरण के लिए पहले हेत्वाभास का सामान्य लक्षण नहीं घटता है अतएव हेत्वाभास दोष नहीं है पश्चात् उसके विशेष विशेष लक्षणोंको घटाकर सव्यभिचार आदि दोषों का अभाव सिद्ध किया जाता है। अतएव सिद्ध करना पड़ता है कि यह हेतु प्रवृत्त साध्यधर्म का साधक है।

इस तरह से वादी के सभी वक्तव्यों के समाप्त हो जाने पर प्रतिवादी मध्यस्थ के समक्ष म ही पहले वादी के प्रधान वक्तव्य का अनुवाद करता है क्योंकि मध्यस्थ को यह जानना आवश्यक रहता है कि प्रतिवादी यदि वादी की कथा को नहीं जानता है तो प्रतिवादी के पक्ष में अनेक निग्रहस्थान की उद्घाटना भी हो सकती है। पश्चात् वादी के सिद्धान्त के खण्डन के लिए वादी के पक्ष में हेत्वाभास से भिन्न निग्रहस्थानविशेष का उल्लेख करता है। यदि यह समझ नहीं है तो यथासंभव हेत्वाभास दिखाकर वादी के हेतु में दोष का उद्घाटन करता है और अन्त में प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयवरूप न्याय के प्रयोग में अपने मन का स्थापन करता है।

प्रतिवादी का वक्तव्य समाप्त होने पर वादी तीसरा पक्ष लेकर प्रतिवादी की कथाओं का अनुवाद करता है जिसमें मध्यस्थ को यह ज्ञान हो जाता है कि वादी प्रतिवादी की कथा को जानता है। पश्चात् वह (वादी) प्रतिवादी के द्वारा कहे गये दोषों का उद्धार करता है और प्रतिवादी के पक्ष में उपयुक्त रीति में दोष दिखाकर उसका खण्डन करता है। पुनः प्रतिवादी चौथा पक्ष लेकर पूर्ववत् सभी कथों को करता है। इसी प्रणाली से विजय की इच्छा (विचारों) में प्रवृत्त वादी और प्रतिवादी का शास्त्रार्थ होता है। अन्त में जो अपने मन में कहे गये दोषों का उद्धार नहीं कर सकता है और दूसरों के मन में दोष नहीं दिखाने सकता है वह पराजित होता है। मध्यस्थ उस अथ पराजय का निर्णय करता है और इसे जालकर समापति इसकी घोषणा करता है। इस विचार का मैं वादी अथवा प्रतिवादी यदि किसी भी नियम में च्युत हो जाता है तो उचित रूप से स्वपक्ष के स्थापन करने पर भी नियमच्युत होने से तात्कालिक निग्रहस्थान को पारर निग्रहीत हो जाता है अर्थात् पराजित हो जाता है।

अभिप्राय यह है कि ज्ञान और निष्ठा के विहित नियमों को बना गया है उन नियमों का पालन अनन्य होना चाहिए। अतएव यहाँ श्राव या कण्ड की

गुञ्जाइश ही नहीं है। किन्तु निग्रह और अनुग्रह में समर्थ सर्वमान्य किसी समापति का होना और इसी तरह का पक्षपात से रहित बोद्धा मध्यस्थ का मिलना आजकल दुर्लभ है। काल के प्रमान से आजकल कोई भी व्यक्ति नियम के बन्धन में रहना पसन्द नहीं करता है। इसीसे नियमपूर्वक वादी और प्रतिवादी की विचार पद्धति छुन सी होती जा रही है। इस विषय में अधिक कहना आवश्यक भी नहीं है।

किन्तु यहाँ यह कहना आवश्यक है कि वाद कथा में समा तथा मध्यस्थ आदि का प्रयोजन नहीं है। पर्णकुटी में या पेड़ के नीचे बैठकर गुरु और शिष्य तत्व निर्णय के लिए 'वादकथा' करते हैं। मुमुक्षु व्यक्ति को भी तत्त्वनिर्णय और उसकी दृढता के लिए पहले आन्वीक्षिकी विद्या का अध्ययन, धारणा तथा निरन्तर चिन्तनरूप अभ्यास आवश्यक है। वाद में इस विद्या को जानने वाला अगूया से रहित शिष्य, गुरु, सनीर्य्य और शास्त्र में निष्णात किसी अन्य के समीप में भी वादकथा कर सक्ता है। इसी का प्राचीन नाम—'तद्विद्यसंवाद या तद्विद्यसभाषा' है। महर्षि गौतम ने भी वाद को इस शब्द से दो सूत्रों में कहा है^१। वाद-विचार में लेशमात्र भी किसी को विजय की इच्छा नहीं रहती है। अतएव इसे वीतरागकथा कहते हैं। किन्तु इसमें भी नियमपूर्वक किसी एक मन का पण्डन हो ही जाता है। अन्यथा वाद का उद्देश्य ही सिद्ध नहीं हो सकता है। शारीरकभाष्य में शङ्कराचार्य ने इसका समर्थन किया है।

उपर्युक्त तीन कथाओं में वाद ही सर्वश्रेष्ठ है^२ क्योंकि वह तत्त्वनिर्णय में सहायक और परम पवित्र भी है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—'वादः प्रवदता-महम्' (गीता-१०-३२) अर्थात् उन कथाओं में मैं वाद हूँ।

स्थान-स्थान पर मुमुक्षुओं को भी जल्प और विनण्डा करनी पड़ती है। इन कथाओं का भी तत्त्वज्ञान आवश्यक है। इसी से महर्षि गौतम सोलह पदायों में इन पदायों की भी चर्चा करते हैं। विजय की कामना से होनेवाली जल्प

१. 'ज्ञानप्रद्विद्याभ्यासस्तद्विद्यैः सह संवादः । तं शिष्यगुरुसत्रह्यत्वात्-
विशिष्टश्रेयोषिभिरनमूयिभिरभ्युपेयान् ।' न्यायदर्शन ४।२।४७-४८ ।

२. 'ननु मुमुक्षुणा मोक्षसाधनत्वेन सम्यग्दर्शननिरूपणाय स्वपदस्वपादनमेव
क्षेत्रं कर्तुं युक्तम् किं परपदानिराकरणेन परद्वेषकरेण, वादमेवं, तथापि महाजन-
परिगृहीतानि महान्ति सां-यादितन्त्राणि'—इत्यादि (शारीरकभाष्य २।२।२।)
'तत्त्वनिर्णयावसाना वीतरागकथा, न च परपदाद्रूपणमन्तरेण तत्त्वनिर्णयः शक्यः
कर्तुमिति तत्त्वनिर्णयाय वीतरागेणापि परपदो दूष्यते न तु परपदतयेति न वीत-
रागकथाः शक्यतिरित्यर्थः' ।—नामतो ।

और विना कथा में मुद्गुओं को क्यों रुचि लगनी चाहिए—इसके उत्तर में महर्षि गौतम कहते हैं—‘तत्त्वाभ्यसनायसरध्वाथं अपजित्पुंटे वीजप्रोह-
भ्यस्यगार्थं कण्टकशालास्रगन्तुं ४।२।५०।’ किसी ने अपने रेत में बीज बोया है।
अद्वार भी आ गये हैं। तब गाय महर्षि आदि में उन अशुओं को बचाने के लिए
उन्हे काट वाली टाल से मृत को घेकर उन अशुओं की रक्षा की जाती है उसी
तर्ह में मुद्गु व्यक्ति को अपने तत्त्वनिश्चय की रक्षा के लिए आनन्द्यकता होने
पर लक्ष्य और विना कथा करना चाहिए। भाष्यकार बान्वायन गौतम के
तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शास्त्रों के द्वारा पहले तर्कों के मुन लेने पर
जिसे वह तत्त्वनिश्चय दृढ़ या परिपक्व नहीं हुआ है वह व्यक्ति उसकी दृढ़ता के लिये
गुरु के उपदेश में प्रवृत्त होता है। इन लोगों के समीप में नास्तिक्य उमने विप-
रीत पत्र का समर्पण करने हैं जिसमें तत्त्वनिश्चय में हानि होती है। अतएव उक्त
तत्त्वनिश्चय की रक्षा के लिए मुद्गुओं को भी अगत्या लक्ष्य और विना कथा
का आश्रय लेना पड़ता है जिसमें नास्तिक को निरन्त्र किया जा सकता है।
किन्तु धन का लाल, समाज में आदर और ग्याति के लाल के लिए इन कथाओं
की कुछ भी उपयोगिता नहीं है। भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं—‘तदेतद् विना-
पिपायान्यार्थम्, न लालपूजाग्यात्वर्थमिति’।

तात्पर्यटीकाकार वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि जितने साहसिक नास्तिक
सद्भिः म विगति के कारण अथवा लाल, पूजा (आदर) तथा ग्याति की
कामना से आन्तिकों के ऊपर आक्रमण करते हैं और वेद, ब्राह्मण आदि का
खण्डन करते हैं जिससे समाज में और धर्मरक्षण गवाओं में मतिभिन्नम
उपस्थित होता है और प्रजातों में इससे धर्मसङ्कट की आपत्ति हो जाती है।
इससे निवृत्ति के लिए आन्तिक पण्डित समाज तन्त्र में लक्ष्य और विना
से उक्त नास्तिकों को पराजित करता है। किन्तु ये लोग भी धेर दिया तथा वैदिक
धर्म की रक्षा के लिए ही ऐसा करने हैं। धन की आशा में अथवा समाज
में प्रतिष्ठा के लिए ये कथाएँ नहीं बगई जाती हैं। गौतम के इसी सूत्र के
अनुसार तार्किकरक्षा में वरदास^१ कहते हैं कि धर्मशास्त्र में—‘न विदुष

१. ज्ञात होता है कि गौतम के इस सूत्र के अनुसार ही किसी समय में
वेदान्ती—‘इदं तु कण्टकावरणम्, तत्त्वन्तु वादरायणात्’ इस तरह की वादरायणा
करता है। किन्तु इस सूत्र से गौतम व्यादास्य को कण्टकावरण नहीं कहते हैं।
उन्होंने ‘तत्त्वन्तु वादरायणात्’ इस तरह की भी सूत्ररचना नहीं की है।

२. अथ ‘न विदुष कथां कृषन्ति’ इत्यादिभिः जल्पवित्तमद्योतिरेषु. वादू-
नीयः, नास्तिकनिराकरणार्थम् अवदन्तवर्तमान्येन तदितरविषयपरशान्तिरेषु।
तदुक्तं—‘तत्त्वाभ्यसनायसरध्वाथं कथादि’।

कथा कुर्यात्' यह निषेध वाक्य कहा जाता है अर्थात् जल्प और विनण्डा नहीं करनी चाहिए । किन्तु इस निषेध वाक्य का तात्पर्य यह है कि अनुचित उद्देश्य को लेकर विजय की इच्छा से रिष्ट आन्तियों के साथ इन कथाओं को नहीं करना चाहिए किन्तु अस्तर पर अशिष्ट एव वर्जनीय नास्तिकों के साथ उन्मे निरस्त करन क लिए जल्प और विनण्डा कथा का आश्रय लेना कोई अनुचित नहीं है । मर्यादा गौतम का भी यही अभिप्राय है । रामानुज संप्रदाय के वैष्णव दार्शनिक वेङ्कटनाथ ने न्यायपरिशिष्टि में इस कथा को स्पष्ट कहा है । इस व्यंग्य की शास्त्र सिद्ध प्रमाणित करते हुए भगवद्गीता के—'वाद प्रसदातामहम्' का उद्धरण देकर दिखाते हैं कि रामानुज सिद्धान्त भी इस व्यंग्य का समर्थन करता है^१ । यथापि म जो भी उद्देश्य हो, जिस अस्थिति हो—किन्तु देखा गया है कि अस्तर पाकर निरूपण (शुद्धचित्त) व्यक्ति भी विजय की कामना से शास्त्र विचार करता है । प्राचीन समय में राजर्षि जनक की यज्ञसभा में ब्रह्म को जानने वाले मुनि याज्ञवल्क्य ने भी विजय की इच्छा से ऊपरत्य कहोले और आर्त भाग आदि ब्राह्मणों के साथ शास्त्रविचार करके उन्हें पराजित किया था और इन लोगों ने भी याज्ञवल्क्य को पराजित करने के लिए सन्तने दुर्हत्तर प्रश्न पूछे थे । बृहदारण्यक उपनिषद् के तृतीय अध्याय के आरम्भ में ही इसका निरण दिया गया है । यद्यपि वहाँ उन प्रश्नों में तथा याज्ञवल्क्य के उत्तरों में गौतम के प्रतिपादित बन्ध तथा विनण्डा कथा के लक्षण समन्वित नहीं होते हैं तथापि जीवन्मुक्तिविशेष नामक ग्रन्थ में अद्वैतवादी निशारण्य मुनि भी उन लोगों के निशारण का समर्थन करते हैं^२ ।

जा भी हो, इस विषय में अनावश्यक जानकर अभी कुछ भी अधिक नहीं कहा जाता है । अत्र पाठकों को हेत्वाभास का परिचय दिया जाता है ।

— • —

१ 'आगमसिद्धा चेय व्यवस्था' 'वादत्रलविनण्डामि'रित्यादिबचनान् । भगवद्गीताभाष्येऽपि—इत्यादि—न्यायपरिशुद्धि (चौदश सोरिज) द्वितीय भागिह देसिये ।

२. अस्ति हि याज्ञवल्क्यस्य तत्प्रतिवादिनामुपस्यङ्गहोलादीनाञ्च भूयान् विद्या मद्, वी. सर्वेश्वरि विविगीपुत्रपाया प्रवृत्तवान्' इत्यादि—'जीवन्मुक्ति विवेक' द्वितीय प्रकरण (बम्बई मस्करण पृ० २४७) ।

सोलहवाँ अध्याय

(उत्तरार्द्ध भाग)

हेत्वाभास

अनुमान में जो प्रकृत हेतु नहीं रहता है और हेतु की तरह प्रतीत होता है उसका नाम हेत्वाभास है। इस हेत्वाभास के ज्ञान के बिना उन तीनों प्रकारों की कथा का अधिकार ही किसी को नहीं होता है। इसी से गौतम यथा क्रम इसकी चर्चा एव विभाग करते हैं—‘सत्यभिचारविरुद्ध प्रकरणसम साध्यसम कालतीता हेत्वाभासा’ १।२।४। सत्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम (सत्यतिपथ), साध्यसम (असिद्ध) और कालतीत (राधित)—इन पाँच प्रकारों के हेत्वाभास होते हैं। इस सूत्र का हेत्वाभास शब्द इसके सामान्य लक्षण की सूचना देता है क्योंकि—‘हेतुलक्षणाभासो हेतुसामान्याद्देतुत्वगभासमाना’। हेतु के सभी लक्षणों के नहीं घटने पर भी जो पदार्थ हेतु नहीं है और सादृश्य में हेतु की तरह प्रतीत होता है वही हेत्वाभास है। अनुमानस्थल में पहले यह जानना आवश्यक है कि हेतु के क्या लक्षण हैं। मन्दि गौतम हेतुशास्त्र के लक्षणसूत्र में—‘साध्य साधनम्’ पद से और पश्चात् पाँच प्रकारों के हेत्वाभास के द्वारा हेतु के सामान्य लक्षण की सूचना देते हैं। इसी में आधुनिक नैसर्गिक कहना है कि (१) पथ में हेतु की स्थिति (रहना) (२) मप १ में हेतु का रहना (३) विपथ में उगना नहीं रहना (४) असप्रतिपक्षितत्व और (५) अग्रधितत्व—इन पाँच धर्मों को हेतु के सामान्य लक्षणरूप में कहा गया है। कहीं कहीं इनमें से चार धर्मों को भी इसका लक्षण कहा गया है।

१. जिस स्थल में साध्य का रहना समभव नहीं है उस स्थल में सत्यसत्त्व को छोड़ कर अन्य चार धर्म ही और जहाँ विपथ समभव नहीं है उस स्थल में विपथासत्त्व को छोड़कर अन्य चार धर्म ही हेतु के लक्षण होते हैं—यह जानना आवश्यक है। पञ्चमूत्र ग्रन्थ में जगदीश तर्कालङ्कार ने भी इसका समर्थन किया है।

विषय अधिकरण (धर्मा) में किसी धर्म का - साध्य का अनुमान किया जाता है उसका नाम 'पक्ष' है। जहाँ इस अनुमेय धर्म की स्थिति का निश्चय रहता है वह अधिकरण 'सपक्ष' है। विषय अधिकरण में इस अनुमेय धर्म का अभाव निश्चित रहता है उसका नाम विपक्ष है। जैसे धूम से आग के अनुमान में पर्यंत पक्ष होता है, पाकशाला (महानस) सपक्ष और बज्र आदि विपक्ष। पक्ष में हेतु का रहना पक्ष सत्त्व शब्द से कहा जाता है। सपक्ष में हेतु का रहना सपक्ष सत्त्व है और विपक्ष में हेतु का नहीं रहना विपक्षान्त्व है। उपर्युक्त अनुमान में पर्यंतरूप पक्ष और पाकशालारूप सपक्ष में धूम रहना है और बज्रादि विपक्ष में वह नहीं रहता है, अतएव धूम हेतु में पक्षसत्त्व, सपक्ष सत्त्व तथा विपक्षान्त्व—ये तीन धर्म विद्यमान हैं। यहाँ उक्त हेतु का प्रतिपक्ष का अर्थान् तुल्यव्यतिरोधी किसी हेतु का ज्ञान नहीं हुआ है अतएव अतन्प्रतिपक्षितत्व धर्म भी है। पर्यंत में आग नहीं रहती है—यह प्रमाण से निश्चित नहीं है अतएव असाधितत्व धर्म भी रहता है। इसलिए धूम हेतु में हेतु ने सर्वा लक्षण उक्त पाँच धर्म की स्थितिरूप विद्यमान हैं।

महर्षि गौतम उक्त पाँच धर्मों में एक धर्म के अभाव में पाँच प्रकार के हेत्वाभास को कहते हैं। क्योंकि विपक्ष में हेतु की अस्तित्व नहीं रहने पर हेतु में विपक्षान्त्व नहीं रहने पर (१) स-समिचार नामक हेत्वाभास होता है। (२) सपक्ष में हेतु के नहीं रहने से निरुद्ध नामक हेत्वाभास रहता है। (३) असप्रतिपक्षितत्व नहीं होने से प्रकरणसम नामक हेत्वाभास होता है। (४) पक्ष में हेतु के नहीं रहने से साध्यसम नामक हेत्वाभास होता है। (५) असाधितत्व नहीं रहने से 'मालतीत' नामक हेत्वाभास होता है। किन्तु इन सभी पदार्थों में हेतु के किसी किसी धर्म के रहने में वह हेतु का सट्टा है। इसीसे हेतु की तरह प्रतीयमान होता है अतएव उपर्युक्त हेत्वाभास का लक्षण देना है। तार्किकरक्षा ग्रन्थ में वरदराज भी कहते हैं—

हेतोः केनापि रूपेण रहिताः कैश्चिदन्दिताः।

हेत्वाभासाः पञ्चधा ते गौतमेन प्रपञ्चिताः ॥

पूर्व सूत्र में कहे गये हेत्वाभासों में प्रथम प्रकार का नाम स-समिचार है। महर्षि गौतम इसका लक्षण सूत्र कहते हैं—'अनैकान्तिक स-समिचारः' ३।१।४। जो अनैकान्तिक है उसे ही स-समिचार कहते हैं। यह अनैकान्तिक तथा अनैकान्त शब्द ने भी कहा जाता है। प्राचीन समय में परस्पर विरोधी अर्थ में 'अन्त' शब्द का प्रयोग होता था। अनमान स्थल में साध्यधर्म और उसका अभाव परस्पर निरुद्ध दो 'अन्त' होने हैं। 'कस्मिन् अन्ते तिष्ठते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'एकान्तिक'

शब्द का अर्थ होता है किसी एक अन्त में नियत रहने वाला और दूसरा विपरीत अर्थात् जो हेतु किसी एक पक्ष में नियतरूप में नहीं है वह अनैतिक होता है। भाष्यकार की इस व्याख्या के अनुसार फलितार्थ यह होता है कि अनुमान-स्थल में जो हेतु सपन्न म तथा विपन्न म रहता है वही सत्यमिचार नामक हेतुभास है। इस हेतु में विपन्नस्वरूप हेतु का लक्षण नहीं घटता है। अतएव साध्यधर्म के व्यभिचारी होने में यह व्यातिशून्य हेतु है। जैसे वादी कहता है—'शब्दो नित्य, स्वर्गशून्यत्वादात्मकत्'। इस स्थल में आत्मा आदि अनेक नित्य पदार्थों की तरह रूप आदि अनेक अनित्य पदार्थ में भी स्वर्ग-शून्यत्व रहता है अतएव यह हेतु नित्यत्व का व्यभिचारी होता है। इसी का नाम सत्यमिचार है। इस हेतु में हेतु का विपन्न सत्त्व अर्थात् साध्य के निश्चित अनधिकरण म हेतु की नियमानता है जो दोष है या व्यभिचार कहिए। व्यभिचार के निश्चय से व्याप्ति का निश्चय सभ्य ही नहीं है अतएव इस हेतु से अनुमिति नहीं होती है। वाद म महर्षि गौतम भी—'व्यभिचारादहेतुः'— (४।१।५) इस सूत्र म व्यक्त करते हैं साध्यधर्म के व्यभिचार विशिष्ट होने में हेतु व्याप्ति विशिष्ट नहीं होता है अतएव यह प्रकृत हेतु नहीं है। इस सूत्र में ज्ञान होता है कि साध्य धर्म के व्यभिचार का अभाव ही व्याप्ति का स्वरूप है यह अनुमान का अङ्ग होता है। यद्यपि व्याप्ति के अन्य लक्षण भी हैं।

मार्किण्डेय रथाकार वरदराज तथा अन्य नैयायिकों ने भी इस सत्यमिचार के साधारण और असाधारण नामक दो प्रकारों को कहा है। जो हेतु पन्न, सपन्न तथा विपन्न तीनों म रहता है वह 'साधारण' सत्यमिचार है। 'शब्दो नित्य स्वर्गशून्यत्वात्' 'परमो धूमवान् बहे.' आदि इसके उदाहरण होते हैं।

१. वाद में 'तत्त्वकिन्तामणिहार' गङ्गेश उपाध्याय ने सत्यमिचार के तीसरे प्रकार को भी कहा है जो 'अनुरसंहारी' है। क्रमशः इन तीनों प्रकारों के सत्यमिचार की विभिन्न व्याख्याएँ हुईं। गङ्गेश आदि के मत में 'सर्व' प्रमेयम्' इस तरह सभी पदार्थों में प्रमेयत्व धर्म के अनुमान में जो हेतु होगा वह अनुर-संहारी सत्यमिचार होता है क्योंकि इस अनुमान में सभी पदार्थ पक्ष ही हो जाते हैं सपन्न या विपन्नरूप दृष्टान्त के अभाव में उस हेतु के साथ प्रमेयत्वरूप साध्य धर्म की व्याप्ति का निश्चय नहीं होता है। सारांश यह है कि सभी पदार्थों को किसी अनुमान के पक्ष मान लेने पर इन मत में वहाँ जो भी हेतु होगा वह 'अनुरसंहारी' होगा। अनेक नवीन नैयायिकों के मत में सभी पदार्थों में विद्यमान साध्यत्व तथा प्रमेयत्व आदि नेवलाग्ययो धर्म हैं उनके साध्यधर्मरूप में अथवा हेतुरूप में गृहीत होने पर उन स्थल का हेतु अनुरसंहारी होता है।

जो हेतु सपञ्च तथा विपञ्च में नहीं रहता है केवल पञ्च में ही रहता है वही सत्यभिचार का दूसरा भेद असाधारण है। जैसे 'शब्दो नित्यः शब्दत्वान्' इस अनुमान में शब्द म नित्यत्व सिद्ध करने के लिए शब्दमात्र के असाधारण धर्म शब्दत्व के हेतुरूप म लिया गया है। अतएव यह असाधारण सत्यभिचार है। क्योंकि जपनक शब्द म नित्यत्व या अनित्यत्व का निश्चय नहीं हुआ है तब तक शब्द न सपञ्च हा सकता है न विपञ्च ही। और सपञ्च या विपञ्च रूप किसी दृष्टान्त के समत नहीं होन पर उक्त स्थल में शब्दत्वरूप हेतु के साथ नित्यत्व का व्याप्तिनिश्चय ही नहीं होता है। किन्तु शब्द म शब्दत्वरूप असाधारण धर्म न ज्ञान से—'शब्दो नित्यो न वा' यह सशय होता है। अतएव यह हेतु प्रकृत हेतु नहीं है, अपितु असाधारण नामक सत्यभिचार का दूसरा भेद है। इस मत म उपर्युक्त सूत्र में अनेकानिक्त शब्द का वही अर्थ ज्ञात होता है। किन्तु भाष्यकार इस तरह की व्याख्या नहीं करते हैं।

द्वितीय हेत्वामास का नाम विच्छेद है। गौतम इसका लक्षण सूत्र करते हैं—'सिद्धान्तमभ्युपेय तद्विरोधी विच्छेद' १।२।६। किसी सिद्धान्त की मानकर उगने विरोधी पदार्थ को हेतुरूप म ग्रहण करने पर वह विच्छेद नामक हेत्वामास होता है। अभिप्राय यह है कि जो हेतु साध्यधर्म का व्यापक है अर्थात् उसके अभाव का साधक है वही विच्छेद शब्द मे कहा जाता है। जैसे वादी पढ़ते—'शब्दो नित्यः' कहकर अर्थात् शब्द में नित्यत्व सिद्धान्त की मानकर पश्चात् ध्रम मे या किसी अन्य कारण से—'उत्पत्तिमत्त्वान्' इस हेतुगक्य को कहता है। यहाँ 'उत्पत्तिमत्त्व' हेतु विच्छेद हेत्वामास है क्योंकि जिन पदार्थों में 'उत्पत्तिमत्त्व' धर्म है वे सभी अनित्य पदार्थ हैं। अतएव अनित्यत्व के साथ ही उत्पत्तिमत्त्व की व्याप्ति है। उद अनित्यत्व का ही साधक है और नित्यत्व का विरोधी है। यह 'उत्पत्तिमत्त्व' हेतु नित्यत्वरूप साध्य धर्म के अभाव का (अनित्यत्व का) साधक है अतएव नित्यत्व का साधक नहीं हो सकता है। इन स्थल में नित्यत्वविशिष्ट आत्मा आदि पदार्थों म अर्थात् सपञ्च में उत्पत्तिमत्त्व धर्म नहीं रहता है। हेतु में सपञ्चस्वरूप हेतु का लक्षण नहीं घटता है। अतएव यह विच्छेद हेत्वामास होता है। तार्किकभाष्यकार बदराव करते हैं—'विच्छेदः स्यात् वर्तमानो हेतुः पञ्चनिवृत्तयो'। अर्थात् केवल पञ्च तथा विपञ्च में वर्तमान हेतु विच्छेद होता है। इन मत में हेतु में पञ्चत्व नहीं है अतएव विच्छेद नामक हेत्वामास होता है।

'प्रकरात्म' हेत्वामास क तीसरा भेद है। गौतम इसका लक्षण सूत्र करते हैं—'यस्मात् प्रकराचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरात्म' १।२।७।

जिसे प्रकरण के विषय में चिन्ता होती है अर्थात् किसी पक्ष का निर्णय नहीं होकर सहाय के विषय रूप पक्ष और प्रतिपक्ष के विषय में जिज्ञासा होती है, यह निर्णय के लिए कहा गया अर्थात् हेतु रूप में कथित होने से 'प्रकरणसम' नामक हेत्यामास होता है। इस प्रकरण शब्द का अर्थ है वादी और प्रतिवादी के पक्ष तथा प्रतिपक्ष रूप दो धर्म। इन धर्मों के विषय में मध्यम्य की जिज्ञासा ही 'प्रकरणचिन्ता' है।

जैसे वादी नैयायिक कहता है—'शत्रोऽनित्य नित्यधर्मानुपपद्ये' शब्द अनित्य है क्योंकि इसमें नित्य धर्म की उपपत्ति नहीं होती है। अर्थात् नियम पदार्थ के किसी धर्म की उपपत्ति नहीं होती है। पश्चात् प्रतिवादी भीमासक कहता है—'शत्रो नित्य अनित्यधर्मानुपपद्ये' शब्द नित्य है, इसमें अनित्य पदार्थ के किसी धर्म की उपपत्ति नहीं होती है। यहाँ शब्द में अनित्यत्व तथा नियम पक्ष तथा प्रतिपक्षरूप दो प्रकरण हैं। किन्तु वादी या प्रतिवादी इस स्थल में किसी के हेतु में दोष नहीं दिखाता है अपरन्तु मध्यम्य उन दोनों हेतुओं में उपाय का निश्चय नहीं कर पाता है और वे दोनों ही हेतु तुल्यरूप में हैं। अनिश्चित उपायत्व ही यहाँ दो हेतुओं में तुल्यरूप है। इस स्थल में किसी हेतु में किसी पक्ष का अनुमितिरूप निर्णय नहीं होने से मध्यम्य को शत्रु में नित्यत्व और अनित्यत्व के मगन की निवृत्ति नहीं होती है। वाद में इस विषय में जिज्ञासा होती है। उपर्युक्त ये दोनों हेतु ही इस जिज्ञासा के प्रसोजक हैं अपरन्तु वे दोनों ही हेतु प्रमाणसम नामक हेत्यामास हैं। यही 'प्रकरणसम' आज का 'सत्प्रतिपक्ष' शब्द से प्रसिद्ध है। दीवितिकार सुनाथ गिरामणि व्याख्या करने हैं—'सत् प्रतिपक्षो विरोधि परामर्शो यस्य स तथा'। जयन्तमठ के मत में उन दोनों हेतु 'विन्द्यायमिचारी' नाम से कहे जाते हैं।

१ जयन्त मठ के मत में इन प्रकरणसम हेतुओं के प्रयोग में मध्यम्य को इन दो प्रकरणों के विषय में मानस सहाय छत्र चिन्ता होती है। वाद में रत्न-कोषकार पृथक्पृथक् आचार्य इस स्थल में सहायसम अनुमिति ही मानते हैं। (प्रथम संस्करण में जयन्तमठ के मतानुसार व्याख्या लिखी गई है। किन्तु भाष्यकार मध्यमिचार से इसमें भेद दिखाने के लिए सूत्रोक्त—'प्रकरणचिन्ता' पद को व्याख्या करने हैं कि प्रकरण के विषय में जिज्ञासा। उदयनाचार्य आदि नैयायिकगण भी समर्थन करते हैं कि सत्प्रतिपक्षरूप का हेतुवा के प्रयोग में वाद में साध्य धर्म और उस के अभाव के विषय में मध्यम्यगण को सहाय नहीं होता है। किन्तु किसी पक्ष के निर्णय नहीं होने पर इस विषय में जिज्ञासा नहीं होती है। इस विषय में बहुत सूत्र विचार किए गये हैं और मगभेद भी है—

'साध्यसम' हेत्वाभास का चौथा प्रकार है। गौतम इसका लक्षण कहते हैं—'साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः' १।१।८। साध्यता के कारण जो पदार्थ साध्यधर्म का सदृश रहता है वह 'साध्यसम' नामक हेत्वाभास है। अभिप्राय यह है कि सिद्ध पदार्थ ही अनुमान का हेतु हो सकता है। किन्तु वादी और प्रतिवादी के साध्य धर्म जैसे अनुमान से पहले असिद्ध होने के कारण साध्य होता है उसी तरह से उसके हेतु पदार्थ भी पहले असिद्ध होने के कारण साध्य के समान होता है। इस पदार्थ में पक्षमत्वरूप हेतु का लक्षण नहीं रहता है इसी से यह प्रकृत हेतु नहीं होकर हेत्वाभास होता है। पक्षमत्वरूप हेतुलक्षण के अभाव में 'साध्यसम' नामक हेत्वाभास होता है। यही साध्यसम वाद में 'असिद्ध' शब्द से प्रसिद्ध हुआ है। विभिन्न ग्रन्थों में इसकी विभिन्न व्याख्याएँ तथा अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। भाष्यकार वाल्म्यायन ने—'द्रव्य छाया गतिमत्त्वात्' इस अनुमानमें 'गतिमत्त्व' हेतु को साध्यसम के उदाहरण रूप में कहा है क्योंकि छाया में गतिक्रिया है अर्थात् मनुष्य की तरह छाया भी चलती है—इसे प्रतिवादी (नैयायिक) नहीं मानता है। नैयायिक के मत में मनुष्यों के द्वारा किया गया आलोक का अभाव ही 'छाया' है। वह कोई विलक्षण पदार्थ नहीं है। उसमें गतिक्रिया नहीं रहती है। किन्तु कितने स्थानों में उसका भ्रम होता है। इसी से प्रतिवादी के मत में छाया में गतिमत्त्व हेतु के असिद्ध होने से वह हेतु प्रकृत हेतु नहीं होकर 'साध्यसम' हेत्वाभास होता है।

न्यायार्थिककार उद्योतकर इस साध्यसम या असिद्ध के तीन भेद मानते हैं—स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध और अन्यथासिद्ध। उपर्युक्त उदाहरण ही तीनों भेदों के होते हैं। जैसे छाया में गतिक्रिया स्वरूपतः असिद्ध है अतएव वह 'स्वरूपासिद्ध' का उदाहरण हुआ। वादी भीमासक यदि कहे कि छाया जो एक स्थान में दृश्य होती है वही अन्यत्र भी दीखती है—यह स्थानान्तरण उस पदार्थ की गतिक्रिया के बिना संभव नहीं है—इस तरह से व्याख्या करने पर वादी हेतु आश्रयासिद्ध हुआ क्योंकि छाया में जत्रतत्र द्रव्यत्व सिद्ध नहीं हुआ है तत्रत्र अन्यद्रव्य की तरह स्थानान्तर में दर्शनरूप हेतु भी सिद्ध नहीं है। अतएव छाया में द्रव्यत्व के सिद्ध नहीं होने से उसी को आश्रय कर के कहा गया स्थानान्तर में दर्शनरूप हेतु 'आश्रयासिद्ध' हुआ। किन्तु आलोक विशेष के अभाव को छाया मानने पर भी स्थानान्तर में उसका दर्शन हो सकता है क्योंकि प्रतिवादी के मत में अभाव पदार्थ का भी चानुप प्रत्यक्ष होता है। किन्तु इन सभी विषयों की व्याख्या तथा आलोचना के लिए न्यायदर्शन (द्वि. सं.) प्रथमखण्ड के ३५०-५३ पृष्ठों को देखिए।

अन्य दार्शनिकों के मत में छाया यदि द्रव्य पदार्थ नहीं है तो भी स्थानान्तर में उसका दर्शन हो सकता है। अतएव यह हेतु 'अन्यथासिद्ध' हुआ।

महर्षि गौतम ने भी यद्यपि असिद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया है किन्तु सूत्रों के 'साध्याप्रतिशय' शब्द से सूचित किया है कि जो हेतु केवल प्रतिवादी के मत में असिद्ध है वह भी साध्यसम है। वैशेषिक दर्शन के प्राचीन आचार्य प्रकाशदेव भी इस असिद्ध को 'अन्यतरासिद्ध' नाम से और जो हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों के मत में असिद्ध रहता है उसको 'उभयासिद्ध' नाम से कहते हैं। जैसे—'शब्दोऽनित्य, चाधुपन्वात्' इस प्रयोग में चाधुपत्त्वं हेतु 'उभयासिद्ध' है क्योंकि वादी और प्रतिवादी दोनों के मत में शब्द में चाधुपत्वं असिद्ध है। इस तरह से जो हेतु अनुमान के धर्मों (पक्ष) के एक अंश में असिद्ध रहता है उसे 'एकदेशासिद्ध' अथवा 'भागासिद्ध' कहते हैं। जो हेतु अनुमान के धर्मों (पक्ष) में है या नहीं इसका सन्देह है उसे सन्दिग्धासिद्ध कहते हैं। किसी त्रिनिष्ठ हेतु के विशेषण या विशेष्य के असिद्ध होने से क्रमशः विशेषणासिद्ध और विशेष्यासिद्ध हेतुत्वहीन होता है। इन सभी असिद्धों का अन्तर्भाव स्वरूपासिद्ध में होता है।

तत्त्वचिन्नामगिनार गङ्गेश उपाध्याय हेतु की असिद्धि को (१) आध्यासिद्धि, (२) स्वरूपासिद्धि और (३) व्याप्यत्वासिद्धि—इन तीन प्रकारों को कहते हैं। हेतु की व्यर्थ विशेषणता व्याप्यत्वासिद्धि है। किन्तु अनुयाय विशेषण इसको हेतु के दोषरूप में नहीं मानते। इनके मत में साध्य धर्म या हेतु के विशेषण के असिद्ध होने से उस स्थल में व्याप्तिनिश्चय नहीं होने से हेतु का दोष व्याप्यत्वासिद्धि होता है। 'तर्कभाषा' में केशव मिश्र कहते हैं कि व्याप्यत्वासिद्धि दो प्रकार के होने हैं (१) हेतु में व्याप्तिनिश्चय अभाव में और (२) उपाधि से युक्त हेतु के रहने पर। तर्कसंग्रह में अन्न भट्ट भी उपाधिप्रतिशय हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहते हैं।

किसी नैयायिक के मत में सिद्ध साधन और अप्रयोजक ये दो अधिष्ठ हेतुत्वमान माने गए हैं। भास्कराचार्य 'न्यायसार' में 'अनप्यवसित' नामक छटा हेतुत्वभाव भी मानते हैं। किन्तु आचार्य उदयन न्यायसुमुभाष्ये (२।३) में कहते हैं कि हेतुत्वभाव के पाँच प्रकारों से भिन्न और किसी हेतुत्वभाव को गौतम का सम्मत नहीं कहा जा सकता। अन्यथा उनके हेतुत्वभाव के विभाजन सूत्र की व्यर्थता हो जाएगी। उस हेतुत्वभाव के विभाजन सूत्र में ज्ञात होता है कि सभी हेतुत्वभावों का इन पाँच प्रकारों में ही अन्तर्भाव होता है। इसी में उदयनाचार्य साध्यसम या असिद्ध की व्याख्या में कहते हैं—असिद्धि के कारण जो हेतुत्वभाव

होता है उसी का नाम असिद्ध है। सिद्धि के अभाव को असिद्ध कहते हैं। साध्यधर्म के साथ व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता का निश्चय अर्थात् अनुमिति का चरम कारण सिद्ध परामर्श सिद्धि पद का अर्थ है। इस असिद्धि के तीन प्रकार हैं (१) अन्यथासिद्धि (२) आश्रयासिद्धि (३) और स्वरूपासिद्धि। पुनः आश्रयासिद्धि के दो प्रकार हैं—अनुमान का आश्रय अर्थात् पक्ष की स्वरूपतः असिद्धि। जैसे—‘आकाशकुसुम गन्धवत् पुष्पयात्’ इस प्रयोग में पक्ष=आकाश कुसुम असिद्ध है या अशक्य है। अतएव यह हेतु आश्रयासिद्धि के प्रथम प्रकार का उदाहरण होता है। इसका दूसरा प्रकार यह है—कोई यदि किसी पदार्थ में सर्वसम्मत सिद्ध पदार्थ के अनुमान के लिए किसी हेतु का प्रयोग करता है तो वह हेतु आश्रयासिद्धि का दूसरा प्रकार अर्थात् हेत्वाभास होता है। इस स्थिति में धर्मिरूप पक्ष में पक्षता (विशेषण) के नहीं रहने में वह पक्ष ही नहीं हो सकता है। प्राचीनों के मत में साध्यधर्म की सशय-योग्यता ही ‘पक्षता’ पदार्थ है। किन्तु सिद्ध या निश्चित पदार्थ में सशय नहीं होता है। स्वार्थानुमान के स्थल में स्पष्टता से सशय (आहार्य सशय) हो भी सकता है किन्तु परार्थानुमान में सशय का होना समभव नहीं है। अतएव ‘सिद्धसाधन’ स्थल में आश्रयासिद्ध हेत्वाभास ही होता है। सिद्धसाधन को पृथक् हेत्वाभास नहीं माना गया है।

इस मत में साध्यधर्म की व्याप्ति से युक्त पक्षधर्म रूप जो हेतु वह साध्य धर्म के सहस्य है अर्थात् असिद्ध है अतएव यह भी साध्यसम नामक हेत्वाभास है यह गौतम का तात्पर्य है। हेतु पदार्थ में साध्य धर्म की व्याप्ति के असिद्ध होने से अथवा अनुमान के आश्रय पक्ष के असिद्ध होने से अथवा उस पक्ष में उक्त हेतु के स्वरूपतः असिद्ध होने से ‘व्याप्तिविशिष्ट पक्ष धर्म’ असिद्ध हो जाता है अतएव इन सभी स्थलों में साध्यसम नामक हेत्वाभास होता है। इनमें जहाँ हेतु पदार्थ में साध्यधर्म की व्याप्ति असिद्ध है उस स्थल का हेतु उदयानाचार्य के मत में अन्यथा सिद्ध होता है। प्रकारा टीकाकार वर्तमान उपाध्याय उदयन की अन्यथासिद्धि की व्याख्या करते हैं—‘अन्यथासिद्धि सोपाधिन्वम्’। जिस हेतु में उपाधि रहती है वह अन्यथासिद्ध हेत्वाभास होता है।

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि उपाधि किसे कहते हैं? अनुमान के स्थल में जो पदार्थ साध्यधर्म का व्यापक है तथा व्याप्य है और हेतु का अन्वयक है वह उदयन के मत में मुख्य उपाधि है। जो पदार्थ साध्यधर्म का व्याप्य नहीं होकर केवल व्यापक है और हेतु का अन्वयक है वह भी उपाधि होता है। जैसे पर्यन्त में धूम का अनुमान करते हुए वहि को हेतुरूप में लेने पर (‘पर्यन्तो धूमवान् बद्धेः’) आर्द्र इन्दन (गीला जलान) उपाधि होता है क्योंकि

आर्द्र इन्धन (गीला जगवन) के साथ वहि के संयोग के बिना धूम नहीं होता है । जिस जिस स्थान में धूम रहता है उस उस स्थान में आर्द्र इन्धन रहता है अतएव इस स्थान में आर्द्र इन्धन साध्य धर्म धूम का व्यापक होता है और अवोगोकर (तपाया गया लोहा) में आग के रहने पर भी वहाँ आर्द्र इन्धन नहीं रहता है अतएव वह हेतु का अव्यापक भी होता है । उक्त लक्षण के अनुसार इस स्थान में आर्द्र इन्धन के उपाधि होने से वहि हेतु सांपाधिक होता है । यह उपाधि दो प्रकार की होती है—सन्दिग्ध उपाधि और निश्चित उपाधि । जिस पदार्थ के साध्य धर्म की व्यापकता में अथवा हेतु की अव्यापकता में अथवा इन दोनों में ही सन्देह है वह सन्दिग्ध उपाधि है । सन्दिग्ध उपाधि के स्थान में हेतु में साध्यधर्म के व्यभिचार का सन्देह होने से उस हेतु से अनुमिति नहीं होती है । निश्चित उपाधि के स्थान में उस उपाधि पदार्थ के व्यभिचारिण्य हेतु में हेतु पदार्थ में उस साध्यधर्म के व्यभिचार की अनुमिति जाती है किन्तु व्यभिचार निश्चयरूप प्रतिबन्धन के विद्यमान रहने से व्याप्ति निश्चय नभय नहीं है अतएव अनुमिति नहीं होती है ।

जैसे उक्त स्थान में आर्द्र इन्धन में रहित तपाये हुये लोहपिण्ड में वहि रहता है, वहि आर्द्र इन्धन का व्यभिचारी है अतएव धूम का भी व्यभिचारी है । क्योंकि जो व्यापक पदार्थ का व्यभिचारी होता है वह उसके व्याप्य पदार्थ का भी व्यभिचारी होता है । उपर्युक्त स्थान में 'वहिर्धूम व्यभिचारी आर्द्रइन्धन व्यभिचारिण्यत्' इस अनुमान से वहि के साथ धूम का व्यभिचार निश्चय उत्पन्न होता है । इस तरह से किन्ते स्थानों में उपाधिपदार्थ के अभाव रूप हेतु से अनुमान के आशय (पर) में साध्य धर्म के अभाव का निश्चय होता है जो उस अनुमिति का प्रतिबन्धन होता है । अनुमानस्थान में यह उपाधि अनेक प्रकारों से हेतु का रूप होती है । किन्तु यह उपाधि हेत्वाभास नहीं है क्योंकि यह हेतुरूप में नहीं प्रयुक्त होती है । इसमें हेत्वाभास का लक्षण ही नहीं पड़ता है । न्यायशास्त्र के अनुमानकाण्ड में इस उपाधि के लक्षण एवं प्रकारभेद आदि की लेख्य उक्त विचार किये गए हैं जो टुर्जोष्य हैं । संक्षेप में इन विचारों को कहना असंभव है ।

नूत बात यह है कि उदयनाचार्य के मत में सांपाधिक=उपाधि से युक्त हेतु का अन्वयसाक्षिण्य तथा अप्रयोजक कहते हैं । यह गौतम के 'साध्यसम' हेत्वाभास का प्रकार विशेष है । उदयनाचार्य कहते हैं कि जिस स्थान में हेतु पदार्थ में

१. उपाधि के लक्षण एवं उदाहरण आदि विचार के लिए बंगला न्याय-दर्शन का द्वितीय खण्ड देखिए ।

साध्यधर्म के व्यभिचार सक्षम के निर्वाक अनुकूल तर्क नहीं रहता है उस स्थल के हेतु को अप्रयोजक कहते हैं वह सन्दिग्ध उपाधि और निश्चित उपाधि में भेद में दो प्रकार का होता है। यह उपर्युक्त असिद्ध का ही प्रकार विशेष है अतएव उसीके अन्तर्गत है पृथक् हेत्वाभास नहीं जो हेतु अनुमान के आशय में स्वरूपतः असिद्ध रहता है वह 'स्वरूपसिद्ध' है। इसका उदाहरण तथा भेद आदि पहले ही कहा गया है।

हेत्वाभास का पाँचवाँ प्रकार 'कालातीत' है। महर्षि गौतम इसका लक्षण कहते हैं—'कालात्ययापदिष्टः कालातीतः' १।२।६। जो हेतु अनुमान का काल बीत जाने पर प्रयुक्त होता है वह 'कालातीत' हेत्वाभास है। तात्पर्य यह है कि जबतक अनुमान के धर्मा (फल) में साध्यधर्म के अभाव का निश्चय नहीं हुआ है तब तक उस धर्मा में उस साध्यधर्म की अनुमिति हो सकती है। किन्तु पहले किसी ब्रह्मशाली प्रमाण से उस साध्यधर्म के अभाव का निश्चय होने पर उस धर्मा में उस धर्म की अनुमिति का समय नहीं रहता है अतएव अनुमान का काल बीत जाने पर जो हेतु प्रयुक्त होता है उसीको 'कालातीत' नामक हेत्वाभास कहते हैं। सारा यह है कि ब्रह्मवान् प्रमाण से बाधित हेतु कालातीत होना है। यही पश्चात् 'बाधित' तथा 'बाधितसाध्यक' शब्द से कहा जाता आ रहा है। तार्किकरक्षा में वरदराज भी कहते हैं—'कालातीतो ब्रह्मना प्रमाणेन प्रबाधितः' ।

जैसे—'बहिरनुष्णः' इस तरह से वहि में अनुष्णत्व के अनुमान के लिए जिम हेतु का प्रयोग किया जाएगा वही 'कालातीत' या 'बाधित' हेत्वाभास होता है। क्योंकि वहि में अनुष्णत्वरूप साध्यधर्म का अभाव (उष्णत्व) पहले से ही प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इसी तरह याग स्वर्ग का साधन है—यह पहले से ही ब्रह्मशाली प्रमाण वेद से सिद्ध है। अतएव 'यागो न स्वर्गसाधनम्' अर्थात् याग में स्वर्गसाधनत्व के अभाव के अनुमान के लिए जिस हेतु का प्रयोग होगा वह 'कालातीत' हेत्वाभास होगा। उपर्युक्त स्थल में हेतु में व्यभिचार आदि दोष रहने पर भी 'बाध' दोष होता है। केवल बाध से युक्त बाधित हेत्वाभास का भी उदाहरण है। अतएव पाँचवाँ हेत्वाभास मानना आवश्यक है। वैशेषिक मठाय इसे नहीं मानता है और ऐसी स्थिति में 'प्रतिज्ञाभास' कहता है। इस मठप्रदाय के मत में 'बहिरनुष्णः' यह प्रयोग प्रत्यक्ष निरुद्ध प्रतिज्ञाभास है। बौद्धाचार्य त्रिहृणाग प्रतिज्ञाभास के द्रुत प्रकारों को कहे हैं। किन्तु महर्षि गौतम के मत में इस स्थिति में हेत्वाभास ही माना गया है। इसी से वे प्रतिज्ञाभास आदि को नहीं कहते हैं। जयन्त मठ भी विचार करके इसी मत का (गौतम मत का) समर्थन करते हैं।

हेत्वाभास के प्रकार भेद के विषय में भतभेद

वैशेषिक मप्रदाय के प्रसिद्ध मत में हेत्वाभास के तीन प्रकार हैं। क्योंकि अनुमान के हेतु का लक्षण उपर्युक्त पाँच नहीं हैं अपितु तीन ही हैं—पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व। इन लक्षणों में से किसी एक या दो धर्म के अभाव में वह हेतु प्रकृत हेतु (सद्धेतु) नहीं होकर अलिङ्ग अर्थात् हेत्वाभास होता है। इसी से कहा गया है—‘विपरीत मतो वत्स्यादेकेन द्वितीयेन वा। विद्वद्भासिद्धसन्दिग्धमलिङ्ग काश्यपोऽब्रवीत्’। काश्यप मुनि के पुत्र कणाद मुनि का नाम ‘काश्यप’ है। इनका अभिप्राय यह है कि ‘सत्यतिपक्ष’=तुल्यत्व निर्गोपी दो हेतुओं के प्रयोगस्यल में मध्यस्थ किसी पक्ष का निर्णयरूप अनुमिति नहीं होने से उन दोनों हेतुओं को अहेतु नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि मध्यस्थ उक्त हेतुओं के दोष को नहीं जानता रहता है। इस तरह से कितने स्थलों में मन्थाली प्रमाण से साध्यधर्म के अभाव निश्चय रूप प्रतिबन्धक के कारण अनुमिति नहीं होने से उन स्थलों के हेतु में बाध नामक दोष नहीं लगता है न उसे मानना आवश्यक है। अतएव असत्यनिपक्षितत्व और असाधितत्व हेतु के लक्षण नहीं हैं किन्तु पक्षसत्त्व आदि तीन धर्म ही उसके लक्षण हैं।

श्रीरुद्र नैयायिक दिव्नाग भी कहते हैं—‘त्रिरूपालिङ्गाद् यदनुमेने ज्ञान तदनुमानम्’। न्यायविन्दु में श्रीरुद्र आचार्य धर्मकीर्ति स्पष्ट कहते हैं—‘अभिद्ध विद्वद्भासैकान्तिमान्त्रयो हेत्वाभास’। प्राचीन आलङ्कारिक भामह भी ‘काव्या लङ्कार’ में कहते हैं—‘हेतुखिलक्षणो ज्ञेयो हेत्वाभासो विपर्ययात्’। इस आलङ्कार

१. महर्षि कणाद वैशेषिकदर्शन में अनुमान के हेतु को प्रपदेश कहते हैं और पश्चात् सूत्र कहते हैं—अप्रसिद्धोऽसन् सन्दिग्धश्चानपदेशः ३।१।१। अनपदेश (अहेतु या हेत्वाभास) तीन प्रकार के होते हैं—अप्रसिद्ध (विद्वद्) असन् (असिद्ध), और सन्दिग्ध (संश्लेषित)। किन्तु ज्योतिषिवाचार्य कणाद के उक्त सूत्र में प्रयुक्त ‘च’ शब्द से कणाद के अनुसृत प्रकरण सम और कान्तातीत इन दो हेत्वाभासों को भी स्वमन्मत कहते हैं। ‘उत्तरार्ध’ में शङ्कर मिथ्य वृत्तिकार के मत के रूप में ज्योतिषिवाचार्य के मत का ही उल्लेख करते हैं। किन्तु शङ्कर मिथ्य इस मत को नहीं मानते हैं। यथार्थ में प्रशस्ततरु के द्वितीय श्लोक का परार्द्ध अंश स्पष्ट प्रतिपादित करता है कि तीन प्रकार के ही हेत्वाभास होते हैं—‘विद्वद्भासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गन् काश्यपोऽब्रवीत्’। ज्योतिषिवाचार्य अपने मत की रक्षा के लिए अज्ञात तया कष्ट कहना करके इन कारिका आदि को जो रक्षा करते हैं उसके लिए देखिए ‘ज्योतिषतो वृत्ति’ श्रीरुद्र संस्कृत सोरीज ५६५-६७ पृ० ।

रिक के मत में भी पञ्चसत्य आदि तीन धर्म ही हेतु के लक्षण हैं। और प्रत्येक धर्म के अभाव में हेत्वाभास माना है। श्वेताम्बर जैन संप्रदाय—‘अभिद्ध, विद्ध और अनैकान्तिक— इन तीन हेत्वाभासों को कहते हैं’। दिगम्बर जैन संप्रदाय हेत्वाभास का और एक प्रकार—‘अविच्छिन्नकर’ मानता है। इस मत में हेत्वाभास के चार प्रकार होते हैं।

मीमांसाचार्य गुरु प्रभाकर भी गौतम के प्रकरणसम और कालातीत को नहीं मानते हैं। इस मत में दो तुल्यत्व विरोधी हेतु संभव ही नहीं हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में साध्यधर्म के विषय में कदापि सशय की निवृत्ति नहीं हो सकती है। अतएव सप्रतिपक्ष नामक किसी हेत्वाभास का उदाहरण भी संभव नहीं है, वह नहीं मानना चाहिए।

महर्षि कुमारिल के सिद्धान्त प्रतिपादक पार्यवाराय मिश्र ‘शास्त्रदीपिका’ के तर्क पाद में प्रभाकर की युक्तियों का खण्डन करके ‘सत्यप्रतिपक्ष’ हेत्वाभास का समर्थन करते हैं। किन्तु इस मत में वह अनैकान्तिक का ही प्रकार विशेष है। ये कहते हैं कि किसी स्थल में सप्रतिपक्ष दो हेतु असंभव नहीं हैं। क्योंकि दो हेतुओं में किसी एक हेतु का दुर्बलत्व निश्चय नहीं होने से उन दोनों हेतुओं को तुल्यत्व कहा जाता है। अनिश्चिन प्रमाणत्व ही दोनों हेतुओं का तुल्यत्व होता है। किसी हेतु के दुर्बलत्व का निश्चय होने पर उन दो हेतुओं में सत्यप्रतिपक्षत्वदोष नहीं होता है। इस स्थिति में दोष से रहित प्रमाण हेतु स ही अनुमिति प्राप्त है। प्राचीन नैयायिक भी उक्त रूप दो हेतुओं के सप्रतिपक्षत्व दोष को अनित्य दाप अथवा सामयिक दोष कहते हैं।

गौतम के मत में ‘प्रकरणसम’ या ‘सप्रतिपक्ष’ हेत्वाभास अनैकान्तिक से भिन्न है। क्योंकि सत्यप्रतिपक्ष से युक्त दो हेतुओं के प्रयोग में वादी और प्रतिवादी के साध्यधर्म के विषय में मध्यम्य को पश्चात् सशय नहीं होता है। किन्तु मन्वेह का निरास नहीं होने से उस विषय का जिज्ञासा होती है। भाष्यकार यही कह कर सप्रतिपक्ष से प्रकरण सम में भेद दिवाते हैं। अन्य मत में सप्रतिपक्ष स्थल में मध्यम्य गण के अभाव होने पर भी सप्रतिपक्ष से उसमें भिन्नता है। क्योंकि सप्रतिपक्ष स्थल में एक ही हेतु का प्रयोग होता है जो दुर्बल होता है किन्तु तुल्यत्वविराघा अन्य हेतु का प्रमाण नहीं होने से सप्रतिपक्ष नहीं माना जाता है। किन्तु सत्यप्रतिपक्ष में दोनों हेतु दुर्बल होते हैं। अतएव वह सप्रतिपक्ष से भिन्न है।

१. ‘अभिद्धविच्छिन्नैकान्तिकाम्बयो हेत्वाभास’ जैनादि देवसूरी के ‘प्रमाणतय तत्त्वशोधकान्दुार’ में छात्र परिच्छेद पृ० ३७ की देखिए।
‘हेत्वाभासा अभिद्ध विच्छिन्नैकान्तिका किञ्चित्करा’ परीणा मुसुम्व ।

प्रकरणसम और कालातीत के पृथक् हेत्वाभास मानने में गौतम की युक्ति यह है कि अन्य प्रतिग्रन्थक के अभाव में यथार्थ अनुमिति का प्रयोजक हेतु ही प्रवृत्त हेतु होता है। हेत्वाभास के अन्तर्गत प्रयुक्त हेतु सन्दर्भ का भी यही अर्थ है। किन्तु पूर्वोक्त लक्षण से युक्त प्रकरणसम हेतुओं के और कालातीत हेतुओं के प्रयोग में मध्यस्थ गण को उस हेतु से उस साध्यधर्म की अनुमिति नहीं होती है। अर्थात् सत्प्रतिपक्ष और बाधित हेतु अनुमिति के उत्पादन योग्य नहीं रहता है। अतएव उस तरह के हेतु को हेतु नहीं कहा जा सकता है। किन्तु हेतु के सभी लक्षणों से युक्त रहने पर उसे 'अहेतु' कहना भी कठिन है। अतएव अनव्यतिपक्षत्व तथा अबाधितत्व को भी हेतु के लक्षण रूप में मानना होगा। सत्प्रतिपक्ष हेतु में असत्प्रतिपक्षत्वरूप हेतु का लक्षण नहीं घटता है और बाधित हेतु में अबाधितत्वरूप हेतु का लक्षण नहीं घटता है अतएव इन दोनों को अहेतु कहना सगत हुआ। इसी से यह भी सिद्ध हुआ कि प्रकरणसम और कालातीत हेत्वाभास को मानना आवश्यक है। इसलिए गौतम के द्वारा कहे गये हेतु के पाँच लक्षण तथा हेत्वाभास के पाँच प्रकार सिद्ध होते हैं। गृह्य ग्रन्थों में अनेक मतों में हेत्वाभास के गृह्य प्रकार वर्णित हैं तथा विभिन्न व्याख्याएँ इसकी मिलती हैं। किन्तु हेत्वाभास के सभी प्रकारों का अन्तर्मात्र इन पाँच प्रकारों में होता है। महर्षि गौतम इसी को स्पष्ट करने के लिए हेत्वाभास के विभाग सूत्र को कहते हैं—'स यमिच्छति सिद्ध प्रकरणसम साध्यसम कालातीत हेत्वाभासा'।

‘छल और जाति’

जल्प और वितण्डा कथाओं में प्रतिवादी किसी समय में सदुत्तर को नहीं कह पाता है। और पराजय के भय से चुप न रहकर कितने असदुत्तरों को भी कहता है। चिरकाल से ही ऐसा होता आया है। इसी असदुत्तर विशेष का नाम है—‘छल’। महर्षि गौतम इसका लक्षण और विभाग करते हैं—‘वचनविगतोऽर्थाधिक्योपपत्त्याच्छलम्’। ‘तत् त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलञ्च’। १।२।१० ११। वादी के अभिमत शब्दार्थ या वाक्यार्थ से भिन्न अर्थ को कथनाथ द्वारा वादी के वचन विधातक असत् उत्तर का नाम है ‘छल’। इसके तीन प्रकार हैं। गौतम ने प्रत्येक छल का लक्षण किया है। जैसे—‘अत्रियोपाऽभिहितेऽर्थे वचनार्थाऽन्तरत्वरूपना वाक्छलम्’ १।२।१२। ‘अमरतोऽर्थस्यातिशामान्ययोगात्संभूतार्थरूपना सामान्यच्छलम्’ १।२।१३। ‘धर्मवित्पनिर्देशेऽर्थसद्भासप्रतिषेध उपचारच्छलम्’ १।२।१४।

नाना अर्थों में बोधक किसी शब्द का प्रयोग करने पर यत्ना ने जिन अर्थों में उस शब्द का प्रयोग किया है उसके उसमें भिन्न अर्थ को लेकर जो निषेध

किया जाता है वह वाक्छल है। जैसे नवीन कम्बल वाले व्यक्ति को देखकर किसी ने कहा—‘नेपालाद्रागतोऽयं नयकम्बलवत्वात्’ यह नेपाल से आया है क्योंकि यह नवीन कम्बल रखता है। किन्तु प्रतिवादी कहता है—‘एकोऽयं कम्बलः कुतो नयकम्बलात्’ इसे तो एक ही कम्बल है नौ कम्बल कहाँ हैं इसे? यथार्थ में यहाँ वादी नवीन अर्थ में ‘नय’ शब्द का प्रयोग किया या किन्तु प्रतिवादी इसे समझा या नहीं—यह तो दूर रहा किन्तु वह उक्त वाक्य के ‘नय’ शब्द में नौ सख्या को लेकर अर्थान्तर की कल्पना करके अर्थात् वक्ता के अनभिप्रेत अर्थ को लेकर हेतु में असिद्ध दोष दिखाता है—जो वाक्छल है। किन्तु वादी का ‘नूतन कम्बलवत्’ हेतु असिद्ध नहीं है अतएव यह छल अमत् उत्तर होता है। वाक्छल के और भी बहुत उदाहरण हैं जो सन्नेप में नहीं कहे जा सकते हैं।

समाव्यमान पदार्थ के सन्नेप में अतिसामान्य योग से अर्थात् अतिन्यापक किसी सामान्य धर्म की सत्ता से वक्ता के अनभिप्रेत किसी अवसर अर्थ की कल्पना में जो प्रतिषेध किया जाता है उसी का नाम सामान्यच्छल है। जैसे ब्राह्मणत्व जाति की प्रशंसा के लिए किसी ने कहा—‘सभवति ब्राह्मणे विद्याचरण सपदा’ = ब्राह्मण के सन्तान में ही विद्या का अभ्यासरूप सपदा रहती है। प्रतिवादी तुरन्त कहता है कि ब्राह्मणत्व जाति रहने से यदि विद्या चरणरूप सपदा रहती है अर्थात् ब्राह्मण के सन्तान होने के नाते यदि विद्याचरणरूप सपदा रहने लगती है तो शिशु और व्रत्य ब्राह्मण भी विद्याचरणरूप सपदा से युक्त होने लगेगा। यहाँ ब्राह्मणत्व धर्म विद्याचरण के पक्ष में अतिन्यापक सामान्य धर्म है। क्योंकि मूर्ख ब्राह्मण में भी ब्राह्मणत्व जाति रहती है किन्तु केवल ब्राह्मणत्व जाति ही विद्या का हेतु नहीं है और वादी का प्रतिषेध भी यह नहीं है। यहाँ प्रतिवादी ब्राह्मणत्व में विद्या के साधक हेतुत्वरूप अवसर अर्थ की कल्पना में व्यभिचार दोष दिखाता है। अतएव यह अमत् उत्तर है जो ब्राह्मणत्वरूप सामान्य धर्म के कारण हुआ है। यही ‘सामान्यच्छल’ है।

वादी किसी प्रसिद्ध लभणिक शब्द का प्रयोग करता है और प्रतिवादी उसके मुख्य अर्थ को लेकर निषेध करता है तो इसी असदुत्तर को ‘उपचारच्छल’ कहते हैं। जैसे वादी कर्ता है—‘मञ्जः क्लोशनि’। मञ्ज शब्द का मुख्य अर्थ है उच्च आसन। जो मञ्ज पर रहने वाले पुरुषों का आश्रय है। इसी में लभणा के द्वारा मञ्ज पद का मञ्जन्य पुरुष अर्थ होता है। यह स्थान निमित्तक उपचार शब्द से कहा जाता है। किन्तु प्रतिवादी को इसका ज्ञान हुआ या नहीं—इस की बात तो दूर रही पहले ही उक्त शब्द के मुख्य अर्थ को लेकर प्रतिवादी कहता है—मञ्ज में क्लोशन = किसी को बुलाना ममन नहीं है। क्योंकि

दुलाना क्रिया है किसी मानव में पायी जाती है और मञ्च निजांन पदार्थ है उसमें इस क्रिया की स्थिति सर्वथा असम्भवा है। मञ्च शब्द के उपचार निमित्तक अर्थ के प्रतिषेध को उपचारच्छा कहते हैं। प्राचीनता का भी यही मत है। क्योंकि वे कहते हैं कि जहाँ प्रसिद्ध लक्षणिक शब्द का प्रयोग होता है उस स्थल में उसके मुख्य अर्थ की कल्पना से जा प्रतिषेध किया जाता है यह 'उपचारच्छा' है। किन्तु वादी के अभिप्रेत अर्थ का निषेध उसमें नहीं होता है अतएव वह असत् उत्तर है।

वाक्छा में उपचारच्छा में भेद नहीं है—हम पुराण के लक्षण में गौतम कहते हैं कि उपचार छा में कुछ विशेष है। और उस विशेष को यदि नहीं माना जाए तो वाक्छा और सामान्य छा में भी कुछ भेद नहीं रहेगा। और तब छा का प्रकार भेद ही असंभव हो जाएगा। अतएव मानना होगा कि विशेष को लेकर ही इसके तीन प्रकार होने हैं। चरकसंहिता के विमान स्थान में (आठवाँ अध्याय में) छत्र के दो ही प्रकार कहे गये हैं। किन्तु वह प्राचीनतम मत है। छत्र की तरह जाति पदार्थ भी असत् उत्तर विशेष ही है अतएव धन उसी का लक्षण कहा जाता है।

जाति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। किन्तु गौतम का पन्द्रहवाँ पदार्थ 'जाति' असत् उत्तर रूप है। जल्प तथा वितण्डा कथा में जो उत्तर प्रतिवादी के अपने उत्तर की भी हानि कर सकता है अर्थात् जो उत्तर समानरूप से दोनों पक्षों की हानि करता है व्यापारक है वह जाति या जात्युत्तर है। जाति शब्द इसी अर्थ में परिभाषित है। मरुति गौतम इसका सामान्य लक्षण कहते हैं—
'साधर्म्यं वैधर्म्यान्वा प्रत्यस्तथान जाति' १। १८।

व्याप्ति की अपेक्षा नहीं करके केवल किमी साधर्म्य से या वैधर्म्य से दोष दिखाया जाता है वही जाति है। गौतम पाचवाँ अध्याय प्रथम आह्निक में इसके चौबीस प्रकारों का कहे हैं। प्रदेन जाति का लक्षण तथा उसके असत् उत्तर हानि में युक्ति का प्रदर्शन भी किया गया है। जाति के चौबीस प्रकार ये हैं—(१) साधर्म्यममा । (२) वैधर्म्यममा । (३) उत्तरममा । (४) अन्वयममा । (५) व्यर्थममा । (६) अर्थममा । (७) विरुद्धममा । (८) साध्यममा । (९) प्राप्तिममा । (१०) अप्राप्तिममा । (११) प्रयत्नममा । (१२) प्रतिद्वन्द्वममा । (१३) अनुत्पत्तिममा । (१४) मगयममा । (१५) प्रकणममा । (१६) अहेतुममा । (१७) अर्थापत्तिममा । (१८) अन्वयममा । (१९) उपपत्तिममा । (२०) उपपत्तिममा । (२१) अनुपपत्तिममा । (२) अनित्यममा । (२३) नित्यममा और (२४) कार्यममा ।

वादी न्याय का प्रयोग करता है और प्रतिवादी यदि उसमें केवल साधर्म्य या वैधर्म्य को लेकर उससे वादी के पक्ष में साम्य धर्म के अभाव की आपत्ति करता है तो प्रतिवादी का यही उत्तर क्रमशः साधर्म्य सभा और वैधर्म्यसभा जाति है। जैसे वादी—‘शब्दोऽनित्य कार्यत्वात् घटत्’ इत्यादि न्याय का प्रयोग पहले करता है जिस में जन्यत्व हेतु से शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करना चाहता है किन्तु प्रतिवादी सदुत्तर से उसका खण्डन नहीं कर के यदि कहता है कि जैसे शब्द में घट का साधर्म्य जन्यत्व है उसी तरह आकाश का साधर्म्य अमूर्तत्व भी है। क्योंकि शब्द भी आकाश की तरह अनूर्त पदार्थ है। नित्य आकाश के साधर्म्य अमूर्तत्व के रहने से शब्द नित्य ही क्यों नहीं होगा। घट के साधर्म्य जन्यत्व के रहने से शब्द अनित्य होगा और आकाश के साधर्म्य अमूर्तत्व के रहने से वह नित्य नहीं होगा इसमें कुछ विशेष हेतु नहीं मिलता है। यहाँ प्रतिवादी का यह उत्तर साधर्म्य सभाजाति है।

इसी उदाहरण में यदि प्रतिवादी यह कहे कि शब्द में जैसे अनित्य घट का साधर्म्य जन्यत्व है उसी तरह घट का वैधर्म्य अमूर्तत्व भी है। अतएव शब्द में घट के वैधर्म्य अमूर्तत्व के रहने से वह नित्य ही क्यों नहीं होगा? प्रतिवादी का यही उत्तर वैधर्म्यसभा जाति है।

यहाँ इन दोनों उत्तरों को सदुत्तर नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि शब्द में आकाश का साधर्म्य और घट का वैधर्म्य अनूर्तत्व है किन्तु उसके साथ नित्य धर्म की व्याप्ति नहीं है—अर्थात् अमूर्तपदार्थ नित्य ही होता है—यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि रूप आदि कितने अनित्य पदार्थों में भी अनूर्तत्व धर्म रहता है। अतएव अनूर्तत्व धर्म नित्य का व्यभिचारी सिद्ध हुआ। किन्तु प्रतिवादी व्याप्ति की बिना अपेक्षा किए ही केवल साधर्म्य और वैधर्म्यरूप अनूर्तत्व को लेकर उसी के आधार पर शब्द में नित्यत्वधर्म की आपत्ति करता है। किन्तु यह सदुत्तर नहीं है। प्रत्युत यह स्वमत का व्यापन भी करता है अतएव अन्यन्त अमत्तर है। क्योंकि प्रतिवादी व्याप्ति का बिना विचार किए ही केवल साधर्म्य या वैधर्म्य को लेकर आपत्ति करता है। वादी यदि उसी युक्ति को लेकर यहाँ घट कहे कि अथवा घट उत्तर में मत में दोष नहीं उद्घोषित करता है। क्योंकि अद्वैत चर्चा का साधर्म्य चर्चनत्व अथवा प्रमेयत्व प्रतिवादी के चर्चन में भी है। उसी में अन्य अद्वैत चर्चनों की तरह प्रतिवादी का यह चर्चन भी अद्वैत क्यों नहीं होगा। इसी में प्रतिवादी का यह उत्तर अपने मत का ही व्यापन (हानि) करता है। यह कदापि सदुत्तर नहीं हो सकता है। इसी तरह अन्य आदुत्तर भी अमत्तर ही होता है। इसका कारण

स्वमत का व्यापारकत्व है। उदाहरणार्थ इसका सामान्य लक्षण करते हैं—
स्वव्यापारक उत्तरत्व जाति होती है। छः नामक उत्तर में इस तरह का स्वमत
व्यापारकत्व नहीं रहता है।

गौतम के जातिपरिचय का लक्षण अत्यन्त कठिन है। मध्ये में उसे बताना
समय नहीं है। उदाहरण के बिना इसके स्वरूप की व्याख्या भी नहीं की
जा सकती है। मध्ये के कारण प्रस्तुत पुस्तक में इन जातियों के भिन्न भिन्न
लक्षण आदि नहीं कहे जाते हैं। ब्रह्मसूत्रप्रदर्शन के पञ्चमखण्ड में जाति
के नियम में विन्दित आलोचना की गई है।

निग्रहस्थान

'निग्रहस्थान' गौतम का सोलहवाँ पदार्थ है। वे करते हैं—'विप्रतिपत्तिरप्र
तिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्' १।२।१६। वृत्तिकार निबन्धनाय इसकी व्याख्या करते
हैं—'निग्रहत्व स्वरीकारत्व स्थानम्'। प्राचीन नैयायिक उचोत्तर ने भी इस
स्वरीकार शब्द का प्रयोग किया है। जलन्पतिभिन्न इस स्वरीकार शब्द से
स्पष्टता करते हैं—'विप्रतिपत्त्याप्रतिपत्तिरुक्तत्वेन हि स्वरीकारः'। तात्पर्य यह
है कि जय तथा प्रतिपत्त्या में वादी अथवा प्रतिवादी के पगबज होने
पर भी वादक्या में किसी का पगबज नहीं होता है। किन्तु विद्वानों का मत
से रहित गुरु शिष्य आदि के मिश्रित नियम का अप्रतिपत्तिकत्व ही निग्रह है।
अर्थात् वे लोग यदि स्वयं का स्थान नहीं कर सके तो यही उन लोगों का
निग्रह हुआ इन्हीं की प्राचीन मञ्जु स्वरीकार है। स्वरीकार किसी निग्रहस्थान
विशेष का नाम नहीं है।

मगस यह हुआ कि पराजयस्व निग्रह और वादक्या में स्वरीकार
निग्रह व स्थान = कारण को 'निग्रहस्थान' करते हैं। वादी या प्रतिवादी की
'विप्रतिपत्ति' अर्थात् किसी नियम में विरगीत स्वरूप भ्रम और कितने स्थानों
में 'अप्रतिपत्ति' - अर्थात् उस के निग्रहस्थान होने में मूल है। इन्हीं तात्पर्य में
उक्त सूत्र में मर्त्ति गौतम करते हैं—'विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्'।
वृत्तिकार का मत है कि जिसमें वादी या प्रतिवादी की विप्रतिपत्ति या अप्रति
पत्ति अनुमित होगी वे वही निग्रहस्थान है। गौतम के उपर्युक्त सूत्र का यही
अभिप्राय है। विप्रतिपत्तिमूलक निग्रह स्थान विप्रतिपत्ति शब्द से और अप्रतिपत्ति
मूलक निग्रह स्थान अप्रतिपत्ति शब्द से ली गयी होते हैं। मर्त्ति गौतम न्याय-
दर्शन के पञ्चम अध्याय द्वितीय आह्निक में निग्रहस्थान के बहस में
कहते हैं। यथा—

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| () प्रतिपत्तिहानि | (३) प्रतिपत्ति विरोध |
| (=) प्रतिपत्तिरन्तर | (४) प्रतिपत्ति मन्दाय |

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| (५) हेत्वन्तर | (१४) अननुभाषण |
| (६) अर्थान्तर | (१५) अज्ञान |
| (७) निरर्थक | (१६) अप्रतिभा |
| (८) अविज्ञातार्थ | (१७) विक्षेप |
| (९) अपार्यक | (१८) मतानुज्ञा |
| (१०) अप्राप्तकाल | (१९) पर्यनुयोज्योपेक्षण |
| (११) न्यून | (२०) निरनुयोज्यनुयोज |
| (१२) अधिक | (२१) अपसिद्धान्त |
| (१३) पुनरुक्त | (२२) और हेत्वामास |

वादी य प्रतिवादी पहले पञ्चाक्षर वाक्य के प्रयोग से अपना मत स्थापित करता है। पश्चात् प्रतिवादी के द्वारा दोष दिखाने पर उसको हटाने से असमर्थ होकर यदि पूर्वोक्त 'पक्ष' (साध्यधर्मी) आदि को छोड़ देता है तो उसे 'प्रतिज्ञाहानि' नामक निग्रहस्थान होता है। जैसे वादी पहले—'शब्दोऽनित्यः' यह प्रतिज्ञा करके पश्चात् हेतु वाक्य से अनित्यत्व की स्थापना करने पर प्रतिवादी भीमासक शब्द के नित्यत्वपक्ष में प्रमाण दिखाकर वादी के अनुमान में दोष दिखाता है। वादी उस दोष का निराकरण नहीं कर के यदि कहता है—'पर्वतोऽनित्यः' अर्थात् शब्द को छोड़कर पर्वत को 'पक्ष' बनाता है तो वादी को प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रहस्थान होता है। इसी तरह से वादी यदि पूर्वोक्त हेतु दृष्टान्त साध्यधर्म आदि तथा इनके विशेषण को छोड़ता है तो उस स्थल में भी प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रहस्थान होता है।

वादी यदि प्रतिवादी के द्वारा कहे गये दोषों को हटाने के लिए पूर्वोक्त हेतु में भिन्न किसी पदार्थ में विशेषण का प्रयोग करता है तो यहाँ प्रतिज्ञान्तर नामक निग्रहस्थान होता है। जैसे वादी भीमासक—'शब्दो नित्यः' इस प्रतिज्ञा वाक्य के प्रयोग से शब्द में नित्यत्व का स्थापन करता है। और प्रतिवादी नैयायिक कहता है कि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि एतन्मात्रक शब्द अनित्य ही होता है। इसलिए दृष्टमात्र में नित्यत्व का साधन नहीं हो सकता है। नैयायिक इस कथा को कहकर अनुमान में असत, राध दोष का उद्घाटन करता है। अब भीमासक यदि कहे कि—'वर्गात्मकः शब्दः नित्यः' अर्थात् मैं केवल वर्गात्मक शब्द को एतत् रूप में लेकर उसी में नित्यत्व का साधन करता हूँ। यहाँ वादी भीमासक अपने पूर्व स्वीकृत शब्दरूप पक्ष में वर्गात्मक रूप विशेषण को छोड़ता है जिससे प्रतिज्ञान्तर नामक निग्रहस्थान होता है। इसी तरह से उदाहरण और उपनय वाक्य आदि में भी किसी विशेषण के छोड़ने पर 'प्रतिज्ञान्तर' निग्रहस्थान होता है।

प्रतिज्ञाहानि में वादी अपने पूर्वोक्त किसी पदार्थ को छोड़ता है जिसमें अपने स्वीकृत पक्ष की हानि होती है। प्रतिज्ञान्तर में वादी पूर्वोक्त किसी पदार्थ को छोड़ना नहीं है मन्तुन हेतु से भिन्न पदार्थ में अतिरिक्त विशेषण का समावेश करना है। प्रतिज्ञाहानि और प्रतिज्ञान्तर में यही भेद होता है। अमी अन्य निग्रह स्थानों का विशेष विवरण नहीं दिया जाएगा केवल प्रत्येक के स्वरूप से परिचय करना जाएगा।

जहाँ अथवा प्रतिवादी की प्रतिज्ञा और हेतु यदि परस्पर विरुद्ध रहता है तो प्रतिज्ञा-विरोध नामक निग्रहस्थान होता है।

प्रतिवादी वादी के मत का खण्डन करता है और वादी यदि पुनः उस खण्डन का विरोध नहीं करता है तथा अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देता है अथवा अन्वीसर करता है तो प्रतिज्ञासन्त्यास (नि०) होता है।

प्रतिवादी वादी के द्वारा कहे गये हेतु में व्यभिचार दिखता है उस दोष से बचने के लिए वादी यदि पश्चात् उस हेतु में कुछ विशेषण जोड़ता है तो वह हेतुन्तर (नि) होता है। प्रतिज्ञान्तर में हेतु में भिन्न पदार्थ में विशेषण जोड़ा जाता है अतएव वह हेतुन्तर में भिन्न है।

वादी या प्रतिवादी यदि अर्थ शून्य शब्द का अर्थात् जो शब्द किसी अर्थ का वाचक नहीं है—प्रयोग करता है तो वह निरर्थक (नि०) होता है।

वादी यदि एसा शब्द व्ययुक्त करता है जिसका अर्थ तीन बार बहने पर भी प्रतिवादी, मध्यस्थ और सभासद को समझ में नहीं आता है, वादी का वह वाक्य अन्वयार्थ (नि०) है।

जिन् पदसमूह अथवा वाक्यसमूह में प्रत्येक पद के अर्थ होने पर भी समूह का अर्थ नहीं होता है अर्थात् जो पदसमूह या वाक्यसमूह किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं करता है इस तरह के वादी का प्रयोग अन्वयार्थक (नि) है।

वादी या प्रतिवादी यदि पञ्चावयव अथवा अन्यान्य वक्तव्य ही प्रश्न को छोड़कर कहता है अर्थात् प्रधानम उचित रीति में नहीं कहता है तो अप्राप्तज्ञान (नि०) होता है।

जहाँ या प्रतिवादी अपने अपने मत का समर्थन करते हुए अपने मप्रमाण के द्वारा स्वीकृत अर्थों में यदि किसी अवसर का उपपत्तन छोड़ देता है तो शून्य (नि०) होता है।

वादी या प्रतिवादी यदि अपने मत का न्यायन करते हुए जिना प्रयोग ही हेतुबोध या उदाहरणवाक्य को अर्थक कह देता है अर्थात् जहाँ एकबार कहना चाहिए उस स्थान में दो बार कह देता है तो अधिक (नि०) होता है।

बाड़ी या प्रतिबाड़ी बिना प्रयोजन ही यदि किसी शब्द के अर्थ को दो भाग कहता है तो पुनरुक्त (नि०) होता है ।

रूप और शिल्पाकृति म यह नियम है कि पहले बाड़ी अपना वचन पूरा करना है पश्चात् प्रतिबाड़ी मध्यम्य को इसका ज्ञान करा देता है कि मैं बाड़ी के वचन को अच्छी तरह समझकर स्पष्टन करता हूँ । इसके लिए उसे बाड़ी के वचन का अनुवाद करना होता है । किन्तु बाड़ी तीन बार अपना आत्मपान प्रकट करता है और मध्यम्य ने इस नियम को जान लिया है । किन्तु प्रतिबाड़ी मध्यम्य अनुवाद नहीं करता है तो वर्ण अननुमापण (नि०) होता है ।

बाड़ी अपने वचन को तीन भाग कहता है । मध्यम्य ने उसे जान लिया है । किन्तु प्रतिबाड़ी समझ नहीं रहा है तो इसे अज्ञान (नि०) होता है ।

प्रतिबाड़ी ने बाड़ी के वाक्यार्थ को जानकर मध्यम्य के समझ में उसका अनुवाद भी कर दिया है । किन्तु उत्तर के समझ में उसे उत्तर की स्मृति नहीं हो गयी है तो इसे अप्रतिमा कहते हैं ।

बाड़ी ने अपना पद स्थापित किया है । प्रतिबाड़ी उसी समय में अपना कुछ कदम भी पश्चात् परावच के भर में किसी कारण के व्यासङ्ग से उठ जाता है और कहता है कि पश्चात् मैं इसे कहूँगा जिससे क्या समाप्त हो जाती है उसका नाम निधेय (नि०) है ।

प्रतिबाड़ी अपने पक्ष में बाड़ी के द्वारा दिए गये दोनों को नहीं हटाता है अर्थात् उन दोनों को स्वीकार कर लेता है और बाड़ी के पक्ष में भी उसी तरह का शेष दिग्गता है तो वह 'मनानुजा' (नि०) है ।

बाड़ी या प्रतिबाड़ी को निरग्रहण प्राप्त है किन्तु प्रतिद्वन्द्वी उनका उद्गमन नहीं करता है किसी कारण से उसकी उपेक्षा करता है तो इस स्थिति में प्रतिद्वन्द्वी के पक्ष में 'परनुपेक्षा' (नि०) होता है । इस निरग्रहण का उद्गमन पश्चात् मध्यम्य ही करता है ।

जहाँ जो वयार्थ में निरग्रहण नहीं है उस स्थिति में उसे निरग्रहण मानकर बाड़ी या प्रतिबाड़ी यदि किसी को निर्गृहीत कहता है तो उस स्थिति में निरग्रहण के उद्गमन करने वर्णों को 'निर्गृहीत' (नि०) होता है ।

बाड़ी या प्रतिबाड़ी किसी शास्त्रमन्त्र सिद्धान्त को मानकर अपने मत के समर्थन के लिए यदि दाख होकर उस सिद्धान्त के विरुद्ध सिद्धान्त को मानता है तो इसे 'अविद्वान' (नि०) होता है ।

पहले सत्यमिचार आदि पाँच प्रकारों के हेत्वामास के लक्षण आदि कहे

गये हैं उस लक्षण से युक्त प्रत्येक हेत्वामास निग्रहस्थान होता है। इसी से महर्षि गौतम न्यायदर्शन का अन्तिम सूत्र कहते हैं—‘हेत्वाभासाश्च यथोक्ता’।

वाचस्पति आदि अनेक प्राचीन आचार्यों ने गौतम के उस अन्तिम सूत्र के ‘च’ शब्द से अथ निग्रहस्थानों की भी व्याख्या की है। तत्त्वचिन्नामणि के असिद्धि भाग की दीधिति में अन्त में रघुनाथ शिरोमणि कहते हैं—‘चकारेण समुच्चित प्रथमो निग्रहस्थानम्’।

इन साइस प्रकारों के निग्रहस्थान में अपिसद्धान्त तथा हेत्वामास का उद्घाटन तत्त्वनिर्णय के लिए की गई वाक्या में भी होता है। किसी-किसी मत में अन्य निग्रहस्थानों को भी वाक्या में कहा जा सकता है। किन्तु जल्य और वितण्डा में सभी निग्रहस्थानों को कहा जा सकता है। इन कथाओं में प्रतिपादी की जयलामरूप उद्देश्य रहता है। अतएव छत्र तथा जाति आदि अक्षदुत्तर का भी प्रयोग हो सकता है। इसी से महर्षि गौतम पहले ही जय कथा के लक्षण में कहते हैं—‘छत्रजालिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जय’। इस पक्ति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। अपने अपरिपक्व तत्त्व निक्षय की रक्षा के लिए मुमुक्षु व्यक्ति को भी जल्य और वितण्डाकथा करने चाहिए इस विषय में गौतम की अनुमति का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। निग्रहस्थान के विशेष ज्ञान के बिना किसी विचार का होना कठिन है। इसी से अन्यान्य नैयायिकों ने भी इस का विचार किया है। बौद्ध मप्रदाय गौतम के सभी निग्रहस्थानों को नहीं मानता है। बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति के ‘वादन्याय’ और शान्तरहित की उसकी व्याख्या के अध्ययन से गौतम मत के स्पष्टन में उनकी सभी बातों को जाना जा सकता है। बाद में वाचस्पति मिश्र और जयन्त भट्ट आदि ने धर्मकीर्ति के सिद्धान्तों का स्पष्टन किया है। इन लोगों के द्वारा किये गये उन प्रतिपादों को अवश्य जानना चाहिए। मझेप में इन सभी कथाओं का कहना असम्भव था। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में नहीं

१. एक स्थल में रघुनाथ शिरोमणि कहते हैं कि व्यर्थ विशेषण से युक्त हेतु व्यापारवादि नामक हेत्वामास नहीं होता है। किन्तु वह दोष वादी का है जो व्यर्थ विशेषण से युक्त हेतु का प्रयोग करता है। अतएव यह निग्रह स्थान ही है। अतएव गौतम के चरम सूत्र में अनुरक्त समुच्चयार्थक ‘च’ शब्द से अतिरिक्त निग्रह स्थान भी गृहीत होते हैं। शिरोमणि के इस मत को व्यापार के लिए ‘विशेष व्याप्ति-दीधिति’ की टीका के अन्त में इसी तात्पर्य से जगदीश कहते हैं—‘अधिकेनैव निग्रह स्थाने पुरुषो निगृह्यते।’ नील घूम आदि व्यर्थ विशेषण से युक्त हेतु का प्रयोग इस के उदाहरण रूप में दिनाया जाता है।

कहा जाता है । द्वितीय स्स्करण न्यायदर्शन (बङ्गलाऽनुवाद) के प्रथम खण्ड के अन्तिम अंश में तथा पञ्चम खण्ड के अन्तिम अंश में इस विषय की विस्तृत आलोचना मिलती है ।

युग्माष्टद्वयेकवद्धान्दे (१२८२) माघस्यैकादशे दिने ।
 सोमवारे चतुर्दश्या लगे च मिथुने शुभे ॥
 यशोहरप्रदेशे यो विद्वद्विप्रकुलान्विते ।
 ग्रामे 'तालखड़ी'नाम्नि महाचार्यकुलेऽभवत् ॥
 पिता सृष्टिधरो नाम यस्य विद्वान् महातपाः ।
 माता च भोक्षदा देवी देवीव भुवि या स्थिता ॥
 सरोजवासिनी पत्नी निजमुक्तपथमेव हि ।
 यं काशीमनयद् बद्ध्वा पूर्वं पूर्वतपोगुणैः ॥
 सोऽधुना कालिकातास्थो बद्धः कर्मवशादहम् ।
 विश्वविद्यालये वृद्धः पाठयामीश्वरेच्छया ॥
 अशक्तेनापि तेनाऽप्य नियुक्तेन यथागति ।
 न्यायदर्शनसिद्धान्त-व्याख्या सक्षेपतः कृता ॥

—:❀:—

समाप्तश्चाऽय ग्रन्थः



शुद्धि पत्र

पृ०	प०	अशुद्ध	शुद्ध
५	१४	विषयों के ही	विषयों के रहने पर भी
६	११	अन्यत्रहित	अन्यत्रहित
"	१६	कण्ठ	कण्ठ के द्वारा
"	१७	अदृष्ट का	अदृष्ट के
"	"	उमी	वही
"	२०	जीवके घर्म	जीवके घर्म एव अरम
"	२३	जीवों को	जीवों के
७	८	कारणों का	कारणों के
६	१६	[गोश दमाननानि]	पृ० १० के पक्ति २० में पहले टिप्पणी में
१०	५	यानु यानु	यानु यानु
"	११	बोरी	बोरी
११	१५	अनित्य	अनित्य है
१३	११	न्यायमार	न्यायमार
		मुक्ति है	मुक्ति है
१४	१३	सर्वदर्शनमग्रह	सर्वदर्शनमग्रह म
१७	१३	मर्दपि	मर्दपि
१८	१२	योगाच्च	योगाच्च
"	२०	तो उमी	उमी
"	३१	इस विषय म	इस विषय म विन्तुन
		आलोचन के लिए	आलोचन के लिए
		विन्तुन मन् मपादित	मन् मपादित
१९	११	में ही	म
२२	'	कोई	एक
२३	१९	मन्स्लार्कः	मन्स्लार्कः
२४	०	श्रुति ही ने	श्रुति ने ही
"	२९	त्याच का	त्याच
"	३१	एतमेवेदामेचार्य—	एतमेवेदामेचार्य
२५	११	कान अथवा अन्वा	कान अथवा अन्वा
२६	१	के कर्ता	का कर्ता
"	२५	जिसका तब	जिसका
"	२८	उमका	उमका

पृ०	प०	अनुच्छेद	शुद्ध
२८	१६	विशेष रूप	विशेष रूप से
"	२६	शरीर	शरीर
२६	१५	इस	इस
"	२९	प्रत्येक	प्रत्येक
"	"	समी	सभी आत्माओं
"	३०	निश्चि आत्मा का ही समी कारणों	किन्ही कार्य का
३०	६	है	है
"	१८	कारण	करना
"	२१	कहा जा नहीं सकता	नहीं कहा जा सकता
३१	२७	मुख	मुख
"	३२	शाना को	शाना के
३२	१५	युक्तियों	युक्तियों
"	१७	महर्षि गौतम	महर्षि गौतम के द्वारा
३३	१३	गौतम	गौतम के द्वारा
३४	७	प्रमाण	प्रमाण से
३६	१	समझना	समझना
"	१९	जन्म है	जन्म होता है
"	२३	पतञ्जलि ने अन्य म तथा शालक	पतञ्जलि ने शालक
४०	१६	सङ्ग प	सङ्कल्प
४२	१	और होगा उसी का आदि है	और होगी उसी का नाम आदि है।
"	२४	चाप्युपलम्बते	चाप्युपलम्बते
४४	१०	अनुराग प्रज्ञा	अनुराग से ज्ञा
"	२५	मिवात्तमासः	मिवात्तमासः।
५२	२६	यद् विशेष रूप से	विशेष रूप से
५३	१९	पृष्ठ में व्याख्याकारण	• व्याख्याकारण के द्वारा
५८	२०	कशाट ने	कशाट
६६	१	अस्थाना	अस्थाना
"	३०	समझते हैं	समझा है
६९	१	गौतम मग	गौतम के
७३	९	यह भी को	इमको भी
"	२९	यस्मात्	यस्मात्
७६	११	अपुनरुद्भावात्	अपुनरुद्भावात्
"	१९	द्रव्यों	दो द्रव्य
"	२६	परिणाम	परिणाम
७७	१८	अमरेणु ही क्यों परमाणु को	अमरेणु को ही परमाणु क्यों
७६	२	समर्थन	समर्थन

पृ०	प०	अशुद्ध	शुद्ध
८१	१०	अमन	अमन
८२	५	परिणाम	परिमाण
८४	३२	घटान्	घटत्व
८६	१३	पथमान	प्रथमोत्त
"	२३	प्राक् केकपीत. भर्तस्मटोभृत्	प्राक् केकपीतः भरतस्तनोऽभृत्
८६	१	विसदग	निघदग
"	२५	मन के	मन के
"	२७	मन के	मन के
६७	८	यह	×
"	१६	राहत	रहित
"	"	कुनचीत	कुनचिन्
६८	१८	निमी पृथक्	पृथक्
१०५	१५	निधान की	निधाने
"	३२	आत्मपर	आत्मा में
१०६	१४	रहती है	रहती है
"	२६	से साथ	से
१०७	१७	अन्तर्गमन	अन्तर्गमन
१०८	५	यथार्थ में एक ही	यथार्थ रूप में
"	१९	तात्पर्य प्रकृत	प्रकृत तात्पर्य
"	२२	वात्तव	वात्तव
१०६	४	कहाँ पर	वहाँ पर
११०	६	के कारण	के कारण ब्रह्मपद वाच्य है
१११	२	मिश्रितरूप	मिश्रितरूप
"	७	"	"
"	२२	आज	अज
११६	१७	पायोऽस्ति	पायोऽस्ति
११८	६	२३५।	२३५।
१२६	२३	जीवों के समार के	समार के
१३१	५	विशिष्ट आत्मा	विशिष्ट आत्मा है।
"	८	समझना	समझना
१३६	१	करना	करना
१४३	२१	वद मी	×
"	२४	देना है	करना
"	"	लाम	नाम